त्रयोदश माला, खंड 15, अंक 11

गुरुवार, 8 मार्च, 2001
17 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 15 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डॉ. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ॰ राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)

अंक 11, गुरुवार, 8 मार्च, 2001/17 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	161 से 163	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	164 से 180	24-41
अतारांकित प्रश्न संख्या	1670 से 1849	41-238
सभा पटल पर रखे गए पत्र		238-242
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		243
विवरण		
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति		243
सत्रहवां प्रतिवेदन		
सभा का कार्य		243-246
कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		246
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में		247-259
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव		275-394
श्री सोमनाथ चटर्जी		275-290
श्री प्रभुनाथ सिंह		290-297
श्री मुलायम सिंह यादव		297-310
श्री चन्द्र शेखर		310-318
श्री प्रसन्न आचार्य		319-324
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति		324-330
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी		330-337
डा. बिक्रम सरकार		338-342

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

श्री अनादि साहू..... 342-348

श्री बालकृष्ण चौहान..... 348-350

श्री अब्दुल रशीद शाहीन..... 350-354

श्री सनत कुमार मंडल..... 354-356

श्री रामजीवन सिंह..... 356-360

श्री के.पी. सिंह देव..... 360-365

डा. सुशील कुमार इंदौरा..... 365-368

श्री अमर राय प्रधान..... 368-370

श्रीमती जयश्री बैनर्जी..... 370-373

श्री एम.डी.एन.आर. वाडियार..... 373-376

श्री रामदास आठवले..... 376-381

श्री पवन सिंह घाटोवार..... 381-385

श्री पी.आर. किन्डिया..... 385-389

श्री एन.एन. कृष्ण दास..... 389-391

श्री विजय गोयल..... 391-394

लोक सभा

गुरुवार, 8 मार्च, 2001/17 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

न्यायिक प्रणाली में सुधार

[अनुवाद]

*161. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान न्यायिका प्रणाली के कारण विभिन्न न्यायालयों में बीस वर्ष या इससे अधिक समय से मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान प्रणाली में सुधार लाने में अड़चनों का सामना कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष, तारीख 5.7.2000 को 80 मामले ऐसे थे, जो 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

न्याय विभाग में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की बाबत जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी उच्च न्यायालयों से एकत्रित की जा रही है।

तथापि, विभिन्न उच्च न्यायालयों में तारीख 31.12.1999 को 5,00,855 मामले 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित थे। देश के अधीनस्थ न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

विभिन्न न्यायालयों में मामलों के लंबित होने के कई जटिल कारण हैं। इनमें अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों को न भरा जाना, न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, नागरिकों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण मामले दायर करने में बढ़ोतरी, कई विधियों का अधिनियमित होना, मुकदमेबाजी के पैटर्न में भारी परिवर्तन होना, मामलों का बार-बार स्थगन, वकीलों की हड़ताल आदि भी हैं।

सरकार और न्यायपालिका लंबित मामलों की बाबत चिंतित हैं।

न्यायिक सुधार एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार के विशेषज्ञ निकायों जैसे विधि आयोग, मलीमथ समिति आदि की सलाह के आधार पर मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रक्रियात्मक विधियों का संशोधन करने के लिए उपाय किए हैं।

अन्य उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि करना, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना करना, विशेष न्यायिक/मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करना, न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण और विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियां जैसे माध्यस्थम् और सुलह को अपनाना भी है। लोक अदालतों को विवाद समाधान के लिए अनुपूरक फोरम के रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है।

सरकार ने लंबे समय से लंबित मामलों और ऐसे मामलों के, जिनमें विचाराधीन कैदी शामिल हैं, पूर्विकता पर शीघ्र निपटान के लिए 1734 त्वरित न्यायालयों के सृजन के लिए 502.90 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की है। ये न्यायालय अप्रैल, 2001 में कार्य करना आरंभ कर देंगे।

चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के सभी न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के लिए वर्ष 2001-02 में एक प्रयोगिक परियोजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसे देश में अन्य न्यायालयों के लिए माडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग, देश के न्यायालयों की क्षमता में वृद्धि करेगा और इससे मामलों के निपटान में तीव्रता आएगी।

इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कई प्रकार से पहल की है जैसे मामलों का अधिक व्यावहारिक वर्गीकरण और समूहन, किसी विशिष्ट दिवस को सूचीबद्ध सभी मामलों पर यथासंभव सुनवाई करना, दोषपूर्ण मामलों को इकट्ठा न होने देना, पुराने लंबित मामलों के लिए कालक्रमानुसार अधिक और प्रर्याप्त समय रिज़र्व करना, और प्रशासन तथा रजिस्ट्री के कर्मचारियों को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सुव्यवस्थित करना। उच्च न्यायालयों ने भी मामलों के बेकलॉग को कम करने के लिए ऐसे ही उपाय किए हैं।

अनुबंध

अधीनस्थ न्यायालयों (राज्य-वार) में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	10 वर्ष से अधिक पुराने मामले	निम्नलिखित को यथा विद्यमान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7177	6/2000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	6/1999
3.	असम	32	12/1999
4.	बिहार	59449	6/2000
5.	गोवा	2857	12/2000
6.	गुजरात	97822	6/2000
7.	हरियाणा	1880	12/1998
8.	हिमाचल प्रदेश	351	6/2000
9.	जम्मू-कश्मीर	3827	12/1998
10.	कर्नाटक	28132	6/2000
11.	केरल	2825	6/2000
12.	मध्य प्रदेश	66219	6/2000
13.	महाराष्ट्र	217257	6/2000
14.	मणिपुर	431	12/1999
15.	मेघालय	1658	12/1999
16.	मिजोरम	2	6/2000
17.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं	—
18.	उड़ीसा	10187	6/2000
19.	पंजाब	4142	12/1998
20.	राजस्थान	49468	6/2000
21.	सिक्किम	0	12/1999
22.	तमिलनाडु	5182	12/1999
23.	त्रिपुरा	335	6/2000
24.	उत्तर प्रदेश	158532	12/1999
25.	पश्चिमी बंगाल	95555	12/1998
26.	अंडमान और निकोबार	3	6/1999
27.	चंडीगढ़	79	12/1998
28.	दादरा और नागर हवेली	7	6/2000
29.	दमन और दीव	16	6/2000
30.	दिल्ली	15571	12/2000
31.	लक्षद्वीप	4	6/2000
32.	पांडिचेरी	345	6/2000
	कुल योग	829344	

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का मुख्य उद्देश्य है न्यायपालिका के कार्य में सुधार लाना, लम्बित मामलों का निश्चित अवधि में फैसला देना और अपराधियों को कम समय में दंडित करना—लेकिन आज जो स्थिति है, उसमें गरीब लोग जो छोटे-छोटे अपराध करते हैं, उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। इस तरह के देश में लाखों नहीं करोड़ों मामले न्यायालयों में लम्बित हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिये न्यायपालिका का स्वतंत्र और शीघ्र न्याय देने वाला होना चाहिये। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि गत 20 वर्षों से अधिक अवधि के कितने मामले न्यायालयों में लम्बित हैं लेकिन उसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है। मंत्री जी ने बताया कि उच्च न्यायालयों से यह जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप पैंडिंग मामलों के बारे में पूछ रहे हैं?

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस समय लम्बित मामलों की संख्या 8,29,344 दी गई है। जैसा मैंने पहले कहा कि गरीब लोग इससे परेशान हैं। इसके कई कारण बताये गये हैं जिनमें न्यायाधीशों की कमी, मैजिस्ट्रेटों की कमी या अन्य कारण बताये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी, आपने अभी सप्लीमेंटरी नहीं पूछा है।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में कहा गया है कि जो कमी है, हम न्यायाधीशों की नियुक्ति शीघ्र करेंगे—मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी नियुक्तियां कर चुकी है और जो लम्बित मामले हैं, उनको निपटाने के लिये सरकार कौन-कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ताकि वे लम्बित मामले शीघ्र निपटाये जा सकें।

श्री अरूण जेटली : अध्यक्ष जी, प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग नियुक्तियों के संबंध में है। न्यायपालिका के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिये जो सिफारिशें होती हैं, वह न्यायपालिका स्वयं भेजती है। जितनी जल्दी सिफारिशें आती हैं, उतनी जल्दी ये नियुक्तियां कर दी जाती हैं। जहां तक सरकार का प्रश्न है, उसकी तरफ से कोई विलम्ब नहीं है। सरकार ने इस संबंध में कई अन्य कदम भी सोचे हैं। न्यायपालिका में मुकदमों को निपटाने के लिये जो देरी हो रही है, इसमें नियुक्तियां शीघ्र हों, जो कानून हैं, उन कानूनों की जो प्रक्रिया है, उसमें तबदीली हो, इसके लिये संसद के सामने कानून पेश कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का संबंध है, क्रिमिनल केसेज़ के निपटान के लिये एक समिति का गठन किया गया है जो इस पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने और कई कदम उठाये हैं जिनमें से प्रमुख यह है कि इस वर्ष पहली अप्रैल से, देश के हर जिले में पांच ऐसी अदालतों का गठन होगा जो तीव्र गति से चलने वाली होंगी ताकि जो पुराने मुकदमें हैं, उन्हें पहले लेकर वे उनका निपटारा कर पायें।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष जी, हमने कहा कि इसमें गरीब लोग ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि बड़े लोग तो बड़े-बड़े क्राइम करते हैं और जल्दी छूट जाते हैं। जैसे लोक अदालतें साल-दो साल में हर जिले और हर प्रखंड में दिखाने के लिए लगाई जाती हैं; मात्र उनका दिखावा किया जाता है, कोटा पूरा करने के लिए किया जाता है, यदि ये अदालतें ईमानदारी से, समय-समय पर, हर महीने के हिसाब से हर जिले और हर प्रखंड में लगती रहें और उन्हें पूरी ताकत दी जाएं तो हम समझते हैं कि जितने छोटे-मोटे लम्बित केस हैं और जिनमें ज्यादातर छोटे लोग ही शामिल हैं, जिन्हें एक महीने की सजा भी नहीं मिलती है, लेकिन वे बीस साल में सजा भोग रहे हैं, उनका निपटारा संभव है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार लोक अदालतों को पूरी शक्ति देगी और हर जिले और हर प्रखंड में आज जो दिखावे के लिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं, क्या वे बराबर और सही तरीके से लगेंगी, ताकि केसिज का जल्दी निपटारा हो सके।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के (ख) भाग में हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी है जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर सके। यदि हां, तो वह क्या है और उस मशीनरी का प्रयोग करने के बाद न्यायपालिका में भ्रष्ट आचरण के कितने मामले गत दो वर्षों में प्राप्त हुए हैं। क्या यह सच है कि न्यायपालिका अपराधों को रोकने में असफल रही है। इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है—हम यही जानना चाहते हैं।

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, जहां तक लोक अदालतों का संबंध है, सन् 1994 के बाद, जब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट लागू किया गया, उसके पश्चात् देश के हर जिले में लोक अदालतों का गठन किया गया है। ये लोक अदालतें समझौते के आधार पर कुछ मुकदमों का निपटारा करती हैं। पिछले कुछ वर्षों से जब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनी है, उसके आधार पर स्थाई तौर पर देश के कई भागों में लोक अदालतें बन चुकी हैं। लेकिन लोक अदालतें चूंकि केवल समझौते के आधार पर फैसला करती हैं, इसलिए अगर एक भी पार्टी उसे स्वीकार नहीं करती है तो लोक अदालतें सफल नहीं हो पाती हैं। इसलिए सरकार के समाने यह प्रश्न आया, जिस पर सरकार विचार कर रही है कि कुछ संस्थाओं में विशेष रूप से जहां किसी नागरिक का सरकार या सरकारी विभाग के साथ मुकदमा है, स्थाई तौर पर ऐसे विभागों के अंदर लोक अदालतें चलती रहें, ताकि मुकदमें में जाने से पूर्व लोग उनका लाभ उठा पायें और उन्हें फैसला करने का भी अधिकार मिल जाए—यह विषय सरकार के विचाराधीन है। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, न्यायपालिका में जब भी इसकी शिकायत मिलती है, इसका जो इन-हाउस मैकेनिज्म है, वह न्यायपालिका के भीतर ही होता है, लेकिन उच्च न्यायपालिका में अगर इस संबंध में शिकायत होती है तो उसका संवैधानिक मैकेनिज्म है, जिसका प्रयोग संसद कर सकती है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, न्यायिक विलम्ब सम्बन्धी समस्या बहुत गम्भीर है। माननीय मंत्री ने हाल ही में हमें यह बताया था कि देश भर में लिम्बत मामलों की संख्या 20 मिलियन से भी अधिक है और इनके निपटान के लिए पांच हजार से भी अधिक अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता है। आज हमें मंत्री महोदय के उत्तर से केवल यही विदित हुआ है कि न्यायाधीशों के और अधिक पदों का सृजन किया गया है। उनका यह कहना है कि जब कभी उन्हें न्यायालयों से सिफारिशें प्राप्त होती हैं तो सरकार उन रिक्तियों को भरने में कोई समय नहीं लेती। क्या वे सभा को उन मामलों की संख्या बताएंगे जिनके संबंध में सरकार को सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई हैं?

दूसरे, हमें यह विदित हुआ है कि सरकार ने 'फास्ट ट्रेक कोर्ट्स' की स्थापना करने का निर्णय लिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसके लिए किस प्रक्रिया का अनुसरन किया जा रहा है? क्या मंत्री महोदय प्रत्येक न्यायालय को त्वरित न्यायालय नहीं बनाना चाहते अथवा क्या वे सरकार के प्रबुद्ध व्यक्तियों को शब्दावली का ही प्रयोग कर रहे हैं? कल यदि हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जिसमें 'फास्ट ट्रेक कोर्ट्स' को 'एफटीसी' कहा जाए, तो कोई भी यह नहीं समझ पाएगा कि इसका क्या अर्थ है। हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक न्यायालय 'फास्ट ट्रेक कोर्ट' हो और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करे। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उनके पास इस संबंध में सभा को देने के लिए क्या जानकारी है.... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप तो अच्छी हिंदी जानते हैं, आप हिंदी में बोलिये।

श्री पवन कुमार बंसल : वह मेरे से अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, ट्रांसलेशन की सुविधा है।

श्री मुलायम सिंह यादव : सर, हम चाहते हैं कि आप भारतीय भाषा में बोलें। विदेशी भाषा में ने बोलें।

श्री पवन कुमार बंसल : सर, मैं इनकी बात का आदर करते हुए मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह फास्ट ट्रेक कोर्ट क्या चीज है। इस वक्त हमारे कानून में जा प्रावधान हैं, क्या यह उनसे हटकर कोई चीज है, जो प्रोसीजर तय हुआ है, जाब्ता है, क्या यह उससे हटकर कोई और तरीका है—उसके लिए क्या होने जा रहा है।

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा दो प्रश्न पूछे गए। जहां तक न्यायिक नियुक्तियों का संबंध है, सुप्रीम कोर्ट में जजेज की स्ट्रैन्थ 26 है जिनमें से दो पद खाली हैं। उनके संबंध में सरकार को अभी कोई रेकमंडेशन नहीं मिली है। हाई कोर्ट्स में 15 फरवरी तक 186 पद खाली थे। पिछले दिनों कुछ नियुक्तिगां हुई हैं और लगभग 180 पद

आज भी खाली हैं। इनमें से हमें केवल 59 की रेकमंडेशन्स मिली है। दो तिहाई यानी 120 से अधिक पदों के संबंध में हाई कोर्ट्स से सरकार को कोई रेकमंडेशन नहीं मिली है। इन 59 के संबंध में प्रौसैस ऑफ कंसलटेशन चल रहा है और शीघ्र ही उनमें से अधिकांश नियुक्तियां हो जाएंगी। जहां तक सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का संबंध है, उसमें नियुक्तियां हाई कोर्ट की सिफारिश पर राज्य सरकारें करती हैं। उसमें कुल लगभग 12105 पद हैं, जिनमें 10706 पद भरे हुए हैं और 1400 पद आज भी रिक्त हैं।

दूसरा प्रश्न जो फास्ट ट्रेक कोर्ट्स के संबंध में माननीय सदस्य ने पूछा है—वित्त आयोग के सामने जब यह विषय आया था कि न्यायपालिका में विलंब होता है तो उस सुझाव को स्वीकार करते हुए वित्त आयोग ने एक निर्णय दिया जिसके तहत 502 करोड़ रुपया अकेले पांच वर्ष के लिए, जितने पुराने मुकदमे हैं या इस प्रकार के मुकदमे हैं जिनका तीव्र गति से निपटारा होना चाहिए, उनके निपटान के लिए दिया गया। देश के हर जिले में पांच ऐसी अदालतें 1 अप्रैल से बनेंगी, उसका जो कानून और प्रोसीजर होगा, वह वहीं होगा जो आम अदालतों का है लेकिन ... *(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला : 2 अप्रैल से करिए, पहली अप्रैल से मत करिए। ... *(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : हर नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से ही आरंभ होता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप घोषणा 31 मार्च को ही कर दीजिए। 1 अप्रैल को तो मूर्ख बनाए जाते हैं।

श्री अरूण जेटली : 31 मार्च की मध्य रात्रि को इन्हें आरंभ कर सकते हैं। प्रोसीजर वही होगा जो आम अदालतों में होता है। इनमें कौन से मुकदमे जाएं, इसके लिए सरकार ने राज्य सरकारों और हाई कोर्ट्स को लिखा है कि इसमें जो मुकदमे जाने चाहिए—एक तो वे मुकदमे हों जो बहुत देर से पेन्डिंग हैं, दो-तीन साल से ज्यादा से स्टेट्स में पेन्डिंग हैं—वे इनके अंदर जाएं। इनके जजेज़ की नियुक्तियां भी हाई कोर्ट की सलाह से इस प्रकार करें। जिससे वे शीघ्र इन केसेज का निपटारा कर पाएं। इसमें पहले जो विलंब होता है, ऐडजर्नमेंट्स की वजह से, छः महीने बाद तारीख पड़ती थी, क्योंकि ये नई अदालतें हैं इसलिए ये डे-टुडे बेसिस पर काम करें। सरकार ने यह सुझाव दिया है कि हर फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिस प्रकार माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि कई क्रिमिनल केसेज़ बहुत पुराने पैन्डिंग हैं, लगभग दो-तिहाई मुकदमें जो सबॉर्डिनेट अदालतों में पेन्डिंग हैं, वे ज्यादातर क्रिमिनल केसेज़ हैं—इसलिए 14 सैशन कोर्ट्स के मुकदमें—हर महीने या 20 से 25 दूसरे क्रिमिनल केसेज़ प्रति माह, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स निपटाने का प्रयास करेंगी।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महादेय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और यह खुशी की बात है जैसा आपने कहा है कि 1 अप्रैल से हर जिले में विशेष अदालतें शुरू होंगी, लेकिन गुजरात में अभी भूकंप आने के कारण बहुत सारे बीमा भुगतान के दावे और दिवानी दावों की संख्या बढ़ गई है जिनका तुरन्त ही निपटारा होना चाहिए। गुजरात के मुख्य मंत्री ने आदेश दिया था कि तुरंत ही जो बिल्डिंग्स ढह गई हैं उन कॉनट्रैक्टर्स पर कहीं सरकार की ओर से दावे किए गए हैं तो हीं मकान होल्डर्स की ओर से दावे किए गए हैं। उनके निपटारे के लिए तुरन्त ही कार्रवाई की जाएगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार इन केसों के निपटारे के लिए जो विशेष अदालत स्थापित करना चाहती है, उसमें क्या आपके द्वारा अनुमति तुरन्त दी जाएगी?

श्री अरूण जेटली : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं। दूसरा भाग यह था कि गुजरात सरकार अगर विशेष अदालत बनाना तय करती है तो उसके लिए उन्हें केन्द्र सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार इस प्रकार की विशेष अदालतें स्थापित कर सकती है। दूसरा विषय यह था कि जो बिल्डिंग्ज़ ढह गई हैं और विशेष रूप से स्वयं अदालतें भी ढह गई हैं—उनके संबंध में मैंने जानकारी प्राप्त की है कि कच्छ क्षेत्र में ऐसी तीन कोर्ट बिल्डिंग्ज ढह गई हैं। वहां उनके लिए दूसरी बिल्डिंग्ज़ का प्रबंध किया जा रहा है ताकि वे अदालतें शीघ्र चल सकें। एक बिल्डिंग में मैं स्वयं गया था, तो उनको वहां किसी और संस्था की बिल्डिंग दिलवाई गई है ताकि वहां भी अदालतें शीघ्र शुरू हो पाएं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : जो बीमा भुगतान के केसज़ हैं या दीवानी केसेज़ हैं, उनके अंदर बहुत सी कार्रवाई चल रही है। ऐसे केसेज जल्दी से निपटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?... *(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : अध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार और हाईकोर्ट विशेष अदालतें बनाना तय करती हैं, तो उनको वैसा करने का पूरा अधिकार है। इसमें केन्द्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं मलयालम में प्रश्न नहीं पूछा रहा हूं... *(व्यवधान)* मैं उनकी सलाह मान रहा हूं लेकिन मैं अन्य सदस्यों की सुविधा के लिए अंग्रेज़ी में प्रश्न पूछ रहा हूं। यदि प्रायः हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा, तो हमें परेशानी होगी। वे यह नहीं समझते कि ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे जिस भी भाषा में चाहें पूछ सकते हैं।

... *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुकदमों के तेजी से निपटान हेतु हमें विधिवेताओं, अर्थात् भारतीय विधिक परिषद का सहयोग लेना होगा। क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में भारतीय विधिक परिषद से कोई परामर्श किया है? उत्तर से यह बात स्पष्ट नहीं है।

दूसरी पहलू यह है कि हमने सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पारित किया है लेकिन उसे विधिक समुदाय के कड़े विरोध के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसके लिए हड़तालें और अनेक आंदोलन किए गए थे। अतः सरकार को इस प्रक्रिया संहिता को कार्यान्वित न करने हेतु बाध्य किया गया है। मुकदमों के निपटान में प्रक्रियागत कानून अति महत्वपूर्ण है। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक किस चरण में लम्बित है? क्या सरकार ने इस संबंध में विधिक समुदाय से चर्चा की थी और क्या इस विषय में कोई निर्णय ले लिया गया है।

एक और पहलू दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय : राधाकृष्णन जी, आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न ही पूछ सकते हैं। आप दो-तीन बातों का उल्लेख कर रहे हैं। आप मंत्री महोदय से उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं केवल प्रक्रियागत कानून के बारे में ही पूछ रहा हूँ।

दंड प्रक्रिया संहिता के मामले में भी हमें संशोधन करने हैं। यह किस स्तर पर लम्बित हैं? प्रक्रियागत संशोधनों के बिना हम इस मुद्दे को हल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें विधिक परिषद के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। अतः, क्या मंत्री महोदय मेरे प्रक्रियागत कानून और विधिक समुदाय के साथ परामर्श संबंधी प्रश्न का उत्तर देंगे?

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। यह बात 'फास्ट ट्रेक कोर्ट्स' की स्थापना से भी महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया में संशोधन किए बिना इन सभी समस्याओं को हल करना अति कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : येरननायडू जी, यह प्रश्न काल है। यह वाद-विवाद नहीं है। आप अन्य माननीय सदस्यों की बात का समर्थन कैसे कर सकते हैं अथवा उनसे किस प्रकार सहमत हो सकते हैं?

श्री अरूण जेटली : मैं भी श्री येरननायडू की बात से सहमत हूँ। यह एक अथवा दूसरे का प्रश्न नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपको पहले श्री राधाकृष्णन और तत्पश्चात् श्री येरननायडू की बात का उत्तर देना है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह पहले तेदेपा के सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं क्योंकि तेदेपा के समर्थन से ही वे यहां विराजमान हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया माहौल को खराब मत कीजिए।

श्री अरूण जेटली : सिविल प्रक्रिया संहिता सम्बन्धी संशोधनों को संसद द्वारा पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। लेकिन उन्हें अधिसूचित किए जाने से पूर्व ही विधिक परिषद ने इसका कड़ा विरोध किया और इस विरोध को देखते हुए तत्कालीन मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि उन्होंने अधिसूचना की तिथि घोषित नहीं कर रहे हैं और भारतीय विधिक परिषद और इसको अन्य एजेंसियों के साथ इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा।

तत्पश्चात, भारतीय विधिक परिषद और इसके पदाधिकारियों के साथ मेरी अनेक बैठकें हुई थीं। उन्होंने इस प्रयोजनार्थ एक ग्रुप बनाया था। उन्होंने प्रस्तावित संशोधनों और मूल सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंध में कुछ विस्तृत सुझाव भी दिए थे। भारतीय विधिक परिषद और भारतीय विधि आयोग के साथ कई दिनों तक लम्बी चर्चा के बाद हमने अब वर्ष 2000 का एक संशोधन विधेयक तैयार किया है। यह वही विधेयक है जिसे पिछले सत्र में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। यह मंत्रालय की स्थायी समिति के पास है। मंत्रालय की स्थायी समिति इस पर विचार कर रही है।

जहां तक दूसरे विधेयक का संबंध है, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रक्रियागत कानूनों सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावों को गृह मंत्रालय द्वारा न्यायमूर्ति मलिमथ की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति को पहले ही सौंप दिया गया है। यह समिति पूर देश में दौरा करके जनता से बातचीत कर रही है और सुझाव मांग रही है। मुझे आशा है कि इस वर्ष यह समिति दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधनों के संबंध में सिफारिशें भी दे देगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, आप अपने पीछे बैठे सहयोगियों को नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारे दल में कोई भेदभाव नहीं है। हम सब एक हैं *...(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान लम्बित मुकदमों की संख्या की ओर दिलाना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि अनेक मुकदमें उनकी अंतिम सुनवाई के बार-बार स्थगन, पर्याप्त संख्या में न्यायालयों और न्यायपीठों के न होने तथा न्यायाधीशों के रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण लम्बित पड़े हुए हैं।

इस संबंध में क्या मंत्री महोदय एक ऐसा तंत्र स्थापित किए जाने पर विचार करेंगे, जिसके अन्तर्गत आपराधिक और सिविल मामलों की अंतिम सुनवाई के सभी चरणों में कम-से-कम दो और अधिकाधिक चार स्थगनादेश

ही होंगे? इस प्रकार का तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। मैंने पहली बार न्यायालय में कार्यभार सम्भालने पर ऐसा देखा था।

यह पार्टियों के बीच स्थगन बन्दोबस्त तंत्र है, जिससे प्रक्रिया में देरी होती है। मैं न्यायाधीशों को भी दोष नहीं देता क्योंकि वे भी असहाय हैं। जब तक न्यायाधीशों के पदों को नहीं भरा जाएगा, तब तक इस मामले को हल नहीं किया जा सकता।

यहाँ मैं अपने राज्य के विषय में बात कर रहा हूँ। माननीय मंत्री यह जानते हैं कि कोलकाता उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ और पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तरी बंगाल क्षेत्र में जलपाईगुड़ी में उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच खोलने का निर्णय लिया है। मंत्री ने कुछ दिन पूर्व उत्तर दिया था और पश्चिम बंगाल सरकार तक उच्च न्यायालय ने भी इसको स्वीकृति दे दी। फिर भी जलपाईगुड़ी सर्फिट बेंच शुरू बेंच शुरू नहीं हो रहा है। इससे उत्तरी बंगाल क्षेत्र में वर्तमान में चल रहा आन्दोलन और तेज हो गया है। अतः इन दोनों मुद्दों के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री अरूण जेटली : जहां तक मामलों के स्थगन के बारे में उठाये गमे प्रश्न का संबंध है, हमने विधि आयोग तथा बार काउन्सिल के साथ विचार विमर्श तथा इस सम्मानीय सभा के विभिन्न वर्गों समेत अन्य वर्गों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करके पहले ही संसद में सिविल काननू से संबंधित एक संशोधन विधेयक पेश कर दिया है जो श्री दासमुंशी द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर है। वास्तव में, इस मामले के प्रत्येक चरण के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गयी है। होने वाली बहस हेतु भी समय सीमा निर्धारित की गयी है। जिसमें न्यायाधीश के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं। निर्णय सुनाने की समय-सीमा होती है। साक्ष्य रिकार्ड करने की भी समय-सीमा है। साक्ष्य को रिकार्ड करने संबंधी कार्य को प्रत्यायोज्य कार्य बना दिया गया है ताकि इस कार्य को शीघ्रता से किया जा सके। जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं कि जो भी आपराधिक विधि के संबंध में किया जायेगा उस पर भी विचार किया जायेगा। यह तभी संभव है जब हमें इस संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होगी।

जहां तक उत्तरी बंगाल में कोलकाता उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायपीठ का प्रश्न है, इस संबंध में उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गयी है जो हमें प्राप्त हो गयी। इस मामले पर सरकार ध्यान दे रही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सरकार इस पर कब ध्यान देगी? तीन वर्षों से यह आन्दोलन चल रहा है। इस पर अंतिम रूप से निर्णय हो गया है। श्री राम जेठमलानी ने इसमें विघ्न डालने की कोशिश की थी। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वह इसकी घोषणा करने में इतना समय क्यों ले रहे हैं? आन्दोलन जारी है। अध्यक्ष महोदय, आप वकील हैं आपको हमें बचाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा के जबरन स्थगनों को रोकने हेतु कोई प्रणाली है? कभी-कभी माननीय सदस्य इस सभा को जबरन स्थगित करने का प्रयास करते हैं। क्या आप इस सभा के जबरन स्थगन को रोकने के लिए कोई प्रणाली विकसित कर रहे हैं जो कभी-कभी हो?

श्री अरूण जेटली : मैं श्री दासमुंशी का सुझाव मानूगां कि प्रत्येक सत्र में दो से अधिक स्थगन की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ऐसे में आपको नियम पुस्तिका में परिवर्तन करना पड़ेगा।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री के दृष्टिकोण की सरहना करता हूँ कि इन सुधारों को तेजी से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। न्याय शीघ्र प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि न्याय देरी से देना न्याय न देने के बराबर है। पता नहीं कि इन मुकद्दमों को लड़ने वाले कितने लोग अभी जिन्दा हैं तथा इन में से कितने मामले पुराने पड़ गये हैं जिनमें लोगों को न्याय की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्या माननीय मंत्री उन पांच लाख मामलों की समीक्षा करेंगे जिनमें अभी निर्णयों को दिया जाना है? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 32 पद हैं लेकिन वहां केवल 20 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। क्या मंत्री जी इन रिक्तियों को भरने का कार्य संबंधित उच्च न्यायालय पर छोड़ने की बजाय इन रिक्तियों को भरने में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इसका उत्तर पहले दे चुके हैं।

श्री अरूण जेटली : जहां तक पहला प्रश्न है, मैं इसके बारे में यह कहना चाहूंगा कि जैसाकि मैंने पहले बताया है कि ऐसे कई कदम हैं। जिन्हें अगले कुछ वर्षों में उनमें जाने की आवश्यकता हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना एक ऐसा ही कदम है। जब सरकार को उच्च न्यायालयों से सिफारिश प्राप्त होती है तो सरकार की ओर से कोई विलंब नहीं होता है। जैसा मैंने संकेत दिया कि आकड़ों से यह स्पष्ट है कि प्रक्रियाधीन एक तिहाई फाइलों के अतिरिक्त दो तिहाई ऐसी फाईल हैं जिनके बारे में हमें सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। हम प्रक्रिया संबंधी कानूनों में संशोधन करना चाहते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कानूनों में भी संशोधन करना चाहते हैं जिनसे सम्बन्धित अनेक मामले लंबित पड़े हैं ताकि प्रत्येक मामले में लिया गया समय कम किया जा सके।

अब हम अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर भी न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करने में राज्यों को सहायता भी प्रदान कर रहे हैं ताकि मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। वास्तव में मेरे पास कुछ परेशान करने वाले आकड़े हैं। मैंने देश में लम्बित पड़े सबसे पुराने मामलों को खत्म करने के बारे में जानने का प्रयास किया। देश के कुछ भागों में कुछ ऐसे लंबित मामले

हैं जो चालीस साल पुराने हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक मामला ऐसा है जो 48 वर्ष पुराना है। पटना उच्च न्यायालय में सबसे पुराना मामला 47 वर्ष पहले का है। कोलकाता उच्च न्यायालय में सबसे पुराना मामला 43 वर्ष पुराना है। राजस्थान में सबसे पुराना मामला 42 वर्ष पहले का है। ऐसे चार मामले हैं जो चालीस वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। अतः एक बार न्यायपालिका में तेजी से काम करने की भावना पैदा हो जाये तथा एक बार फास्ट ट्रैक न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर बना दिया जाये तो ये मामले वहां सबसे पहले भेजे जाएंगे।

जम्मू और कश्मीर और असम में आतंकवादियों के हमले

*162. श्री ए. नरेन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर और असम में आतंकवादियों द्वारा सेना पर हमले की घटनायें बढ़ रही हैं और इन हमलों में बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आतंकवादियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जम्मू-कश्मीर में परोक्ष युद्ध और असम में घुसपैठ की स्थिति में सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमले होते आ रहे हैं। यद्यपि जम्मू-कश्मीर में सेना/राष्ट्रीय राइफल पर इस प्रकार के हमलों में किसी प्रकार की उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई है परंतु पिछले तीन महीनों के दौरान सेना/राष्ट्रीय राइफल के हताहतों की संख्या में प्रत्यक्षतः कमी आई है। इसी प्रकार, असम में आतंकवादी हमलों के कारण सेना कार्मिकों के मामले में विघातक हताहतों की संख्या में कमी आई है। संगत आकड़े नीचे दिए गए हैं :

	जम्मू-कश्मीर	असम
1 सितंबर–30 नवंबर, 2000	100	4
1 दिसंबर, 2000–28 फरवरी, 2001	43	2

जम्मू-कश्मीर में युद्धक–संक्रियाओं की पहल न किए जाने की अवधि के दौरान, सुरक्षा बल अपनी चौकियों/कार्मिकों, संचार लाइनों, सिविलियनों और सर्वजनिक/निजी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संक्रियाएं करते रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा कानून और व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले आतंकवादियों को निरंतर लक्ष्य बनाया जा रहा है। 28 नवंबर, 2000 (युद्धक संक्रियाओं की पहल न किए जाने के प्रारंभ की तारीख) से सेना/राष्ट्रीय राइफल द्वारा संक्रियाओं के दौरान 191 आतंकवादी मारे गए हैं।

असम में, वर्ष 2000 में सुरक्षा बलों द्वारा संचालित संक्रियाओं के दौरान 285 आतंकवादी मारे गए थे। इस अवधि के दौरान 1265 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे और 1690 आतंकवादियों ने आत्म-समर्पण किया था। चालू वर्ष के पहले दो महीनों दौरान 64 आतंकवादी मारे गए जबकि 165 आतंकवादियों ने आत्म-समर्पण किया है और इसी अवधि के दौरान 261 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

ऐसे निराश एवं हताश तत्वों, जो जम्मू-कश्मीर में शांति-प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं, द्वारा सुरक्षा बलों पर हिंसा की वारदातें किए जाने के बावजूद जम्मू-कश्मीर और असम में सुरक्षा बल स्थिति पर लगातार नियंत्रण बनाए हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री ए. नरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में परोक्ष युद्ध और असम में घुसपैठ की स्थिति में सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमले होते आ रहे हैं, ऐसा मंत्री जी ने अपने उत्तर में माना है। मैं पूछना चाहता हूं कि गोलाबारी बंद होने के बाद क्या हमारी सरकार के पास जानकारी है कि कितने सिविलियन्स पर और कितने मिलिट्री के आदमियों पर अटैक हुए और क्या गोलाबारी बंद होने के बाद देश में शांति स्थापित हुई या उसे दृष्टि में रखते हुए ज्यादा गोलाबारी हुई–यह ब्यौरा भी आप बताने का कष्ट करें?

इस प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जैसा मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि अभी सुरक्षा बल सिविलियनूस और निजी संपत्ति की सुरक्षा करते आ रहे हैं–क्या आप बतायेंगे कि देश के अंदर कितने सिविलयनों की जाने ऐसे हमलों में गयी और इसका विवरण क्या आपने यहां रखा है? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले तीन महीनों में कितने सिविलियन जम्मू-कश्मीर और असम में मारे गये हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीज फायर की बात है, उसके पीछे जो उद्देश्य रहा, वह था जम्मू-कश्मीर में शांति प्रस्थापित करने की दिशा में कदम उठाना। सीज फायर के चलते जहां तक पाकिस्तान के साथ लगी हमारी सीमा है, उस सीमा पर गोलाबारी चलना बिल्कुल बंद था। वहां जैसा पहले होता था, आज वैसा नहीं हो रहा है। उसके जवाब में, हमारी सेना को जो कुछ भी करना पड़ता था, अब उसका प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए सीमाओं पर शांति प्रस्थापित करने

के संबंध में जो फैसला सरकार ने नवम्बर महीने के अंतिम दिनों में लिया था, उसका बहुत ही अच्छा असर हुआ है। लेकिन जहां तक कश्मीर के भीतर की परिस्थिति में, उग्रवादियों द्वारा हरकतें होती रही, उसकी संख्या में भले ही कमी आई हो लेकिन यह सही है कि उनकी तरफ से हिंसा की जो भी परिस्थिति एक अर्से से रही, उसमें कुछ विशेष फर्क नहीं आया।

सेना को सीज फायर के समय यह कहा गया था कि अपनी तरफ से हम गोलाबारी कश्मीर के भीतर नहीं करें। जब तक ऐसी कोई परिस्थिति सामने न आती हो कि एक उग्रवादी अपने हाथ में हथियार लेकर दिखाई दे रहा हो, उस इलाके में लोगों के ऊपर किसी प्रकार का उनकी तरफ से आक्रमण हो रहा हो या सेना के ऊपर गोलाबारी करने का कार्य उनके हाथों से होता हो। पहले यह होता था कि सेना खोज करने जाती थी कि कहां कौन सा उग्रवादी छिपा हुआ है या कहां शस्त्र आदि रखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल वहां से संभव है। इसकी खोज करके उनके साथ मुठभेड़ करने की बात सेना करती थी। लेकिन जब नवम्बर महीने में यह फैसला हो गया और उसको लेकर सेना को यह बात बताई गयी कि अपनी तरफ से खोज करने जाने की बात में कुछ नरमी लाई जाये तो उसके पीछे मतलब यही था कि जब खोज होती थी तो जो समान्य नागरिक है, वह परेशान हो जाता था क्योंकि सड़कों पर कहीं भी बैरियर आदि लगाकर जो भी गाड़ी आती थी, उसे रोककर उसमें बैठे हुए लोगों को उतारकर, जिस तरह खोज का मामला चलता था या किसी एक इलाके के घेराबंदी करके जो खोज का मामला होता था, उस पर रोक लगाई गयी। अभी स्थिति यह जरूर हो गई कि उसके कुछ नतीजे रहे, विशेषकर सिविलियन्स पर उसका जो असर हुआ, उसके चलते, आगे जब इसे बढ़ाने की बात कही गयी, उस समय सेना को यह आदेश था और यह आदेश पहला महीना पूरा होने के बाद से ही है कि हम ऐसे किसी काम में नहीं जायंगे जिससे आम लोगों को तकलीफ हो। लेकिन हर स्तर पर जहां से कोई भी जानकारी हमारे पास आती है, उस जानकारी का पूरा इस्तेमाल करके, खोज करके उनको मारने का काम हम करेंगे, यह बात इसमें तय हुई है।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि कितने सिविलियन्स मारे गये, जो जानकारी हमारे हाथ में है, उसके हिसाब से जनवरी और फरवरी महीने में कुछ मिलाकर ऐसे 748 लोग मारे गए।

श्री ए. नरेन्द्र : क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि आतंकवाद को काबू में लाने या समाप्त करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने हाल ही में एक ऐसा स्टेटमैंट दिया है जिसके लिए थ्री फेज में रणनीति बनाई जा रही है। उस रणनीति का क्या ब्यौरा है और आप उसे कब तक लागू करने वाले हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, मैं पहले एक सुधार करना चाहूंगा। मैंने जो बात की थी, उसमें मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने जो 748 का आंकड़ा दिया, वह जनवरी, 2000 से फरवरी, 2001 तक का है और पिछले तीन महीनों में सिविलियन्स की कुल 185 लोगों की जानें गई हैं।

इस समय जो प्रयास है, उसमें जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद चलाने वाले जो लोग हैं, उनसे बातचीत करने का हमारा इरादा है। उसमें जितनी प्रगति होनी चाहिए, उतनी इसलिए नहीं हो पा रही है कि कई ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं जिनके चलते उसमें एक प्रकार की रुकावट आती है। चूंकि किसी भी समस्या का निदान अगर बातचीत से होना है तो उसके लिए उचित वातावरण का निर्माण हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। जहां तक सीमाओं का प्रश्न है, सीमाओं पर उस तरफ से उग्रवादियों के भीतर आने का जो प्रश्न है, उस पर पूरे तौर पर रोक लगी है और हमें यह बताने में एक मायने में समाधान होता है कि जब से सीज़फायर का सिलसिला शुरू हुआ तब से उग्रवादियों का उस तरफ से आना काफी मात्रा में कम हुआ है।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हमें बताया कि गोलाबारी में काफी कुछ कमी आई है और जहां तक एल.ओ.सी. का सवाल है, पूर्व की तुलना में वहां काफी शान्ति स्थापित हुई है—लेकिन हमें यह समाचार भी मिलता रहता है कि गोलाबारी कम होने का फायदा उठाते हुए उग्रवादी बड़ी संख्या में सीमा पार करके जम्मू-कश्मीर में आ रहे हैं। इसलिए सीज़फायर, संघर्ष विराम की घोषणा करना तो आसान होता है लेकिन उस संघर्ष विराम को इस्तेमाल करके, देश और जम्मू-कश्मीर को फायदा हो, मामला सुलझने की ओर बढ़े, उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना काफी कठिन होता है बल्कि हमने यह देखा है कि सरकार बार-बार संघर्ष विराम को बढ़ाने की घोषणा करती है। आपने शान्ति के जो भी प्रयास किए हैं, उनका हम हमेशा स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं लेकिन उसके लिए एक इफैक्टिव प्लान होना चाहिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है या नहीं कि गोलाबारी में कमी होने के कारण बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने इसका फायदा उठाकर, जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करके अपनी स्थिति को और सशक्त बनाया। अभी आपने कहा कि आपकी अब निगरानी बढ़ गई है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में बड़ी संख्या में उन्होंने सीमा पार की है या नहीं?

क्या आपका कोई स्ट्रैटेजिक प्लान है—जिसमें संघर्ष विराम एक महत्वपूर्ण अंग था लेकिन वह अपने आप में प्लान नहीं है? क्या आप एक प्लान के अनुसार चल रहे हैं या नहीं? सीज़फायर के बारे में अभी कुछ समाचार पत्रों में आया है कि सेना के अंदर भी विचारों में कुछ मतभेद हैं।

पाकिस्तान की ओर से इसका कोई रिस्पौन्स आपको मिला है या नहीं, कोई अन्दरूनी आश्वासन मिल रहा है या नहीं और आपकी इन्टैलीजैंस के जो असैस्मैंट्स हैं, उनके द्वारा उग्रवादियों को उनके सशक्तीकरण और प्रशिक्षण के लिए जो कैम्प्स पाकिस्तान में हैं, उनकी गतिविधियों के संबंध में आपने कुछ कमी महसूस की है या नहीं—यह मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने 5-6 प्रश्न पूछे हैं, 5-6 मामलों पर जानकारी उन्होंने मांगी है। जहां तक सीज फायर के चलते उग्रवादियों की संख्या बढ़ने का प्रश्न है, उसमें कोई तथ्य नहीं

है। अगर मैं सीज फायर के पहले की आपको तीन महीनों की जानकारी दूं तो 28 अगस्त, 2000 से 27 नवम्बर, 2000 तक, उन्होंने सीमाओं के भीतर आने के 54 प्रयास किये थे और इन 54 प्रयासों में हमारी सेना ने उन्हें भीतर घुसने से रोका था, खदेड़कर वहां से हटा दिया था। 28 नवम्बर से लेकर 27 फरवरी के तीन महीनों में उनके प्रयास मात्र 15 रह गये और उनको अन्दर घुसने नहीं दिया गया। सीमाओं पर सेना कितनी मजबूती से बैठी है, सारा सदन इस बात को जानता है। वैसे हर स्तर पर सेना को बड़ा रखना वहां सम्भव नहीं है, लेकिन जैसी व्यूह रचना बनाकर वहां आज के दिन वे मौजूद हैं उसमें बाहर से किसी का भी अन्दर घुसना आसान काम नहीं है, इसलिए उनकी संख्या बढ़ने का सवाल नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में आज के दिन जो उग्रवादियों की संख्या का हमारा अन्दाज है, वह दो-ढाई हजार है, लेकिन उसके साथ-साथ वह जानकारी भी हम लोगों के पास है कि सीमाओं के उस तरफ से भीतर आना चाहने वालों की संख्या, जो कैम्प्स की बात आपने छेडी, उन कैम्पस में कुल मिलाकर 2000 के आसपास उनकी संख्या है, लेकिन इस वक्त देश के भीतर आने की परिस्थिति में वे नहीं हैं। आज सुबह दो स्थानों पर उनके द्वारा घुसने का प्रयास हुआ था और दोनों स्थानों में से एक स्थान पर, जो अन्दर घुसना चाह रहे थे, क्योंकि वे अपनी रणनीति में भी थोड़ा बदलाव लाये हैं, पहले उनका बड़ी संख्या में आने का प्रयास चलता था, आज वहां पर वे 2-3 की संख्या में आते हैं, पिछले महीने भर से उन्होंने अपनी अन्दर आने की रणनीति भी बदली है। आज सुबह का किस्सा है, एक स्थान पर तीन लोग अन्दर घुसने का प्रयास कर रहे थे और मारे गये। हमें भी अपने दो लोगों की जानें खोनी पड़ी, लेकिन वे मारे गये। दूसरी जगह पर, जहां से उसी तरह तीन लोग अन्दर आने के प्रयास में थे, हमें दफ्तर से सदन में आने के लिए निकलते हुए समाचार मिला कि वहां अभी भी गोलीबारी जारी थी। इसलिए बाहर से अन्दर आने वालों की संख्या बढ़ने की बात सही नहीं है।

आपने पाकिस्तान के रैस्पोंस की बात की। पाकिस्तान का रैस्पोंस तो खुला है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का क्या व्यवहार है। वह यह मानकर चल रहा है कि यह तो जेहाद है और जेहाद चलता रहेगा। यह उनका अपना कहना है और उसमें किसी प्रकार की बदल उन्होंने नहीं की है। यह बात दूसरी है कि वे हमसे बात भी करना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसके लिए जो अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, वह अनुकूल वातावरण बनाने के लिए वे तैयार नहीं हैं, यह भी स्पष्ट है।

सेना में इस विषय को लेकर कुछ मतभेद हैं, ऐसा किसी ने छापा भी है तो सरसर गलते है। सेना जिस मजबूती के साथ कम कर रही है, सेना का जो मनोबल है, उसकी जानकारी न रखते हुए जब कोई चीज प्रसारित की जाती है, उससे केवल सेना के साथ ही अन्याय नहीं होता है, बल्कि देश के साथ बहुत बड़ा जुल्म होता है। यह बात हम कह सकते हैं। मगर इससे अधिक हमारे हाथ में उसे रोकने का और कोई अधिकार नहीं है। यह नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। मुझे 1990 की भी याद है, उस समय भी कश्मीर से, श्रीनगर से ऐसी खबरें आती थीं, जब कोई घटना वहां पर घटती थी, उसकी खबर नहीं आती थी और जो घटना नहीं घटती थी, उसकी खबर आती थी। जहां तक कोई स्ट्रेटेजिक प्लान की बात है, सदन जानता है कि कश्मीर का जो मामला है, यह पिछले दस सालों से लगातार चल रहा है।

अभी जो सीज फायर के साथ-साथ शांति लाने की बात है, इस विषय पर बातचीत करके कुछ फैसले पर आने का इंतजार है। यह हमारी आज की स्ट्रेटेजी है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार के एक प्रमुख सहयोगी दल के शिवसेना नेता बाला साहेब ठाकरे जी ने एक बयान दिया है कि यह सरकार कभी आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं कर सकती। हम मानते हैं कि* *...(व्यवधान)* यह मजाक नहीं है, गम्भीर मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, यह असंसदीय है। मैं इन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा। आपको ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या आप इस पर फिर से विचार करेंगे क्योंकि वह किसी को उद्धृत कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या इस शब्द को उद्धृत करना अथवा इसका जिक्र करना असंसदीय है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं यह कह रहा हूं कि इस सरकार के एक सहयोगी दल शिव सेना के प्रमुखए माननीय बाल ठाकरे ने यह कहा है कि यह सरकार कभी भी आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं कर सकती *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस बात को समझें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले इन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकालने का आदेश दे दिया है। इन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाला जा चुका है।

...(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सरकार के रक्षा मंत्री जी या अन्य मंत्री इसका जवाब देंगे ...*(व्यवधान)* आप जानते हो मुयालम सिंह की आवाज को दबा नहीं पाओगे।

अध्यक्ष महोदय : समय कम है, आप सप्लीमेंटरी पूछें।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारी आवाज को कभी बंद नहीं कर पाओगे, चाहे सब खड़े हो जाओ। रक्षा मंत्री जी कृपा करके बताएं कि आपकी इस इस बारे में क्या राय है?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। सरकार के बारे में चर्चा इस प्रश्न से नहीं उठती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनके भाषण में व्यवधान न डालें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अब महिला सदस्य प्रश्न पूछ रही हैं। कृपया उनका भाषण सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष जी, सीज फायर के लिए सर्वसम्मति से जो समयावधि बढ़ी है, उसके लिए हम प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस अवसर पर मैं यहां यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि उन्होंने जो यह प्रयास किया है उसके लिए उन्हें विश्व शांति का अवार्ड मिलना चाहिए। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में विशेष परिस्थिति पैदा हुई है। मेरी जानकारी में आया है कि कच्छ के मरुस्थल में दस नम्बर के जूते के निशान मिले हैं। इससे साबित होता है कि जम्मू-कश्मीर की तरह आतंकवादी गुजरात को नेस्तनाबूद करने के लिए षडयंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कच्छ के मरुस्थल में दस नम्बर के जूते के निशान मिले हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी यह प्रश्न भी मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : मैंने जो सुझाव दिया है, उसके बारे में बताएं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई सप्लीमेंटरी नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महादेय, मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जैसा कहा कि मुलायम सिंह जी का प्रश्न संसदीय परम्परा के अंदर नहीं आता। जहां तक हम लोगों को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने जो औरत और मर्द दोनों नहीं है, उनको भी चुनाव लड़ने की और संसद तथा विधान सभा में जाने की इजाजत दी है। इसलिए अब यह सवाल नहीं उठता है। जहां तक इसका उपयोग है, हमारे शास्त्रों से लेकर साहित्य में निरंतर इनका उपयोग होता रहा है।

इन्होंने किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं उठाया है। इन्होंने इस व्यक्ति का सवाल उठाया है जिसकी सहायता से यह सरकार चल रही है और उसका मतलब वह नहीं है जो आप बुरा समझ रहे हैं। यह सरकार अनिर्णय की सरकार है। यह सरकार फैसला नहीं ले सकती। इसके मन में निर्णय लेने की शक्ति नहीं है—इस बारे में आपको क्या कहना है? *...(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष महादेय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर माननीय सदस्यों के जो वक्तव्य होंगे या भाषण होंगे, उसमें इस प्रकार की बात हो गई। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद को रोकने के लिए हम समझते हैं कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और प्रांतीय सरकार, इन सबमें समन्वय होना चाहिए, को-आर्डिनेशन होना चाहिए। अगर सही मायनों में और अच्छे ढंग से आतंकवाद को रोकना है तो जो लोग यह काम कर रहे हैं, उनको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। इन मामलों में सरकार की ओर से क्या हो रहा है, यह सदन जानना चाहता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारें सबको मिलकर इस काम को करना चाहिए, ऐसा माननीय सदन का कहना है और यह बिल्कुल दुरुस्त है। आज के दिन स्थिति यही है कि वहां यूनीफाइड कमांड है और इस यूनीफाइड कमांड की जिम्मेदारी कोर कमांडर लेता है जिसमें प्रदेश सरकार के स्तर पर, अति उच्च स्तर से लेकर सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, पुलिस और अन्य, जो उनकी फोर्स है, उसके साथ-साथ गृह मंत्रालय की पैरा-मिलिट्री फोर्स है, डिफेंस की सेना तथा इसके साथ-साथ इंटेलीजेंस के हर स्तर के लोग, सब एक साथ हैं और आज वहां जो भी कार्रवाई हो रही है, वह सह यूनीफाइड कमांड के अन्तर्गत ही वे चला रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले : माननीय मंत्री महोदय ने इतना कांट्रिडिक्ट्री जवाब दिया है—

सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में छाया युद्ध तथा असम में विद्रोह स्थिति की निरंतर विशेषता है।

[हिन्दी]

अभी इन्होंने बताया कि 748 लोग दो महीने में मारे गए। *...(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : दो महीने में नहीं। मैंने सुधार किया है। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : अभी तक जो सिविलियन्स मरे हैं और जो सरकारी आंकड़े हैं, उनके हिसाब से वर्ष 2000-2001 में 14 फरवरी तक 1665 लोग मरे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज के 747 जवान आसाम और ईस्टर्न में मरे हैं। *...(व्यवधान)* हर दिन हम लोग लाशें ही गिनते जा रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे का यहां नाम लिया। उनका यही कहना था कि क्या हम सब उन लोगों के खिलाफ कभी कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे जो हमारे ऊपर हमला करते हैं या हम लाशें ही गिनते जाएंगे? *...(व्यवधान)* कभी तो सरकार इस बारे में सोचेगी? सरकार तो कहती है कि प्रोक्सी वार है। *...(व्यवधान)* वहां सिविलियन्स, बच्चे और जवान, सब मर रहे हैं। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी? वहां के शांति प्रमुख या कश्मीर के मुख्य मंत्री शांति पहल के विरोधी हैं। *...(व्यवधान)* उन्होंने कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर मुक्त कर दो, धारा 370 हटा दो। सरकार इस बारे में क्या सोचने वाली है और क्या कदम उठाने वाली है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : पहली बात यह है कि मुख्य मंत्री का सीजफायर के प्रति कोई विरोध नहीं है और जो भी निर्णय लिये गये हैं, उसमें जम्मू कश्मीर की सरकार और मुख्य मंत्री सम्मिलित रहे हैं और उनके विरोध का कोई प्रश्न नहीं है। यह जरूर है कि इस प्रकार की खबरें छपकर आ जाती हैं लेकिन उनमें कोई तथ्य नहीं है। *...(व्यवधान)* जो माननीय सदस्य का मूल प्रश्न है, उस पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज जो कश्मीर में स्थिति है, उस पर सोच लगातार चलती रहती है और जब कोई नया फैसला लेने की बात आ जाएगी तो वह सोच-विचार के साथ ही आएगी।

[अनुवाद]

ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क

+

***163. श्री प्रभात सामन्तरायः**
श्री तिरुनावकरसू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की यह नीति है कि देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में यदि कोई समय-सीमा नियत की गयी है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक बिछाये गये ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का ब्यौरा क्या है और इस पर जोनवार, कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) रेलों ने, रेल विद्युतीकरण की सभी भावी परियोजनाओं में तथा उन खंडों के लिए, जिनमें तांबे की केबलों का बदलाव करना अपेक्षित हो गया है, ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली की व्यवस्था करने का नीतिगत निर्णय लिया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क परिचालनिक जरूरतों के आधार पर भी खंडों पर बिछाया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने अपने मार्गाधिकार का उपयोग करने और फालतू क्षमता के विपणन के लिए रेलपथ के साथ-साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के प्रयोजन से रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नामक निगम की भी स्थापना की है।

(ग) अब तक भारतीय रेलों पर कुल 4958 मार्ग किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क चालू किया जा चुका है। मौजूदा नेटवर्क का जोन/रेलवे-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	जोन	मार्ग किलोमीटर
1.	मध्य रेलवे	836
2.	पूर्व रेलवे	427
3.	उत्तर रेलवे	579
4.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	20
5.	दक्षिण पूर्व रेलवे	1523
6.	दक्षिण रेलवे	448
7.	पश्चिम रेलवे	205
8.	कोंकण रेलवे	920
	जोड़	4958

ये ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क काफी अरसे से विभिन्न खंडों पर शुरू किए जा चुके हैं जिन्हें शुरू करते समय उतनी लागत आई जो उस समय प्रचलन में थी। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को क्वैड केबल बिछाए जाने आदि जैसी निर्माण कार्यों की अन्य मदों के साथ-साथ अन्य निर्माण कार्यों के भाग के रूप में बिछाया गया है। केवल ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के लिए हुए खर्च का हिसाब-किताब अलग से नहीं रखा जाता है।

श्री प्रभात सामन्तराय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 4,958 रूट किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल पहले ही बिछाया जा चुका है। हाल ही में 26 फरवरी को रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री ने दावा किया था कि 62,800 रूट किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के पश्चात् 750 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह भी बताया है कि 4,958 रूट किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य बहुत समय पहले ही किया जा चुका है। यदि यह सही है तो 4,958 रूट किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से कितनी आमदनी हुई?

दूसरी बात, 62,800 रूट किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से कितनी निधियों का सर्जन होगा। यह कार्य होना बाकी है जैसा कि सदन में प्रस्तुत रेल बजट में बताया गया है?

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी पांच हजार किलोमीटर के आसपास ऑप्टिकल फाइबर केबल डाला गया है, लेकिन इसका कमर्शियल युटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अभी 16 हजार किलोमीटर के लगभग ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने की योजना है जो रेलवे के कार्य परियोजना में भी सम्मिलित किया जा चुका है। इसे ध्यान में रखकर ही बजट में इसका प्रोजैक्शन दिखाया है। पिछले वर्ष भी बजट में इसका जिक्र हुआ था, लेकिन तब तक यह कम्पनी नहीं बनी थी। अब इसका एप्रूवल कैबिनेट से हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे ज्वाइंट वैन्चर में ले या दूसरे लोगों को इक्विटी दी जाए। जो इक्विटी दी जाएगी, उसी से हम पैसा आने की उम्मीद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रभात सामान्तराय : महोदय, केबिनेट ने 1000 करोड़ रुपये की निवेश पूंजी से बनने वाले रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्वीकृति प्रदान कर दी है। केबिनेट ने इस कॉरपोरेशन के चैयरमैन के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति को भी स्वीकृति दे दी है। बदलती हुई स्थिति, रेलवे बजट में दिखाये गये अनुमान तथा इस बात के मद्देनजर कि उन्होंने इस योजना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की पहले ही नियुक्ति कर दी है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आरटीसीआईएल का वास्तविक अनुमान क्या है। 1,000 करोड़ रुपये के निवेश से जिसके स्थापित किये जाने की स्वीकृति केबिनट द्वारा पहले दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट की तरफ से जो एप्रूवल एक हजार करोड़ रुपए का आया है, यह राशि एक दिन में खर्च होने वाली नहीं है। हमारे पास कुल मिलाकर रेल लाइन 62 हजार किलोमीटर है जिसमें से हमने पांच हजार मार्ग किलोमीटर में इसे डालने के बारे में पहले निर्णय ले रखा है और 16 हजार मार्ग किलोमीटर के बारे में हम सोच रहे हैं। जब 65 हजार मार्ग किलोमीटर में पूरे का पूरा केबल डाला जाएगा, तब ही एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बात हो पाएगी। हमने तो तत्काल प्रोजैशन दिखाया है, उसी का जिक्र हमने अपने बजट में किया है।

श्री नवल किशोर राय : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि आठ जोन्स में 4,958 मार्ग किलोमीटर में केबल डालने की व्यवस्था की गई है। जहां तक मुझे स्मरण है, पिछले बजट में और इस बजट में भी रेलवे की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए व्यावसायिक सुझाव के रूप में ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम को डवेलप करना प्रायोरिटी में रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जोन्स निश्चित किए गए हैं, उनमें क्या पूर्वी रेलवे लाइन को छोड़ दिया गया है?

मध्याह्न 12.00 बजे

क्या पूर्वोत्तर रेलवे को उपेक्षित किया जा रहा है? ... *(व्यवधान)* क्या व्यावसायिक प्रयोग संभव नहीं है, यह स्थिति मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं?

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसमें पूर्वोत्तर रेलवे को छोड़ने की बात कही है। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे को छोड़ने की बात नहीं है। जब हम 62,000 करोड़ रुपए के रेलवे ट्रेक का जिक्र करते हैं तो उसमें पूर्वोत्तर रेलवे भी शामिल है, लेकिन कुछ इलाके हमारे लिए प्रायरटी के हैं। माननीय सदस्य ने सही कहा कि हमने इसे धन प्राप्त करने का एक तरीका बनाया है। इसलिए जहां से पहले ज्यादा पैसा आ सकता है, हम उन्हीं संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विवाद निवारण संबंधी वैकल्पिक तंत्र

***164. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैकल्पिक विवाद निवारण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (इन्टरनेशनल सेंटर फार आल्टरनेटिव डिसप्यूट रिजोल्यूशन) को कितने मामले प्राप्त हुए हैं और उसके द्वारा कितने मामलों का समाधान किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार न्यायालयों के भार को कम करने के लिए विवाद निवारण के वैकल्पिक तंत्र को मजबूत करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) वर्ष, 1997, 1998 और 2000 के दौरान, वैकल्पिक विवाद निवारण संबंधी अंतरराष्ट्रीय केंद्र को 7 माध्यस्थम् मामले प्राप्त हुए थे जिनमें से दो मामलों का समाधान कर दिया गया था। इस अवधि के दौरान केंद्र को सुलह संबंधी प्राप्त दो और मामलों का भी समाधान कर दिया गया था।

(ख) और (ग) वैकल्पिक विवाद सुधार तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए और न्यायालयों पर भार कम करने के लिए पुराने माध्यमस्थम् अधिनियम के स्थान पर माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 लाया गया है। तारीख 09.11.1995 से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को भी प्रवृत्त कर दिया गया है और विभिन्न स्तरों पर लोक अदालतें आयोजित की गई हैं।

वर्तमान विद्युत क्षेत्र के बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाना

*165. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और भविष्य के लिए विद्युत की मांग संबंधी आकलनों के बारे में एक श्वेत-पत्र जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र की स्थिति की जांच करने और इस बारे में "ब्लू प्रिन्ट" तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यदल का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र पर श्वेत-पत्र जारी करने की कोई योजना नहीं है। तथापि सरकार ने 3 मार्च, 2001 को हाल ही में सम्पन्न हुए मुख्य मंत्रियों और राज्य के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वोच्च स्तर पर विद्युत क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की संवीक्षा की है जिसमें विद्युत क्षेत्र सुधारों पर अधिक ध्यान दिया गया। इस सम्मेलन में, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, सुधारों पर एक राष्ट्रीय आम सहमति भी तैयार की गयी। विद्युत क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मुद्दों से निपटने के लिए विषय संबंधी समितियां भी गठित की गयी हैं।

भारत सरकार "2012 तक सबके लिए विद्युत" उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिफारिश करने हेतु सरकार द्वारा पूर्व में लागू किए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करने एवं सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, सुझाने के लिए एक एक अंत:मंत्रालयीन कृतक बल गठित करने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन और फोटो पहचान पत्रों का प्रयोग

*166. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के माध्यम से चुनाव करवाने और फोटो पहचान पत्रों का प्रयोग अनिवार्य करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चुनाव आयोग ने देश के प्रत्येक योग्य नागरिक को पहचान पत्र जारी करने का काम पूरा कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को यथा संभव व्यापक रूप से उपयोग करने का विनिश्चत किया गया है। तथापि, इन मशीनों का उपयोग स्थानीय परिस्थितियों और स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसलिए इस समय निर्वाचनों में इन मशीनों के उपयोग को अनिवार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक निर्वाचनों में मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र आज्ञापक करने का संबंध है, तो यह कहा जा सकता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संपूर्ण भारत में औसतन केवल 63.39% मतदाताओं को अभी तक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, यह कदम उठाना संभव नहीं है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 70% से अधिक मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) निर्वाचकों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया और उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी करने की स्कीम सतत और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अतः किसी नियत समय के भीतर सभी निर्वाचकों को इस स्कीम के अंतर्गत लाना संभव नहीं है। एक विवरण जिसमें स्कीम की प्रगति रिपोर्ट दी गई है, संलग्न है।

विवरण

भारत-निर्वाचन आयोग

निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1.1.2000 @ कुल निर्वाचक	निर्वाचक जिन्हें त्रुटिविहीन पहचान पत्र जारी किए	प्रतिशतता (5, 4 का कितना गए प्रतिशत है)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	49,140,321	32,568,406	66.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	622,124	373,152	59.98
3.	असम	12,575,854	67,479	0.54
4.	बिहार	58,438,317	21,681,836	37.10

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा		971,222	525,575	57.30
6.	गुजरात		29,631,636	23,177,051	78.22
7.	हरियाणा		11,108,535	9,850,009	88.67
8.	हिमाचल प्रदेश		3,814,769	2,654,733	69.59
9.	जम्मू-कश्मीर		5,022,782	0	0.00
10.	कर्नाटक		34,903,320	24,407,863	69.93
11.	केरल		22,848,899	17,274,683	75.60
12.	मध्य प्रदेश		44,640,047	27,706,647	62.07
13.	महाराष्ट्र		57,505,567	44,455,999	77.31
14.	मणिपुर		1,413,690	1,033,733	73.12
15.	मेघालय		1,182,672	641,459	54.24
16.	मिजोरम		457,434	0	0.00
17.	नागालैंड		966,275	625,996	64.78
18.	उड़ीसा		24,172,899	18,188,207	75.24
19.	पंजाब		15,723,949	10,810,977	68.75
20.	राजस्थान		31,177,865	22,532,408	72.27
21.	सिक्किम		257,062	200,077	77.83
22.	तमिलनाडु		47,945,872	31,282,171	65.24
23.	त्रिपुरा		1,725,809	1,229,993	71.27
24.	उत्तर प्रदेश		101,943,066	53,027,456	52.02
25.	पश्चिम बंगाल		48,642,245	39,829,900	81.88
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह		252,729	194,973	77.15
27.	चंड़ीगढ़		538,607	381,048	70.75
28.	दादरा और नागर हवेली		103,603	81,700	78.86
29.	दमन और दीव		71,931	45,645	63.46
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली		8,707,531	5,800,683	66.62
31.	लक्षद्वीप		36,738	31,813	86.59
32.	पांडिचेरी		658,927	555,675	84.33
	संपूर्ण भारत का योग		617,148,207	391,237,347	63.39

@विवरण के स्तंभ 3 में उल्लिखित आंकड़े तारीख को निर्वाचकों की कुल संख्या।

रेलवे स्टेशनों पर यात्री-सुविधाएं

*167. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री-सुविधाओं में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं। बल्कि, पिछले दो वर्षों के दौरान यात्री सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है और इनमें पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय आयुध डिपुओं में भंडारों का खुले में पड़ा होना

*168. श्री कमलनाथ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुध डिपुओं द्वारा प्रयुक्त स्थलों की समीक्षा करने से यह पता चला है कि 30 हजार टन से अधिक भार का सामान जिसका मूल्य 150 करोड़ रुपए है, खुले में रखा हुआ है, जिससे मौसम का उन पर प्रतिकूल असर पड़ता है और उनकी गुणवत्ता में क्षरण होता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) 2000 की संख्या 7-ए के संदर्भ के अंतर्गत "आयुध सेवाओं में वस्तुसूची प्रबंधन की समीक्षा" पर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की थी कि 30,000 टन से भी अधिक भार वाला 150 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का भंडार उन पांच केन्द्रीय आयुध डिपुओं में खुले में पड़ा था, जिनका भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा मूल्यांकन किया गया था।

प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, डिपुओं में सर्वप्रथम प्राप्त भंडारों का निरीक्षण करके उनका हिसाब-किताब रखा जाता है और तत्पश्चात् उनका शैड्रों में भंडारण किया जाता है। अतः यह सतत् रूप से चलती रहने वाली

प्रक्रिया होने के कारण, प्रयोज्य वस्तुसूची का कुछ प्रतिशत भाग किसी भी समय एक निर्धारित एवं सीमित अवधि के लिए खुले में पड़ा ही रहेगा।

प्रतिकूल मौसम से होने वाली हानि से बचने के लिए सभी संबंधितों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्रयोज्य वस्तुसूची का भंडारण ढके हुए स्थान (कवर्ड अॅकॉमॉडेशन) पर किया जाए। लेखापरीक्षा दल के दौरे के समय खुले में पड़ी सभी उपयोगी वस्तुएं अब उपयुक्त भंडारण स्थान पर रख दी गई हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी और अप्रयोज्य मदों वाली लगभग 1.50 करोड़ रुपए लागत की लगभग 400 टन की वस्तुएं इन डिपुओं में खुले में पड़ी हुई हैं, जिनका निपटान किया जाना है।

विद्युत की ऊंची दरों के खिलाफ विरोध

*169. डा. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में किसान समुदाय राज्य सरकारों द्वारा विद्युत दरों के बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में किसान समुदाय के हित में क्या कदम उठाए गये हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) कृषि उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियां कतिपय राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी)/राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा टैरिफ में वृद्धि का विरोध कर रही हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी एक समिति नियुक्त की है। सितम्बर, 1994 में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न सिफारिशें की गयी हैं:

- राज्य सरकार को विद्युत मंत्रालय/के.वि.प्रा. द्वारा तथा अधिसूचित न्यूनतम भारतीय कृषि टैरिफ को अपनाना चाहिए तथा हानियों, यदि कोई हों, की क्षतिपूर्ति के लिए पारदर्शी तरीके में रा.वि.बो. को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सहमत होना चाहिए।

- कृषि उपभोक्ताओं की सब्सिडी उत्तरोत्तर रूप से समाप्त की जानी चाहिए।

वर्ष 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों को सम्मेलन में विद्युत के संबंध में न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न परिकल्पना की गयी थी :

कोई भी क्षेत्र आपूर्ति की औसत लागत (विद्युत उत्पादन की लागत जमा पारेषण व वितरण) के 50% से कम भुगतान नहीं करेगा और कृषि क्षेत्र के लिए टैरिफ 50 पैसे/कि. वा.घं. से कम नहीं होगी जिसे कि तीन वर्षों के भीतर औसत लागत के 50% तक लाना है।

भारत सरकार ने सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां बनाने और टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 का अधिनियमन किया है। विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ का निर्धारण किए जाने की प्रत्याशा है ताकि उत्तरोत्तर रूप से आपूर्ति लागत को प्रतिबिम्बित किया जा सके और दक्षता, अर्थव्यवस्था व प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके। विनियामक आयोगों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें और इसी बीच उपभोक्ता आपूर्ति की औसत लागत के आधार पर उपयुक्त तरीके से विद्युत के उपयोग के संबंध में भुगतान कर सके।

26.2.2000 को आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह स्वीकारा गया है कि यदि औद्योगिक टैरिफ उद्योग को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है तो क्रॉस सब्सिडी स्थिर नहीं रह सकती।

3.3.2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न संकल्प लिया गया था कि :

- विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की गयी विद्युत की गुणवत्ता को त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) और दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से शीघ्र ही सुधारने की आवश्यकता है।

- अगले छः माह में एसईआरसी को क्रियाशील बनाया जाए और टैरिफ आदेशों को आदेश पर रोपूर्णतः क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है जब तक कि न्यायालय के आदेश द्वारा इस के न लगे या रद्द न किया जाए यह आवश्यक है कि निःशुल्क विद्युत प्रदान करने की प्रणाली को छोड़ दिया जाए।

- 50 पैसे की न्यूनतम कृषि टैरिफ संबंधी मुख्यमंत्रियों के पूर्व निर्णय को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाए।

सैनिक स्कूलों में लड़कियों को शिक्षा दिया जाना

*170. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या लड़कियों के लिए रक्षा सेनाओं में प्रवेश हेतु शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा हेतु सैनिक स्कूलों की तर्ज पर स्कूलों की स्थापना के लिए सरकार को किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1998 में गुजरात सरकार के राज्य शिक्षा महिला और बाल कल्याग मंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने लड़कियों के लिए एक सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने का अनुरोध किया था ताकि लड़कियों को अफसर स्तर पर रक्षा सेनाओं में शामिल होने का अवसर मिल सके।

(घ) लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया गया था कि तीनों सेनाओं द्वारा जिन कतिपय कार्यों का निष्पादन करने के लिए महिला अफसरों की भर्ती तीनों सेनाओं में की जाती है वे विशिष्ट प्रकार के और अयोधी स्वरूप के होते हैं और इसीलिए उनमें गुंजाइश कम रहती है।

तेल आयात बिल

*171. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल आयात बिल के 1999-2000 से 54,000 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 80,000 करोड़ रुपये तक हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल ही में अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोसरी हुई है और केवल एक वर्ष में ही तीन गुने से ज्यादा हो गई है जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर तेल निर्यातक देशों से रियायतें प्राप्त करने के लिये कुछ कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) नवीनतम स्थिति के अनुसार वर्ष 2000-01 के लिए सकल आयात बिल लगभग 80,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वर्तमान वर्ष के लिए निवल आयात बिल वर्ष 1999-2000 के दौरान 53,500 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 71,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में फरवरी, 1999 से सितम्बर, 2000 की अवधि के दौरान तीन गुणा से ज्यादा वृद्धि हुई। उच्च और घटते–बढ़ते अन्तरराष्ट्रीय तेल मूल्य तेल आयातक विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

(ग) और (घ) भारत ने 17-19 नवम्बर, 2000 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित तेल उत्पादक और उपभोक्ता देशों के अन्तरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच की बैठक में यह सुझाव दिया कि तेल निर्यातक देशों को विकासशील देशों को छूट, आस्थगित भुगतान, उदार ऋण आदि के रूप में रियायतें देने पर विचार करना चाहिए। इस सुझाव का स्वागत किया गया और विकासशील देशों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को सहारा गया। यह मामला तेल निर्यातक देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी उठाया गया। इन देशों में सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इन्डोनेशिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया और कतर सम्मिलित हैं। उन सभी ने द्विपक्षीय बैठकों के दौरान भारत का विकासशील देशों की समस्याएँ मानी और यह आश्वासन दिया कि वे अपने स्तर पर और सामूहिक रूप से सुझाव पर विचार करेंगे। बाद में 14 दिसम्बर, 2000 को ओपेक के सदस्य देशों को एक प्रस्ताव भेजा गया जिसमें निम्न विषय सम्मिलित थे:

(1) तेल निर्यातक देशों द्वारा ऋणावधि 30 दिनों की सामान्य अवधि के बजाय 90 दिनों तक बढ़ाया जाना,

(2) स्वीकृत क्रूड मूल्य अर्थात 25 अमेरीकी डालर प्रति बैरल से अधिक वृद्धिपरक मूल्य में 20 प्रतिशत की मूल्य छूट, और

(3) स्वीकृत स्तर अर्थात् 28 अमेरीकी डालर प्रति बैरल से अधिक मूल्य वृद्धियों के कारण वृद्धिपरक राशियों के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु लिबोर (एल आई बी ओ आर) पर आस्थगित भुगतान सुविधा।

भारतीय प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में इंडानेशिया और कतर ने प्रत्युत्तर दिया है कि भारत के प्रस्ताव पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की मध्य मार्च, 2001 में वियना में आयोजित की जाने वाली बैठक में विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग

*172. **डा. अशोक पटेल :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस ने आगामी वर्षों में अर्थव्यवस्था के विकास के लिये महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों में सहयोग करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने इस संबंध में परियोजनाओं की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) (क) से (घ) ऊर्जा संबंधी इंडो-फ्रेंच कार्यकारी समूह की स्थापना विद्युत, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, ऑटोमिक एनर्जी, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा जल संसाधनों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए फरवरी, 1999 में की गई थी। अब तक इस कार्यकारी समूह की दो बैठकें हुई हैं। प्रथम बैठक नई दिल्ली में मार्च, 1999 में हुई थी और दूसरी पेरिस में फरवरी, 2001 में हुई थी।

जहां प्रथम बैठक में दोनों देशों में अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों में निवेश के संभावित क्षेत्रों में संबंधित सूचना का आदान-प्रदान किया गया था, वहीं दूसरी बैठक में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान की गई है। विद्युत क्षेत्र हेतु निम्नलिखित को अभिज्ञात किया गया था :

(क) भारत और फ्रांस, भारत में नदी बेसिन जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच कार्य में सहयोग करेंगे।

(ख) फ्रेंच कम्पनियां विद्युत अवसरों के वितरण हेतु अपनी बोलियां लगाएगी जब भी भारत में राज्य यूटीलिटियां आमंत्रित करे।

(ग) मांग पक्ष प्रबंधन समेत ऊर्जा संवर्द्धन तथा वितरण व मीटरिंग के लिए भारत और फ्रांस भारत में पायलट प्रदर्शन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेंगे तथा इनमें सहयोग करेंगे।

(घ) उत्पादित और आपूर्ति की गयी विद्युत की लागत को कम करने के उद्देश्य से लागतों तथा प्रौद्योगिकी की बेंचमार्किंग करने में भारतीय पक्ष ने फ्रांस के सहयोग में अभिरुचि दर्शायी है।

(ङ) विनियामक नीति प्रक्रिया और अनुभव संबंधी सूचना का आदान-प्रदान।

अपारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र के लिए इंडो-फ्रेंच सहयोग के अन्तर्गत निम्नलिखित को अभिज्ञात किया गया था :

(क) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन द्वीप समूहों में गैसीकृत बायोमास/डीजल मिनी ग्रिड से जुड़ी एक हाईब्रिड सोलर फोटोवोल्टेक (एस पी वी) परियोजना ।

(ख) लक्षद्वीप द्वीप समूहों में पवन-डीजल हाईब्रिड परियोजना।

(ग) बैगेस कोजनरेशन प्रोजेक्ट।

(घ) भारतीय विशेषज्ञों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठयक्रम।

(ङ) तीसरे राष्ट्रों में गैसीकृत बायोमास के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं की स्थापना का पता लगाना।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियां

*173. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री जोरा सिंह मान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन करने वाली विदेशी/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उच्च दर पर लाभांश अर्जित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में राज्यों के राज्य बिजली बोर्डों ने परियोजना लागत पर 9% लाभांश के आधार पर बिजली शुल्क निर्धारित करने का फैसला किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या विद्युत क्षेत्र में निर्माण लागत पर होने वाले व्यय को प्रमाणित करने हेतु एक प्रभावी तंत्र तक भी विकसित नहीं किया जा सका है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और विकसित किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.3.2000 को जारी टू पार्ट टैरिफ अधिसूचना विद्युत परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र में विदेशी और भारतीय, दोनों निवेशकों के लिए प्रचालन के मानव स्तरों अर्थात् 68.5% संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर इक्विटी (प्रदत्त और अंशदत्त) पर 16% तक प्रतिफल की अनुमति प्रदान करती है। इस स्तर से अधिक विद्युत उत्पादन के लिए पी एल एफ में प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि के लिए इक्विटी (प्रदत्त और अंशदत्त) की 0.7% सीमा की शर्त पर सहमत दरों पर प्रोत्साहन की अनुमति प्रदान की गई है।

रा. वि. बो. विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत टैरिफ का निर्धारण विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 59 के अनुसार रा. वि. बो. द्वारा किया जा रहा है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि रा. वि. बो. अपनी टैरिफ को समायोजित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी लेखा वर्ष में कुल राजस्व, राजस्व से वसूल किए जाने वाले कुल खर्चों को पूरा करने के बाद इस वर्ष के आरंभ में बोर्ड की प्रयुक्त स्थायी परिसम्पतियों के मूल्य के 3% या उच्च प्रतिशत, जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उल्लेख करें, से कम न हो। जहाँ निजी क्षेत्र हेतु 16% प्रतिफल इक्विटी पर लागू हैं वहीं रा. वि. बोर्डों के मामले में वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड की प्रयुक्त स्थायी परिसम्पत्तियां के समग्र मूल्य पर 3% प्रतिफल की अनुमति है।

(ङ) और (च) विद्युत परियोजनाओं की निर्माण लागत की स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के. वि. प्रा.) या राज्य सरकार/रा.वि. बोर्डों, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रदान की जाती है अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर विचार करते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आई सी बी) प्रक्रिया माध्यम वाली परियोजनाओं, जहाँ आई सी बी प्रक्रिया के माध्यम से न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक लागत/टैरिफ का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, के संबंध में लागत की संवीक्षा की प्रासंगिकता नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आई सी बी) प्रक्रिया के माध्यम से निजी उद्यमियों को प्रदान की गई कुछ श्रेणियों की विद्युत परियोजनाओं को के. वि. प्रा. की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। राज्य सरकारों को ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए गए हैं ताकि परियोजनाओं की लागत को कम करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दबाव विद्यमान हो जाए।

[अनुवाद]

तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में उतार-चढ़ाव

***174. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा उपलब्ध कराने और विकासशील देशों को अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में भारी "उतार चढ़ाव" से बचाने के लिए कई विश्व पेट्रोलियम आर्थिक व्यवस्था बनाए आने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सभी विकासशील तेल आयातक देशों को तेल निर्यातक देशों के साथ राजनैतिक स्तर पर बातचीत करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ग) यदि हां, तो भारत द्वारा इन तेल आयातक देशों को दिये गये अन्य सुझाव कौन से हैं; और

(घ) भारत के विचारों पर किस सीमा तक विचार किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) रियाद, सऊदी अरब में 17-19 नवम्बर, 2000 तक आयोजित तेल उत्पादक और निर्यातक देशों के अन्तरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच की बैठक में भारत ने यह सुझाव दिया था कि तेल निर्यातक देशों को विकासशील देशों के लिये छूटों, आस्थगित भुगतानों, नरम शर्तों पर ऋणों आदि के रूप में छूट देने का विचार करना चाहिए। इस सुझाव का अच्छा स्वागत हुआ और विकासशील देशों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत की सराहना की गई। इस मामले को सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, यू ए ई, इन्डोनेशिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया और कतर सहित तेल निर्यातक देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी उठाया गया। इनमें से प्रत्येक देश ने द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान भारत और विकासशील देशों की चिन्ताओं की सराहना की और आश्वासन दिया कि वे इस सुझाव पर अपने स्वयं के स्तर पर और सामूहिक रूप से विचार करेंगे। इसके बाद 14 दिसम्बर, 2000 को पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन (ओपेक) को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) को एक प्रस्ताव भेजा गया जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल थी :

(1) तेल निर्यातक देशों द्वारा ऋणावधि 30 दिनों की सामान्य अवधि के बजाय 90 दिनों तक बढ़ाया जाना,

(2) स्वीकृत क्रूड मूल्य अर्थात 25 अमेरीकी डालर प्रति बैरल से अधिक वृद्धिपरक मूल्य में 20 प्रतिशत की मूल्य छूट; और

(3) स्वीकृत स्तर अर्थात् 28 अमेरीकी डालर प्रति बैरल से अधिक मूल्य वृद्धियों के कारण वृद्धिपरक राशियों के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु लिबोर (एल आई बी ओ आर) पर आस्थगित भुगतान सुविधा।

(घ) भारतीय प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में इंडोनेशिया और कतर ने प्रत्युत्तर दिया है कि भारत के प्रस्ताव पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की मध्य मार्च, 2001 में वियना में आयोजित की जाने वाली बैठक में विचार किया जा सकता है।

पवन फार्मों में निजी क्षेत्र

***175. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार देश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए जिन संभावित स्थलों की पहचान की गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पवन ऊर्जा से संचालित टरबाइनों/पवन फार्मों की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराई जाने वाली तकनीकी और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) देश में अब तक 1270 मेवा. की कुल पवन विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसमें से 1213 मेवा. की क्षमता निजी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त हुई है।

(ख) 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 204 संभाव्यता स्थलों की पहचान की गई है जिन पर पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विचार किया जा सकता है। इन स्थलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत, पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए संभाव्यता स्थलों की पहचान करने के लिए पवन सर्वेक्षण किए जाते हैं। पवन विद्युत विकास के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु चेन्नई में एक पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वेट) की स्थापना की गई है। राज्यों को प्रदर्शन परियोजनाओं की एक सीमित संख्या के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए राजकोषीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इन परियोजनाओं के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) से उदार ऋण उपलब्ध हैं। संभाव्यता वाले राज्यों ने ग्रिड कनेक्शन और पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री के लिए नीतियों की घोषणा कर दी है।

विवरण

पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए संभाव्यता स्थलों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	स्थलों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार	1
2.	आंध्र प्रदेश	30
3.	गुजरात	34
4.	कर्नाटक	25
5.	केरल	16
6.	लक्षद्वीप	8
7.	मध्य प्रदेश	7
8.	महाराष्ट्र	27
9.	उड़ीसा	6
10.	राजस्थान	8
11.	तमिलनाडु	39
12.	उत्तर प्रदेश	1
13.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	204

विद्युत परियोजनाओं को गैस का आबंटन

*176. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के देश में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस के आबंटन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) देश में गैस आधारित परियोजनाओं को आबंटन में समय-समय पर वृद्धि की गई है। हाल के वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र को गैस का कुल आबंटन निम्नानुसार है :

वर्ष	विद्युत क्षेत्र को आबंटन की स्थिति (मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन)
1997-98	35.71
1998-99	36.11
1999-2000	40.85
2000-2001	52.52

(ग) ऊपर (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात के लिए विशेष रेलगाड़ियां

*177. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.:

(क) क्या सरकार ने भूकम्प पीड़ितों के रिश्तेदारों के लिए गुजरात के लिए विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये प्रबंध पर्याप्त थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। भूकंप पीड़ितों के संबंधियों सहित जनता एवं गैर-सरकारी संगठनों आदि के लिए 27.1.2001 से 7.2.2001 के बीच गुजरात से अन्य राज्यों के लिए 30 रेलगाड़ियां और अन्य राज्यों से गुजरात के 25 रेलगाड़ियां चलाई गई थीं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास

*178. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :
श्री रामदास आठवले :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए एक नयी योजना शुरू करने हेतु तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में हस्तशिल्प बस्तियों का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हस्तशिल्प उद्योग के लिए सहयता पैकेज को सुचारू बनाने हेतु कोई योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) सरकार ने हाल ही में तमिलनाडू के एक जिले में हस्तशिल्प समूहों का नैदानिक अध्ययन करने की अनुमति प्रदान की है। क्षेत्र एवं शिल्प विशिष्ट समस्याओं और उनके सम्भव समाधान पता लगाने की दृष्टि से देश के अन्य भागों से छत्तीसगढ़ उड़ीसा, राजस्थान, जे. एंड. के. सिक्किम, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों में एक ऐसा ही अध्ययन किया जा रहा है।

''बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना'' नामक एक नई स्कीम हाल ही में अनुमोदित की गई है। यह स्कीम एकीकृत समूह विकास अप्रोच. स्वः सहायता समूह और थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट मॉडल पर आधारित है, जिससे कारीगर सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करने में समर्थ होंगे। यह स्कीम कारीगरों को आत्मनिर्भर समुदाय उद्यमियों के रूप में संगठित करने की दृष्टि से उनको प्रत्यक्ष रूप से संकेंद्रित करने का एक प्रयास है।

रक्षा विमानों का दुरुपयोग

*179. डा. वी. सरोजा :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अनेक व्यक्तियों द्वारा गैर-सरकारी कार्यों हेतु रक्षा विमानों का घोर दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष दौरान रिकार्ड किये गये दुरुपयोग के ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल अधिकारियों के नाम क्या हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) ऐसे गैर-सरकारी दौरों पर कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) संबंधित अधिकारियों से ऐसी राशि की वसूली करने एवं रक्षा विमानों का दुरुपयोग न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) वैष्णों देवी के निकट चेतक हेलीकाप्टर की हुई हवाई दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) वरिष्ठ सैन्य अफसरों को रक्षा वायुयान के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले विद्यमान अनुदेशों के अनुसार हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और इस सुविधा के दुरुपयोग का कोई मामला प्रकास में नहीं आया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय सेना का एक चेतक हेलीकॉप्टर वैष्णों देवी मंदिर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। सेना मुख्यालय ने दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक औपचारिक जांच अदालत के आदेश दिए हैं। इसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा की जा रही है।

पर्यटन विकास की परियोजनाएं

*180. श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा :
श्री आर. एस. पाटिल :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन संबंधी परियोजना की स्वीकृति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) वर्ष 2001-02 के लिए राज्य सरकारों से राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन-कौन सी परियोजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) सरकार ने कौन-कौन सी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और परियोजना-वार कितनी निधियों का आबंटन किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने कुछ पर्यटन परियोजनाओं को अस्वीकृत कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं/प्रस्तावों को ब्यौरा क्या है और इनकी अस्वीकृति के क्या कारण हैं; और

(च) देश में पर्यटन का विकास करने और घरेलू/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन-कौन से नये उपाय किये गये हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता के लिए निर्धारित पर्यटक परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। परियोजनाओं की प्राथमिकता उनके लाभ-हानि, परस्पर प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(ख) पर्यटन विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने देश में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन, सेमिनारों का आयोजन, पर्यटन विषयक कार्यशाला, भारतीय पर्यटन वेबसाइट के माध्यम से सूचना तकनालाजी का अधिकाधिक प्रयोग, सी डी रोम्स की तैयारी, यात्रा एवं पर्यटन मेलों में भागीदारी तथा प्रचार-प्रसार सामग्री का उत्पादन एवं मुद्रण जैसे विभिन्न कार्य प्रारम्भ किए हैं।

आई. ओ. सी. द्वारा हाइड्रोकार्बन एल. एन. एच. टर्मिनल प्रोजेक्ट

1670. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय तेल निगम द्वारा स्थापित की जा रही 19,400 करोड़ रुपए की हाइड्रोकार्बन एल. एन. एच. टर्मिनल प्रोजेक्ट सहित 35,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना में भारतीय और विदेशी कितनी कम्पनियां शामिल हैं; और

(घ) इस परियोजना की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) के नेतृत्व वाले काकिनाडा इंडियन आयल एल एन जी परिसंघ (के आई ओ एल सी) ने चरणों में 19,400 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित निवेश से यह तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) परियोजना, जिसमें टर्मिनल, पाइपलाइन नेटवर्क, थोक ईंधनों के लिए उत्पाद टर्मिनल, एकीकृत विद्युत परियोजना, इत्यादि शामिल हैं, स्थापित करने के लिए 10 जनवरी, 2001 को आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इसके प्रत्येक घटक के औचित्य एवं आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त पर उपर्युक्त परियोजना के अगस्त, 2005 तक पूरे होने का अनुमान है।

(ग) इस परियोजना में सम्मिलित भारतीय कंपनी इंडियन आयल कारपोरेशन है जब कि विदेशी कंपनियां, मलेशिया की पेट्रोलियम नेशनल बरहाद (पेट्रोनास) तथा बी पी एशिया पैसीफिक इंक, जे बी पी अमेको पी एल सी की सहायक कंपनी है, हैं।

(घ) एल एन जी टर्मिनल की क्षमता प्रथम चरण में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम एम टी पी ए) है, जिसकी आवश्यकता पर निर्भर करते हुए चरणों में 10 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक विस्तार किया जा सकता है।

थूरोर रेलवे स्टेशन पर पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवर-ब्रिज का निर्माण

1671. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थूरोर, अम्बालापूजा चेवयला और हरिपद रेलवे स्टेशनों पर फुट ओवर-ब्रिज का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पुलों का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) केवल शेरतलाई में ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का प्रस्ताव है (स्टेशन का नाम चेवयला के बजाय शेरतलाई है)।

(ख) और (ग) 19.95 लाख रुपये की लागत पर कार्य स्वीकृत किया गया है और इसे मार्च 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

1672. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार देश में रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध अनियमितताएं बरतने संबंधी कितनी शिकायतें दर्ज की गई;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे डीलरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान डीलरों द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण अब तक प्रत्येक राज्य में निलम्बित की गई रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध प्राप्त सिद्ध शिकायतों का निम्नानुसार ब्यौरा भेजा है :

(वर्ष के दौरान सिद्ध शिकायतों की संख्या)

	1999-2000	1998-99	1997-98
आई ओ सी	143	222	373
एच पी सी	77	64	79
बी पी सी	16	38	53
आई बी पी	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां सिद्ध हुई शिकायतों पर डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार/विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार दोष की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाही करती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में निलंबित की गई एल. पी. जी. एजेंसियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान निलंबित की गई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5	1	4
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–
असम	–	–	–
बिहार	10	2	3
दिल्ली	–	1	1
गोवा	–	–	–
गुजरात	2	–	5
हरियाणा	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–
कर्नाटक	1	2	1
केरल	2	1	3
मध्य प्रदेश	2	–	–
महाराष्ट्र	6	2	–
मणिपुर	–	–	–
मेघालय	–	–	–
मिजोरम	–	1	–
नागालैण्ड	–	–	–
उड़ीसा	–	–	1
पंजाब	3	1	–
राजस्थान	2	1	2
सिक्किम	–	–	–
तमिलनाडु	1	2	5
त्रिपुरा	–	–	–
उत्तर प्रदेश	6	4	6
पश्चिम बंगाल	–	1	–
केन्द्र शासित प्रदेश			
चंडीगढ़	–	–	–
दादरा और नागर हवेली	–	–	–
दमन और द्वीव	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–
पांडिचेरी	–	2	–
योग	40	21	31

इंजनों का निर्यात

1673. श्री विजय गोयल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की अत्याधुनिक इंजनों का निर्यात करने की दीर्घकालिक योजना तैयार करने का विचार है ;

(ख) क्या उन्होंने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी प्राप्त कर ली है;

(ग) इन इंजनों में किन-किन देशों ने रुचि दर्शायी है;

(घ) रेलवे इन इंजनों का नियति कब तक प्रारम्भ कर देगा; और

(ङ) इससे अनुमानित प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 1999 में आधुनिकतम डीजल इंजनों का आयात किया गया था और 2001-02 में इसका स्वदेशी विनिर्माण शुरू करने की योजना है।

आधुनिकतम बिजली इंजनों का पहले से ही स्वदेशी विनिर्माण हो रहा है। ऐसे इंजनों और इसकी सब-ऐसेम्बलीज अन्य देशों को निर्यात करने के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका के साथ संभाव्यता वार्ता आरंभ की गई है जिन्होंने रुचि दर्शायी है।

(घ) और (ङ) इंजनों का निर्यात भारतीय रेलों के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है और विश्व बाजार में स्पर्धात्मक बनने के प्रयास जारी हैं। ऐसे नियति से अर्जित होने होने वाली विदेशी मुद्रा और उसकी समय सीमा इस समय ज्ञात नहीं है।

नई कपड़ा नीति का विरोध

1674. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के हथकरघा बुनकर कपड़ा क्षेत्र कार्यक्रमों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने नई कपड़ा नीति, जो कि उनके हितों के प्रतिकूल है का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो वह इस नीति से किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार हथकरघा क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए नई कपड़ा नीति में कतिपय परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (ङ) भारत सरकार को कर्नाटक सहित देश के किसी भाग से हथकरघा बुनकरों द्वारा किसी आंदोलन करने की जानकारी नहीं है। नई वस्त्र नीति हथकरघा क्षेत्र के सभी खंडों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु पूर्ण रूप से विचार करने के बाद तैयार की गई है। नई वस्त्र नीति में खंडों की अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोई परिवर्तन प्राथमिकता के आधार पर विचार करने के बाद किया जायेगा।

बंदेल-कटवा रेल लाइन का दोहरीकरण

1675. श्री महबूब जहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंदेल-कटवा रेल लाइन का दोहरीकरण हेतु सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोहरी लाइन को पूरी करने हेतु अनुमान भी लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो दोहरीकरण का कार्य कब तक शुरू हो जाने और पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए औचित्य के आधार पर बंदेल-कटवा खंड का एक भाग, बंडेल-जिरात खंड के दोहरीकरण कार्य 47 करोड़ रुपये की लागत पर 2001-2002 के बजट में शामिल कर लिया गया है। संसद द्वारा बजट पारित किए जाने पर ही कार्य शुरू किया जाएगा। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में तेजी लाई जाएगी तथा पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

जोधपुर एअरफोर्स स्टेशन के गोदाम में आग

1676. डॉ. जसवंतसिंह यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में एअरफोर्स स्टेशन, जोधपुर के गोदाम में लगी आग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जोधपुर के वायुसेना स्टेशन के संभारिकी अनुभाग के तंबू भण्डार में दिनांक 7 फरवरी, 2001 को दुर्घटनावश आग लग गई थी। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आगे से सहायक उपकरणों सहित दो व्यक्तियों के रहने योग्य लगभग 140 तंबू नष्ट हो गए थे। तथापि, इस दुर्घटना में कोई घायल/हताहत नहीं हुआ था।

(घ) और (ङ) भारतीय वायुसेना द्वारा एक जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं तथा जांच अदालत अपनी कार्रवाई कर रही है।

[अनुवाद]

विद्युत खरीद समझौता

1677. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जनवरी, 2000 के "दि बिजनेस स्टैंडर्ड" में "महाराष्ट्र पावर बोर्ड हैज सबमिटेड आल डाक्यूमेन्टस टू पावर रेगुलेटर-रिट फोर्सिस एम. ई. आर. सी. टू स्कूटनाइज्ड पीपीए "शीर्षक" से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उठाए गए मुद्दों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) जी, हां। कथित समाचार दिनांक 2 जनवरी, 2001 के बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित हुआ है।

(ख) प्रकाशित समाचार में महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी) को दायर एक याचिका का उल्लेख किया गया है। इस याचिका में महाराष्ट्र की कुछ निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न ठेकों को नियमित करने और उनका विश्लेषण करने तथा इन सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए आयोग से अनुरोध किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार मामले में किसी पार्टी से संबंधित नहीं है और न ही मामले से संबंधित कोई सूचना महाराष्ट्र सरकार (एमईआरसी) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) उपरोक्त उत्तर में बताई गयी स्थिति के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना

1678. श्री एम. के. सुब्बा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के निचले सबुनसिरी जिले में 405 मे.वा. की रंगानाडी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) इसमें कितनी लागत आएगी;

(घ) इसकी लागत दर्शाते हुए परियोजना का दूसरे और तीसरे चरण के क्रियान्वयन हेतु ब्यौरा और कार्यक्रम क्या है; और

(ङ) विस्थापितों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) अरुणाचल प्रदेश में निचले सुबनसिरी जिले में उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम (नीपको) द्वारा क्रियान्वित की जा रही रंगानदी जल विद्युत परियोजना (3×135 मे. वा=405 मे. वा) की निर्माण गतिविधियां अग्रिम अवस्था में हैं। प्रत्येक 135 मे. वा. की सभी तीनों युनिटों को 2001-02 के दौरान चालू किए जाने का क्रार्यक्रम है। परियोजना के द्वितीय चरण (रंगानदी चरण-2, 180 मे. वा.) को 11वीं योजना के दौरान लाभहेतु अभिज्ञात किया गया है। विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना करना, परियोजना की लागत पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। रंगानदी जल विद्युत परियोजना (405 मे. वा.) के क्रियान्वयन् के कारण विस्थापित व्यक्तियों की संख्या आकलन के आधार पर नीपको ने प्रभावित व्यक्ति और भू-विस्थापितों के पुनर्वास हेतु अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार को 217.84 लाख रुपये प्रदान किए हैं।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा

1679. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन ऑफ आन्ध्र प्रदेश हैंडलूम वर्कर्स एसोसिएशन ने राज्य के हथकरघा बुनकरों के प्रति केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सौतेले व्यवहार की निंदा की है;

(ख) क्या बुनकर सोसाइटियों को प्रोत्साहन देने में सरकार की विफलता से संपूर्ण देश में 3 करोड़ से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश स्टेट हैंडलूम को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एपीसीओ) द्वारा विभिन्न हथकरघा इकाइयों के लिए 13 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह उल्लेख किया है कि यदि बिजली करघा के आक्रमण को रोका नहीं गया तो हथकरघा क्षेत्र पूरी तरह समाप्त हो जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकरों की मदद करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं। भारत सरकार बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार तथा लगातार आजीविका सुनिश्चित करने हेतु कई विकासात्मक तथा कल्याणकारी स्कीमें जैसे कार्यशाला-सह-आवास स्कीम, स्वास्थ्य पैकेज स्कीम, थ्रिफ्ट फंड स्कीम, बीमा स्कीम तथा दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को वित्त पोषण किया जाता है।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य हथकरघा सरकारी समिति (एप्को) को प्राथमिक हथकरघा बुनकर समितियों के बकाया के भुगतान के लिए 4.07 करोड़ रुपये उन्हें जारी किये गये हैं तथा शेष बकाया के भुगतान करने हेतु कार्रवाई आरंभ की गई है।

(घ) और (ङ) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 प्रचलन में है जिसके अंतर्गत केवल हथकरघा उद्योग के लिए वस्त्र वस्तुओं की 11 श्रेणियां आरक्षित हैं। केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश सहित सारे देश में हथकरघा क्षेत्र के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने हेतु अभी हाल में आरंभ की गई दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न विकासात्मक तथा कल्याणकारी स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ी में यात्रा टिकट निरीक्षकों की गतिविधियां

1680. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियों में तैनात कुछ यात्रा टिकट निरीक्षक अनधिकृत यात्रियों को यात्रा की अनुमति देते हैं और उनसे धन ऐंठते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितने यात्रा टिकट निरीक्षक दोषी पाए गए और गत और वर्ष के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) कुछ मामले नोटिस में आए हैं। वर्ष 2000 के दौरान 28 टिकट जांच कर्मचारी अनियमितताओं में शामिल पाए गए थे और उनके विरुद्ध अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी।

(ग) गाड़ियों में अनधिकृत यात्रा के मामलों का पता लगाने के लिए रेलवे के वणिज्यिक और सतर्कता विभागों द्वारा नियमित और अचानक जांचें की जाती हैं। इसके अलावा अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में तैनात कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। अप्राधिकृत यात्रा कराने में संलिप्त पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में विद्युतीकरण

1681. श्री जी.एस. बसवराज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मॉड्या, कर्नाटक में ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए कितना परिव्यय है;

(ग) क्या इस परियोजना पर कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) भारत सरकार ने नवम्बर 2000 में त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम (एपीडीपी) नामक एक स्कीम को अनुमोदित किया, जिसका परिव्यय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1000 करोड़ रुपए है। एपीडीपी 2012 तक जारी रहेगी, जिसे वर्ष 2001-02 के लिए 1500 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया जाएगा। एपीडीपी निम्नलिखित से सम्बन्धित परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगी :

(1) 100 करोड़ रुपए से कम की लागत वाले विद्यमान पुराने उत्पादन केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/कार्यकाल विस्तार/उन्नयन तथा

(2) सभी वितरण सर्किलों में एक चरणबद्ध रूप से ऊर्जा गणना तथा मीटरिंग सहित उप पारेषण तथा वितरण नेटवर्क का उन्नयन करना।

कार्यक्रम के चरण-1 के अन्तर्गत उप पारेषण और वितरण नेटवर्क के उन्नयन से सम्बन्धित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से 50 वितरण सर्किल अभिज्ञात किए गए हैं। पारेषण एवं वितरण हानियों (तकनीकी एवं वाणिज्यिक दोनों प्रकार की हानियां) में कमी के लिए इन सर्किलों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय किए जाएंगे।

कर्नाटक, मैसूर, बीजापुर, बेलगांव सर्किलों को उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में उन्नयन हेतु अभिज्ञात किया गया है। हुबली सर्किल के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकन एवं वित्तपोषण हेतु प्राप्त हो गई है। शेष वितरण सर्किलों को एक चरणबद्ध रूप में लिया जाएगा जिसके लिए केपीटीसीएल द्वारा परियोजना रिपोर्टों को तैयार करना होगा। तीनों सर्किलों (मैसूर, बीजापुर और बेलगांव) में चालू वर्ष के दौरान मीटरों, कैपिसिटरों तथा वितरण ट्रांसफार्मरों की अधिष्ठापना जैसे अल्पकालीन उपायों को अनुमोदित किया गया है।

अगरतला तक रेल लाइन का निर्माण

1682. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला तक रेल लाइन के निर्माण के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस पर कितना खर्च आएगा;

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(घ) क्या इस परियोजना का सबरम तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कुमारघाट-अगरतला नई लाइन एक स्वीकृत चालू परियोजना है। 60 कि. मी. को दूरी, अर्थात अगरतला छोर से 40 कि.मी. और कुमारघाट छोर से 20 कि.मी. जहां लाइन समान्य भूभाग में स्थित है, में कार्य आरंभ किया गया है। शेष 49 कि.मी. पहाड़ी भूभाग के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आरंभ किया गया है और फील्ड कार्य पूरा हो गया है तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) वित्त वर्ष 1999-2000 तक 63.71 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है।

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) जी नहीं। फिलहाल ऐसा नहीं प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ए. एफ. एच. क्यू. सिविल सिर्विस नियमों में संशोधन

1683. **श्री जय प्रकाश** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के ग्रेड में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा शुरू करने के लिए ए. एफ. एच. क्यू. सिविल सर्विस नियमावली, 1968 में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव विधि मंत्रालय को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जी, हां। विधि मंत्रालय ने सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुम्बई पत्तन पर नौभार में कमी

1684. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन पर नौभार के पहुंचने में पर्याप्त कमी दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार मुम्बई पत्तन पर कितना नौभार पहुंचा;

(ग) क्या सरकार का विचार मुम्बई पत्तन पर कार्गो की निजी रखरखाव की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुम्बई पत्तन की कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी हां। शिपमेंट में कमी के कारण ये हैं : (i) पी ओ एल उत्पादों के आयात में कमी (ii) कंटेनरों को जवाहर लाल नेहरू पत्तन की ओर मोड़ना (iii) बड़े पोतों को हैंडल करने में मुम्बई पत्तन के सामने आने वाली प्राकृतिक बाधाएं जैसेकि सीमित डुबाव, लॉक गेट सहित एनक्लोज्ड डॉक प्रणाली (iv) पुराना और अप्रचलित पत्तन उपस्कर (v) कम उत्पादकता और परिणामस्वरूप हैंडलिंग की अधिक

लागत और (vi) नगर निगम द्वारा लगाया गया चुंगी कर। पिछले तीन वर्षों के दौरान पत्तन पर शिपमेंट पहुंचने के वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	(मिलियन टन)
1997-98	32.10
1998-98	30.97
1999-2000	30.41

(ग) जी हां।

(घ) महापत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए निम्नलिखित क्षेत्र स्केल दिए गए हैं:

(i) पत्तन की मौजूदा परिसंपत्तियों को पट्टे पर देना।

(ii) अतिरिक्त परिसंपत्तियों का निर्माण/सृजन करना जैसे कि

(क) कंटेनर टर्मिनलों का निर्माण और प्रचालन।

(ख) बल्क, ब्रेक बल्क, बहुउद्देश्यीय और विशेष कार्गो बर्थ का निर्माण और प्रचालन।

(ग) भंडारण, कंटेनर फ्रेट केन्द्र, संग्रहण सुविधाएं और टैंक फार्म।

(घ) क्रेनेज/हैंडलिंग उपस्कर।

(ङ) आबद्ध विद्युत संयंत्र स्थापित करना।

(च) शुष्क गोदीकरण और जहाज मरम्मत सुविधाएं

(iii) निजी क्षेत्र से पत्तन हैंडलिंग के लिए उपस्कर और फ्लोटिंग क्राफ्ट पट्टे पर लेना।

(iv) पायलटेज।

(v) पत्तन आधारित उद्योगों के लिए आबद्ध सुविधाएं।

(ङ) निम्नलिखित कदम उठाने पर विचार किया गया है:

(i) कार्गो के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उपस्कर को आधुनिक बनाना।

(ii) प्रचालन प्रणालियों में परिवर्तन करना और व्यापार हेतु बेहतर सुविधाओं का विस्तार करना।

(iii) कम्प्यूटरीकरण।

(iv) श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या में कमी।

प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

1685. श्री समर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न स्थानों में अनुमानित कुल कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध है;

(ख) कुओं से कितनी प्राकृतिक गैस निकाली गई;

(ग) उद्योग, विद्युत उत्पादन और अन्य प्रयोजनार्थ अलग-अलग इसके उपयोग के लिए भावी योजना क्या है; और

(घ) त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर के राज्यों के संबंध में उपयोग हेतु भावी योजना क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) 1.4.2000 तक देश में प्राकृतिक गैस के अनुमानित शेष निकासी योग्य भंडार लगभग 5386 बिलियन घन मीटर है।

(ख) और (ग) 2000-2001 (अप्रैल 2000 से जनवरी, 2001 तक) के दौरान प्राकृतिक गैस का औसत उत्पादन लगभग 81 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन रहा है जिसमें से आन्तरिक खपट और दहन के लिए व्यवस्था करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों को निम्नानुसार आपूर्ति की गई है:

क्षेत्र	मात्रा (एम एस एस सी एम डी में)
उर्वरक	23.5
विद्युत	24.5
स्पंज आयरन	3.6
अन्य उद्योग	10.7

(घ) फिलहाल गेल द्वारा लगभग 4.5 एम एम एस सी एम डी गैस का कुल आबंटन त्रिपुरा राज्य में मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र के लिए किया गया है जिसमें से उपयोग केवल 1.0 एम एम एस सी एम डी है। असम में विद्युत, उर्वरक और चाय बागानों के लिए प्रभावी आबंटन लगभग 1.4 एम एम एस सी एम डी है।

इसके अलावा ओ आई एल की असम से 3.85 एम एम एस सी एम डी की वर्तमान वचनबद्धताएं हैं जिनकी भविष्य में 5.9 एम एम एस सी एम डी तक बढ़ जाने की सम्भावना है। इससे वर्तमान उपभोक्ताओं और रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेट को इसकी गैस क्रेकर परियोजना और अमगुड़ी विद्युत संयंत्र के लिए अतिरिक्त वचनबद्धताएं सम्मिलित हैं।

वरबानी-तापसी-अण्डाल रेल पथ

1686. **श्री सुनील खां :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेल के अंतर्गत वरबानी-तापसी-अंडाल रेल पथ का प्रयास नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस मार्ग पर रेलगाड़ियों के परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त पथ की समाज विरोधी तत्वों द्वारा चोरी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं.?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। वरबानी-तापसी-अण्डाल खंड का उपयोग माल यातायात के लिए सामान्यतः कोयला ढोने के लिए किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि इस खंड पर माल गाड़ियां पहले से ही चल रही हैं इसलिए रेलपथ की चोरी का प्रश्न ही नहीं उठता। बहरहाल, कभी-कभार रेलपथ-फिटिंगों की चोरी की सूचना अवश्य मिलती रहती है। भारतीय रेलों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए खंड पर शिविर लगाने/रेल पथ पर गश्त लगाने के अलावा बरवानी, तापसी, सोनाधारा और अण्डाल स्टेशनों पर रे. सु. ब. कर्मी तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा, इंजीनियरी कर्मचारी दिन प्रति दिन अनुरक्षण कार्य के लिए खंड में भी कार्य करते हैं जिससे रेलपथ की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

पटौदी रोड में पैदल यात्रियों के लिए उपरि पुल का निर्माण

1687. **श्री रामजी मांझी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली-रिवाड़ी खण्ड पर बड़ी लाइन के प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने के कारण, जिसमें दुर्घटना का जोखिम है, रेलवे स्टेशनों पर लोगों/यात्रियों के सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का समस्या से निपटने के लिए इन रेलवे स्टेशनों पर विशेष रूप से पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर पैदल यात्रियों के लिए उपरि पुल के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर पैदल यात्रियों के लिए ऊपरि पुल के कब तक बनाये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ऊपरी पैदल पुलों सहित स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध से निर्माण कार्यों को उनकी संबंधित प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। बिजवासन स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल का हाल ही में निर्माण किया गया है। दिल्ली और रेवाड़ी के मध्य दूसरी लाइन के आमान परिवर्तन के साथ पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। चूंकि, फिलहाल दूसरी लाइन का आमान परिवर्तन का कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है इसलिए नक्शे में परिवर्तन करने की जांच की जा रही है क्योंकि मीटर लाइन छोर पर प्लेटफार्म की वर्तमान चौड़ाई के कारण ऊपरी पैदल पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता।

(ग) व्यवहारिकता को निर्धारित करने और नक्शे में परिवर्तन करने के पश्चात ही ऊपरी पैदल पुल के निर्माण के लिए समय सीमा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत संयत्र के आस-पास के क्षेत्र का विद्युतीकरण

1688. **श्री रामशकल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में स्थित ऐसे विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जो इस संबंध में सरकार की नीति का अनुपालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) देश में केन्द्र, राज्य व निजी क्षेत्रों में विद्युत संयत्र स्थापित किये जाते हैं। बहरहाल, राज्य में क्षेत्र विशेष का विद्युतीकरण, संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड का उत्तरदायित्व है। पुनःस्थापन तथा पुनर्वास नीति के तहत् विद्युत संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों के विद्युतीकरण की कोई नीति नहीं है, तो भी एनटीपीसी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्वास कॉलानियों में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करता है और उत्तर प्रदेश में अवस्थित सभी एनटीपीसी

परियोजनाएं इसका अनुपालन कर रही हैं। उसी प्रकार टिहरी हाइड्रोडेवलेपमेंट कार्पोरेशन और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन संबंधित परियोजनाओं की लागत पर परियोजना प्रभावित क्षेत्रों का विद्युतीकरण करती है।

राज्य विद्युत बोर्डों का घाटा

1689. श्री अमर राय प्रधान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों को मुख्य हानि बिजली की चोरी तथा विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि के भुगतान न किए जाने के कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके बावजूद विद्युत बोर्ड विद्युत चोरी रोकने तथा अपने उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली करने के बजाय विद्युत की दरें संशोधित करने की योजना बना रहा हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा चूककर्त्ताओं से अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) राज्य विद्युत बोर्डों के कम संयंत्र भार घटक की हानियों के लिए प्रमुख कारण उच्च पारेषण एवं कम बिलिंग वसूली और अव्यावहारिक टैरिफ ढांचा, विद्युत चोरी एवं दुरुपयोग तथा वितरण हानियां शामिल हैं जिससे आपूर्ति लागत एवं वसूली प्रति यूनिट के बीच अंतराल में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) और (घ) दक्षता एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, सब्सिडी की नीतियों को पारदर्शी बनाने, टैरिफ वसूली इत्यदि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग गठित किया गया और इसने कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस अधिनियम द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग बनाने में राज्य सरकार सक्षम है। अभी तक 15 राज्यों ने एसईआरसी के गठन हेतु अधिसूचित कर दिया है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा पहले से ही एसईआरसी के लिए टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। टैरिफ नियत करते समय विनियामक आयोग को उन घटकों पर विचार करने हेतु शासनादेश प्राप्त है जो दक्षता, संसाधनों के मितव्ययी उपयोग तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ अच्छा कार्य निष्पादन किए जाने को प्रोत्साहित करें।

3.3.2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकारा गया था कि प्रबंधन की वास्तविक समस्या और सुधार कार्य की चुनौती वितरण क्षेत्र है और यह संकल्प किया गया था कि:

1. सभी 11 केवी फीडरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा 6 माह के भीतर प्रभावी कर दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी नियत की जाएगी।

2. इस प्रयोजनार्थ एक प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का प्रचालन किया जाएगा।

3. उपरोक्त के आधार पर अगले दो वर्षों में विद्युत की चोरी का पता लगाने और उसका उन्मूलन करने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।

4. दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की पूर्ण मीटरिंग पूरी करने का लक्ष्य बनाया गया था, कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

5. विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की गुणवत्ता में एपीडीपी के जरिए सुधार किया जाएगा।

6. निम्नलिखित में से किसी एक या सभी के माध्यम से 2-3 वर्षों में वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त की जानी है।

   — पूर्ण जिम्मेवारी के साथ लाभ केन्द्रों का सृजन।

   — पंचायतें/स्थानीय निकायों/मतदाताओं/उपभोक्ता संघों को स्थानीय वितरण हस्तांतरित करना, जहां भी आवश्यक हो।

   — वितरण का निजीकरण

   — या अन्य कोई साधन

7. विद्युत क्षेत्र में वितरण क्षेत्र के संबंध में निजी निवेश आमंत्रित करने में राज्यों के प्रयासों, यदि आवश्यक हो, पर जोर प्रदान करने की आवश्यकता है।

8. वितरण में चालू प्रचालन के दो वर्षों में ब्रेक इवन पर पहुंचने की आवश्यकता है और उनके बाद सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त करने की आवश्यकता है।

उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उ.प्र. और राजस्थान राज्यों ने अपने सुधार कानूनों को अधिनियमित कर दिया है और अपने रा. वि. बोर्डों का विकेन्द्रीयकरण कर लिया है दिल्ली और मध्य प्रदेश ने अपने सुधार कानूनों को पारित कर दिया है। उड़ीसा ने वितरण का निजीकरण कर लिया है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली ने वितरण का निजीकरण करने की योजनायें बनाई हैं। उ.प्र. ने कानपुर में वितरण के निजीकरण हेतु बोलियां आमंत्रित कर दी हैं।

गैर-रिहायशी क्षेत्र में खोली गई फुटकर दुकानें

1690. श्री चिंतामन वनगा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैर-रिहायशी के कारण फुटकर दुकानें न खोले जाने पर फुटकर दुकानों के लिए बाजार योजना को परिवर्तित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली तथा महाराष्ट्र में भूमि आबंटित करने वाली एजेंसियों को गैर-रिहायशी से रिहायशी क्षेत्र में स्थान परिवर्तित करने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) खुदरा बिक्री केन्द्रों को व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने के बाद और जब यह पाया जाए कि उनके द्वारा मात्रा-दूरी के मानकों को पूरा कर लिया गया है, विपणन योजना में शामिल किया जाता है। किसी खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना करने के निर्णय के बाद तेल विपणनकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भूमि आदि के प्रापण के लिए कार्रवाई करते है और जहां आवश्यकता हो, सरकारी प्राधिकारियों से खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए प्रक्रियानुसार भूमि का आबंटन करने का अनुराध किया जाता है।

नौसेना मुख्यालय द्वारा एंकर चेन केबल की खरीद

1691. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंट्रोलर ऑफ लॉजिस्टिक्स, नौसेना मुख्यालय खरीद प्रस्ताव के अनुमोदन तथा निधियों की उपलब्धता के बावजूद एंकर चेन केबल की खरीर करने तथा निम्नतम प्रस्ताव को स्वीकार करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह वस्तु बाद में उच्च मूल्य पर खरीदी गई जिससे 70 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ;

(घ) यदि हां, तो क्या मामले की जांच करने तथा जिम्मेदारी तय करने और तदनुसार कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :(क) से (ङ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अपनी वर्ष 2000 की रिपोर्ट संख्या 8 में इंगित किया है कि नौसेना मुख्यालय ने मार्च, 1997 की एक संविदा के तहत फरवरी–मार्च, 1998 में एक विदेशी फर्म से 424818 अमरीकी डालर की लागत से ऐंकर चेन केबलों के 9 सेटों की अधिप्राप्ति की। इस अधिप्राप्ति से 70 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ क्योंकि अप्रैल, 1995 में प्राप्त एक अपेक्षाकृत सस्ते प्रस्ताव का उपयोग नहीं किया गया, हालांकि नौसेना भंडार डिपो द्वारा दिसंबर 1994 में प्रस्तावित आवश्यकता को नौसेना मुख्यालय में संभारिकी नियंत्रक द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया जा चुका था। तथापि उपनियंत्रक संभारिकी सहायता, कोई कारण दर्ज किए बिना समय पर समुचित प्रपत्र में मांग के संबंध में आगे कार्रवाई करने में विफल रहे।

नौसेना मुख्यालय ने सूचित किया है कि संभारिकी शिष्टमंडल वर्ष 1995 के प्रारंभ में खरीद करने के लिए रूस गया था। इस शिष्टमंडल को मैसर्स बाल्टिक से ऐंकर चेन केबलों के तीन सेटों की आपूर्ति का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि यह फर्म वस्तुतः उक्त शिष्टमंडल को स्टॉक से केवल एक सेट देने में समर्थ थी। इस फर्म द्वारा सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् रूस में चल रही अनिश्चित राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण शेष सेटों की सुपुर्दगी को स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया था। अतः उक्त शिष्टमंडल ने 26800 अमरीकी डालर की लागत से सहायक हिस्से–पुर्जों सहित केवल एक सेट की आपूर्ति के लिए संविदा की। मार्च 1996 में इसी फर्म से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसमें प्रति पोत सेट 44800 अमरीकी डालर यूनिट मूल्य उद्धृत किया गया था जिस बहुत अधिक समझा गया था। स्वदेशी स्रोतों से भी ऐंकर चेन केबलों की अधिप्राप्ति की संभावना का पता लगाया गया था। चूंकि स्वदेशी स्रोतों से उक्त मद की अधिप्राप्ति के प्रयासों को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका, अतः एक अन्य विदेशी फर्म से प्राप्त 47202 अमरीकी डालर प्रति सेट की लागत वाले एक प्रस्ताव के आधार पर अधिप्राप्ति की गई।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किए गए लेखापरीक्षा पैरा के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी नोट तैयार कर लिया गया है और इसे प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1986 से पूर्व के पेंशनधारियों को परिवार पेंशन

1692. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या रक्षा मंत्री 10 अगस्त, 2000 का अतारांकित प्रश्न संख्या 2875 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुसेना रिकार्ड कार्यालय के पास 1981 से लम्बित सेनानिवृत्त होने वाले पेंशनरों के आवेदन पत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) डी सी डी ए वायुसेना के पास 1981 से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों के लंबित आवेदनों का वर्ष-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार वायुसेना रिकार्ड कार्यालय (ए. एफ. आर. ओ) रक्षा लेखा पर नियंत्रक वायुसेना, नई दिल्ली के पास 1981 में सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की परिवार पेंशन हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं;

(घ) 01 जनवरी, 1998 से पहले 1981 में सेवानिवृत्त उन पेंशनरों के आवेदनों की संख्या कितनी है जो अभी भी ए.एफ.आर.ओ./डिप्टी सी.डी. ए. (वायुसेना), नई दिल्ली के पास मंजूरी हेतु लंबित पड़े हुए हैं;

(ङ) इतने लमबे समय तक लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं और कब तक इन सभी मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाया जाना है; और

(च) 1981 में सेवानिवृत्त होने वाले वायुसेना कार्मियों से किस प्रकार की शिकायतें/प्रतिवेदन प्राप्त हुए तथा ए.एफ.आर.ओ., नई दिल्ली द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) 1986 से पूर्व की परिवार पेंशन के लिए कोई आवेदन-पत्र वायुसेना अभिलेख कार्यालय/ डी सी डी ए (वायुसेना) के पास लम्बित नहीं है। पात्र पेंशनरों से प्राप्त ऐसे सभी आवेदनों को अब तक निपटाया जा चुका है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (क) से (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषिक्षेत्र को निःशुल्क रियायती विद्युत

1693. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र को निःशुल्क/रियायती विद्युत देने से राज्य विद्युत बोर्डों को भारी घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार अनुमानतः कितना घाटा हुआ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) कृषि क्षेत्र को रियायती/निःशुल्क विद्युत आपूर्ति के कारण 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (एपी) में राज्य-वार निवल सब्सिडी संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

रा. वि. बोर्ड		1997-98 अनन्तिम	1998-99 (आर ई)	1999-2000 (ए पी)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2095	2500	2796
2.	असम	7	11	13
3.	बिहार	450	508	521
4.	दिल्ली (डी वी बी)	एन.ए.	25	27
5.	गुजरात	2457	2950	3466
6.	हरियाणा	893	1090	1288
7.	हिमाचल प्रदेश	1	2	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर	122	119	30
9.	कर्नाटक	1534	1708	2232
10.	केरल	48	56	91
11.	मध्य प्रदेश	2140	2241	2503
12.	महाराष्ट्र	2942	3217	3593
13.	मेघालय	0	0	0
14.	उड़ीसा	44	49	48
15.	पंजाब	1326	0	0
16.	राजस्थान	1177	1447	1453
17.	तमिलनाडु	1504	1741	1982
18.	उत्तर प्रदेश	2000	2164	2204
19.	पं. बंगाल	322	403	453
	कुल	19063	20232	22703

[हिन्दी]

अलीगढ़ तथा लखनऊ रेलवे स्टेशनों पर रख-रखाव सुविधाएं

1694. श्रीमती शीला गौतम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अलीगढ़ तथा लखनऊ (उ. प्र.) रेलवे स्टेशनों पर एयर ब्रेक तथा वातानूकूलित सवारी डिब्बों की रख-रखाव सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। लखनऊ स्टेशन पर एयर ब्रेक तथा वातानुकूलित सवारी डिब्बों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। बहरहाल, ये सुविधाएं अलीगढ़ में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उस स्टेशन में प्राथमिक अनुरक्षण के लिए कोई सवारी डिब्बे अवस्थित नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन का सर्वेक्षण

1695. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.) चेन्नई को कांडला पत्तन पर दस गोदियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गोदी सं. 1 से 5 की शर्तें क्या हैं;

(घ) कितनी गोदियों में ज्यादा मरम्मत कार्य की आवश्यकता है; और

(ङ) कांडला पत्तन पर कितनी गोदियां कार्य कर रही हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। आई आई टी विशेषज्ञों ने पत्तन की विभिन्न संस्थापनाओं का निरीक्षण और सर्वेक्षण किया है।

(ग) प्रारंभिक निरीक्षण और व्यापक सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि बर्थ सं. 1 से 6 के संबंध में 3000 भूस्तंभों में से 1400 भूस्तंभों में मामूली दरारें आ गई हैं और जीरो पैनल के समीप 100 भूस्तंभ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

(घ) छह।

(ङ) आठ।

तकली करघा को प्रयोग में न लाया जाना

1696. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बुनकर संघ ने पुराने तकली करघाओं को प्रयोग में न लाये जाने के लिए सरकार की सहायता मांगी है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में लगभग 11 से 13 मिलियन तकली करघाओं को प्रयोग में न लाये जाने आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार) : (क) से (ग) भारत में वस्त्र कताई क्षेत्र में कुल 57 मिलियन तकुए हैं, जिसमें से 11 से 12 मिलियन तकुए अप्रचलित हैं और उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 1.4.1999 से वस्त्र व पटसन उद्योग के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) पांच वर्षों की एक अवधि के लिए शुरू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि कपास चक्र कताई प्रणाली में प्रौद्योगिकी उन्नयन द्वारा केवल मौजूदा अप्रचलित तकुओं का आधुनिकीकरण करने की ही अनुमति दी जाएगी। पुराने तथा अप्रचलित प्रतिस्थापित तकुओं को, यदि उनका कार्यचालन अर्थक्षम न हो तो उन्हें समान्यतः समाप्त तथा पूर्णतया मरम्मत के अयोग्य बना देना चाहिए।

रेलवे माल डिब्बों से चावल के बैगों का गायब होना

1697. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों के विभिन्न माल घरों से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में माल ढुलाई करते समय रेलवे माल डिब्बों से चावल के काफी बैग गायब हो रहे हैं अथवा चोरी हो रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों से वर्ष-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने लोग सिद्धदोष रहे; और

(घ) इससे वर्ष-वार कितनी हानि हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या, सिद्धदोष पाये गये व्यक्तियों की संख्या और रेलों को हुई संपत्ति की हानि का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	1998	1999	2000
दर्ज किए गए मामलों की सं.	3	1	7
चुनाई गई सम्पत्ति का मूल्य (रुपया)	7800	2800	14600
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	6	8	22
सिद्धदोष पाए गए व्यक्तियों की संख्या	2	4	7

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश की अनुमति

1698. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पन्द्रह परियोजनाओं में 4376 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्यमान क्षमता में और कुल कितनी वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्रियान्वयन के चरण में निजी भागीदारी वाली कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) सरकार ने अब तक पत्तन क्षेत्र में लगभग 4426 करोड़ रु. के निवेश वाली 16 गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इससे कुल क्षमता में लगभग 58.05 मिलियन टन की वृद्धि होने का अनुमान है। ऐसी परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दर्शायी गई है जो कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पत्तन का नाम
1	2	3
1.	कंटेनर टर्मिनल (2 बर्थ)	जवाहर लाल नेहरू (जे.एन.पी.)
2.	तरल कार्गो बर्थ	जे.एन.पी.
3.	पांचवीं तेल जेट्टी	कांडला
4.	तेल जेट्टी और संबंधित सुविधाएं	वाडीनार (कांडला)
5.	तेल जेट्टी	कांडला
6.	कंटेनर टर्मिनल	तूतीकोरिन
7.	तेल जेट्टी	कांडला
8.	तेल जेट्टी	कांडला
9.	बहुउद्देशीय बर्थ 5ए और 6ए	मुरगांव
10.	एस पी आई सी इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन के लिए आबद्ध कोयला बर्थ	तूतीकोरिन
11.	ओसवाल फर्टीलाइजर्स लि. के लिए आबद्ध बर्थ	पारादीप
12.	कंटेनर टर्मिनल का विकास और प्रचालन	कांडला
13.	पीर पाऊ मुम्बई में आबद्ध कोयला और सामान्य कार्गो बर्थ	मुम्बई
14.	चैन्नई में कंटेनर टर्मिनल	चैन्नई
15.	बहुउद्देशीय बर्थ सं. 4ए	हल्दिया
16.	इंदिरा गोदी में सामान्य कार्गो टर्मिनल	मुम्बई

पोत परियोजनाओं का विकास

1699. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चल रही प्रमुख पोत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान पोत परियोजनाओं, विशेषकर महाराष्ट्र की परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों से पोतों के विकास/आधुनिकीकरण/विस्तार/उन्नयन हेतु प्राप्त नए परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) महापत्तनों में चालू परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। 100.00 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की स्थिति जिन पर कड़ी नजर रखी जा रही है, इस प्रकार है :

क्र. सं.	स्कीम	स्वीकृति की तारीख	अनुमानित लागत		पूरा होने की तारीख	
			मूल	संशोधित	मूल	संशोधित
1.	इन्नौर में नए पत्तन का निर्माण	23.4.93	593.90	1058.52	अप्रैल, 98	अप्रैल, 2001
2.	पारादीप में यंत्रीकृत कोयला सुविधा	23.4.93	587.41	831.11	अप्रैल, 98	मार्च, 2001
3.	मुम्बई पत्तन में एम ओ टी बर्थ जे 1, जे 2 एवं जे 3 का आधुनिकीकरण	17.8.97	167.99	215.34	फर., 2003	फर., 2003
4.	नव मंगलूर पत्तन में मंगलूर रिफाइनरी की क्षमता 9 से बढ़ाकर 9 एम टी प्रति वर्ष करने के लिए अतिरिक्त पत्तन सुविधाएं	16.7.99	256.50	—	जन., 2001	—

(ग) वर्ष 2001-02 क दौरान महापत्तनों के लिए 958.18 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें से महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुम्बई और जवाहरलाल नेहरू पत्तनों के लिए क्रमशः 91.21 करोड़ रु. और 81.30 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(घ) पोत परिवहन मंत्रालय महापत्तनों के विकास के लिए जिम्मेदार है और महापत्तनों के विकास के लिए राज्य सरकारों से कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

उड़ीसा में तेल और गैस की खोज

1700. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाने के विचार से जिन-जिन कम्पनियों द्वारा अपने खोज कार्यों को तेज किया गया, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक कितनी राशि निर्धारित की गई, जारी की गई और खर्च की गई; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य से तेल और प्राकृतिक गैस की संभावित मांग कितनी थी और तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) विगत में, राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सीज) अर्थात् आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) ने हाइड्रोकार्बनों की अपनी तलाश में महानदी बेसिन के अंतर्गत तटवर्ती एवं अपतटीय दोनों क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं बेधन कार्य किए थे, परन्तु कोई वाणिज्यिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) इन राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा रकबों में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा किए जाने के बारे में सोचती है। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के प्रथम दौर के अंतर्गत महानदी बेसिन के अपतटीय क्षेत्र में तीन ब्लाक दिए गए हैं और इनके लिए संविदाओं में हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। नई अन्वेषण लाईसेंस के द्वितीय दौर के तहत महानदी बेसिन के अंतर्गत तीन और ब्लाक प्रस्ताव पर हैं जिनमें से दो ब्लाक अपतटीय क्षेत्र में हैं और एक ब्लाक जमीनी क्षेत्र में है। बोली देने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2001 है।

(ग) मांग और उत्पादन के लिए राज्यवार कोई लक्ष्य नियत नहीं किए जाते हैं।

रेलवे को आय

1701. श्री मंजय लाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की समग्र अनुमानित आय में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2000 के बीच 7.42% की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) दिसंबर 1999 (वास्तविक) सें दिसंबर, 2000 (अनुमानित) के अंत तक की आमदनी के ब्यौरे की तुलना और वृद्धि का प्रतिशत निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

	दिसंबर, 2000 (अनुमानित)	दिसंबर, 1999 (वास्तविक)	प्रतिशत वृद्धि
यात्री	7679.82	6997.29	9.75
अन्य कोचिंग	556.30	589.11	-5.57
माल	17242.61	16141.53	6.82
विविध	427.99	391.00	9.46
जोड़	25906.72	24118.93	7.41

[हिन्दी]

महिला न्यायालय

1702. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री 23/11/2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 725 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) तारीख 23 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 725 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों से जानकारी मांगी गई थी। अब तक मात्र पंद्रह उच्च न्यायालयों से जानकारी प्राप्त हुई है और अभी भी छह उच्च न्यायालयों से जानकारी प्राप्त होनी है। महिलाओं के विरुद्ध दांडिक मामलों के निपटान के लिए स्थापित महिला न्यायालयों की संख्या और पन्द्रह उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अंतर्गत उनमें लंबित मामलों के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) आश्वासन को पूरा करने के लिए अपेक्षित जानकारी भेजे जाने हेतु उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से स्मरण पत्र भेजे जा रहे हैं। जब भी जानकारी प्राप्त होती हैं, आश्वासन पूरा हो जाएगा और जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्रम सं.	उच्च न्यायालय का नाम	महिलाओं के विरुद्ध दांडिक मामलों के निपटान के लिए महिला न्यायालयों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
1.	बम्बई	शून्य	–
2.	कलकत्ता	शून्य	–
3.	दिल्ली	चार	2852
4.	गुवाहाटी	शून्य	–
5.	गुजरात	शून्य	–
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	–
7.	कर्नाटक	एक	3021
8.	केरल	शून्य	–
9.	मध्य प्रदेश	शून्य	–
10.	मद्रास	शून्य	–
11.	उड़ीसा	शून्य	–
12.	पंजाब और हरियाणा	शून्य	–
13.	सिक्किम	शून्य	–
14.	छत्तीसगढ़	शून्य	–
15.	उत्तरांचल	शून्य	–

दाहोद रेलवे स्टेशन पर पैदल यात्रियों के लिए उपरिपुल का निर्माण

1703. श्री बाबू भाई के. कटारा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाहोद रेलवे स्टेशन पर स्टेशन के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों को जोड़ने के लिए पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए उपरिपुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्टेशन पर इस उपरिपुल के निर्माण के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सदाशयी यात्रियों के उपयोग के लिए दाहोद में सभी प्लेटफार्मों को जोड़ते हुए एक ऊपरी पैदल पुल पहले ही उपलब्ध है और यात्री यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सुधार और पुनर्गठन कार्य

1704. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि जैसे बहुउद्देशीय अभिकरणों से राज्य विद्युत बोर्डों को प्राप्त विभिन्न पैकेजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण के संबंध में इन राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य निष्पादन में तब से सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) निम्नलिखित राज्यों को विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए हैं :

राज्य का नाम	उस बहुपक्षीय एजेंसी का नाम जिसने ऋण स्वीकृत किए हैं	अनुमोदित ऋण की राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
उड़ीसा	विश्व बैंक	350
उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	150
आन्ध्र प्रदेश	विश्व बैंक	210
हरियाणा	विश्व बैंक	60
राजस्थान	विश्व बैंक	150
गुजरात	एडीबी	450

(ख) से (घ) केवल उड़ीसा ने ही अपने उत्पादन एवं वितरण का निजीकरण किया है। उत्पादन कम्पनी यथा उड़ीसा विद्युत उत्पादन निगम ने पीएलएफ के रूप में कार्य निष्पादन का बेहतर स्तर दर्शाया है। निजी वितरण कम्पनियों ने राजस्व की बिलिंग और एकत्रण में प्रत्यक्ष सुधार दर्शाया है और यह पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी कर रहा है। अन्य राज्यों में सुधार इस समय अभी अपने आरंभिक अवस्था में है। कुछ ठोस परिणाम सामने आने में अभी कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे।

सर्कुलर रेल

1705. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में यातायात की भीड़ की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से सर्कुलर रेल की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) लखनऊ क्षेत्र में सर्कुलर रेलवे के लिए मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) सरकार ने 2000-2001 में उत्तर/पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले लखनऊ क्षेत्र के आस पास सुर्कलर रेलवे के विद्युतीकरण की स्वीकृति दे दी है।

करों का भुगतान न करने के कारण विमानपत्तन प्राधिकरण की सम्पत्ति की कुर्की

1706. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड ने भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सभी अचल सम्पत्तियों की 'कुर्की' कर ली है;

(ख) यदि हां, तो निपटान के लिए लम्बित बकायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समय पर संपत्ति कर का भुगतान किए जाने के लिए स्मरण न दिलाए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण तथा छावनी बोर्ड के मध्य हुए बार-बार पत्राचार तथा बैठकों के बावजूद 1.4.1995 से 31.3.2000 की समयावधि के लिए देय करों की 6,63,61,340/- रुपये की बकाया धनराशि लौटाने में असफल रहा है। उनके द्वारा आंशिक भुगतान राशि जमा किए जाने पर अब कुर्की संबंधी कार्रवाई रोक ली गई है।

[हिन्दी]

मुगलसराय-जाफराबाद रेल मार्ग का विद्युतीकरण

1707. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकार ने वाराणसी के बरास्ते मुगलसराय-जाफराबाद रेल मार्ग के विद्युतीकरण किए जाने को मंजूरी दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को लागू करने के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या उक्त मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य आरंभ हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हासिल हुई है;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) इस विद्युतीकरण के कार्य को कब तक आरम्भ और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक कुल आवंटित राशि 0.25 करोड़ रुपये है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) प्रक्रियात्मक स्वीकृति के अध्यधीन परियोजना अनुमोदित की गयी थी। योजना आयोग से अभी तक स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

विदेशी सहयोग से हल्के लड़ाकू विमान का विनिर्माण

1708. श्री के. येरननायडू :
श्री ताराचंद भगोरा :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री रामचंद्र पासवान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में पहली बार विनिर्मित हल्के लड़ाकू विमाना ने परीक्षण उड़ान भरी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) इस हल्के लड़ाकू विमान के विनिर्माण में कितने प्रतिशत देशी और विदेशी कलपुर्जों का प्रयोग किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ विकासशील देशों के सहयोग से हल्के लड़ाकू विमानों का विनिर्माण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और अगले वित्तीय वर्ष में कितने विमानों का विनिर्माण करने का विचार है;

(च) क्या कुछ देशों ने इस विमानों की खरीद के लिए भारत सरकार को आदेश दे दिए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) प्रथम हल्का युद्धक वायुयान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक टी डी-1 ने 04 जनवरी, 2001 को बेंगलूर से अपनी पहली उड़ान भरी। इसकी उड़ान-अवधि 18 मिनट थी तथा इसने परीक्षण संबंधी सभी मानदंड पूरे किए। इसके साथ-ही हल्का युद्धक वायुयान कार्यक्रम उड़ान परीक्षण चरण में पहुंच गया है। अब तक, 4 उड़ानें सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं।

(ग) टी डी-1 हल्के युद्धक वायुयान में स्वदेशी हिस्से-पुर्जे लगभग 70 प्रतिशत हैं तथा वायुयान के उत्पादन के दौरान इनके और अधिक बढ़ जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) सरकार मित्र देशों के साथ हल्के युद्धक वायुयान के सह-उत्पादन की संभावनाओं का पता लगा रही है। फिलहाल, इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में उड़ान परीक्षण के लिए आदिरूपों का केवल सीमित संख्या में उत्पादन किए जाने का विचार है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

तीव्र गति वाली नौकाओं का पकड़ा जाना

1709. श्री राम मोहन नाइडू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, म्यांमार और श्रीलंका के उग्रवादी समूहों द्वारा आपसी मेल-जोल से बंगाल की खाड़ी में समुद्री मार्ग द्वारा हथियारों और स्वापक औषधियों की तस्करी के लिए प्रयोग की जा रही किसी तीव्र गति वाली नौकाओं को हाल ही में पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये समूह आन्ध्र प्रदेश में विद्रोहियों की सहायता कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) तटरक्षक/नौसेना के पास उग्रवादी समूहों द्वारा इस्तेमाल की जा रही तीव्रगामी नौकाओं के पकड़े जाने और आन्ध्र प्रदेश में उग्रवादियों के साथ उनकी सांठ-गांठ होने के बारे में कोई सूचना नहीं है। हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी भी जलयान/नौका की तटरक्षक/नौसेना द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है और समुचित कार्रवाई की जाती है। अनधिकृत रूप से मछली मारने और तस्करीरोधी कार्रवाइयां करने के अतिरिक्त समुद्री-मार्ग से शस्त्रों/गोलाबारूद, अवैध अप्रवासियों और सीमा-पार अपराधों की गतिविधियों को रोकने के लिए तटरक्षक और भारतीय नौसेना दोनों ही भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नियमित निगरानी करते हैं।

[हिन्दी]

रेल कारखानों का कम्प्यूटरीकरण

1710. प्रो. रासासिंह रावत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कारखाने किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और उनकी क्षमता तथा उनमें कार्यरत कामगारों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन कारखानों के अधिकारियों से उनके विस्तार, आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के संबंध के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस समय रेल मंत्रालय के अधीन छह उत्पादन इकाइयां हैं। उनकी प्रति वर्ष क्षमता और कर्मचारी संख्या निम्नानुसार है:

नाम और स्थल	प्रति वर्ष क्षमता	कर्मचारी संख्या
(i) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका), चित्तरंजन	बिजली इंजन 150	16506
(ii) डीजल रेल इंजन कारखाना (डीरेका), वाराणसी	डीजल इंजन 150	7044
(iii) सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका), चैन्नै	सवारी डिब्बे 1000	14215
(iv) रेल डिब्बा कारखाना (रेडिका), कपूरथला	सवारी डिब्बे 1000	6917
(v) पहिया एवं धुरा संयंत्र (पधुका), बेंगलूरु	पहिए 95000 धुरे 50000	2125
(vi) डीजल कलपुर्जा कारखाना (डीपुका), पटियाला	डीजल-बिजली 84 इंजन पुनर्निर्माण	3863

(ख) से (घ) जी हां, 2001-02 के बजट में शामिल किए जाने के लिए उत्पादन इकाइयों से विस्तार, आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई प्रत्येक के अंतर्गत निम्नानुसार दर्शाई गई हैं :

इकाई	प्रस्ताव का नाम	लागत (करोड़ रुपए)	टिप्पणी/की गई कार्रवाई
सडिका	सडिका में स्टेनलैस स्टील शैलों के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं	43.35	जांच की गई थी और धन की अत्यधिक तंगी के कारण 2001-02 के बजट में शामिल करने के लिए सहमति प्रदान नहीं की गई।
सडिका	उपयुक्त रंगाई सुविधाओं का सृजन	26.55	अनुमोदित और 2001-02 के रेल बजट में शामिल है।
सडिका	सडिका में ऑन-लाइन कंप्यूटरीकरण प्रणाली	2.00	धन की तंगी के कारण 2001-02 के बजट में शामिल किए जाने के लिए सहमति नहीं दी गई।
सडिका	अभिकल्प कार्यालय के लिए कैड/सीएई सुविधाओं की स्थापना	2.50	धन की तंगी के कारण 2001-02 के बजट में शामिल नहीं किया गया।
रेडिका	रेडिका में ऑन-लाइन नाकार कंप्यूटर प्रणाली का बदलाव	3.02	रेडिका की स्थापना के मूल कार्य के लिए वस्तुपरक आशोधन के रूप में अनुमोदित।
पधुका	पधुका में प्रबंधन सूचना प्रणाली का ग्रेडोन्नयन	0.70	अनुमोदित और 2001-02 के रेज बजट में शामिल है।
पधुका	बैलसिंग सुविधाओं सहित एक्सेल फॉर्ज शांच का विस्तार	11.41	स्वीकृत।
पधुका	प्रबंधन सूचना प्रणाली चरण-II का कंप्यूटरीकरण	2.56	जांच की गई थी और धन की अत्यधिक तंगी के कारण 2001-02 के बजट में शामिल करने के लिए सहमति प्रदान नहीं की गई।

[अनुवाद]

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

1711. श्री एन. जर्नादन रेड्डी:
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल ने जब से अपने मुख्य मार्गों का विद्युतीकरण किया तब से इन विद्युतीकृत मार्गों के कार्यनिष्पादन की कोई स्वतन्त्र समीक्षा नहीं करवाई गई है;

(ख) यदि हां, तो विद्युतीकरण किए गए और अभी तक विद्युतीकृत नहीं किए गए रेलमार्गों पर किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युतीकृत रेल मार्गों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में पूर्ण समीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) रेल पथों का विद्युतीकरण आवश्यकता पर आधारित कार्य है, जिसकी समीक्षा सतत रूप से की जाती है।। रेल विद्युतीकरण पर निवेश, प्रणाली की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है और विद्युतीकरण के लिए उन्हीं खण्डों को लिया जाता है जो आवश्यक समझे जाते हैं।

प्रारंभ से 31.3.2000 तक 4260 करोड़ रुपए के निवेश से 14984 (25.23%) मार्ग किमी. का विद्युतीकरण किया गया है। इस प्रकार अभी तक 44409 मार्ग किमी. का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

पालनपुर-सैमखियाली रेल लाइन का आमान परिवर्तन

1712. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से पालनपुर–सैमखियाली रेल लाइन को कान्दला पत्तन न्यास और "राइटस" की संयुक्त सहायता से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त रेल लाइन के परिवर्तन का कार्य कब तक आरम्भ किए जाने और पूरा किए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने रेल मंत्रालय और अन्य वित्तीय संस्थानों के सहयोग से सामखयाली-पालनपुर आमान परिवर्तन परियोजना का कार्यान्वयन शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) पालनपुर-सामखयाली खंड गांधीधाम–पालनपुर आमान परिवर्तन परियोजना का एक भाग है और इसे आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है। कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं। अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है और उसे आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

राज्य सरकार और लाभभोगी उद्योग की भागीदारी से संबंधित तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

अपतटीय और तटीय ब्लाकों की खोज

1713. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री कुमुदिनी पटनायक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2001 तक अपतटीय खुदाई और तटीय खुदाई के लिए कितने ब्लाकों की खोज हेतु पहचान कर ली गई है;

(ख) इनमें से कितने ब्लाकों को निजी कमपनियों या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दिया गया है और उसके लिए किन नियम और शर्तों पर सहमति हुई है; और

(ग) तेल की खोज में इच्छुक कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के तहत द्वितीय दौर के प्रस्ताव के अंतर्गत देश में स्थित जमीनी, उथले जल अपतट तथा गहन जल अपतट क्षेत्र वाले 25 ब्लाक बोली के लिए 18 दिसम्बर, 2000 को प्रस्तावित किए गए हैं, जिनके लिए बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2001 है। इन ब्लाकों से संबंधित प्रस्ताव की व्यापक शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

चूंकि ये ब्लाक अन्वेषण हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन भंडार आधार के विषय में जानकारी केवल अन्वेषण के पश्चात ही हो सकती है और इसलिए इस बारे में कोई लक्ष्य नियत नहीं किया जा सकता है।

विवरण

नई अन्वेषण लाइसेंस नीति की व्यापक शर्तें निम्नवत् हैं:

- कोई हस्ताक्षर, खोज अथवा उत्पादन बोनस नहीं।
- कोई अनिवार्य राज्य प्रतिभागिता नहीं।
- राष्ट्रीय तेल कंपनियों के द्वारा कोई धारित हित नहीं।
- वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने से सात वर्षों के लिए आयकर में छूट।
- पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए अपेक्षित आयातों पर कोई सीमा शुल्क नहीं।
- 100 प्रतिशत तक बोली योग्य लागत वसूली सीमा।
- प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने से 10 वर्ष की अवधि में अन्वेषण एवं वेधन व्ययों को चुकाने के लिए विकल्प।
- संविदाकार के द्वारा प्राप्त किए गए कर-पूर्व निवेश अपवर्त्य पर आधारित लाभ पेट्रोलियक की बोली योग्य हिस्सेदारी।
- जमीनी क्षेत्रों के लिए रायल्टी कच्चा तेल के लिए 12.5 प्रतिशत तथा प्राकृतिक गैस के लिए 10 प्रति की दर से देय है। अपतटीय क्षेत्र के लिए यह तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए 10 प्रति की दर से देय है। 400 मीटर समुद्री गहराई से अधिक गहन जल क्षेत्रों में खोजों के लिए रायल्टी वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम सात वर्षों के लिए अपतटीय क्षेत्रों के लिए लागू दर के आधे पर प्रभार्य होगी।
- संविदा के अंतर्गत राजकोषीय स्थिरता का प्रावधान।
- संविदाकार को घरेलू बाजार में तेल एवं गैस के विपणन की स्वतंत्रता।
- समनुदेशन का प्रावधान।
- सुलह एवं माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 लागू होगा।

पुरातात्विक टीलों/खुदाई किए गए स्थलों का संरक्षण

1714. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ऐतिहासिक महत्व के पुरातात्विक टीलों और महत्वपूर्ण खुदाई किए गए स्थलों को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा आज की तिथि तक आवंटित और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित पुरातात्विक टीलों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सूचित करके अथवा उसे बगैर सूचित किए अवैध रूप से निपटा दिया गया या बेच दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(च) क्या सरकार का विचार खुदाई से प्राप्त अवशेषों को मौसम तथा विघटन से बचाने के लिए किसी नवीनतम तकनीकी विकासों का प्रयोग आरंभ करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में सर्किल-वार कितना कार्य किया गया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में निधियों का नियतन तथा व्यय निम्न प्रकार है:

वर्ष	नियतन (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)
1997-98	7985.00	7985.42
1998-99	9007.00	8963.33
1999-00	10507.00	10321.77

वर्ष 2000-2001 के लिए 11738.00 लाख रुपए का नियतन है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खनित अवशेषों के परिरक्षण के लिए समय की कसौटी पर उतरी पद्धतियों पर भरोसा करता है जो स्थितियों/विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार संशोधित होती हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल मार्ग द्वारा हवाई अड्डों को जोड़ना

1715. श्री के.पी. सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हवाई अड्डों को रेल मार्ग द्वारा जोड़ने की सम्भावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित अभिकरणों/विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इन प्रस्तावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई या जानी प्रस्तावित है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) शहरों में स्थित अधिकतर सभी मुख्य हवाई अड्डे रेल सेवाओं से भली-भांति जुड़े हैं।

(ख) इस संबंध में रेलवे को कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्देशीय जलमार्ग

1716. **श्री के. बलराम कृष्णमूर्ति : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कितने अन्तर्देशीय जलमार्ग कार्यरत हैं; और

(ख) इन जलमार्गों में से प्रत्येक की लम्बाई कितनी है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) इस समय तीन राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, नामत :

(1) इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली (1620 कि.मी.)

(2) धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी (891 कि.मी.)

(3) चम्पाकारा नहर और उद्योगमंडल नहर सहित कोल्लम से कोट्टापुरम तक पश्चिम तटीय नहर (205 कि.मी.)

इसके अतिरिक्त केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तटीय राज्यों में निम्नलिखित जलमार्गों में भी प्रचालन किया जा रहा है:

(1) केरल में पश्चिम तटीय नहर (अघोषित भाग) (291 कि.मी)

(2) आंध्र प्रदेश में काकीनाडा और ऐलुरू नहरें (189 कि.मी)

(3) गोवा में मंडोवी, जुआरी नदिया और कम्बरजुआ नहर (93 कि.मी)

(4) मुम्बई जलमार्ग (151 कि.मी.)

(5) पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन जलमार्ग (191 कि.मी.)

[हिन्दी]

नवसृजित जोनों का कार्यकरण

1717. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने नये जोनों की उपयोगिता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) प्रत्येक नये रेलवे जोन पर कितना धन खर्च किया गया है और अब तक विशेष कार्यअधिकारी के रूप में कितने अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और उन्हें जिम्मेदारियों सौंपी गयी हैं;

(घ) क्या जयपुर में नये उत्तर-पश्चिम जोन के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसकी भूमि पर कितनी लागत आई है;

(च) क्या यह चयनित भूमि मुख्यालय और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए रेलवे को प्रदान कर दी गयी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2000-01 के अंत तक प्रत्याशित परिव्यय इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

नए रेलवे जोन	2000-01 के अंत में प्रत्याशित परिव्यय (अनुमानित)
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	601.04
पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर	1026.23
दक्षिण-पश्चिम रेलवे, बेंगलूरु,	1230.46
बिलासपुर जोन, बिलासपुर	158.66
पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर	733.52
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर	581.48
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद	681.33

7 नए जोनों पर विशेष कार्यअधिकारी नियुक्त किये गये हैं। उन्हें नए जोनों के सुचारू रूप से गठन का दायित्व सौपा गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) गंटोरजगतपुरा स्टेशन के समीप लगभग 6.96 करोड़ रुपए की लागत की 69 बीघा जमीन और जवाहर सर्कल पर लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत की 42 बीघा जमीन की पहचान की गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल चयन बोर्डों के विरुद्ध शिकायतें

1718. श्री जसवंत सिंह बिशनोई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल चयन बोर्डों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) डीलरों/वितरकों के चयन से संबंधित शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती हैं तथा जांच पड़ताल के पश्चात उन पर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

पश्चिमी घाट और पश्चप्रदेश के बीच रेल सम्पर्क

1719. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी घाट और पश्चप्रदेश के बीच जिन रेल सम्पर्कों की कमी है उनकी पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोंकण रेलवे संरेखरण और पश्चप्रदेश के बीच सम्पर्क उपलब्ध कराने हेतु कोल्हापुर से तलवाडे होकर रत्नागिरी तक एक नई बड़ी लाइन के लिए 1998 के दौरान कोई सर्वेक्षण कराया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का क्या परिणाम रहा; और

(ङ) उक्त लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां। दहानुरोड से नासिक रोड तथा चिंचवाड़ से रोहा तक नई लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही इन परियोजनाओं पर विचार करना संभव होगा। अरसीकेरे-हसन-मंगलोर परियोजना के भाग के रूप मं सकलेशपुर-हसन का आमान परिवर्तन का कार्य भी चल रहा है।

(ग) से (ङ) कोल्हापुर और रत्नागिरी के बीच नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य को हाल ही में पूरा किया गया है। सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि 211.45 कि.मी. लम्बी इस लाइन की लागत 1275.82 करोड़ रु. आएगी और प्रतिफल की दर ऋणात्मक अर्थात (–) 7.92% होगी। इस लाइन की पूरी तरह अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की भारी तंगी को देखते हुए इस परियोजना को फिलहाल शुरू करना संभव नहीं पाया गया है।

यात्री और मालभाड़ा यातायात से आय

1720. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को न केवल मालभाड़ा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई बल्कि सवारी डिब्बों से होने वाली आय भी लक्ष्य से कम रही;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान रेलवे को मालभाड़ा संचलन और यात्री यातायात से पृथकतः कितनी आय होने का अनुमान है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान मालभाड़ा और सवारी डिब्बों से आय का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसे अब तक किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका है;

(घ) यात्री और मालभाड़ा यातायात के बीच प्रणाली की भार वहन प्रतिशतता क्या है;

(ङ) वर्ष 1970-80, 1980-1990 और 1990-2000 के दौरान भारवहन प्रतिशतता क्या थी; और

(च) रेलवे की आय में सुधार हेतु इसके कार्यकरण को बेहतर बनाने और यात्रियों को अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) यद्यपि जनवरी 2001 के अंत तक रेलवे का माल लदान 1999-2000 की तदनुरूपी अवधि से 1848 मिलियन टन अधिक है तथापि यह जनवरी 2001 तक के आनुपातिक लक्ष्य से मामूली सा कम है। यह आशा की जाती है कि रेलें चालू वित्त वर्ष के लिए माल लदान के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। कोचिंग से आमदनी लक्ष्य से अधिक है।

(ख) 2000-01 में माल संचलन और यात्री यातायात से रेलों की अनुमानित आमदनी इस प्रकार है:

	संशोधित अनुमान (रुपए में)
यात्री	10450.00
माल	23486.00

(ग) 2000-01 के लिए माल और कोचिंग आमदनी के लिए संशोधित निर्धारित लक्ष्य प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिए गए हैं। जनवरी, 2001 के अंत तक यात्री और माल दोनों के लिए आमदनी (अनुमानित) तथा अनुपातिक लक्ष्य इस प्रकार है:

जनवरी, 2001 के अंत में (करोड़ रुपए में)

	बजट अनुपात	अनुमानित	कमीवेशी
यात्री	8,318.55	8,552.17	233.62
माल	19,415.37	19,267.08	-148.29

(घ) और (ङ) भारतीय रेल सांख्यिकी में "लोड कैरियर" नामक कोई टर्म नहीं है। इस उद्देश्य के लिए तद्नुरूपी टर्म सकल टन कि.मी. (जी टे के एम) है। 1999-2000 और पिछले 3 दशकों के लिए सकल टन कि.मी. (मोटिव यूनिट के भार सहित लेकिन विभागीय को छोड़कर) के हिसाब से यात्री और माल यातायात का प्रतिशत इस प्रकार है:

वर्ष	यात्री (मिश्रित अनुपात सहित)	माल (मिश्रित अनुपात सहित)	जोड़
*1999-00	34.10%	65.9%	100%
1970-71 से 1979-80	31.2%	68.8%	100%
1980-81 से 1989-90 तक	31.5%	68.5%	100%
1990-91 से 1999-2000 तक	31.9%	68.1%	100%

*1999-2000 के आकड़े अनंतिम हैं।

(च) रेलों ने अपनी आमदनी में वृद्धि करने के लिए बहुमुखीय माल नीति शुरू की है और यात्रियों को वांछित सेवा भी मुहैया कराती है। माल यातायात से आमदनी को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कुछ कदम हैं—क्षेत्रीय रेलों को सड़क से रेलों की ओर यातायात आकर्षित करने के लिए स्टेशन से स्टेशन तक दरें निर्धारित करने मेरी-गो-राउन्ड (एम जी आर) प्रणाली पर संचलन के लिए विशेष एक मुश्त दरें निर्धारित करने, गैर-परम्परागत स्रोतों यथा भूमि और आकाशीय स्थान का उपयोग करके, ऑप्टिक फाइबर केबल के लिए मार्गाधिकार देकर वाणिज्यिक विज्ञापनों आदि में आमदनी प्राप्त करने के लिए कारक अधिकार देना। यात्रियों को वांछित सेवाएं मुहैया कराने के लिए उठाए गए कदमों में राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली शुरू करके, टिकटों की बिक्री के लिए स्वतः मुद्रण मशीनों की व्यवस्था, नामित गाड़ियों के लिए आन बोर्ड सेवाओं के सुधार, कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली का विस्तार, स्टेशनों की सफाई में सुधार करके और ग्राहक संबंधों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर मॉडल स्टेशनों का विकास करना शामिल है।

[हिन्दी]

जुबली पेट्रोल पम्प योजना को समाप्त किया जाना

1721. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जुबली पेट्रोल पम्प योजना को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना समाप्त करने से सरकार को कुल कितना घाटा हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने और अधिक जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र (जे आर ओज) स्थापित करने की योजना निम्न कारणों से बन्द कर दी है:

(1) यह महसूस किया गया कि अनेक सुविधाओं, जो मूल रूप से उनमें प्रदान की जानी थीं, वाले जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र, बहुत अधिक व्यवहार्य नहीं होंगे।

(2) मालिकाना आधार पर या दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर राजमार्गों के आस पास भूमि के बड़े प्लाट लेना कठिन लगा।

(3) यह परियोजना बहुत अधिक पूंजी केन्द्रित पाई गई और यह महसूस किया गया कि कुछ जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों में निवेश के स्थान पर खुदरा बिक्री केन्द्रों के संख्या में वृद्धि करना विवेकपूर्ण होगा।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तेल की खोज हेतु वेनेजुएला के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना

1722. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने तेल की खोज और उत्पादन हेतु वेनेजुएला के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) भारत को इस समझौते से क्या लाभ होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

1723. श्री ए. के. एस. विजयन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों के मुख्य कार्यकारी, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक अध्यक्ष और प्रबंध मण्डल के सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों जैसे पदों पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न सरकारी उपक्रमों में उक्त पदों पर कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती की गई; और

(घ) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और ऊपर उल्लिखित कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 91

(घ) 07 (लगभग 6.3 प्रतिशत)।

[हिन्दी]

विद्युत सुधार

1724. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के लिए विद्युत सुधार अनिवार्य बनाने हेतु ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 तैयार करने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को अधिकांश राज्य सरकारों ने अस्वीकार कर दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में नए विद्युत सुधार लागू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित नए उपायों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 को संसद में दिनांक 24.2.2000 को प्रस्तुत किया गया था। इनमें ऊर्जा के दक्ष प्रयोग तथा उसके संरक्षण हेतु प्रावधान है।

विद्युत मंत्रालय एक नये कानून को लाने पर विचार कर रहा है ताकि प्रत्येक राज्य द्वारा अपने स्वयं के कानून को बनाए रखने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके तथा विद्युत क्षेत्र के सुधारों को तीव्र किया जा सके। प्रारूप विधेक के सिद्धांतों पर सभी स्टेक होल्डरों द्वारा विचार-विमर्श किया गया है जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं तथा विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले अपने विचारों को ध्यान में रखा गया है।

[अनुवाद]

नौसेना बेड़े का आधुनिकीकरण

1725. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में भारतीय नौसेना में कितने युद्धपोतों की कमी है;

(ख) भारतीय नौसेना में कुल कितने युद्धपोत हैं और इनमें से कितने चालू हालत में हैं;

(ग) क्या कुछ युद्धपोतों को तत्काल आधुनिकी युद्धपोतों से बदले जाने आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या नौसेना में इस समय नई प्रौद्योगिकी की कमी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित बल स्तर बनाए रखती है।

नौसेना अपने उलब्ध बलों की संख्या और चालू प्रौद्योगिकी दोनों की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करती है। बेड़े के आधुनिकीकरण के वास्ते मौजूदा युद्धपोतों को बदलने एवं नई प्रौद्योगिकी शामिल करने के लिए सरकार द्वारा कई नई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इस संबंध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

(i) मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में तीन फ्रिगेटों के निर्माण के लिए अनुमोदन

(ii) विदेश से तीन फ्रिगेटों के आयात के लिए अनुमोदन

(iii) दो पनडुब्बियों का विदेश से आयात किया गया है और उन्हें नौसेना में शामिल कर लिया गया है

(iv) एक वायुरक्षा युद्धपोत के स्वदेशी निर्माण हेतु अनुमोदन

(v) नौसेना मानवरहित वायुयानों और बारक नामक प्रक्षेपास्त्र-रोधी रक्षा प्रणालियों जैसे बल संवर्द्धक प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

बेड़े की प्रौद्योगिकी को पुरानी पड़ने से बचाने और उसकी संख्या में कमी को रोकने के लिए तथा उसे उन्नत देशों के समसामयिक बेड़ों के समकक्ष बनाने हेतु बेड़े का आधुनिकीकरण एवं उसमें समुचित परिवर्धन किए जाने का कार्य लगातार किया जाता है। इस संबंध में और अधिक सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत की तुलना में आयात की लागत

1726. श्री सईदुज्जमा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विनिर्मित पेट्रोलियम उत्पादों की लागत की तुलना में इन उत्पादों के आयात की लागत (प्रत्येक मद के संबंध में उतरने के समय के मूल्य के अनुसार) क्या है;

(ख) देश में इन उत्पादों का सभी कर सहित बिक्री मूल्य क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ और घाटे को दर्शाते हुए उक्त आयातित और घरेलू उत्पादों के संबंध में उपरिव्यय कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु रसोई गैस के आयात संबंधी नीतियों की समीक्षा करने और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग के बढ़ावा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले तीन वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की लागत संलग्न विवरण-I में दी गई है।

अलग अलग पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत अलग से निर्धारित नहीं की जाती क्योंकि सभी उत्पादों का उत्पादन एक साथ होता हैं। किसी तेल कम्पनी के लिए उत्पादन की लागत में कच्चे तेल की लागत, संसाधन प्रभाव, विपणन लागत, भराई प्रभार, भाड़ा, पुनर्विक्रेता का कमीशन आदि सम्मिलित होते हैं।

(ख) देश में उत्पादों का बिक्री मूल्य सभी कर मिलाकर प्रत्येक राज्य में अलग होता है। दिल्ली में 1998-99, 1999-2000, 2000-01 में मुख्य नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों का खुदरा बिक्री मूल्य संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) एल पी जी सहित पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध डब्ल्यू टी ओ करार के अनुसार 1.4.2001 से हटा लिए जाएंगे। सरकार ने कोल बेड मिथेन, गैस हाइड्रेड जैसे ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों और पवन शक्ति, लघु हाइड्रो परियोजनाओं, बायो-मास, सौर ऊर्जा और शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट जैसे नवीकरणयोग्य ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए कार्रवाई आरम्भ करते हुए वैकल्पिक स्वदेशी स्रोतों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। बायो-डीजल, डाई-मिथाइल ईथर और फ्यूल सैल्स सम्भाव्य वैकल्पिक ईंधन माने गए हैं।

विवरण-I

पेट्रोलियम उत्पादों की प्रति एम टी उतराई लागत

आयात उत्पाद	1998-99 दर/रुपए प्रति एम टी	1999-2000 दर/रुपए प्रति एम टी	2000-01 (अप्रैल-दिसम्बर, 2000) दर/रुपए प्रति एम टी
एम एस	12807.62	0.00	0.00
एविएशन गैस	23706.16	36691.76	61882.72
एस के ओ	6145.49	9514.05	13869.95
एच एस डी	7385.91	12582.51	0.00
एल पी जी	8251.88	12359.77	17616.51
एफ ओ	5368.86	9725.82	11523.83
एल ए एन	8583.52	12481.75	16301.30

विवरण-II

दिल्ली में आर एस पीज दर्शाने वाला विवरण

(रुपए प्रति लीटर)

	एसएसडी	एमएस-87 एमएस-एकेआई-84	एसकेओ (मा.वि.प्र)*	घरेलू एलपीजी	प्रति सिलेन्डर एटीएफ (घरेलू)
1998-99					
1.4.98	10.25	22.84	2.65	136.00	13.08
4.4.98	10.01				
20.05.98	9.87				
3.6.98		23.94			
9.1.99	8.89				
1.2.99				152.00	
28.2.99	9.94	23.80		146.00	15.32
1999-2000					
20.4.99	10.37				
6.10.99	13.91				
23.3.2000			5.55	196.55	17.21
2000-01					
3.4.2000		26.07			
3.9.2000	16.55	28.44	8.35	232.25	20.78
22.11.2000			7.35	222.25	
3.11.2000		28.75			
3.3.2000	17.06				

उत्पाद किए गए और एल पीज उन तारीखों के लिए हैं जब कि भण्डार बिन्दुगत मूल्य में संशोधन है।

3 अप्रैल, 2000, 3 नवम्बर, 2000 तथा 3 मार्च, 2001 से प्रभावी आर एस पी क्रमशः अधिकतम 0.05 प्रतिशत गंधक अंश वाले एम एस, अधिकतम 0.05 प्रतिशत गंधक एवं प्रतिशत बेन्जीन अंश वाले एम एस तथा 0.05 प्रतिशत गंधक वाले एच एस डी के संबंध में हैं।

* एस के ओ (सा. वि. प्र.) के अंतिम आर एस पी राज्य सरकारों के द्वारा नियत किए जाते हैं।

केन्दीय आयुध भण्डारों से अतिरिक्त पुर्जों की चोरी

1727. **डॉ. रमेश चंद तोमर :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय आयुध भण्डारों से कीमती अतिरिक्त पुर्जों की चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों को दौरान दर्ज ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय आयुध भण्डारों में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे अपराध हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय आयुध भण्डारों से ऐसी चोरी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) केंद्रीय आयुध डिपो में पिछले तीन वर्षों में सिवाय एक चोरी की कीमती रक्षा सामान की अन्य कोई बड़ी चोरियाँ नहीं हुई हैं। केंद्रीय आयुध डिपो, जबलपुर में 28 दिसंबर, 2000 को एक चोरी हुई थी। केंद्रीय आयुध डिपो जबलपुर द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच से लगभग 17.40 लाख रुपये मूल्य के अनुमानतः 989 किलोग्राम वजन के पीतल से बने आयुध सामानों के नुकसान का पता चला है। जांच अदालत बिठाने का आदेश दे दिया गया है। थल सेना आयुध कोर सेना के लिए सामान का सबसे बड़ा धारक है। छोटी-मोटी किस्म की मदों वाले सामान से सम्बद्ध छोटा-मोटा नुकसान कोई असामान्य घटना नहीं है। सभी बड़ी चोरियों के औपचारिक रिकार्ड की सूचना सूना मुख्यालय को दी जाती है और स्टाफ जांच अदालत बिठाने के आदेश दिए जाते हैं।

(ग) सभी केंद्रीय आयुध डिपुओं में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं जिनको समय-समय पर उचित रूप से बढ़ाया/कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) आयुध डिपुओं की सुरक्षा को मजबूत करने संबंधी आवश्यक अनुदेश सभी संबंधित कार्यालयों को पुनः जारी कर दिए गए हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के रेलवे पासों का नवीकरण

1728. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को स्वंतत्रता सेनानियों के रेलवे पासों के नवीकरण और रेल यात्रा की दिक्कतों के बारे में स्वतंत्रता सेनानियों से शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रसोई गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल

1729. श्री के. मुरलीधरन :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के टर्मिनलों का राज्य-वार ब्यौरा है;

(ख) क्या देश में और अधिक रसोई गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) फिलहाल देश में सार्वजनिक क्षेत्र तेल उपक्रम कम्पनियों के 2 एल पी जी आयात टर्मिनल हैं जो कांडला (गुजरात) और मंगलौर (कर्नाटक) में 0.6 एम एम टी पी ए की क्षमता के साथ कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने नौवीं/दसवीं योजनावधि के दौरान देश में हल्दिया, एन्नौर और विजाग में एल पी जी आयात टर्मिनलों की स्थापना करने की भी योजना बनाई है। देश में एल एन जी टर्मिनलों की स्थापना करने के लिए विभिन्न कम्पनियों द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एल एन जी पहलों की सूची

राज्य	स्थान	टर्मिनल की क्षमता मिलियन टन प्रति वर्ष में	प्रवर्तक/कम्पनी का नाम
1	2	3	4
महाराष्ट्र	डाभोल	5	एनरान
महाराष्ट्र	ट्राम्बे	दो चरणों में 6	गेल-टोटालफिना-टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी
गुजरात	दहेज	5	पेट्रोनेट एल एन जी लिं.
गुजरात	हजीरा	5	रायल डच शैल ग्रुप की कंपनियां
गुजरात	जामनगर	दो चरणों में 8	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
गुजरात	पीपावव	2.5	ब्रिटिश गैस पीएलसी
केरल	कोच्चि	2.5	पेट्रोनेट एल एन जी लिं.
आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	2.5	आई ओ सी-पेट्रोनास
आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	1	हार्डी आयल-बी एस पी
आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	2.5	इस्पात ग्रुप के उद्योग
तमिल नाडु	एन्नोर	2.5	दक्षिण भारत एनर्जी कंसोर्टियम
उड़ीसा	गोपालपुर	3	ववासी आयल एंड गैस
उड़ीसा	किशोरीप्रसाद	3	उर्वरक कंपनियों का परिसंघ

[हिन्दी]

कटिहार जंक्शन पर पैदल यात्री उपरिपुल का निर्माण

1730. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कटिहार जंक्शन पर सिटी बुकिंग कार्यालय के निकट एक पैदल यात्री उपरिपुल के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसका निर्माण कब तक हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके कया कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय कटिहार स्टेशन पर तीन ऊपरी पैदल पुल उपलब्ध हैं जो यात्री यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में परियोजना के लिए स्वीकृति

1731. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने पारेषण और वितरण तंत्र में सुधार हेतु अपनी 200 करोड़ रु. की परियोजना के लिए स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितनी राज्य सहायता और सरल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) कर्नाटक में उक्त परियोजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त परियोजना कब आरम्भ होगी और कब तक पूरी हो जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) कर्नाटक के तीन वितरण सर्किलों नामतः मैसूर, बेलगांव एवं बीजापुर में उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 57.25 करोड़ रुपये की राशि को अनुमोदित किया गया है, जो परियोजना की लागत का 50% है। 57.25 करोड़ रुपये की राशि को अनुदान (28.63 करोड़ रुपये) एवं ऋण (28.63 करोड़ रुपये) के रूप में जारी किया जाएगा। शेष राशि को पावर फाइनैन्स कॉरपोरेशन/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अपने सामान्य ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार ने परियोजना को डुबली सर्किल के लिए भेजा है जिसका अनुमोदनार्थ मूल्यांकन एवं जांच किया जाएगा। राज्य के शेष वितरण सर्किलों का मूल्यांकन एवं वित्तपोषण चरणों में किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत तीनों अभिज्ञात वितरण सर्किलों में वितरण को क्षेत्र सुधार के लिए मीटरों कैपेसिटरों एवं वितरण ट्रांसफार्मरों की संस्थापना जैसे अल्पकालिक उपाय किए जाएंगे।

लाभान्वित होने वाले जिले हैं—मैसूर माडया, बेलगांव, बीजापुर और बागलकोट परियोजना एक वर्ष की अवधि में पूरी होने की संभावना है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1732. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा हेतु हाल ही में राजधानी में मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मंत्रियों द्वारा की गई चर्चा और दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या विद्युत सुधार लागू करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। मुख्य मंत्रियों और विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में दिनांक 3.3.2001 को आयोजित किया गया था। मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात तथा उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में विभिन्न संकल्प अपनाए गए।

(ख) से (ङ) अपनाए गए संकल्पों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। पंजाब एवं तमिलनाडु राज्य कृषि टैरिफ को तत्काल बढ़ाने तथा कृषकों को निःशुल्क आपूर्ति रोकने पर सहमत नहीं हुए हैं। भारत सरकार मीटरिंग सहित उप पारेषण वितरण के उन्नयन तथा ताप विद्युत/जल विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एपीडीपी के अन्तर्गत चालू वर्ष (2000-2001) का आवंटन व्यवहार्य स्कीमों के प्रस्तुतीकरण पर अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्यों को 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है।

विवरण

3 मार्च, 2001 को मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का संकल्प

I. मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों ने विद्युत क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु यह सहमति हुई कि विद्युत सुधारों को राजनीति से अलग करने की नितांत आवश्यकता है तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी लाए। इस परियोजना के लिए सर्वदलीय सहमति सृजित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री से राज्य विधानसभाओं में विपक्ष के नेताओं समेत एक सर्वदलीय बैठक करने का अनुरोध किया गया।

II. निम्नलिखित संकल्प किए गए :

(क) सभी गांवों तथा घरों का विद्युतीकरण पूरा किया जाना

(i) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत् ग्राम विद्युतीकरण को एक आधारभूत न्यूनतम सेवा के रूप में माना जाए।

(ii) दसवीं योजना के अंत तक अर्थात् वर्ष 2007 तक ग्राम विद्युतीकरण को पूरा कर लिया जाए।

(iii) ग्यारहवीं योजना के अंत तक अर्थात् वर्ष 2012 तक के लिए सभी घरों को बिजली पहुंचाने के लिए लक्षित किया जाए।

(iv) जहां कहीं भी अपेक्षित हो विद्युतीकरण के कार्य को हाथ में लेने के लिए गांव/ब्लॉक पंचायत की सहमति के साथ ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत् विधियों का उपयोग करने के लिए राज्य का पूर्ण विद्युतीकरण प्राप्त करने हेतु नम्यता प्रदान की जाए,

(v) यह सहमति हुई कि राज्यों में दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लिए अनुदान सहायता समेत वित्त पोषण के विशेष तरीकों की आवश्यकता होगी।

(छ) वितरण सुधार

प्रबंधन तथा सुधारों की चुनौती की वास्तविक समस्या वितरण क्षेत्रण में पड़ती है।

(i) अगले छः महीनों के भीतर सभी 11 के.वी. फीडरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाए तथा स्थानीय स्तर पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

(ii) इस प्रयोजन के लिए एक प्रभाव प्रबंधन सूचना प्रणाली को कार्यरूप देने की आवश्यकता है।

(iii) अगले दिन वर्षों में विद्युत चोरी का पता लगाने तथा इसे समाप्त करने के लिए उपरोक्त आधार पर एक प्रभावी कार्यक्रम लागू किए जाने की आवश्यकता है।

(iv) सभी उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने के कार्य को दिसम्बर, 2001 तक पूरा किया जाए। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं।

(v) संभरित विद्युत की गुणवत्ता पर विशेषकर, ग्रीमीण क्षेत्रों को, एपीडीपी तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम में शीघ्र सुधारे जाने की आवश्यकता है।

(vi) निम्नलिखित में से एक अथवा सभी के माध्यम से दो अथवा तीन वर्षों मे वितरण व्यवहारिता को प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है :

– पूरी जिम्मेवारी के साथ केन्द्र सृजित करके

– पंचायातों/स्थानीय निकायों/मतदाता संघ/उपभोक्ता संघ/जहां पर आवश्यक हो स्थानीय विरतण को सौंपा जाए

– वितरण का निजीकरण करके

– अथवा किसी अन्य साधन से

(vii) राज्यों द्वारा अगर आवश्यक हो विद्युत के वितरण में निजी निवेश आमंत्रित करने पर ध्यान देने के प्रयासों पर जोर देने की आवश्यकता है।

(viii) वितरण पर वर्तमान प्रचालन को दो वर्षों में छोड़े जाने की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक लाभ प्राप्त किए जायें।

(ग) विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ निर्धारण एवं आर्थिक सहायता

(i) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को अगले छः महीने में कार्यात्मक बनाया जाए तथा टैरिफ संबंधी याचिका दायर की जाए। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों को पूरी तरह से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है जब तक कि इन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा स्थगित अथवा आस्थगित नहीं कर दिया जाता। निःशुल्क विद्युत प्रदान करने की प्रणाली से मुक्ति पाने की आवश्यकता है।

(ii) केवल बजट प्रावधानों के जरिए आर्थिक सहायता का भुगतान करने की राज्य सरकार की क्षमता की सीमा तक ही आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(iii) 50 पैसे के न्यूनतम कृष्टि टैरिफ को मुख्य मंत्रियों के पिछले निर्णय को तत्काल क्रियान्वित किया जाए।

(घ) उत्पादन

(i) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के जरिए विद्यमान संयंत्रों के पीएलएफ में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) कम समय में उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में वृद्धि करने का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उत्पादन में वृहत् स्तर निजी निवेश केवल सुधारों के वित्तीय व्यवहार्यता पुनः प्राप्त करने में सफल होने के पश्चात् ही आएगा। केन्द्र और राज्यों को 10वीं योजना के लिए परिव्यय में वृद्धि के बारे में उपयुक्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। उन स्थलों पर निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो विशेषतः जल विद्युत परियोजनाओं और पिट-हैड ताप विद्युत उत्पादन के लिए सबसे सस्ती विद्युत उत्पादित करते हैं। के. वि. प्रा. ने 2012 तक 100,000 मे.वा. की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की आवश्यकता का आकलन किया है।

(iii) जहां राज्य और वित्तीय संस्थान आईपीपी के विकास की आवश्यकता पर सहमत हैं, वहां उन्हें शीघ्र ही वित्तीय समापन करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। केन्द्र सुधार आधारित बहु-पक्षीय करारों को अंतिम रूप दिए जाने को सरल एवं कारगर बनाएगा।

(iv) एक राष्ट्रीय ग्रिड का विकास विद्युत के अंतःक्षेत्रीय अंतरण के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है।

(iv) विद्युत तथा अन्य परियोजनाओं के तेजी से पूरा करने के लिए वन सुरक्षा अधिनियम में कुछ प्रावधानों को संशोधित करने की अपेक्षा है।

(ङ) ऊर्जा संरक्षण तथा मांग पक्ष प्रबंधन

निम्नलिखित के माध्यम से मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में एक प्रभावी कार्यक्रम को आरंभ किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ समुचित लोग, जागरूकता तथा व्यापक प्रयास किए जाए:

– ऊर्जा दक्ष बल्ब, ट्यूब लाईट तथा कृषि पम्पसेट, शिखर तथा गैर-शिखर घंटों के लिए अलग-अलग टैरिफ और दिन के समय बिजली की मीटरिंग।

(च) भारत सरकार से समर्थन

(i) भारत सरकार राज्यों को उनके सुधार प्रयासों में सहयोग देगी। यह सहयोग तभी होगा जब राज्यों में समयबद्ध विद्युत सुधारों के प्रयासों से लिंक होगा तथा वित्तीय व्यवहार्यता की बहाली के प्रति निश्चित मील के पत्थर के समान लिंक होगा।

(ii) पीएफसी तथा आरईसी की ब्याज दरों को बाजार की स्थितियों के अनुरूप कम किया जाएगा।

(iii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सभी विद्युत क्षेत्र के पिछली बकाया राशियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य विद्युत यूटिलिटियों की देय बकाया राशियों का एक ही बार में निपटान हेतु संस्तुति के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन सुधारों के कार्यकरण के साथ जोड़ा जाएगा। एक दल अपने गठन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।

(छ) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से आपूर्ति

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की सतत् आपूर्ति को चालू खरीद के लिए अभिज्ञात करने की क्षमता प्रदर्शित करने के साथ तथा पिछली बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(ज) उच्चस्तरीय शक्ति प्राप्त दल

विद्युत मंत्री तथा कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लेकर एक उच्चस्तरीय शक्ति प्राप्त दल के गठन सुधारों के समन्वयन, मॉनीटर तथा कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया जाएगा।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

1733. श्री नवल किशोर राय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला, डीजल, नैफ्था, पानी और हवा का विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागत का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी औसत लागत क्या है; और

(घ) उक्त स्रोतों से कितने प्रतिशत विद्युत उत्पादन होने का अनुमान है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में विभिन्न विद्युत स्टेशनों के विद्युत उत्पादन की लागत संयंत्र के प्रकार, संयंत्र की स्थलाकृति भू-वैज्ञानिक स्थिति तथा प्रयुक्त ईंधन के प्रकार आदि जैसे घटकों के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। 15 राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, जैसा कि वर्ष 1998-99 के लिए के.वि.प्रा. द्वारा प्राप्त किए गए हैं। जब विद्युत स्टेशनों के विद्युत उत्पादन की औसत लागत 23.16 पैसे/कि.वा.घं. से 153.97 पैसे/कि.वा. घं. और ताप विद्युत स्टेशन के लिए 121.75 पैसे/कि.वा.घं. तक भिन्न-भिन्न होती है।

(घ) वर्ष 2000-01 के लिए विद्युत उत्पादन लक्ष्य 500700 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है। विभिन्न प्रकार के ईंधनों हेतु ब्यौरा निम्नवत है :

	मिलियन यूनिट	(%)
कोल	320330	63.98
मल्टी फ्यूल	6999	1.40
लिग्नाईट	15770	3.15
गैस	56741	11.33
डीजल	3360	0.67
थर्मल	403200	80.53
हाइड्रो	83907	16.76
न्यूक्लिर	13593	2.71
कुल	500700	100.00

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अनुसार पवन ऊर्जा हेतु कोई ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, पावन ऊर्जा का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य वर्ष 2000-01 के लिए 200 मे. वा. निर्धारित किया गया है जिसकी तुलना से दिसम्बर 2000 के अंत तक वास्तविक उपलब्धि 102 मे. वा. थी।

[अनुवाद]

सेना के लिए नारियल कॉयर उत्पादों की खरीद

1734. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री वी. एम. सुधीरन :
श्री टी. गोविन्दन

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सेना के उपयोग हेतु नारियल जटा (कॉयर) एवं काजू की गिरी की खरीद के संबंध में राज्य सरकारों से कोई निवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां, कॉयर जिओ-टैक्सटाइल, कॉयर उत्पादों और काजू कर्नेल के लिए केरल राज्य कॉयर कार्पोरेशन तथा केरल राज्य को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को आर्डर दिए जाने और कर्नाटक राज्य कॉयर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से कॉयर मैटों, चटाइयों तथा कॉयर आधारित अन्य उत्पादों की खरीद के संबंध में केरल तथा कर्नाटक राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

जहां तक कॉयर उत्पादों और काजू कर्नेल की खरीद का संबंध है, उल्लेखनीय है कि सेना आवश्यकता पड़ने पर मैट्स डोर, मैटिंग कॉयर तथा मैट जिमनाजिया जैसे कुछ कॉयर उत्पादों की खरीद करती है। पूर्ति व निपटान महानिदेशालय के माध्यम से दर संविदा कि आधार पर मैट्स डोर तथा मैटिंग कॉयर की खरीद की जा रही है। मैट्स जिमनाजिया की खरीद विज्ञापित निविदा के माध्यम से की जा रही है। ऐसी निविदा सूचना प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित की जाती है और इसे भारतीय व्यापार जर्नल में भी प्रकाशित किया जाता है। कॉयर जिओ-टैक्सटाइल सड़क निर्माण में काम आने वाली सामग्री है तथा सीमा सड़क संगठन पहाड़ी सड़कों पर ढलान मजबूत करने में जिओ-टैक्सटाइल के इस्तेमाल संबंधी परीक्षण के लिए कॉयर बोर्ड, केरल से संपर्क बनाए हुए है।

[हिन्दी]

पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना का निलंबन

1735. श्री तूफानी सरोज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना पर सर्वेक्षण कार्य भारत-नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था, जो अब निलंबित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा लाखों रुपये के उपकरणों एवं अन्य सामानों को शारदा नदी में फेंक दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इससे सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ङ) क्या सरकार ऐसी परियोजना को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) नेपाल सरकार तथा भारत सरकार के मध्य 12.2.1996 को हुई संधि के अनुसार, नेपाल में पंचेश्वर बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना की जांच तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य संयुक्त रूप से नेपाल में किया जा रहा है। पूर्णागिरि बांध स्थल, जहां ठेकेदार द्वारा ड्रिलिंग की जा रही है, पर नेपाली बैक द्वारा स्थान अवरोध संबंधी प्रयासों की रिपोर्ट मिली है। इसके बावजूद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचेश्वर संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी चल रही है।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखानों को डीजल/रसोई गैस के भंडारण पूर्व मूल्य का भुगतान

1736. श्री राधामोहन सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तेल शोधक कारखानों/उत्पादकों को डीजल और रसोई गैस के भंडारण पूर्व कितने थोक मूल्य का भुगतान किया गया;

(ख) दिल्ली के उपभोक्ताओं को ये उत्पाद किस मूल्य पर उपलब्ध हैं और इस मूल्य में कितनी राशि केन्द्र एवं राज्यों के करों की शामिल है और यह किस पर दर लगाये गये हैं;

(ग) तेल शोधक कारखानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं को किस तरह राजसहायता प्रदान की गई है; और

(घ) उत्पादकों को उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचने की स्थिति में तेल शोधक कारखाने किस प्रकार लाभ अर्जित करते हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के संबंध में नवम्बर, 1997 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में रिफाइनरियों/उत्पादकों को 1.4.1998 से डीजल और घरेलू एल पी जी सहित नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात समता आधार पर भुगतान किया जा रहा है। मार्च, 2001 के महीने के लिए डीजल और घरेलू एल पी जी के लिए अनन्तिम रूप से प्रशुल्क समायोजित आयात समता मूल्य क्रमशः 9296.18 रुपये प्रति किलोलीटर और 18027.45 रुपये प्रति मीट्रिक टन है।

दिल्ली में डीजल और घरेलू एल पी जी पर सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क और बिक्री कर की लागू दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

तेल विपणन कंपनियां नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री भण्डारण केन्द्र मूल्य पर करती हैं। नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के लिए रिफाइनरियों/उत्पादकों को संदेय भण्डारण केन्द्र मूल्य और आयात समता मूल्यों के बीच के अंतर का दावा/परित्याग (राजसहायता/प्रतिराजसहायता) तेल पूल खाते से और में किया जाता है।

विवरण

दिल्ली में डीजल और रसोई गैस पर सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर पर लागू दर

	डीजल	घरेलू एल पी जी
सीमा शुल्क	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
उत्पाद कर*	16 प्रतिशत	8 प्रतिशत
बिक्री कर	12 प्रतिशत	8 प्रतिशत

* उत्पाद कर डीजल और घरेलू एल पी जी के बिक्री मूल्यों में क्रमशः 12 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की दर से अंतरित किया जाता है।

[हिन्दी]

नई जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन

1737. **मोहम्मद शहाबुद्दीन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और सलाहकार, विद्युत नीति को नई जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट को सरकार को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2010 तक देश की कुल विद्युत आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) के. वि. प्रा. को हाल ही में देश के अविकसित हाइड्रो स्थलों के रैंकिंग अध्ययन को छह माह के अन्दर पूरा करने के लिए कहा गया है।

(ग) वर्तमान अनुमान है कि 2012 तक बिजली की पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग, 1,00,000 मे. वा. अतिरिक्त क्षमता विकसित किए जाने की जरूरत है। के.वि.प्रा. ने 10वीं योजना के दौरान 55159 मे.वा. तक की परियोजनाओं तक 11वीं योजना के दौरान 51603 मे.वा. तक की परियोजनाओं को क्षमता अभिवृद्धि हेतु अभिज्ञात किया है।

[अनुवाद]

पुरी में विशेष पर्यटक परिसर

1738. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के पुरी शहर में विशेष पर्यटक परिसर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर्टक परिसर की स्थापना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई एवं जारी की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्यटक अवसंरचना का विकास मुख्यतः राज्य सरकारों/ संघ शासित राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों के साथ विचार-विमार्श करके प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके उड़ीसा राज्य के लिए 11 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है। इन 11 परियोजनाओं की सूची में पुरी में किसी विशेष पर्यटक परिसर की स्थापना से संबंधित कोई परियोजना शामिल नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत इकाइयों की स्थापना

1739. **श्री रामपाल सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए निजी या विदेशी कंपनियों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार एवं कपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन कंपनियों ने अपना निर्माण कार्य शुरू किया है; और

(घ) उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है जिन्होंने अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान दो स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ विद्युत क्रय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनका ब्यौरा निम्नवत है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम/प्रवर्तक	क्षमता	पीपीए पर हस्ताक्षर की तिथि	चालू होने का कार्यक्रम
1.	रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (मै. इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स) लि. शाहजहांपुर	567	24.9.1998	वित्तीय समापन से 40 माह
2.	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (मै डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि.) जिला पौड़ी गढ़वाल (अब नय गठित उत्तरांचल राज्य में)	330	28.8.1998	वित्तीय समापन से 62 माह

उपरोक्त दोनों परियोजनाओं का अभी वित्तीय समापन होना है। उपरोक्त परियोजनाओं को चालू करने में हुए विलम्ब के लिए दंड पीपीए के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रवर्तकों द्वारा वित्तीय समापन होने के पश्चात् हानियों के परिसमापन के रूप में है।

[अनुवाद]

रेलवे क्रासिंग के निर्माण हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से धनराशि

1740. **श्रीमती मिनाती सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे क्रासिंग के निर्माण हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से धनराशि प्रदान करने हेतु संसद सदस्यों से कोई प्रति-उत्तर प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितने सांसदों ने इसका प्रति-उत्तर दिया है;

(ग) क्या रेलवे ने अनुमोदित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पहले से ही कदम उठाए हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) जी हां, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से धनराशि का उपयोग केवल मौजूदा बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए ही किया जा सकता है समपारों के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है। माननीय संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से नए समपारों के निर्माण के लिए धन नहीं लगा सकते हैं। बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए 35 संसद सदस्यों ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से धन दिया है। अभी तक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से केवल 13 समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए ही पूर्णतया/अंशतः धनराशि जारी की जा चुकी है। 13 समाचारों में से 2 समपारों पर चौकीदार तैनात करने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है तथा बिना चौकीदार वाले 11 समपारों पर चौकीदार तैनात करने की प्रक्रिया जारी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

1741. **डा. बलिराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक इन पर परियोजना-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(घ) चल रहे सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति क्या है और परियोजना-वार इन्हें कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(ङ) उन सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है जिन पर निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है एवं इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) उत्तर, पूर्वोत्तर, मध्य तथा पूर्व रेलवे, जिनमें उत्तर प्रदेश आता है, पर चल रही परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, मार्च 2001 के अंत तक प्रत्येक परियोजना पर होने वाला कुल संभावित खर्च संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। परियोजनाओं की बड़ी संख्या तथा धनराशि की तंगी के कारण परियोजनाओं को पूरा करने की निश्चित लक्ष्य तिथि नहीं बताई जा सकती।

(घ) चालू सर्वेक्षणों की मौजूदा स्थिति तथा इनके पूरा होने का संभावित समय परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ङ) उन सर्वेक्षणों का ब्यौरा जो पूरे हो चुके है परंतु किन्ही कारणों से इन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण-I

क्र सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	2000-01 के अंत तक अपेक्षित परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6
	उत्तर प्रदेश में चालू रेल परियोजनाएं				
	नई लाइनें				
1	गुना-इटावा	म.रे	337.33	275.33	गुना-ग्वालियर और ग्वालियर-सियोनी खंडों को पहले ही पूरा कर लिया गया है। सोनी और भिंड के बीच आमान परिवर्तन के अगले चरण का कार्य प्रगति पर है जहां मिट्टी संबंधी, पुलों और मिट्टी इकट्ठा करने का कार्य चल रहा है। भिंड से इटावा तक इस परियोजना के अंतिम चरण में चंबल, कुंवारी और यमुना नदी पर तीन बड़े पुलों का निर्माण करना शामिल है। यमुना पुल पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और 10 कुओं की खुदाई का कार्य प्रगति पर है। चंबल पुल (9×76.2 मी) के लिए निविदा आमंत्रित कर दी गई है। कार्य आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
2.	ललितपुर-सतना और रीवा-सिंगरौली	म.रे.	925.00	6.22	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। ललितपुर छोर से 100 कि. मी. तथा महोबा से खजुराहो तक 64 कि.मी. और रीवा से सिंगरौली की ओर 22 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा शेष खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
3.	आगरा-इटावा वाया फतेहाबाद और बाह	म.रे.	109.00	10.27	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। आंशिक अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। योजना और नक्शे तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। 18.4 कि.मी. भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6
4.	कटरा-फैजाबाद	पूर्वो. रे	81.86	37.27	कार्य भलीभांति प्रगति पर है। 142.49 एकड़ भूमि में से 138 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। 7.06 लाख घनमीटर में से 6.64 घनमीटर मिट्टी संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। सरयू नदी पुल से संबंधित कार्य (जी के लिए 14 × 200) अच्छी प्रगति पर है। 12 कुओं की खुदाई और उनमें गर्डर लगाने का कार्य अच्छी प्रगति पर है।
5.	रामपुर-लालकुआं-काठगोदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी सड़क पुल	पूर्वो. रे	10.77	0.89	संशोधित योजना भूतल परिवहन मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेज दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अपना भाग पूरा कर लिए जाने के बाद तत्काल रेलवे के भाग का कार्य शुरू किया जाएगा।
6.	इटावा-मणिपुर	उ.रे.	120.00	0.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
	आमान परिवर्तन				
7.	काशीपुर लालकुआं	पूर्वो. रे	58.89	55.43	कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।
8.	छपरा-औंडिहार	पूर्वो. रे	170.93	169.91	कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।
9.	खड्डा-गोरखपुर	पूर्वो. रे	102.49	93.49	कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी की तह में वृद्धि करने तथा एलडब्ल्यूआर को बदलने से संबंधित अवशिष्ट कार्यों के शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है।
10	मथुरा-अछनेरा	पूर्वो. रे	33.67	0.10	इस कार्य को कानपुर-कासगंज-मथुरा खंड के साथ शुरू करने की योजना है।
11.	गोंडा-बहराइच-सीतापुर-लखनऊ (चरण-1: गोंडा से बहराइच)	पूर्वो. रे	480.00	0.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
12.	आनंदनगर, नौतनवा सहित गोंडा-गोरखपुर लूप	पूर्वो. रे	250.00	0.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
13.	इंदारा-फेफना	पूर्वो. रे	34.47	33.47	कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है।
14	कानपुर-कासगंज-मथुरा, कासगंज-बरेली और बरेली-लालकुआं	पूर्वो. रे.	609.04	52.45	इस कार्य को 4 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई है। चरण-I : कानपुर-फर्रुखाबाद (140 कि.मी.) मिट्टी संबंधी कार्य पूरा होने वाला है और 169 छोटे पुलों में से 103 पुल पूरे हो गए हैं। 5 बड़े पुलों में से 2 पुलों पर कार्य प्रगति पर है चरण-II : फर्रुखाबाद-कांसगंज (108 कि. मी.) मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। चरण-III : कासगंज-मथुरा (105 कि.मी.) अब तक इस खंड में कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। चरण-IV कासंगंज-बरेली (107 कि.मी) मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
15.	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	पूर्वो. रे	268.00	0.00	1999-2000 का नया कार्य है। अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
16	आगरा फोर्टबांदीकुई	प.रे	178.03	20.60	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। 193 छोटे पुलों में से 42 छोटे पुलों तथा 9 बड़े पुलों में से 4 बड़े पुलों की अधिसंरचना का कार्य पूरा हो गया है और 3.07 लाख घनमीटर में से 1.3 लाख घनमीटर मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। इस कार्य में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार तेजी लाई जा रही है। कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
	दोहरीकरण				
17	मथुरा-भूतेश्वर	म.रे.	5.54	3.54	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। यह कार्य 2001-02 में पूरा हो जाएगा।
18.	मानिकपुर-छेंवकी चरण-I मनिकपुर कात्याडांडी का दोहरीकरण	म.रे.	48.00	1.00	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। योजना और अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
19.	गोंडा-जाखल रोड	पूर्वो. रे.	69.79	39.77	कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी 85 प्रतिशत और सभी 33 छोटे पुलों पर कार्य पूरा हो गया है। 8 में से 3 बड़े पुलों पर कार्य पूरा हो गया है और शेष 5 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। गोंडा-मैजापुर (18 किमी.) मई 2000 में पूरा हो गया है। मेजापुर से जरवल तक शेष भाग के 2001-02 में पूरा हो जाने की संभावना है।
20.	गोरखपुर-सहजनवा चरण-I गोरखपुर-गोंडा	पूर्वो. रे.	61.51	0.01	कार्य अस्थाई से रोक दिया गया है।
21.	जरवल रोडबुड़वल (कहीं कहीं दोहरीकरण)	पूर्वो. रे.	23.80	0.00	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य। नक्शे और अनुमान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
22.	गाजियाबाद हापुड़-मुरादाबाद कहीं-कहीं दोहरीकरण चरण-I	उ. रे.	61.94	6.0.94	कार्य पूरा हो गया है।
23.	कानपुर-पनकी तीसरी लाइन चरण-I	उ.रे.	35.13	24.51	मिट्टी और छोटे पुलों से संबंधित कार्य प्रगति पर है। मनमाड़ कारखाने में फलाई ओवर के लिए 76.2 एम के गर्डरों पर निर्माण किया जा रहा है।
24.	मुरादनगर-मेरठ सिटी	उ.रे.	57.00	53.61	कार्य पूरा हो गया है
25.	कूंडला यमुना ब्रिज	उ.रे.	35.95	27.19	टूंडलासमादपुर तथा फलाई ओवर पर कार्य प्रगति पर है। मिट्टी और छोटे पुलों से संबंधित कार्य पूरे हो गए हैं। फलाई ओवर सहित टूंडला से एत्मादपुर तक के खंड का कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा।
26.	उतरेसिया-चंदौली और सुल्तान-बंदुआकलां	उ.रे.	65.85	6.10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य शुरू किया जा रहा है।
27.	अमरोहा-मुरादाबाद	उ.रे.	51.41	4.25	मिट्टी छोटे तथा बड़े पुलों से संबंधित कार्य के लिए निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

1	2	3	4	5	6
28	अमरोहा कानकयर	उ.रे.	48.00	0.05	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। योजना और अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
29.	जाफराबाद-उतरेतिया चरण-II (जाफराबाद श्रीकृष्णानगर)	उ.रे.	48.00	0.25	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। योजना और अनुमान तैयार करने कार्य शुरू किया गया है।
रेल विद्युतीकरण					
30.	रामपुर-डुमरा-गड़हड़ा-बरौनी सहित सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय	पू.रे.	363.36	336.18	मार्च, 2000 तक 389 मार्ग कि.मी. ऊर्जित किया गया है। कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति तथा ठेकेदार की विफलता के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही है। अब इस कार्य को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
31.	अंबाला-मुरादाबाद	उ.रे.	152.22	98.18	इस कार्य को मार्च, 2003 तक पूरा का लक्ष्य रखा गया है।
32	खुर्जा-हापुड़-मेरठ सिटी-सहारनपुर	उ.रे.	89.21	0.00	कार्य लंबित है।
33.	कानपुर-लखनऊ	उ.रे.	58.07	55.90	कार्य पूरा हो गया है।
34.	मुगलसराय-जाफराबाद, लखनऊ-मुगलसराय के चरण-I के रूप में	उ.रे.	49.56	0.15	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
35.	लखनऊ क्षेत्र के आसापास सर्कुलर रेल	उ.रे.	24.23	0.00	इस कार्य को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण-II

क्र सं.	परियोजना का नाम	योजना-शीर्ष	रेलवे	स्थिति
उत्तर प्रदेश में चालू सर्वेक्षण				
1.	पतवल और भूतेश्वर तीसरी लाइन	दोहरीकरण	मध्य	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.12.2001 है।
2.	भिंड-उरई-हरपालपुर	नई लाइन	मध्य	शुरू किया जा रहा है।
3.	हमीरपुर-हमीरपुर रोड	नई लाइन	मध्य	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.3.2001 है।
4.	अलीगढ़-झींझक वाया सिंकदरारो और मैनपुरी	नई लाइन	उत्तर	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.11.2002 है।
5.	बेरहन-एटा लाइन शाहजहांपुर तक	नई लाइन	उत्तर	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.1.2002 है।
6.	हरिद्वार-कोटद्वार-रामनगर	नई लाइन	उत्तर	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.09.2001 है।
7.	हस्तिनापुर रेल लिंकिंग	नई लाइन	उत्तर	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 28.2.2002 है।
8.	पानीपत--मुजफ्फरनगर वाया कैराना	नई लाइन	उत्तर	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.8.2001 है।
9.	संभल से गजरौला तक	नई लाइन	उत्तर	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.9.2001 है।
10.	संभल से राजघाट तक	नई लाइन	उत्तर	कार्य अभी शुरू किया जाना है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 3.12.2002 है।
11.	शाहगंज-अमेठी वाया सुल्तानपुर	नई लाइन	उत्तर	कार्य अभी शुरू किया जाना है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.10.2002 है।
12.	चंडीगढ़ से देहरादून वाया जगाधरी	नई लाइन	उत्तर	प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.10.2001 है।

विवरण-III

क्र सं.	परियोजना का नाम	योजना-शीर्ष	रेलवे	स्थिति
	उत्तर प्रदेश में पूरे हो चुके सर्वेक्षण			
1.	आगरा क्षेत्र में बाई पास लाइन का प्रावधान	नई लाइन	मध्य	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, इसलिए बंद कर दिया गया है।
2.	झांसी से सवाई माधोपुर वाया शिवपुरी, शिवपुरकलां	नई लाइन	मध्य	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
3.	आनंदनगर से घुघली वाया महाराजगंज	नई लाइन	पूर्वोत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
4.	फर्रुखाबाद और गोला गोरखनाथ	नई लाइन	पूर्वोत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
5.	घुघली-फरेन्द	नई लाइन	पूर्वोत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
6.	खलीलाबाद से नौगढ़ तक	नई लाइन	पूर्वोत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
7.	किच्छा-सितारगंज-नानक माता-खटीमा	नई लाइन	पूर्वोत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
8.	सीतापुर-बहराइच लहरपुर-तंबोर मिहिरपुवा	नई लाइन	पूर्वोत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
9.	कनकपुर-पूर्णागिरी	नई लाइन	पूर्वोत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
10.	चोला से बुलंदशहर तक	नई लाइन	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
11.	मेरठ के पास दौसला और बिजनौर वाया हस्तिनापुर	नई लाइन	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
12.	देहरादून और सहारनपुर	नई लाइन	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
13.	खुर्जा-पलवल-रेवाड़ी-रोहतक	नई लाइन	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
14.	लक्सर से बक्सर तक	नई लाइन	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
15.	मारीपत-तुगलकाबाद	नई लाइन	उत्तर	रिपोर्ट की संवीक्षा की जा रही है।

क्र सं.	परियोजना का नाम	योजना-शीर्ष	रेलवे	स्थिति
16.	मुजफ्फरनगर से हरिद्वारा वाया रुड़की	नई लाइन	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
17.	पानी से मेरठ तक	नई लाइन	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
18.	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग	नई लाइन	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
19.	ऋषिकेश से देहरादून तक	नई लाइन	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
20.	औंडिहार-जौनपुर	आमान परिवर्तन	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
21.	पीलीभीत-शाहजहांपुर	आमान परिवर्तन	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
22.	गाजियाबाद-पनकी के बीच तीसरी लाइन	दोहरीकरण	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, इसलिए बंद कर दिया गया है।
23.	खुर्जा-हापुड़-मेरठ	दोहरीकरण	उत्तर	रिपोर्ट की संवीक्षा की जा रही है।
24.	मेरठ सिटी-सहारनपुर	दोहरीकरण	उत्तर	रिपोर्ट की संवीक्षा की जा रही है।
25.	शाहदरा-शामली	दोहरीकरण	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं है इसलिए बंद कर दिया गया है।
26.	शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद	दोहरीकरण	उत्तर	इसे आवश्यक नहीं समझा गया है, इसलिए बंद कर दिया गया है।
27.	तिलक ब्रिज और साहिबाबाद तीसरी और चौथी लाइन	दोहरीकरण	उत्तर	रिपोर्ट की संवीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1742. **श्री अबुल हसनत खां** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध पर जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में तैयार की जा रही एवं के.वि.प्रा. की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु प्राप्त फरक्का जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के.वि.प्रा. में 11.11.1991 को जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत फरक्का बैराज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथारिटी द्वारा क्रियान्वयन के लिए कतिपय शर्तों के आधार पर प्राप्त हुई। परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दी जानी है। जल विद्युत परियोजना का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण इस प्रकार किया जाएगा कि बांध की सुरक्षा खतरी मे न पड़े एवं निर्माण कार्यों की वजह से रेल तथा सड़क यातायात बाधित न हो। जल संसाधन मंत्रालय ने फरक्का बैराज जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन का काम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन को सौंपने की सहमति दे दी है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को गैस की आपूर्ति

1743. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के बीच हुए समझौते के बावजूद महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को अपर्याप्त गैस आपूर्ति की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को अपर्याप्त आपूर्ति से विद्युत उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) 3.5 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एम एम एस सी एम डी) की संविदागत मात्रा के मुकाबले एम एस ई बी, उरान की वर्तमान आपूर्ति 2.41 और 2.50 एम एम एस सी एम डी के बीच रही है।

(ग) से (ङ) मुंबई हाई क्षेत्र के पुराने हो जाने के कारण गैस की, उपलब्धता में लगतार कमी हुई है और उपलब्ध गैस फीडस्टाक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए यथानुपात आधार पर वितरित की जाती है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड को ओ एन जी सी द्वारा उपहार का भुगतान

1744. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) द्वारा तेल उद्योग विकास बोर्ड को कुल कितनी राशि उपकर के रूप में अदा की गई;

(ख) तेल उद्योग विकास बोर्ड ने उक्त उपकर राशि का किस काम के लिए उपयोग किया; और

(ग) बोर्ड किस हद तक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) को तेल उद्योग विकास बोर्ड को कोई उपकर नहीं देना होता। तथापि, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के तहत लगाए गए उपकर की धनराशि पहले भारत की संचित निधि में डाली जाती है और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इसके तौर पर कानून द्वारा किए गए विनियोग द्वारा ऐसी व्यवस्था करती है, तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ आई डी बी) को ऐसी धनराशि में से एकत्र करने के व्यय को कम करने के बाद विशेष रूप से इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने हेतु समय-समय पर उतनी धनराशि दे सकती है जितनी वह उचित समझे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा ओ आई डी बी को उपकर की धनराशि में से कोई विनियोग नहीं किया गया है। ओ आई डी बी ने उपलब्ध धनराशि में से तेल उद्योग को संबंधित अवधि के दौरान तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 (1) की शर्तों पर वित्तीय सहायता देना जारी रखा।

जम्मू और कश्मीर में किलों का विकास

1745. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में किलों के नवीकरण/विकास के लिए कितना धन आबंटित किया गया;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर सर्कल के एम. ई. ओ./जी. ई. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नवीकरण/विकास कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक इन किलों, विशेषकर बाहू किले में किए गए नवीकरण/विकास कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक इन किले पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क), (ख) और (घ) यद्यपि नेमी किस्म के रखरखाव कार्य किए जा रहे हैं तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में उन किलों के नवीकरण/विकास के लिए कोई पृथक धनराशि नहीं रखी गई है जिनमें सेना रहती हो।

(ग) बाहू किले पर जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार का स्वामित्व और कब्जा है।

[हिन्दी]

ओ एन जी सी एवं ओ आई एल के कुओं को बंद किया जाना

1746. श्री राजो सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तेल इंडिया लिमिटेड के कई तेल/गैस कुओं को मांग में कमी के कारण बंद कर दिया गया है या इनकी गैस को जलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुओं को बंद करने या गैस को जलाने के कारण प्रत्येक तेल कंपनियों द्वारा तेल और गैस पर कुल कितनी हानि उठायी जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जहां तक ओ एन जी सी का संबंध है तमिलनाडु में 17 तेल और गैस कूपों और त्रिपुरा में 5 मुक्त गैस कूपों को बंद रखा गया है क्योंकि वे उपभोक्ता आपूर्ति प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं जिन्हें गैस आबंटित की गई है क्योंकि उनकी परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं या गैस की मांग में उतार-चढ़ाव रहे हैं।

ओ आई एल के संबंध में असम में 5 से 6 मुक्त गैस कूप इन्हीं कारणों की वजह से आवधिक रूप से बंद रखे जाने हैं।

(ग) कूपों को बंद करने के कारण गैस की क्षति नहीं हुई है। तथापि, ओ एन जी सी और ओ आई एल की राजस्व आय आस्थगित रखी गई है।

(घ) गैस के उपयोग में सुधार करने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं:

(1) कुछ विद्यमान संयंत्रों के संबंध में फालबैक आधार पर आबंटनों पर विचार किया जा रहा है जो ग्रासरूट परियोजनाओं से पहले गैस का उपभोग आरंभ कर सकते हैं।

(2) जो एन जी सी को 1 लाख घनमीटर प्रतिदिन का उत्पादन करने वाले अलग-अलग कूपों से प्रत्यक्ष रूप से कम दबाव की गैस का विपणन करने की अनुमति दे दी गई है।

(3) आमतौर पर उपलब्ध गैस से अधिक मात्रा के लिए आबंटन किया जा रहा है जिससे अगर कुछ आबंटन मूर्त रूप नहीं लेते हैं तो गैस का उपयोग दीर्घ अवधि में प्रभावित नहीं होगा।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

1747. डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सागर जिले में तेल शोधक कारखाने की स्थापना का प्राथमिक कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तेल शोधक कारखाने का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) इसके निर्माण पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) बीना में रिफाइनरी स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण, रेलवे साइडिंग, प्रक्रम अनुज्ञापकों एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता को अंतिम रूप देने जैसे विभिन्न प्रारंभिक क्रियाकलाप पूरे कर लिए गए हैं। फ्रन्ट एण्ड इंजीनियरिंग डिजायन (एफ ई ई डी) भी पूरी कर ली गई।

(ख) परियोजना क्रियान्वयन आरंभ होने की तारीख से 48 माह के अंतर्गत इस परियोजना के पूर्ण होने की आशा है।

(ग) जुलाई, 1998 के मूल्यों पर इस परियोजना की अद्यतन लागत 7374 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

रक्षा उपकरणों का आयात

1748. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जनवरी, 2001 के 'हिन्दुस्तान' में 'भारत भी हथियार निर्माण के क्षेत्र में कदम रखेगा' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार पाकिस्तान की तर्ज पर हथियार निर्यात ब्यूरो की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत किस प्रकार के हथियारों के निर्यात पर विचार कर रहा है;

(ङ) क्या भारत को किसी देश से हथियार की आपूर्ति से संबंधित आदेश प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और किस तरह के हथियारों का निर्यात किया जाना है; और

(छ) हथियारों के निर्यात के मामले में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) से (छ) भारत में रक्षा उद्योग मुख्यतः रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् शस्त्रों व उपस्करों का निर्यात किया जाता है। यह कार्य आयुध निर्माणी बोर्ड तथा रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किया जा रहा है। रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने सहित उपर्युक्त कार्य को सुकर बनाने की भूमिका निभाता है। निर्यात मुख्यतः एशिया और अफ्रीका के देशों को किया जाता है तथा जिसमें लघु शस्त्र गोलाबारूद, विस्फोटक, राकेट, एल-70 बंदूकों तथा 7.62 मि.मी. राइफलों के कल-पुर्जे, परिधान मदें, पैराशूट तथा सहायक हिस्से पुर्जे, एयरोनाटियल सामान, संचार उपस्कर, संघटक और इलेक्ट्रानिक एसेम्बलियों, अचूक यांत्रिक हिस्से, प्रिंटेड सर्किल बोर्ड जैसी उप-प्रणालियां आदि शामिल हैं। सीमित मात्रा में यूरोप के देशों को भी निर्यात किए गए हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात लगभग 135 करोड़ रु. का रहा।

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा पर मुठभेड़ में हताहत लोग

1749. श्री पी.सी. थामस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सेना या अन्य संगठनों के साथ हुई मुठभेड़ में कितने लोगों को जानें गई, उनका ब्यौरा क्या है और हताहत लोग किस राज्य के थे;

(ख) क्या सभी हताहत लोगों के परिवारों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई;

(ग) यदि हां, तो उनको मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं कौन-कौन सी तिथि को भुगतान किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर–नई दिल्ली एक्सप्रेस का मार्ग बदलना

1750. श्री कोलुर बसवनागौड : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेल्लारी वाणिज्य परिसंघ से बंगलौर–नई दिल्ली एक्सप्रैस को कर्नाटक के और अधिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए चित्रदुर्ग, रायदुर्ग और बेल्लारी आदि से गुजरते हुए चलाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) बेंगलौर–नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस के मार्ग का पुनर्निर्धारण करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 2627/2628 कर्नाटक एक्सप्रेस को चित्रदुर्ग-राजदुर्ग-बेल्लारी के रास्ते मार्ग परिवर्तन करने की जांच की गई है परन्तु परिचालनिक दृष्टि से इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

रेल द्वारा नमक की ढुलाई

1751. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा 2001-2002 के दौरान रेल द्वारा नमक की ढुलाई हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गुजरात में उत्पादित नमक की ढुलाई को बहाल करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेलवे द्वारा देश में खाने वाले नमक की ढुलाई एक स्कीम द्वारा विनियमित की जाती है जिसे "क्षेत्रीय स्कीम" कहते हैं। वर्तमान क्षेत्रीय स्कीम 2000-01, 31 मार्च 2001 तक वैध है, 2001-02 के लिए नई क्षेत्रीय स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 1 अप्रैल 2001 से प्रभावी होगी।

(ग) गुजरात में रेलपथ को बहाल कर दिया गया है और क्षेत्रीय स्कीम के अनुसार नमक की ढुलाई पहले ही शुरू हो गई है।

[अनुवाद]

नेमम रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल की स्थापना

1752. **श्री वी.एस. शिवकुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा नेमम रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल की स्थापना करने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस टर्मिनल को स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल बजट 2001-02 में तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में टर्मिनल सुविधाओं के निर्धारण के लिए एक सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है।

दक्षिणी वायुकमान में रेडार की स्थापना

1753. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी वायुकमान के लिए वायुसेना मुख्यालय ने पांच रेडारों की अनुमति दी थी जिनमें से केवल तीन स्थापित किए गए और उनमें से भी केवल एक ही अपनी कुछ सीमाओं के साथ कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये सारे रेडार कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे और ये कब तक कार्यशील हो जाएंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार के अनुमोदन के अनुसार दक्षिण वायु कमान के क्षेत्राधिकार में दो रेडार अधिष्ठापित किए गए हैं और एक और रेडार को अधिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) रेडारों की योजना बनाना, अर्जन करना और अधिष्ठापन करना एक सतत् प्रक्रिया है जो बजटीय कठिनाइयों और अन्य कमानों में रेडारों की प्रतियोगी आवश्यकता के अध्यधीन है।

(ग) सतत् प्रक्रिया के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती। यह संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

[हिन्दी]

तेल चयन बोर्ड

1754. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के तेल चयन बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ख) देश में नई गैस एजेंसियां स्थापित करने के लिए अभी तक चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रिब्यूटरों को चयन करने के लिए निम्न संरचना के साथ पूरे देश में 59 नए डीलर चयन बोर्डों (डी एस बीज) का गठन किया है:

(1)	उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश/ सेनानिवृत्त जिला न्यायाधीश/सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश	—अध्यक्ष
(2)	संबंधित तेल कंपनी का एक अधिकारी जिसका दर्जा उप महाप्रबंधक या मुख्य प्रबंधक, उपलब्धता के आधार पर, से कम न हो	—सदस्य
(3)	किसी अन्य तेल कंपनी का एक अधिकारी जिसका दर्जा उप महाप्रबंधक या मुख्य प्रबंधक, उपलब्धता के आधार पर, से कम न हो	—सदस्य

(ख) तेल कंपनियों ने पिछली विपणन योजनाओं के अलावा 1999-2000 की विपणन योजना के तहत एल पी जी डिस्ट्रिब्यूटरशिपों की स्थापना करने के लिए देश में ब्लाक/तहसील स्तर पर लगभग 700 स्थान निर्धारित किए हैं।

[अनुवाद]

पद-यात्रियों के लिए उपरिपुलों का निर्माण

1755. **श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नूर में कन्नापुरम और चोवा साउथ में पद-यात्रियों के लिए उपरि-पुलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पद-यात्रियों के लिए इन उपरि पुलों को कब तक निर्मित कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जाति पर आधारित रेजीमैंट

1756. श्री मानसिंह पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता-पूर्व से जाति के आधार पर बनी रेजीमैंटों को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) स्वतंत्रता के बाद से सरकार की यह नीति रही है कि किसी भी नई रेजिमेंट का गठन किसी विशेष वर्ग, पंथ समुदाय, धर्म या क्षेत्र के आधार न किया जाए बल्कि सेना में सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो। वर्ग/समुदाय/धर्म के आधार पर स्वतंत्रता से पूर्व खड़ी की गई रेजिमेंटों में से कुछ रेजिमेंटों के नामों को ऐतिहासिक, सुरक्षा संबंधी और प्रशासनिक कारणों से बनाए रखा गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और महाराष्ट्र के साथ समझौता

1757. श्री नरेश पुगलिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनरान के साथ किए गए मूल समझौते के अनुसार दाभोल पावर कंपनी द्वारा महाराष्ट्र को 1.70 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेची जानी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दाभोल पावर कंपनी ने अपनी शुल्क की दर बढ़ाकर 7 रुपये प्रति यूनिट तक कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि दाभोल विद्युत कंपनी के साथ हुए मूल विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) में क्षमता प्रभार/ऊर्जा प्रभार के परिकलन का फामूर्ला इगिंत किया गया है। इसके आधार पर और विद्युत की 90% बिक्री 32 रुपये प्रति डालर विनियम दर, 6772 रुपये प्रति एमटी ईंधन लागत पर विचार करते हुए परियोजना की 695 मे वा के प्रथम चरण हेतु टैरिफ जैसा कि मूल परिकल्पित किया गया है, वर्ष 1997 में 2.40 रुपये प्रति कि.वा.घ. इगिंत की गई थी। टैरिफ में डालर विनमय दर ईंधन मूल्य यूएस मुद्रा स्फीति एवं भारतीय मुद्रा स्फीति के प्रभाव शामिल हैं।

(ग) और (घ) एमएसईबी दाभोल चरण I से इसके मई 1999 में चालू होने के समय से बिजली की खरीद कर रहा है। एमएसईबी ने मार्च, 2000 से दिसंबर से 2000 तक 2618 मिलियन यूनिट की खरीद की है (45% के संयंत्र भार घटक पर) तथा इस अवधि में खरीद की औसत दर 6.19 प्रति किलोवाट हो गई है।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार ने डॉ. माधव गोडबोले, पूर्व गृह सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में एक ऊर्जा समीक्षा समिति गठित की है। समिति के संदर्भ शर्त निम्नानुसार हैं :

(i) राज्य में विद्युत की समग्र मांग एवं आपूर्ति की समीक्षा, जहां विशेष बल स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों की परियोजनाओं द्वारा विद्युत की आपूर्ति एवं महाराष्ट्र रा. वि. बोर्ड द्वारा इसकी खरीद पर होगा, जिसके लिए विद्युत क्रय समझौता पर हस्ताक्षर हो गया है या होना प्रस्तावित है।

(ii) डीपीसी द्वारा आपूर्ति की जा रही विद्युत लागत की जांच एवं एमएसईबी के वित्त/टैरिफ पर विद्युत ह्रासनियों एवं इसके परिणाम की जांच।

(iii) उक्त कंपनी एमएसईबी एवं संबंधित प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् डीपीसी के साथ हस्ताक्षरित पीपीए के प्रावधानों की समीक्षा एवं पुनर्विचार तथा डीपीसी द्वारा तैयार विद्युत को अन्य एजेंसियों/पार्टियों (भारत सरकार या इसकी एजेंसियों समेत) को बेचने को सुगम बनाने के लिए उचित उपाय सुझाना।

(iv) राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने हेतु सामान्य भावी कार्य योजना का सुझाव।

(v) कोई भी अन्य मामला जिसे राज्य सरकार उपर्युक्त सन्दर्भ में समिति को विचारार्थ भेजना आवश्यक समझती है।

समिति की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई यदि आवश्यक हो, इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों के प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

निगम विषयक उत्कृष्टता पर कृतिक बल

1758. **श्री शिवाजी माने :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निगम विषयक उत्कृष्टता पर एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृतिक बल ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) दीर्घकालिक आधार पर निगमित शासन में दक्षता की संकल्पना का प्रभावी ढंग से परिचालन करने, भारत की सार्वत्रिक प्रतिस्पर्धा धार को तेज करने तथा देश में निगमित संस्कृति को संपोषित व विकसित करने हेतु सरकार ने कम्पनी कार्य विभाग में 15.5.2000 को निगमित उत्कृष्टता पर अध्ययन समूह के नाम से अध्ययन समूह का गठन किया है। सरकार द्वारा गठित निगमित उत्कृष्टता पर अध्ययन समूह ने 20.12.2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(ग) निगमित उत्कृष्टता पर अध्ययन समूह की रिपोर्ट में कतिपय दूरगामी सिफारिशें हैं। कुछ मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- निगमित शासन के एक स्वंतत्र, स्वायत्त केन्द्र का गठन मुख्य रूप में प्रत्यायन को अनुरूप बनाने और उन्नत निगमित शासन के माध्यम से निगमित उत्कृष्टता के क्षेत्र में नीति, अनुसंधान एवं अध्ययन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा एवं पुरस्कार आदि का संवर्धन करने हेतु।

- तिहरी तल रेखा (ट्रिपल बोटोम लाइन) लेखाविधि एवं रिपोर्टिंग की दिशा में प्रथम कदमों के साथ निगमित सामाजिक दायित्व की औपचारिक मान्यता को पुरःस्थापित करना।

- प्रस्तावित प्रस्तावों आदि पर निगमित जानकारी एवं विचारों के इलैक्ट्रोनिक मीडिया सहायता प्राप्त प्रदर्शन के माध्यम से बड़े शेयरधारक भागीदारी हेतु परिमापों को पुरःस्थापित करना।

- दिशा एवं प्रबंधन के बीच स्पष्ट अन्तर जो यह सुनिश्चित करे कि कार्यकारी निदेशक वैधता तथा अन्य अनुपालनों के लिए उत्तरदायी है जबकि गैर कार्यकारी निदेशकों को आवश्यक अनुपालन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं व तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए तथा कंपनी के बिजनेस के लिए रचनात्मक व निरीक्षणात्मक जिम्मेवारियां दी गई हैं।

  उपबंधों के उचित समूहीकरण के माध्यम से बोर्ड व कार्यकारी के क्रमशः भिन्न परंतु पूरक कार्यशैलियों के रूप में दिशा व प्रबंधन की वैधानिक मान्यता के लिए सुझाव।

- कम व अधिक केन्द्रित बोर्ड व समिति सदस्यताओं, स्वतंत्रता मापदण्डों व ब्याज–टकराव शक्ति का न्यूनीकरण के माध्यम से संचालकीय निष्ठा व लेखाविधि को दर्शाना।

- बहु संनिरीक्षण एजेंसियों से मुक्त करने तथा स्वतंत्र निदेशकों के साथ उनके बोर्डों को अपग्रेड करने संबंधी पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, निश्चित रूप से सूचीबद्ध कम्पनियों के मामलों में और गैरसूचीबद्ध कम्पनियों के मामलों में, को निगमित शासन सिद्धान्तों के आवेदन का सुझाव देना।

(घ) सरकार द्वारा अध्ययन समूह की रिपोर्ट की जांच कर ली गई है तथा समूह की महत्वपूर्ण सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी मामला सरकार के क्रियाशील विचाराधीन है।

गुवाहाटी-दिल्ली राजधानी एक्सप्रैस का मार्ग परिवर्तन

1759. **श्री के. ए. सांगतम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुवाहाटी-दिल्ली राजधानी एक्सप्रैस का मार्ग बदल कर उसे गोरखपुर से होकर चलाने हेतु कोई निवेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) गोरखपुर के रास्ते राजधानी एक्सप्रैस के मार्ग परिवर्तन के लिए श्री महेन्द्र बैठा, संसद सदस्य सहित कुछ लोगों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) लाइन क्षमता की तंगियों तथा अन्य परिचालनिक तंगियों के कारण 2435/2436 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रैस का मार्ग परिवर्तन व्यवहार्य नहीं है।

'इरेडा' को सहायता अनुदान

1760. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के उन आदिवासी बहुल गांवों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है जहां बिजली देने से वहां स्थापित निजी कंपनियों ने इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देने के कार्य में लगे 'इरेडा' जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता अनुदान देने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) उड़ीसा में 9000 से अधिक गांवों सहित देश में लगभग 18000 दूरस्थ और विद्युत रहित गांव हैं जिन्हें पारंपरिक ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत करने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना गया है। यदि आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने के लिए इन गांवों पर विचार किया जा सकता है। उड़ीसा में नुआपारा जिले मे कोमना ब्लॉक के एकीकृत विकास के लिए विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणलियों की एक परियोजना, जिसमें सौर प्रकाशवोल्टीय के माध्यम से कुछ गांवों का विद्युतकरण भी शामिल हैं, उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ओरेडा) के माध्यम से कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) को कोई अनुदान सहायता उपलब्ध नहीं कराता है। तथापि, इक्विटी योगदान और ब्याज सब्सिडी के माध्यम से इरेडा को सहायता उपलब्ध करा रहा है और इरेडा देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतो के संवर्द्धन और विकास के लिए उदार ऋण प्रदान करता है।

पोतों के आयात पर प्रतिबंध

1761. श्री उत्तमराव पाटील : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पोतों और फ्लोटिंग क्राफ्टों के आयात पर प्रतिबंधों को जारी रखने पर विचार करने हेतु गठित की गई समिति ने इन प्रतिबंधों को 2001 तक जारी रखने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व व्यापार संगठन के मानदण्डों के अनुसार 31 मार्च, 2001 के पश्चात् पोतों का आयात विनियमित होने जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो घरेलू पोत निर्माण उद्योग के हितों की रक्षा करने हेतु इन प्रतिबंधों को जारी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या भारतीय पोतनिर्माणी प्रतियोगी दरों पर छोटे पातों और फ्लोटिंग क्राफ्टों का निर्माण करने में सक्षम है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) आज की तिथि के अनुसार देश में मालवाहक पोतों की संख्या कितनी है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) निर्यात और आयात मदों के अंतर्गत यथा-वर्गीकृत सभी किस्म के नए जलयानों पर आयात प्रतिबंध 31.3.2001 तक हटा दिए जाने की उम्मीद है। प्रतिबंध हटने के बाद सभी आयातों पर सीमा शुल्क की लागू दर लगेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन प्रतिबंधों को जारी रखने के लिए कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है।

(ङ) और (च) सामान्यतः भारतीय शिपयार्ड प्रतियोगी दरों पर जलयानों और फ्लोटिंग क्राफ्टों का निर्माण नहीं कर सकते। तथापि, कुछ प्रतिष्ठित गैर-सरकारी शिपयार्डों ने प्रतियोगी दरों पर निर्यात के लिए टगों का निर्माण किया था। विदेशों से मिले कुछ और आर्डर निष्पादन किए जा रहे हैं।

(छ) 1.3.2001 की स्थिति के अनुसार देश में वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के अंतर्गत देश में कुल 6.84 मिलियन सकल पंजीकृत टनभार (जी आर टी) के 546 तटीय और विदेशगामी जलयान पंजीकृत थे।

यात्री मार्गों से मालवाहक रेलवे स्टेशनों को जोड़ना

1762. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में यात्री मार्गों को सभी मालवाहक रेलवे स्टेशनों से जोड़ने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कम प्रचलित शिल्पों का संवर्धन

1763. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की सलाह से कम प्रचलित शिल्पों के सम्मुख आ रही समस्याओं के संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लघु शिल्प उत्पादों के निर्यात के संबंध में अभी तक क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) कम प्रचलित शिल्पों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के परामर्श से चिकनकारी, बेंत एवं बांस कलात्मक शाल और ज़री जैसे कुछ लघुज्ञात शिल्पों के संबंध में कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। उठाये गये कदमों में, शिल्प पाकेटों में निर्यात जागरूकता कार्यक्रम, फैशन शो का आयोजन, केटालॉग का प्रकाशन, विदेशों में बिक्री–सह–अध्ययन दौरे प्रायोजित करना और उत्पाद–विशिष्ट वेबसाइट शुरू करना शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु शिल्प सहित हस्तशिल्प निर्यात के निर्धारित एवं प्राप्त लक्ष्य वर्षानुसार निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1997-98	4300	4174.39
1998-99	5249	5058.40 (अनंतिम)
1999-2000	6010	5923.60 (अनंतिम)

(घ) लघु ज्ञात शिल्पों के निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाये गये/उठाये जाने वाले कदमों में, सर्वेक्षण अध्ययनों का आयोजन, डिजाइन विकास, शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना और लुप्तप्राय शिल्पों का पुनर्रुत्थान आदि शामिल हैं।

तमिलनाडु में टर्मिनल सुविधाएं

1764. डॉ. वी सरोजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में विभिन्न रेलवे जंक्शनों पर उपलब्ध टर्मिनल सुविधा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन जंक्शनों पर यह टर्मिनल सुविधा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जहां वर्तमान में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) उन टर्मिनलों पर जहां से गाड़ियां प्रारंभ होती हैं और जहां समाप्त होती हैं, संरक्षा तथा सुखसुविधाओं की दृष्टि से रेकों के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित सुविधाएं मुहैया की जाती हैं। ये स्टेशन जंक्शन भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। साधारणतः इस प्रकार के टर्मिनलों पर भंडार गियरों की जांच करने, सवारी डिब्बों की साफ-सफाई और धुलाई करने, बैटरियों को चार्ज करने, फिटिंगों की मरम्मत करने, सवारी डिब्बों में पानी भरने और वातानुकूल उपस्कर के अनुरक्षण जैसी सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं।

(ख) से (घ) जहां कहीं आवश्यक हो ऐसी सुविधाओं के पर्याप्त होने और उनके उन्नयन की आवश्यकता के आधार पर समीक्षा की जाती है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

कटवा-अहमदपुर-अजीमगंज रेल मार्ग का विद्युतीकरण

1765. श्री मेहबूब जहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन कटवा-अहमदनगर और कटवा-अजीमगंज रेल मार्ग के विद्युतीकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मार्गों का विद्युतीकरण कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) धन की कमी के कारण और अन्य उच्च धनत्व वाले मार्गों से संबंधित सापेक्ष प्राथमिकता के कारण, वर्तमान में कटवा-अहमदपुर और कटवा-आजिमगंज मार्गों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को नेफ्था का आवंटन

1766. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र से राज्य में विद्युत की बढ़ती लागत को रोकने हेतु आयात मूल्य पर नेफ्था के आबंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में एनरान की डाभोल परियोजना के द्वितीय चरण को अंतिम रूप देने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को इस परियोजना से स्वयं को अलग करने के परिणामस्वरूप परियोजना हेतु की गई वित्तपोषण की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने डाभोल विद्युत परियोजना के लिए नेफ्था/डिस्टिलेट ऑयल सं. 2 के आयात के लिए मै. डाभोल पावर कंपनी (डीपीसी) को विशेष आयात लाइसेंसे देने का प्रस्ताव करते समय बताया था कि डीपीसी द्वारा आयात के माध्यम से नेफ्था की कीमत घरेलू नेफ्था आपूर्ति के लिए भारतीय तेल कम्पनियों द्वारा वसूल की गयी आयात कीमतों से कम थी। भारतीय तेल निगम अब आयातित नेफ्था की कीमत के अनुबंधित कीमत पर डीपीसी को नेफ्था आपूर्ति पर सहमत हो गया है।

(ग) डाभोल विद्युत परियोजना (1444 मे. वा.) नवंबर, 2001 तक वाणिज्यिक प्रचालन हेतु प्रारंभ करने के लिए निश्चित किया गया है।

(घ) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, विशेष उद्देश्य महाराष्ट्र विद्युत विकास कंपनी ने डाभोल पावर प्रोजेक्ट के चरण-1 में 30% की इक्विटी ली है। एमएसईबी का परियोजना के चरण-2 में भी 30% इक्विटी है। 13.10.2000 को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को आवेदित आवेदन में डीपीसी ने बताया कि परियोजना के चरण-2 हेतु एमएसईबी इसमें से किसी देय का भुगतान नहीं कर रहा है और इसलिए प्रस्तावित किया गया कि परियोजना के चरण-2 में एमएसईबी के 30% के हिस्से को मॉरीशस में एनरॉन आधारित नये एफलिकेट द्वारा ग्रहण किया जाए। इसके अलावा, परियोजना के ऋणदाता के सहायतार्थ आकस्मिक व्यय इक्विटी द्वारा 233 मिलियन अमरीकी डॉलर की इक्विटी बढ़ाने हेतु डीपीसी को सरकार का अनुमोदन अपेक्षित था जो कि निर्माण के दौरान किसी लागत भिन्नता अपेक्षित होगी। डाभोल परियोजना के चरण-2 के लिए एमएसईबी के इक्विटी हिस्से को ग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने एनरॉन को अनापत्ति प्रस्ताव जारी कर दिया है। दोनों पक्षों के सशर्त पूरा होने के पश्चात् एमएसईबी की 30% इक्विटी नामित कंपनी को चरण-2 हेतु स्थानांतरित की जाए। 12.2.2001 को डीपीसी के उपरोक्त प्रस्ताव को भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि एमपीटीसीएल चरण-2 की स्थापना के बाद 30% इक्विटी हो सकती है।

लक्षद्वीप में पोत परिवहन सेवा

1767. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य भूमि और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मध्य पोत परिवहन सेवा वास्तव में अस्तव्यस्त हो गई है जिसके परिणामस्वरूप लक्षद्वीप के लोगों को गंभीर कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लक्षद्वीप के लोगों के फायदे के लिए नए यात्री पोत उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोचीन शिपयार्ड लि. कोचीन में 150-150 यात्री क्षमता प्रत्येक के दो जलयान निर्माणाधीन हैं और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. विजाग में 700 यात्री क्षमता का एक अन्य जलयान निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की नौवहन आवश्यकताओं के बारे में एक दीर्घकालिक भविष्य योजना तैयार की गई है।

एनरान के साथ विद्युत खरीद समझौता

1768. श्री किरीट सामैया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 फरवरी, 2001 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एनरान विलिंग टू अमेंड पायर परचेज एग्रीमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत खरीद समझौते में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एनरान ने इस मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो एनरान द्वारा क्या मुख्य संशोधन सुझाए गए हैं और किन-किन संशोधनों पर केन्द्र सरकार सहमत हो गई है; और

(च) इन संशोधनों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मैहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार के विद्युत क्रय समझौता में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि डाभोल पावर कं. द्वारा आपूर्ति की जा रही बिजली की ज्यादा टैरिफ होने के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे संपूर्ण डाभोल पावर परियोजना को प्रत्यक्ष रूप से या अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के जरिए हाथ में लेले ताकि डीपीसी द्वारा तैयार विद्युत का विरतण महाराष्ट्र राज्य समेत देश के विभिन्न राज्यों में किया जा सके जिससे कि विद्युत के अभाव वाले राज्यों की जरूरत भी पूरी हो सके। महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 9.2.2001 के संकल्प के तहत डॉ. माधव गोडबोले, पूर्व गृह सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक ऊर्जा समिति गठित की है, समिति के संदर्भ शर्तें निम्नानुसार हैं:

(i) राज्य में विद्युत की समग्र मांग एवं आपूर्ति की समीक्षा, जहां विशेष बल स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों की परियोजनाओं, विद्युत की आपूर्ति एवं महाराष्ट्र रा. वि. बोर्ड द्वारा इसकी खरीद पर होगा, जिसके लिए विद्युत क्रय समझौता पर हस्ताक्षर हो गया है या होना प्रस्तावित है।

(ii) डीपीसी द्वारा आपूर्ति की जा रही विद्युत लागत की जांच एवं एमएसईबी के वित्त/टैरिफ पर विद्युत हानियों एवं इसके परिणाम की जांच।

(iii) उक्त कंपनी, एमएसईबी एवं संबंधित प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् डीपीसी के साथ हस्ताक्षरित पीपीए के प्रावधानों की समीक्षा एवं पुनर्विचार तथा डीपीसी द्वारा तैयार विद्युत को अन्य एजेंसियों/पार्टियों (भारत सरकार या इसकी एजेंसियों समेत) को बेचने को सुगम बनाने के लिए उचित उपाय सुझाना।

(iv) राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने हेतु सामान्य भावी कार्य योजना का सुझाव।

(v) कोई भी अन्य मामला जिसे राज्य सरकार उपर्युक्त सन्दर्भ में समिति को विचारार्थ भेजना आवश्यक समझती है।

समिति की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) डीपीसी ने केन्द्र सरकार युटिलिटियों को उनके द्वारा आपूर्ति की जा रही विद्युत के अंतरण के लिए एमएसईबी महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार के किसी भी प्रयास के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है।

(ङ) और (च) एनरॉन द्वारा केन्द्र सरकार को पीपीए में ऐसे किसी भी संशोधन का सुझाव नहीं दिया गया है।

स्मारकों पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव

1769. श्री अमर रायप्रधान : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष चक्रवात, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य-वार और घटना-वार किन-किन स्मारकों को नुकसान पहुंचा है;

(ख) प्रत्येक ऐसे स्मारक को कितना नुकसान पहुंचा;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे स्मारकों के स्मारक-वार मरम्मत/पुनरुद्धार योजना हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक स्मारक के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ङ) पुनरुद्धार योजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है; और

(च) भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से स्मारकों की रक्षा करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) (क) से (ङ) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान चक्रवात, बाढ़ों और भूकम्प से क्षतिग्रस्त स्मारकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) केन्द्रीय परिरक्षित स्मारकों का संरक्षण और परिरक्षण पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। जब भी आवश्यक समझा जाता है, नाजुक स्मारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का मत लिया जाता है और यदि व्यवहार्य होता है तो सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	प्राकृतिक आपदा का प्रकार	वर्ष	राज्य	स्मारक को क्षति की सीमा	की गई कार्रवाई	मुक्त निधि	समय जब तक पुनः स्थापन कार्य पूर्ण किये जाने की संभावना है।
1.	चक्रवात	1998-99	उड़ीसा	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	भूकम्प	1997-98	मध्य प्रदेश	चौसठ योगिनी मन्दिर, भेराघाट, जिला जबलपुर, अंशतः क्षतिग्रस्त तथा दरारें पड़ गईं।	नुकसान की मरम्मत कर दी गई है।	1.32 लाख रुपए	पूरा कर लिया गया।
		1998-99	उत्तरांचल	चमोली जिला में रुद्रनाथ मन्दिर में कुछ दरारें पड़ गई हैं।	अनुमान तैयार कर लिए गए हैं।	शून्य	2002
3.	बाढ़े	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन का निर्माण

1770. श्री चिंतामन वनगा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के ठाणे जिले में तेनशेट और अम्बरनेली में नए रेलवे स्टेशन बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य रेलवे के कल्याण-कसारा खंड पर तेनशेट तथा अम्बरनेली परिचालित स्टेशन हैं, परन्तु ये यात्री यातायात के लिए नहीं नहीं खुले हैं। इन स्टेशनों को यात्री यातायात के लिए खोलने के एक प्रस्ताव की जांच की गई और इसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। अतः फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

1771. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बरेली में आंवला रेलवे स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घटना में कुल कितनी मौतें हुई और कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। 17.02.2001 को 00.10 बजे उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के चंदौसी-बरेली खंड पर ओनला स्टेशन पर भुल-ओनला पी ओ एल स्पेशल अप माल गाड़ी पटरी से उतर गई और बाद में इसमें आग लग गई।

(ग) इस दुर्घटना में इस गाड़ी के ड्राइवर और डीजल सहायक की मृत्यु हुई। सरकारी संपत्ति को लगभग 2.36 करोड़ रुपए मूल्य की क्षति का अनुमान है।

(घ) और (ङ) रेल सुरक्षा आयुक्त, उत्तरी सर्कल द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है और अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पैदल यात्रियों के लिए उपरि पुल का निर्माण

1772. श्रीमती शीला गौतम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए पैदल यात्री उपरि पुल बनाने के संबंध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) इस समय प्लेटफार्म सं. 1, 2, 3 और 4 ऊपरी पैदल पुल से जुड़े हैं। प्लेटफार्म सं. 5 और 6 प्लेटफार्म सं. 1 से पैदल पथ द्वारा जुड़े हैं। इस प्रकार सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए अन्य ऊपरी पैदल पुल के निर्माण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वेतनमानों में विसंगतियां

1773. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लेखा कर्मचारियों के वेतन और वेतनमानों से पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों में निहित विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ कर्मचारी संघों विशेषकर भारतीय रेलवे लेखा कर्मचारी संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सरकार से इस मामले के संबंध में सिफारिश की थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे के लेखा कर्मचारी, लेखा कर्मचारियों की कुछ कोटियों के लिए बेहतर वेतनमान की मांग कर रहे हैं। चूंकि रेलवे के लेखा कर्मचारी सरकार के दूसरे विभागों के लेखा तथा लेखा परीक्षा कर्मचारियों के साथ समान कोटि में हैं इसलिए इस बारे में निर्णय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय को लेना है।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(घ) भारतीय रेलवे लेखा कर्मचारियों के वेतनमानों की विसंगतियों को दूर करने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ईंधन के आयात संबंधी दिशानिर्देश

1774. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री पी. के. पार्थसारथी :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में शुल्क से छूट की योजना के तहत ईंधन आयात संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संशोधित योजना के निर्यातकों के लिए अलाभकारी होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो निर्यातकों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने, ऐसे मामलों में जहां ईंधन की लागत कुल निर्माण लागत की 15 प्रतिशत से कम नहीं बनती है, अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के लिए स्टैन्डर्ड इनपुट आउटपुट मानकों (एस आई ओ एन) के तहत ईंधन की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) चूंकि ईंधन के विषय में अभी तक स्टैन्डर्ड इनपुट आउटपुट मानकों (एस आई ओ एन) के तहत सामान्यतया अनुमति नहीं है, इसलिए यह आशा है कि इन मानकों के तहत ऐसे मामलों में जहां उत्पादन लागत में ही कटौती करके ईंधन महत्वपूर्ण उत्पादन लागत बन जाता है, ईंधन की अनुमति देना निर्माता के लिए लाभप्रद होगा। इससे भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्द्धी होंगे।

उत्तरांचल में पेट्रोल पंपों के विरुद्ध शिकायतें

1775. श्री ए. नरेन्द्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरांचल में जिले-वार कितने पेट्रोल पंपों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) 9.11.2000 से उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद से इस राज्य में पेट्रोल पंपों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पिछले एक वर्ष की अवधि में किसी भी खुदरा बिक्री केन्द्र के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

ज्वारीय तरंगों पर आधारित ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

1776. **श्री तिरूनावकरसू :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु में इसके विशाल तटवर्ती क्षेत्र को देखते हुए ज्वारीय तरंगों पर आधारित ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज्वारीय लहरों पर आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा के लिए कोई संभाव्यता स्थल नहीं है। तथापि, कच्छ की खाड़ी, गुजरात में 900 मेवा. के ज्वारीय विद्युत संयंत्र और सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल के दुर्गादुआनी क्रीक में 3 मेवा. के ज्वारीय विद्युत संयंत्र के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। गुजरात सरकार ने कैम्बे की खाड़ी, गुजरात में कल्पसर ज्वारीय स्थल के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन किया है।

मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

1777. **श्री कमल नाथ :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने अप्रैल, 2002 से इस क्षेत्र के विनियंत्रण से पूर्व नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के लिए विपणन अधिकारों की मांग की है;

(ख) मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने फुटकर दुकानों की स्थापना करने हेतु किन स्थानों का पता लगाया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी अनुमति देने के लिए अंतिम निर्णय दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार को मैसर्स मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से परिवहन ईंधनों के लिए विपणन अधिकार प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह बताया है कि वे एम एस और एच एस डी का विपणन करने के लिए लगभग 1800 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू करेंगे।

(ग) और (घ) सरकार ने मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के अनुरोध पर अभी तक अपना निर्णय नहीं लिया है।

कूड़ा करकट से बिजली बनाना

1778. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान सरकार को कूड़ा करकट, सौर ऊर्जा अथवा ज्वारीय तरंगों से तैयार की गई ऊर्जा की आपूर्ति हेतु उड़ीसा के गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन संगठनों को दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार को उड़ीसा सरकार से पिछले वर्ष के दौरान कूड़ा करकट, सौर या ज्वारीय तरंगों से उत्पन्न की गई ऊर्जा की आपूर्ति हेतु, किसी गैर सरकारी संगठन या स्वैच्छिक संगठन से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

परियोजनाओं की स्थापना हेतु धनराशि का प्रावधान

1779. **डॉ. अशोक पटेल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश में चल रही परियोजनाओं के विकास और नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु धनराशि देने के लिए राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य के लिये तकनीकी आर्थिक स्वीकृति मंजूरी हेतु निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं का निर्धारण/स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:

1. अनपारा सीटीपीपी यू–6 व 7 (राज्य क्षेत्र)	2×500 मे.वा.
2. विष्णुप्रयाग एचईपी (निजी क्षेत्र)	4×100 मे.वा.
3. रोसा टीपीपी निजी क्षेत्र	2×283.5 मे.वा.
4. टिहरी डैम एचईपी (टीएचडीसी)*	4×250 मे.वा.
5. औरया सीसीजीटी चरण-II एनटीपीसी	650 मे.वा.
6. रिहन्द एसटीपीपी चरण-II एनटीपीसी	2×500 मे.वा.
7. मनेरी भाली II एचईपी राज्य क्षेत्र*	4×76 मे.वा.
8. श्रीनगर एचईपी निजी क्षेत्र	4×82.5 मे.वा.

*उत्तरांचल

निजी क्षेत्र में मैसर्स जवाहरपुर पावर इंडिया लि. द्वारा स्थापित की जाने हेतु जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2×400 मे.वा. प्रस्तावित है जो कि वर्तमान समय में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में परिवीक्षाधीन है।

उत्तर प्रदेश में संबंधित निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता हेतु अखिल आर्थिक कार्य संबंधी विभाग द्वारा विभिन्न डोनर एजेंसियों को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है:

1. अनपारा सीटीपीपी यू–6 व 7, 2×500 मे.वा. जेबीआईसी जापान
2. आर एडं एम आफ रिहन्द एण्ड ओबरा पावर स्टेशन, कुवैत निधि
3. मनेरी भाली * एचईपी चरण-II 304 मे.वा. ओपीईसी निधि
4. रिहन्द एसटीपीपी चरण-II 2×500 मे.वा. एनटीपीसी ओपीईसी निधि

*उत्तरांचल

[अनुवाद]

"ओपेक" से रियायती कच्चा तेल मंगाना

1780. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन से विकासशील देशों के लिए रियायती दरों पर कच्चा तेल मंगाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यातक देशों के संगठन द्वारा इन प्रस्तावों पर किस सीमा तक विचार किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) तेल का उत्पादन एवं इसकी खपत करने वाले देशों की रियाद, सउदी अरब में 17.11.2000 से 19.11.2000 तक हुई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच बैठक में भारत ने एक सुझाव दिया था कि तेल निर्यात करने वाले देशों को छूटों, आस्तगित भुगतानों, आसान शर्तों पर ऋणों, इत्यादि के रूप में विकासशील देशों को रियायतें देने पर विचार करना चाहिए। इस सुझाव का स्वागत किया गया तथा विकासशील देशों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता के महत्व को समझा गया। बाद में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसे मंत्री ने तेल आयात करने वाले विकासशील देशों को निम्नांकित रियायतें प्रदान करने के विषय में विचार करने के लिए ओ पी ई सी सदस्य देशों के तेल मंत्रियों को पत्र लिखा है:

(1) तेल निर्यात करने वाली कंपनी के द्वारा ऋण अवधि का 30 दिन की सामान्य अवधि के स्थान पर 90 दिन के लिए विस्तार,

(2) स्वीकृत क्रूड मूल्य, जैसे 25 अमरीकी डालर प्रति बैरल से अधिक बर्द्धमान मूल्य की 20 प्रति मूल्यगत छूट, तथा

(3) सहमत स्तर, जैसे 28 अमरीकी डालर प्रति बैरल से अधिक मूल्यगत वृद्धियों के कारण बर्द्धमान धनराशियों के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए एल आई बी ओ आर पर भुगतान आस्थगत सुविधा।

कतर एवं इंडोनेशिया ने यह सूचित करते हुए प्रत्युत्तर दिया है कि भारत के इस प्रस्ताव पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओ पी ई सी) की मार्च-मध्य, 2001 में वियना में होने वाली आगामी बैठक में विचार किया जाए।

स्वायत्त पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना

1781. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन के विकास हेतु कृतिक बल की सिफारिशों पर एक स्वायत्त पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस बोर्ड के बनाने से पर्यटन उद्योग के विकास में किस ढंग से लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) स्वायत्त पर्यटन विकास बोर्ड गठित नहीं किया गया है। तथापि पर्यटन के विकास एवं संवर्धन में लगी विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए एक मंत्री दल तथा सचिवों की समिति गठित की गयी है।

दाभोल विद्युत कंपनी के साथ विद्युत क्रय समझौता

1782. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दाभोल विद्युत कंपनी से बिजली खरीदने और उसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ग्रिड को दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह मै. डाभोल पावर कंपनी की सम्पूर्ण डाभोल विद्युत परियोजना को प्रत्यक्ष रूप से या अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के जरिए हाथ में ले ले ताकि डीपीसी द्वारा तैयार विद्युत का वितरण महाराष्ट्र राज्य समेत देश के विभिन्न राज्यों में किया जा सके। जिससे कि विद्युत अभाव वाले राज्यों की आवश्यकता भी पूरी हो सके।

(ख) भारत सरकार ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सलाह दी है कि वे इस मामले में समाधान हेतु डीपीसी के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित करें। महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 9.2.2001 के संकल्प के तहत् डॉ. माधव गोडबोले, पूर्व गृह सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक ऊर्जा समीक्षा समिति गठित की है। समिति के सन्दर्भ शर्त निम्नानुसार हैं:

(i) राज्य में विद्युत की समग्र मांग एवं आपूर्ति की समीक्षा, जहां विशेष बल स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों की परियोजनाओं द्वारा विद्युत की आपूर्ति एवं महाराष्ट्र रा. वि. बोर्ड द्वारा इसकी खरीद पर होगा, जिसके लिए विद्युत क्रय समझौता पर हस्ताक्षर हो गया है या होना प्रस्तावित है।

(ii) डीपीसी द्वारा आपूर्ति की जा रही विद्युत लागत की जांच एवं एमएसईबी के वित्त/टैरिफ पर विद्युत हानियों एवं इसके परिणाम की जांच।

(iii) उक्त कंपनी, एमएसईबी एवं संबंधित प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् डीपीसी के साथ हस्ताक्षरित पीपीए के प्रावधानों की समीक्षा एवं पुनर्विचार तथा डीपीसी द्वारा तैयार विद्युत को अन्य एजेंसियों/पार्टियों (भारत सरकार या उसकी एजेंसियों समेत) को बेचने को सुगम बनाने के लिए उचित उपाय सुझाना।

(iv) राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने हेतु सामान्य भावी कार्य योजना का सुझाव।

(v) कोई भी अन्य मामला जिसे राज्य सरकार उपर्युक्त सन्दर्भ में समिति को विचारार्थ भेजना आवश्यक समझती है।

समिति की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई, यदि आवश्यक हो, इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों के प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

विद्युत परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं की ओर से पी. जी. सी. आई. को आर्थिक सहायता

1783. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को देश में चल रही विद्युत परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से धन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और राज्यवार किन-किन परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता मांगी गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पावरग्रिड के पास अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से सीधे ही लगभग 6880 करोड़ रुपए

तथा भारत सरकार के जरिए लगभग 1714 करोड़ रुपए की ऋण वचनबद्धताएं हैं। परियोजनाओं का नाम तथा जिन क्षेत्रों में ये क्रियान्वित की जा रही हैं, उनका नाम संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	क्षेत्र का नाम
1.	एन-ई एचवीडीसी बी/बी सांसाराम एचवीडीसी	पूर्वी एवं उत्तरी
2.	अगरतला गैस टीएल	उत्तरी पूर्वी
3.	पूर्णिया में बोगईगांव मालदा का एलआईएलओ	पूर्वी
4.	सिंगरोली में बोगईगांव–मालदा का एलआईएलओ	पूर्वी
5.	दलखौला-पूर्णिया का एलआईएलओ	पूर्वी
6.	मालवा में आईसीटी	पूर्वी
7.	जैपोर में आईसीटी	पूर्वी
8.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यूएलडीसी	उत्तरी पूर्वी
9.	कोलापुर-मापूसा	पश्चिमी
10.	नाथपा झाकरी टीएल	उत्तरी
11.	किशनपुर मोगा टीएल	उत्तरी
12.	जालंधर-हिमारपुर	उत्तरी
13.	बलभगढ़-जयपुर भिवाडी एवं एलआईएलओ	उत्तरी
14.	पूर्वी क्षेत्र यूएलडीसी	पूर्वी
15.	तालचेर टीएल	पूर्वी दक्षिणी
16.	उत्तरी क्षेत्र यूएलडीसी	उत्तरी
17.	दक्षिणी क्षेत्र यूएलडीसी	दक्षिणी
18.	पश्चिमी-पूर्वी अंत:क्षेत्रीय लिंक	पश्चिमी एवं पूर्वी
19.	पश्चिमी क्षेत्र यूएलडीसी	पश्चिमी
20.	धौलीगंगा टीएल	उत्तरी

कुड्डालोर-वृद्धाचलम-सेलम रेल लाइन का आमान परिवर्तन

1784. श्री राम मोहन गाइडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में कुड्डालोर-वृद्धाचलम-सेलम रेल लाइन के आमान परिवर्तन परियोजना को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां। 7.2.2001 को आयोजित बैठक में सरकार द्वारा परियोजना स्वीकृति कर दी गई थी। इस कार्य के लिए बजट 2001-02 में 6 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

माल भाड़े और यात्री भाड़े में वृद्धि

1785. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री सुबोध राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1, अप्रैल 1998 से यात्री रेलों की विभिन्न श्रेणियों और मालगाड़ियों के ढुलाई प्रभार में ली गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस वृद्धि से सरकार को कुल कितनी आय हुई है;

(ग) भाड़े में वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) समान भाड़ा दर के कारण रेलवे को अब तक कुल कितनी राजसहायता देनी पड़ी है/घाटा हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 1, अप्रैल, 1998 के बाद से यात्री किरायों में किए गए परिवर्तन :

लागू होने की तारीख 20.06.1998

(i) द्वितीय श्रेणी (साधारण) के किरायों में निम्नानुसार संशोधन किया गया था:

दूरी स्लैब	वृद्धि
1-50 कि.मी.	1 रुपए
51-100 कि.मी.	2 रुपए
101-300 कि.मी.	3 रुपए
301 और इससे अधिक	5 रुपए

(ii) स्लीपर श्रेणी (साधारण) और प्रथम श्रेणी (साधारण) के किरायों को निम्नानुसार बढ़ाया गया था:

दूरी स्लैब	वृद्धि
1-750 कि.मी.	5 रुपए
751-1500 कि.मी.	10 रुपए
1501 और इससे अधिक	20 रुपए

(iii) निम्नलिखित श्रेणियों के किरायों को निम्नानुसार बढ़ाया गया था :

श्रेणी / कि.मी.	1-500 (रुपए)	501-1000 (रुपए)	1001-1600 (रुपए)	1601-2500 (रुपए)	2501 एवं इससे अधिक (रुपए)
द्वितीय श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस)	5	8	12	18	25
स्लीपर श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस)	10	15	25	35	45
प्रथम श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस)	20	30	40	50	60
वातानुकूल कुर्सीयान	20	30	40	50	60
वातानुकूल 3 टियर	40	60	80	100	120
वातानुकूल 2 टियर	60	90	120	150	180
वातानुकूल प्रथम श्रेणी	180	270	360	450	540

(iv) राजधानी/शातब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों में सभी दूरियों के लिए 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी।

(v) द्वितीय श्रेणी मासिक जीवन टिकट के किरायों को निम्नानुसार बढ़ाया गया था:

दूरी स्लैब	वृद्धि प्रति मासिक सीजन टिकट
1-50 कि.मी.	5 रुपए
51-100 कि.मी.	10 रुपए
101 और इससे अधिक	15 रुपए

प्रथम श्रेणी मासिक सीजन टिकट के किराए द्वितीय श्रेणी मासिक सीजन टिकट के किरायों से चार गुना निर्धारित किए गए थे। तिमाही सीजन टिकट के किराये मासिक सीजन टिकट के किरायों के 2.7 गुना निर्धारित किए गए थे।

(vi) मेट्रो रेल कोलकाता के किराए निम्नानुसार निर्धारित किए गए थे:

दूरी	किराया
1-5 कि.मी.	3 रुपए
6-10 कि.मी.	5 रुपए
11 कि.मी. और इससे अधिक	7 रुपए

(vii) व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली (एमआरटीसी), चेन्नै में द्वितीय श्रेणी में 50 पैसे प्रति यात्री अधिभार को संशोधित करके 1 रुपया कर दिया गया था। प्रथम श्रेणी में यह अधिभार 2 रुपए प्रति यात्री निर्धारित किया गया था।

(viii) प्लेटफार्म टिकट का मूल्य 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति यात्री कर दिया गया था।

1999-2000 (1.4.1999)

1. किरायों को निम्नानुसार नई सापेक्षता के आधार पर युक्तिसंगत बनाया गया था:

साधारण सेवा	किराया सूचकांक
द्वितीय श्रेणी	100
स्लीपर श्रेणी	155
प्रथम श्रेणी	525

मेल/एक्सप्रेस सेवाएं	सापेक्षता
द्वितीय श्रेणी	100
स्लीपर श्रेणी	155
वातानुकूल कुर्सीयान	300
वातानुकूल 3 टियर स्लीपर	450
प्रथम श्रेणी	525
वातानुकूल 2 टियर स्लीपर	720
वातानुकूल प्रथम श्रेणी	1440

1. राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किराए संशोधित किराया संरचना के आधार पर निर्धारित किए गए थे।

2. द्वितीय श्रेणी साधारण, द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस और सीजन टिकट (द्वितीय और प्रथम श्रेणी दोनों) के किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी—मेट्रो रेलवे कोलकाता और एमआरटीएस, चेन्नै के किरायों में कोई वृद्धि नहीं।

2000-2001 (1.4.2000)

यात्री किरायों में कोई वृद्धि नहीं।

1998-99 (20.6.98)

1 अप्रैल, 1998 से माल भाड़े में किए गए परिवर्तन

मालभाड़ा दरों में किसी सामन्य वृद्धि की घोषणा नहीं की गई थी। टेपर के आशोधन द्वारा (i) कोयले (ii) सीमेंट (iii) लोहे अथवा इस्पात की मालभाड़ा दरों को मामूली रूप समायोजित किया गया था।

(i) लौह अयस्क, (ii) अयस्यक सर्वसामान्य एनओसी (बाराइट एवं अल्यूनाइट), (iii) मैग्नीज अयस्क (चूरा और पाउडर), (iv) कास्टिक सोडा, (v) इमारती लकड़ी एनओसी, (vi) कच्ची रबड़ और (vii) सोडा ऐश के संबंध में वर्गीकरण एक सोपान बढ़ाया गया था।

(i) जिप्सम (ढेला), (ii) जिप्सम (पाउडर), (iii) चूना पत्थर और डोलोमाइट के संबंध में वर्गीकरण एक सोपान घटाया गया था।

1999-2000 (1.4.1999)

सभी पण्यों की भाड़ा दरे सभी दूरियों के लिए 4% (चार प्रतिशन) बढ़ायी गयी थी।

धुला कोयला (135ए से 140 गाड़ी भार) एवं (135 बी से 145 मालडिब्बा भार) और कास्टिक सोडा, शराब (130 से 135 गाड़ी भार) एवं (135 से 140 मालडिब्बा भार) के वर्गीकरण एक सोपान बढ़ाए गए थे। बहरहाल, धुले कोयले के वर्गीकरण को उलटकर 1.12.1999 से 135ए (गाड़ी भार) और 135बी (मालडिब्बा भार) कर दिया गया था।

50 कि.मी. और इससे कम दूरी के लिए ढोये गए माल यातायात से सभी पण्यों की भाड़ा दरों में 25 प्रतिशत की रियायत दी गई थी। प्रभाव हेतु न्यूनतम दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

2000-2001 (1.4.2000)

1.4.2000 से लागू हुए बजट प्रस्तावों में अनाज एवं दालों (95एम गाड़ी भार और 100एम मालडिब्बा भार के अंतर्गत वर्गीकृत), मिट्टी के तेल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, चीनी, खाने का नमक (नमक एनओसी), खाने के तेल (तेल डिवीजन ई), फल एवं सब्जियों और यूरिया की दरों को नहीं बढ़ाया गया था। सभी अन्य पण्यों की भाड़ा दरें निम्नानुसार, कतिपय पण्यों के वर्गीकरण के संशोधन के अध्यधीन, सभी दूरियों के लिए 5% (पांच प्रतिशत) तक बढ़ायी गयी थीं:

पण्य	गाड़ीभार		मालडिब्बा भार	
	से	तक	से	तक
रासायनिक उर्वरक डिवीजन ए	105	115	110	125
डिवीजन बी	85	100	95	110
डिवीजन सी	85बी	85	90ए	90
पशुधन	—	—	180	220
तिलहन	—	—	100	130

निम्नलिखित पण्यों का वर्गीकरण निम्नानुसार घटाया गया था:

पण्य	गाड़ीभार		मालडिब्बा भार	
	से	तक	से	तक
कोयला@	135	130ए*	135बी	130बी
सीमेंट	150ए	145ए*	150बी	145बी
लौह अयस्क	125	120	130	125
चूना पत्थर और डोलोमाइट	125	120	130	125
पेट्रोलियम तथा अन्य हाइड्रोकार्बन	280	270*	300	300
लोहा एवं इस्पात	210ए	200ए	210बी	200बी
कार्बन तेल (खतरनाक और अखतरनाक)	300	290*	300X	300X

नोट: * नयी श्रेणी

@ घरेलू खपत के कोयले को मौजूदा श्रेणी दर से प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा।

(ख) यात्री और माल यातायात आमदनियां निम्नानुसार हैं:

यात्री यातायात

यात्रियों की संख्या (मिलियन में)			यात्री आमदनी (करोड़ रुपयों में)		
1998-99	1999-00	%वृद्धि	1998-99	1999-00	%वृद्धि
4411	4585	3.9	8527	9556	12

माल यातायात

यात्रियों की संख्या (मिलियन में)			यात्री आमदनी (करोड़ रुपयों में)		
1998-99	1999-00	%वृद्धि	1998-99	1999-00	%वृद्धि
421	456	8.3	19676	21755	10.6

यात्री और माल सेवाओं, दोनों से अतिरिक्त आमदनी यातायात में वृद्धि और किरायों एवं भाड़ा दरों में बढ़ोतरी से हुई है।

(ग) किराये बढ़ाने का कारण साधन-सामग्री की लागत में वृद्धि को पूरा करना तथा क्रास-सब्सीडाइजेशन के तत्व को भी कम करना है।

(घ) रेलों के घाटे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कोचिंग सेवाओं पर हानि	लागत से कम पर ढोए गए पण्यों पर हानि	जोड़	% वृद्धि
1998-99	4165	110	4275	—
1990-00	4583	156	4739	10.9%

रेलें इन हानियों को कतिपय पण्यों तथा यात्रियों की श्रेणी को औसत लागत से उच्चतर दर, लगभग यातायात द्वारा वहन की जा सकने वाली सीमा तक, पर प्रभारित करके पूरा करती हैं।

हालांकि रेलें क्रास-सब्सीडाइजेशन की नीति को अनुपालन करती हैं, लेकिन किसी मालभाड़ा समानता नीति का अनुपालन नहीं करती हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश की एन. टी. सी. कताई मिलों को पुनः चालू करना

1786. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की बंद पड़ी 6 कताई मिलों को पुनः चालू करने तथा अतिरिक्त भूमि की बिक्री के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार भारत सरकार की सभी पुनरुद्धार योग्य मिलों का पुनर्रुद्धार तथा कामगारों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करने के बाद गैर-पुनरुद्धार योग्य मिलों की बंदी के प्रस्ताव से निम्नलिखित शर्तों के साथ सहमत है:

(1) बिना किसी बदलाव के, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित मिलों के पुनरुद्धार के लिए कार्रवाई जारी है।

(2) राष्ट्रीय नीति के अनुसार बेची जा रही है।

उड़ीसा में एलपीजी की मांग

1787. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में एल पी जी की मांग बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मांग को पूरा करने के लिए राज्य में एल पी जी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के पंजीकृत उपभोक्ताओं की एल पी जी की मांग निम्नवत है:

वर्ष	मांग (टीएमटी में)
1997-98	49.9
1998-99	53.1
1999-2000	61.8

सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के पास पंजीकृत उपभोक्ताओं की एल पी जी की मांग क्रमोवेश रूप से पूर्णतया पूरी की गई है।

[हिन्दी]

निर्दलीय उम्मीदवार

1788. **श्री जयभान सिंह पवैया**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विधान सभा और संसदीय चुनाव क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान करने और अन्य प्रशासिनक व्यवस्था पर होने वाले अनावश्यक व्यय को रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभ्यर्थी की सुरक्षा प्रदान करना और इस संबंध में अन्य प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का विषय है।

रेल दुर्घटना

1789. डॉ. जसवंतसिंह यादव :
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 9 फरवरी, 2000 को रत्नगिरि में एक लेवल क्रासिंग (रेल फाटक) पर कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, 9.2.2001 को एक बिना चौकीदार वाले समपार पर दुर्घटना हुई थी। यह दुर्घटना लगभग 11.00 बजे हुई जब के आर-5 डाउन दिवा-सावंतवाडी पैसेंजर गाड़ी कोंकण रेल निगम में रत्नागिरि मंडल के मनगांव और वीर स्टेशनों के बीच बिना चौकीदार वाले समपार पर एक टाटा सूमो से जा टकराई। इस दुर्घटना में टाटा सूमो में यात्रा कर रहे 10 व्यक्ति मौके पर ही मारे गए और आगे कार में यात्रा कर रहे अन्य 4 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) और (घ) इस दुर्घटना की अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई थी। जिन्होंने टाटा सूमो के ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया है। उसके विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में प्रथम रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

टैक्सटाइल प्रयोगशालाएं

1790. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रही टैक्सटाइल प्रयोगशालाओं के स्थानवार/राज्यवार नाम क्या हैं और ये प्रयोगशालाएं किस निकाय के अधीन कार्य कर रही हैं;

(ख) प्रत्येक प्रयोगशाला को शुरू किए जाने की तारीख क्या है और प्रत्येक प्रयोगशाला में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या ये सभी प्रयोगशालाएं कार्य करने की स्थिति में हैं;

(घ) यदि नहीं, तो प्रयोगशालावार इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन प्रयोगशालाओं तथा कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस प्रकार की कुछ और प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार) (क) और (ख) देश में वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 55 वस्त्र प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। वस्त्र प्रयोगशालाओं का स्थान, आरंभ की तिथि तथा उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) वर्तमान में नयी प्रयोगशालाओं की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है तथापि, वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन व आधुनिकीकरण के लिए क्रमशः 6 करोड़ रुपए तथा 8 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

विवरण

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन देश में कार्यरत वस्त्र प्रयोगशालाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रयोगशाला	स्थान	आरंभ होने की तिथि	उपलब्ध परीक्षण सुविधाएं
1	2	3	4	5
1.	हथकरघा व वस्त्र विभाग	अगरतला, त्रिपुरा	अप्रैल, 2000	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड

1	2	3	4	5
2.	वस्त्र समिति	अमहमद्राबाद, गुजरात	जून 1976	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
3.	अमहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (अटीरा)	अमहमदाबाद, गुजरात	मई 1954	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
4.	टीएक्ससीओ-पीएससी	अमृतसर पंजाब	अक्टूबर 1999	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
5.	केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकी संस्थान (सी एस टीआरआई)	बंगलौर कर्नाटक	अप्रैल 1984	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
6.	वस्त्र समिति	बंगलौर कर्नाटक	अप्रैल 1983	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
7.	टीएक्ससीओ-पीएससी	बेलगांव कर्नाटक	अक्टूबर 1999	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
8.	आई सी टी	भदोई, उत्तर प्रदेश	सितम्बर 1999	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
9.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	भगलपुर बिहार	अक्टूबर 1997	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
10.	उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ–विद्युत करघा सेवा केन्द्र	भीलवाड़ा राजस्थान	अप्रैल 1998	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
11	सस्मीरा पीएससी	भिवन्डी महाराष्ट्र	सितंबर 1999	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
12.	टीएक्ससीओ-पीएससी	बुरहानपुर मध्य प्रदेश	अक्टूबर 1999	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
13.	वस्त्र समिति	कोलकाता प. बंगाल	जनवरी 1975	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
14	भारतीय पटसन औद्योगिक अनुसंधान संघ (इजीरा)	कोलकाता प. बंगाल	जून 1937	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
15.	वस्त्र समिति	कन्नौर केरल	दिसम्बर 1998	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
16.	वस्त्र समिति	चैन्नई तमिलनाडु	जून 1974	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक पारिमापदंड
17	वस्त्र समिति	कोयम्बटूर तमिलनाडु	जून 1974	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक पारिमापदंड
18.	दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (सिटरा)	कोयम्बटूर तमिलनाडु	अक्टूबर 1956	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक पारिमापदंड
19.	वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान	कटक उड़ीसा	सितंबर 1999	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड

1	2	3	4	5
20.	एस सी टी एस, सी एस ओ आर आई	धर्मवरम आन्ध्र प्रदेश	अप्रैल 2000	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
21.	सिटरा पीएससी	डोडाबल्लापुर कर्नाटक	जनवरी 2000	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
22.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय—विद्युत करघा सेवा केन्द्र	इरोड तमिलनाडु	नवम्बर 1997	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
23.	उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा)	गाजियाबाद उत्तर प्रदेश	नवम्बर 1975	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
24	वस्त्र समिति	गुन्टूर आन्ध्र प्रदेश	फरवरी 2001	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
25.	इजीरा	गुवाहाटी असम	दिसम्बर 1998	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
26.	वस्त्र समिति	हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश	अगस्त 1993	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक य रसायनिक मापदंड
27.	बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ—विद्युतकरघा सेवा केन्द्र	इचलकरन्जी महाराष्ट्र	जुलाई 1989	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
28.	अहमदाबाद वस्त्र अनुसंधान संघ	इन्दौर मध्य प्रदेश	अप्रैल 1958	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
29.	वस्त्र समिति	जयपुर राजस्थान	अप्रैल 1991	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
30	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	जम्मू, जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 1997	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
31.	वस्त्र समिति	जोधपुर राजस्थान	मई 2000	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
32.	एससीटीएच—सीएसटीआरआई	कांचीवरम तमिलनाडु	अप्रैल 2000	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
33.	वस्त्र समिति	कानुपर उत्तर प्रदेश	जनू 1977	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
34.	भारतीय प्रौद्यागिकी संस्थान	कानपुर उत्तर प्रदेश	सितम्बर 1997	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के पारिमापदंड
35.	वस्त्र समिति	करूर तमिलनाडु	अप्रैल, 1997	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
36.	टीएक्ससीओ—पीएससी	किशनगढ़ राजस्थान	अक्टूबर 1999	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
37.	वस्त्र समिति	लुधियाना पंजाब	मई 1982	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड

1	2	3	4	5
38.	वस्त्र समिति	मदुरई तमिलनाडु	अगस्त 1975	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
39.	टीएक्ससीओ–पीएससी	मालेगांव महाराष्ट्र	जुलाई 1999	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
40	निटरा पीएससी	मेरठ उत्तर प्रदेश	दिसम्बर 1999	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
41.	बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ (बटरा)	मुम्बई महाराष्ट्र	जुलाई 1996	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
42.	सिरकोट	मुम्बई महाराष्ट्र	दिसम्बर 1924	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
43.	सस्मीरा	मुम्बई महाराष्ट्र	मार्च 1958	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
44.	वस्त्र समिति	मुम्बई महाराष्ट्र	अप्रैल 1970	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
45.	सिरकोट	नागपुर महाराष्ट्र	दिसम्बर 1985	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
46.	आई आई टी	नई दिल्ली, दिल्ली	अप्रैल 2000	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
47.	वस्त्र समिति	नई दिल्ली, दिल्ली	जून 1974	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
48.	उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ–विद्युतकरधा सेवाकेन्द्र	पानीपत हरियाणा	जनवरी 1998	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
49.	दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ	सालेम तमिलनाडु	अप्रैल 1975	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
50.	इजीरा	शांतिपुर प. बंगाल	फरवरी 2000	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
51.	मानव निर्मित फाईबर वस्त्र अनुसंधान संघ मंतरा	सूरज गुजरात	मई 1984	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
52.	टीएक्ससीओ–पीएससी	सूरज गुजरात	अक्टूबर 1999	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक व रसायनिक मापदंड
53.	ऊन अनुसंधान संघ वरा	थाणे महाराष्ट्र	अक्टूबर 1963	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
54.	वस्त्र समिति	तिरूपुर तमिलनाडु	सितम्बर 1993	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड
55.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	वाराणसी उत्तर प्रदेश	जनू 1997	फाईबर, यार्न, फैब्रिको, रंजकों तथा रसायनों के वास्तविक, रसायनिक व पारिमापदंड

[अनुवाद]

गैसल रेल दुर्घटना की जांच

1791. श्री वसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैसल रेल दुर्घटना की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। गैसल त्रासदी की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति जी. एन राय की अध्यक्षता में गठित कमीशन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है। कमीशन के निष्कर्षों के अनुसार गैसल दुर्घटना "कर्मचारियों की गलती" के कारण हुई थी।

(ग) राय आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

एन. टी. पी. सी. के अधीन परियोजनाएं

1792. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में एन.टी.पी.सी के अधीन विद्युत उत्पादन कर रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी विद्युत उत्पादक इकाइयां अपनी पूर्व क्षमता तक कार्य कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या एन.टी.पी.सी के अधीन किसी इकाई को बंद कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) एन.टी.पी.सी की वर्तमान अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 19435 मे. वा. है जिसमें 15,480 मे. वा. कोयला आधारित केन्द्र तथा 3955 मे. वा. संयुक्त साइकिल केन्द्र शामिल हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एन.टी.पी.सी पूर्वी क्षेत्र, तालचेर ताप विद्युत केन्द्र और टांडा ताप विद्युत केन्द्र (टांडा) को छोड़कर अपने कोयला आधारित विद्युत केन्द्रों की पूर्ण क्षमता का समुपयोजन कर रहा है।

एन.टी.पी.सी के पूर्वी क्षेत्र के विद्युत केन्द्र निकास सुविधाओं की कमी के कारण बैकिंग डाउन की समस्या का सामना कर रहे हैं। विद्युत की निकासी में शामिल विभिन्न कठिनाइयों हैं:– ईआरईबी द्वारा दिया गया कम उत्पादन का कार्यक्रम, (ख) अपर्याप्त पारेषण/उप पारेषण और वितरण प्रणाली तथा (ग) उपर्याप्त अंत:क्षेत्रीय विद्युत पारेषण नेटवर्क। एन.टी.पी.सी के पूर्वी क्षेत्र के स्टेशनों के लिए उच्च उत्पादन कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए तथा पूर्वी क्षेत्र से अन्य राज्यों को विद्युत का अंतरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कम उत्पादन करने वाले टीटीमीएस और टांडा को एन.टी.पी.सी द्वारा उड़ीसा में राज्य विद्युत बोर्ड और यूपीएसईबी (अब यूपीपीसीएल) द्वारा हाथ में ले लिया गया था। इन विद्युत केन्द्रों में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य चल रहा है ताकि उनके कार्य निष्पादन में सुधार किया जा सके। एनटीपीसी के गैस स्टेशनों को गैस उपलब्धता तथा ग्रिड आवश्यकताओं के अनुसार चलाया जाता है।

(ग) और (घ) समय-समय पर पूर्वी क्षेत्र में एन.टी.पी.सी की 500 मे. वा. यूनिटों और 200 मे.वा. यूनिटों को मांग की स्थिति के अनुसार पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र के निदेश के अनुसार बन्द रखा जाता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अवस्थिति	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4
1.	*कोयला आधारित केन्द्र*		
1.	सिंगरोली	उ. प्र.	2000
2.	कोरबा	छत्तीसगढ़	2100
3.	रामागुंडम	आन्ध्र प्रदेश	2100
4.	फरक्का-I	पं. बंगाल	600
	फरक्का-II	पं. बंगाल	1000
5.	विन्ध्याचल-I	म.प्र	1260
	विन्ध्याचल-II	म.प्र	1000
6.	रिहन्द-I	उ.प्र	1000
7.	कहलगांव-I	बिहार	840
8.	एनसीटीपीपी-दादरी	उ.प्र	840
9.	तालचेर-एसटीपीपी	उड़ीसा	1000
10.	तालचेर-टीपीएस	उड़ीसा	460
11.	उच्चाहार-I	उ.प्र	420
	उच्चाहार-II	उ.प्र	420
12.	टांडा टीपीएस	उ.प्र.	440
	कुल (कोयला)		15480

1	2	3	4
2.	*संयुक्त साइकिल केन्द्र*		
1.	औरया	उ.प्र.	652
2.	अता	राजस्थान	413
3.	कवास	गुजरात	645
4.	दादरी	उ.प्र.	817
5.	जैन्नूर-गांधार	गुजरात	648
6.	कायमकुलम	केरल	350
7.	फरीदाबाद	हरियाणा	430
	कुल (गैस)		3955
	कुल जोड़		19435

फास्ट ट्रैक स्कीम

1793. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी लॉ बोर्ड की "फास्ट ट्रैक एक्जिट स्कीम" कई बार बढ़ाने के बावजूद असफल हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आठ हजार कम्पनियों, जो भारत के पूर्वी भाग में गुमनाम हो गई हैं, में से केवल 1072 कम्पनियों ने उक्त योजना को चुना था;

(ग) क्या फास्ट ट्रैक एक्जिट स्कीम की असफलता का कारण इसे कुसमय लागू करना था क्योंकि इसे कम्पनी लॉ सैटलमेंट योजना के तुरन्त बाद शुरू किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो गायब हो गई कम्पनियों की धर पकड़ कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) पूर्वी क्षेत्र में योजना के लिए 1334 कम्पनियों ने इच्छा जाहिर की है। हमारे रिकार्ड के अनुसार 91598 कम्पनियों का पूर्वी क्षेत्र में कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास पंजीकरण किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित की जाती हैं। पब्लिक निर्गम के साथ आई सभी सूचीबद्ध कम्पनियों के कार्यकरण को मॉनिटर किया जाना सेबी/स्टाक एक्सचेंजों में निहित है। सेबी द्वारा लुप्त कम्पनियों के रूप में पहचानी गई 142 कम्पनियों में से केवल 24 कम्पनियां ही पहचानी गई हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सका है और कम्पनी रजिस्ट्रारों को कम्पनी अधिनियम की धारा 433/439 के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

रेल पटरियों की टूट-फूट का पता लगाना

1794. **श्री वेंकटेश नायक:**
श्री मोइनुल हसन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटरियों की टूट-फूट का पता लगाने वाली मंहगी मशीनरी और उपस्कर अप्रयुक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान तथा अभी तक पटरियों की टूट-फूट से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जोनवार कौन-कौन से हैं; और

(घ) उन्हें बदलने पर अनुमानित लागत कितनी आई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ब्यौरा इस प्रकार है:

क्षेत्रीय रेलवे	1999-2000 में अति प्रभावित खंड	2000-2001 (जनवरी तक) में अति प्रभावित खंड
मध्य	लोनावला-पुणे	लोनावला-पुणे
पूर्व	झाझा-पटना-मुगलसराय	झाझा-पटना-मुगलसराय
उत्तर	मुरादाबाद-गाजियाबाद	मुरादाबाद-गाजियाबाद
पूर्वोत्तर	कटिहार-बरौनी	कटिहार-बरौनी
पूर्वोत्तर सीमा	गुवाहाटी-मालदा	गुवाहाटी-मालदा
दक्षिण	चेन्नै-अरक्कोणम	चेन्नै-अरक्कोणम
दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम	विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम
दक्षिण पूर्व	रायपुर-बिलासपुर	रायपुर-बिलासपुर
पश्चिम	उधना-जलगांव	मदार-पालनपुर

पटरी की टूट-फूट पर किया गया खर्च टूट-फूट की प्रकृति और अपेक्षित मरम्मत पर निर्भर करता है। पटरी की टूट-फूट मौजूदा पटरी की कटिंग करके और अच्छी पटरी लगाकर की जाती है, ऐसा दो झलाई करके किया जाता है। झलाई की टूट-फूट को पुरानी झलाई काटकर और बड़ी झलाई करके सही किया जाता है। स्थल की स्थिति के आधार पर मरम्मत की लागत प्रति टूट-फूट 2,000 रुपए से 10,000 रुपय तक होती है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत और पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों की स्थिति

1795. श्री सईदुज्जमाः क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का ब्यौरा क्या है तथा पवन ऊर्जा आदि सहित वास्तविक प्रयोग में आने वाले पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्रोत की क्षमता का ब्यौरा क्या है और उनका मौजूदा प्रयोग और अंतिम लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों और बायोमास सहित पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों की स्थिति सुखद नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) भारत में सौर, पवन, लघु पनबिजली और बायोमास जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की व्यापक संभाव्यता मौजूद है। खाना पकाने तापन, रोशनी और विद्युत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रभावी उपयोग हेतु देश में विभिन्न प्रणालियों/युक्तियों को विकसित किया गया है। देश में अनमानित संभाव्यता और 31 दिसम्बर, 2000 के अनुसार विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। मंत्रालय ने 31 दिसम्बर, 2000 तक बायोमास से लगभग 300 मेवा. सहित लगभग 3000 मेवा. की संचयी संभाव्यता की स्थापना की है और बायोमास सहित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा अक्षय ऊर्जा विद्युत की वीलिंग, बैंकिंग, खरीद-वापसी और तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए वित्तीय सहायता, उदार शर्तों पर ऋण और अनुकूल अक्षय ऊर्जा नीतियों सहित विभिन्न राजकोषीय, वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन, विकास एवं उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

विवरण

देश में दिसम्बर, 2000 तक विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत अनुमानित संभाव्यता और उपलब्धियां

	स्रोत/ प्रणालियां	अनुमानित संभाव्यता	उपलब्धियां (31.12.2000 के अनुसार)
1.	बायोगैस संयंत्र (सं.)	120 लाख	31.1 लाख
2.	उन्नत चूल्हा (सं.)	12 करोड़	326.2 लाख
3.	क. बायोमास विद्युत	19,500 मेवा.	273 मेवा.
	ख. बायोमास गैसीफायर		35.32 मेवा.
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय	20 मेवा./वर्ग किमी.	
	(i) सौर सड़क रोशनी प्रणालियां	–	40764 सं.
	(ii) घरेलू रोशनी प्रणालियां	–	137212 सं.
	(iii) सौर लालटेन	–	319310 सं.
	(iv) एसपीवी विद्युत संयंत्र	–	1078.7 केडब्लूपी
5.	सौर जल तापन प्रणालियां	30 मिलीयन वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र	5,50,000 वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र
6.	सौर कुकर		4,91,212 सं.
7.	पवन विद्युत	45,000 मेवा.	1269.4 मेवा
8.	लघु पन बिजली (25 मेवा. तक)	15,000 मेवा.	1341.1 मेवा.
9.	पवन पंप		670 सं.
10.	हाइब्रिड प्रणालियां		91.5 किवा.
11.	सौर पीवी पंप		3575 सं.
12.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत		1615 किवा.
13.	अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति	1700 मेवा.	16.2 मेवा.
14.	बैटरी चालित वाहन		240 सं.

मेवा. = मेगावाट किवा. = किलोवाट वर्ग किमी. = वर्ग किलोमीटर
केडब्लूपी = किलोवाट पीक

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1796. श्री सुबोध मोहितेः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने रत्नागिरि और विदर्भ क्षेत्र में एक हजार मेगावाट की दो ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए स्थलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के दृष्टिकोण प्राप्त किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं द्वारा अपना कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क), (ख) और (ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किसी विशेष क्षेत्र/राज्य में विद्युत संयंत्र की स्थापना का निर्धारण क्षेत्र में कोयले/ईंधन की उपलब्धता, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, प्रमुख निवेशों जैसे भूमि, जल की उपलब्धता, परियोजना स्थल द्वारा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का न्यूनतम विस्थापना तथा प्रमुख कृषि/वन भूमि का न्यूनतम अधिग्रहण करके पर्यावरणीय मानदंडों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों की पूर्ति करना, लाभभोगी राज्यों की भुगतान करने की क्षमता तथा पर्याप्त सुरक्षा तन्त्रों के साथ विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर करने की इच्छा तथा अन्य तकनीकी-आर्थिक विचारों के आधार पर किया जाता है। अपने दीर्घकालीन क्षमता-अभिवृद्धि कार्यक्रम में एक हिस्से के भाग के रूप में, एनटीपीसी महाराष्ट्र में कोंकण एवं विदर्भ क्षेत्रों में कुछ स्थानों की खोज कर रहा है ताकि वहां ताप-विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने हेतु उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रथम दृश्टया उपयुक्तता की जांच की जा सके।

(ग) और (घ) एनटीपीसी प्रस्तावित विद्युत संयंत्र की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता प्रमाणित होने तथा इसके कार्य-स्थल के निर्धारण होने के पश्चात भूमि, जल की उपलब्धता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य सरकार तथा अन्य एजेन्सियों से अनापत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृतियों और वचनबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए कदम उठाएगी।

खजुराहो को विश्व विरासत का दर्जा

1797. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाइडे :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को ने संकेत दिया है कि खुजराहो स्मारक समूह विश्व विरासत का अपना दर्जा खो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रेन की पूछताछ प्रणाली

1798. **श्री चन्द्र नाथ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार यात्रियों को यह बताने के लिए कि इस समय रेलगाड़ी ठीक-ठीक कहां पर है अपनी पूछताछ प्रणाली का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में ऐसी प्रणाली किन-किन स्थानों पर चालू है;

(घ) क्या सरकार राजधानी और सुपरफास्ट ट्रेनों में इंटरनेट कियोस्क लगाने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त इंटरनेट कियोस्क कब तक लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) गाड़ी चालन के संबंध में यात्री सूचना प्रणाली को अपग्रेड करने के उद्देश्य से रेलों ने राष्ट्रीय गाड़ी सूचना प्रणाली स्थापित की है जिसमें महत्वपूर्ण स्टेशनों के पूछताछ केन्द्रों पर टर्मिनलों के माध्यम से गाड़ी चालन की स्थिति मुहैया कराने, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इन्टरएक्टिव वाइस रिसपौंस स्टिमए प्रदर्श बोर्ड और उद्घोषणा की व्यवस्था है। यह प्रणाली निश्चित अंतरालों पर अद्यतन की हुई सूचना मुहैया कराती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्थानों जहां राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली परिचालन में है, की रेलवे-वार सूची इस प्रकार है:

रेलवे	स्टेशनों के नाम
मध्य	मुंबई छ.शि.ट, लोक मान्य तिलक टर्मिनल, दादर, पुणे, सोलापुर, भुसावल, नासिक रोड, अकोला, नागपुर, जबलपुर, कटनी, भोपाल, हबीबगंज, झांसी, आगरा कैंट।
पूर्व	आसनसोल, केन्द्रीय पूछताछ केन्द्र (पुरानी कोयला घाट इमारत, कोलकाता), वानापुर, दुर्गापुर, हवड़ा मोकामा, पटना, भागलपुर, धनबाद, गया, मालदा टाउन, मुगलसराय, सियालदह।
उत्तर	दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, इलाहाबाद, बीकानेर, देहरादून, हरिद्वार, जोधपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, अंबाला कैंट।
पूर्वोत्तर	इज्जतनगर, लखनऊ, गोरखपुर जं., मंडुआडीह, सोनपुर जं., समस्तीपुर जं.।
पूर्वो. सीमा.	कटिहार, न्यू जलपाई गुड़ी, अलीपुर द्वार और गुवाहाटी।
दक्षिण	चन्नै और बेंगलूरु।
दक्षिण मध्य	सिंकदराबाद, हैदराबाद, काचेगुड़ा, रोजयवाड़ा, हुबली, गुन्टूर, गुन्तकल, नेल्लोर, नादिड़, राजामुंदरी, तिरुपति, वास्को, वारंगल।
दक्षिण पूर्व	टाटानगर, बिलासपुर, खड़गपुर, राउरकेला, विशाखापत्तनम, कटक, भुवनेश्वर, बेरहमपुर, खोरधा रोड़, चक्रधरपुर, संबलपुर और आद्रा
पश्चिम	सेपरेट सिस्टम वार्किंग जो पी.सी. आधारित है मुंबई सेंट्रल, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, उज्जैन और इन्दौर में सूचना मुहैया कराती है।

[हिन्दी]

आयुध डिपो के कार्यकरण की समीक्षा

1799. **श्री तूफानी सरोज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुध डिपो के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या करगिल संघर्ष में 'आपरेशन विजय' के दौरान आयुध सामग्रियों की आपूर्ति समय पर नहीं की गई थी और 48 प्रतिशत मामलों में यह आपूर्ति इससे तीन महीने की देरी से की गई थी;

(घ) यदि हां, तो ऐसे आयुध डिपो का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा की गई थी तथा "आयुध सेवाओं में सामान-सूची प्रबंधन की समीक्षा" संबंधी रिपोर्ट संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) की 2000 की सं.7 'क' के संदर्भ के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

(ग) जी, नहीं। सभी संक्रियात्मक आवश्यकताएं तकनीकी अनुदेशों में दिए गए निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही युद्ध स्तर पर पूरी हो गई थीं। संदर्भाधीन प्रश्न में दिया गया आंकड़ा, कि 48% मामलों में इस आपूर्ति में एक से तीन माह का विलंब हुआ था, एक केंद्रीय आयुध डिपो द्वारा इस मामले पर किए गए विश्लेषण से लिया गया था तथा उन मदों से संबंधित है जोकि मध्यस्थ डिपो द्वारा उपयोग किए गए सामान की पूर्ति किए जाने के लिए थीं न कि संक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम में अनुसंधान और विकास

1800. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का प्रबंधन अनुसंधान और विकास के कार्य को गंभीरता से लेता है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की प्रत्येक अनुसंधान और विकास इकाई पर आने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्तर पर किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) के आठ अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संस्थान नामतः केशव देव मालवीय इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन (के डी एम आई पी ई), ज्यो-डाटा प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटेशन सेंटर (जी ई ओ पी आई सी), इंस्टीट्यूट आफ ड्रिलिंग टेक्नालौजी (आई डी टी), इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वायर स्टडीज (आई आर एस), इंस्टीट्यूट ऑफ आयल एंड गैस प्रोडक्शन टेक्नालौजी (आई ओ जी पी टी), इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड ओशन टेक्नालौजी (आई ई ओ टी), इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट (आई पी एस ई एम) और इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेकनालाजी एंड ज्योटेक्टानिक्स स्टडीज (आई एन बी आई जी एस) हैं। इस संस्थानों में किये गये आर एंड डी कार्य में सुरक्षा और पर्यावरण सहित हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन के सभी पहलू शामिल हैं। ये संस्थान अपने कार्य में अग्रणी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और अपने आपको अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और मानकों से लाभान्वित करने का प्रयत्न करते हैं। इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ओ एन जी सी के इन आर एंड डी संस्थानों पर व्यय का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

संविधान की समीक्षा

1801. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान समीक्षा के प्रयास की समाज की विभिन्न तबकों की ओर से व्यापक आलोचना हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने इस संबंध में परामर्श पत्र में अनेक बातों के सुझाव दिए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां, यह कहना सही नहीं होगा कि संविधान समीक्षा के प्रयास की व्यापक रूप से आलोचना हुई है। तथापि, समाज के कुछ हल्कों में इसकी आलोचना हुई है।

(ख) और (ग) आयोग ने जांच के लिए दस सामयिक चिन्ता से सम्बद्ध क्षेत्रों की पहचान कर ली है। आयोग जनता में बहस और चर्चा के लिए अभी तक सात परामर्शी-पत्र और प्रश्नावली तैयार करके जारी कर चुका है। आयोग द्वारा जारी किए गए परामर्शी पत्र और प्रश्नावली की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार अपनी प्रतिक्रिया आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही व्यक्त कर सकती है।

विवरण

परामर्शी पत्र और प्रश्नावली की सूची

1. विशेषकर निर्वाचन और सुधार विकल्पों से संबंधित राजनीतिक दलों के कार्यकरण की समीक्षा;
2. निर्वाचन विधि, प्रक्रिया और सुधार विकल्पों की समीक्षा;
3. विधायकों की उन्मुक्ति—अनुच्छेद 105(2) में, "किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में" इन शब्दों की सार्थकता क्या है;
4. संविधान के अधीन संधि करने की शक्ति;
5. अपकृत्य के संबंध में राज्य का दायित्व;
6. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा; और
7. भारत में लोक लेखापरीक्षा प्रणाली की क्षमता, भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक संस्था में सुधार।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन

1802. श्री रामपाल सिंह: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश को कुल कितनी सहायता मुहैया कराई गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सौर

ऊर्जा के विकास एवं उपयोग के लिए आपरंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

वर्ष	रिलीज की गई निधियां (लाख रु. में)
1997-98	725.85
1998-99	894.81
1999-2000	408.21

उपर्युक्त वित्तीय सहायता नेडा द्वारा लगभग पूरी तरह उपयोग में लाई गई है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश (वर्ष 2000-01 के दौरान उत्तरांचल सहित) को कुल 2952.17 लाख रु आवंटित किए गए हैं। योजना के अंतिम वर्ष (2001-2002) के लिए आवंटन अब तक नहीं किया गया है।

तेल कंपनियों की तेल रिफाइनरी परियोजनाएं

1803. **श्री रामदास आठवले:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी तेल कंपनियों के गत तीन वर्षों के दौरान कुछ विदेशी तेल कंपनियों के साथ मिलकर तेल रिफाइनरी परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में भी इसी तरह के प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत विदेशी तेल कंपनियों के पास कितनी इक्विटी है और सरकार तथा अन्य पार्टियों के पास अपेक्षाकृत कितनी इक्विटी है; और

(च) उक्त परियोजनाएं कब तक पूरी होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क), (ख) और (ङ) उड़ीसा में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) और कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (के पी सी) प्रत्येक की 26 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी और शेष 48 प्रतिशत की जनसाधारण आदि की इक्विटी भागीदारी के साथ पारादीप रिफाइनरी परियोजना का अनुमोदन सरकार द्वारा जुलाई 1998 में किया गया था। के पी सी अब जनवरी, 2000 में इस परियोजना से निकल गई है।

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) और ओमान आयल कंपनी (ओ ओ सी) प्रत्येक द्वारा 26 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश में बीना में मध्य भारत रिफाइनरी परियोजना का अनुमोदन दिसंबर, 1995 में किया गया था। ओ ओ सी ने अब अपनी इक्विटी भागीदारी आज की तारीख तक वास्तविक निवेश के स्तर तक कम करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियों का फिलहाल विदेशी तेल कंपनियों के साथ सहयोग में तेल रिफाइनरियां खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) पारादीप रिफाइनरी परियोजना के आई ओ सी द्वारा अगस्त, 2003 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

बी पी सी एल द्वारा बीना रिफाइनरी परियोजना को, परियोजना क्रियान्वयन के आरंभ होने की तारीख से 48 महीने के भीतर पूरी कर लिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण

1804. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए कोई नए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "तेल बचाओ" अभियान के अंतर्गत एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में पी सी आर ए का कितना योगदान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कोल बेड मिथेन, गैस हाइड्रेट और

नवीकरण योग्य ईंधनों जैसे वैकल्पिक और गैर परम्परगत ईंधनों का दोहन करने के लिए उपाय किए हैं। इथेनाल-पेट्रोल मिश्रण पर प्रायोगिक परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए लिए अनुमोदित कर दी गई हैं। इनसे पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण होगा।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। "तेल बचाओ" अभियान तेल संरक्षण सप्ताह/पखवाड़े का एक भाग है जो 1991 से देश में नियमित रूप से मनाया जाता रहा है। यह जनजागृति अभियान नोडल एजेंसी के रूप में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के साथ तेल क्षेत्र द्वारा आयोजित किया जाता है।

मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र

1805. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री चिंतामन वनगा:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने मतदाता हैं;

(ख) देश में राज्यवार ऐसे कितने मतदाता हैं जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा किए गए कुल खर्च का 50 प्रतिशत निर्गत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) इसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

(ग) और (घ) यह स्कीम भारत निर्वाचन आयोग के समग्र प्रभार के अधीन प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका आधे-आधे के आधार पर उनके द्वारा जब भी मांग की जाए उनके हिस्से की प्रतिपूर्ति करने भर कर सीमित है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1994-95 से जब तक विशिष्टतः निर्वाचक फोटो पहचान पत्र स्कीम पर व्यय के लिए 419,45,61,710 रुपए दिए जा चुके हैं।

विवरण

भारत-निर्वाचन आयोग

निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(तारीख) को स्थिति	कुल निर्वाचक	निर्वाचक जिन्हें त्रुटिविहीन पहचान पत्र जारी किए गए	प्रतिशतता (5, 4 का कितना प्रतिशत है)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	30.4.2000	49,140,231	32,568,406	66.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.3.2000	622,124	373,152	59.98
3.	असम	31.5.1998	12,575,854	67,479	0.54
4.	बिहार	31.3.1998	58,438,317	21,681,836	37.10
5.	गोवा	30.9.2000	917,222	525,575	57.30
6.	गुजरात	31.5.2000	29,631,636	23,177,051	78.22
7.	हरियाणा	30.4.2000	11,108,535	9,850,009	88.67
8.	हिमाचल प्रदेश	30.11.2000	3,814,769	2,654,733	69.59
9.	जम्मू-कश्मीर	–	5,022,782	0	0.00

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	30.9.2000	34,903,920	24,407,863	69.93
11.	केरल*	30.11.2000	22,416,897	16,295,609	72.69
12.	मध्य प्रदेश	31.1.2000	44,640,047	27,706,647	62.07
13.	महाराष्ट्र	3.11.2000	57,505,567	44,455,999	77.31
14.	मणिपुर	31.7.2000	1,413,690	1,033,733	73.12
15.	मेघालय	20.4.2000	1,182,672	641,459	54.24
16.	मिजोरम	—	457,434	0	0.00
17.	नागालैंड	31.1.2000	966,275	625,996	64.78
18.	उड़ीसा	30.9.2000	24,172,899	18,188,207	75.24
19.	पंजाब	30.11.2000	15,723,949	10,810,977	68.75
20.	राजस्थान	31.10.2000	31,177,865	22,532,408	72.27
21.	सिक्किम	31.1.2000	257,062	200,077	77.83
22.	तमिलनाडु*	30.11.2000	47,945,872	26,581,419	55.44
23.	त्रिपुरा	31.1.2000	1,725,809	1,229,993	71.27
24.	उत्तर प्रदेश	31.3.2000	101,943,066	53,027,456	52.02
25.	पश्चिमी बंगाल*	30.11.2000	48,121,902	39,102,999	81.26
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	30.9.2000	252,729	194,973	77.15
27.	चंड़ीगढ़	30.4.1999	538,607	381,048	70.75
28.	दादरा और नागर हवेली	31.12.2000	103,603	81,700	78.86
29.	दमण और दीव	28.2.1999	71,931	45,645	63.46
30.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	31.1.2000	8,707,531	5,800,683	66.62
31.	लक्षद्वीप	28.2.1999	36,738	31,813	86.59
32.	पांडिचेरी*	30.9.2000	658,927	555,675	84.33
	समस्त भारत का योग		616,195,862	384,830,620	62.45

* निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, केरल और पांडिचेरी में जहां विधान सभाओं के निर्वाचन वर्ष 2001 के आरंभ में ही होने हैं, इन पहचानपत्रों के साथ अधिक से अधिक निर्वाचकों को समाविष्ट करने को उच्चतम पूर्विकता प्रदान की है। इन राज्यों में हुई प्रगति निम्नानुसार है:

निर्वाचक पहचानपत्रों की प्रगति पर प्रास्थिति रिपोर्ट

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित तारीख को स्थिति	कुल निर्वाचक	जुलाई, 2000 तक त्रुटिविहीन पहचान पत्र जारी किए गए निर्वाचक	जुलाई 2000 के पश्चात् त्रुटिविहीन पहचान पत्र जारी किए गए निर्वाचक	अब तक जारी किए गए कुल निर्वाचक पहचान पत्र (स्तंभ 4 + स्तंभ 5)	प्रतिशत (स्तंभ 6 स्तंभ 3 का कितना प्रतिशत है)
1.	केरल	31.1.2001	22,848,899	15,327,431	1,922,258	17,294,195	75.69
2.	तमिलनाडु	1.1.2001	47,945,872	26,581,419	4,213,115	30,796,859	64.23
3.	पश्चिमी बंगाल	1.1.2001	48,642,245	37,673,926	2,155,974	39,829,900	81.88
4.	पांडिचेरी	31.10.2000	658,927	555,675	—	—	84.33

टिप्पण: पांडिचेरी में निर्वाचक पहचान पत्र कार्यक्रम निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण के चालू चक्र के पश्चात् आरंभ होगा।

बंदेल स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण

1806. **श्री सुबोध रायः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंदेल रेलवे स्टेशन पर बंदेल स्टेशन के पूर्वी हिस्से और पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में पश्चिमी हिस्से से सभी पांच प्लेटफार्मों को जाने वाला फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में पहले से विद्यमान बुकिंग कार्यालय के अतिरिक्त पूर्वी हिस्से में बंदेल स्टेशन पर एक नया बुकिंग कार्यालय खोला जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बंदेल रेलवे स्टेशन पर बगरपाड़ा सबवे और प्लेटफार्म सबवे में जल-जमाव की कठिन समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पूर्व की ओर प्लेटफार्म 4 और 5 को जोड़ने वाला ऊपरी पैदल पुल पहले से निर्माणाधीन है। सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले अन्य ऊपरी पैदल पुल का प्रस्ताव सन् 2001-2002 के बजट में किया गया है।

(ग) और (घ) जी हां, पूर्व की ओर तीन काउंटर बुकिंग कार्यालय निर्माणाधीन हैं।

(ङ) बगारपाड़ा सबवे में पानी रुकने की समस्या को कम करने के लिए सुधार कार्य पहले ही स्वीकृत है। बंदेल सबवे के लिए सुधार कार्य पहले ही प्रगति पर है।

[हिन्दी]

बुलेट ट्रेनों का चलाया जाना

1807. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री नरेश पुगलिया :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री हरिभाऊ शंकर महाले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेज गति से चलने वाली बुलेट ट्रेनों के परिचालन के लिए मार्गों की तलाश करने और उनकी व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार जापान से तेजगति से चलने वाली बुलेट ट्रेनों को खरीदने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितना खर्च आने की संभावना है; और

(ङ) भारत में तेज गति से चलने वाली ऐसी रेलगाड़ी कब से चलाई जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, इस संबंध में एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए पेंशन

1808. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में भूतपूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं की श्रेणी में पेंशन का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की कुल राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन्हें दी जा रही पेंशन राशि में वृद्धि करने के लिए कोई मांग उठाई गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भूतपूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास के लिए राज्यवार कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास हेतु धन आबंटन को बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) इस समय परिवार पेंशनरों/युद्ध विधवाओं सहित पेंशनरों की कुल संख्या लगभग 19.5 लाख है। पेंशनरों के राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। पेंशन का संवितरण पूरे देश में फैले हुए 30,000 से भी अधिक पेंशन अदाकर्त्ता कार्यालयों अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं, कोषागारों, रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों, वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) और (ग) सशस्त्र सेना पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि के बारे में विभिन्न मांगों/सुझावों पर पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा विचार किया गया था। आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में, दिनांक 1.1.1996 से सशस्त्र सेना कार्मिकों की पेंशन/परिवार पेंशन संशोधित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। न्यूनतम पेंशन 375/- रुपये से 1275/- रुपये प्रतिमाह संशोधित कर दी गई है।

(घ) और (ङ) पूर्व सैनिकों/युद्ध-विधवाओं के पुनःस्थापन के लिए कोई विशेष बजट आबंटन नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के लिए बिजली का हिस्सा

1809. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार केरल को बिजली के बंटवारे में उसके हिस्से में आवंटित न की गई बिजली का एक भाग आवंटित करती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली के बंटवारे में केरल के हिस्से में आवंटित न की गई बिजली का हिस्सा 70 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक रहता है;

(ग) क्या सरकार ने 18 दिसम्बर, 1999 से केरल को आवंटित न किए गए हिस्से को घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस आबंटन को 4 प्रतिशत तक बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों के अनावंटित कोटे से आवंटन सामान्यतः संघटक प्रणालियों में विद्यमान संबंधित विद्युत की कमियों तथा आकस्मिकताओं जैसे विद्युत स्टेशनों का खराब होना। मौसमी कृषि मांग में वृद्धि इत्यादि के कारण होने वाली तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अनावंटित कोटे से केरल का आवंटन समय समय पर दक्षिणी राज्यों में विद्यमान संबंधित विद्युत की कमियां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) 20.1.2001 से अनावंटित विद्युत से केरल का आवंटन बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।

दीमापुर और तिजित के बीच नई रेल लाइन

1810. श्री के.ए. संगमम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चुमेकेदिमा से होते हुए दीमापुर और तिजित के बीच एक नया रेल संपर्क शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दीमापुर से चुमेकेडिमा तक नई लाइन के निर्माण के लिए 1986 में सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि 13 किमी. लंबी लाइन की लागत ऋणात्मक प्रतिफल की दर सहित 6.29 करोड़ रुपए होगी। समग्रतः लाइन की अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए इस समय परियोजना पर विचार करना संभव नहीं पाया गया।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

1811. श्री किरीट सोमैया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अलग-अलग कुल कितना विद्युत का उत्पादन हुआ;

(ख) देश में वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विद्युत की राज्यवार कुल कितनी मांग और उपलब्धता है;

(ग) इन वर्षों के दौरान वर्ष 1998 की अपेक्षा राज्यवार विद्युत की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सरकार द्वारा वास्तविक रूप में कितनी आपूर्ति की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में विद्युत की बढ़ती मांग से निपटने का है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मांग से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) नौवीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र में कुल कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ़ाए जाने की संभावना है और अब तक इसमें कितनी उपलब्धि हासिल की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) अप्रैल-जनवरी 2001 के दौरान निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों द्वारा तैयार विद्युत क्रमशः 31951 मेगा यूनिट एवं 383085 मेगा यूनिट थी।

(ख) और (ग) 1997-98 से 2000-01 के जनवरी 2001 तक राज्यवार आपूर्ति स्थिति संलग्न विवरण I और II में बताई गई है।

(घ) और (ङ) विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के अन्तराल को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) मौजूदा पुराने व अकार्यक्षम विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों को शुरू करने के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को विशेष निधि आपूर्ति कराई जा रही है।

(2) विद्युत क्षेत्र में सुधार एवं पुनर्गठन का त्वरित क्रियान्वयन।

(3) हाल में चालू हुए यूनिटों का शीघ्र स्थायीकरण एवं थर्मल यूनिटों के संयंत्र भार घटक में समग्र वृद्धि।

(4) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।

(5) ऊर्जा क्षमता एवं संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन।

(6) त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत थर्मल विद्युत केन्द्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण में सुधार करने हेतु पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋणों का संवितरण।

(7) 2012 तक मौजूदा उत्पादन क्षमता को दुगुना करने हेतु क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का त्वरित क्रियान्वयन।

(8) पारेषण लिंकों को निर्माण एवं अन्ततः राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना के जरिए अन्तःराज्यीय एवं अन्तःक्षेत्रीय विद्युत अंतरण में वृद्धि।

(9) जल शक्यता का तेली से दोहन करने हेतु हाइड्रल नीति का निरूपण।

(च) अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जनवरी 2001 में की गई समीक्षा के अनुसार यह पाया गया है कि नौवीं योजना को दौरान 20891.57 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि की सम्भावना है। नौवीं योजना के दौरान जनवरी 2001 के संचयी रूप से 14436.70 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि हुई।

विवरण-I

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(आंकडे मि. यूनिट में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	1997-98				1998-99				1999-2000			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (–) हानि/ (+) अधिशेष	%	अवश्यकता	उपल-ब्धता	कमी (–) हानि/ (+) अधिशेष	%	आवश्य-कता	उपलब्धता	कमी (–) हानि/ (+) अधिशेष	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी												
चंड़ीगढ़	941	941	0	0	1025	1022	-3	-0.3	1033	1032	-1	-0.1
दिल्ली	14952	14676	-276	-1.8	16500	16184	-316	-1.9	17635	17141	-494	-2.8
हरियाणा	13196	12981	-215	-1.6	14106	13808	-298	-2.1	15950	15578	-372	-2.3
हिमाचल प्रदेश	2897	2895	-2	-0.1	2954	2949	-5	-0.2	3125	3115	-10	-0.3
जम्मू एवं कश्मीर	5346	5201	-145	-2.7	5784	5437	-347	-6.0	6065	4903	-1162	-19.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब	22100	21928	-172	-0.8	24884	24340	-544	-2.2	26335	26164	-171	-0.6
राजस्थान	20655	20288	-367	-1.8	23340	22766	-574	-2.5	25155	24024	-1131	-4.5
उत्तर प्रदेश	41157	36105	-5052	-12.3	42291	38158	-4153	-9.8	44525	38800	-5725	-12.9
उत्तरी क्षेत्र	121244	115013	-6231	-5.1	130884	124644	-6240	-4.8	139823	130743	-9080	-6.5
पश्चिमी												
गुजरात	40622	38489	-2133	-5.3	45685	42835	-2850	-6.2	51202	46994	-4208	-8.2
मध्य प्रदेश	32101	29936	-2165	-6.7	35407	33345	-2062	-5.8	37198	34543	-2655	-7.1
महाराष्ट्र	61935	60149	-1786	-2.9	66332	63778	-2554	-3.9	73498	69002	-4496	-6.1
गोवा	1369	1369	0	0	1650	1445	-205	-12.4	1806	1414	-392	-21.7
पश्चिमी क्षेत्र	136027	129943	-6084	-4.5	149074	141403	-7671	-5.1	163704	151953	-11751	-7.2
दक्षिणी												
आन्ध्र प्रदेश	41599	35606	-5993	14.4	41958	38293	-3665	-8.7	45835	42832	-3003	-6.6
कर्नाटक	26577	21192	-5385	-20.3	26061	22626	-3435	-13.2	28201	25851	-2350	-8.3
केरल	11611	9404	-2207	-19	12313	11114	-1199	-9.7	12850	11908	-942	-7.3
तमिलनाडु	37870	32550	-5320	-14	37706	33268	-4438	-11.8	38873	35797	-3076	-7.9
दक्षिणी क्षेत्र	117657	98749	-18908	-16.1	118038	105301	-12737	-10.8	125759	116388	-9371	-7.5
पूर्वी												
बिहार	9350	7493	-1857	-19.9	8668	7965	-703	-8.1	8912	8348	-564	-6.3
डीवीसी	8370	8156	-214	-2.6	7921	8226	305	3.9	8464	8668	204	2.4
उड़ीसा	10976	10776	-200	-1.8	10757	11115	358	3.3	10838	11143	305	2.8
पश्चिम बंगाल	15885	15775	-110	-0.7	16319	16778	459	2.8	17951	18298	347	1.9
पूर्वी क्षेत्र	44581	42200	-2381	-5.3	43665	44084	419	1.0	46165	46457	292	0.6
उत्तर पूर्वी क्षेत्र												
अरुणाचल प्रदेश	144.3	115.3	-29	-20.1	123.2	112.5	-10.7	-8.7	119.8	120.7	0.9	0.8
असम	2987.3	2727.5	-259.8	-8.7	2876.3	2799.2	-77.1	-2.7	2868.3	2918.4	50.1	1.7
मणिपुर	511.6	404.7	-106.9	-20.9	506.4	500.7	-5.7	-1.1	470.5	451.2	-19.3	-4.1
मेघालय	413	425.8	12.8	3.1	435.5	460.4	24.9	5.7	514.1	540.8	26.7	5.2
मिजोरम	214.9	153.2	-61.7	-28.7	203.8	193.4	-10.4	-5.1	220.8	223.9	3.1	1.4
नागालैंड	213.9	159.5	-54.4	-25.4	196.6	187.2	-9.4	-4.8	205.6	207.8	2.2	1.1
त्रिपुरा	511.3	439	-72.3	-14.1	581.2	549.6	-31.6	-5.4	579.9	590.1	10.2	1.8
उत्तर पू. क्षेत्र	4996.3	4425	-571.3	-11.4	4923	4803	-120	-2.4	4979	5052.9	73.9	1.5
अखिल भारत	424505	390330	-3417.5	-8.1	446584	420235	-263.49	-5.9	480430	450594	-29836	-6.2

विवरण-II

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(आंकडे मि. यूनिट में)

क्षेत्र/ राज्य/प्रणाली	अप्रैल 99-जनवरी 2000				अप्रैल 2000-जनवरी 2001			
	जरूरत	उपलब्धता	कमी	%	जरूरत	उपलब्धता	कमी	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चंड़ीगढ़	885	884	1	0.1	926	925	1	0.1
दिल्ली	15050	14592	458	3.0	15935	15193	742	4.7
हरियाणा	13375	13004	371	2.8	14505	14210	295	2.0
हिमाचल प्रदेश	2574	2564	10	0.4	2635	2588	47	1.8
जम्मू एवं कश्मीर	4940	4041	899	18.2	5240	4565	675	12.9
पंजाब	22890	22722	168	0.7	23645	23242	403	1.7
राजस्थान	20630	19545	1085	5.3	20690	20017	673	3.3
उत्तर प्रदेश	37150	32295	4810	13.0	38390	33012	5378	14.0
उत्तरी क्षेत्र	117449	109647	7802	6.6	121966	113752	8214	6.7
पश्चिमी क्षेत्र								
गुजरात	42275	38977	3298	7.8	44575	40108	4467	10.0
मध्य प्रदेश	29905	28034	1871	6.3	32691	29015	3676	11.2
महाराष्ट्र	60176	56904	3272	5.4	66507	58864	7643	11.5
गोवा	1488	1160	328	22.0	1492	1306	186	12.5
पश्चिमी क्षेत्र	133844	125075	8769	6.6	145265	129293	15972	11.0
दक्षिणी क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	37369	35195	2174	5.8	36112	36264	2848	7.3
कर्नाटक	22580	20844	1736	7.7	24401	22158	2243	9.2
केरल	10533	9764	769	7.3	11211	10463	748	6.7
तमिलनाडू	31900	29491	2409	7.6	34920	32263	2697	7.6
दक्षिण क्षेत्र	102382	95294	7088	6.9	109644	101148	8496	7.7
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	7338	6833	505	6.9	7655	7209	446	5.8
डीवीसी	7046	7224	-178	-2.5	7048	7195	-147	-2.1
उड़ीसा	8937	9205	-268	-3.0	9770	10136	-366	-3.7
पश्चिम बंगाल	14910	15224	-314	-2.1	15541	15752	-211	-1.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वी क्षेत्र	38231	38486	-255	-0.7	40014	40291	-277	-0.7
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र								
अरुणाचल प्रदेश	98.0	98.9	-0.9	-0.9	106.0	108.6	-2.6	-2.5
असम	2411.1	2460.8	-49.7	-2.1	2571.8	2810.5	-238.7	-9.3
मणिपुर	382.8	361.6	21.2	5.5	385.8	382.9	2.9	0.8
मेघालय	414.5	437.9	-23.4	-5.6	457.8	499.0	-41.2	-9.0
मिजोरम	180.8	183.5	-2.7	-1.5	203.4	210.6	-7.2	-3.5
नागालैंड	168.0	170.0	-2	-1.2	186.1	192.5	-6.4	-3.4
त्रिपुरा	485.8	494.3	-8.5	-1.7	470.3	500.3	-30	-6.4
एन.ई.आर.	4141	4207	-66	-1.6	4381.2	4704.4	-323.2	-7.4
अखिल भारत	396047	372709	23338	5.9	421273	389188	32085	7.6

गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता

1812. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार द्वारा 2000-2001 के दौरान राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या अंतिम वर्ष के दौरान आबंटित की गई धनराशि का समुचित रूप से उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) राज्य सरकारों को निधियां प्रत्यक्ष रूप से आबंटित नहीं की जाती हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4 की उपधारा (ग) के निबंधनों के अनुसार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (रा.वि.से.प्रा.) विधिक सहायता स्कीमों के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रचारित कार्यक्रमों के लिए जिनमें गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता भी सम्मिलित है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निधियां आबंटित करता है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को अभी तक 3,06,85,000 रुपये की राशि आबंटित की है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

'मिग' विमानों की क्षमता

1813. श्री ए. नरेन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार, भारतीय वायुसेना के पास कुल कितने 'मिग' लड़ाकू विमान हैं और प्रत्येक लड़ाकू विमान की कीमत कितनी है;

(ख) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कुल कितने 'मिग' विमान दुर्घटनाग्रस्त या नष्ट हुए तथा इससे कुल कितनी आर्थिक हानि हुई;

(ग) अन्य देशों की तुलना में भारत में विमान दुर्घनाओं की औसत दर कितनी है; और

(घ) इन दुर्घटनाओं की रोकने के लिए विभिन्न समितियों की सिफारिशों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) विभिन्न प्रकार के और विभिन्न रूपांतरों के मिग वायुयान भारतीय वायुसेना के मिग बेड़े का हिस्सा हैं।

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 (28 फरवरी, 01 तक) के दौरान क्रमशः 22 और 16 लड़ाकू वायुयान नष्ट हो चुके हैं। अनुमानित वित्तीय हानि 423.29 करोड़ रुपये (अनंतिम) है।

(ग) भारतीय वायुसेना में दुर्घटनाओं की दर:

(दर प्रति 10,000 उड़ान घंटे)

दशक	दर
सत्तर	1.29
अस्सी	1.17
नब्बे	0.93
2000-01 (28 फरवरी 01 तक)	0.97

उड़ान घंटों आदि जैसे आंकड़ों की संगणना में अंतर होने के कारण अन्य देशों की दुर्घटना दरों से इन दुर्घटना दरों की तुलना करना संभव नहीं है।

(घ) दुर्घटनाओं के कारण का विश्लेषण करने के लिए लड़ाकू वायुयान दुर्घटना संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सितंबर, 1997 में दे दी थी।

यद्यपि, ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समिति की कुछ सिफारिशें का पहले ही कार्यान्वयन किया जा चुका है, तथापि, कुछ अन्य सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

1814. **डॉ. अशोक पटेल :**
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या रेल मंत्री कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा के बारे में 16 मार्च, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 314 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कप्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से "कार्य योजना 2000-2001" में शामिल किए गए समस्त 80 स्थलों का कप्यूटरीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन स्थलों में अभी तक कप्यूटरीकरण की सुविधा नहीं दी गई है और इसमें विलम्ब के कारण कारण हैं;

(घ) इन स्थलों में कप्यूटरीकरण का कार्य कब तक कर दिया जाएगा;

(ङ) क्या सरकार का विचार 2001-2002 के दौरान विभिन्न रेलवे-स्टेशनों पर कप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध करने का है; और

(च) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी स्थल कौन-कौन से हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। अभी तक 31 स्थानों पर कप्यूटरीकृत यात्री सुविधाएं शुरू की गई हैं जैसे कि ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) और (घ) अभी तक जिन स्थानों पर कप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाए नहीं शुरू की गई हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया है। इनको चालू करने में कोई विलंब नहीं हुआ है। क्योंकि यात्री आरक्षण प्रणाली चालू करने में साधारणतः एक से दो वर्ष लग जाते है। इन स्थानों पर इन्हें चालू करने का काम चल रहा है और अधिकांश स्थानों पर वित्त वर्ष 2001-2002 में चालू कर दिया जाएगा।

(ङ) जी, हां।

(च) 2001-2002 के वार्षिक बजट में 71 स्थानों को शामिल किया गया है। जैसा कि विवरण III में ब्यौरा दिया गया है।

विवरण-I

उन स्थानों का ब्यौरा जहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली अब तक शुरू कर दी गई है

मध्य रेलवे	पूर्व रेलवे	उत्तर रेलवे
1. विदिशा	1. रूस्सा रोड सीबीओ हजरिया	1. हरदोई
2. नवीनगर, कोलबा	2. दमदम एअर पोर्ट	2. करनाल
3. ललितपुर	3. हजारीबाग	3. कुरुक्षेत्र
4. पिपरिया		4. जालौर
		5. राजपुरा

पूर्वोत्तर रेलवे	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	दक्षिण रेलवे
1. गोमती नगर	1. रायगंज	1. कोबिल पट्टी
2. सीमामढ़ी	2. कूचबिहार	2. पलानी
	3. न्यू अलीपुरद्वार	

दक्षिण मध्य रेलवे	दक्षिण पूर्व रेलवे
1. बीजापुर	1. कोन्टई
2. सतारा	2. श्रीकाकुलम रोड
3. गोदावरी	3. उलबेरिया
4. ताड़ेपल्लीगुड़ेम	4. पलासा
5. नान्दयाल	5. रायगढ़ा
6. पली	

विवरण-II

उन स्थानों का ब्यौरा जहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली अभी तक शुरू नहीं की गई है

मध्य रेलवे	पूर्व रेलवे	उत्तर रेलवे
1. बायकुल्ला	1. बोंगांव	1. शामली
2. दोंड	2. दक्षिणिगेश्वर	2. हमीरपुर
3. लातूर	3. तबाद्वीप	3. जोशीमठ
4. यावतमल	4. एम.जी रोड सीबीओ	4. मोहली
5. गुना	5. डॉल्टनगंज	5. नजीबाबाद
6. बेलापुर	6. पश्चिम बंगाल एसेम्बली	6. दसुया
	7. चोपन	7. मेरठ कैंठ
	8. सिंगरौली	8. उ.प्र. विधान सभा
		9. फतेहपुर
		10. भदोही
		11. गोपीनाथ बाजार
		12. सेना भवन

पूर्वोत्तर रेलवे	दक्षिण रेलवे	दक्षिण मध्य रेलवे
1. लखीमपुर	1. जयनगर (बेंगलूरु-सेट)	1. तांदुर
2. खलीलाबाद	2. तिरूनगर (मदरै-सेट)	
3. बेलथरा रोड	3. तिरूपानीथुरा (एणीकुलम–सेट)	
4. बलरामपुर	4. कायनकुलम	
5. कासगंज	5. चंगुलपेट	
	6. अम्बूर	
	7. छलाकुड़ी	
	8. कुन्नूर	

दक्षिण पूर्व रेलवे	पश्चिम रेलवे
1. राजनंदगांव	1. सिरोही रोड
2. चसबोकारो	2. रानी
3. टिटलागढ़	3. मंदसौर
4. हीराकुण्ड	4. बैरागढ़
5. पारादीप	
6. भिलाई टाउन शिप	

विवरण-III

वार्षिक बजट 2001-02 में शामिल पी आर एस स्थानों की सूची

मध्य रेलवे	पूर्व रेलवे	उत्तर रेलवे
1. आइ एन एस शिवाजी, लोनावला	1. फोर्ट विलियम	1. फगवाड़ा
	2. पटना सचिवालय	2. जौनपुर
	3. शांतिपरू	3. इटावा
2. बड़नेरा	4. वैद्यनाथ धाम	4. बाराबंकी
3. बेतुल	5. गोमोह	5. टंडला
4. बुरहानपुर	6. पाकूर	6. उन्नाव
5. अशोकनगर	7. धाकूरिया	7. चन्दौसी
6. मलकापुर	8. अंडाल	8. आई आई टी कानपुर
7. सेवाग्राम	9. मुर्शिदाबाद	9. चुरू
8. उरई	10. दानकुनी	10. धर्मशाला
9. मानिकपुर	11. घनेश्वर	11. पालम एअर पोर्ट (धरेलू)
10. होशंगाबाद		12. नार्थ ब्लाक-दिल्ली
		13. अलीगढ़ विश्वविद्यालय

पूर्वोत्तर रेलवे	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	दक्षिण रेलवे
1. नरकटियागंज	1. अलुआबाड़ी	1. विषुपुरम
2. कल्याणपुर	2. काशीगंज	2. कोइईकनाल
3. काशीपुर	3. मरियानी	3. पाम्बा
	4. इस्लामपुर	4. आई सी एफ परिसर
	5. इकलाकी	5. वेल्लौर टाउन
	6. मालबाजार	

दक्षिण मध्य रेलवे	दक्षिण पूर्व रेलवे	पश्चिम रेलवे
1. अडोनी	1. भंडारारोड	1. गोधरा
2. बपतला	2. पांसकुड़ा	2. मारवाड़ जं.
3. कराड़	3. छेबासा	3. नीमच
4. सिरपुर कागजनगर	4. झरुडोल	4. रापा
5. अमलापुरम	5. डोंगरगढ़	5. ओखा
	6. तालचेर	6. भरतपुर
	7. छिंदवाड़ा	
	8. कोलाघाट	
	9. बगनान	
	10. विष्णुपुर	
	11. झाड़ग्राम	
	12. धेनकनाल	

[अनुवाद]

वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ चीन की गतिविधियां

1815. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री शिवाजी माने :
श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी :
श्री अधीर चौधरी :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 2001 के 'दि. हिन्दुस्तान टाईम्स' में 'चाइनीज एक्टिविटीज एलांग एल.ए.सी. क्रियेटिंग प्रॉब्लम्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) के साथ-साथ प्रमुखतया क्या-क्या समस्याएं खड़ी की जा रही हैं;

(ग) क्या इस प्रश्न पर चीनी सैन्य अधिकारियों के साथ बात की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो चीन, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी गतिविधियों को किस सीमा तक रोकने पर सहमत हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 2001 के ''दि हिंदुस्तान टाइम्स'' में ''चाइनीज एक्टीविटीज एलोंग एल ए सी क्रीएटिंग प्रोब्लम्स'' शीर्षक से छपी प्रेस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी अनिर्णीत है। दोनों पक्षों के सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा के बारे में भी अलग-अलग मत हैं। वास्तवित नियंत्रण रेखा के बारे में स्पष्टीकरण के लंबित रहते हुए, दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में अपनी-अपनी अवधारणा के अनुसार ट्रैक निर्माण तथा गश्त लगाने की कार्रवाई सहित सीमा प्रबंधन संबंधी सामान्य कार्य-कलाप करते रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के देखे गये उल्लंघनों के मामलों को राजनयिक माध्यमों तथा सीमा पर कार्यरत कार्मिकों की बैठकों/ध्वज बैठकों के जरिए उसी स्थान पर भी एक दूसरे के साथ उठाया जाता है। हमारे विरोध के उत्तर में चीनी सामान्यतः यह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि उनकी गतिविधियां वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपनी ओर तक सीमित हैं।

इसमें ऊपर उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट में सेनाध्यक्ष के वक्तव्य को उपर्युक्त संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। सेनाध्यक्ष ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की वास्तविक एलाइनमैंट के बारे में दोनों देशों के बीच उनकी अवधारणाओं में मतभेद होते हुए भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ हद तक स्थिरता का उल्लेख किया था।

भारत और चीन सीमा के प्रश्न पर भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल तथा भारत-चीन राजनयिक एवं सैन्य पदाधिकारियों के विशेषज्ञ दल के दायरे में विचार-विमर्श करते रहे हैं। दोनों पक्षों ने बातचीत के जरिए सीमा के विवाद का निष्पक्ष, समुचित तथा दोनों को स्वीकार्य हल ढूंढने के अपने इरादे दोहराए हैं। भारत-चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति सामान्यतः शांतिपूर्ण हो गई है और नियंत्रणाधीन है।

पट्टा-आधार पर पेट्रोल पंपों का आवंटन

1816. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
डॉ. जसवंतसिंह यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पट्टा आधार पर पेट्रोल पंपों का आवंटन करने के लिये क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) देश में पट्टा-आधार पर राज्यवार कितने पेट्रोल पंप आवंटित किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार मंगवार) : (क) और (ख) तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों का विकास अनुमोदित विपणन योजनाओं के अनुरूप किया जाता है। खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए डीलरों का चयन डीलर बोर्डों द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाता है। फिलहाल तेल विपणन कंपनियों द्वारा पट्टा आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों) के आबंटन के लिए कोई योजना नहीं है।

''कंपनी स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित'' (कोको) आधार प्रचालित खुदरा बिक्री केन्द्रों में तेल कंपनी का एक अधिकारी खुदरा केन्द्र का पूर्ण प्रभारी होता है। दिन प्रतिदिन के प्रचालन के लिए कंपनी अधिकारी को श्रम सहायता किसी ठेकेदार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

पेट्रोल/डीजल और रसोई गैस विक्रय-केन्द्रों का स्थान-परिवर्तन करना

1817. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रसोई गैस तथा पेट्रोल/डीजल विक्रय-केन्द्रों को पूर्वोत्तर राज्यों से हटाकर देश के अन्य भागों में स्थापित करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार ने एक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मैसर्स बहनीमन, टांगला, जिला दारांग, असम के सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के लिए तथा एक खुदरा बिक्री केन्द्र, मैसर्स पूनम सर्विस स्टेशन, गोटानगर, गुवाहाटी, असम, के दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के लिए स्थान परिवर्तन की अनुमति दी है। इन दोनों मामलों में स्थान परिवर्तन के विषय में सरकार के द्वारा विचार संबंधित वितरक/डीजल को स्थानीय उग्रवादियों से मिली धमकियों के कारण अनुकंपा आधार पर किया गया है।

करूर-सेलम रेल मार्ग का निर्माण

1818. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करूर और सेलम के बीच नए रेल मार्ग के निर्माण का कार्य मन्थर गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वामियों की सहमति से 30 प्रतिशत भूमि प्राप्त कर ली गई है और 45 कि.मी. लम्बाई में कार्य चल रहा है। भूमि अधिग्रहण के काम में अच्छी प्रगति हो रही है। इस खंड पर मिट्टी संबंधी तथा छोटे पुलों का कार्य चल रहा है। कावेरी नदी पर बड़े पुल के काम की भी अच्छी प्रगति हो रही है। कलंगनी तथा मल्लूर में स्टेशन इमारतों के निर्माण के लिए ठेका प्रदान कर दिया गया है।

भारत-इजराइल रक्षा-संबंधी करार

1819. श्री राम मोहन गाइडे :
श्री विनय कुमार सोराके :
श्री शिवाजी माने :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इजराइल के द्वारा बराक-प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली खरीदने के संबंध में हाल ही में कई करोड़ों रुपये के एक रक्षा संबंधी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन नियमों तथा शर्तों पर सहमति हुई है, उन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ समय पूर्व रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी. आर. डी. ओ.) को ऐसी ही एक प्रणाली विकसित किये जाने के लिये दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) नौसेना के प्रमुख पोतों में लगाने के लिए बराक प्रक्षेपास्त्र-रोधी रक्षा प्रणालियां तथा प्रक्षेपास्त्रों की खरीददारी संबंधी संविदाओं पर पिछले साल इजराईल के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। इस मामले में और ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की जा रही प्रक्षेपास्त्र-रोधी रक्षा प्रणाली भिन्न है क्योंकि इसमें ऊर्ध्व प्रमोचन प्रणाली प्रौद्योगिकी (वर्टिकल लॉच सिस्टम टेक्नालॉजी) का प्रयोग नहीं होता है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद मंडल रेल-मुख्यालय का निर्माण

1820. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में मंडल-मुख्यालय के निर्माणार्थ भूमि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने क्षेत्रफल भूमि उपलब्ध कराई गई और अब तक कितना निर्माण कार्य पूरा हुआ है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने रेल विभाग से इस निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) अहमदाबाद में मुख्यालय के इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) आर.सी. तकनीकी संस्थान की लगभग 28000 वर्ग मी. भूमि जिसमें इमारत के लिए 8820 वर्ग मीटर शामिल है, मंडल कार्यालय के निर्माण की पहचान की गई है। राज्य सरकार थलतेज, अहमदाबाद में समान कीमत की रेलवे भूमि के बदले में इस परिसर को सुपुर्द करने के लिए सहमत है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) संसाधनों की तंगियों के आलोक में नए मंडलों के गठन की सीमक्षा की जा रही है। इस समय कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

संग्रहालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना

1821. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई स्थित सरकारी संग्रहालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में तथा आज तक, राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित चारों आम संग्रहालयों में से प्रत्येक के लिये वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित तथा व्यय की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) संस्कृति विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संग्रहालयों को निम्नलिखित धनराशि जारी की गई है।

(लाख रुपए में)

संग्रहालय का नाम	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	683.00	638.00	005.00	935.00
भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	399.00	449.00	585.00	578.00
सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	492.00	541.00	477.10	618.00
इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद	109.81	096.05	087.00	105.00

तीव्रगतिक तथा वृहत् विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

1822. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गयी तीव्रगतिक/वृहत् विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार जिन नीतिगत परिवर्तनों के विषय में विचार कर रही है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) जिन नई वृहत् विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, उनके संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन निजी विद्युत परियोजनाओं को भारत सरकार की काउंटर गारंटी जारी की गई उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	काउंटर गारंटी की तिथि
1.	भद्रावती ताप विद्युत परियोजना, मै. सेंट्रल इंडिया पावर कं. लि., महाराष्ट्र	1082	1 अगस्त, 1998
2.	नैवेली (एकल यूनिट लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना, मै. एस.टी.सी.एम.एस. इलेक्ट्रिक कं., तमिलनाडु	250	14 अगस्त, 1998
3.	विशाखापटनम ताप विद्युत परियोजना मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लि., आंध्र प्रदेश	1040	19 अगस्त, 1998

भद्रावती टी.पी.पी. एवं विशाखापटनम टी.पी.पी. द्वारा अभी वित्तीय समापन प्राप्त नहीं किया गया है एवं निर्माण कार्य भी नहीं शुरू किया है। 3 नवंबर, 1999 को नैवेली टी.पी.पी. को वित्ततीय समापन प्राप्त हो गया है एवं इसने अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

भारत सरकार ने संशोधित प्रक्रिया के जरिए मै. एईएस इब वैली कार्पोरेशन के उड़ीसा में 500 मे.वा. वाली इब वैली ताप विद्युत परियोजना तथा मै. मंगलौर पावर कं. लि. के कर्नाटक में 1013.2 मे.वा. वाले मंगलौर ताप विद्युत परियोजना को काउंटर गारंटी जारी करने का अनुमोदन दिया है। इन दा परियोजनाओं के संबंध में प्रारूप काउंटर गारंटी एवं त्रिपक्षीय समझौता दस्तावेज टिप्पणी/आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं। इन दोनों परियोजनाओं के लिए काउंटर गारंटी जारी करने हेतु अगली कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार की काउंटर गारंटी जारी करने संबंधी नियमों एवं शर्तों के अनुपालन के बाद की जाएगी। भारत सरकार की नवंबर, 1998 की संशोधित वृहद् विद्युत नीति के अनुसार वृहत विद्युत परियोजनाओं एवं उसकी क्रियान्वयक एजेंसी संस्थापित क्षमता एवं इसकी वर्तमान स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने विवरण में बताई गयी परियोजनाओं को छोड़कर किसी अन्य परियोजना को वृहद् विद्युत परियोजना का दर्जा नहीं दिया है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ राज्य	क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
निजी क्षेत्र			
1.	हीरमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मै. साउथर्न इलेक्ट्रिक एशिया पावर लि. (एसईएपी), उड़ीसा	3960	एसईएपी द्वारा दायर टैरिफ की समीक्षा याचिका विचारार्थ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के पास है। पीटीसी ने विद्युत क्रय समझौता हेतु शर्तों की अधिकांश मदों को अंतिम रूप दे दिया है।
2.	कुड्डालोर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तमिलनाडु	1000	परियोजना हेतु अर्हता प्राप्त बोलीकर्ताओं हेतु अनुरोध फरवरी, 1999 में जारी किया गया था। हालांकि भूमि उपलब्धता में समस्या एवं कुड्डालोर बंदरगाह की उपलब्धता की वजह से बोली खोलने की तारीख अनिश्चितकाल तक बढ़ा दी गई है।
3.	कृष्णापट्टनम थर्मल पावर प्रोजेक्ट, आन्ध्र प्रदेश	1500	परियोजना के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि इसके लिए तटवर्ती विनियमन क्षेत्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। यह आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आन्ध्र प्रदेश राज्य में बृहद विद्युत परियोजना भूमि के समीपवर्ती क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही दो निजी विद्युत परियोजनाओं की अधिसूचना के मामले में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा याचिका दायर करने पर रोक लगा देने के कारण हुई है।
4.	पिपावाव थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गुजरात	2000	आरएफपी प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण सीईआरसी को 12.01.2001 को सौंपी गई। संशोधित आरएफपी दस्तावेज वल्यूम-1, जिसमें परियोजना क्षमता, बोली संबंधी प्रक्रिया, क्रियात्मक एवं तकनीकी शर्तें, मूल्यांकन मानदंड, एवं टैरिफ संरचना शामिल है, को सीईआरसी 31.01.2001 को सौंपा गया। आरएफपी दस्तावेज के वल्यूम 2 एवं 3 के लिए 3 माह का समय विस्तार मांगा गया था क्योंकि भुगतान सुरक्षा मैकेनिक एवं राज्य सहायता समझौता को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सुनवाई की अगली तारीख प्रतीक्षित है।
5.	नर्मदा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, (एलएनजी), गुजरात	1000	क्रियान्वयन अभी शुरू नहीं किया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र			
1.	कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट, चरण-II एनटीपीसी, बिहारी	1500	2X 660 मे.वा. वाली संशोधित क्षमता की यह स्कीम तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु सीईए में विचाराधीन है। संयंत्र/एस डाइक के लिए चरण-1 पर्यावरण स्वीकृति उपलब्ध है।
2.	उत्तरी करनपुरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी, बिहार	2000	एनटीपीसी द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। संयंत्र/एस डाइक के लिए चरण-1 पर्यावरण स्वीकृति उपलब्ध है।

1	2	3	4
3.	बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, चरण-1, एनटीपीसी, बिहार	2000	3X 660 मे.वा. वाली संशोधित क्षमता की इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु सीईए में विचाराधीन है। संयंत्र/इस डाइक के लिए चरण-1 पर्यावरण स्वीकृति उपलब्ध है।
4.	मैथन थर्मल पावर प्रोजेक्ट, दामोदर वैली कारपोरेशन	1000	परियोजना को डीवीसी एवं बीएसईएस के संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित किया जाना है। संशोधित डीपीआर को सभी निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने के बाद संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।
5.	चेय्युर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, चरण-1, एनटीपीसी, त. नाडु	1500	कोस्टल ऐग्यूलेशन जोन और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्रतीक्षित है।
6.	अंता सीसीपीपी चरण-2, एनटीपीसी, राजस्थान	1300	मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत अभिज्ञात क्षमता 1300 मे.वा. है। 650 मे. वा. प्रत्येक वाली दो चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। के.विप्रा. द्वारा 650 मे.वा. के लिए 21.05.1998 को चरण-2 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। लाभभोगियों को एलएनजी के इंगित मूल्य तथा ईंधन कीमतों में उनके भावी अन्तर पर सहमति प्रदान करनी है। एनआईटी जारी की जानी है।
7.	ओरैया सीसीपीपीए एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश	1300	मेगा विद्युत नीति के अंतर्ग अभिज्ञात क्षमता 1300 मे.वा. है। 650 मे.वा. प्रत्येक वाली दो चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। के.वि.प्रा. द्वारा 650 मे.वा. के लिए 28.05.1998 को चरण-2 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। लाभभोगियों को एलएनजी के इंगित मूल्य तथा ईंधन कीमतों में उनके भावी अन्तर पर सहमति प्रदान करनी है। एनआईटी जारी की जानी है।
8.	कवास सीसीपीपी, चरण-2 एनटीपीसी, गुजरात	1300	मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत अभिज्ञात क्षमता 13000 मे.वा. है। 650 मे. वा. प्रत्येक वाली दो चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। के.वि.प्रा. द्वारा 650 मे.वा. के लिए 01.05.1998 को चरण-2 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। लाभभोगियों को एलएनजी के इंगित मूल्य तथा ईंधन कीमतों में उनके भावी अन्तर पर सहमति प्रदान करनी है। एनआईटी जारी की जानी है।
9.	गंधार सीसीपीपी, चरण-2 एनटीपीसी, गुजरात	1300	मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत अभिज्ञात क्षमता 1300 मे.वा. है। 650 मे. वा. प्रत्येक वाली दो चरणें में क्रियान्वित किया जा रहा है। के.वि.प्रा. द्वारा 650 मे.वा. के लिए 16.10.1998 को चरण-2 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। लाभभोगियों को एलएनजी के इंगित मूल्य तथा ईंधन कीमतों में उनके भावी अन्तर पर सहमति प्रदान करनी है। एनआईटी जारी की जानी है।
10.	कोयलकारो एचईपी, एनएचपीसी, बिहार	710	परियोजना लागत में संशोधन किया गया है और संशोधित लागत के लिए पीआईबी स्वीकृति 16.03.99 को जारी कर दी गई है। परियोजना हेतु सीसीईए की स्वीकृति प्रतीक्षित है। 31.12.99 को डीवीसी के साथ विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

1	2	3	4
11.	चमेरा एचईपी चरण-2, एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	300	परियोजना को सीसीईए की स्वीकृति 18.05.99 को प्रदान कर दी गई है और परियोजना एनएचपीसी द्वारा क्रियान्वयनाधीन है।
12.	तीस्ता एचईपी चरण-5 एनएचपीसी, सिक्किम	510	परियोजना को सीसीईए की स्वीकृति 19.01.99 को प्रदान कर दी गई है और परियोजना एनएचपीसी द्वारा क्रियान्वयनाधीन है।
13.	कोलडाम एचईपी, एनटीपीसी, हिमाचल प्रदेश	800	परियोजना को प्रारंभ में मेगा विद्युत नीति के अनुसार एनएचपीसी द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु अभिज्ञात किया गया था। एनटीपीसी हिमाचल प्रदेश सरकार और एचपीएसईबी के बीच 26.02.2000 को हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार अब परियोजना को एनटीपीसी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। एनटीपीसी के नाम पर एचपीएसईबी के अंतरण के संबंध में स्वीकृति 16.05.2000 को जारी की गई। प्राथमिक परामर्शी कार्य के लिए प्राप्त तकनीकी बोलियां एनटीपीसी द्वारा मूल्यांकनाधीन हैं।
14.	पार्वती एचईपी, चरण-2 एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	800	12.10.1999 को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति एनएचपीसी को हस्ताक्षरित की गई।

[हिन्दी]

सूरजकुंड मेला

1823. डॉ. जसवंतसिंह यादव :
श्री विजय गोयल :
श्री ताराचंद भगोरा :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में सूरजकुण्ड के हस्तशिल्प मेले में हाल ही में झूले के गिरने की घटना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार का इस घटना की जांच कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसकी जांच के लिए गठित समिति के निष्कर्ष तथा तदनुसार दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) इस घटना में कितने लोग हताहत हुए, साथ ही प्रत्येक पीड़ित को कितना मुआवजा दिया गया;

(च) क्या सरकार द्वारा मेला-आयोजक कंपनियों को कोई निदेश जारी किये गये हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनन्जय कुमार) : (क) यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी जिसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 11 व्यक्ति घायल हो गये।

(ख) से (घ) सूरजकुण्ड मेला हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत सरकार मेले में भाग लेने के लिए शिल्पियों एवं बुनकरों को केवल प्रायोजित करती है और हरियाणा, सरकार को वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

हरियाणा सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद जिला पुलिस ने 11 फरवरी 2001 अर्थात दुर्घटना वाले दिन झूले के मालिक एवं ठेकेदार और अन्य तीन व्यक्तियों के विरुद्ध एन.आई.टी. फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए, 337 और 34 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी भी मामले की जांच चल रही है।

रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना, झूले की गति पहले गियर से सीधे चौथे गियर में चले जाने के परिणामस्वरूप, झूले का शाफ्ट टूट जाने से हुई।

जैसे कि इस कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है, भारत सरकार का जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है जब तक कि हरियाणा सरकार से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता।

(ङ) हरियाणा सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कुल 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 11 घायल हुये। मृतकों और घायलों के निकट रिश्तेदारों को कुल 9.50 लाख रुपये की धनराशि अनुग्रह-सहायता के रूप में आबंटित की गई है।

(च) और (छ) रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा सरकार, मेला आयोजित करने वाली कम्पनियों को दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर रही है।

करगिल के शहीदों के परिजनों को पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसियां आबंटित करना

1824. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करगिल-संघर्ष में कितने सैनिक शहीद हुए और राज्य-वार, विशेषतः राजस्थान के जोधपुर जिले के संदर्भ में, शहीदों के ऐसे कितने परिवार हैं जिन्हें पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसियां आबंटित करने के लिए अनुशंसाएं की गई;

(ख) क्या यह सुविधा जम्मू और कश्मीर में 'ऑपरेशन विजय' के दौरान शहीद समस्त सैनिकों के परिजनों को उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं; और

(घ) शेष शहीदों के परिजनों के नामों की इन एजेंसियों के आबंटन के लिए कब तक अनुशंसा की जाएगी?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) कारगिल संघर्ष में 527 रक्षा सेवा कार्मिक मारे गए थे। अब तक, 446 कारगिल हताहतों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों ने विशेष योजना के तहत तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन के लिए आवेदन किया है तथा उनके आवेदन पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए संस्तुत कर दिए गए हैं। जोधपुर से केवल एक कार्मिक हताहत हुआ था तथा उसके निकटतम संबंधी से प्राप्त आवेदन भी संस्तुत कर दिया गया है। कारगिल हताहतों और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए संस्तुत आवेदनों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) विशेष योजना के अंतर्गत, केवल 500 पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियां आबंटित की जानी थीं।

आबंटित की जाने वाली एजेंसियों की सीमित संख्या को देखते हुए, यह योजना केवल कारगिल सैन्य-कार्रवाई में मारे गए कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के लिए सीमित कर दी गई थी।

(घ) कारगिल सैन्य-कार्रवाई में मारे गए कार्मिकों के पात्र परिवार से प्राप्त कोई भी आवेदन विचार किए जाने के लिए लंबित नहीं है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कारगिल संघर्ष में हताहतों की सं.	विधवाओं/निकटतम संबंधियों से प्राप्त और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए संस्तुत आवेदनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	06	05
2.	अरुणाचल प्रदेश	03	01
3.	असम	03	03
4.	झारखण्ड सहित बिहार	17	16
5.	गोवा	-	-
6.	गुजरात	08	08
7.	हरियाणा	58	58
8.	हिमाचल प्रदेश	41	37
9.	जम्मू और काश्मीर	69	44
10.	कर्नाटक	05	05
11.	केरल	09	08
12.	छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश	03	03
13.	महाराष्ट्र	07	06
14.	मणिपुर	05	05
15.	मिजोरम	01	00
16.	मेघालय	01	01
17.	नागालैंड	02	02
18.	उड़ीसा	07	07
19.	पंजाब	46	43
20.	राजस्थान	53	53
21.	सिक्किम	-	-
22.	तमिलनाडु	04	02
23.	त्रिपुरा	-	-
24.	उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश	145	129
25.	पश्चिम बंगाल	07	05
26.	अंडमान तथा निकोबार	-	-
27.	चंडीगढ़	-	-
28.	दादरा और नागर हवेली दमन और दीव	-	-
29.	दिल्ली	06	05
30.	लक्षद्वीप	-	-
31.	पांडिचेरी	-	-
	जोड़	506*	446

* कारगिल संघर्ष में नेपाल के रहने वाले 21 सैनिक मारे गए थे, जिनके आश्रित तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन हेतु पात्र नहीं हैं, क्योंकि उक्त विशेष योजना भारतीय नागरिकों के लिए है।

[अनुवाद]

ओएनजीसी द्वारा तेल क्षेत्रों का पुनरुद्धार

1825. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने अपने रुग्ण तेल क्षेत्रों का पुनरुद्धार करने हेतु विदेशी कंपनियों का सहयोग लेने तथा संयुक्त रूप से उद्यम करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी द्वारा वर्षों से तेल क्षेत्रों का प्रबंधन ठीक से नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या ओएनजीसी के इस प्रकार के कुप्रबंधन के संबंध में सरकार ने कोई जिम्मेवारी तय की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ओएनजीसी ने उत्पादन में गिरावाट के परिप्रेक्ष्य में इस नुकसान का आकलन किया है; और

(च) ओएनजीसी के अधीनस्थ उन तेल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो कुप्रबंधन के कारण बुरी तरह प्रभाविक हुए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय उपभोक्ता क्षतिपूर्ति मंच का निर्णय

1826. श्री विनय कुमार सोराके : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने हाल ही के एक निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति मंच (नेशनल कन्ज्यूमर रिड्रेसल फोरम) ने उन निवेशकों की मदद करने से इंकार कर दिया है, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/कृषि प्लांटेशन कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, तथा इस मसले को कंपनी विधि बोर्ड के निर्णयार्थ ही छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से उन अनेक याचिकाकर्ताओं के बीच भ्रम और भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिन्होंने इस मंच में याचिका दायर की थी और जिनके प्रकरण काफी आगे तक पहुंच गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से उपभोक्ता-अदालतों की क्रियात्मकता भी आडम्बरपूर्ण और अनावश्यक ही सिद्ध नहीं हो जाती;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कंपनी विधि बोर्ड के कार्यकरण में आमूल सुधार करके उसे, शिकायतकर्ता के हितार्थ, अधिक प्रतिक्रियाशील बनाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

देश में विद्युत के संबंध में स्थिति

1827. श्री रामपाल सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रोत्साहनों के बाद भी, पिछले छह वर्षों के दौरान देश में विद्युत उत्पादन की औसत वृद्धि दर केवल 3 प्रतिशत ही रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन वृद्धि की धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां। वर्ष 1994-95 से 1999-2000 तक ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि निम्न अनुसार थी:

1994-95	8.5%
1995-96	8.3%
1996-97	3.8%
1997-98	6.6%
1998-99	6.6%
1999-2000	7.1%

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" के मद्देनजर ये प्रश्न नहीं उठते। हालांकि देश में विद्युत उत्पादन में और अधिक सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) मौजूदा पुराने व अकार्यक्षम विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों को शुरू करने के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को विशेष निधि आपूर्ति कराई जा रही है।

(2) विद्युत क्षेत्र में सुधार एवं पुनर्गठन का त्वरित क्रियान्वयन।

(3) हाल में चालू हुए यूनिटों का शीघ्र स्थायीकरण एवं थर्मल यूनिटों के संयंत्र भार घटक में समग्र वृद्धि।

(4) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।

(5) ऊर्जा क्षमता एवं संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन।

(6) त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत थर्मल विद्युत केन्द्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण में सुधार करने हेतु पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ऋणों का संवितरण।

(7) 2012 तक मौजूदा उत्पादन क्षमता को दुगुना करने हेतु क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का त्वरित क्रियान्वयन।

(8) पारेषण लिंकों के निर्माण एवं अन्ततः राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना के जरिए अन्तःराज्यीय एवं अन्तःक्षेत्रीय विद्युत अंतरण में वृद्धि।

(9) जल शक्यता का तेजी से दोहन करते हेतु हाइडल नीति का निरूपण।

[अनुवाद]

संविधान समीक्षा आयोग

1828. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग की समय सीमा बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस आयोग ने अपने परामर्श पत्र में राज्यों द्वारा दूसरे देशों के साथ संधियां और समझौते करने की स्थिति के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग के कार्यकाल को 31 अक्तूबर, 2001 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) आयोग ने इंगित किया है कि इसे अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कुछ और समय की जरूरत होगी।

(ग) और (घ) जनता से बहस और चर्चा कराने के लिए आयोग ने "संविधान के अधीन संधि करने की शक्ति" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। इस पत्र में आयोग ने राज्यों द्वारा विदेशों से संधि और करार किए जाने के बारे में कोई सुझाव नहीं दिए हैं। आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि परामर्श पत्र में व्यक्त किए गए विचार और सुझाव आयोग के अंतिम विचार नहीं हैं।

कंकरीट स्लीपरों की आवश्यकता

1829. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंकरीट स्लीपरों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि क्रय आदेश देने और स्लीपरों की वास्तविक आपूर्ति की अवधि में काफी अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में हो रही देरी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कंक्रीट स्लीपरों की वार्षिक आवश्यकता को स्वीकृत कार्यों तथा बजट आबंटन के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है, कंक्रीट स्लीपरों की आकलित वार्षिक आवश्यकता लगभग 60 लाख है।

(ख) आर्डर प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर मौजूदा फर्मों से उत्पादन शुरू हो जाता है। नई फर्मों को आर्डर प्राप्त होने पर उन्हें सुविधाएं स्थापित करने तथा उत्पादन शुरू करने के लिए 12 महीने का समय दिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और महाराष्ट्र में रसोई गैस के वितरक

1830. श्री चिंतामन वनगा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और महाराष्ट्र में रसोई गैस के कितने वितरक कार्यरत हैं;

(ख) क्या दिल्ली और महाराष्ट्र में रसोई गैस का अधिकांश वितरण कार्य गैर आबंटियों/चयन न किये गये व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली और महाराष्ट्र में रसोई गैस का वितरण कार्य भागीदारी के द्वारा किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पद्धतियों को स्वामित्व पद्धति में बदलने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.10.2000 की स्थिति के अनुसार दिल्ली और महाराष्ट्र में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या क्रमशः 305 और 749 है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

कोंकण रेलवे को हुआ घाटा

1831. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोंकण रेल निगम ने भारी घाटा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस घाटे की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेल अपनी वाणिज्यिक भूमि का पूर्ण उपयोग करने में असफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) निगम अपने संचालन व्यय अर्जित राजस्व से पूरा करने में सक्षम है। बहरहाल, निर्माण अवधि के दौरान बाजार ऋण पर उपगत वित्त प्रबंध की लागत और मूल्यह्रास के लिए किए जाने वाले प्रावधानों के कारण निगम अपने तुलन पत्र में हानि दर्शा रहा है। 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान शुरू हानि क्रमशः 154 करोड़ रुपए, 340 करोड़ रुपए और 385 करोड़ रुपए थी।

निगम ने हानियों को कम करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों का उल्लेख करते हुए एक बिजनैस प्लान बनाया है। ये इस प्रकार हैं:

(1) ठोस विपणन अभियान चलाकर यातायात आमदनी में वृद्धि।

(2) निम्नलिखित द्वारा अपनी निर्माण विशेषज्ञता का विपणन:

- रेल निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ठेकों के लिए बोली देने के प्रयास करके।
- देश में राजमार्गों और सुरंगों जैसे विशिष्ट निर्माण कार्य शुरू करके।

(3) निगम द्वारा बिछाए गए आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की क्षमता का दोहन।

(4) भारतीय रेल प्रणाली पर कों.रे.नि. द्वारा विकसित टक्कर-रोधी यंत्र, परीक्षण करने के पश्चात्, को स्थापित करने के कार्य को कार्यान्वित करना।

कोंकण रेल निगम की भूमि का अभी तक कोई वाणिज्यिक दोहन नहीं किया गया है तथापि इस प्रयोजन के लिए कोंकण रेल निगम द्वारा इस समय बहुत से प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रक्षाकार्यों के लिए बांस की लकड़ी से निर्मित प्लाई का उपयोग

1832. **श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांस की लकड़ी से निर्मित प्लाई मैरीन किस्म की प्लाई के समान होती है और यह अन्य प्रकार की प्लाई लकड़ियों का उत्तम विकल्प है;

(ख) क्या सरकार का विचार रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में बांस की लकड़ी से निर्मित प्लाई का उपयोग करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी हेतु प्रावधान

1833. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1996 में सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी के निर्माण का कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव अभी भी लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्वचालित सीढ़ी का निर्माण कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) निधियों की कमी तथा निष्पादन, विश्वसनीयता और संरक्षा पहलुओं पर अपर्याप्त अनुभव के कारण।

(घ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम से लेकर हैदराबाद तक गैस पाइपलाइन

1834. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम से लेकर हैदराबाद तक गैस पाइपलाइन को चालू किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगदार): (क) से (ग) जी, नहीं। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की लगभग 600 किलोमीटर की लंबाई की प्रस्तावित पाइपलाइन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) के परिवहन के लिए है। यह परियोजना 492 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मार्च, 2004 तक पूरी हो जाने की आशा है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा दिए गए सुझाव

1835. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने रेलवे को मालगाड़ी डिब्बों के उपयोग का अग्रिम ब्यौरा तैयार करने, एक तिथि विशेष तक रैक लोड बुकिंग उपलब्ध कराने, रॉल आन-रॉल ऑफ की अवधारणा में विस्तार करने, विभिन्न प्रकार की हैण्डलिंग से हुए नुकसान को कम करने और पूंजीगत माल के लिए अपेक्षित एकल वैगन के भाड़े में कटौती करने का हाल ही में सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग उक्त सुझावों को कार्यान्वित करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) रेल विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इस समय रेल विभाग द्वारा किए जा रहे तेल और गैस व्यापार को नई पाइपलाइनों को सौंप दिये जाने पर रेल विभाग को कोई घाटा न हो?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां, उक्त सुझाव भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिसंबर में आयोजित एक सेमिनार में दिए गये थे। ये सुझाव उद्योगों की फीडबैक प्राप्त करने के लिए चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया का ही भाग हैं। इन सुझावों पर इनकी व्यवहारिकता और रेलों को इनसे होने वाले संभावित लाभ के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) पाइपलाइनों के निर्माण के बावजूद रेल द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में मात्रा में किसी कमी की संभावना नहीं है यद्यपि बाजार शेयर में कमी हो सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों के रेल संचलन के लिए क्षमता सृजन के उद्देश्य से रेलें अब बदलाव लेखों में टैंक मालडिब्बों का 100% और परिवर्तन लेखों में 50% प्राप्त कर रही है। सभी स्तरों पर रेलों और तेल उद्योग में पूर्ण समन्वय रखा जा रहा है।

पुस्तकालय के लिए धन

1836. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान से आज की तिथि तक विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए चेन्नई में कोन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय और महाराजा सरफौजी सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावूर को उपलब्ध कराई गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दोनों पुस्तकालयों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या कोन्नेमारा पुस्तकालय भवन का संरक्षण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या नियत समय पर कार्य को पूरा न कर पाने के कारण चेन्नई क्षेत्र के अधीक्षक पुरातत्वविद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक कोन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय और महाराजा सरफोजी

सरस्वती महल पुस्तकालय को विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों के लिए दी गयी वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

वर्ष	संगठन का नाम	संगठन का नाम
	कोन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, चेन्नई	तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजावुर
1997-98	52.8 लाख रुपए	शून्य
1998-99	68.00 लाख रुपए	50 लाख रुपये
1999-2000	32.5 लाख रुपए	शून्य
2000-2001	15.00 लाख रुपए	शून्य

(ग) से (च) कोन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का संरक्षण कार्य 5 मीटर लम्बाई के सागौन लकड़ी के लट्ठों तथा साथ ही छत पर जड़े जाने वाले कांच के टाइलों की अधिप्राप्ति में काफी विलम्ब के कारण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।

इसे देखते हुए, अधीक्षण पुरातत्वविद्, चेन्नई सर्किल को कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

पत्तन न्यास और गोदी श्रमिक बोर्ड की उत्पादकता में वृद्धि

1837. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन न्यास और गोदी श्रमिक बोर्ड की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गोदी और समुद्री तट पर काम करने वाले कामगारों के बीच कार्यों की अदला-बदली करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या पत्तन के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उत्पादकता पर आधारित किसी पुरस्कार योजना को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। उत्पादकता में वृद्धि सदैव सरकार के लिए चिंता का विषय रही है। उत्पादकता में वृद्धि के लिए समय-समय पर उत्पादकता से जुड़ी पारिश्रमिक स्कीम, प्रोत्साहन स्कीम आदि जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, हां। पत्तन और गोदी कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ी पारिश्रमिक स्कीम 1994-95 से कार्यान्वित की गई है और उसके आधार पर उन्हें प्रतिवर्ष उत्पादकता से जुड़े पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। फिलहाल महापत्तन प्रबंधन द्वारा पत्तन और गोदी कामगारों के प्रमुख संघों के साथ परामर्श से इस स्कीम में सुधार किया जा रहा है।

ताप, जल और गैस आधारित विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता

1838. श्री विनय कुमार सोराके : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़ी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण कार्य पूरा होने के कगार पर है और इससे कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) हिमाचल प्रदेश में छोटी विद्युत परियोजनाओं और पूर्वोत्तर की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) जन जागृति अभियान के माध्यम से और उच्च खपत श्रेणी के लिए उच्च शुल्क सदैव लगाकर ऊर्जा के संरक्षण हेतु क्या उपाय अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की कृषि के लिए विद्युत आपूर्ति पर राजसहायता को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की भी योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में संभावित रूप से पूरी हो जाने वाले हाइड्रो एवं थर्मल पावर परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दर्शायी गई है। इन विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने पर 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान संभावित क्षमता अभिवृद्धि क्रमशः 3968.17 मे.वा. तथा 4922.40 मे.वा. होगी।

(ख) हिमाचल प्रदेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों समेत पूरे देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय विभिन्न प्रोत्साहन दे रहा है। इन प्रोत्साहनों में विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को ब्याजगत सब्सिडी देना शामिल है। मंत्रालय वायु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए उचित संभावित स्थानों को अभिज्ञात करने के लिए वायु संसाधन मूल्यांकन भी कर रहा है।

(ग) सरकार ने ऊर्जा संरक्षण की जरूरत के बारे में जन जागरण पैदा करने हेतु अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं :

(1) ऊर्जा संरक्षण के लिए समाचार पत्र, रेडियो एवं टी.वी. जैसे वीडियो तथा अन्य एजेंसियों समेत युवाओं का संदेश का प्रचार में उपभोग।

(2) उद्योगों के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का प्रावधान।

(3) प्रतिवर्ष 14 दिसम्बर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाना।

प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण कानून में ऊर्जा क्षमता ब्यूरो नामक एक निकाय गठित करने का विचार है। यह संगठन ऊर्जा संरक्षण के विषय में जन जागरण पैदा करने हेतु आवश्यक उपाय करेगा।

उच्च खपत वाले समूहों के लिए टैरिफ बढ़ाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि टैरिफ का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जिसकी समीक्षा रा. वि. विनियामक आयोगों द्वारा की जाती है, जहां भी ये गठित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) 3 मार्च 2001 को आयोजित मुख्य मंत्रियों, विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में आमसहमति से यह निर्णय लिया गया था कि विद्युत आपूर्ति पर सब्सिडी राज्य सरकारों की सब्सिडी के लिए भुगतान क्षमता की सीमा तक स्पष्टता बजट प्रावधानों के जरिए दी जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य मंत्रियों के द्वारा पूर्व में 50 पैसे के न्यूनतम कृषि टैरिफ के संबंधी निर्णय को अविलंब लागू किया जाए।

विवरण

नौवीं योजना के शेष दो वर्षों की अवधि में क्षमता अभिवृद्धि

(सभी आंकड़े मे.वा. में)

		2000-01	2001-02
केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	फरीदाबाद एनटीपीसी	144 जुलाई, 00	
2.	सिमाद्री एनटीपीसी		500
3.	नवेली विस्तार एनएलसी		210
4.	दोयांग नीपको	75 जून, 00	
5.	रंगादनदी नीपको		405
6.	टिहरी एचईपी टीएचडीसी		250
7.	आरएपीपी, एनपीसी	220 नव., 00	
8.	कैंगा, एनपीसी	220 अक्टू. 00	
	समस्त	659	1365
	निजी क्षेत्र		
पश्चिमी क्षेत्र			
1.	दाभोल II. महा.		1444
2.	रतलाल डीजीपीपी म.प्र.		188
दक्षिणी क्षेत्र			
1.	कोंडापल्ली (ए.पी.) तरल ईंधन	112 जून, 00 112 सित., 00 26 अक्टू. 00	
2.	वैमागिरि ए.पी.		132
3.	बीएसईएस (पाडापुरम ए.पी.)		200
4.	बैरेली डीजी (कर्ना.) तरल ईंधन	25.2 सित., 00	
5.	टैनारी बावी बारेज मॉउन्डेड कर्ना.		200
6.	इल्लीर बीएसईएस केरल तरल ईंधन	39 नव., 00	
7.	समयानल्लूर डीजी तमिलनाडु तरल ईंधन		106
8.	पिलईपरमल्लूर (टी.एन)	जीटी-225 एसटी-105.5	
1*.	समलपट्टी डीजी (टी.एन.) तरल ईंधन	105	45
*	बाम्बो फल्ट डीजी (ए एण्ड एन)		20
पूर्वी क्षेत्र			
1.	जैपोर बिहार	120 अक्टू. 00	120
	समस्त	969.70	2385
उत्तरी क्षेत्र			
1.	पानीपत हरि.	210	
2.	घानवी हि. प्र.	11.25 जुलाई, 00 11.25 दिस., 00	
3.	थिनडम पंजाब	150 जुलाई, 00	
		150 जुलाई, 00	
		150 जुलाई, 00	
		150 अगस्त, 00	

	2000-01	2001-02
4. प्रगति सीसीपीपी दिल्ली		104.6
पश्चिमी क्षेत्र		
1. कट्टा पहाड़ खापरखेडा महा.	210 मई, 00 210 जन. 01	
2. सरदार सरोवर एमपी		450
3. बाणसागर टोन्स एमपी		40
दक्षिणी क्षेत्र एवं द्वीप		
1. एलवीएस, डीजीपीपी (ए.पी.)		36.8
2. रंगीत बेंडीजी (ए एंड एन द्वीप)		5
3. कोविकलल्पल (टी. एन.)	107	
4. श्री शैलम (ए.पी.)	150	300
5. सरावती कर्नाटक	60 जुलाई, 00	180
6. कुट्टायाडी विस्तार केरल		50
7. कालपोंग (एन एंड एन द्वीप)	5.2	
8. डीजी (एन एंड एन द्वीप)	5.72 नव., 00	
9. डीजी लक्षद्वीप	3.05 नव., 00	
पूर्वी क्षेत्र		
1. बक्रेश्वर (प. बंगाल)	210 मई, 00 210	
2. अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)	150 सित., 00 150	
3. पतेरू उड़ीसा		6
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र		
1. लिम्बाकोंग डीजी (मणिपुर)	36	
समस्त	2339.47	1172.40
संचयी लक्ष्य	3968.17	4922.40

पारेषण और वितरण प्रणाली का विकेन्द्रीकरण

1839. श्री किरीट सोमैया :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्य द्वारा परिचालित विद्युत उत्पादन और वितरण प्रणाली को समुदाय पर आधारित नेटवर्क के साथ बदल कर इसके विकेन्द्रीकरण का कोई प्रस्ताव है जिसको एक विश्वसनीय राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत मंत्रियों के दल ने हाल ही में इस मुद्दे पर चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में एक अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विद्युत की स्थिति में सुधार

1840. श्री रामपाल सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना में विद्युत की स्थिति में सुधार हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु और इसके वितरण में सुधार लाने के लिए कोई नई योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नौवीं योजना के लिए 40245 मे. वा. का लक्ष्य रखा गया था, बहरहाल जुलाई, 1999 में नौवीं योजना क्षमता संवर्धन की मध्यावधि समीक्षा में यह पता चला था कि नौवीं योजना में 28097.2 मे. वा. वृद्धि की संभावना है। बाद में जनवरी, 2001 में समीक्षा कराई गई और देखने में आया कि नौवीं योजना में 20891.57 मे. वा. क्षमता वृद्धि की संभावना है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(मे. वा. में)

	केन्द्रीय क्षेत्र	निजी क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	कुल
ताप विद्युत	3294	6735.20	4941.67	14970.87
जल विद्युत	790	0.00	4250.70	5040.70
न्यूपियलर	880	0.0	0.0	8.80
कुल	4964	6735.20	9192.37	20891.57

(ख) जिनके कारण परियोजनाओं की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है:

(1) एस्क्रो अनुपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र परियोजनाओं का विलंबित वित्तीय समापन।

(2) फ्लैश फ्लड।

(3) भूमि अधिग्रहण में विलंब।

(4) सहायता तथा पुनर्वास समस्याएं और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे।

(5) कानून व्यवस्था की समस्या।

(6) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि। वृद्धि से गैस तथा नापथा की कीमत में वृद्धि से एलएनजी व्यवहार्यता तथा तरल ईंधन आधारित परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

(7) अनुबंधात्मक समस्याएं।

(8) जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में अंतःराज्यीय विवाद।

(ग) और (घ) सरकार इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त समितियों तथा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चालू परियोजनाओं की मानीटरिंग कर रही है। निजी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए सरकार ने संकट समाधान दल का गठन किया है ताकि अंत में आने वाली समस्याओं का हल किया जा सके। विद्युत उपलब्धता तथा उत्पादन क्षमता में सुधार और देश में उपलब्ध विद्युत संसाधनों के इष्टतम उपयोग के निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(क) क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों का शीघ्रता से क्रियान्वयन।

(ख) निवेश प्रक्रियाओं का उदारीकरण।

(ग) मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहन।

(घ) मौजूदा पुरानी उत्पादक इकाइयों का नवीकरण व आधुनिकीकरण।

(ङ) त्वरित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत थर्मल पावर स्टेशनों के प्रचालन व अनुरक्षण में सुधार के लिए पावर फाइनैन्स कॉरपोरेशन द्वारा ऋणों का वितरण।

(च) अंतःराज्यीय तथा अंतःक्षेत्रीय विद्युत अंतरण को प्रोत्साहन।

(छ) क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में हाइड्रो थर्मल सूपिलयर तथा गैस टरबाइन विद्युत केन्द्रों का समन्वित प्रचालन।

(ज) विद्युत प्रणाली में पारेषण अंतरण क्षमता विस्तार और वोल्टेज में सुधार के लिए शट कैपेसिटरों की स्थापना।

(झ) पारेषण तथा वितरण हानियों में कटौती।

उप पारेषण तथा वितरण प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए सरकार ने इस वर्ष से 1000 करोड़ रु. के बजटीय परिव्यय से त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।

सरकार ने विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए आम सहमति का प्रस्ताव किया है ताकि राज्यों में विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति सुधारी जा सके। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए मुख्य मंत्रियों तथा राज्य विद्युत मंत्रियों की 3 मार्च, 2001 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ताकि सुधारों को गति मिल सके और विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार हो। प्रधानमंत्री ने इस बैठक का उद्घाटन किया।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों के पटरियों से उतरने के कारण हुई दुर्घटनाएं

1841. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने 75% दुर्घटनाओं का कारण रेलगाड़ियों का पटरियों से उतरने के मद्देनजर सुरक्षा को शीर्ष वरीयता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे रेलगाड़ियों के पटरियों से उतरने की घटनाओं को नियंत्रित करने में किस सीमा तक सफल रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां, गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाएं परिणामी गाड़ी दुघर्टनाओं का लगभग 75% होती है, इस तथ्य के दृष्टिगत विशेषकर गाड़ी के पटरी से उतरने पर ज्यादा ध्यान देते हुए रेलवे संरक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है। संरक्षा उपायों की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और रेलें अपने संरक्षा निष्पादन में और सुधार करने के लिए हमेशा प्रयास करती हैं। गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) 90 आर की रेल पटरियों को 52 किग्रा. और 60 किग्रा. प्रति मीटर की अधिक भार वाली रेलपटरियों द्वारा बदलकर रेलपथ संरचना का ग्रेडोन्नयन किया जा रहा है। यहां तक

कि पटरी की मजबूती भी पूर्ववर्ती 72 यू.टी.एस. से बढ़ाकर अब 90 यूटीएस कर दी गई है।

(2) अब आधुनिकतम पूर्व प्रबलित कंक्रीट (पी.एस.सी.) स्लीपरों का उपयोग किया जा रहा है।

(3) बेहतर विश्वसनीयता के लिए झलाई करके तथा फिश प्लेट के जोड़ों को हटा करके छोटे झलाई युक्त तीन पटरी के पैनलों को लम्बी झलाई युक्त और सतत् झलाई युक्त पटरी पैनलों में धीरे-धीरे बदला जा रहा है।

(4) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाईटैपिंग और बैलास्ट क्लीनिंग मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(5) रेलपथ ज्यामितीय और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर नजर रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी कारों, दोलन कारों और सुवास्य एक्ससेलोमीटरों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(6) पटरियों की टूट-फूट/ढलाई की खराबी का पता लगाने के लिए पराश्रव्य दोष संसूचकों का उपयोग किया जा रहा है। अब सवनोदित पराश्रव्य पटरी परीक्षण कारों की खरीद की जा रही है।

(7) बहुत से डिपुओं में सवारी डिब्बों और मालडिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और अपग्रेड किया गया है।

(8) ड्राइवर, गार्ड और गाड़ी परिचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग करना भी शामिल है।

उपरोल्लिखित उपायों के परिणामस्वरूप विगत 10 वर्षों के दौरान गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या 1990-91 की 446 से घटकर 1999-2000 में घटकर 329 रह गई है।

भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तान द्वारा सैन्य शिविर का निर्माण किया जाना

1842. श्री राम मोहन गाइडे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान भारत-पाक सीमा पर किप्रो क्षेत्र में फील्ड फायरिंग रेंज और सैन्य शिविरों का निर्माण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में एकत्र की गई जानकारी का ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान की कार्रवाई से मुकाबला करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सरकार को इस विषय की जानकारी है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर सतत् रूप से नजर रखी जाती है तथा भारत के शत्रुओं की ओर से किए जाने वाले किसी भी दुःसाहसिक प्रयास को विफल करने के लिए समुचित रक्षा तैयारी बनाए रखने हेतु समय-समय पर सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

विद्युत क्षेत्र में कोयले का प्रयोग

1843. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयला उपयोग संबंधी रुझान के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र में कोयले के प्रयोग को बढ़ाने की कोई संभावना है;

(घ) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन में कोयले का उपयोग करने में क्या-क्या मुख्य बाधाएं हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) कोयला क्षेत्र का विकास मुख्यतः विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले की खपत से जुड़ा हुआ है और योजना आयोग द्वारा प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में वार्षिक आधार पर ताप विद्युत केन्द्र-वार कोयले की मांग का आकलन करने के लिए एक विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है और यह अर्थव्यवस्था के प्रक्षेपित वृद्धि के अनुरूप होता है। इसके आलावा देश की ऊर्जा मांग का आकलन के. वि. प्रा. के इलेक्ट्रिक पावर सर्वे कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित होती है। चल रही प्रवृत्ति की दृष्टि से लगभग 70% विद्युत उत्पादन कोयला आधारित है। विद्युत क्षेत्र यूटिलिटियों द्वारा कोयले की खरीद में काफी वृद्धि पाई गई है एवं पिछले दशक में औसत वार्षिक कोयले की खरीद में वृद्धि 6.93% थी। ऊर्जा के एक मुख्य स्रोत के रूप में कोयला ऊर्जा आपूर्ति के प्राथमिक एवं गौण स्रोत के रूप में देश की वाणिज्यिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निकट भविष्य में स्रोत उपलब्धता कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए न्यून निवेश, न्यूक्लीयर या हाइड्रो संयंत्रों की

तुलना में इसके चालू होने की अवधि कम होने एवं क्षेत्र की ईंधन आपूर्ति तथा संबंधित ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से इसकी विश्वसनीयता के कारण देश की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए कोयला अभी भी सबसे उपयुक्त एवं न्यूनतम लागत वाला स्रोत है। विद्युत उत्पादन में कोयला उपयोग की मुख्य बाधा भारतीय कोयले में राख की उच्च मात्रा तथा सम्बद्ध पर्यायरणीय समस्याएं हैं। पर्यावरण पर कोयला दहन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए विद्युत उत्पादन हेतु स्वच्छ कोयला तकनीक पर बल दिया जा रहा है।

सिंचाई पम्पों को विद्युत प्रदान करना

1844. श्री किरीट सोमैया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार नौवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई पम्पों को विद्युत प्रदान करने के कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आवंटित/निर्गत की गई है;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के उत्साहवर्द्धक परिणाम मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के लिए और धनराशि आवंटित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) पंपसैट उर्जीकरण कार्यक्रमों को करने हेतु प्राथमिकताएं एवं लक्ष्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों को पंपसैट उर्जीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु ऋण सहायता प्रदान करता है। नौवीं योजना के दौरान (मार्च, 2000 तक) आरईसी ने पंपसैटों के उर्जन हेतु महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के 171.67 करोड़ रुपए संवितरित हुए हैं। इसके अलावा एमएसईबी के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान आरईसी ने 11 करोड़ रुपए की एक और राशि आवंटित की है। के.वि.प्रा. के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, नौवीं योजना के दौरान नवंबर 2000 तक महाराष्ट्र में 205902 पंप सैटों का उर्जन किया गया है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र राज्य से 1,88,000 पंप सैटों के लक्ष्य (चार वर्ष का लक्ष्य) की तुलना में 388557 पंपसैटों का उर्जीकरण किया गया क्योंकि वर्ष 1996-97 हेतु पंपसैटों उर्जीकरण के लक्ष्य को योजना आयोग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था।

(ङ) 2000-01 से सरकार ने आरईसी के जरिए निधियों को प्रदान करने की पहले की पद्धति के स्थान पर राज्यों को सीधे ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अन्तर्गत निधियां प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण नेटवर्कों के सवंर्धन हेतु निधियां प्रदान करने की भी परिकल्पना की है। पंपसैट उर्जीकरण का कार्यक्रम रा.वि.बो./राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों तथा आंशिक रूप से आरईसी द्वारा प्रदान किए गए ऋणों से क्रियान्वित किया जाता है जो पात्र परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करता है। आरईसी के संसाधनों को निधियों के सस्ते स्रोतों तक आरईसी की पहुंच बनाकर संबंधित करने का प्रस्ताव है।

सेनाकर्मियों के लिए जीवन बीमा निगम की नकली नीति

1845. श्री रामजी मांझी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 सितम्बर, 2000 के *इंडियन एक्सप्रेस* में 'सी.बी.आई.' अनर्थ रैकेट इन्वाल्वींग फेक एल.आई.सी. पालिसीज फार आर्मीमेन शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) क्या सी.बी.आई. ने सेना कर्मियों, जीवन बीमा निगम के अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा जीवन बीमा निगम से धोखाधड़ी की जांच पूरी कर ली है;

(ग) जीवन बीमा निगम से धोखाधड़ी करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए एवं उन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, नई दिल्ली ने जीवन बीमा निगम के कुछ ऐसे फर्जी दावों की, जिन्हें सेना कार्मिकों ने प्रस्तुत किया है, जांच करने के लिए संबंधित विधि के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय सेना के कुछ अज्ञात अफसरों तथा कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध एक नियमित मामला दर्ज किया है।

दोषी व्यक्तियों द्वारा अपनाया गया तरीका यह था कि वे गैर-मौजूद सेना कार्मिकों के जीवन बीमा के लिए प्रस्ताव पेश किया करते थे जिन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकार किया गया था। कुछ समय तक ये जीवन बीमा पालिसियां मूल शाखा पर ही खरीदी जाती रही थी, इसके पश्चात् इन पालिसियों को जीवन बीमा निगम की किसी अन्य शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाता था। तत्पश्चात् ये दोषी व्यक्ति झूठे मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया करते थे जिनसे यह आभास होता था कि ये प्रमाण-पत्र भारतीय सेना के 'फील्ड मोबाइल अस्पताल' द्वारा जारी किए

गए हों। इन प्रमाण-पत्रों में मृत्यु की वजह सुरंग फटना, भू-स्खलन आदि दर्शाई जाती थी। भारतीय जीवन बीमा निगम को लगभग 12.75 लाख रुपये के फर्जी दावे पेश करके धोखा देने के प्रयास किए गए हैं। तथापि, केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से लगभग 7 लाख रुपये की वास्तविक राशि की धोखाधड़ी होने का पता चलता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसने फील्ड जांच पूरी कर ली है, आगे की कार्रवाई किए जाने के लिए अब उपलब्ध साक्ष्य की कानूनी संवीक्षा कर रहा है।

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उरन स्थित तेल और प्राकृतिक गैस निगम

1846. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में उरन स्थित तेल और प्राकृतिक गैस निगम की गैस जल जाने और बरबाद होने से काफी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बरबादी से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस अतिरिक्त गैस को पाइपलाइन के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र और मुंबई के उपनगरों में आपूर्ति करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के अंतर्गत उरान में, गैस की बहुत कम मात्रा, जिसकी तकनीकी तथा सुरक्षा मान्यताओं के आधार पर आवश्यकता होती है, के दहन के सिवाए, प्राकृतिक गैस की कोई क्षति अथवा दहन नहीं है।

प्रमुख पत्तनों के विकास के लिये कोष

1847. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रमुख पत्तनों के विकास के लिये कुल कितना योजना परिव्यय रखा गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन प्रमुख पत्तनों द्वारा पत्तनवार कुल कितने परिव्यय का प्रयोग किया गया;

(ग) क्या पत्तनों ने उक्त अवधि के दौरान आवंटित धनराशि का प्रयोग नहीं किया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्धारित अवधि के दौरान पूरी आवंटित धनराशि के उपयोग और इन परियोजनाओं पर काम को तेज करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं ताकि लागत मूल्य में वृद्धि न हो?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान महापत्तनों के विकास के लिए कुल 1589.99 करोड़ रु. का योजनागत परिव्यय आवंटित किया गया।

(ख) वर्ष 2001-2001 के दौरान पत्तन वार योजनागत परिव्यय और महापत्तनों द्वारा पूर्वानुमानित परिव्यय-उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा पूर्वानुमान है कि महापत्तनों द्वारा आवंटित परिव्यय का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जाएगा। योजनागत परिव्यय के उपयोग में कमी के कारण अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:

(1) नई स्कीमों की स्वीकृति में देरी।

(2) मानसून के कारण कार्य शुरू होने में विलम्ब।

(3) संविदा संबंधी विवाद/मुकदमा।

(4) निविदाओं को अंतिम रूप देने और ठेक सौंपने में विलम्ब।

(5) परियोजनाओं/स्कीमों का स्थगन।

(ङ) योजनागत परिव्यय के उपयोग में सुधार के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) अधिक वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(2) उपस्कर/फ्लोटिंग क्राफ्ट की खरीद तथा पुराने गैर मरम्मत योग्य उपस्करों के निपटान की प्रक्रिया सरल बनाना।

(3) परियोजना कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी।

विवरण

2000-2001 के दौरान महापत्तनों द्वारा योजनागत परिव्यय का पूर्वानुमानित उपयोग

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	महापत्तन का नाम	2000-2001	
		परिव्यय	पूर्वानुमानित व्यय
1	2	3	4
1. (क)	कलकत्ता	5.04	5.55
(ख)	हल्दिया	59.76	43.19
(ग)	आर.आर. स्कीमें	214.34	0.00
जोड़	कलकत्ता	279.14	48.74

1	2	3	4
2.	मुम्बई	217.99	129.13
3.	ज.ला. नेहरू	101.70	30.82
4.	चेन्नै	228.50	183.76
5.	कोचीन	26.00	18.73
6.	विशाखापत्तनम	138.40	97.00
7.	कांडला	109.93	63.20
8.	मुरगांव	50.21	17.20
9.	पारादीप	275.52	153.00
10.	नव मंगलूर	90.00	99.00
11.	तूतीकोरिन	72.60	26.26
	जोड़	1589.99*	866.84

* इसमें से, सकल बजटगत सहायता अंश में से 42.98 करोड़ रु. पूर्वोत्तर राज्यों के पूल में अंतरित कर दिए गए जिससे वास्तविक परिव्यय 1547.01 करोड़ रु. बचा।

यात्रियों को होने वाली परेशानियां

1848. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ी के डिब्बों को भीतर और बाहर से कई दिनों तक साफ नहीं किया जाता है;

(ख) क्या डिब्बे की धातु और कांचनिर्मित खिड़कियों के पल्ले भी ठीक से बन्द नहीं होते जिससे सवारियों को परेशानी झेलनी पड़ती है;

(ग) क्या रेलगाड़ियों में खानपान-यान द्वारा परोसी जाने वाली कॉफी भी बहुत घटिया स्तर की होती है और इसकी मात्रा भी कम होती है;

(घ) क्या चल-टिकट निरीक्षक इन सभी खामियों का निरीक्षण कर रहे हैं और यात्रियों की सुविधार्थ कदम भी उठा रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या रेलगाड़ियों में उपलब्ध करायी जाने वाली शयन-सामग्री भी घटिया स्तर की है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने और यात्रीजनों को वे सभी वांछित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए—जिनके लिए वे भुगतान करते हैं—क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। यात्रा शुरू करने से पहले गाड़ी के सभी डिब्बों को बाहर से तथा अंदर से बेस डिपो पर साफ किया जाता है। मार्ग में कुछ नामित स्टेशनों पर सफाई करने की सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं तथा कुछ लंबी दूरी की गाड़ियों में सचल सफाई वालों की व्यवस्था की गई हैं। गाड़ियों की हालात की निगरानी विशेष अभियानों के माध्यम से की जाती है और नियमित जांचों के अलावा अचानक जांच भी की जाती हैं।

(ख) दरवाजे की खराब सिटकनी अथवा क्षतिग्रस्त खिड़की के शटरों के कुछ मामले हुए हैं जो कि आमतौर पर टूट-फूट तथा असामाजिक तत्वों द्वारा गुंडागर्दी के कारण भी होते हैं किन्तु बेस डिपो पर अनुरक्षण के दौरान खिड़की शटरों की मरम्मत करने अथवा उन्हें बदलने का ध्यान रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं। रेलवे गाड़ियों में अच्छी गुणवत्ता वाली काफी देने के लिए सभी प्रयास करती हैं। रेलवे राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में काफी के साथ अलग से चीनी के पाउच भी देती है। वाणिज्यिक और स्वास्थ्य निदेशालयों से विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा अक्सर अचानक जांचें की जाती हैं। जब कभी कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तब ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए कठोर निवारक कार्रवाई की जाती है।

(घ) सवारी डिब्बों में यदि कोई कमी रहती है तो चल टिकट परीक्षक रिकार्ड कर रहे हैं और उसे संबंधित अनुरक्षण कर्मचारियों की जानकारी में ला रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं। वातानुकूल श्रेणियों में सभी यात्रियों को साफ-सुथरी अच्छी लिनन उपलब्ध करने के अनुदेश क्षेत्रीय रेलों पर पहले से ही मौजूद हैं जिससे ग्राहक की संतुष्टि में इजाफा हो सके। समय-समय पर अचानक जांचें की जाती हैं और चूक के लिए जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(छ) रेलों द्वारा डिपो और कारखानों में उचित मरम्मत और रखरखाव का ध्यान सुनिश्चित करने के अलावा, यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं:

(1) द्वितीय श्रेणी के शयनयान डिब्बों में गद्दीदार बर्थों की व्यवस्था।

(2) पहले मुहैया करायी जा रही 24 वोल्ट प्रणाली के स्थान पर बेहतर 110 वोल्ट वाली बिजली की व्यवस्था।

(3) सवारी डिब्बों के शौचालयों में स्टेनलेस इस्पात की जड़ाई (इनलेज) से सुसज्जित सवारी डिब्बों में उन्नत पोलीविनायता फर्श की व्यवस्था।

(4) संलग्न यूआईसी किस्म की वेस्टीब्यूटस की व्यवस्था।

(5) चोरी और गुंडागर्दी को रोकने के लिए फाइबर पुनर्बलित प्लास्टिक खिड़की शटरों का उपयोग।

(6) विशिष्ट पेस नियंत्रण एजेंसियों के द्वारा सवारी डिब्बों की नियमित सफाई।

(7) सवारी डिब्बों का मिड-लाइफ पुनर्स्थापन।

पशुओं को लाना, ले जाना

1849. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद पुलिस ने एक मालगाड़ी से 700 गाय और 400 बछड़े बरामद किए हैं जिन्हें पंजाब में किला रायपुर से हावड़ा ले जाया जा रहा था और जिन्हें कथित रूप से पशुवध हेतु बंग्लादेश को निर्यात करना प्रस्तावित था, और 65 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो इन पशुओं को हावड़ा ले जा रहे थे;

(ख) क्या पशुओं को लाने, ले जाने के लिए पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रमाणपत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बारह पशुओं की निर्धारित संख्या के मुकाबले एक डिब्बे में चालीस पशु चढ़ाना रेलवे नियमों के विरुद्ध है जिससे पशुओं के प्रति अत्याचार निरोधक अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। गाजियाबाद पुलिस ने किला रायपुर से पश्चिम बंगाल में हावड़ा तक बुक की गई एक मालगाड़ी में से 624 पशु और उनके 549 बछड़ों को जब्त किया था और 65 परिचरों को पकड़ा था।

(ख) जी, हां। रेल यात्रा करने के लिए पशुओं की फिटनेस के संबंध में एक योग्यता प्राप्त पशु सृजन का प्रमाण-पत्र अपेक्षित होता है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय पशु अस्पताल, किला रायपुर, लुधियाना के पशु सृजन प्रभारी ने दिसंबर 2000 में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया था, उप-मंडल न्यायाधीश, लुधियाना, पशु चिकित्सक सर्जन, किला रायपुर (लुधियाना) उप-निदेशक, पशु पालन लुधियाना, पुलिस उप अधिक्षक, ढाका, पुलिस उप अधीक्षक, केन्द्रीय खुफिया विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर जाकर एक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें पशुओं की बुकिंग नियमानुसार प्रमाणित की गई है।

रेल नियमों के अनुसार, एक आठ पहियां मालडिब्बों में 16 पशु और उनके बछड़े इकट्ठे बुक किए जा सकते हैं। संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार यह बुकिंग रेल नियमों और पशु बर्बरता रोकथाम अधिनियमों का पालन करते हुए की गई थी।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1)(क)(एक) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, अहमदाबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3331/2001]

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3332/2001]

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, भोपाल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3333/2001]

(चार) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3334/2001]

(पांच) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3335/2001]

(छह) डा. अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड न्युट्रिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3336/2001]

(सात) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3337/2001]

(आठ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, गोवा के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3338/2001]

(नौ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, गुरदासपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3339/2001]

(दस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, गुवाहाटी के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3340/2001]

(ग्यारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, ग्वालियर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3341/2001]

(बारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3342/2001]

(तेरह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, जयपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संरकरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3343/2001]

(चौदह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, लखनऊ के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3344/2001]

(पंद्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3345/2001]

(सोलह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3346/2001]

(सत्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, पटना के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3347/2001]

(अठारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, शिमला के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3348/2001]

(उन्नीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, श्रीनगर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3349/2001]

(बीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3350/2001]

(इक्कीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3351/2001]

(बाईस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिशन, ग्वालियर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चंडीगढ़, चेन्नई, गोवा, गुरदासपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुम्बई नई दिल्ली, पटना, शिमला, श्रीनगर, तिरुअनंतपुरम स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन तथा नेशनल काउंसिल फॉर दि होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नालॉजी, नई दिल्ली और इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 3352/2001]

(3) (एक) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपुर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 3353/2001]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 3354/2001]

(दो) वर्ष 2001-2002 के रक्षा सेवा प्राक्कलनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 3355/2001]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 3356/2001]

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमीकल्स लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित "नियत सेवा प्रदाताओं के लिये डब्ल्यू.एल.एल. के माध्यम से सीमित मोबिलिटी" के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 12 मार्च, 2001 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा।
2. ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।
3. भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद् अध्यादेश, 2001 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और भारतीय विश्व कार्यकलाप परिषद विधेयक 2001 पर विचार और पारित करना।
4. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:
   (क) दिल्ली उच्च न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी वेतन, भत्ता, छुट्टी और पेंशन विधेयक, 1994
   (ख) उच्चतम न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी वेतन, भत्ता, छुट्टी और पेंशन विधेयक, 1994
5. वर्ष 2001-02 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।
6. निम्नलिखित मांगों पर चर्चा और मतदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयकों पर पुरःस्थापन, विचार और पारित करना:
   (क) वर्ष 2001-02 के लिए लेखानुदान मांगें (रेल)।
   (ख) वर्ष 2000-01 के लिए अनुपूरक मांगें (रेल)।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये :

(एक) राष्ट्रीय गन्दी बस्ती और आवास नीति पर चर्चा की आवश्यकता।

(दो) विद्युत क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा की आवश्यकता।

.....(व्यवधान)

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाये :

(एक) आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में "दिवीसीमा" क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के ज्वार-भाटे से प्रभावित तट पर भूमि में कटाव और इसके परिणामस्वरूप लोगों के घरों और सम्पत्ति को खतरा और तट पर आर सी दीवारों के निर्माण की आवश्यकता।

(दो) मिल में तैयार कपड़े के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण आंध्र प्रदेश के हथकरघा कामगारों की दुर्दशा और "सत्यम कमेटी" की रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों का विरोध करने का

अनुरोध और कपड़े की कुछ किस्मों को केवल हथकरघा क्षेत्र के लिये निर्धारित करना।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : महोदय, अगले सप्ताह में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. महाराष्ट्र सरकार ने आदिम जाति और अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के पास मंजूर करने के लिए विधेयक भेजा है।

2. महाराष्ट्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना द्वारा प्याज की खरीद की, उसमें घाटा आया। 65 करोड़ रुपए में आधा घाटा केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को देना है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष जी, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें :

1. राष्ट्रीय जल नीति बनाकर एक से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के पानी को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर संबंधित राज्यों को उनका हिस्सा दिये जाने की आवश्यकता।

2. विदेशी आयातित वस्त्रों को भारत में आने से रोकने के लिए रेडीमेट (गारमेंट इकाइयों) एवं ब्रांडेड सिले-सिलाए कपड़ों पर बढ़ाए गये 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को वापस लिये जाने की आवश्यकता।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने की कृपा की जाए :

1. सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा कोयले की खुदरा बिक्री हेतु फुटकर कोयला विक्रेताओं के लिए कोयले की मासिक आवंटन करने की अपेक्षा, ताकि झारखंड राज्य में कोयले की कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगे और उपभोक्ताओं को जलावन कोयले की आपूर्ति उचित ढंग से की जा सके।

2. झारखंड राज्य में लघु उद्योगों को सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड एवं बी.सी.सी.एल. द्वारा मांग के अनुसार कोयले का आवंटन एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपेक्षा।

श्री बालकृष्ण चौहान (धोसी) : अध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को रखने की कृपा की जाए :

1. निजी उद्यमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मियों की भर्ती हेतु आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए सदन में चर्चा करायी जाए।

2. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत मात्र 50 रुपया मासिक मानदेय पर कार्य करने वाले कर्मचारी।

3. "ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षकों" को पूर्ण वेतन पर नियुक्त करने हेतु संसद में चर्चा करायी जाए।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये :

(एक) एम.ए.एम.सी., आर.आई.सी., वेतन बोर्ड, नेशनल इन्स्ट्रूमेण्टेशन, टैनरी एण्ड फुटवियर, नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया आदि छः बंद पड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार और बी.ओ.जी.एल., एच.एफ.सी.आई. दुर्गापुर एकक और एच.एफ.सी.आई. और एफ.सी.आई. के अन्य एककों, एलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पुनरुद्धार।

(दो) एच.एस.सी.एल. दुर्गापुर एकक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मजदूरी का भुगतान न किया जाना।

*.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अपराह्न 12.08 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा 7 मार्च, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 7 मार्च, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से समहत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.09 बजे

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब शून्य काल होगा। श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा।

.....(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है .....*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने दीजिए .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पहले महिला सदस्य बोलेंगी और बाद में पुरुष। सभा में सात महिला सदस्य उपस्थित हैं।

.....(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, यह दिन समानता के लिए महिलाओं द्वारा किये गए संघर्ष की स्वीकृति के रूप में मनाया जाता है। यह संसार भर की महिलाओं को एक जुट करता है क्योंकि हम उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं और उन महिलाओं के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं जो अपने अधिकारों से अभी भी वंचित हैं, जैसे–म्यांमार की सू की, कुवैत की वे महिलाएं जिन्हें अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं है, युद्ध पीड़ित देशों में जेलों में बंद महिलाएं, विशेष रूप से गुजरात, निकारागुआ और अफ्रीका तथा एशिया के बहुत बड़े क्षेत्रों में आपदा से पीड़ित महिलाएं।

भारत में हमने काफी प्रगति की है किन्तु हम अभी भी हिंसा भेदभाव और उपेक्षा की शिकार हैं। अपनी मां के गर्भ में लड़की जीने के अधिकार के लिए चिल्लाती है, बाल विधवा अपने बचपन के लिए तरसती हैं, वेश्यावृत्ति हेतु बेची गई अबोध लड़कियां एक सम्मानजनक जिंदगी की चाह में वेश्यालयों के झरोखें से ताकती रही हैं। बूढ़ी और विधवाएं प्यार और सहारा मांग रही हैं, विवाहित युवतियां दहेज उत्पीड़न से मुक्ति मांग रही हैं, कामकाजी महिलाएं पुरुषों के समान मजदूरी और परिवार, फार्म और उद्यम में अपने काम की अभिस्वीकृति की मांग कर रही हैं और हम सभी समाज और देश में निर्णय लेने वाले सत्ता के ढांचे में महिलाओं को भागदार बनाने की मांग कर रही हैं।

हम में से कुछ को यह विश्वास हो गया है कि भारतीय महिलाओं की महत्वाकांक्षा को इस सभा में उनके अधिकारों के विरुद्ध नारे लगाकर और चिल्लाकर शांत किया जा सकता है। लेकिन हम उसके लिए संख्या में काफी अधिक हैं और अधिक मजबूत और दृढ़ निश्चयी हैं। सरकार प्रतयेक सत्र में लंबित आरक्षण विधेयकों को लाने का वादा करती है किन्तु दबाव में झुक जाती है और चर्चा रोक देती है। सरकार हमारे साथ महिला संबंधी प्रस्तावित नीति पर चर्चा करने से मना करती है। राष्ट्रीय आयोग को न तो स्वायतत्ता प्रदान की गई है और नहीं उसके पास अधिकार हैं और वित्त मंत्री ने लघुबचतों पर ब्याज दरों में कमी कर दी है जो कि महिलाओं के लिए एकमात्र सुरक्षित निवेश है। विश्व व्यापार संगठन और वैश्विक सुधार छोटे उद्यमों जो महिलाओं की जीवन रेखा है, को तबाहकर रहे हैं। जबकि फार्म और खाद्य उत्पादों का अविवेकी आयात ग्रामीण महिलाओं के लिए मौत की घंटी है। आज हम मुक्त नागरिक के रूप में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान भागेदारी और राष्ट्रीय विकास में बराबर के साथी के रूप में स्वीकार करने की मांग कर रही हैं। यह देश अपने 50 प्रतिशत महत्वपूर्ण मानव संसाधन को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है।

अतः हम इस सरकार और देश से अपनी मातृभूमि में समानता और हमें समान नागरिक के रूप में स्वीकार करने सम्बंधी अपनी मांग का जवाब चाहते हैं। हम कोई दान नहीं मांग रही हैं बल्कि हम न्याय मांग रही हैं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, मैं बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं इस माननीय सभा में श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा द्वारा कही गई बातों से सहमत हूं।

आज संसार भर में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। मैं हमने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की हैं उसके लिए संसार भर में महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा और परेशानी उठानी पड़ी मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगी। निस्सन्देह भारतीय महिलाएं अन्य देशों में अनेकों महिलाओं से काफी आगे हैं।

परन्तु मैं इस अवसर पर भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। भारत में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया है और सरकार ने कुछ सरकारी समारोह आयोजित करने की भी घोषणा की है। किंतु इन समारोहों को सामान्य गरीब महिलाओं जो इस महान भारत की कुल आबादी का 50 प्रतिशत हैं, की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। महोदय, केवल दिल्ली में ही कई समारोह हुए जहां सभी उच्च मध्य वर्ग की महिलाओं और कुछ भाग्यशाली पुरुषों को भी आमंत्रित किया गया था।

महोदय, इस संबंध में भारत सरकार ने एक लोगो प्रकाशित किया है जोकि देखने में ठीक नहीं लगता और जो सरकार की प्रगतिशील सोच को प्रदर्शित नहीं करता है। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि इस लोगो में एक महिला और बालक का चित्र है और महिला पीछे की ओर देख रही है। यह भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार की विचारधारा को दर्शाता है।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महिला दिवस पर सारे हाउस को एक जैसी आवाज उठानी चाहिए। .....*(व्यवधान)* हर बात की यहां आलोचना की जाती है। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, वे भारत सरकार द्वारा प्रकाशित उस लोगो को देख सकते हैं.....*(व्यवधान)* मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : *[अनुवाद]* महोदय, यह विवादास्पद नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

मार्ग्रेट जी ने जो बात रखी, उसका सबको समर्थन करना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह इस अवसर पर बोलने का तरीका नहीं है .....*(व्यवधान)*

प्रो. ए. के प्रेमाजम : महोदय, मुझे बोलने दिया जाए। जब दूसरे बोलते हैं तो मैं व्यवधान उत्पन्न नहीं करती.....*(व्यवधान)* कल, जब मल्होत्रा जी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो मैं उन्हें सुन रही थी।.....*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : मैडम कृपया।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, इस माननीय सभा में भी महिलाओं के ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : हर बात में पॉलिटिक्स ले आते हैं।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : यह राजनीति नहीं है, यह महिलाओं की दशा है .....*(व्यवधान)* वे राजनीति करते हैं और यही राजनीति इस लोगो के माध्यम में इस सभा में अभी प्रदर्शित हुई है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मानवीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाले 85वें संविधान (संशोधन) विधेयक को इस सभा में सूचीबद्ध किए हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है और ऐसा 23 दिसम्बर, 1999 को किया गया था जोकि रिकार्ड में है। लेकिन इस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। हम यह मांग कर रही हैं कि इस पर विचार और मतदान किया जाए।

मैं यह जानना चाहती हूं कि महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाले 85वें संविधान (संशोधन) विधेयक के संबंध में सरकार की मंशा क्या है। हम केवल 33 प्रतिशत सीटों की मांग कर रही हैं जबकि हमारा अधिकार इस सभा और राज्य विधान सभाओं में 50 प्रतिशत सीटें लेने का है .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले महिला सदस्यों को बोलने के लिए कह रहा हूं।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, इस वर्ष प्रस्तुत किया गया बजट वस्तुतः इस देश की महिलाओं के विरुद्ध है।

जब एक परिवार को दिए गए लाभ वापस ले लिए जाते हैं तो महिलाओं को सबसे अधिक तकलीफ होती है। इसलिए, महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि आप सरकार को यह निदेश दें कि वह इस सत्र के दौरान 85वें संविधान (संशोधन) विधेयक को विचारार्थ लें, उस पर विचार करें और उस पर मतदान कराएं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2001 सन् महिला सशक्तिकरण के नाम से घोषित किया है जिसके लिये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं आपका ध्यान बी.जे.पी. एवं अन्य सहयोगी दलों के राष्ट्रीय एजेंडा की ओर दिलाना चाहती हूं जिसमें महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता के लिये संसद और राज्य की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने हेतु कानून बनाये जाने को कहा है। मैं आपको महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कही गई इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण संबंधी बिल जो अभी पैंडिंग है, उसको सर्वसम्मति से 33 प्रतिशत स्थान देने के लिये पास करना चाहिये। हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है और हम मानते हैं 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः' हमारी गुजराती में कहावत है: 'जेकर जुलाणे पारणु तेकर जगत पर शासन करें।' इसलिये मैं आपसे आग्रह करती हूं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो हमारा महिला आरक्षण विधेयक है, वह बिना चर्चा के पारित हो ताकि हमारी पिछड़ी महिलाओं को न्याय मिले। हम लोग देवी-देवताओं को प्रणाम करते हैं उनका नमन करते हैं और यह हमारी संस्कृति और संस्कार रहे हैं कि हम लोग पेड़-पौधों, नदी और तालाब की भी पूजा करते हैं। आपको याद होगा इस शताब्दी का सबसे बड़ा कुम्भ मेला हुआ और तीन करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य महिला सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दे रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं चाहती हूं कि हमारा महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो। अंत में मैं कहना चाहूंगी :

तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें। भारत माता की जय।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, यदि आप इस विधेयक को सूचीबद्ध करके उस पर विचार करेंगे तो यह महिलाओं के लिए एक उपहार होगा। कृपया इसे सूचीबद्ध कराइये।.....*(व्यवधान)*

डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वरिष्ठ सदस्यों, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, प्रो. ए.के. प्रेमाजम और श्रीमती भावनाबेन चीखलीया की बातों का पूर्णतः समर्थन करती हूं।

यह वर्ष महिला उत्थान का वर्ष है। आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सरकार को इस दिन से अधिक शुभ दिन नहीं मिलेगा। भारत के सभी लोग, सभी महिलाएं और देश के अधिकांश राजनीतिक दलों ने यह कहा है कि वे महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस विधेयक को पुरःस्थापित करे, इस पर चर्चा कराए और इसे पारित कराए।

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों को लेकर मौसम की तरह महिला दिवस आता है। हम लम्बित मामलों को उठाते हैं, कुद संदेशा, झूठे-सच्चे पंख फड़फड़ाते हैं और इस दिवस के कुछ कसमें-वादे तथा कुछ समारोह के बीच में इस दिन की समाप्ति हो जाती है। आज महिला दिवस के अवसर पर मारग्रेट जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, हम सब उनका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने 1922 में 'हरिजन' पत्रिका में कहा था कि आजादी का अर्थ निरर्थक होगा, प्रजातंत्र का कोई मायना नहीं होगा, यदि एक पंक्ति में खड़े हुये पहले और आखिरी व्यक्ति को एक जैसा अधिकार नहीं मिल जायेगा। लेकिन हम उस पंक्ति से बाहर थे। संविधान में अधिकार मिले लेकिन फिर भी मानसिकता नहीं बदली। हम लोगों को सशक्तिकरण करने और दूसरी बातों पर आज हमारी स्थिति वहीं की वहीं है। इसलिए उन महिलाओं का रिप्रेजेन्टेशन करने के लिए हममें से कुछ बहनें यहां संसद तक आ पहुंची हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि बहुत दिनों से लम्बित उस मसले को जो गांधी जी ने कहा था, जिस पर संवेदना के पंख लगाकर राजीव जी ने महिलाओं की 33 प्रतिशत की भागीदारी निर्णय लेने में हासिल करने के लिए जिस पंचायत बिल को पास किया था, उसकी अगुवाई में हमें संसद और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत की भागीदारी मिले। लेकिन उससे साथ-साथ एक दूसरा प्रश्न भी है। लेकिन यहां सबसे बड़ी जरूरत सरकार की मानसिकता की है। यदि सरकार दृढ़ निश्चय के साथ इस बिल को लेकर आये तो निश्चिततौर पर इस बिल को स्वीकृति मिलेगी। चूंकि लगभग सभी पोलिटीकल पार्टियों ने अपने-अपने मेनिफेस्टो में इसे पारित करने की बात कही है और सभी राजनीतिक दलों को इस पर स्पष्टता के साथ, महिलाओं के साथ आना पड़ेगा।

लेकिन माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से महिलाओं की आज की स्थिति विशेषकर कुपोषण, अत्यधिक कार्य, शिक्षा की कमी की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। हम नये मिलेनियम में पहला महिला दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन स्थितियां गंभीर हैं। महोदय मैं याद दिला दूं कि यदि हम रक्त अल्पता की बात करें तो केवल आपकी स्टेट में भी हमारी छः साल की 67 प्रतिशत बच्चियां एनीमिया से ग्रसित हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब है। आज 15 मिलियन बेबी गर्ल पैदा होती हैं, जिसमें से 25 प्रतिशत 15 साल भी पूरे नहीं कर पाती हैं और उनका देहांत हो जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और पॉल्यूशन के साथ जूझती हुई महिलाओं की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं आपके माध्यम से .....*(व्यवधान)* आप महिलाओं की बात सुनिये। हम अपेक्षा करते थे कि इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण की कुछ बातें आयेंगी। लेकिन महिलाओं को इस बजट में पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि दहेज पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में, लघु उद्योगों के लिए नियम बनाने के संबंध में और व्यावसायिक शिक्षा तथा महिलाओं के लिए टैक्नीकल एजूकेशन को पूरी तरह से फ्री करने के संबंध में सरकार कुछ निर्णय ले। ..... *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैडम, यह क्या है? यह दिन महिलाओं की समस्याओं को बताने और महत्वपूर्ण संदेश भेजने का है।

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास : महोदय, मैं केवल इतना ही कह सकती हूं कि यही हमारी नियति है। अभी-अभी प्रमोद महाजन जी आने वाले अगले सप्ताह का विवरण पढ़ रहे थे और दुख के साथ हम अपनी नियति पर फिर संभवतः रोना रोने की बात कर रहे थे। अगले सप्ताह भी महिलाओं के आरक्षण संबंधी बिल की कहीं कोई बात नहीं है। यह अंतिम दिन में आयेगा और बिल की परिणति संभवतः वही होगी कि कुछ हाथों से यह फाड़ा जायेगा और कुछ लोग आनन्दित होंगे कि इसका तो यही हश्र होना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : यहां तक पहुंचने के पहले आप पड़ोसी को भी तो कुछ समझाइये, अपने पड़ौसी को भी तो समझाइये।.....*(व्यवधान)*

डॉ. गिरिजा व्यास : इसलिए महिला दिवस की जो प्रासंगिकता है उसे महसूस करें और न केवल 33 प्रतिशत की भागीदारी बल्कि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर संसद कुछ निर्णय ले, तब तो इस महिला दिवस की कुछ प्रासंगिकता है। .....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : यह बताओ कुछ लोग कौन हैं। .....*(व्यवधान)* हम इसके पक्ष में हैं।

डॉ. गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी :

'अभी तेवर कहां बदले हैं इनके अभी भी अपना दौर है इन्कलाबी का,

अभी भी सेहरा है तपिश बाकी है, अभी मौसम कहां गुलाब गुलाबी का।'

लेकिन मौसम की आमद जरूर होगी, ज्यादातर मानसिकता महिलाओं के पक्ष में है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्रीमती संध्या बौरी** (विष्णुपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर देने हेतु आपका धन्यवाद। आज, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और यह विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इन वर्षों में हमने जो उपलब्धियां पाई हैं उन पर हमें गर्व है। लेकिन अब तक हम जो प्राप्त करने में असफल रहें हैं उसके लिए हमें बराबर का क्षोभ भी है। इसलिए मैं महसूस करती हूं कि इस संबंध में कुछ मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता है। मैं उन बातों से पूरी तरह सहमत हूं जिनका मेरे माननीय साथियों ने अब तक उल्लेख किया है। मैं वर्तमान परिस्थिति में महिलाआं की स्थिति और दशा के बारे में कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगी। आज अनेकानेक आंदोलनों, वायदों, कार्यक्रमों, सेमिनारों और विधायी प्रक्रिया के बावजूद प्रचलित सामाजिक प्रणाली के कारण हम महिलाएं पिछड़ी हुई हैं और इसी कारण से महिलाओं को दबाया और उत्पीड़ित किया जा रहा है। सरकार ही गलत नीति के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोषपूर्ण हो गई है। महिलाओं को परिवार की देखरेख करनी होती है और सब कुछ का उचित रूप से रखरखाव के लिए तौर तरीके निकालने होते हैं। हम सभी को अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि पर गंभीर चिन्ता है जिससे महिलाओं को काफी कठिनाइयां पेश आई हैं चूंकि उन्हें सीमित साधनों से किसी तरह परिवार का प्रबन्ध करना होता है।

सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त धन उपलब्ध कराने में भी असफल रहती है जिससे महिलाओं के विकास पर गंभीर असर पड़ता है। स्वास्थ्य और शिक्षा हालांकि बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन काफी समय से इन दो क्षेत्रों की उपेक्षा हो रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा में से किसी के लिए पर्याप्त निधि आवंटित नहीं की गई है। माता को अवश्य स्वस्थ होना चाहिए ताकि जिस बच्चे को वह जन्म दे वह स्वस्थ हो। माता को ठीक से शिक्षित भी होना चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा का लाभ मिले। फाइव प्लस देशों के बीजिंग सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार के अन्दर और बाहर बलात्कार, घरेलू हिंसा और अपहरण तथा महिलाओं और कन्या शिशु को वेश्यावृत्ति पेशे में धकेलने संबंधी विषय पर बल दिया गया है। इन अपराधों में लगे लोगों के लिए सख्त सजा का भी समर्थन किया गया है। लेकिन यह खेद का विषय है कि इन मुद्दों पर भारत सरकार की रिपोर्ट बहुत निराशाजनक है। यह रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि पांच वर्ष पहले आयोजित चौथे बीजिंग सम्मेलन के अधिकांश सुझावों और प्रतिबद्धताओं का अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया है। आन्तरिक उत्पादन का 6% शिक्षा पर व्यय करने का वादा किया गया था। अभी शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिशत केवल 3.8% है। वर्तमान सरकार की जन-विरोधी नीतियों के कारण 7 करोड़ लोग और अब गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। इस आबादी का एक बड़ा भाग महिलाओं का है। सरकार ने खर्च में कटौती के लिए अनेक कारखानों को बन्द करने की प्रक्रिया आरम्भ की है। कारखानों में काम करने वाली महिलाओं को सरकार की दोषपूर्ण योजना की चोट झेलनी पड़ती है। इन तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किये जाने की आवश्यकता है।

समाज बड़ी चिन्ताजनक स्थिति से गुजर रहा है। गरीबों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि अनेक बाल-कन्याओं को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। देश में वेश्यावृत्ति से कुल 40,000 करोड़ रुपये मिलते हैं। इस राशि में से 12 प्रतिशत 12 वर्ष से कम उम्र की बालाओं द्वारा अर्जित किया जाता है। यह हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं में से 2 लाख 70 हजार 12 से 14 वर्ष के बीच की उम्र की लड़कियां हैं। इस खतरे को रोकने हेतु पर्याप्त कदम उठाने में यदि हम असफल रहते हैं तो समाज में स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। मैं स्वयं सेवी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और सबसे बढ़कर सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस रुझान को रोकने के लिए कुछ उपयुक्त उपाए करें। मैं सरकार से महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी विधेयक लाने का भी अनुरोध करती हूं ताकि वे निर्णय लेने में भागीदार बन सकें। गरीब वर्ग की महिलाएं, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से कमजोर महिलाएं अपनी समस्यायें उठा सकें और दूसरों के साथ इस पर चर्चा कर सकें। महिलायें पंचायत में प्रशंसनीय भूमिका निभा रही हैं। यदि वे इतनी अच्छी तरह पंचायत स्तर पर काम कर सकती हैं, तो इस तरह या इससे बेहतर कार्य विधान सभा और संसद में क्यों नहीं कर सकतीं। हर बार हम पाते हैं कि प्रत्येक सत्र में पूरी तामझाम के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी विधेयक को पेश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह कोशिश हमेशा कुछ सदस्यों और दलों द्वारा सख्त विरोध के कारण व्यर्थ रहती है। यह तमाशा

* मूल रूप से बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमेशा के लिए बन्द किया जाना चाहिए। मैं सरकार से इस महत्वपूर्ण विधेयक को पेश करने और इसे पारित करने हेतु एक ईमानदार और सच्चा प्रयत्न करने का अनुरोध करती हूं। विधेयक पेश किए जाने के बाद लोग अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और चर्चा में भाग ले सकते हैं। सभा में विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा और वाद-विवाद के बाद ही विधेयक के प्रावधानों के गुणों और दोषों के बारे में कोई निर्णय ले सकता है। इसलिए मैं अपना भाषण खत्म करने के पहले सरकार से विधेयक को पेश करने और चर्चा के बाद इसे वर्तमान सत्र में ही पारित कराने का एक बार फिर अनुरोध करती हूं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बाद ही किसी प्रकार का सशक्तिकरण प्राप्त हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने में आपकी भागीदारी के लिए एक बार फिर धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखूंगी। हम लोग जानते हैं कि आदिकाल से ही सृष्टि के उद्भव की बात हो या विकास की बात हो, नारियों का सम्मान होता आया है। आदिकाल में नारियों का इतना मान था कि वेद की ऋचाएं लिखने में महिलाएं सहयोग करती थीं। गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाएं वेद की ऋचाएं लिखने में सहयोग करती थीं। हम सब लोग जानते हैं कि महाभारत काल हो या रामायण काल हो, हर युग में महिलाएं अपना योगदान देती रही हैं। हम लोग नहीं भूले होंगे कि राजा दशरथ जब एक बार मैदान में दुश्मन के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ का एक पहिया टूट गया। दशरथ की पत्नी कैकयी ने पहिये की जगह अपना हाथ रख दिया जिस कारण दशरथ युद्ध करते रहे और उस युद्ध में विजयी हुए।

अध्यक्ष महोदय, कैकेयी ने भी राम को इसलिए वन जाने का आदेश दिया ताकि रावण का नाश हो सके। यदि कैकेयी राम को वन नहीं जाने देती, तो रावण का नाश नहीं होता और यदि रावण का नाश नहीं होता, तो असामाजिक ताकतें जो अभी भी हैं, उनका नाश नहीं होता। कैकेयी को समाज ने बहुत दुतकारने का काम किया है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि उस काल में केवल, एक मात्र कैकेयी ही ऐसी नारी थी जो समाज की सच्ची हितैषी थी। यदि वे राम को वन नहीं भेजतीं, राजा बना देती और अयोध्या के राजमहलों में ही उनको कैद कर के रखा जाता, तो रावण जैसे महापापियों का नाश कदापि संभव नहीं था। इसलिए कैकेयी ने समाज के व्यापक हित में राम को वनगमन का आदेश दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैडम महिलाओं की प्राब्लम्स के बारे में बताइए।

श्रीमती रेनु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, आजादी की लड़ाई में नारियों का महान् योगदान रहा है। चाहे फिर झांसी की रानी हो या अहिल्याबाई, कस्तूरबा गांधी या इंदिरा गांधी हो या अन्य महिलाएं हों। बहादुरी के कारनामों से महिलाओं का इतिहास भरा पड़ा है। उनका योगदान हम कभी नहीं भूला सकते। वे बहादुर महिलाएं ही थीं जिन्होंने बहादुर सपूतों को जन्म दिया, जो देश की आजादी की खातिर हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ गए। यदि महिलाएं नहीं होतीं, तो ऐसे सपूत देश को कौन देता जो फांसी को चूमते हुए उस पर लटक गए। यदि महिलाएं नहीं होतीं, तो देश आजाद नहीं हुआ होता।

अध्यक्ष महोदय, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्षति यदि किसी को भुगतनी पड़ी है, तो वे महिलाएं ही हैं। लड़ाई में महिलाओं ने अपने बहादुर लाल खोए हैं, उनकी कोख सूनी हो गई, महिलाओं की मांग ही सूनी हुई हैं और महिलाएं ही अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधने से महरूम हो गईं। महिलाएं ही हैं जिन्होंने हमेशा सबसे ज्यादा त्याग किया है। तभी तो शास्त्रों में भी लिखा गया है :

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः"

अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा त्याग करने वाली नारी की आज हालत बहुत खराब है। हमारे समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि नारी की सहभागिता के बिना हुआ विकास अधूरा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि वर्तमान सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को लाया जाए और उसे पारित किया जाए। महिलाओं की मानहानि न की जाए बल्कि विधेयक को पारित किया जाए। महिलाएं शक्तिमान हैं। वे वित्त और रक्षा मंत्रालय भी संभालने में सक्षम हैं। उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, वह शर्मनाक है। मैं आपसे भी आग्रह करती हूं कि महिलाओं के उत्थान के लिए आगे आएं और महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराएं। मैं इतना कह कर ही अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, काफी संख्या में पुरुष सदस्य भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। कृपया उन्हें भी अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले महिला सदस्यों को अनुमति दूंगा; फिर पुरुष सदस्यों को।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष को महिला वर्ष घोषित किया गया है। इसके लिए मैं सरकार को महिलाओं की ओर से बधाई देना चाहती हूं। इस वर्ष सरकार महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। महिलाओं के उत्थान के लिए भारत सरकार ने बहुत से आयोजन किए हैं और अनेक योजनाएं बनाई हैं। इनमें चार सशक्त महिलाओं को एवार्ड देने का काम किया गया है। यह अच्छी शुरूआत है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रश्न है, उसमें यह प्रमुख है कि हम महिलाओं की भूमिका को किस रूप में स्वीकार करते हैं, यह देखने की बात है। महिलाएं नारी से नारायणी बन

जाती हैं। जहां वे नर को जन्म देती हैं वहां उसकी रक्षा भी खुद नारायणी बनकर करती हैं। इस प्रकार से वे समाज की रक्षा करने का दायित्व भी निभा सकती हैं। इसलिए नारी का स्थान, यह वाद-विवाद का स्थान हमारे देश में नहीं रहा। हमारे राष्ट्र की आधारशक्ति स्त्री को माना गया है और सत्य है। उसका जो भी रोल जहां भी रहा, उसने अपना दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाया और निभाती रहेगी। हमारी पुरानी संस्कृति में भी विदुषि महिलाएं रही हैं और इस राष्ट्र को संरक्षण देने वाली भी महिलाएं रही हैं। महिलाओं का जितना सम्मान यह राष्ट्र करता है, उतना और कोई राष्ट्र नहीं करता, यह मैं मानती हूं।

अब दूसरी बात 33 प्रतिशत आरक्षण देने की है, तो उसको भी वाद-विवाद में घसीटा न जाये। भारतीय जनता पार्टी ने अब मानसिकता बना ली है और उसके द्वारा ही संकल्प पारित किया गया है, उसको सभा पटल पर रखा गया है। अब हम यह चाहेंगे कि सदन में स्थित हमारे सभी सांसद भाई और सभी पार्टियों के नेताओं की यह मानसिकता बननी चाहिए कि हमें आरक्षण दिया जाये। जब आरक्षण की बात आई है तब मैं यह जरूर कहूंगी कि जो भी महिलाएं काम करती हैं, उसमें वह खूब निष्ठापूर्वक, प्रामाणिकतापूर्वक अपना कार्यभार निभाती हैं, उसमें उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माननीय ममता जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने 12 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने की पहल की है। सारी पार्टियां अब जो आने वाले चुनाव हैं, उसमें यह भी निर्णय करे, तो मैं समझती हूं कि महिलाओं के प्रति उनका जो भाव है, वह प्रदर्शित होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी अन्य महिला सदस्य जो सूचना नहीं दे सकीं, इन महिला सदस्यों का समर्थन कर सकती हैं। अब सरकार कुछ कहेगी।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर .....*(व्यवधान)* अगर आप चाहें और मैं न बोलूं। ..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम चाहते हैं, कि कोई महिला मंत्री उत्तर दे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आज महिला दिवस हैं और महिलाओं के लिए हमारी शुभकामनायें हैं लेकिन दुर्भाग्य से .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लेकिन वे संसदीय कार्य मंत्री हैं।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी चाहते हैं कि एक महिला मंत्री उत्तर दें। मैं उनकी चिन्ता की सराहना करता हूं। लेकिन एकमात्र महिला मंत्री उनसे पश्चिम बंगाल में लड़ रही है। इसलिए, वह उत्तर देने हेतु यहां नहीं है .....*(व्यवधान)* मैं कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सदन के सभी दलों की महिलाओं ने अपनी भावनायें यहां व्यक्त की हैं, उसमें राजनीतिक पहलू आज के लिए क्षण मात्र हम भूल जाते हैं कि किसने क्या कहा लेकिन मैं समझता हूं कि सदन उनकी इस भवना से सहमत है कि वह समाज का 50 प्रतिशत हिस्सा है और मुझे लगता है कि जहां तक जागृत जनसंख्या है, उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। भारत में भले ही पुरुष 52 प्रतिशत और महिलाएं 48 प्रतिशत हैं लेकिन दुनिया में महिलाएं 52 प्रतिशत और पुरुष 48 प्रतिशत हैं। यह आधे से ज्यादा अपने समाज का हिस्सा है और कोई भी शरीर का आधा अवयव अगर ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो कभी इस शरीर का विकास हो ही नहीं सकता इसलिए मैं सरकार की ओर से और सभी पुरुष सदस्यों की ओर से महिलाओं को आश्वासित करता हूं कि उन्होंने जो भी भावनायें व्यक्त की हैं, उन भावनाओं के संबंध में हमारा कोई अलग मत नहीं है। यहां बहुत सारी महिलाएं बोलकर चली गयी हैं इसलिए मैं नाम लेकर किसी का उत्तर नहीं दे सकता। यहां केवल दो महिलाओं के छोड़कर बाकी सभी महिलाएं चली गई हैं। .....*(व्यवधान)* लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह ठीक है कि महिलाएं मां, बहन, पत्नी के रूप में हर घर में होती हैं। हर पुरुष के जीवन से जुड़ी होती हैं इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी पुरुष सदस्य की यह कल्पना हो सकती है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, मंत्री उन्हें सहयोगी के रूप में स्वीकार करें, न कि केवल पत्नियों या बहनों या बच्चियों के रूप में। उनको बराबर की साथियों के रूप में उन्हें स्वीकार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें साथियों के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी जगह यदि कोई महिला किसी पुरुष का वर्णन करती है, तो वह कहेगी कि:

[हिन्दी]

वह पति, पुत्र और पिता होते हैं। इसमें रिश्तों में कोई कमी ज्यादा करने का भाव मेरे मन में नहीं है।

बेसिकली क्लास स्ट्रगल की फिलॉसफी होने के कारण आपको इसमें भी क्लास स्ट्रगल दिखाई दे रही है। मैं यह नहीं मानता, मैं मानता हूं कि पुरुष और महिला एक ही रथ के दो पहिए हैं, उसमें कोई छोटा-बड़ा नहीं है, दोनों को मिलकर चलाना है।

यहां महिलाओं के आरक्षण का एक विशेष मुद्दा उठा था जिसके बारे में मैं स्पष्टीकरण देना आवश्यक समझता हूं। यह सच है कि इसी संसद ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण एकमत से, बिना विवाद के दिया था। जब हमको अपना आरक्षण करने की नौबत आई तो उसमें स्वाभाविक रूप से विवाद खड़ा हुआ। मैं सरकार की ओर से एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महिला आरक्षण का विधेयक जैसा बना है, सरकार उसको निश्चितरूप में पारित करना चाहती है, इसमें किसी मानसिकता, इच्छाशक्ति में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहां जो सम्मानित महिला सदस्य बैठी हैं, वे इस चीज को जानती हैं कि महिलाओं को आरक्षण सरकार नहीं देती, संसद देती है।.....*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : चर्चा के लिए लाइए।

श्री प्रमोद महाजन : एक बार लाया गया था।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आपने केवल इंट्रोड्यूस किया था।

श्री प्रमोद महाजन : आपको गलतफहमी है। यह महिलाओं के बारे में आप जानकारी रखते हैं? इंट्रोडक्शन नहीं कंसीडेशन और पासिंग के लिए लाया था, आपने ध्यान नहीं दिया।

[अनुवाद]

यह संशोधन विचार और पारित किए जाने के लिए सभा के समक्ष लाया गया था लेकिन सभा इस स्थिति में नहीं थी कि उस पर विचार करती।

[हिन्दी]

मैं इस सोमवार को ला सकता हूं, सवाल लाने का नहीं है। ..... *(व्यवधान)* फिर संसद में वही हाल करने से संसद की शोभा नहीं बढ़ती। इसलिए मेरी सभी दलों से प्रार्थना है कि इसमें आपस में विचार करके किसी एकमत पर आ जाइए तो उसके बाद महिला आरक्षण देना आसान होगा। इसलिए सरकार की ओर से कोई इच्छाशक्ति और मानसिकता की कमी नहीं है, हम महिलाओं का आरक्षण चाहते हैं, जैसा बिल बना है उसे वैसा ही पारित करना चाहते हैं। लेकिन पारित करने का अधिकार संसद को है, सरकार को नहीं है और एक बार संसद में महौल बना।

[अनुवाद]

यदि संसद में सामान्य सहमति हो तो 24 घंटे की सूचना पर, मैं इस विधेयक को विचार और पारित किए जाने हेतु लाने को तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से रेडीमेड गारमैंट्स उद्योग पर प्रस्तावित 16 प्रतिशत एक्साइज़ ड्यूटी लगाने के परिणामस्वरूप देश भर में हो रही हड़ताल और दिल्ली में बेमियादी हड़ताल की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, कल यह मामला उठाया था।

श्री मदन लाल खुराना : उन्होंने केवल दो लाइनें कही थीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अभी ज्यादा बोलेंगे?

श्री मदन लाल खुराना : 14 लोगों ने लिख कर दिया है। ढाई से तीन लाख स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज की इकाइयां सारे देश में लगी हुई हैं। देश के ग्यारह शहरों में डेढ़ लाख यूनिट्स हैं जिनमें बीस से पच्चीस लाख लोग रोजगार में हैं। मैं कह सकता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से यह उद्योग ऐसा है जिसने बहुत डैवलप किया है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। देश के एक्सपोर्ट के अंदर इसका बहुत बड़ा भाग है। कल मैंने वित्त मंत्री जी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमने केवल ट्रेड मार्क वालों पर लगाया है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि जिनका टर्नओवर 15-20 लाख है, उन्होंने भी रजिस्टर करवा रखा है। दिल्ली में अभी 4 प्रतिशत सेल्स टैक्स लगा, 6 प्रतिशत सैंट्रल टैक्स है, 16 प्रतिशत यह लग जाएगा। अगर एक उद्योग में एक साल में 26 प्रतिशत टैक्स लग गया तो वह उद्योग बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर यह कहते हैं कि ब्रांड वालों को करना चाहते हैं तो टर्नओवर लिया जाए कि जिसका टर्नओवर तीन करोड़ से ज्यादा हो, उस पर टैक्स लगाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसका टर्नओवर तीन करोड़ से कम है, उस पर न लगाया जाए, उसे मुक्त रखा जाए। कपड़ा मंत्री जी से भी मेरी बात हुई है। वे भी इसके ऊपर टैक्स लगाने से दुखी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इनकी बात कोई सुनता नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा आपसे यह निवेदन है कि क्योंकि आज दिल्ली के अन्दर और सारे देश के अन्दर इसकी हड़ताल है, मजदूर सड़कों पर आ गये हैं, पहले से ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, उसमें इस तरह से 30, 40 50 लाख लोगों को बेरोजगार करना बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वे हमारी भावनाओं को माननीय मंत्री जी तक पहुंचाये। आज देश की जो मांग है कि केवल 'ब्रांड' रजिस्ट्रेशन से नहीं, तीन करोड़ रुपये से जिसका टर्नओवर ज्यादा हो, उसी पर टैक्स लगे और स्माल स्केल इंडस्ट्री पर टैक्स नहीं लगना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : खुराना जी की बात से मेरा भी सम्बन्ध है। इसके कारण दिल्ली में बहुत एजीटेशन है। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप श्री खुराना की बात का समर्थन कर सकते हैं।

.....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे अनेक अभ्यावेदन मिले हैं जिन्हें मैंने वित्त मंत्री को भेज दिया है और उनसे तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है क्योंकि बड़ी संख्या में लघु क्षेत्र के एककों की गंभीर तंगहाली हो रही है। लाखों कार्मिक प्रभावित हो रहे हैं।

महोदय यह बहुत गंभीर मामला है। मैंने इनसे अनुरोध किया है और पुरजोर सिफारिश की है कि यह कार्य किया जाए। मैं सरकार द्वारा तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, न केवल मार्क्सवादी, कम्यूनिस्ट पार्टी बल्कि पूरी सभा इस मुद्दे पर श्री खुराना का समर्थन कर रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तथापि, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी हमेशा नेतृत्व देती है *.....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप भी उनका समर्थन कर सकते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैं श्री खुराना जी की बात का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, आपकी बात का बहुत अधिक समर्थन किया जा रहा है।

श्री के. येरननायडू : महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं जिस पर भारत सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

महोदय, आंध्र प्रदेश देश का चावल उत्पादक राज्य है। भारत सरकार ने इस वर्ष 55 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार ने अब तक 38 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा है। धन की कमी के कारण एफसीआई मिल मालिकों को धन अदा नहीं कर रहा है। इसलिए एफसीआई और आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री और श्री शांता कुमार से एफसीआई को क्रोडिट सुविधा प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को निदेश देने के लिए अनुरोध किया है जिससे एफसीआई अधिक चावल खरीद सके। एफसीआई को प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा का पूर्णतः उपयोग किया जा चुका है। धन की कमी के कारण खरीद प्रक्रिया बंद कर दी गयी है और इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि हमने भारत सरकार को चावल की खरीद 55 लाख टन से बढ़ाकर 70 लाख टन करने के लिए कहा था। श्री शांता कुमार ने एक बैठक आयोजित की थी परन्तु अब तक उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार को कोई निदेश नहीं दिया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए, हम आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए, महोदय, हम आपके माध्यम से श्री प्रमोद महाजन से इस मामले को सरकार के साथ उठाने का अनुरोध कर रहे हैं। एफसीआई ने खरीद प्रक्रिया लगभग बंद कर दी है। यह सार्वजनिक महत्व का ऐसा मामला है जिस पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यह हजारों किसानों से संबंधित है। *.....(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, मैं श्री येरननायडू की बात का समर्थन करता हूं। *.....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डॉ. जगन्नाथ, आपने भी सूचना दी है। आप भी श्री येरननायडू की बात का समर्थन कर सकते हैं।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, हम हर बार सरकार से तत्काल उत्तर देने की मांग नहीं करते हैं। तथापि, यह सार्वजनिक महत्व का मामला है जो कि आंध्र प्रदेश में कृषक समुदाय से संबंधित है। यह सत्य है.कि एफसीआई ने खरीद प्रक्रिया बंद कर दी है और किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब वे एक आंदोलन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एफसीआई को क्रेडिट सुविधा प्रदान करना एक सामान्य बात है। यह सार्वजनिक महत्व का मामला है। *.....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, आप भी इनके द्वारा कही गयी बात का समर्थन कर सकते हैं।

.....(व्यवधान)

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, हम श्री येरननायडू के विचार का समर्थन करते हैं। *.....(व्यवधान)* इससे स्थिति गंभीर हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप भी इनके विचारों का समर्थन कर सकते हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, यह बहुत गंभीर स्थिति है और हम सभी श्री येरननायडू की बात का समर्थन करते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र मिरयालगुडा है जो कि देश के चावल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। मैं श्री येरननायडू के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। मैं समझता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक को एफसीआई को साख पत्र देना चाहिए और आंध्र प्रदेश के लिए 51 लाख टन की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख टन कर देना चाहिए। बाजार में जबरदस्त मंदी है। हम इस मामले पर कई महीनों से और कई

सत्रों से चर्चा कर रहे हैं। सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, यह बहुत खेदजनक है। मुझे विश्वास है कि भाजपा के सांसद भी मेरे विचार का समर्थन करेंगे। यह एक ऐसा विचार है जो दलगत भावना से ऊपर है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले में कार्रवाई करने हेतु सरकार को निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस संबंध में उत्तर देना चाहती है?

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, भोजनावकाश के दौरान मैं संबंधित मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सम्पर्क करूंगा और उन्हें इस सदन के सदस्यों की भावनाओं से अवगत कराऊंगा।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिससे इस सदन को चिंता होना स्वाभाविक है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, बाल्को सौदे के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी अवधारणा थी और राज्य विधान मंडल ने जनजातीय लोगों के अधिकारों और ऐसे अन्य विषयों के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था। यह अवधारणा भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित थी। यहां जो कुछ भी हुआ है यह गहन चिंतन का विषय है क्योंकि इसमें संविधान का संघीय सिद्धांत अंतर्ग्रस्त है। केन्द्र और राज्य के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं और केन्द्र सरकार द्वारा कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आरंभ किये गये प्रयासों के कारण जिनके साथ राज्य सरकार ने समझौता नहीं किया हो, ये संबंध और बिगडेंगें।

महोदय, यह सदन जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रभुसत्ता सम्पन्न सदन है। हमारी वर्तमान संरचना में संघात्मक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। मैं निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं अथवा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं परन्तु जब एक निदेश एक राज्य विशेष के राजनीतिक कार्यपालक को न भेजकर सीधे महानिदेशक तथा मुख्य सचिव को भेजा जाता है तो .....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, क्या वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी कर रहे हैं? .....*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : नहीं, मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं.....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : यह निर्णय उच्चतम न्यायालय का है ..... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह केन्द्र के रवैये का प्रश्न है.....*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल आपको यहां उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, वह मुझसे पूछ रहे हैं कि सरकार न्यायालय में क्यों गयी.....*(व्यवधान)* क्या न्यायालय में जाना अपराध है? .....*(व्यवधान)* मैं इनके प्रश्न पर आश्चर्यचकित हूं .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीपाल, आप सदन की प्रक्रिया से भलीभांति अवगत हैं। हमें यहां पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, केन्द्र सरकार ने बाल्को मामले के संबंध में कभी भी ना तो राज्य सरकार .....*(व्यवधान)* और ना कामगारों से ही परामर्श किया। .....*(व्यवधान)* महोदय, सरकार को इस सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिए .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, यहां पर अन्य सदस्य भी हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। परन्तु यह निर्वाचित निकाय के प्रभुत्व की अनदेखी करने का मामला है .....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दें। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम बाल्को मामले पर पहले ही लंबी चर्चा कर चुके हैं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय कुछ कहने जा रहे हैं। मंत्री महोदय अब उत्तर देने जा रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, सरकार अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रही है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*.....(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : जो मसले राजनैतिक और प्रशासनिक बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं, उनके लिए दूसरा रास्ता ढूंढा जा रहा है *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*.....(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह एक गंभीर मामला है।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : यदि उन्हें बोलने की अनुमति दी जाती है तो मुझे भी कुछ कहने दिया जाये।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, हमने भी नोटिस दिये हैं। कृपया हमें भी अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : अध्यक्ष जी, इन्होंने भी नोटिस नहीं दिया है। यह क्यों बोलेंगे? उन्हें क्यों सुना जा रहा है?..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बुलाएंगे।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार को उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है। परन्तु मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या जो कुछ श्री अजित जोगी ने किया वह उचित है? क्या उन्होंने अनुचित कार्य नहीं किया है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। निस्सन्देह, हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। वे शाम को बैठ सकते हैं; वे सुबह बैठ सकते हैं; वे दिन में बैठ सकते हैं; यह पूर्णरूप से उनके लिए है। मैं यह प्रश्न नहीं उठा रहा हूं।

श्री प्रमोद महाजन : आप पुनः अप्रत्यक्ष रूप से उन पर टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी गलत सोच है।

श्री प्रमोद महाजन : नहीं, आप उच्चतम न्यायालय की बैठक पर टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप टिप्पणी कर रहे हैं। महोदय, क्या हमें न्यायालयों में जाकर केन्द्र-राज्य मामलों के बारे निर्णय लेना चाहिए? *.....(व्यवधान)* आप इतने बेचैन क्यों हैं? आपने अनेक लंबे लेख लिखे हैं और हमने बड़े धैर्य से आपके लेखों को पढ़ा है।

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने के लिए कहा था और आपने मुझे बोलने नहीं दिया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसके बाद उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा था।

महोदय, इससे यहां का संतुलन गड़बड़ा जाता है। मैं जानता हूं कि हमारे देश में संघात्मक ढांचा पूरी तरह सही नहीं है। परन्तु हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कुछ निर्णय लिया, केन्द्र-राज्य मामलों को सुलझाने के लिए कुछ निहित प्रक्रियाएं हैं। सरकार राज्यों को या तो अनुच्छेद 356 की धमकी देती है अथवा उन प्रक्रियाओं का सहारा लेती है जिसकी संकल्पना भारत के संविधान में नहीं की गई।

मैं माननीय मंत्री महोदय श्री शौरी के वक्तव्य को उद्धृत करना चाहता हूं जो कि प्रेस में गया है। यह आज के 'द टाईम्स ऑफ इंडिया' में छपा है। इसमें लिखा है:

> "शोरी ने कहा, न्यायालय को यह भी बताया गया था कि यदि तत्काल ओदश नहीं दिये जाते हैं तो ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा होगी जिसके परिणामों को बदला नहीं जा सकता....."

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हम जानना चाहते हैं कि ये परिणाम क्या हैं, इसमें आगे लिखा है:

"..... और विनिवेश प्रक्रिया तथा केन्द्र की घोषित आर्थिक नीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।"

न्यायालय को बताया गया कि जब तक न्यायालय तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप नहीं करता, विनिवेश नीति को उचित रूप से प्रभावी नहीं किया जायेगा। यह मंत्री महोदय का वक्तव्य था। वह न्यायालय में इस प्रश्न को उठा रहे हैं। वह न्यायालय को, इस देश में अपनी इस अहितकारी निवेश नीति, जो कि जन विरोधी है, की सहायता करने हेतु हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सरकार इस तरीके से न्यायालयों का उपयोग कर रही है। वे स्वयं यहां पर वक्तव्य क्यों नहीं देते हैं? ऐसा क्यों है कि इस मामले को हम सभा में उठाएं? मैं जानता हूं कि वे इस देश में संविधानात्मक ढांचे को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

उन्होंने समीक्षा आयोग का गठन किया है.....*(व्यवधान)* महोदय, हमें अपना कड़ा विरोध अभिव्यक्त करना चाहिए .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

.....*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैंने भी इसी विषय पर नोटिस दिया है। यदि उन्हें बोलने की अनुमति दी जाती है तो मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें बुलाया है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से प्रोपरायटी का जिक्र हो रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, चीफ मिनिस्टर कानून तोड़ रहे हैं। मजदूरों को भड़का रहे हैं। वहां एम्बूलैंस आई, उसको आग लगाई जा रही है। जो लोग अन्दर घिरे हुए हैं, उनको खाना नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री केन्द्र को धमकी दे रहे हैं और फैडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से नकार रहे हैं। ऐसी हालत में यदि कोई मुख्यमंत्री कानून को तोड़ेगा .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा कह रहे हैं। उसके सिवाय कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि वे अपने मामले उठा रहे हैं तो आप उन्हें उठाने नहीं दे रहे और यदि आप अपने मामले उठा रहे हैं तो वे आपको उठाने नहीं दे रहे हैं। यह क्या है?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा का नाम पुकारा है। कृपया उन्हें अपने विचार व्यक्त करने दें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अगर कोई मुख्यमंत्री सड़क पर उतर आए .....*(व्यवधान)* वहां पर एक सौ करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है और अगर वहां पर दो सौ करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता, तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट को पावर्स थी, लेकिन पावर्स के बजाए, वे सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि सुरक्षा देना उनका काम है। फन्डामेन्टल राइट्स तोड़े जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोई अन्दर नहीं जा सकता है। फन्डामेंटल राइट्स के अन्दर उन्होंने कहा है कि पानी पहुंचाया जाए और लोगों को अन्दर जाने दिया जाए।.....*(व्यवधान)* मैं कहता हूं, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और छत्तीसगढ़ से चले जाना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, वे उपयोग नहीं कर सकते .....*(व्यवधान)* उन्होंने एक मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कहा जा रहा है कि पानी नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के चीफ सैक्रेटरी ने कहा है कि अन्दर फैसीलिटीज नहीं जाने देंगे। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय अपने विचार व्यक्त करेंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को उन सभी सदस्यों को जिन्होंने एक ही विषय पर नोटिस दिये हैं, अपने विचार करने के लिए समय देना बहुत कठिन है।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पुनः इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

.....(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह सही नहीं है। आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया आप उनके बाद मुझे बोलने की अनुमति दें।*.....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : छत्तीसगढ़ के नेता ने कहा है कि आफिसर को अन्दर नहीं जाने देंगे। क्या अन्दर बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी मनुष्य नहीं हैं? क्या छत्तीसगढ़ के अधिकारी की यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि कानून का पालन करें? क्या उनका काम लेबर लीडर बनना है? *..... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया। आप सभा में इसी मामले पर चर्चा कैसे कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : लोक सभा में बाल्को पर डिसक्शन हुआ और उसको पारित किया। लोक सभा को बाजू में रखकर संविधान को चुनौती किसने दी? *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी राज्य संबंधी मामले की सभा में चर्चा करने की अनुमति देने नहीं जा रहा हूं। यह वाद विवाद नहीं है।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। परन्तु आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप इनके उत्तर के बाद कह सकते हैं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री महोदय को बोलने के लिए कह चुका हूं। पहले उनके विचारों को सुनें।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं, इसके सिवाय कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*.....(व्यवधान)**

श्री अरूण शौरी : महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं*.....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैंने बोलने के लिए नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्यों ने नोटिस दिये हैं। मैं इसी विषय पर सभी सदस्यों को बोलने के लिए समय कैसे दे सकता हूं?

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले इनको सुनिए।

.....(व्यवधान)

अपराह्न 1.05 बजे

(इस समय डॉ. चरणदास महंत आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाएं।

अपराह्न 1.05½ बजे

(इस समय डॉ. चरणदास महंत अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : महोदय, मैं, केन्द्र-राज्य संबंधों के मामले की नजाकत के बारे में श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा अभिव्यक्त किये गये विचारों से पूर्णतः सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें।

.....(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अरूण शौरी : इसीलिए मैं पहले चार पांच तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं। हम न्यायालय में नहीं गये बल्कि अन्य लोग न्यायालय में गये थे तथा हमने अंतरण याचिका दायर की थी। कल हम न्यायालय में पहले दायर की गयी अंतरण याचिका के अनुसरण में गये थे ..... *(व्यवधान)* हम आपकी बात सुन चुके हैं। क्या आप मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय देंगे?

हमें तत्स्थानिक अधिकारियों से अनेक कारकों के बारे में जानकारी मिली जिससे यह स्थिति पैदा हुई। सबसे पहले वहां के एक सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा दिया गया यह वक्तव्य था कि संयंत्र को दी जा रही पानी-बिजली रोक दी जायेगी। दूसरा सरकार में सबसे उच्च पद वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया रिकार्ड में दर्ज कथन था कि केन्द्र सरकार अथवा नये 51 प्रतिशत स्वामित्व वाले प्रबंधन को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। तीसरी बात यह थी कि एक सीआईएसएफ के जवान को पीटा गया, एक सीआईएसएफ वैन की उलट दिया गया तथा एक एम्बूलेंस को जला दिया गया। हमें बताया गया कि इससे निश्चय ही कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। अतः विनिवेश विभाग के सचिव ने 6 मार्च 2001 को उस राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा। लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया। हमने पत्र में लिखा था कि ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। यही कारण था कि हम न्यायालय में गये, यह कहने न्यायालय में गये कि यदि यही परिस्थितियां बनी रहीं तो संयत्र की 'असाध्य' क्षति होगी। मैंने बदला नहीं जा सकता..... शब्द का प्रयोग नहीं किया मैंने 'असाध्य' क्षति कहा है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

.....(व्यवधान)

श्री अरूण शौरी : हम न्यायालय में संयंत्र को बचाने के लिए गये थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप न्यायालय में क्यों गये? यही मेरा विरोध है.....*(व्यवधान)* क्या आप राज्य सरकारों से केवल न्यायालयों के जरिए बातचीत करते हैं?

श्री अरूण शौरी : हमने पहले राज्य सरकार को पत्र लिखा था ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

.....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया अपने राजनीतिक उद्देश्यों हेतु न्यायपालिका का दुरुपयोग न करें।

श्री अरूण शौरी : महोदय, आप कहना क्या चाहते हैं? हमने राज्य सरकार को पत्र लिखा.....*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आपने किसको पत्र लिखा ?

श्री अरूण शौरी : हमने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें। माननीय मंत्री जी को अपना भाषण समाप्त करने दें।

.....(व्यवधान)

श्री अरूण शौरी : हमने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा था। हमने मुख्य सचिव को पत्र लिखा.....*(व्यवधान)*। हम संयत्र को होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए न्यायालय गये। इन खतरों और इस जानकारी को आधार पर कि आंदोलन को न्यायोचित ठहराने के लिए मांग पत्र भी पेश नहीं किया गया था। .....*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : आपने कंपनी से इस मामले पर कार्यवाही करने के लिए क्यों नहीं कहा? आप न्यायालय क्यों गये?

श्री अरूण शौरी : हम उनसे इस बारे में क्यों कहें? .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार इस कंपनी की मालिक नहीं है। यह संपत्ति कंपनी की है, सरकार की नहीं। यह संपत्ति शेयर धारकों की नहीं है। श्री अरूण शौरी को इतना पता होना चाहिए। यह संपत्ति कंपनी की है शेयर होल्डरों की नहीं। आप केवल शेयर होल्डर हैं .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें। उन्हें पहले अपना भाषण समाप्त करने दें। आप माननीय मंत्री जी को बोलने क्यों नहीं दे रहे?

.....(व्यवधान)

श्री अरूण शौरी : हमें यह बताया गया था कि संयंत्र को नुकसान होने पर 100 करोड़ रुपये की हानि होगी तथा इसमें 49 प्रतिशत भार सरकार पर पड़ेगा.....*(व्यवधान)* हमें तकनीकी विशेषज्ञों ने यह बताया था कि यह हानि लगभग 100 करोड़ तक हो सकती हैं। इसमें से 49 प्रतिशत हानि सरकार को झेलनी पड़ेगी। अतः हम न्यायालय गये.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाये।

*.....(व्यवधान)**

श्री अरूण शौरी : इन्हीं कारणों की वजह से न्यायालय ने आदेश दिये और अब ऐसा लगता है कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

न्यायालय ने कहा है कि इस मामले से संबंधित सभी मुद्दों तथा सभी विवादों पर केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही विचार किया जायेगा। इसीलिए उन्होंने अपने आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को निदेश दिये हैं।..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसी विषय पर अन्य मुद्दों को उठाना चाहते हैं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कब तक इसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? श्री चतुर्वेदी, कृपया बैठ जाएं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले भी यही मुद्दा उठाया था तथा माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भी आज नोटिस दिया है, मुझको भी सुना जाना चाहिए।.....*(व्यवधान)* मैं भी एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। क्या आप इस विषय को दुबारा लेना चाहते हैं।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्वेदी जी, क्या आप इस विषय पर पुनः चर्चा करना चाहते हैं? जो भी मुद्दे उन्होंने उठाये हैं, मंत्री महोदय ने उनके जवाब दे दिये हैं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक अपराह्न 1.40 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 1.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.47 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 1.47 पुनः समवेत् हुई।

[श्री श्रीनिवास पाटील *पीठासीन हुए*]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और कोरम जुटाने के लिये इतना समय लग रहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और लोक सभा के 85 सांसदों में से 75 यहां नही हैं, जब इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो और वे यहां न रहें, मेरी प्रार्थना है कि आज की बहस स्थगित करके सोमवार को इस पर चर्चा हो। 12 तारीख को किसानों की समस्या पर चर्चा होनी है। आप चाहें तो सत्र 14-15 मई तक बढ़ा दें, हमें कोई एतराज नहीं है। इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए क्या हम कोरम का इंतजार करेंगे। यहां कौन हैं, कोई होली के मूड में है, उत्तर प्रदेश में आज ब्लाक के चुनाव हो रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप हमारी प्रार्थना स्पीकर साहब तक पहुंचाइये कि आज की बहस स्थगित की जाए, यह एक गंभीर विषय है।

सभापति महोदय : कोरम है, मुलायम सिंह जी कोरम है। सोमनाथ चटर्जी साहब आप बहस शुरू कीजिए।

.....(व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : बी.ए.सी. में आज की चर्चा के लिए समय निर्धारित है और इसे सब पार्टियों ने तय किया था।.....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : ये देखिये यह हैं राम समर्थक, वाह रे मल्होत्रा जी, सीता को मानते नहीं ये राम समर्थक हैं।.....*(व्यवधान)* सभापति जी, मैं सच्चाई से कह रहा हूं कि 75 सदस्य भी नहीं हैं और आप यह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं।

सभापति महोदय : वैसे समय कम है। आप बैठिये।

श्री प्रमोद महाजन : मुलायम सिंह जी, जब यह तिथि तय हुई तब होली कब है, इसका पता था। ईद कब है, चुनाव कब है, इनका पता था। अब अगर हम इस बहस को आगे ले जायेंगे तो स्वाभाविक रूप से किसानों की बहस अगले हफ्ते फिर नहीं होगी और इसलिए मुझे लगता है कि.....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : क्यों नहीं होगी, हम करायेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : नहीं होगी, चूंकि यहां पर समय पर काम करना पड़ता है। .....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आपका बजट समय पर पास होगा, हम पास करायेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : ऐसे कैसे करायेंगे।

सभापति महोदय : सोमनाथ जी, अब आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलिये।

अपराह्न 1.51 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — *(जारी)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, इस सरकार में पिछले वर्षों की तरह राष्ट्रपति को अभिभाषण जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक अवसर मात्र परपंरा बनकर रह गया है। इस वर्ष का अभिभाषण नीरसता से भरा हुआ है जिसमें कोई गहराई नहीं है तथा जिसमें बिना किसी विश्वसनीय वस्तु के विभिन्न मंत्रालयों की तथाकथित उपलब्धियों को इकट्ठा करके प्रस्तुत किया गया है।

मैं हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ सहानुभूति रखने के सिवाय कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उन्हें लंबी चौड़ी अनाप-शनाप बातें पढ़नी पड़ीं जिनमें कुछ और नहीं पुरानी घिसी-पिटी तथा बेतुकी बातें ही शामिल थीं। जब मैं भाषण सुन रहा था तथा जब मैंने इसे पढ़ा तो यह कुछ नहीं विभिन्न मंत्रालयों के कथन थे कि उन्होंने अब तक क्या किया है तथा क्या करने वाले हैं। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी मंत्रालय सर्वव्यापी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य कर रहे हैं तथा हर कोई अभिभाषण में स्वयं का जिक्र करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है ताकि अभिभाषण में उनकी उपस्थिति दर्ज हो सके।

'वाजपेयी वेरायटी' की वर्तमान व्यवस्था में संपूर्ण संवैधानिक प्रणाली जिसके प्रति पूरा कैबिनेट उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय की अनावश्यक उपस्थिति से तहस-नहस हो गयी है। यह कार्यालय सत्ता लोलुपों से लेकर सत्ता के दलालों के लिए एक सबसे बड़ी ऐजेन्सी बन गया है। ये लोग उद्योगपतियों तथा व्यापार घरानों के कामगारों के रूप में कार्य कर रहे हैं। निश्चितरूप से हम यह नहीं मान सकते कि माननीय प्रधान मंत्री इससे अवगत नहीं हैं।

मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमारी संवैधानिक व्यवस्था का आधार है।

लेकिन, महोदय आज कैबिनेट उत्तरदायित्व की इसी महत्वपूर्ण प्रणाली को जानबूझकर तहस-नहस किया जा रहा है। मंत्री केवल प्रधानमंत्री कार्यालय मात्र कृपाकारी क्षत्रप के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो दो या तीन लोगों के नियंत्रण में है तथा जिनका नाम मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि हरेक कोई उन्हें जानता है।

ये वे लोग हैं जिनका कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है और वह वस्तुतः इस देश में संविधानेत्तर प्राधिकरण की तरह कार्य कर रहे हैं। इस सरकार के अंतर्गत सत्ता का केन्द्र बिन्दु मंत्रालयों से हटकर प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थित हो गया है और विभिन्न मंत्रालय और विभाग केवल प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यकारी एजेण्ट और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे इस देश के कुछ चुने हुए लोगों के हित के लिये और उनके इशारे पर लिये गये उनके निर्णयों का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

महोदय, जो हो चुका है और जो हो रहा है वह सब देश में प्रकाशित प्रसिद्ध पत्रिका "द आउटलुक" में दर्शाया गया है जिससे यह पता चलता है कि देश में उच्चतम स्तर पर शासन में किस प्रकार से नियंत्रण थोपा जा रहा है और सत्ता उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनकी संसद के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार की केबिनेट प्रणाली को भारी नुकसान हुआ है और प्रशासन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा समाप्त हुई है।

हाल ही में, हमने देखा है कि कैसे एक ईमानदार और जाने-माने अधिकारी को इस्तीफा देना पड़ा। मैं डॉ. ई.ए.एस. शर्मा के मामले का उल्लेख कर रहा हूं। इस मामले का उललेख करने के मेरे पास कारण हैं। मैं यहां केवल एक अधिकारी का पक्ष लेने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। किन्तु इससे वस्तुस्थिति का पता चलता है जिसने पूरे प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित किया है और इसी कारणवश, संसद की भी लगातार उपेक्षा की जा रही है। हम प्रधानमंत्री और यहां तक कि गृह मंत्री के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं जो कि अनुपस्थित रहने के कारण बार-बार ध्यान में आ रहे हैं और इससे पता चलता है कि वह इस सभा को सत्ता के साथा प्राप्त एक ऐसी वस्तु अथवा समस्या मानते हैं जिससे बचा नहीं जा सकता और चूंकि वह बहुमत जुटा सके हैं और बहुदलीय संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। अतः उन्हें संसद की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और सभी मंत्री भी प्रधानमंत्री कार्यालय अथवा 'मंत्रियों के समूह' जैसा कि इसे नाम दिया गया है, के आदेशों का पालन करके प्रसन्न हैं। उन्हें संभवतः 3, रेस कोर्स रोड अथवा 7। रेस कोर्स रोड के बागीचों में होली खेलने, यदि उन्हें अवसर मिले तो, की अधिक चिंता है। अतः यह मामला गंभीर हो गया है। एक ऐसे अधिकारी को इस्तीफा देना पड़ा जो अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिये जाना जाता था। 36 साल के सेवा काल में, उसका 22 बार स्थानांतरण किया गया और उसने कहा है कि समस्या तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने विभिन्न मंत्रालयों के कार्यकलापों की निगरानी और घटनाक्रम से प्रधानमंत्री को अवगत कराने के अपने घोषित उद्देश्यों से हटकर कार्य किया। अब इसने मंत्रालयों और विभागों की भूमिका अपने ही हाथ में ले ली है।

अपराह्न 02.00 बजे

विभागों को यह बताया जाता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने विरोध भी किया होगा। वह अपने मन में जानते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है, यह बिल्कुल सही है।

डॉ. शर्मा ने कहा है कि और उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है।

"प्रधानमंत्री कार्यालय की वर्तमान भूमिका का परिणाम यह है कि मंत्रालयों ने अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशों पर अधिक से अधिक निर्भर करने लगे हैं। व्यापारी वर्ग जैसे रिलायंस, एस्सार और हिन्दूजा ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर अपने प्रभाव का उपयोग करना शुरू कर दिया है और यह प्रवृत्ति सही नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा :

"जब मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका और दायित्वों में अन्तर नहीं रहता, जैसा कि अभी हो रहा है, तो अपने लाभ के लिये अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की पद्धति प्रचलित हो जाती है। इस सबसे सरकार की विश्वसनीयता ही कम होती है।"

वह आगे कहते हैं :

"विचौलियों और दलालों के माध्यम से गलत ढंग से अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के प्रयास भी किये जाते हैं। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं यहा तक कि हमारे प्रजातंत्र को भी खतरा हो सकता है।"

इसके बाद, उन्होंने दो व्यक्तियों के नाम लिये हैं। मैं यहां वह सब नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया कि किस प्रकार हिरमा परियोजना में हेरा फेरी का प्रयास किया गया था और अनुचित ढंग से लाभ प्राप्त करने हेतु एक व्यापारिक घराने के लाभ के लिये इसके उपयोग का प्रयास किया गया था। अंततः कुछ कारणों से यह कार्य अभी तक नहीं किया गया है। डॉ. शर्मा ने बताया है कि किस प्रकार यह बड़े उद्योगपति उनसे भेंट करने आ रहे थे; उनसे बातचीत करके अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यह बात उन्होंने कही है और उनके कथन से उद्धृत कर रहा हूँ :

"वे सत्ताधारी लोगों के बहुत करीब हैं। वे हिन्दूजा ही थे जिन्होंने मुझे विद्युत मंत्रालय से निकलवाया है।"

महोदय, मैं जानता हूं श्री सुरेश प्रभु हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरे दिल में उनके लिये बहुत स्नेह है। किन्तु वह कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें तो सिर्फ बिन्दुरेखा पर हस्ताक्षर करने होते हैं। श्री प्रभु अपने नेता के कारण अभी अपने पद को नहीं खो सकते। किन्तु वे आपसे प्रसन्न नहीं हैं। मैं इस बारे में जानता हूं। डॉ. शर्मा आगे कहते हैं:

"जब मैं विद्युत सचिव था, तब मैंने उन व्यक्तियों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया था जो काउण्डर-गारंटी के लिये जोर डाल रहे थे। और फिर एक दिन मेरा स्थानांतरण कर दिया गया।"

अभी तक, सरकार ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं। एक ऐसे वरिष्ठ सिविल सर्वेण्ट पर गंभीर आरोप लगाये गये हैं जिसके विरुद्ध किसी ने कुछ भी नहीं कहा है.....*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, "द आउटलुक" से उद्धरण करने के लिये क्या उन्होंने सभापति महोदय से अनुमति ली है?

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) उत्तर प्रदेश : इसके लिये, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री खारवेल स्वाइं : मेरे विचार में यह आवश्यक है।

सभापति महोदय : यह सर्वाजनिक दस्तावेज है। कल भी अनेक सदस्य इसका संदर्भ दे रहे थे।

श्री खारवेल स्वाइं : जब भी कोई सदस्य कहीं से उद्धृत कर रहा है तो क्या उसे अनुमति नहीं लेनी चाहिए?

सभापति महोदय : आपके पक्ष के सदस्य भी समाचार पत्रों से ही उदाहरण दे रहे थे। कल आप उपस्थित नहीं थे। मैं पीठासीन था। प्रो. मल्होत्रा समाचार पत्रों की कुछ बातों का उल्लेख कर रहे थे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसके लिये अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

.....(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाइं : उन्होंने इस पर आपत्ति की थी। आपने भी सुना.....*(व्यवधान)* उनका पूरा भाषण समाचार पत्रों के लेखों पर आधारित है। उनके पास कहने के लिये कुछ भी नहीं है .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कल आपके दल के सदस्य समाचार पत्रों से ही उद्धृत कर रहे थे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री खारवेल स्वाइं : कल ही सभापति महोदय ने आपत्ति की थी। महोदय, मेरे विचार में आपने आपत्ति की थी। तदनुसार आपको इस पर भी आपत्ति प्रकट करनी चाहिये।

सभापति महोदय : यह आवश्यक नहीं है। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आजकल आपके पास बहुत से सलाहकार हैं.....*(व्यवधान)* सभापति महोदय के पास बहुत से सलाहकार हैं।

सभापति महोदय : श्री स्वाइं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसा कोई नियम नहीं हैं।

श्री खारवेल स्वाइं : क्या इसका राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई सम्बन्ध है?

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : निश्चित तौर पर।

सभापति महोदय : यह सही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने बहुत विचार विमर्श के पश्चात यह मुद्दा उठाया है। ऐसा इसलिये है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण को आने वाले वर्ष के लिय सरकार की भावी नीतियों और कार्यक्रमों को परिलक्षित करना होता है और क्या हुआ है और क्या नहीं इसका ब्यौरा देना होता है। इसमें सरकार के कार्यकरण के ढंग का उल्लेख निश्चित तौर पर शामिल होता है।

इसका संबंध सरकार द्वारा निभाये जा रहे दायित्वों से भी है। जो गंभीर आरोप लगाये जा रहे हैं कि मंत्रालय की भूमिका समाप्त कर दी गई है और इसका प्रशासन मंत्रियों के दल अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रभाव के अंतर्गत चलाया जा रहा है अथवा कुछ मुट्ठी भर लोगों, जो कि सरकार के साथ मिल कर इस देश को लूट रहे हैं, के लाभ के लिये और उनके इशारे पर इसका संचालन किया जा रहा है। आज यही स्थिति है। अतः यह मेरा कर्तव्य है.....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : यह अत्यंत गंभीर आरोप है।

सभापति महोदय : आपको भी अवसर मिलेगा।

.....(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : यह अत्यंत गम्भीर आरोप है *.....(व्यवधान)* वह प्रधान मंत्री कार्यालय के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि वे लूट रहे हैं। यह अत्यंत हैरानी की बात है। उन्हें इस बात को प्रमाणित करना चाहिए *.....(व्यवधान)* वह एक पत्रिका में कुछ प्रकाशित होने भाग से ही बिना सोचे इस प्रकार का आरोप लगाते जा रहे हैं। *.....(व्यवधान)*

अपराह्न 02.05 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री खारबेल स्वाइं : उन्हें इन आरोपों को साबित करना चाहिए। यह आरोप प्रधान मंत्री के विरुद्ध लगाए गए हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह आपकी बात से सहमत नहीं हैं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपने उत्तर में इस बात का खंडन कर सकते हैं, इस समय नहीं। यह अच्छी बात नहीं है।

.....(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दोनों एक दूसरे को उत्तेजित कर रहे हैं।

.....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, एक लोकप्रिय पत्रिका में प्रकाशित लेख की ओर ध्यान दिलाया गया है। इसका कुछ खंडन भी किया गया है। मेरे विचार से अस्पष्ट रूप से प्रतिवाद करने की बजाए इस संबंध में सरकार को इस सभा को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसलिए, मैं इसे इस सभा में लेकर आया हूं। प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति से यह बात स्पष्ट है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है कि प्रधान मंत्री अथवा सरकार में दूसरा स्थान रखने वाले गृहमंत्री भी इस सभा में हो रही बहस के प्रति घोर अनादर दर्शा रहे हैं। आजकल प्रत्येक व्यक्ति का यही कहना है, 'मैं आपकी बात को टेलीविजन पर सुन रहा हूं।' ठीक है, तो फिर हर चीज टेलीविजन पर होने दीजिए।

महोदय, इसमें अनेक ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्हें कुछेक चुनिंदा व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें किस प्रकार संगठित अथवा व्यवस्थित करने की मांग की गई है। इसका खंडन किसने किया है? अब, गम्भीर आरोप यह है कि दूरसंचार आयोग के चेयरमैन को स्थानान्तरित किया गया है क्योंकि उनका एक पत्र इस पत्रिका में मुद्रित/ प्रकाशित हुआ है। समाचार-पत्र की अथवा लेख की टिप्पणियों का उल्लेख करने वाला यह केवल एक ही मामला नहीं है। यह कहा गया है कि 'द आउटलुक' पत्रिका में जो प्रकाशित हुआ है, उसका सीधा परिणाम दूरसंचार आयोग के चेयरमैन, श्री श्यामल घोष का स्थानांतरण है। संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने यह स्वीकार भी किया है कि उनके अनुसार श्री श्यामल घोष का स्थानांतरण एक सामान्य निर्णय है और प्रधान मंत्री कार्यालय उनके विगत अनुभव के कारण उन्हें गुजरात में लगाना चाहता था। अतएव प्रश्न यह है : "लेकिन क्या आपने और श्री पासवान जी, ने इस मुद्दे के संबंध में प्रधानमंत्री से बातचीत की?" उनका कहना है: "हमने उनसे बातचीत की थी लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसके अतिरिक्त, यह प्रधान मंत्री कार्यालय का निर्णय है।"

किसी अधिकारी द्वारा शासकीय पत्राचार में की गई टिप्पणियां किसी तरह से समाचार पत्र अथवा किसी पत्रिका में प्रकाशित हो जाने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि सरकार की छवि खराब है तथा इस देश में दूरसंचार उद्योग के भविष्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंत्रालय पर कोई निर्णय थोप दिया।

इस क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये की धनराशि लगी है। यह क्षेत्र देश में अत्यंत आधुनिक अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराता है और वहां इस ढंग से ऐसा किया जा रहा है। दोनों संचार मंत्रियों—निस्संदेह, उन्हें विरोध करने की समझ नहीं है क्योंकि वास्तव में ये वर्तमान व्यवस्था की गिनती

में नहीं आते—यह मानते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्णय के कारण हुआ है।

अब हमारे यहां मंत्रियों के समूह की अवधारण है। मुझे यह पता नहीं है कि श्री चन्द्रशेखर जी ने अपने कार्यकाल के दौरान मंत्रियों के कितने समूह गठित किए थे। इस समय, मैंने यह देखा है कि मंत्रियों के 25 अथवा 27 समूह हैं। यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसका विकास मंत्रिमंडल की अनदेशी के लिए किया गया है। संबंधित मंत्रालय के केबिनेट मंत्री को शामिल कर और प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से निर्णय लिये जाते हैं। वे कार्य करवाते हैं, मंत्रिमंडल की सरसरी तौर पर स्वीकृति प्राप्त करते हैं और उनके बाद आनन-फानन में वे सरकार के निर्णय बन जाते हैं। मुझे यह पता नहीं है कि उस दल जिससे डॉ. नीतिश सेनगुप्ता जुड़े हुए हैं, से मंत्रीगण मंत्रियों के कितने समूहों में शामिल हैं; शायद ही वे यहां उपस्थित हों। मंत्रियों के समूह में रक्षा मंत्री शामिल हैं और हम वास्तविक शक्ति केन्द्र के साथ उनकी निकटता के बारे में जानते हैं। मुझे विश्वास है कि श्री उमर अब्दुल्ला का उसमें कोई स्थान नहीं होगा।

महोदय, दो समूह हैं। एक नीतिपरक प्रबंधन समूह हैं। उन्हें विभिन्न मंत्रालयों के कार्याकलापों निगरानी रखनी होती है। वे नीति निर्णायक बन गए हैं और वे प्रधानमंत्री कार्यालय में उन दो सज्जन पुरुषों में सम्मिलित हैं, जिन्हें लार्ड नम्बर 1 और लार्ड नम्बर 2 कहा जाता है। निस्संदेह, लार्ड नम्बर 3 भी यहा हैं लेकिन वे कोई शासकीय पदधारी नहीं हैं। तत्पश्चात एक आर्थिक कार्य समूह है। इस देश की आर्थिक नीतियां तय करनी होती हैं। पिछले बजट के बारे में इस कक्ष के बाहर क्या कहा जा रहा है। कौन खुश हैं और कौन खुश नहीं हैं, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन हम सभी यहां बंधुआ मजदूर हैं, आपमें खडा होकर विरोध करने का कोई साहस नहीं है।

महोदय, चूंकि मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सभापति हूं, दो सज्जन आज सरकार के समक्ष लम्बित किसी विषय जिसे समिति के समक्ष रखा गया है के संबंध में आकर मुझे मिले। उनका कहता है : "हमें सरकार का समर्थन करना है; अन्यथा हमें परेशानी होगी।" उद्योग का भी यही रवैया है। स्वाभाविक है कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस अत्यंत गम्भीर पहलू जो इस देश में सरकार के कार्यकरण में विकसित हो गया है, के उल्लेख की उम्मीद नहीं करते, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से इस विषय के संबंध में उचित उत्तर प्राप्त होना चाहिए। इसी कारण मैंने इस विषय को सभा में उठाने का निर्णय लिया है। यह एक ऐसा विषय नहीं है जिसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय का आंतरिक कार्यकरण कहा जाए और इसका मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी से कोई सरोकार नहीं है। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक मंत्री मन से मेरी बात से सहमत है।

महोदय, मंत्रियों के समूह की यह अवधारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्रियों के समूह में जो शामिल हैं, उनमें से यह अथवा दो भा.ज.पा. से इत्तर दलों के प्रतिनिधि हैं। यह अकेले डॉ. शर्मा का मामला नहीं है। पूववर्ती राजस्व सचिव, श्री एम. आर. शिवारमण का सरकार के कार्यकरण का उल्लेख करते हुए यह कहना है:

> "अधिकारियों की तैनाती को देखने के बाद अब ऐसा प्रतीत होता है कि स्पष्ट रूप से स्थापना पर दबाव डाला गया है। अन्य कोई व्यक्ति उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर आसीन 'सत्यनिष्ट समूह से ऊपर नहीं' किस प्रकार कह सकता है?"

वित्त मंत्रालय के एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी ने यह भी कहा है:

> "याद रखिए, कुछ व्यावसायिक घराने सरकार के किसी भी विभाग से किसी भी समय कोई भी सामग्री प्राप्त करने में सक्षम हैं।"

मुझे विश्वास है कि मंत्रीगंण प्रधानमंत्री से आसानी से मिलने का समय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि उनकी सरकार अर्थात रेस कोर्स रोड़ तक सबसे सुगम पहुंच है। इससे हमें अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू अर्थात इस देश पर शासन कर रहे वर्तमान राजनीतिक ढांचों के बारे में पता चलता है कि वह क्या है। हमारे यहां एक अत्यंत अनोखा राजनीतिक अस्तित्व है, जिसे 'राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन' कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन माना जाता है। यह न तो 'राष्ट्रीय' और न हीं 'लोकतांत्रिक' है। यह तो मात्र 'गठबंधन' करने के लिये है।

हमने सोचा था और हमें बताया गया है तथा प्रत्येक व्यक्ति का यही कहना है कि इस देश में गठबंधन की राजनीति का वक्त आ गया है और कोई भी दल, चाहे उसका कोई भी स्वप्न हो अकेले सरकार नहीं बना सकता लेकिन इस देश में जो यह गठबंधन की राजनीति चल रही है, यह क्या है? यह बेमेल दलों का गटबंधन है, जिसे मैं बिना किसी सिद्धान्त और विचारधारा वाला बेमेल एवं अमंगलकारी गठबंधन मानता हूं। श्री लाल कृष्ण आड़वाणी जी ने बार बार यह कहा है कि इस प्रकार की सरकार में विचारधारा, नीति अथवा सिद्धान्त का कोई प्रश्न ही नही हैं। यह तो सत्ता में बने रहने का सवाल है। अतः, आप किसी भी और हरेक व्यक्ति से गठबंधन कर रहे हैं, चाहे उनकी नीतियां अथवा विचारधारा कुछ भी हों। अब, वे उन व्यक्तियों का खुला समर्थन कर रहे हैं और उन्हें मदद दे रहे हैं, जो इस देश में नए राज्यों का सृजन करके भी पेशानी पैदा करना चाहते हैं और जो विभिन्न राज्यों के विभाजन और पर्याक्ष्यवाद के लिए कह रहे हैं। वे उनसे भी गठबंधन कर रहे हैं। मैं उनसे यह चाहता हूं कि वे इस मुद्दे के संबंध में उत्तर दें।

मेरे अच्छे और परम मित्र श्री येरननायडू कहां हैं? हमने यह देखा है कि वे कभी-कभी शोर-शराबा करते हैं। हाल ही का उदाहरण 'बाल्को' का है। वे रेलवे बजट का भी कड़ा विरोध करते हैं। परन्तु, अंततः वे अपने दोनों हाथ उठाकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। क्या इस देश में नीति अथवा सिद्धान्त की कोई प्रासंगिकता है? देश में ऐसी स्थिति बन गई है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

तृणमूल कांग्रेस ने बाल्को के विनिवेश के बारे में कई आपत्तियां उठायी हैं। वे विनिवेश की नीति का विरोध करते रहे हैं। वे निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हटाने अथवा इसमें कमी करने का विरोध करते रहे हैं। यह सब मात्र पश्चिम बंगाल के लिए ही करते रहे हैं। परन्तु यहां वे सभी प्रकार से समझौता कर रहे हैं। यह उनका एक लालची सहयोगी दल है और प्रधानमंत्री इन सहयोगी दलों की नाराजगी को दूर करने में लगे हुए हैं। वे उनकी सभी मांगों को मान रहे हैं। हमारे सामने ऐसा बेहतरीन नजारा है। वित्त मंत्री और रेल मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को उन्हें बुलाकर आपसी मत भेद दूर करने के लिए कहना पड़ता है और इसके साथ ही यह भी कहना पड़ रहा है कि रेल वित्त में गम्भीर समस्या है। परन्तु आप जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि आपको अपने राज्य में चुनाव का सामना करना है। देश में सरकार इस तरह से चल रही है।

मैं यहां अपने मित्रों से यह अपील करता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि उनमें से सभी लोगों ने अपने सिद्धान्तों और आदर्शों का हमेशा के लिए परित्याग नहीं किया होगा। देश के भविष्य के बारे में विचार कीजिए। सोचिए कि क्या हम सिर्फ सत्ता के केन्द्र में बने रहने के लिए हैं और देश में जो कुछ हो रहा है उसका लाभ उठाने के लिए हैं और क्या उन्हें इस हालात से समझौता करना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि वे अपने सिद्धान्तों से समझौता कर रहे हैं। परन्तु, वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसी वजह से यह गठबंधन सरकार न तो जनता के लिए और न ही देश के विकास के लिए है बल्कि यह सरकार सहयोगी दलों के लिए है।

हम केवल इस देश में शासन प्रणाली का समग्र रूप से ह्रास, पूरी तरह से खस्ताहाल होने को केवल उजागर ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को उन कामगारों के बारे में कोई चिंता नहीं है तो आज 'बाल्को' को जानबूझकर बेचे जाने के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं परन्तु वे स्टरलाइट, जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त है, द्वारा इस इकाई का अधिग्रहण, उपयोग और दोहन करने के बारे में चिंतित हैं।

महोदय, देखिए कि गुजरात में क्या हुआ है। हमने यह कहा कि स्थिति नाजुक रही है और वहां हुई अधिकांश क्षति गम्भीर स्वरूप की थी। हमने गुजरात की जनता, हमारे भाइयों और बहनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार का आह्वान किया है। मुझे भारतीय होने के नाते खुशी और गर्व है कि वहां पीड़ित लोगों की सहायता और सहयोग के लिए पूरा देश एक साथ आगे आया है। गुजरात में समुचित पुनर्वास, सामान्य स्थिति की समुचित बहाली सरकार का और कुल मिलाकर पूरे देश का दायित्व है। हमने आपकी सूचना प्राप्त होने से पहले ही इसका निर्णय ले लिया था और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने भी इसकी पहल की है।

मैं यह बात पुनः कहना चाहता हूं और यह आवश्यकता भी है कि जब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गम्भीर प्राकृतिक आपदाएं आयीं तो हमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों, जो इस देश की जनता और नागरिक भी हैं, के जीवित रहने के लिए भारत सरकार के पास क्यों दौड़ना पड़ा? उनकी न्यूनतम अपेक्षा यह थी कि भारत सरकार जिसके पास आर्थिक अधिकार हैं, द्वारा समुचित रूप से, उचित कदम उठाए जाएं।

माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया कि जहां स्थिति गम्भीर थी। प्रधानमंत्री जी ने संसाधनों के अभाव का तर्क दिया। उन्होंने कहा 'धनराशि कहां है?' उड़ीसा के लोगों को भारी विनाश का सामना करना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को इस आधार पर देश में आकर सहायता करने की अनुमति नहीं दी गई कि हम देश की गरिमा और प्रभुसत्ता के साथ समझौता करेंगे। इसमें भारत सरकार को आगे आना चाहिए था। हमें 1500 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। हमें 5650 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य की क्षति हुई, जिससे कृषि मंत्रालय ने भी इन्कार नहीं किया है। परन्तु हमें केवल 102 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए जिसके लिए हमें धरना देना पड़ा और इसके लिए श्री मुलायम सिंह यादव और अन्य नेताओं को भी आगे आकर हमारा समर्थन करना पड़ा जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।

अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का विचार किया गया है जिसके बारे में विगत में सोचा नहीं गया था। जबकि इसकी मांग बार-बार की गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम सरकार अब जागरूक हुई है परन्तु अंततः इसका क्या स्वरूप होगा, मुझे इसके बारे में आशंका है।

महोदय चूंकि अब अभिभाषण दिया जा चुका है, दो बजट—रेल बजट और सामान्य बजट प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अब लोगों पर गम्भीर प्रहार हुआ है। इस देश में लाए गए तथाकथित आर्थिक सुधारों से देश की कई मिलियन जनता की अत्यधिक कठिनाई हो रही है। मैं इससे समाज के गरीब तबके, कारीगरों, किसानों, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग पर गहरा धक्का पहुंचा है। बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी के बारे में अगर गलत है, तो ठीक किया जा सकता है, कोई उल्लेख नहीं किया है। क्या होने वाले वाला है? पूरे देश को बेच दिया गया है। हमारे समक्ष बाल्को का ताजा उदाहरण है जिससे यह पता चलता है कि राष्ट्र हित के साथ किस तरह समझौता किया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति अथवा समूह के लाभ के लिए मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है।

महोदय, मैं यह नहीं जानता कि सरकार की नीति अथवा कार्यक्रम जिस प्रकार का होगा और यह किसके लिए होगा। इस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कारण अधिकांश लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कामगारों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। एक के बाद एक फैक्ट्री बंद होती जा रही हैं। पूरे देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों बेचा जा रहा है। किसी ने शायद ठीक ही भविष्यवाणी की है कि 10 वर्षों के भीतर ही यह देश आर्थिक महाशक्तियों के अधीन हो जायेगा।

महोदय, ऐसा लगता है कि सरकार इस बात को समझ नहीं रही है और यह अपनी वाहवाही स्वयं कर रही है। हमें सभी तरह की बातें, पहली पीढ़ी के सुधार, दूसरी पीढ़ी के सुधार, रणनीतिक बिक्री और राजनीतिक साझेदार जैसी बातें बतायी जा रही हैं। ये नए शब्दाडम्बर वाले दिन हैं। श्री प्रभु आप पढ़े-लिखे हैं आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कृपया हमें बताइए कि पहली पीढ़ी के सुधार कब खत्म हुए, पहली पीढ़ी के सुधारों के अंत में क्या हुआ; इसका क्या अर्थ है, दूसरी पीढ़ी के सुधारों का क्या आशय है; इनका क्या तात्पर्य है; देश के आम लोगों से इसका क्या वास्ता है, और अब क्या प्रस्ताव है।

इस देश की आम जनता और कामगारों के नाम मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं परन्तु अब वे काम पर लगाने और हटाने (हायर एंड फायर) की नीति अपना रहे हैं। उनको कानून में परिवर्तन करने का प्रस्ताव हैं, जिससे 1000 से कम कामगार न होने वाले एकक काम पर लगाने और हटाने की नीति के अंतर्गत आ जायेंगे। इसके अंतर्गत देश के 99 प्रतिशत कामगार आ जायेंगे।

यदि आप यह सोचते हैं कि थोड़े समर्थकों, जो इस देश को चला रहे हैं, की खुशामद करके आप आम आदमी का समर्थन प्राप्त कर पायेंगे तो यह आपकी ना समझी है। आप ख्वाब देख रहे हैं। इन्हें रोक नहीं पाएगा। लोग एक जुट होकर आगे आएंगे और इस देश की जन और कामगार विरोधी नीति में परिवर्तन करने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप केवल मुठ्ठी भर लोगों पर ध्यान देने में लगे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के आर्थिक हितों को बेच दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा है? अंततः जब मात्रा संबंधी रोक को हटा लिया जाएगा तो क्या होगा? महोदय, आज भी सभा के दोनों पक्षों ने लघुक्षेत्रों के सरकारी उद्योगों के समक्ष गम्भीर स्थिति के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण लगभग पांच लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इन लोगों का क्या होगा? उनके बारे में कौन सोच रहा है? जब तक कोई इन मुद्दों को नहीं उठायेगा, इस पर किसी तरह का समर्थन नहीं दिया जायेगा, और यह सभा थोड़े समय के लिए नहीं चल पायेगी तब इस पर थोडा ध्यान दिया जाएगा। अब, जबकि सभा के दोनों पक्षों के सदस्य कामगारों के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं, तो मैं यह देखता हूं कि कम से कम श्री खुराना इनमें से कुछ मुद्दों से सहमत हैं। संभवतः इन दिनों वह पार्टी की मुख्यधारा में नहीं हैं और वह इन मुद्दों को उठा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वह इन मुद्दों को उठा रहे हैं।

अतः यह एक ऐसी सरकार है जिसकी नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है जिससे हमारा अस्तित्व हमारी कार्यप्रणाली हास्यास्पद हो जाती है।

एक अन्य गम्भीर बात जो चल रही है और जिसका इस वर्ष के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है वह है संवैधानिक समीक्षा, जोकि की जा रही है। आदरणीय राष्ट्रपति जी की चेतावनी के बाद, जब उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के भाषण का संदर्भ दिया तो मैंने यह देखा कि इस बार आपने यह बात नहीं उठायी है। परन्तु इस उद्देश्य को छोड़ा नहीं गया है।

आज हमने एक उदाहरण देखा है कि आप केन्द्र-राज्य संबंधों को किस प्रकार सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अन्य पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे बात करने लायक ही न हों। आप यहां तक कि अपने छोटे से छोटे सहयोगी दलों को खुश करने हेतु अन्य पार्टियों की सरकारों को या तो अनुच्छेद 356 की धमकी देते हैं और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं अथवा राजनीतिक हिसाब चुनाने के लिए संसद के स्थान पर अन्य मंच का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही आपका उद्देश्य संविधान के मूल ढांचे का परिवर्तन करना है। यह किस तरह का प्रयास चल रहा है? संसद को अंधकार में रखा गया है। राजनीतिक दलों से भी विचार-विमर्श नहीं किया जाता। संविधान में परिवर्तन कौन कर सकता है? यह कार्य संसद सदस्य कर सकते हैं परन्तु इसके बदले में अब आपने अपना एक बहुत बड़ा अलग ही ताकआम तैयार किया है। इस संवैधानिक समीक्षा को पूरा करने हेतु आपने अपने चुनिंदा लोगों को रखा है। मैं यह नहीं जानता कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है। आप किन अनुच्छेदों में संशोधन करना चाहते हैं? आप इसमें संशोधन करने के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। मैं यह नहीं जानता कि इस सरकार को किन अनुच्छेदों, उद्देश्यों, संविधान के हिस्सों से कठिनाई हो रही है। हमें इस संबंध में कई बातें बतानी हैं। परन्तु, सविधान में संशोधन करने का यह तरीका उचित नहीं है।

हमें राज्यों में केन्द्र के अधीन शक्तियों से भी अधिक शक्तियों की आवश्यकता है। इस प्रकार से वे कई बातों को छिपा रहे हैं। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पहले से ही मौजूद है। आपने इसे कार्यान्वित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत हमदर्दी दिखाते थी। उसने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को लागू न करने हेतु कांग्रेस सरकार की आलोचना भी की थी। आपने क्या लागू किया है? आपने किन चुनाव सुधारों, प्रस्तावों को स्वीकार किया है अथवा लागू किया है। बहुत सी ऐसी रिपोर्टें हैं जिन पर सर्वसम्मति है।

महोदय, मुझे कतिपय समितियों का सदस्य होने का मौका मिला है। श्री लालकृष्ण आड़वाणी मंत्री बनने से पूर्व तक सामान्यता भा.ज.पा. का प्रतिनिधित्व करते थे। यहां तक कि निर्वाचन हेतु सरकारी वित्त पोषण के बारे में अंतिम रिपोर्ट भी एक सर्वसम्मत रिपोर्ट थी। इस समिति का नेतृत्व हमारे महान नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त ने किया था जिनकी कमी हम हर पल महसूस कर रहे हैं। आप उनकी समिति की रिपोर्ट को कितना आदर दे रहे हैं? इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस सरकार की वास्तविक मशा क्या है?

अध्यक्ष महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख नहीं किया गया है जो विश्वहिन्दू परिषद, बजरंग दल द्वारा दी गई गम्भीर धमकियों और यहां तक विश्व हिन्दू परिषद द्वारा अयोध्या में मंदिर के बलपूर्वक निर्माण के बारे में है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

अत्यधिक हैरान करने वाली रिपोर्टें मिल रही हैं कि ढांचा लगभग तैयार है और इसे केवल वहां लाकर रखने की जरूरत है। मैं यह नहीं जानता कि वे विश्व हिन्दू परिषद वे अध्यक्ष हैं अथवा सचिव हैं। उनके परम मित्र, श्री सिंघल ने खुलकर बोला है कि वे इसकी तिथि निर्धारित कर रहे हैं। अयोध्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु, राष्ट्रपति के अभिभाषण में महाकुम्भ के विशाल प्रबंधन का उल्लेख अवश्य किया गया है जैसे इसमें सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही हो। यह बहुत ही गम्भीर मामला भी है। मैं सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं ..... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : शाही इमाम के स्टेटमेंट के बारे में भी तो बोलें। .....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम बोलेंगे। .....*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : यहां पर भी तो बोलें। पूरा देश देखता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : वे बोलें या हम बोलें, इसमें क्या है। हम बोलेंगे। हम तालिबान के बार में बोलेंगे .....*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : इन पर तो ताला लग जाता है। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस निर्णय का क्या हुआ जिसमें अयोध्या मामले में हमारे गृह मंत्री और दो अन्य मंत्रियों को छोड़ दिया गया? अब सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किए हैं। वह इस मामले को देख रही है अगर कोई तकनीकी गलती है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सीबीआई के आरोपों को पुष्ट करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। यह भी पता चला है कि इसमें छोटी सी तकनीकी गलती रह गई थी। हम यह देखते हैं कि भारत सरकार—जिसकी एक कम्पनी में अत्यल्प शेयर धारिता है—उच्चतम न्यायालय में जाकर न्यायाधीश में चैम्बर में विशेष सत्र आयोजित करने का अनुरोध करती है—न्यायाधीश के आवास पर जाकर एकतरफा आदेश प्राप्त करती है, परन्तु इसे श्री लालकृष्ण आड़वाणी और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र में हुई तकनीकी गलती को सुधारने की अब तक कोई परवाह नहीं है।

भारत सरकार ने क्या किया है? इस पर सरकार की चुप्पी इसकी समग्र स्थिति का बयान करती है। अब न्यायाधीशों को भी सुविधानुसार स्थानान्तरित किया जा रहा है। और मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि वह जानबूझकर चुप है ताकि इस मामले में श्री लालकृष्ण आड़वाणी और दो अन्य मंत्रियों पर मुकद्दमा चलाने से बचा जा सके। इस पर काफी बातचीत और अदालत का समय लगने के बाद केवल मुकद्मे दाखिल किए गए। यह बहुत ही गम्भीर मामला है और मैं यह चाहता हूं कि सरकार आगे आकर हमें बताए कि वह गलतियों को सुधारने हेतु क्या कर रही है ताकि इन उच्च पदाधिकारियों, जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के विरुद्ध मुकद्मा चलाया जा सके।

आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दियस है। हमारे मित्र (प्रो.) ए.के. प्रेमाजम और अन्य महिला सहयोगियों ने इस मामले को उठाया है। यह केवल महिलाओं से संबंधित मामला ही नहीं है और हम यह महसूस करते हैं कि जहां तक सरकार के आगामी कार्यक्रमों का संबंध है, यह एक ऐसा मामला है जिसे यथाशीघ्र लाए जाने की आवश्यकता है।

एक अन्य गम्भीर मामला यह है कि राज्य विषय, केन्द्र-राज्य कार्यकरण के संबंध में, अधिकाधिक अतिक्रमण किया जा रहा है। जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है, प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड को 50 प्रतिशत विद्युत शुल्क बढ़ाने की सलाह दी है। अब इस का क्या होगा? कृषि का क्या होगा? लघु उद्योग का क्या हुआ? आम आदमी का क्या हश्र होगा?

हम एनरान के बारे में सरकार के दृष्टिकोण को जानना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने विगत में इसका किस आधार पर विरोध किया। अब सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को भारी राशि का भुगतान करने के लिए कहा है। क्या भारत सरकार इसकी पुनरीक्षा के लिए काई कदम उठा रही है? क्या तक इस मामले को एनरान के साथ उठा रहे हैं? पूरे अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और अब हमें यह सुनने को मिला है कि देश में कई अन्य परियोजनाओं के लिए काउंटर गारंटी उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार की नीतियां और कार्यक्रम क्या हैं।

हमारे परम मित्र श्री राम नाईक आ गए हैं .....*(व्यवधान)* इनकी तरफ भी कुछ अपवाद हैं और सौभाग्य से सभी मेरे मित्र हैं। सभी मेरे प्रिय मित्र हैं। परन्तु कुछ ने यहां बड़ी आसानी से हथियार डाल दिये हैं और कुछ इस का थोड़ा बहुत विरोध कर रहे हैं।

महोदय, देश के भविष्य के लिए तेल और दूरसंचार क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह यहां पर बड़े पैमाने पर आकर इन क्षेत्रों का अधिग्रहण कर रहे हैं—जो या तो विदेशी कंपनियां, एकाधिकार कम्पनियां अथवा पूंजीपति हैं? यह गम्भीर चिंता का विषय है और हम इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करते हैं।

महोदय, जम्मू और कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमने मंत्रिमंडल और उनकी पार्टी के बीचे मतभेदों को दूर करने हेतु सरकार और माननीय प्रधानमंत्री का समर्थन किया है। उन्होंने युद्ध विराम के बारे में पहले से ही निर्णय करने के बाद नेताओं की बैठक की। परन्तु यह पता चला कि वह इस पर एकमत नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री यह चाहते थे कि विपक्षी पार्टियां सरकार का समर्थन करें और उन्हें हमारा समर्थन मिला क्योंकि हमने यह महसूस किया कि हमें समर्थन करना चाहिए। परन्तु हम हमेशा यह कहते रहे हैं कि केवल युद्धविराम अपने आप से समाधान नहीं है, यह तो समाधान का केवल माध्यम हो सकता है।

[अनुवाद]

शांति और प्रगति तथा जम्मू और कश्मीर, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, की प्रगति इसका उद्देश्य है। परन्तु क्या किया जा रहा है?

महोदय, जब यह मामला परामर्शदात्री समिति के समक्ष आया, तो अपनी पार्टी की ओर से हमने यह अनुरोध किया था। कुछ दिन पहले हमने यह भी जिक्र किया था कि बातचीत के बगैर, उचित राजनीतिक पहल, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने का प्रयास, माहौल में परिवर्तन लाये बगैर और वहां के लोगों के शक को दूर करने का प्रयास किये बगैर युद्ध-विराम से क्या हासिल होगा? यह केवल एक साधन हो सकता है। परन्तु, दुर्भाग्यवश कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यहां पर सुरक्षा में भी लापरवाही है।

महोदय, हमारी संवेदना उन लोगों के परिवारों के प्रति है जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं तथा जो उन्हें हुई क्षति के बावजूद शांति बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक सैनिक मारे गये हैं परन्तु सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल भूल गई हैं। हम महसूस करते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को उचित प्राथमिकता, उचित महत्व और उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र को वहां के लोगों के अधिकारों के अनुरूप विकसित किया जा सके।

अपराह्न 2.43 बजे

[श्रीमती मारग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*]

महोदया, जहां तक इस देश की विदेश नीति का सवाल हैं, पता नहीं इस पर बुश प्रशासन का क्या प्रभाव पड़ेगा। श्री जसवंत सिंह के मित्र श्री स्ट्रोब टालबोट अब सता में नहीं हैं। उन्होंने इनके साथ 11 अथवा 12 बैठकें की थीं। अब उन्हें अन्य मंत्री के साथ नये सिरे से शुरूआत करनी पड़ेगी। हमने प्रश्न उठाया था कि हमारे विदेश मंत्री ने अमरीका सरकार के मंत्री के साथ बैठकों पर इतने अधिक घंटे और लगाए। पता नहीं उससे क्या हासिल हुआ है। परन्तु यदि आपको बिल क्लिंटन नहीं तो जार्ज बुश की शुभकामनाएं मिलें, तो आप बहुत प्रसन्न होंगे।

महोदया, हिरमा परियोजना का क्या हुआ? यह बताया गया था कि अमेरिकी सरकार इसे चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा से पहले अमेरिकी सरकार ने इच्छा व्यक्त की थी कि इस परियोजना को अंतिम रूप दिया जाये। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी की यात्रा में उस समूह के लोगों को शामिल किया गया था जो इस परियोजना को चालू करवाने की मांग कर रहा है। आपने उन्हें तथा अपने अमेरिकी मित्रों को प्रसन्न रखने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

महोदया, हम निर्गुट आन्दोलन में अपनी हैसियत गवां चुके हैं। तीसरे विश्व के लोग हमें आदर की दृष्टि से देखते थे कि नया भारत विकासशील देशों, भूतपूर्व उपनिवेशों को नेतृत्व प्रदान करेगा। विभिन्न अविकसित और विकासशील देशों के संघर्षशील लोगों का आदर और सहायता अर्जित करने में हमारा विशेष स्थान था। आज हम कहां खड़े हैं? इजरायल फिलस्टीन संघर्ष, जो कि दोबारा शुरू हो गया है, के बाद हमारी नीति क्या है? इराक पर नये सिरे से बमबारी करने के बाद हमारी नीति क्या है? इन मामलों में हम पूरी तरह खामोश हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह निर्गुट नीति के बिल्कुल उलट है। सरकार की विदेश नीति भारत की विदेश नीति थी परन्तु अब आपने इसे एक पार्टी की विदेश नीति बना दिया है। आपने कभी भी एक संयुक्त विदेश नीति बनाने की फिक्र नहीं की। इस सदन में शायद ही हमने विदेश नीति पर चर्चा की हो।

मेरा यह कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत कुछ बताने की बजाए छुपाया अधिक गया है। इसमें दिशा का अभाव है। इसमें देश के आम आदमी की ज्वलंत समस्याओं का जिक्र नहीं किया गया है। यह मात्र एक चिमड़ा कागज बनकर रह गया है। इसे ऐसे वायदों का दस्तावेज माना जाता है, जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जायेगा। आधारभूत मामलों को छोड दिया गया है और ज्वलंत विषयों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम इस अभिभाषण पर अपनी आपत्ति अभिव्यक्त किए बिना नहीं रह सकते। इसका तात्पर्य राष्ट्रपति पर लांछन लगाना नहीं है परन्तु हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, उसके अनुसार उन्हें इस सरकार, जिसकी अपनी कोई दिशा नहीं हैं और जो किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहती है, के कार्यकलापों को पढ़ना ही होता है। इनका एक साथ रखने वाली एक ही ताकत है और वह है ऊपरी आमदनी में हिस्सेदारी। कुल मिलाकर सरकार की लोगों के साथ कोई वचनबद्धता नहीं है। देश में साम्प्रदायिक ताकतों और विभाजक देश को बांटने वाली शक्तियों के उभरने से खतरा बढ़ रहा है। साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की आशंका है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषयवस्तु पर अपनी कड़ी आपत्ति और विरोध अभिव्यक्त करते हैं जो कि मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से यह मतलब लगाया जाता है कि सरकार ने पिछले दिनों देश हित में क्या कदम उठाए, आने वाले समय में सरकार क्या काम करना चाहती है, सरकार की क्या मंशा और नीयत है? राष्ट्रपति जी द्वारा थोड़े शब्दों में इस बारे में जो प्रकाश डाला गया है, उसके सम्बन्ध में मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विगत डेढ़ वर्षों से इस देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। इस अवधि में समय समय पर इस सरकार को काफी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, चाहे वह बंगाल की बाढ़ हो, उड़ीसा का चक्रवात हो या गुजरात का भीषण भूकम्प

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

हो। सरकार को सूखा और बाढ़ भी सहना पड़ा है। इन सारी परिस्थितियों में यह राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीति और नीयत को दर्शाता है। इतना ही नहीं, पड़ोसी देशों की गलत नीति के चलते जहां सीमा पर कभी कभी युद्ध की स्थिति बनी रहती है, वहीं देश की आंतरिक सुरक्षा में भी बाहर के आंतकवादियों द्वारा घुसपैठ करना तथा जान-माल को क्षति पहुंचाने की दृष्टि से यह अभिभाषण काफी महत्व रखता है।

सभापति महोदय, यह वर्ष हमारे गणतंत्र की स्वर्ण जयंती समारोह का अंतिम वर्ष है। मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के जो विचार व्यक्त किये गये हैं, ये देश की जनता की आशा के अनुरूप हैं। इसमें जिस तरह से किसानों और गांवों के विकास के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है, मैं उसके लिये सरकार और राष्ट्रपति जी को दिल से बधाई देता हूं। जिस तरह से गांवों के विकास की चर्चा इसमें की गई है, निश्चितत्तौर पर यह प्रशंसा का बिन्दु है।

सभापति महोदय, अभी गुजरात में भूकम्प आया जिस पर सदन में विस्तार से चर्चा की गई। पक्ष और विपक्ष की तरह से तर्क-वितर्क दिये गये। यह बात सही है कि कुछ तात्कालिक कारणों के चलते गुजरात के भूकम्प पीड़ित लोगों को जो सुविधायें पहुंचाने के लिये मन बनाये हुये थे या सरकार सहायता करना चाहती थी, वह नहीं कर पाये लेकिन सरकार की नीयत और नीति साफ रही। गुजरात के भूकम्प प्रभावित लोगों के जान-माल की सुरक्षा के लिये थल, नौ तथा नभ सेना या अन्य गैर सरकारी संस्थाओं ने जहां भूकम्प पीड़ितों की सहायता की, वहां इस देश के कोने कोने में लागों की जिस तरह से सहानुभूति मिली, विश्व के पड़ोसी देशों से सहयोग और सहायता मिली, इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि यह सब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की देन है।

सभापति महोदय, इस सदन में श्री सोमनाथ चटर्जी ने गुजरात भूकम्प के समय चर्चा में कहा था कि गुजरात को जो धन दिया जा रहा है, वह दिल खोलकर दिया गया जबकि बंगाल में आई बाढ़ के समय ऐसा नहीं किया गया, उड़ीसा में आये चक्रवात के समय दिल खोलकर सहायता नहीं दी गई। मैं सोमनाथ बाबू से कहंगा कि वे इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि सरकार की नीयत साफ है। जहां जैसी स्थिति बनी, वहां उसी प्रकार सरकार ने धन से सहायता की है। इस समय सरकार के सामने प्रदेश विशेष नहीं बल्कि देश सामने था। उनका यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। उस संदर्भ में गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति गुजरात में राहत कार्यों और पुनर्वास के लिये तीव्र गति से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी की ओर से बराबर यह निर्देश जाता रहा है कि गुजरात के संबंध में विशेष निगरानी रखी जाये कि गुजरात के लोगों का किस ढंग से जल्दी से जल्दी पुनर्वास और उनके उत्थान का काम किया जाये।

सभापति महोदय, पिछले पखवाड़े से इस देश में जनगणना की शुरूआत हुई। इस देश की आबादी सौ करोड़ से ज्यादा हो गई है और जिस ढंग से इस देश में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसमें सरकार जनगणना कराकर साफ नीयत बनाये हुए है कि जनगणना के बाद सही स्थिति का पता करके जनगणना की वृद्धि पर एक तरफ अंकुश लगाने की जरूरत है, लेकिन इमेरजेन्सी की तरह से नहीं, एक नीति के तहत, एक व्यवस्था के तहत देश के लोगों को विश्वास से लेकर जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। इसके साथ ही महिलाओं के कल्याण और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार दृढ़प्रतिज्ञ है और इस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार बिल्कुल तत्पर है।

सभापति महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खास करके कहा गया है कि भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाह्य सुरक्षा के संबंध में तो निकट भविष्य में जो युद्ध हुआ था उसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उसने प्रमाणित कर दिया कि हमारे देश की सीमा में कोई शत्रु हमें हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन आंतरिक सुरक्षा में हम पेरशान होते हैं और आज भी परेशान हैं। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। लेकिन वहां जिस ढंग से भाड़े के आंतकवादियों द्वारा घुसपैठ हो रही है, वह खासकर के हमें अपने घर में परेशानी में डाले हुए है। हालांकि हमारी नीयत बिल्कुल साथ है। हमने एकतरफा युद्धविराम किया हुआ है। हमें यह नहीं मालूम कि एकतरफा युद्धविराम से हमें कितना लाभ हुआ है। इसका कारण यह है कि हमारे जवान मारे जाते हैं, हमारे नागरिक मारे जाते हैं। कभी-कभी अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि किसी समुदाय विशेष के लोग किसी जगह को छोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। वैसी ही स्थिति हमारा पड़ौसी देश हमारे साथ कूटनीति करके, घुसपैठ करके हमें घर में परेशान कर रहा है। हम यह मानकर चलते हैं कि यदि युद्धविराम से फायदा हो तो सरकार सोचे। लेकिन जैसे लोगों का मानना है कि जिस ढंग से हमारे घर को तबाह और परेशान करने की साजिश की जाती है, उसका उसी ढंग से मुंहतोड़ जवाब सरकार को देना चाहिए, ताकि जम्मू-कश्मीर सुरक्षित हो सके और वहां के लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। आज आई.एस.आई. के माध्यम से इस देश के हर भाग से एक आतंक का वातावरण फैलाने का काम किया जा रहा है और खासतौर से हमारे देश में जाली नोटों का धंधा पाकिस्तान आई.एस.आई. के माध्यम से करा रहा है।

सभापति महोदय, विदेश नीति की चर्चा होती है। कहते हैं कि हमारी विदेश नीति सफल है। हम मानकर चलते हैं कि एक तरफ रूस से हमारे मित्रता के संबंध हैं, उसके द्वारा मित्रता का निर्वाह होता रहता है। अमरीका से हमारे नये रिश्ते मजबूत हुए हैं। लेकिन हम इतनी मित्रता विदेश में और विश्व के अन्य देशों के साथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी बगल का छोटा सा देश नेपाल जो हमारा पड़ौसी देश है, वह इस समय आई.एस.आई. का केन्द्र बिन्दु बन चुका है और वहां आई.एस.आई. की गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो सीमा के इलाके हैं, वे उसका घर और अड्डे बनते चले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि उसे नेपाल सरकार से

वार्ता करनी चाहिए और वहां जो आई.एस.आई. के अड्डे बने हुए हैं, जिनसे वहां घुसपैठ की स्थिति बनी हुई है, जिनसे वहां तस्करी हो रही है और जिनसे देश के नौजवानों को तस्करी का सामान खिलाकर प्रभावित किया जा रहा है, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि नेपाल से वार्ता नहीं की गई तो वहां की सीमा का इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा। इसलिए सरकार को निश्चितरूप से नेपाल सरकार से वार्ता करनी चाहिए।

सभापति महोदय, हम आपको एक दूसरी बात बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक शब्द लिखा गया है, हालांकि इस शब्द पर मुझे आपत्ति है। इसमें लिखा है कि पिछले वर्ष हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी—तीन राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का सृजन किया जाना। महोदय तीन राज्यों का सृजन किया जाना घटना नहीं हो सकती और इसमें घटना शब्द लिखा गया है। हमें इस शब्द पर आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है कि जब राज्यों का निर्माण किया गया, जहां राज्यों में बंटवारा किया गया वहां तो विधान सभाओं ने उसकी स्वीकृति भेजी थी और आपने सोच-समझकर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सहमति देकर इन राज्यों को बनाया तो इसे घटना शब्द से क्यों जोड़ा गया और जिस ढंग से ये राज्य केन्द्र सरकार ने बनाये, हम यह कहेंगे कि उन राज्यों के उत्थान और विकास के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या सोच है, इस पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ नहीं दर्शाया गया है। खास तौर से हम बिहार के संबंध में बताना चाहते हैं कि पहले से ही एक पैकेज की मांग चल रही थी।

अपराह्न 3 बजे

जिस समय गृह मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, उन्होंने अपने भाषण में बताया था कि हम बिहार के विकास के लिए मजबूती से कदम उठाएंगे। काफी लंबा समय बीत गया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वह पैकेज मिला या नहीं, इसका कहीं जिक्र नहीं है। बिहार की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हम आपके माध्यम से सरकार से कहेंगे कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो 'घटना' शब्द लिखा गया है, उसको इसमें से हटाना चाहिए और बिहार के विकास के लिए सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। सिर्फ सदन में हम बोलते हैं और आसन पर बैठकर आप सुनते हैं, हमें लगता है कि इससे बिहार का विकास होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मध्य बिहार का जो हिस्सा है वह पहले से ही आतंकवाद प्रभावित है। वह उग्रवाद प्रभावित है और पहले वहां केन्द्रीय पुलिस बल मौजूद रहते थे लेकिन राज्य के बंटवारे के बाद वहां से पुलिस को हटा लिया गया। पुलिस को हटाने के कारण वहां के लोग काफी भयभीत और आतंकित हैं। हम आपके माध्यम से कहेंगे कि जो मध्य बिहार का इलाका है—जहानाबाद, गया और औरंगाबाद का इलाका है, जहां से केन्द्रीय पुलिस बल हटाए गए हैं, वहां उनको भेजा जाए ताकि वहां के लोग अमन-चैन से रह सकें।

बिहार के संबंध में एक और बात बताऊं कि वहां अजय कुमार नाम के एक आई.ए.एस. की पलामू में हत्या हुई और उसके बाद हम लोगों की जानकारी में आया कि मामले को रफा-दफा कर दिया गया। यह पहली घटना होगी कि कहीं एस.पी. की हत्या हुई हो और डीजीपी घटनास्थल पर नहीं जाता। हम लोगों को इसमें कहीं साजिश की बू आ रही है और हम चाहेंगे कि केन्द्रीय सरकार झारखंड के मुख्य मंत्री से कहे कि इस मामले को रीओपन कराकर मामले की जांच कराएं और दोषी व्यक्तियों पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसमें झारखंड सरकार सक्षम नहीं है तो उस मामले को सीधे सीबीआई को सौंपना चाहिए, ताकि किसी साजिश के तहत अगर उस एस.पी. की हत्या हुई है तो वह बात देश के सामने आए और देश की जनता जाने की उस एस.पी. की हत्या कराने में किन लोगों का हाथ है। यह बहुत गंभीर मामला है और हम चाहेंगे कि आप भी इस पर गंभीरता से सोचेगी और सरकार गंभीरता से सोचकर इस पर कार्रवाई करेगी।

महोदय, हम केन्द्र सरकार और राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लिखा है कि:

> "केन्द्र तथा राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने हैं। बेहतर सूझ-बूझ तथा अधिक समन्वय विकसित करने में मदद मिली है। राज्य द्वारा किए जाने वाले समान अंशदान के आधार पर राज्य पुलिसा बल के आधुनिकीकरण के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता अगले दस वर्षों के लिए 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।"

हम बधाई देते हैं चूंकि राज्य में पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करना आवश्यक है लेकिन इसके साथ ही हम एक निवेदन करेंगे कि जो पैसे दिये जाते हैं इसमें से ज्यादा से ज्यादा पैसे प्रशिक्षण पर खर्च किये जाएं। हथियार उपलब्ध हो सकते हैं लेकिन जो प्रशिक्षण पुलिस को मिला हुआ है, कहना नहीं चाहिए यह सर्वोच्च सदन है, लेकिन नैतिकता का प्रशिक्षण पुलिस को यह सरकार कहां से देगी, ईमानदारी का प्रशिक्षण कहां से देगी, पहले इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम जिस प्रांत से आते हैं, वहां की पुलिस को कौन या प्रशिक्षण मिलता है, प्रशिक्षण देने वाले कौन लोग होते हैं यह भगवान ही जानते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि प्रशिक्षण के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि सिर्फ हथियार देने से काम नहीं होगा। जब तक आपके सिपाही मजबूत नहीं होंगे, प्रशिक्षण नहीं ले पाएंगे और आतंकवादियों से मुठभेड़ करना उनके लिए संभव नहीं होगा।

सभापति महोदया, यहां कृषि और कृषकों की चर्चा की गई और राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में किसानों का बहुत आभार व्यक्त किया है। हम भी किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। विगत कुछ दिनों से किसानों की जो स्थिति इस देश में बनी है, और सदन में जो चर्चाएं होती हैं, हम सिर्फ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इसमें किसानों के लिए एक नई नीति की घोषणा भी की गई

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

है। हमने कृषि नीति को भी पढ़ा है और कृषि नीति को पढ़ने के बाद हमें लगा कि थोड़ी सी हमारी कृषि नीति अमेरिका के रास्ते पर बहकी हुई है। इसलिए कृषि नीति से सुधार होना चाहिए क्योंकि अमेरिका में कृषि करने वाले 1 लाख लोग हैं और हिन्दुस्थान में कृषि करने वाले करीब 30 लाख से ज्यादा लोग हैं।

कृषि पर आधारित 60-70 लाख लोग इस देश में हैं जिनकी जीविका कृषि से चलती है। अमरीका की तुलना में यहा जब नीति बनाई गई, चूंकि अमरीका में व्यवसाय के दृष्टिकोण से कृषि की जाती है लेकिन हिन्दुस्तान में कृषि का काम सिर्फ व्यवसाय के दृष्टिकोण से नहीं किया जाता बल्कि यहां के लोगों का उसमें एक सांस्कृतिक लगाव भी होता है। यहां के लोग उस पर अपनी जीविका के लिए निर्भर होते हैं। उद्योग के रूप में वे इसे नहीं देखते। इसलिए कृषि नीति में जो खामियां हैं, सरकार को उसे गंभीरता से लेकर उसमें सुधार करना चाहिए।

अभी थोड़े दिन पहले सरकारी मूल्य के समर्थन पर चर्चा हो रही थी। जिस तरह इस देश के धान किसानों का हाल हुआ है, अभी किसानों को गेहूं का मूल्य देहातों में कुछ बढ़ा है जिससे किसानों में खुशी की लहर आई हुई है लेकिन धान के संबंध में किसानों की जो स्थिति पैदा हुई है, पूरे देश के किसान सितम्बर माह में उससे चिन्तित रहे हैं। आप कहते हैं कि विश्व व्यापार में जो बाहर से सामान आता है, उस पर आयात शुल्क बढ़ाकर हम किसानों के हित की रक्षा कर रहे हैं लेकिन आप विश्व बाजार के कम्पीटिशन में सिर्फ आयात शुल्क बढ़ाकर उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, जब तक आप किसानों को अच्छे ढंग से संवारने और सजाने के लिए कोई कदम नहीं उठायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। विश्व व्यापार खड़ा हुआ है और किसानों को सिर्फ चावल और गेहूं के उत्पादन में जोर न देकर, आज उन्हें इस तरफ भी ले जाना चाहिए कि वे अपने उत्पादन की वस्तु को बदलें ताकि जो चीज विश्व बाजार में खुल्लमखुल्ला विश्व के पैमाने पर बाजार में उपलब्ध होती है, उसके मूल्य में गिरावट होने से किसान बहुत परेशानी में पड़ंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के संबंध में आप भी चिन्ता कीजिए, सदन तो बराबर चिन्ता करता है। हम प्रधानमंत्री जी को खासकर बधाई देना चाहते हैं क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने गांव की खुशहाली के लिए, गांव के विकास के लिए काफी चिन्ता की है और उन्होंने प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपये गांव में सड़कों के निर्माण हेतु देने की घोषणा की है, वायदा किया है। इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इस रुपये को खर्च करने के लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शन भी होना चाहिए। पूरे बिहार और देश की बात तो हम नहीं जानते लेकिन हम छपरा में जहां डी.आर.डी की बैठक कलैक्टर, जो एक महिला है, ने बुलाई थी, हम भी गये थे। हमसे उस बैठक से कहा गया कि आप इस संबंध में जो भी सूची देना चाहें, वे दे दें। हमने वह सूची दे दी थी। वहां विधायक भी बैठे हुए थे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो सूची भेजी गयी है, छपरा की सूची की एक कापी हमारे पास है। हमसे जो सूची मांगी गयी थी, राजो बाबू, उसका कहीं जिक्र नहीं है। वह सारी सूची लापता हो गई है। यह एक अलग से सूची है। यह कहां की सूची है और किसने दी है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है लेकिन यह दिल्ली से आई हुई है। हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार वहां जो रुपया देती है, उसको खर्च करने के लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश होना चाहिए। हम चाहेंगे कि एक मास्टर प्लान हर प्रांत से मंगवा लें और मास्टर प्लान आने के बाद उसमें जो नाम है, उसी में से सांसदों की प्राथमिकता लेकर उन पथों का निर्माण करायें, वह ज्यादा अच्छा होगा।

जहां तक खाद्य या सार्वजनिक वितरण की बात है, सरकार ने उसमें अपनी तरफ से बहुत कुछ देने का वायदा किया है, लेकिन जो वितरण प्रणाली है, उसमें आप केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करें। जब तक वितरण प्रणाली में सुधार नहीं किया जायेगा, जब तक उसका लाभ गांव के उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिन्हें देने के लिए सरकार की यह नीति है। यह वितरण प्रणाली बहुत त्रुटिपूर्ण है। जो सामान आज आप गरीब लोगों के लिए भेजते हैं, जिनको आप लाभान्वित करना चाहते हैं, उन तक यह पहुंच ही नहीं पाता—यह सच्चाई है। यहां भाषण देने के लिए सब कहते हैं कि हम इतने प्रतिशत लोगों को दे रहे हैं। वितरण प्रणाली के सुधार में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती क्योंकि राज्यों में राज्य सरकार की भूमिका होती है। जब तक आप राज्य सरकारों से को-आर्डिनेशन बनाकर उस पर नियंत्रण करने के लिए दबाव नहीं बनायेंगे तब तक जिन लोगों को आप लाभ देना चाहते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पायेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि वहां एक को-आर्डिनेशन कमेटी बनाकर यह काम होना चाहिए।

यहां यह भी जिक्र किया गया कि संचार के मामले में हम बहुत प्रगति कर रहे हैं और कर भी रहे हैं—इसमें कोई दो मत नहीं हैं। अखबारों में संचार मंत्री के काफी बयान पढ़ने को मिलते हैं लेकिन गांवों में टेलीफोन की व्यवस्था बहुत चौपट है। वहां पहले जैसा काम चल रहा था, उससे भी ज्यादा गड़बड़ चल रही है। गांव के लोगों को दूर संचार सेवा से लाभ दिलाने के लिए वहां नये-नये एक्सचेंज खुल रहे हैं। उन एक्सेचेंजों में मशीन तो लग गयी है लेकिन वहां कर्मचारी नहीं हैं। हमने एक दिन संचार मंत्री जी से कहा था कि आप एक्सचेंज खुलवा रहे हैं, जब कर्मचारी नहीं रहेगा तो उसे कौन ऑपरेट करेगा और यह मशीन कहां से ठीक रहेगी। वे कहते हैं कि वित्त मंत्री जी कहते हैं कि बहाली नहीं करनी है। जब बहाली नहीं करनी है तो नए एक्सचेंज खोज कर सरकारी धन बर्बाद करने की क्या जरूरत है। इसलिए हम चाहेंगे कि यदि आप दूरसंचार को गांवों और शहरों से जोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस तरह शहरों के लोगों को संचार के मामले में सुविधा मिली हुई, उसी तरह गांवों के लोग भी उससे लाभान्वित हो सकें, गांवों के लोगों को उसका लाभ मिल सके तो आपको उसी नीति से, जिस तरह एक्सचेंज का विस्तार कर रहे हैं, उसी ढंग से कर्मचारियों की भी बढ़ोत्तरी करनी पड़ेगी, नियुक्ति करनी पड़ेगी। इस विधेयक के बहुत से कर्मचारी जो काम करने वाले थे, उनको छांट-छांट कर न हटाइए, उनको रख कर कम से कम जब तक वह चालू नहीं करेंगे, गांवों के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल सकेगा।

एक सवाल और कहना चाहते हैं। टेलीविजन के संबंध में लिखा गया है कि वह जम्मू कश्मीर में 24 घंटे उपलब्ध रहे, लोग उसका लाभ उठाएं, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है। यह बहुत अच्छा काम है, टेलीविजन से शिक्षा भी मिलती है लेकिन एक बात हम कहेंगे कि टेलीविजन पर जिस तरह महिलाओं का अंग प्रदर्शन किया जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आपकी यह नीति चलती रही तो शहरों पर असर पड़े या नहीं, गांवों को बहुत नुकासान हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता से शहर तो पहले से ही प्रभावित हो चुके हैं, अब गांव की प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम टेलीविजन पर महिलाओं के अंग प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि भारत की संस्कृति पर कहीं से विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सके।

एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करेंगे क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी है। राजमार्ग के संबंध में कहना चाहते हैं कि केन्द्र से नए राजमार्गों की बहुत स्वीकृति हुई हैं। जब नीतीश कुमार जी इस विभाग के मंत्री थे, उस समय भी स्वीकृति हुई थी। लेकिन अभी तक सिर्फ कागजों में स्वीकृति हुई है, हम देख रहे हैं कि कहीं पैसे और निधि का आवंटन नहीं हुआ है। किताब में भी बहुत कुछ लिखा गया है कि हम यह करने जा रहे हैं, वह करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं तो जब पैसा जाएगा तब वह होगा। हम केन्द्र सरकार से कहेंगे कि कागजों में जो लिखा हुआ है, उसके अनुसार कम से कम जिन पथों की अधिसूचना जारी कर दी है, उस पर पैसा दिया जाए ताकि पथ का निर्माण हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर राष्ट्रपति जी को तो धन्यवाद देते हैं साथ ही केन्द्र सरकार को भी बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस ढंग से उन्होंने लिखा है, वे उसमें खरे उतरेंगे, सिर्फ कागजों तक सिमट कर नहीं रहेंगे, गांवों के विकास में अपनी रुचि दिखाएंगे और गांवों के लोगों को खुशहाल करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल का और सरकार की नीतियों का एक दस्तावेज होता है। हम कहेंगें कि यह संवैधानिक मजबूरी थी इसलिए राष्ट्रपति जी से इस सरकार ने असत्य भाषण दिलवाया है। पूरी घोषणा असत्य का पुलिन्दा है। वह मैं बाद में बताऊंगा, बहुत से ऐसे सवाल थे, जिनको इस भाषण में आना चाहिए था। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि विकास दर का 9% का लक्ष्य रखा गया है। यह पूरा का पूरा सत्य है। वर्षों से लेकर छः प्रतिशत से विकास दर सात तक पहुंची है, लेकिन नौ प्रतिशत किसी कीमत पर नहीं पहुंचेगी। फिर अभिभाषण में राष्ट्रपति जी के द्वारा आखिर यह असत्य क्यों कहलवाया गया है। सच्चाई है कि इस अभिभाषण में कोई दिशा नहीं है, यह सरकार दिशाहीन है। इस सरकार में सामूहिक जिम्मेदारी के साथ घटक नहीं चल सकते हैं। सुबह जब मैंने सवाल किया जो सवाल का उत्तर ही नहीं मिला। जब सरकार दिशाहीन हो, उससे अभिभाषण में दिशा मिलने, प्रेरणा मिलने की हम उम्मीद नहीं कर सकते, देश की जनता उम्मीद नहीं कर सकती। यह पूरी की पूरी दिशाहीन सरकार है, अगर कहा जाये तो बुरा लगेगा कि दिशाहीन ही नहीं, भ्रष्टाचार की प्रतीक यह सरकार है। जो सरकार दिशाहीन और भ्रष्ट हो, उससे प्रेरणा या दिशा देश को कभी नहीं मिल सकती है और इसीलिए हम आपके सामने यह कहना चाहते हैं कि यह जो विकास दर है या इस सरकार के तारीफ के पुलिन्दे हैं, नीतियों के पुलिन्दे हैं, अभी प्रभुनाथ सिंह जी रेल पकड़ने चले गये, वे बड़ी तारीफ कर रहे थे कि गांवों के लिए बड़ा भारी काम हो रहा है, लेकिन यह प्रधान मंत्री के मंत्रालय के आधार पर है और वित्त मंत्रालय के आधार पर कह सकते हैं। लेकिन मंत्रालय के अधिकारियों, आर्थिक विशेषज्ञों और इसी देश के उद्योगपतियों ने स्पष्ट कहा है कि इस बजट में देश का न कोई विकास होने वाला है, न विकास दर नौ फीसदी होने वाली है। यह अखबारों के माध्यम से आ गया है और पूरा देश यह जानता है।

दूसरी तरफ, आज इसी में देखेंगे और हम खुलकर कहेंगे कि यह आर्थिक सुधार नहीं हैं, यह देश की आर्थिक गुलामी है। दस साल के अन्दर उदार आर्थिक नीति के चलते हिन्दुस्तान पर आठ गुना कर्जा बढ़ गया है। 26 करोड़ लोग और गरीबी की रेखा के नीचे चले गये हैं और छोटे-छोटे उद्योग धंधों में लगे एक करोड़ लोग बेरोजगार हो गये हैं और देश के अन्दर इस उदार आर्थिक नीति के कारण गरीब-मजदूर-किसान बेमौत मरने के लिए खड़े हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह उदार नीति नहीं, यह देश की आर्थिक गुलामी है। इस आर्थिक गुलामी के सहारे राजनैतिक गुलामी हिन्दुस्तान के अन्दर नजदीक आ रही है।

अभी विश्व व्यापार संगठन के बारे में हमारी स्पष्ट राय है, मैंने इस सवाल के अवसर पर भी पूछा था और आज भी कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रपति जी ने कहा कि इन नीतियों को बहुत दिन हो गये, इसकी पुनः समीक्षा हो जानी चाहिए। उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए कुछ कहा है, उसको लेकर अभिभाषण की टिप्पणी सत्ता पक्ष को लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ जोड़ दिया है, कुछ पंक्तियां उन्होंने जोड़ दी हैं। इसकी वजह से महामहिम राष्ट्रपति जी की आलोचना भी सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने की है और कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं है, अनुचित है। राष्ट्रपति जी कम से कम एक निर्देश दे सकते हैं, आप मानें या न मानें, यह अलग बात है, इसलिए विश्व व्यापार संगठन पर आज हम कहना चाहते हैं कि इससे खेती की बर्बादी, उद्योगों की बर्बादी हो रही है। रोजना यहां पर उधर बैठे हुए माननीय सदस्य इस सदन में बोल रहे हैं। खुराना साहब बार-बार बोल रहे हैं। मौका आता है तो प्रधान मंत्री के डर की वजह से भाग जाते हैं। जब उस दिन मौका आया तो भाग गये। हम भी बोल रहे थे, चन्द्रशेखर जी भी बोल रहे थे, सोमनाथ चटर्जी जी बोल रहे थे। तब खुराना साहब को पता चला कि यहां यमुना पार के लघु उद्योगों के बारे में बहस हो रही है, उन्होंने झांका और देखा कि प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, बोलना पड़ेगा, इससे वे नाराज हो जाएंगे इसलिए वे बाहर से ही चले गए। शायद इस लालच में होंगे कि मंत्री बन जाएं। अभी प्रभुनाथ सिंह जी

[श्री मुलायम सिंह]

बोलकर गए हैं, उनकी रेल छूटने वाली है। उन्हें गांव होली के अवसर पर जाना है। मुझे भी जाना है। मैंने कहा था कि इस बहस को आगे के लिए टाल दिया जाए और आज कुछ और काम कर लें। हम उसके लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखें कि हमारा कोई सदस्य नहीं है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसके भी सात-आठ ही सदस्य बैठे हैं। इससे इस बहस का कोई औचित्य नहीं है। थोड़ा समय निकाला जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है, वहां ब्लाक स्तर के चुनाव होने जा रहे हैं उनको छोड़कर हमारे सदस्य यहां नहीं आ सकते, लेकिन हमारा ख्याल नहीं रखा गया। इसीलिए हमने कहा था कि आज बैठक नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश में जो बेराजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अभी प्रधान मंत्री जी ने एक खतरनाक बयान दिया है, जिसका उल्लेख बजट भाषण में भी आया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में दस फीसदी की छंटनी प्रतिवर्ष होगी। छंटनी के बाद उनको कहां लगाया जाए, इसका प्रावधान नहीं किया गया है। अगर यही सिलसिला चला, वैसे ऐसा नहीं होना है, लेकिन अगर यह सरकार दस साल रह गई तो 15-20 साल में तो कोई राज्य कर्मचारी ही नहीं रहेगा। विदेशी कम्पनीज के लोग भरे होंगे और देश में बेराजगारी का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इस बात से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि इससे नए उग्रवाद की बुनियाद पड़ेगी, जिसको नियंत्रण करना मुश्किल होगा। इससे हमें लगता है कि आपकी नीतियां क्या हैं। आप विनिवेश कर रहे हैं, यह विनिवेश नहीं, देश की सम्पत्ति की नीलामी है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं यह पहली सरकार है हिन्दुस्तान के अंदर जो देश की अचल सम्पत्ति को बेच रही है। चाहे फास्ट फूट के नाम पर हिन्दुस्ताान लीवर को सब जानते हैं कि उसकी केवल सम्पत्ति ही 500 करोड़ रुपए की है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो 125 करोड़ रुपए और बढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया उसे 125 करोड़ रुपय में बेचा गया।

सदन में बाल्को पर काफी चर्चा हुई। उसके एक हिस्से की ही कीमत 1300 करोड़ रुपय है। सब मिलाकर 4000 से 5000 करोड़ रुपये के लगभग उसकी सम्पत्ति होगी। बीमा निगम दुनिया का सबसे अच्छा निगम है। यह मुनाफे का निगम है, भ्रष्टाचार का इस पर दाग नहीं लगा। कुछ घन्नासेठ, बड़े लोगों के चंगुल से निकालकर यह बीमा कम्पनी गांवों में पहुंची थी। इसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा गांव के लोगों का है। उसको भी इस सरकार ने बेच दिया। यह सरकार लाभ वाले संस्थान बेच रही है, देश की नीलामी हो रही है। जितने भी सार्वजनिक निगम या सार्वजनिक संस्थान घाटे में चले रहे हैं, उनको नहीं बेच रही, क्योंकि उनको खरीदने वाला कोई नहीं है इसलिए मुनाफे के सरकारी संस्थान बेच रही है। इसलिए बेच रही है कि इनका बजट घाटे का है। राज्य सरकारें भी इतनी उत्साहित हैं, सोचती हैं कि विनिवेश हो जाए तो अपने बजट में प्रावधान करके घाटे का बजट पूरा कर दिया जाए। आप बताएं पिछले दस साल में कितना विकास हुआ है और इसका आम गरीब जनता को कितना लाभ पहुंचा है?

हम अब भी सदन के माध्यम से सरकार से अपील कर रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन से सबसे पहले खेती को निकाल दिया जाए। प्रावधान है कि छः महीने का नोटिस देकर निकाला जा सकता है। देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए मजबूती से काम करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा और कदम उठा रहे हैं।

इराक का उदाहरण मैं संदन के अंदर पेश कर रहा हूं। वहां दवा नहीं है, सुई नहीं है, मामूली कलम नहीं है लेकिन अपने देश के सम्मान के लिए साम्राज्यवादी पूंजीवादी देश के सामने झुक नहीं रहा है। ये हर जगह घुटने टेक रहे हैं। हमारे पूर्वजों की सम्पत्ति को किस तरह से बेचा जा रहा है। अरबों और खरबों की सम्पत्ति लगाकर इन संस्थानों को खड़ा किया गया था। वर्षों-वर्षों तक खड़ा किया था। विनिवेश कितना हुआ? विनिवेश दस साल से हुआ है तो कहा गया? इसके बारे में हाउस में बताना चाहिए और इसलिए बताना चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय के भाषण में आर्थिक उदारवादी नीति को कम से कम लाना चाहिए था। सरकार ने घाटे का कौन सा संस्थान बेचा है? सब लाभ के बेच रहे हैं। घाटे के संस्थान कोई खरीदने वाला नहीं है और जितना लक्ष्य था, क्या उतना विनिवेश हुआ है? मेरी जानकारी में 10 साल के अंदर केवल 41 फीसदी विनिवेश हुआ है। हमारे देश के जितने गरीब हैं, जितने कर्मचारी हैं, वे सब उदासीन हो रहे हैं। हमारी खेती का उत्पादन घटता जा रहा है। हमारी कृषि बर्बाद हो रही है, इसलिए यह विनिवेश नहीं है। यह देश की सम्पत्ति की नीलामी का ही सबसे बड़ा तरीका सरकार का है और सरकार कर रही है। आज आप देखेंगे कि हमारी दवाइयों के उद्योग, दवाईयों से लेकर बीमा कंपनी का मैंने बता ही दिया है, ये सारे विदेशियों के हाथों में जा रहे हैं जिसका परिणाम होगा कि कोई भी गरीब इतनी मंहगी दवा खरीदकर अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। हम लोग भी अपनी दवा करते हैं। अभी पीछे हमारा गला खराब हो गया था तो मैंने सोचा था कि यहीं पास की दुकान से दवा मंगा लेते हैं और 250-300 रुपये की दवा आ जाएगी। पता चला कि 95 रुपये का एक कैप्सूल है। मैं सच कह रहा हूं। मैं नहीं समझता था कि दवा इतनी मंहगी आएगी।

इस सरकार ने हल्दी को पटेंट करा दिया। हल्दी बहुत अच्छी एंटी-बॉयटिक दवा है। जब गांव में बच्चा पैदा होता था तो हमारी बहनें केवल हल्दी का ही हलवा खाकर अपने बुखार वगैरह का उपचार कर लेती थी। आखिर क्या मजबूरी है, कौन मजबूर कर रहा है हल्दी को पटेंट किये जाने में? उत्तर में आना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी थी कि आपने बासमती चावल कैसे पेटेंट करा दिया? नीम तो किसी तरह से बच गया। देश की अचल संपति को बेचने का इस सरकार ने इंतजाम कर दिया है। यह आर्थिक गुलामी नहीं होगी बल्कि राजनैतिक गुलामी इसी के सहारे आएगी और आती रही है। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश

को गुलाम किया था। हम लोग बार-बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि देश को बचाना होगा और देश को बचाने के लिए हम लोग खड़े हैं। अब सबसे बड़ा उपाय क्या है, बहाना क्या है कि जो भी देश में घटना हो गई, उसे आईएसआई का नाम दे दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस बहस में प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे? हम उनसे पूछना चाहेंगे कि भारत को आईएसआई चला रही है या आप चला रहे हैं? अगर कोई तोड़फोड़ हो जाती है तो कह दिया जाता है कि आईएसआई का काम है। अगर कहीं मामूली सा दंगा हो गया तो कह दिया जाता है कि आईएसआई का काम है। कहीं कोई रेल में बड़ी डकैती हो गई तो कह देते हैं कि आईएसआई का काम है। हर जगह आईएसआई कर रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश को आईएसआई चला रही है या यह सरकार चला रही है? अगर आईएसआई सारे काम कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों बैठे हैं? आपने कितने आईएसआई के लोगों को पकड़ा है? आप आईएसआई के बड़े से बड़े लोगों को हवाई जहाज में बिठाकर कांधार छोड़ आये। विदेश मंत्री उनको बिठाकर ले गये। इस सरकार ने तालिबान के सामने भी घुटने टेके। अब तालिबान को क्यों नहीं बोलते हैं? सब लोग कहां चले गये जो कहते थे कि हम बोलेंगे। जब तालिबान के सामने घुटने टेक चुके तो आपको पता चल गया।

सभापति महोदय, तालिबान बौद्ध मूर्तियों को नष्ट कर रहा है। हिन्दुस्तान में जितनी भी सरकारें आई हैं, उनमें सबसे ज्यादा यह कमजोर सरकार है। इतनी कमजोर सरकार आज तक हिन्दुस्तान मे नहीं आई। यह हम नहीं कहेंगे, हमारी उम्र कम है और प्रधान मंत्री जी के लिए हम और भी शब्द इस्तेमाल कर सकते थे। हम चाहेंगे, चन्द्रशेखर जी आप कह सकते हैं। आपके साथी हैं और आप कभी-कभी उनको गुरू भी मानते हैं। उनकी और आपकी उम्र में थोड़ा ही अन्तर है। आप कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री जी इतने कमजोर क्यों हैं और क्या निर्णय लेते हैं तथा आप उनको क्या सलाह देते हैं। देश को आप आईएसआई के नाम पर खड़ा करना चाहते हैं। हम युद्ध विराम के पक्षधर हैं और हमने उसका समर्थन किया है। आज सुबह बार-बार यह प्रश्न आया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हम युद्धविराम के पक्षधर हैं। महोदय, जब बंगलादेश नहीं बना था, तब भी हमने कहा था कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को एक होना चाहिए। यह नकली बंटवारा है। अगर एका नहीं हो सकता है, तो ढीलेढाले महासंघ में अच्छे रिश्ते हों। हम फिर कहना चाहते हैं कि हम युद्ध विराम के पक्षधर हैं, लेकिन देश के निर्दोष नागरिकों और सैनिकों की लगातार हत्याओं की कीमत पर नहीं। जब निर्दोष नागरिकों की हत्यायें होंगी और फौज के लोगों की हत्यायें होंगी, तो उनकी कीमत पर हम युद्धविराम के पक्ष में नहीं हैं। निर्दोष नागरिक मरते जायें और फौज मारी जाती रहे, फौजियों के कैम्प पर हमले होते रहें, तो इस कीमत पर हम युद्धविराम के पक्ष में नहीं हैं। हम शान्ति के पक्षधर हैं। पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए, वह हमारा पड़ोसी देश है, हम उनसे दोस्ती चाहते हैं। बंगलादेश से भी दोस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तीनों देशों का हित या खुशहाली इसमें है कि तीनों देशों में दोस्ती हो, लेकिन निर्दोष लोगों और फौजियों के कैम्प पर हमला करके युद्धविराम के पक्ष में नहीं है। क्या 5 लाख सैनिक और मरवा देंगे तब युद्ध विराम करेंगे। युद्धविराम कब तक रखना है, इस बारे में आप सोचिए। आप बड़े देशभक्त थे, पाकिस्तान के विरोधी थे और अगर हमने पाकिस्तान को आर्थिक मदद के लिये कह दिया, तो हमें पाकिस्तानी एजेंट करार कर दिया था। हम पाकिस्तान के एजेंट नहीं हैं। हमने बम्बई से कहा था कि पाकिस्तान हम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, पाकिस्तान दूसरे देश के हाथ में चला जाएगा। हमने यह भी कहा था कि हम पाकिस्तान को मदद देना चाहें, तो वह मदद के लिए इन्कार कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जनता स्वीकार करेगी कि मुसीबत में, गरीबी में, हिन्दुस्तान हमारा साथी है। एक वातावरण बनाने के लिए कहा था। यह सही है, कुर्सी पर बैठे हुए लोग हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचाने की चिन्ता है। चाहे हिन्दुस्तान में अटल जी की सरकार हो, जो भी गठबन्धन कर रहे हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान में चाहे परवेज मुशर्रफ हों, वे भी पूरे के पूरे हिन्दुस्तान को हिन्दुओं को गाली देने में लगे हुए हैं, ताकि उनकी कुर्सी कायम रहे। यहां प्रधान मंत्री जी लगे हुए, ताकि उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। ये कुर्सी पर बैठे हुए लोग भविष्य में कभी भी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होने देंगे।

जहां तक भूकम्प का प्रश्न है, गुजरात में भूकम्प आया, सारी दुनिया के लोगों ने मदद की। उन्होंने भी मदद की, जो हमारे दुश्मन हैं। सरकार के नेतृत्व का भी सीना चौड़ा होता है। और से दोस्ती करने का मौका भी आया था, मदद पर तत्काल उनको जवाब देना चाहिए था कि पाकिस्तान हमारा विरोधी है, उसने भी हमारी मदद की है और पाकिस्तान की जनता कभी भी इस तरह की मुसीबत में आएगी, तो हम भी दस गुना ज्यादा उनकी मदद करने के लिए खड़े हो जायेंगे। इसमें भी कोई कंजूसी करने में दिक्कत थी। अगर मुलायम सिंह कहें, तो महात्मा गांधी की रिवाल्वर तैयार रखी हुई है। सभापति जी, इस सरकार में बैठे लोगों को इस तरह की भावना है। हमने बम्बई में भाषण दिया, जिससे पाकिस्तान को धनी देश के हाथों में जाने से बचाया जा सके। लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तान से 1300 करोड़ रुपए की चीनी खरीद ली गई। चीनी किस से खरीदी, नवाज शरीफ के रिश्तेदारों की चीनी मिल से खरीदी। उनकी चीनी से ये चाय पी रहे हैं। आप कैसा वातावरण बना रहे हैं और वातावरण बनेगा कैसे? आप वातावरण बनाने की बात करते हो। आपका विश्व हिन्दू परिषद का नेता बोलता है कि पोप ने जो मदद की है, उसे वापस कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं। क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा सम्मान पा रहे हैं। क्या आपका नेता यह है? इसमें कितने मोटे अक्षरों में छपा है कि पोप की भूकम्प राहत ठुकरा देना चाहिए, सिंघल—ऐसा कहा है। हम नहीं जानते कि सिंघल कौन है।.....*(व्यवधान)* आप जानते होंगे। आप उनकी आरती करिए। हम नहीं जानते कि सिंघल कौन है। क्या यह अच्छा बयान है, क्या इसका खंडन किया? यह कहा है कि पोप ने जो मदद की है उसे वापस कर देना चाहिए। इसके पीछे मानसिकता क्या है? ये किस मानसिकता से कह रहे हैं और अगर पाकिस्तान मदद करता है तो उसकी तारीफ भी नहीं कर सकते हो—इससे वहां की जनता पर क्या असर पड़ेगा। लालबहादुर शास्त्री ने मामूली सी लड़ाई में "जय जवान, जय किसान" कह कर पूरे देश को खड़ा कर दिया और आप इस भूकम्प में भी, करगिल में भी देश को खड़ा नहीं कर पाए। आप इसलिए खड़ा नहीं

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कर सके, क्योंकि आप साम्प्रदायिकता की आग पर चढ़ कर सत्ता के ऊंचे पदों पर जा सकते हो, बड़े पदों पर बैठे सकते हो लेकिन आप हिन्दुस्तान के अंदर साम्प्रदायिक सदभाव या दुनिया के अंदर साम्प्रदायिक सदभाव से कुर्सी पर बैठ कर कभी ऐसा नहीं कर सकते हो। आप सत्ता ले गए, ठीक है। साम्प्रदायिकता की आग पर चढ़ कर ले गए। इसलिए आज हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि देश के सामने बहुत बड़ा संकट है और अब आपको इस संकट में तत्काल व्यापार संगठन से हट जाना चाहिए। किसानों को बचा लेना चाहिए और आपकी जो आर्थिक उदार नीति है, उसमें सभी को विश्वास में लेकर एक बार समीक्षा हो जानी चाहिए कि उससे देश को कितना लाभ हुआ है। कितने गांवों का विकास हुआ है।

अपराह्न 3.37 बजे

[श्री के. येरननायडू *पीठासीन हुए*]

आप शिक्षा को मंहगी करते चले जा रहे हैं, यह गरीब लोगों को पढ़ने से या शिक्षा लेने से वंचित करने का आपका पूरा षडयंत्र है। आप लगातार पाठयक्रम बदलते चले जा रहे हैं। किताबें चार गुना महंगी करते चले जा रहे हैं। आपने छात्रों की फीस कई गुना बढ़ा दी। इतिहास में और क्या-क्या लिखा जाएगा। आप इतिहास को बदलना चाहते हो। आप इतिहास को बदल कर इस देश में नफरत फैलाना चाहते हो। मुलायम सिंह जी को इतिहास में लिखवा रहे हो कि यह हिन्दू नहीं है, उसने अयोध्या में चिड़ियों की तरह हिन्दुओं को शूट किया है। ऐसा पढ़ाया जा रहा है। किताबों में यह पाठयक्रम जोड़ा जा रहा है। यह भाषण दिए जा रहे हैं कि आप मिलजुल कर सत्ता चला रहे हो। यहां जार्ज साहब इस समय नहीं हैं। पासवान जी को पता नहीं क्या हो गया है, वे क्यों सरकार के साथ हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि दस साल के जो आपके तथाकथित आर्थिक सुधारों की समीक्षा की जाए। आज जो आर्थिक नीति चल रही है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और सभी दलों के नेताओं को बैठा कर की जानी चाहिए। आप आम सहमति की बात करते हो और भाषण में धमकी देकर जाते हो। आप धमकी कैसे देते हो? हमें बड़ा आवश्चर्य हुआ, हमने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री जी से दो बार प्रार्थना की कि क्या हो गया, आप क्यों गुस्से में हो। हम तो आपकी बात सुनना चाहते हैं। आप हाउस में ऐसा वातावरण बनाना चाहते हो—हम तो प्रधानमंत्री जी की बात को सुनना चाहते हैं। वे अच्छा बोलते हैं। मैंने उनके ललकारने को भी देखा है और आगे भी देखूंगा। सच बात कहने पर सीधे से मुस्करा कर उसका खंडन कर देना चाहए, ऐसा लोगों ने आरोप नहीं लगाया है। इस तरह आप आम सहमति से देश कैसे चला सकते हैं। सरकार कहती है कि कश्मीर के आतंकवादी हमला नहीं करते हैं पाकिस्तान के आतंकवाद हमला करते हैं। वरिष्ठ मंजी जी और प्रधान मंत्री जी कह देते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी हमला करते हैं, कश्मीर के लोग हमला नहीं करते हैं। अगर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में हमला करते हैं तो क्या यह पाकिस्तान का हमला नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो यह क्या है? इसको आप क्या मानते हैं? अगर आप मानते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी हिन्दुस्तान पर हमला करते हैं तो वह पाकिस्तान ही हमला करता है ऐसा आप क्यों नहीं मान लेते हैं।

जब एटम बम का परीक्षण हुआ था तब तो आप बड़ी चुनौती देते थे कि समय तय कर लो, तारीख तय कर लो, स्थान तय कर लो—हमारा देश एटम बम वाला देश हो गया है। अब आपका एटम बम कहां गया? एटम बम से क्या पाकिस्तान डर गया?

यह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि बहुत अच्छी हो गयी है और पाकिस्तान की छवि बहुत खराब हुई है। अगर पाकिस्तान की छवि खराब हुई है तो क्या आप उसे आतंकवादी देश घोषित करा सके और अगर भारती की छवि अच्छी हुई हैं तो क्या आप भारत पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटवा सके? माननीय प्रधान मंत्री जी सुन रहे हों तो अच्छा है। आप अपनी छवि मत बनाइये। अगर आप कश्मीर की समस्या को, वहां के आम लोगों की समस्याओं को, सड़क और संचार की समस्या को अगर आप वहां की गरीबी व बेरोजगारी की समस्या को सुलझा लेंगे तो आपकी छवि खुद ही बन जाएगी। जिस कश्मीर के लोग जिन्ना के दो-राष्ट्र के सिद्धांत को ठुकराकर भारत के साथ रहना स्वीकार किया था अगर उनकी नजरों में आपकी छवि बन जाएगी, उसी दिन कश्मीर की जनता आतंकवाद को समाप्त कर देगी। आप आतंकवाद को मिटाने में नहीं अपनी छवि बनाने में लगे हैं। हम चाहते हैं कि आप किसानों के दिलों में अपनी छवि बनाओ लेकिन आपको चिंता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने की।

एक और भी प्रधानमंत्री ने अपनी छवि बनाई थी। जब हम विद्यार्थी थे तो चीन का आक्रमण हुआ और उनकी छवि ध्वस्त हो गयी। इसी तरह से यह भी अपनी छवि बनाने में लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के मजदूर, किसान, छात्र और कश्मीर की जनता के दिलों में कितनी आपकी छवि है। छवि नहीं है बल्कि आपको नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। सबको पता है कि आपकी कितनी छवि है, इसलिए चुनौती मत दो।

यह सही है कि पाकिस्तान अपने इरादों में सफल रहा है। उसने कहा था कि आतंकवादी प्रवेश करके कश्मीर में दबे हुए लोगों को आजाद कराना चाहते हैं। वह अपने इरादों में कामयाब है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या फैसला लेते हैं। हमें युद्ध-विराम के नाम पर बुला लिया गया लेकिन जब हमने पूछा तो कहा कि युद्ध-विराम के नाम पर बुलाया गया था। इनको बताना पड़ेगा कि युद्ध-विराम है या यह क्या है? इसके लिए इनका क्या टेक्नीकल शब्द है मैं नहीं जानता लेकिन जब यह कहते हैं कि युद्ध-विराम नहीं है तो यह क्या है? हम सभी नेताओं को तो युद्ध विराम के नाम पर ही बुलाया गया था।

मैंने पत्रकार मित्रों से कहा कि आज से युद्ध विराम शब्द का इस्तेमाल करना बंद करें। इसके लिए दूसरा कोई टेक्निक्ल शब्द ढूंढे। यह बात साफ नजर आ रही है कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के बीच गम्भीर मतभेद हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युद्ध विराम है और गृह मंत्री जी कहते हैं कि युद्ध विराम नहीं है। गृह मंत्री जी यह भी कहते हैं कि हम जानते और समझते हैं कि इस युद्ध विराम से पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। क्या यह बात अखबारों में नहीं छपी? आप चाहें तो इसका

खंडन भी कर सकते हैं लेकिन आप इसका क्या खंडन करेंगे? इससे जनता में क्या संदेश गया है? संदेश पहले दिन चला जाता है चाहे आप इस बारे में सफाई दें। यह एक पुराने परम्परा है। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो ऐसे बोल देते हैं और बाद में कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं। हम यह चीज रोजाना देखते हैं और इस बारे में जानते हैं। वह बाद में अपनी बात को बदल देते हैं। आप इस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? इसलिए मैंने कहा कि यह दिशाहीन सरकार है।

अब मैं महाकुम्भ के बारे में कहना चाहता हूं। जैसे मुसलमान हज के लिए मक्का-मदीना जाते हैं वैसे ही हिन्दू इलाहाबाद महाकुम्भ पर्व के समय जाते हैं। महाकुम्भ में धर्म संसद बैठी। उसने क्या-क्या फैसले किए? महाकुम्भ में बहुत से विदेशी आए और चले गए। हिन्दू इतनी बड़ी तादाद में इलाहाबाद में क्यों इकट्ठे होते हैं और इसकी क्या वजह है? पूरी दुनिया से बहुत से लोग वहां आए और उन्होंने कुम्भ मेल को देखा। महाकुम्भ की धर्म संसद में नफरत का बीजा बोया गया। वह धर्म संसद नहीं थी अधर्म संसद थी। उसने इलाहाबाद जैसे पवित्र शहर में महाकुम्भ पर्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है? इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं इसमें पड़ना नहीं चाहता लेकिन इसके प्रति लोगों की आस्था घटी है। वहां करोड़ों हिन्दुओं ने डुबकी लगाई। इससे क्या होता है? वहां कांग्रेस की नेता जो रोम में पैदा हुई वह भी गई। पता नहीं क्यों चली गई? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें भेजा? हमें पता चला कि उन्हें वहां भेजा गया जबकि प्रशासन मना करता रहा लेकिन कांग्रेस नेता की कोई गलती नहीं थी। हम नहीं मानते कि उनकी कोई कोई गलती थी। उन्हें कांग्रेस के नेताओं ने बताया नहीं कि महाकुम्भ में डुबकी लगाई जाती है लेकिन उन्होंने पानी छिड़क लिया। गांव में लोग कहते हैं कि किसी की मौत होने पर दूसरे लोगों पर पानी छिड़का जाता है। वह वहां गई और पानी छिड़काव लिया। आपने उन्हें बताया नहीं कि वहां डुबकी लगाई जाती है। पानी छिड़कने के बाद वह कहा गई और आशीर्वाद लेने कौन से शंकराचार्य के पास गई? वह उस शंकराचार्य के पास गई जिन्हें मैंने जेल भेजा। वह उनसे आशीर्वाद लेने गई। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपनी नीतियों को बदलें। आप दोनों एक हैं। क्या महाकुम्भ में उन्होंने ऐसा नहीं किया? उस शंकराचार्य ने साम्प्रदायिकता को भड़काया और अयोध्या में 1990 में देश की एकता को खतरा पहुंचाया। मैंने उन शंकराचार्य को मजबूरी में जेल भेजा। मैं उनकी इज्जत और सम्मान करता हूं। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। हम एक मंच पर दो बार जा चुके हैं और बोल चुके हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैंने स्पष्ट कहा था शंकराचार्य से देश बड़ा है। देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। मैं मजबूरी में उस समय चन्द्रशेखर जी को विश्वास में ले नहीं पाया। मैंने उन्हें चुपचाप गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। कांग्रेस की नेता उस शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : क्या आपने शंकराचार्य के कभी पैर नहीं छुए।

श्री मुलायम सिंह यादव : कभी नहीं छुए और कभी नहीं छुऊंगा। आप सब से कह दीजिए न छुए हैं और न ही छुऊंगा। हमारी शंकराचार्यों के प्रति पूरी आस्था एवं आदर है। कांग्रेसी मित्रों हमें ज्यादा बोलने के जिए मजबूर न करें कि कांग्रेस सरकार ने क्या-क्या काम किए? इस वजह से हमें आज तक दुख हो रहा है। आपने नीतियां बनाईं और ये इसे तेजी से लागू कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये वे नीतियां तेजी से लागू कर रहे हैं। आपकी नीतियों के बारे में हमें कुछ लोग कहते हैं कि आप पश्चाताप करते हैं तो हम चुप रह जाते हैं।

यदि ज्यादा सवाल करोगे तो यह कहूंगा कि आप पैर सिर पर रखवाते हो और पैर रखवाकर आशीर्वाद लेते हो। मेरी संतों और ऋषि मुनियों में बहुत आस्था है लेकिन हम पैर नहीं रखवायेंगे और न मैंने किसी शंकराचार्य के पैर छुये हैं। मेरे मन में शंकराचार्य के प्रति बहुत अच्छी राय है। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया है। यह हमारी भारतीय संस्कृति है जिसकी वजह से सभी धर्मों के लोग यहां पर स्थापित हैं। इसी कारण हमारा देश महान कहलाने लग गया। यह सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश था। लेकिन अब सरकार में बैठे भा.ज.पा. के कुछ लोगों ने क्या काम किया है? अब ये कहते हैं कि इस्लामीकरण का भारतीयकरण हो रहा है, यह क्या है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस्लामीकरण का भारतीयकरण करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कम से कम इस संघ परिवार का भारतीयकरण कर दो। क्या यह भारतीयकरण है? क्या आपने मुझे हिन्दू माना है? उस समय संघ परिवार ने 1990 में ऐलान किया था कि अयोध्या मंदिर में वही प्रवेश कर सकता है जो राम-भक्त हो—इसका क्या मतलब है? हमें राम भक्त होने का प्रमाण-पत्र कौन देगा? आप जानते हैं कि वे अयोध्या प्रकरण में हमारे कितना खिलाफ हैं? जब हम कहते थे कि हमसे दोस्ती कर लो और दोनों सम्प्रदाय मिलकर पंचायत कर लें या अदालत फैसला करे, तब कहते थे कि यह हमारी आस्था का सवाल है, हमारी भावनाओं का सवाल है। तब मजबूर होकर हमारी सरकार को गोली चलानी पड़ी तो आपने कहा कि सरयू में पानी नहीं खून बह रहा है। आप लोगों ने इतना बड़ा असत्य बोला। असत्य के प्रचार करने में आपसे कौन जीतेगा? हम जान गये और सारा देश जान गया कि आपने कितना बड़ा असत्य बोला। आपने सारी विश्व की मूर्तियों को एक साथ दूध पिला दिया। क्या मूर्तियां दूध पी लेती हैं? वह तो अच्छा हुआ कि वैज्ञानिकों और पत्रकारों ने अच्छा काम किया और कहा जब कोई खाना खाता है तो वह दिनचर्या भी करता होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि मूर्तियां कब दिनचर्या करती थी? कितना बड़ा पाखंड कितना बड़ा फरेब और कितना बड़ा मजाक इस देश के साथ किया गया है। क्या यह धर्म है? साम्प्रदायिक लोग कभी धार्मिक नहीं हो सकते हैं और धार्मिक लोग कभी साम्प्रदायिक नहीं हो सकते।

सभापति महोदय, मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब गौतम बुद्ध आये थे, क्या इस्लाम धर्म उस समय आया था? इस्लाम धर्म तो बहुत बाद में आया। उस समय जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, हिन्दू धर्म था। तालिबान जो कुछ कर रहे हैं, वह सब सरकार एवं देश के नेतृत्व की कमजोरियों की वजह से है, वे बीजेपी की नपुंसक सरकार की वजह

[श्री मुलायम सिंह यादव]

से कर रहे हैं। मैं इस सरकार के इस काम की घोर निन्दा करता हूं। आज भारत की एशिया में क्या इज्जत है, क्या सम्मान शेष रह गया है? आप जिसके पिछलग्गू बन कर फिर रहे हैं, उसके आसपास किसी की हिम्मत नहीं। वह अफगानिस्तान में मिसाइल छोड़ देता है। आपका क्या दबाव है और आपका दबाव हो भी कैसे सकता है? क्या आप गौतम बुद्ध को मानते हैं? क्या इसी देश के शंकराचार्य ने स्तूपों को गिराकर मंदिर नहीं बनवाये थे? जब आप गौतम बुद्ध को नहीं मानोगे, गांधी की हत्या करोगे तब तालिबान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वह आपकी बात मानेगा या दबाव सहेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र लिखे गये, क्या आपने उसे रुकवा लिया? हां, अगर आपकी ताकत होती, दबाव होता, हिन्दुस्तान का नेतृतव मजबूत होता तो तालिबान यह सब करने की हिम्मत नहीं करते। श्री चन्द्रशेखर जी ने जो कुछ कहा, मैं उनसे सहमत हूं। जिन्होंने यह बयान दिया कि तालिबान में जो हो रहा है, वह सही है, मैं उस बात को पसंद नहीं करता हूं। हम जानना चाहते हैं कि जब इस देश के अंदर अपने आपको हिन्दू कहलाने वाले लोग गांधी जी की हत्या कर सकते हैं, इस देश के लाखों लोग. हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग बौद्ध स्तूपों को गिराकर उन पर मन्दिर बनवा सकते हैं, कम से कम बीजेपी के साथियों इस बात की समीक्षा एवं चिन्तन कीजिये।

चूंकि ऐसा आपके यहां हुआ है, उसी को तालिबान करता है तो हम निंदा करते हैं। लेकिन हम फिर से स्वीकार करते हैं यह सब सरकार की कमजोरी की वजह से हुआ है। सरकार के कमजोर नेतृत्व की वजह से दुनिया में आपकी कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं है, यह तालिबान प्रकरण से साफ हो गया है। आप चिट्ठी लिखते हैं, आप बयान देते हैं, अगर आपमें हिम्मत होती तो तालिबान की घटना कभी नहीं हो सकती थी। अगर आपका काम ठीक होता है, आप गौतम बुद्ध को मानते होते, आप महात्मा गांधी की हत्या नहीं करते तो तालिबान ऐसा नहीं कर सकते थे। परम्पराएं कहां से डाली गई, आप पहले इसकी समीक्षा करें तथा गंभीरता से साचें और चिन्तन करें। तालिबान जो कुछ कर रहे हैं, वह बदले की भावना से नहीं हो रहा है। यदि वह ऐसा करते तो हम निंदा करते। अगर सरकार में हिम्मत हो तो आप उसे रोकें, हम आपका साथ देंगे तथा देश तालिबान की करतूतों के विरुद्ध कड़ा हो जायेगा। गौतम बुद्ध के हम समर्थक हैं। समाजवादी आंदोलन, समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित है। हम वे लोग हैं। हमारे देश के बारे में बोला जाता है कि यह गांधी का देश है, गौतम का देश है, लेकिन आपने दोनों को मिटाने का काम किया है। आप किस मुंह से तालिबान का विरोध करेंगे, तालिबान का विरोध समाजवादी लोग ही कर सकते हैं। आपकी क्या हिम्मत है। बीजेपी में नैतिक साहस नहीं है। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं और आज यह कहां हैं, क्या यह मामूली बात है। अयोध्या विवाद के बाद देश में गंभीर स्थिति पैदा हुई है, लेकिन उसका इस अभिभाषण में जिक्र क्यों नहीं किया गया, जबकि आपके लोग चुनौती दे रहे हैं कि अगले मार्च में हम मंदिर बनायेंगे। इस पर प्रधान मंत्री जी स्पष्ट बयान क्यों नहीं देते हैं। इस पर स्पष्ट कहने की जरूरत है कि आपकी राय क्या है, वह बतायें। जब वह यहां हस्तक्षेप करें तो बतायें, हम उनका भाषण सुनने के लिए आयेंगे। हम भले ही व्यस्त हैं। हमें पता चला है कि वह 13 तारीख को बोलेंगे। हम यहां रहेंगे, नहीं तो 13 तारीख को हम यहां नहीं रह पाते। चूंकि हम उन्हें सुनना चाहेंगे कि अयोध्या विवाद पर उनकी क्या राय है। बजरंग दल, विश्व हिन्दु परिषद और संघ परिवार चुनौती दे रहे हैं कि अगले मार्च में मंदिर बनेगा, इस पर वह बतायें कि उनकी क्या राय है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसे क्यों नहीं जोड़ा।

सभापति महोदय : जवाब 13 नहीं 12 मार्च को है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम चाहते हैं कि इसका उत्तर आना चाहिए। वैसे हमारा बोलने का मन नहीं था। मैं जानता था कि आज इस विषय पर बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपके निर्देश से हम सदन में कहना चाहते हैं कि इस देश का सौहार्दपूर्ण वातावरण, इस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा में जो आंतरिक अलगाव आज देश के अंदर कश्मीर से लेकर आसाम और अरुणाचल तक है, आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, यह आपके कमजोर नेतृत्व से साबित हो गया है। लाल किले पर हमला हुआ, आपके सैनिक मारे गये और उग्रवादी उन्हें मारकर सुरक्षित चले गये। उसके बाद आपने मुसलमानों पर गुस्सा निकाला, अलीगढ़ विश्वविद्यालय आई.एस.आई का अड्डा है, वहां के आई.जी. ने उसे बंद करने का आदेश दे दिया। नदवां में आई.एस.आई. का अड्डा बताया, जहां के छात्रों पर गोली चलवा दी और सात छात्रों को पकड़कर लाल किले पर ला रहे थे। आप देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप देश को एक नहीं रख सकते। आप देश को आर्थिक गुलामी से नहीं बचा सकते।

सभापति महोदय, कितने अफसोस की बात है कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और अमरीका के दबाव में आकर आज हिन्दुस्तान के किसानों के विरोध में कानून बनाये जा रहे हैं, जबकि विदेशों के किसानों के पक्ष में कानून बनाये जा रहे हैं। भारत में लोक सभा है। यह भारत की लोक सभा आज हमारे हिंदुस्तान के दबाव में नहीं रह गई हैं। यह आज विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विदेशी कंपनियों और अमरीका के दबाव में है। सरकार उनके दबाव में काम कर रही है। सरकार उन्हीं धनी देशों के पीछे-पीछे घूम रही है। क्या आप कहेंगे कि आप इनके खिलाफ हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पीछे रहना चाहते हैं—नहीं रहना चाहते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में साथ रहना चाहते हैं, बल्कि आगे भी चलना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भारत को कभी पिछलग्गू नहीं बनने देगी। आप पिछलग्गू हैं। आप नौकरों की तरह घूम रहे हैं। हम सैट्रल हॉल में देख रहे थे, अब अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आये थे तो आपके कुछ लोग उनके चरण स्पर्श करने को तैयार थे। श्रीमान जी, वे हम ही लोग थे जो पीछे खड़े हो गये थे, जब वह हॉल से निकल रहे थे। बहुत सारे लोग चरण स्पर्श करने को उत्सुक थे क्या यही है आपका आत्म-सम्मान।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : आगे वे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : ये भी थे, मैं इनके लिए भी कह रहा हूं। हम अपनी कुर्सी पर खड़े रहे कि जब निकल जायेंगे ताकि हम भी चले जायेंगे। लेकिन आप तो नतमस्तक थे, चरण छूने के लिए तत्पर थे—हम देख रहे थे।

अपराह्न 4 बजे

हम हम देख रहे थे। क्या यही है देश का सम्मान? भाजपा देश का सम्मान नहीं बचा सकती और न ही देश की सीमाओं के रक्षा नहीं कर सकते। आपने कारगिल को चुनाव का मुद्दा बनाया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने भारत माता की छाती पर ही युद्ध किया। हम भी रक्षा मंत्री थे। हमारे कहने से किसी को रात-रात नींद नहीं आती थी क्योंकि हमने साफ कह दिया था कि अगर हिन्दुस्तान की सीमाओं को किसी ने छू भी दिया तो लड़ाई दुश्मन की धरती पर होगी, भारत माता की धरती पर नहीं होगी। लेकिन आप अपने ही देश में लड़े, अपने ही नौजवानों को शहीद कराया और विजय दिवस मनाते हैं। हम जानते हैं कि आप क्यों मनाते हैं। आप असत्य के आधार पर ही देश को चलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी नीतियों को बदलना चाहिए, और सारे देश के नेताओं को विश्वास में लेकर एक मीटिंग बुलाने चाहिए और बैठक करके अपनी नीतियों को बदलना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से खेती को निकालना चाहिये, वरना हमारे देश के समाने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देश में सड़कों का विकास अगर नहीं होगा, कुछ दिनों के लिए अंधेरा भी होगा तो चलेगा, लेकिन देश के सम्मान, देश की एकता व सुरक्षा के लिए पूरा देश सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इसलिए सरकार अपनी नीतियों को बदले। आर्थिक दृष्टि से हमारा देश जितना कमजोर होगा, उतना ही बैंक, विदेशी कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव हमारे देश का पड़ेगा। यह धनी देशों का षडयंत्र है। वह किश्तों में पैसा लगा रहे हैं। हमारे बीच एक भले मंत्री राम नाईक जी बैठे हैं। वह अध्ययन कर बताएं कि क्या जितना लक्ष्य था, उतना यहां विनिवेश हुआ है? वह किश्तों में पैसा लगाते हैं, मुनाफा कमाते हैं और ले जाते हैं।

एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां कपड़ों का सारे का सारा व्यापार खत्म हो गया। समझौते के अनुसार हमारा 4 फीसदी सूती कपड़ा भी निर्यात नहीं हो रहा है—यह कपड़ा मंत्री जी बताएं। लोहा जो निर्यात होता था, उसमें 1300-1400 करोड़ रुपये का निर्यात कम हो गया। आप इन सबकी समीक्षा करिये और उसके बाद अपनी नीतियों को बदलने पर विचार करिये। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सदस्यता समाप्त कीजिए। छः महीने का नोटिस देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन से निकाला जा सकता है। अगर आप बहुत मजबूत हैं तो घाटे के संस्थानों को बेचना चाहिये। लेकिन आप मुनाफे वालों को बेच रहे हैं—मैं जानता हूं क्योंकि आपके घाटे वाले संस्थानों को कोई खरीदेगा नहीं। आप जीतकर आ गए हैं और पांच साल का कार्यकाल चलाना चाहते हैं। क्या आप लोक सभा को भी बेचेंगे? लोक सभा को बेचने की बात हम कहेंगे तो आप इसे कहेंगे कि असंसदीय भाषा है। हम विरोध करेंगे तो कहेंगे कि असंसदीय तरीके से भी विरोध करेंगे। देश को बचाने के लिए, फिर हमें पाठ नहीं पढ़ाना कि यह असंसदीय है, अमर्यादित है। हम देश की खातिर अमर्यादित होने के लिए भी तैयार हैं।

इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि नीतियों को बदलो और फिर दोहराएंगे कि किसानों को बचाइये, आर्थिक उदार नीति में 10 साल में क्या खोया या पाया इसकी समीक्षा कीजिये। छोटे-छोटे उद्योगों को बचाइये। घाटे के संस्थानों को कोई खरीद नहीं रहा मगर मुनाफे के संस्थानों को बचे रहे हैं। इसे बंद करो। हमारे पुरखों ने जो अरबों रुपये में तैयार किये थे, उनको मत बेचो। आपने देश की अचल संपत्ति को बेचकर देश को दुनिया के सामने सबसे ज्यादा नीचा देखने के लिए मजबूर किया है, इसलिए हम मानते हैं कि यह राष्ट्रपति जी का अभिभाषण असत्य का पुलिन्दा है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : सभापति जी, सर्वप्रथम मैं भारत के राष्ट्रपति जी को बधाई देता हूं। जिस समय देश का गौरव दांव पर लगा हुआ था, जिस समय देश के बड़े-बड़े लोग विदेशियों के सामने सजदा करने को तैयार थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति जी ने सारी दुनिया के सामने कहा कि विश्व एक गांव बन रहा है लेकिन हमने कभी यह स्वीकार नहीं किया था कि इस गांव का कोई मुखिया होगा।

उनके इस बयान की बड़ी आलोचना हुई थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने भी यह जरूरी नहीं समझा की उस समय भारत की राष्ट्रपति के सम्मान की रक्षा में वे एक बयान देती। विरोधी पक्ष के नेताओं ने भी उस पर मौन रहना ही श्रेयस्कर समझा क्योंकि उस समय दुनिया में एक नया सितारा उभरा।.....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उनमें हम नहीं थे।.....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : मैं नहीं जानता कि कौन था और कौन नहीं था। .....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह जानना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : आप नहीं थे तो अच्छा था लेकिन मैं समझता हूं कि देश की मर्यादा, देश का सम्मान और देश के गौरव की रक्षा किये बिना कोई भी आर्थिक और राजनीतिक नीतियां कारगर नहीं हो सकतीं। संसदीय जनतंत्र में राष्ट्रपति का एक प्रमुख स्थान है। दुनिया का कोई दूसरा राष्ट्रपति यहां आकर हमें यह सीख दे कि हमारी सीमाओं की रक्षा हमारे सैनिकों ने नहीं की, उनके आदेश के जरिये हुई तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी अपमान की बात और कोई नहीं होगी।

सभापति जी, जिस समय यह अभिभाषण संसद के केन्द्रीय कक्ष में पढ़ा जा रहा था, उस समय हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि उदारीकरण की नीति के पीछे हमारा मंतव्य देश में विकास होगा, समता होगी, गरीबों की जिंदगी में एक नया सवेरा आयेगा और सारी दुनिया में एक विकास की लहर दौड़ेगी। अभी श्री मुलायम सिंह जी ने कहा और यह बात सही

[श्री चन्द्रशेखर]

है कि आज 10 वर्षों से ये नीतियां हमारे देश में लागू हैं। आज से एक-डेढ़ साल पहले मैंने भारत के प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि नौ वर्ष व्यतीत गये, एक बार हमें बैठकर सोचना चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया। आज जो बहस हम कर रहे हैं, उस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिसको सरकार ने निश्चित किया है, बनाया है, उसमें जो कुछ लिखा गया है, उससे ऐसा लगता है कि देश का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। हमारे देश में जो भी सपने देखे गये थे, वे सब के सब केवल सपने बनकर रह गये। हमारे देश के छोटे उद्योग समाप्त हो गये और जो घरेलू उद्योग थे, उन्होंने हमेशा के लिए अंतिम सांस ले ली। हमारे लोगों ने 50 वर्षों में जो कारखाने अपनी दौलत से, अपनी सम्पत्ति से, अपने श्रम से बनाये थे, वे एक-एक करके बंद हो रहे हैं। सरकार के लोगों ने एक साल पहले यह ऐलान किया था कि हम 10 हजार करोड़ रुपये की पूंजी इन कारखानों की बेचेंगे।

यहां पर श्री मनोहर जोशी जी बैठे हुए हैं। इन लोगों ने या कुछ और लोगों ने विरोध किया हो परन्तु पूंजी बेचने का काम जोरों से चला। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत के प्रधान मंत्री को कभी यह वक्तव्य देते हुए मैंने नहीं सुना कि इन कारखानों को हम फिर से जागरूक करेंगे, इनमें फिर से नयी क्षमता लायेंगे। वे बार-बार यही कहते रहे कि विनिवेश का काम, डिसइन्वेस्टमैंट करने का काम और तेजी से होगा। उस दिन हमारे मित्र वित्त मंत्री जी भाषण दे रहे थे। वे भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि सारी कोशिशों के बावजूद, बेचने की कोशिश के बावजूद भी हम वह धन इकट्ठा नहीं कर सके। हमारा ही एक सौभाग्यशाली देश है जहां इसे बेचने के लिए एक मंत्री बनाया गया है। इसका नाम अंग्रेजी में है—डिसइन्वेस्टमैंट मिनिस्टर। श्री अरुण शौरी जी हमारे पुराने मित्र हैं। वे नवयुवक हैं और उनसे हमें बड़ी आशा थी। हमारे यहां गांव में कहा जाता है कि जो लड़का अपने बाप की जागीर बेचता है, उससे ज्यादा नालायक और कोई नहीं होता। यह नये लायक पैदा हुए हैं जो देश की जागीर को एक-एक करके बेच रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज का जिक्र अभी मुलायम सिंह जी ने किया। वे हमारे पुराने मित्र हैं। किस दर्द और पीड़ा के साथ उस कुर्सी पर बैठे होंगे, उसका अहसास मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी नौजवान देश की सीमा की रक्षा के लिए जान देता है, अगर उसके हाथ बंधे हुए हों, उसे काम करने और लड़ाई लड़ने के लिए पूरी सुविधा न हो तो उसके मन की कटोच भुलाई नहीं जा सकती। यह बात भी सही है कि हमारी सेना अनुशासनबद्ध है। यह भी सही है कि रक्षा मंत्री के आदेश पर हमारे साढ़े चार सौ नौजवान कारगिल में अपने को बलिदान कर सकते हैं।

लेकिन यह भी सही है कि हम अपनी सीमाओं को पार नहीं कर सके। उन जवानों की कुर्बानी देना हमें मंजूर हुआ क्योंकि सारी दुनिया कहती थी कि कारगिल की उन सीमाओं को पार करोगे, जो हमारी रेखा है, उसे पार करोगे तो और युद्ध हो जाएगा। जिस समय पोखरण में अणु का विस्फोट हुआ था, जार्ज साहब, आपको इत्तिला नहीं दी गई थी। मुझे मालूम है, आपके ही एक सहयोगी ने कहा था—कहां लड़ेगा पाकिस्तान, जगह और समय बताए, हम लड़ने को तैयार हैं। यह भूल गए थे कि वे भी हमारे ही घर के लोग हैं, अगर हम बेवकूफी कर सकते हैं तो वे भी बेवकूफी कर सकते हैं। हमने पांच अणु बम फोड़े, उन्होंने छः बम फोड़े। अब लड़ाई की बात भूल गए तो आप बस में चढ़कर लाहौर में समझौता करने के लिए दोड़े हुए गए। देश को चलाने का काम बच्चों का खेल नहीं है। जिस समय अणु का विस्फोट नहीं हुआ था, उस समय हम पाकिस्तान से पांच गुना बड़ी ताकत थे, अब हम दोनों बराबर ताकत वाले लोग हैं। वे हमको पहले बर्बाद कर देंगे या हम उनको पहले बर्बाद कर देंगे। जार्ज साहब यहां मौजूद हैं, तेज काम करने वाले हैं, शायद ये पहले उनको बर्बाद कर देंगे। लेकिन जब लाहौर पर बम गिरेगा तो क्या होगा। मैंने एक बार इसी सदन में कहा था कि उसका असर अमृतसर पर क्या होगा, यह हमें कभी सोचना चाहिए। उस बात को मैं नहीं कहना चाहता। बड़े जोरों से हौंसले बनाए जाते हैं, बड़े हौंसले से लोग लड़ते हैं लेकिन आपके एक कारनामें से सब मलियामेट हो जाता है।

आज कश्मीर में विराम संधि या विराम रेखा क्या है, मुझे नहीं मालूम। कौन विराम कर रहा है, विराम केवल अपने सैनिकों के लिए है, अपनी सेना को लिए है। रोज कत्ल हो रहे हैं। यही नहीं, नागालैंड में भी वही हो रहा है। वहां के लोगों से मेरी भी चर्चा होती है, चाहे वे फारुख अब्दुल्ला हो चाहे ज़मीर साहब हों। उनके दिलों पर क्या गुजरती है, उसका एहसास शायद और किसी को न हो, जार्ज साहब को जरूर होगा। बड़े अच्छे मौके पर आए हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कभी उन दिनों को याद कीजिए जब वे लोग आपकी ओर भरोसे की दृष्टि से देखते थे, वे समझते थे कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में न केवल अपनी रक्षा करेगा, दुनिया के गरीब देशों को यह भरोसा दे सकेगा कि अगर वे पीड़ा और दर्द में होंगे तो भारत उनकी सहायता के लिए खड़ा होगा। आज हम बेबस और लाचार लोग हैं। उन बातों का जिक्र मैंने शुरू में इसलिए किया कि जार्ज साहब को देखकर पुराने दिनों की बात याद आ गई। लेकिन आप अगर अपने देश की आर्थिक हालत को देखें तो यह पुलिन्दा, जिसे राष्ट्रपति जी ने एक घंटे में पढ़ा, लोगों को भ्रम में रखने वाला है। हम कितने दिनों भ्रम में रहने वाले हैं। कौन नहीं जानता कि पिछले दस वर्षों में, जब से यह नीतियां लागू हुई हैं, केवल यह सरकार नहीं, इससे पहले की सरकारों के दिनों से लेकर आज तक हमारे कितने लाखों छोटे उद्योग समाप्त हो गए। हमारे घरेलू उद्योग कहां गए, हमारे बुनकर, बढ़ई, लुहार, उनके हुनर का क्या हुआ, आदिवासी गांव की कलाकृतियां आज किस हालत में हैं। आखिरकार हिन्दुस्तान अंग्रेजों के आने से पहले दुनिया का धनी देश था। हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नहीं थीं, हमारे देश में खेती करने वाला किसान था, बड़े कलकारखाने नहीं थे लेकिन हुनर वाले लोग, गांव-गांव में फैले हुए लोग हमारे देश में जो दौलत पैदा करते थे, वही दुनिया के बाजारों में जाती थी। अचानक हमारे देश में एक बात फैलाई गई। जब अंग्रेजों से लड़ने के लिए महात्मा गांधी इस देश में आए तो गोखले ने उनसे कहा कि जाओ, गांवों में जाकर गांव वालों की ताकत को पहचानों और उससे जो प्रेरणा मिलेगी, उससे नया हिन्दुस्तान बनाने की शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी। गांधी जी ने गांव

की परम्परा को, गांव की इस शक्ति को परखा था, एक मुर्दा देश में उन्होंने नई, जान डाल दी थी और 1914 से लेकर 1942 तक गांव-गांव घूम कर गांधी जी ने एक शक्ति पैदा की, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ निहत्था देश खड़ा किया। 'करो या मरो' का नारा देने वाले गांधी, 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा देने वाले गांधी, शायद सरकार की फाइलों में उनका नाम न हो लेकिन आज हिन्दुस्तान के कण-कण में, हिन्दुस्तान के दिलों में यह आवाज गूंज रही है। वह आवाज केवल हिन्दुस्तान के दिलों में नहीं गूंज रही है, दुनिया के लोगों के बीच गूंज रही है। मुझे वह दिन याद आता है, जिस दिन गांधी जी की मौत हुई थी तो आइन्सटाइन ने कहा था कि एक दिन दुनिया के लोग सोचेंगे कि हाड़-मांस का ऐसा आदमी इसी धरती पर कभी चढ़ा था जिस धरती पर आज हम हैं।

उसी समय रोम्यां रोलां ने कहा था, कभी दुनिया अगर सोचेगी, मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति, इंसान की तहजीबों तमद्दुन कहां से शुरू हुई तो उसे एक ही देश याद आयेगा और वह देश है भारत, हिन्दुस्तान, दुनिया का दूसरा कोई देश नहीं है। ऐसे देश को गांधी ने मनोबल दिया था। 1991 में उस मनोबल को तोड़ने का काम हुआ और उस मनोबल को लगातार तोड़ने का काम आज भी हो रहा है। कहा जाता है कि हम बेबस लाचार लोग हैं, दुनिया के लोग दौलत नहीं देंगे तो हमारे देश का कुछ भी नहीं हो सकता। हमें किसलिए दौलत चाहिए, जो दौलत आई है, किसके लिए है। श्री जार्ज याद है, जब हमने और तुमने मिलकर कोकाकोला का 1977 में विरोध किया था और 77 लागू करने वाले जार्ज फर्नान्डीज आज पेप्सी और कोकाकोला की अगवानी का स्वागत करने वाले जार्ज बन गये हैं। हमें इस बात का दर्द होता है कि हमारी सेनाओं का इरादा ठीक है, हमारे किसान अपने बाहुबल से खेती करके अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारे मजदूर, चाहे वे किसी क्षेत्र में काम करते हों, मैं मानता हूं, उनमें कुछ गड़बड़ियां आईं, काम ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारे देश में जहां पहले सुई नहीं बनती थी, वहां 13 औद्योगिक देशों में भारत एक देश है। जार्ज, वह दिन याद है, जब आपने रेलवे की हड़ताल कराई थी। हमारे लाखों मजदूर इस देश के एक बार तैयार हो गये थे और वहीं मजदूर अगर बालको के मामले में इस बेच को स्वीकार नहीं करता तो आप सुप्रीम कोर्ट में आते हो, कम्पनी के गुमाशते बनकर इजाजत लेने के लिए कि उनके यहां फौज भेजी जाये, पुलिस भेजी जाये। वहां बन्दूक के बल पर, सत्ता के बल का काम करने के लिए मजबूर किया जाये। यह कम्पनी आपकी नहीं है, याद रखिये, वह कम्पनी देश के एक पूंजीपति की है। हमारे देश के पूंजीपति के मित्र ने वह सवाल उठाया था। पूंजीपति की ओर से भारत के डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर जाते हैं, हमें बताते हैं, कैसे देश चलता है। हमें बताते है कि कैसे फेवरेटिज्म का काम होता हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह से केन्द्र सरकार की सत्ता काम करती है। कहां गई भी केन्द्र सरकार की सत्ता जब हमारे कहे गये मिनिस्टरों के कहने के बावजूद आपके नौकरशाहों ने 1-1 करके जो मन में आया वह कर दिया। आप जितनी आलोचना कर लें, सोमनाथ चटर्जी जी के भाषण की, मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जब आपका एक सरकारी अधिकारी खुले आम बयान, साक्षात्कार देता है, अखबार में वह छपता है, जब आपकी पार्टी, जो प्रमुख पार्टी थी, उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव का मैम्बर पिछले दो महीनों से टी.वी. पर रोज प्राइम मिनिस्टर कार्यालय के कारनामों का जिक्र करता है, तो इन्फोर्मेशन मिनिस्ट्री कहां गई, सूचना विभाग कहां गया, पी.एम.ओ. कहां गया, उसका खंडन क्यों नहीं होता। अगर उसका खंडन नहीं होता तो हमारे मित्र सोमनाथ चटर्जी जी अगर उसका जिक्र करते हैं तो एक नौजवान गुस्सा दिखाते हैं। आप गुस्सा दिखाकर लोगों की आवाज दबा सकते हो, अपने बहुमत से यहां पर संसद में जो चाहो प्रस्ताव पास कर सकते हो, लेकिन याद रखो दोस्तों, कभी भी दुनिया में क्रान्तियां, दुनिया में अराजकता पार्लियामेंट के प्रस्तावों से नहीं होतीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से नहीं होती। उच्चतम न्यायालय के निर्णय रखे रह जाते हैं, पार्लियामेंट बैठी रहती है और लोग बगावत के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। आज जो बालको में हो रहा है, यह एक अशुभ संकेत हैं। एक मुख्यमंत्री अगर चुनौती देता है और आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं, आपको इस बात की निगाह नहीं आती कि आप पार्लियामेंट के सामने जाये, आप भारत सरकार की केबिनेट के सामने जायें और इस संसद के सामने आयें और कहें कि यह काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। एक दिन आयेगा जब यही उच्चतम न्यायालय आपको भी इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। एक दिन आयेगा जब यही उच्चतम न्यायालय आपके ऊपर भी प्रतिबन्ध लगा सकता है। सभापति जी, माफ कीजिएगा, आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मैंने भी इस संसद को काम करते हुए देखा है, एक बार नहीं, अनेक बार दर्जनों बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सम्मन्स को इस कुर्सी पर बैठे हुए लोगों ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। कहा गया है कि हम इसमें सीमित नहीं हैं। मैंने अध्यक्ष जी को लिखा है कि मैं ऐसा मानता हूं कि उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के अधिकार का, उसके कर्त्तव्य का निर्णय केवल पार्लियामेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट न उसको कम कर सकता है, न सुप्रीम कोर्ट उसको बढ़ा सकता है।

लेकिन आज उस कर्त्तव्य का निर्वाह कर सकने में असफल सरकार दिन-रात उसी तरफ निगाह लगाए बैठी है। लोगों को डरा रही है, जो देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं डरा, वह डर रहा है इस कानूनी दांव-पेंच से, यह कोई शुभ संकेत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा एक-एक करके जिस क्षेत्र में देखिए, कितने उद्योग बंद हुए, कहा गया कि केवल घाटे वाली कम्पनीज को बेचेंगे। दस हजार करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे। फिर कहा गया कि घाटे वाली कम्पनीज कोई खरीदने वाला नहीं इसलिए मुनाफे वाली कम्पनीज भी बेची जाएंगी। उस बारे में बयान दिया हमारे विनिवेश मंत्री जी ने, जो यहां पर अभी मौजूदा नहीं हैं। उसका समर्थन किया हमारे मित्र ने, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। यह क्या आपकी जागीर है! आज आप सरकार में हैं, कल चले जाओगे। जिन कम्पनीज को बेच दोगे, मान लीजिए अगर कल कोई दूसरा प्रधान मंत्री हुआ, कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आई, तो फिर क्या होगा इस देश का। कौन सा तमाशा खड़ा होगा। आज आप ऐसी नीतियां बना रहे हैं, जिससे गरीब देश की बेबसी और लाचारी बढ़े। आज इस देश को इस हालत में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार आज की सरकार की नीतियां हैं।

[श्री चन्द्रशेखर]

अभी कुछ दिन पहले आई वित्त आयोग की रिपोर्ट के ऊपर गरीब राज्यों के मुख्य मंत्री और अमीर राज्यों के मुख्य मंत्री एक दूसरे के सामने खड़े होकर चुनौती देने लगे। कभी हुआ है ऐसा, पिछले 50-52 वर्षों में यह आपकी बड़ी भारी कामयाबी है। हमारे मित्र मुलायम सिंह जी ने कहा कि आप अटल जी को गुरूदेव कहते हैं। मुझे उनको अब भी गुरूदेव कहने में कोई संकोच नहीं, लेकिन याद रखिए कभी द्रोणाचार्य के चरणों में बाण चलाने के लिए अर्जुन को मजबूर होना पड़ा था। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज कहां ले जा रहे देश को, देश को किस कठघरे में खड़ा करना चाहते हो? आज इस देश को खुलेआम विदेश के लोग बताते हैं कि हमें क्या कृषि नीति अपनानी चाहिए, हमें मजदूरों के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए। एक हजार मजदूर तक की कम्पनी बंद की जाएगी, सरकार से पूछा नहीं जाएगा। कहां गया शौर्य और कहा गया पराक्रम और कहा गया पुरुषार्थ, जो मजदूर नेता जार्ज फर्नांडीज था। मनोहर जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप जिम्मेदार हैं उन मजदूरों की जिन्दगी के लिए।

बैंकों का राष्ट्रीकरण करने में मेरा थोड़ा हाथ था। उस समय हमने कहा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए जरूरी है कि पूंजी गरीब इलाके से जा रही है अमीर इलाकों में, बड़े शहरों में चंद पूंजीपतियों के हाथों में, आंचलिक विषमता बढ़ रही हैं, उसको रोकने का उपाय यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में अनेक कमजोरियां आईं बैंक मजदूरों ने कुछ गलतियां कीं, भूलें कीं, कमियां की, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि जहां 14 परिवारों को बैंकों की पूंजी इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती थी, वहां लाखों लोगों की मदद बैंकों ने की। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए, पम्प खरीदने के लिए, हमारे छोटे दुकानदारों को दुकान बनाने के लिए। जो चंद हाथों में दौलत कैद थी, उसको उठाकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार के माध्यम से आपने इनको वहां पहुंचा दिया। आज बड़े उच्च आदर्शों की बात इसमें की गई है। मैं एक-एक पढ़कर सुनाना नहीं चाहता। आप शिक्षा देना चाहते हैं, आप गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते हैं, आप लोगों को बिजली देना चाहते हैं। कहां गए हमारे मित्र सुरेश प्रभु जी, वे जानते हैं कैसे बिजली कहां पर पहुंचेगी। जो आपकी नीतियां हैं, दो वर्षों के अंदर इस देश में चारों और केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। एनरान सिर्फ 30-35,000 करोड़ रुपय ही वसूल नहीं करेगा, शिवराज पाटिल जी, आपका राज्य इस मामले में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में हैं। उस समय हमारे एक मित्र ने दस्तखत किए थे और हमारे दूसरे गुरूदेव कह लीजिए, मित्र ने आपको एप्रूवल दी थी। लेकिन उस समय मैंने कहा था यह बर्बादी की ओर उठाया गया कदम है। आज सुरेश प्रभु जी के गले में वह पड़ा हुआ है। वहां महाराष्ट्र की सरकार कह रही है केन्द्र सरकार इसको ले ले, केन्द्र सरकार कहती है कि इसको लेकर बिजली पैदा करके सात रुपये अस्सी पैसे की यूनिट बिजली देंगे, कहां पर बेचोगे? धमकियां दी जाती हैं और धमकियां ही नहीं दी जातीं, आपने जो अनुबंध किया है, आपने जो कांट्रेक्ट किया है, शायद आप हुकूमत में नहीं रहेंगे, हम लोग संसद में नहीं रहेंगे, आने वाली संतानें इसको देने के लिए मजबूर होंगी। इन बातों को सोचकर मैंने सोचा कोई सुने या न सुने, मुझे अपनी आवाज उठानी चाहिए।

मुझे देश के लोगों को बताना चाहिए कि आप देश को कहा ले जा रहे हैं? इस देश में फीस बढ़ाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के लोग कह रहे हैं कि अगले पांच वर्षों में हम आपको कोई मदद नहीं देंगे। पांच या दस वर्षों में हर साल दस फीसदी फीस बढ़ाकर लोगों को कहते हैं कि अपना खर्चा खुद चलाइए। मैं इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी गया था। वहां का एक-एक नौजवान कह रहा था कि हमारे घर के लोग अपना पेट काटकर हमें यहां भेजते हैं और नौकरी आप दे नहीं सकते। मैं एक-एक बात सरकार से कहना चाहता हूं कि दस फीसदी छंटनी करोगे और आज आप वीआरएस चलाएंगे और 90,000 लोग बैंकों से कह रहे हैं कि हमें नौकरी से छुट्टी दे दो। आपका यह काननू कहां चला गया जब लोगों को एक कलम से हायर एंड फायर के अंदर जिसको चाहे रख दो और जिसे चाहो निकाल दो, वह पास कराने का काम आप इस संसद से करते हो। यहां बहस नहीं होती। शुक्ला जी और शिवराज पाटील जी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो आवाज उधर से निकलती है, उसी आवाज का समर्थन आप भी करते हो। हिन्दुस्तान की राजनीति में इससे दुर्भाग्यपूर्ण दिन और कोई नहीं आया था सब सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष दोनों की देश को बेचने के लिए एक राय हो। ऐसी हालत में मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आज जब गरीब का बेटा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा?

मुलायम सिंह जी आरक्षण के लिए लड़ते रहे कि आरक्षण होता रहे। जब नौकरी ही नहीं होंगी तो आरक्षण कहां से आएगा? जहां विदेशी कंपनियां आएंगी तो क्या आप उन पर आरक्षण का कानून लगा पाएंगे? वे अपने ऊपर आपका कोई प्रतिबंध मानने वाली नहीं हैं। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि इससे आगे क्या होगा? एक-एक करके हम लोग बड़े उद्योग बेचते जा रहे हैं। मैं केवल 'बालको' की बात नहीं करता। आज इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया के भी प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है और बड़े अभिमान के साथ देश को बेचने का काम यह सरकार कर रही है। मजदूरों के साथ वही विश्वासघात हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों के साथ भी वही हो रहा है। उन्हीं जैसा उनके साथ भी हो रहा है। 5 या 8 मिनिस्ट्री खत्म कर दी। अब मिनिस्ट्री खत्म होंगी या रहेंगी, यह फैसला कैबिनेट में आप नहीं करेंगे, यह फैसला वर्ल्ड बैंक करेगा, यह फैसला इंटरनेशनल मोनीटरी फंड करेगा। खुलेआम निर्देश आते हैं। अगर आप कहेंगे तो विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट दिखा सकता हूं जिनमें बताया गया है कि भारत में कितने लोगों की छंटनी करनी चाहिए, किस तरह से इकोनॉमिक व्यवस्था को निर्धारित करना चाहिए। सब चला गया तो अब नयी कृषि नीति बनेगी। हमारे मित्र वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि देश में पहली बार कृषि नीति बनी है। क्या वह भूल गये कि यहां जमींदारी एबोलिशन हुआ था। क्या वह भूल गये यहां पर को-आपरेटिव फॉर्मिंग के लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ था? क्या वह भूल गये कि ग्रीन रिवोल्यूशन के जमाने में सरकार ने कितनी बड़ी सम्पत्ति लगाई थी? सरकारी काम करने के तरीकों के विरुद्ध मैं रहा हूं लेकिन सारी गलतियों और सारी कमजोरियों के बावजूद मैं यह कहूंगा कि 1947 से लेकर 1990 तक इस देश में पूंजी बनाने का काम हुआ है

और 1991 के बाद पूंजी बेचने की शुरूआत हमने की है। इस बात को सुनकर कोई भी सरकार, कोई भी प्रधान मंत्री, कोई भी वित्त मंत्री या कोई भी विनिवेश मंत्री अभिमान के साथ गौरव के साथ कैसे बोल सकता है? आज इस संसद में यह हालत है तो देश की गरीब जनता का क्या मनोबल होगा? आप उनको कब तक भ्रम में रखेंगे? कब तक आप उन्हें भुलावे में रखेंगे? आज वह समाज भी जग रहा है। हम इस बात को आज इसलिए कहना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी, गरीब दलितों के मन में एक पीड़ा है, एक दर्द है। दलित और आदिवासियों के कितने लड़के और लड़कियां आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिनको आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से कहा गया था कि भगवान ने तुम्हें यही जीवन दिया है और तुम यही प्रारब्ध लेकर पैदा हुए हो। वे लड़के और लड़कियां आज इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया की क्रांति और इतिहास पढ़ा है। उन्होंने इंक्लाव क्या होता है, यह देखा है। उनके सामने वियतनाम है, क्यूबा हे, फ्रैंच रिवोल्यूशन है। उनके सामने रूस और चाइना की क्रांतियां हैं। उन्होंने देखा है कि यह कोई भगवान नहीं है। ये सब सरकारी नीतियां ही इन्हें गरीब बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसका नतीजा यह कि उसी के कारण वे आज के इतिहास पर अपने कदम रखना चाहते हैं।

आप अपने अधिकार मांगते हैं। हमारे लिए एक ही रास्ता है, ऊंची आवाज सुनकर उसके मुताबिक नीतियां बनाओ या संसद में बैठे हुए मित्रों याद करो, आपके प्रस्तावों के जरिए राज सत्ता से सहारे उनकी भावनाओं को दबाओ। यदि रखिए, इंसान का दिमागी परिन्दा कभी कफन में कैद नहीं होता। मानव चेतना को कोई बन्दी नहीं बना सकता। भूख की पीड़ा से उपजी हुई आग बड़े-बड़े महलों को जला देती है। कहीं यह आग जला न जाए संसद भवन, कहीं जला न जाए भारत का यह सारा ढकोसला, कहीं जला न जाए पीएमओ में बैठे हुए राज नेता और नौकरशाह । मैं इसलिए चेतावती देने आया हूं। मैं दुनिया के लोगों को चेतावनी देता हूं, जो इस देश के पर कब्जा करने के लिए तरह-तरह के आंकड़े लगा रहे हैं। एक बार आई थी ईस्ट इंडिया कम्पनी, बाहर से फौज लेकर नहीं आई थी। यहां भाई-भाई को आपस में लड़ा दिया, हिन्दू-मुसलमान को लड़ा दिया, सिक्स-मराठा को लड़ा दिया और यहां काबिज हो गए। आज एक इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया कम्पनी नहीं, 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ों का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आज हम नारा दे रहे हैं—अंग्रेज, जर्मनी, जापानी, कनैडियन, अमेरिकन जो चाहे आओ, सब के लिए दरबाजे खुले हैं। सभापति जी, बड़ी बेदर्द है यह दुनिया। कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता है, सब अपने फायदे के लिए आते हैं। गरीबों का शोषण करने के लिए आते हैं। गरीबों को लूटने के लिए आते हैं। जो पूंजी लगाएगा, दस रुपए लगाएगा, तो बीस रुपए ले जाने के लिए आएगा। आज बड़े जोरों से भाषण हो रहे हैं, लिखा जा रहा है कि हमने बड़ी तरक्की की है। हमारे पास बहुत पैसा रिजर्व बैंक में फौरन एक्सजेंच का हो गया है। मैं इस बात को बार-बार सुनता रहा कि चन्द्रशेखर जी ने सोने को गिरवी रख दिया। मैंने तो चार महीने में कर्जा नहीं लिया था, लेकिन सोना जरूर गिरवी रखा था। पहले के लोगों ने कर्जा लिया था, लेकिन उनका कोई अपराध नहीं है। नीतियां गलत थी, यह दूसरी बात है। किस लिए सोना गिरवी रखा गया, इस पर सवाल उठ सकता है। हमारे गांवों में गरीब औरतें रहती हैं और कहती हैं कि हमारा पति इतना निकम्मा निकला कि हमारा गहना गिरवी रख दिया, वैसे ही राजनेता सोने को गिरवी रख दिए हैं और विलाप करते हैं। ये विलाप करके क्या करते हैं। देश की इज्जत बड़ी थी या देश का सोना बड़ा था। अगर देश की इज्जत बड़ी थी, तो देश का सोना गिरवी रखा जा सकता था। अब आप सोना ही गिरवी नहीं रख रहे हो, आप जमीन को बेच रहे हो। आपने कहा है कि किसानों की जमीन को बड़े पूंजपतियों के हाथ में, चाहे वे हिन्दुस्तानी हों या विदेशी, लीज पर दी जा सकती है और वे बड़े-बड़े फार्म बना सकते हैं तथा वहां मशीनों के जरिए खेती होगी। दूसरी तरफ हमारे शान्ता कुमार जी का बयान कि हमारे पास अनाज रखने की जगह नहीं है। मैं सुना करता था, पढ़ा करता था कि अमरीका के लोग अपने अनाज को समुद्र में डुबा देते हैं, खड़ी फसल को जला देते हैं, लेकिन आप अपने अनाज को सड़ा रहे हैं और दूसरी और कालाहान्डी में लोग भूख से तड़प-तड़प के मर रहे हैं। यह देश को चलाने का तरीका है? अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, गुजरात में जो कुछ हुआ, अगर कोई आवाज उठाता है, मान लीजिए कोई गलत आवाज उठाता है, तो हमारे प्रधान मंत्री का सारा पौरुष जाग उठता है। मैं उस दिन यहां नहीं था। एक वरिष्ठ सांसद को कहते हैं कि मैं कठघरे में खड़ा करूंगा। प्रधान मंत्री जी आप कठघरे में खड़े हैं। आपको कठघरे में खड़ा किया है, आपके सरकारी नौकरों ने, जो अखबारों को बयान देते हैं। आपको कठघरे में खड़ा किया है, आपकी नेशनल एक्जीक्यूटिव के मैम्बर ने। जो रोज-रोज बयान दे रहे हैं अखबरों में नहीं, टीवी के जरिए और सारा देश सुन रहा है। महिला दिवस पर महिला सदस्य कर रही थी, जो सदन में अभी नहीं है, कि अटल जी ने महिला दिवस पर बड़ा भारी काम किया है, इसलिए उनको नोबल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इधर मैं सुनता था, सीज फायर हो रहा है और हमारे नौजवानों को मौत के घाट उतारने के लिए छोड़ दिया है, ताकि दुनिया के लोगों को हम कह सकें कि पाकिस्तान दुश्मन है शांति का और हम शांति के पैगम्बर हैं और हमें शांति के लिए बड़ा पीस नोबल प्राइस मिलना चाहिए। कहां गए, अफगानिस्तान के बुराहानुद्दीन।

अमेरिका की दो एम्बेसीस को उड़ा दिया। उसके जहाज को ध्वस्त कर दिया। उसके ऊपर अगर इनका मिसाइल नहीं चला तो आपकी मदद के लिए अमेरिकन मिसाइल कारगर नहीं होगी। हमारे मित्र विदेश मंत्री हैं, जिसके जरिए वे बात करते थे और आपको भी आश्वासन देते थे। वे अब नहीं रहे, कहीं चले गए। डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता, कोई प्रणाम नहीं करता। डूबते हुए सूरज को प्रणाम करके गये सवेरे की ख्वाहिश करने वाले लोग देश को नहीं चला सकते।

महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति जी के पद की गरिमा को इस अभिभाषण से कम करने की कोशिश की गई है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि राष्ट्रपति जी ने समय-समय पर राष्ट्र को चेतावनी देकर अपने पद की गरिमा ही नहीं रखी, बल्कि राष्ट्र की बड़ी सेवा की है। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि "मत आंख मिचौनी खेलो, मत दुनिया को भ्रम में डालो, मत भारत के लोगों को भूल-भूलैया में डालो।" बुरे दिनों में साथ मिल कर काम करने की जरूरत है और लोगों को सही बातें बताने की जरूरत है। इसलिए मैंने विवश होकर अपनी भावनाएं इस समय आपके सामने कहीं हैं। धन्यवाद।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां आया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव पर बोलने के दौरान सरकार का जो सराहनीय कार्य है, उनके लिए हम जरूर धन्यवाद देंगे लेकिन सरकार के कुछ ऐसे कार्य भी हैं, जिनमें कोई दिशा नहीं है, कोई उचित मार्गदर्शन नहीं है, उनकी हम आलोचना भी करेंगे।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ऐसे मुद्दों का उल्लेख है, जिन पर हमें गौर करना चाहिए और जिसके लिए हमें सरकार को बधाई देनी चाहिए। कम्युनल टेंशन के बारे में इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। मुझे आंकड़े तो मालूम नहीं हैं, लेकिन विगत 52-53 सालों के दौरान, जब से अटल जी ने देश का कार्य-भार संभाला है, प्रधान मंत्री बने हैं, इन तीन सालों में हमें ऐसा लगता है कि कम्युनल डिस्टरबेंसेस में काफी कमी हुई है। वैसे कहने वाले बहुत तो कहते हैं, लेकिन आप देखिए कि इस देश में पिछले सालों में हुए दंगों में जहां हजारों लोगों की मौतें हुई हैं, कितने बड़े-बड़े दंगे हुए, इन तीन सालों के दौरान ऐसा कोई भी दंगा नहीं हुआ है, जिसमें सौ लोगों की मौतें भी हुई हों या लोगों की सम्पत्ति बर्बाद हुई हो। इधर-उधर कुछ छिट-पुट घटनाएं हुई हैं।

महोदय, यह विशाल देश है, यहां तरह-तरह के लोग रहते हैं। हर धर्म, सम्प्रदाय के लोग रहते हैं। यह स्वाभाविक है कि इतने बड़े देश में, जहां सौ करोड़ से ज्यादा आबादी है वहां ऐसी कुछ घटनाएं घटें। अभी काफी वक्ता कश्मीर में युद्ध विराम के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसी भी समालोचना हो रही है कि अटल जी का सम्मान बढ़ाने के लिए विश्व में युद्ध विराम का फैसला सरकार बार-बार कर रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि अटल जी की गरिमा तो वैसे ही बढ़ी हुई है। उस गरिमा को और बढ़ाने के लिए ही युद्ध विराम का फैसला सरकार नहीं कर रही है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और उस समय जब श्री मलहोत्रा जी अपना प्रस्ताव आगत कर रहे थे, प्रधान मंत्री जी की जो परिकल्पना थी कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरे राष्ट्र को जोड़ना होगा और इसके लिए संचार और सड़क निर्माण की जो योजना प्रधान मंत्री जी की थी तो वह केवल सड़क और संचार का सवाल नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र को जोड़ने की भावना इसमें समाहित है। इसलिए उनके इस कार्यक्रम को हम पूरा-पूरा समर्थन देते हैं।

बजट के दिन राजस्व मंत्री जी ने आगत किया कि जो कृषि पर डब्ल्यू.टी.ओ का भंयकर प्रभाव है, उसको चैक करने के लिए आयात ड्यूटी में काफी बढ़ोत्तरी की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस फैसले के अच्छे आसार किसानों के लिए होंगे और उनका भला होगा।

सभापति जी, सरकार के कुछ कदम बहुत अच्छे हैं। गुजरात के भूकम्प के बारे में इस सत्र में भी सरकार की बहुत आलोचना हो चुकी है। गुजरात के भूकम्प में मरने वाले लोगों के प्रति पूरे देश और विश्व को सहानुभूमि है। हम चाहते हैं कि गुजरात के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए क्योंकि पिछले 50 सालों में इस देश में इतना बड़ा भूकम्प कभी नहीं आया। हजारों लोग मरे हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं और इस स्थिति से उबरने के लिए गुजरात के लोगों को पूरी मदद मिलनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ देश के अन्य प्रांतों में भी जहां पर प्राकृतिक आपदाएं आयी हैं उनको भी हमें भुलाना नहीं चाहिए।

सभापति महोदय, डेढ़ साल पहले उड़ीसा में चक्रवात आया था और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से दस हजार से भी ज्यादा लोग मरे लेकिन गैर-सरकारी हिसाब से मरने वालों की संख्या 25 हजार से ज्यादा है। सौ से ज्यादा गांव समुद्र में विलीन हो गये। जो लोग गुजरात में मरे वे बिग-अपार्टमेंट्स में रहने वाले थे लेकिन जो लोग उड़ीसा के चक्रवात में मरे, वे समुद्र के किनारे रहने वाले गरीब लोग थे जिनके नाम वोटर लिस्ट तक में नहीं थे। इसलिए सरकारी आंकड़े ठीक नहीं हो सकते हैं। जब चक्रवात आया तो उड़ीसा के लिए बहुत मदद आई, इसके लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं लेकिन उड़ीसा के लिए ब्लैंक-चैक इश्यू नहीं किया गया। दो-तिहाई उड़ीसा तबाह हो गया। सभापति महोदय, उड़ीसा की आर्थिक स्थिति आपको मालूम ही है। आज उड़ीसा 20 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा के लोन-ऋण से घिरा हुआ है। हर साल 2900 करोड़ रुपया उड़ीसा सरकार को अपने मूल और ब्याज का देना होगा। आज अपने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उड़ीसा सरकार के पास पैसा नहीं है। जब हमने उड़ीसा के लिए ज्यादा पैसा मांगा तो हमसे कहा गया कि भारत सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

सभापति जी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि गुजरात सरकार को और ज्यादा मदद देनी चाहिए लेकिन उड़ीसा जैसे राज्य की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

कभी-कभी मन में यह भावना पैदा होती है कि इस देश में क्या दो प्रकार का व्यवहार होता है यह एक राष्ट्रीय सरकार हैं। सरकार हर प्रान्त के लोगों को समान दृष्टि से देखे। यहां आठ लाख मकान पूरी तरह टूटे और बिखर गए।

[अनुवाद]

हमें केवल तीन लाख मकान बनाने के लिए सहायता मिली। उड़ीसा सरकार शेष मकानों को कैसे बनाएगी?

[हिन्दी]

डेढ़ साल हो गया है, अभी भी चक्रवात से प्रभावित हजारों लोग खुले आकाश के नीचे रहते हैं। वहां पिछले साल चक्रवात आया और इस साल सूखा पड़ा है। उड़ीसा सरकार को मेगा प्लांट के लिए 70 करोड़ रुपए की जरूरत थी लेकिन केवल साढ़े चार करोड़ रुपए मिले और 50 हजार रुपए एन.पी.ए. के लिए मिले। इसके अलावा उसे हर माह के लिए 16 हजार मीट्रिक टन चावल, 4100 मीट्रिक टन गेहूं मिला और वह केवल तीन महीने के लिए मिला। फूड फॉर वर्क के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स कम्पोनैंट के तौर पर मिले। जिस राज्य सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था उसके पास फूड फॉर वर्क के लिए कैश कम्पोनैंट्स कहां से आएंगे? पूरे देश के लोगों का सरकार को ख्याल करना चाहिए।

किसानों के बारे में काफी चर्चा यहां हुई। अनेक प्रान्तों के यहां प्रतिनिधि हैं। उन्होंने डिसट्रैस सेल के बारे में सवाल उठाया। आपकी स्टेट में डिसट्रेस सेल हुआ और उड़ीसा में भी हुआ। मुझे चन्द्रशेखर जी की बात से ताज्जुब हुआ। कालाहंडी में भुखमरी की रिपोर्टें आ रही हैं। अभी भी उड़ीसा के कई इलाके ऐसे हैं जहां धान की पैदावार हुई लेकिन वह बिक नहीं रही है। यह कैसा सिस्टम चल रहा है? मैं किसी प्रान्त के खिलाफ बोलना नहीं चाहता लेकिन सरकार किस दिशा में चल रही है? पंजाब के किसानों का गेहूं बाजार में बिका नहीं। इससे पंजाब के किसानों को नुकसान हुआ। आपने 300 करोड़ रुपय का घाटा पूरा किया। आपने तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के किसानों के नुकसान की भरपाई क्यों नहीं की? क्या आप उन्हें मुआवजा देंगे? अगर सरकार हर डिसिजन पॉलिटिकल कम्पलशन से करेगी तो यह सरकार और देश कैसे चलेगा? मेरी समझ में यह बात नहीं आती है।

11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लीजिए। अभी इस पर कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी। कुछ बैकवर्ड स्टेट्स को 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में आशाएं पैदा हुई हैं। मैं फिर उड़ीसा की मिसाल देना चाहता हूं। वहां साढ़े छः करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

[अनुवाद]

ग्यारहवें वित्त आयोग की गलत सिफारिश, गलत गणना के कारण।

[हिन्दी]

पेंशन के बारे में गलत आंकड़े लगाए। रिपेमेंट हुआ नहीं। इंटरस्ट से मिलने वाले पैसों के भी गलत आंकड़े लगाए गए। हमारे यहां की सरकार इस बारे में चिल्लाई और उसने मैमोरंडम दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

मुझे याद है कि पिछले सत्र में कोल के बारे में सदन में चर्चा हुई थी। भारत वर्ष में जितना कोल का रिजर्व है उसका 24 परसैंट उड़ीसा में है। पहले सबसे ज्यादा रिजर्व बिहार में था लेकिन अब वह झारखंड में है। आपने पिछले सात साल में कोल रायल्टी का रिविजन नहीं किया। ऐसा लगने लगा है क्योंकि ज्यादा कोल का रिजर्व बिहार में था।

शायद लालू प्रसाद ताकतवर बन जायेंगे, बिहार को कोल के लिये ज्यादा पैसा मिल सकता है। आपने रिवीजन नहीं किया। अब तो झारखंड में कोल माइन्स हैं और लालू प्रसाद के चंगुल से मुक्त कर दिया है, तब रॉयल्टी क्यों नहीं देते हो?

[अनुवाद]

उड़ीसा राज्य को कोयले की रायल्टी से लगभग 180 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है क्योंकि यहां कोयले की रायल्टी का संशोधन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

यह नहीं कि बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़े हुये हैं, और भी कई राज्य हैं जहां ऐसी खनिज सम्पदा मौजूद है। क्या आप उनकी मदद नहीं करोगे? क्या पौलिटिकल कंसीड्रेशन का डिसीजन लेंगे और उनका जो हक है, वह नहीं देंगे।

[अनुवाद]

आप राष्ट्र का एकसमान विकास नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

आप रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह अपना रवैया स्पष्ट करें।

सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में स्वतंत्र राज्य बनाने का जिक्र है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्यों का निर्माण हुआ। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिये।

[अनुवाद]

आपने तीन राज्यों का गठन किया है परन्तु देश के अन्य राज्यों पर इसके आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या हैं?

[हिन्दी]

मैं उड़ीसा राज्य से आता हूं जिसके एक तरफ झारखंड राज्य है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ राज्य है। छोटे छोटे राज्य बनने से पौलिटिकल इम्पलीकेशन हो रहा है, इसके बारे में सरकार को गौर करना चाहिये।

[अनुवाद]

सरकार को अन्य राज्यों पर इसके प्रभाव पर ध्यान देना पड़ता है।

[हिन्दी]

आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उड़ीसा में कोस्टल राज्य बनाये जाने का आन्दोलन शुरू हो गया है। सभापति महोदय, आपका राज्य भी इस आन्दोलन से मुक्त नहीं रहा। वहां तेलंगाना राज्य का आन्दोलन काफी समय तक चला और

[अनुवाद]

अब लोगों ने एक अलग राज्य 'कोस्टल राज्य' गठित करने की मांग की है जो कि छत्तीसगढ़ के साथ लगता है। इसका उड़ीसा पर तत्काल राजनीतिक प्रभाव है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस बारे में गंभीरता से सोचे। मुझे याद है कि जब इस सदन में झारखंड राज्य बनाये जाने के लिये बिल पारित किया गया था तो हमने उस समय कहा था कि सरायकेला और खरसांवा उड़ीसा राज्य को दे दो। अभी गृह मंत्री जी यहां नहीं बैठे हैं लेकिन उन्होंने जवाब देते समय कहा था कि जब झारखंड प्रदेश बन जायगा तो

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार इस मामले को निपटाने के लिए उड़ीसा सरकार और नवसृजित झारखंड राज्य के बीच बातचीत शुरू कराने के लिए पहल करेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से विशेषरूप से, गृह मंत्री से अपील

[श्री प्रसन्न आचार्य]

करता हूं कि अब समय आ गया है कि सरायकेला और खरसावा की आधी शताब्दी पुरानी समस्या का निपटारा करने के लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के बीच बातचीत शुरू कराने के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : जैसा कि आपने जिक्र किया है यह झारखंड है न कि छत्तीसगढ़।

श्री प्रसन्न आचार्य : हां, पहले यह बिहार में था और अब यह झारखंड में है। इसलिए, उड़ीसा सरकार और अन्य सरकार के बीच बातचीत शुरू की जानी चाहिए और भारत सरकार को यह चर्चा आरंभ करनी चाहिए।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : यह सही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री प्रसन्न आचार्य : सभापति महोदय, मुझे मालूम नहीं आज सुबह जीरो ऑवर में काफी महिला सदस्यों ने वूमैन रिजर्वेशन बिल के लिए अपनी आवाज उठाई। अब बाहर दुनिया के लोग भी हम पर हंसने लगे हैं कि हर सत्र में इस बिल के बारे में हम चर्चा करते हैं और यह फैसला करते हैं कि इस बिल को हम पारित नहीं होने देंगे। इस पर सरकार में जो सिन्सेरिटी है वह मुझे मालूम नहीं।

[अनुवाद]

विपक्ष कितना ईमानदार है। परन्तु कम से कम सरकार को इस सत्र में अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए और महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। विधेयक पर पूर्वरूप से चर्चा की जानी चाहिए और सरकार द्वारा इसी सत्र में इसे सदन में पास कराने हेतु पहल जानी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, मैं केवल एक बात फिर से दोहराना चाहता हूं कि उड़ीसा भारत का सबसे गरीब राज्य है, पहले बिहार होता था।

[अनुवाद]

महोदय, हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत उड़ीसा राज्य में है। यह 47 प्रतिशत है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट वास्तव में चौकाने वाली है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे गरीब राज्य की सहायता की जाए जहां वित्तीय संकट के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है।

[हिन्दी]

अगर केन्द्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो इस देश में रीजनल इम्बैलेन्स बढ़ेगा, इस देश की ग्रोथ, प्रगति ठीक ढंग से नहीं हो पायेगी। मेरा केन्द्र सरकार से एक निवेदन और है कि हर डिसीजन को पोलिटीकल कंसीडरेशन पर न लें। यह एक गलत परम्परा है। जिस देश का प्रधान मंत्री अटल जी सरीखा आदमी हो। जो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं है, इस देश के प्रधान मंत्री ही नहीं है, बल्कि वह इस राष्ट्र के सर्वोत्तम नेता हैं। उनके प्रधानमंत्रित्व के तले ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे यहां दुख के साथ कहना होता है कि केन्द्र सरकार में ऐसे भी मंत्री हैं जो अपने डिसीजन के जरिये, अपने कार्यों के जरिये अपना नेशनल कन्सेप्शन, अपना नेशनल आउटलुक नहीं दिखा सकते हैं।

[अनुवाद]

महोदय, वे राष्ट्रीय स्वरूप और दृष्टिकोण को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं एक राज्य विशेष का नागरिक हूं और एक मंत्रालय विशेष का प्रभारी हूं, तो क्या मेरे मंत्रालय के अधीन सब कुछ मेरे राज्य में ही जाना चाहिए? यदि संचार मंत्री उड़ीसा के हैं तो क्या संचार मंत्रालय के अधीन सब कुछ केवल उड़ीसा को ही दिया जाना चाहिए? यदि रेल मंत्री आन्ध्र प्रदेश के हैं, तो क्या रेल मंत्रालय के अधीन सब कुछ केवल आन्ध्र प्रदेश को ही दिया जाना चाहिए?.....*(व्यवधान)* इससे बहुत खतरनाक मानसिकता का पता चलता है। ऐसा दृष्टिकोण सरकार के स्वरूप को सही रूप से प्रदर्शित नहीं करता है। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। हमारा दल भी सरकार में शामिल है। परन्तु वास्तव में आज क्या हो रहा है। यह बहुत अधिक पीड़ादायक है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हैं कि एक मिली जुली सरकार में जहां अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री हैं और सदन के नेता हैं, ऐसी सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जिसका नजरिया संकीर्ण हैं राष्ट्रीय नहीं है।

सभापति महोदय : श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति जी, कृपया अपनी बात 10 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, यद्यपि इस सभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर हमारे दल का चौथा स्थान और सतारूढ़ गठबंधन में दूसरा स्थान है, फिर भी आपने मुझे बिल्कुल अंत में बोलने का अवसर दिया है। यदि आप यह नहीं चाहते कि मैं बोलूं, तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आपको मुझे बोलने की आजादी देनी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण वाद-विवाद है.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा.एस. वेणुगोपाल जी पहले ही बोल चुके हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। अतः, उन्हें दल की ओर से जो सदस्य बोल चुके हैं, उनमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इसी वजह से मैंने आपको बोलने का अवसर दिया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, नियमानुसार, प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्य को दल की ओर से बोले सदस्यों में नहीं माना जाता है।

सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमें इस सरकार के कार्य-निष्पादन के बारे में सुनने का अवसर दिया है। वह अनेक मुद्दों पर ठीक ही बोले हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

हमारा देश एक महान देश है। यह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। हमारा लोकतंत्र पनपता रहेगा। हमने कारगिल युद्ध को देखा है; हमने उड़ीसा में एक भारी चक्रवात देखा है; गतवर्ष हमने पश्चिम बंगाल में बाढ़ को देखा है और हाल ही में हमने गुजरात में भूकंप से हुई तबाही का सामना किया है। इन सभी आपदाओं के बावजूद, हमारे देश की स्थिरता, अखंड़ता और एकता बनी हुई है। हमने ये सभी आपदाएं होती देखी हैं, लेकिन हम भविष्य में ऐसी आपदाओं का मुकाबला करने के लिए कोई स्थायी उपाय नहीं कर पाए हैं।

श्री मुलायम सिंह जी ने यह कहा है कि राष्ट्रपति जी ने नौ प्रतिशत की विकास दर का उल्लेख किया है। माननीय राष्ट्रपति जी ने यह कहा है कि नौ प्रतिशत की विकास दर के लक्ष्य की तुलना में हम सात प्रतिशत विकास दर प्राप्त कर सके। पिछले एक वर्ष में देश को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उनको देखते सात प्रतिशत की उपलब्धि भी कम नहीं है। शायद, इन्हीं आपदाओं के कारण हम नौ प्रतिशत की विकास दर तक नहीं पहुंच पाए। माननीय राष्ट्रपति जी ने यह कहा है कि यदि अगले दस वर्षों में नौ प्रतिशत की विकास दर हासिल कर ली जाती है, तो हम निर्धनता का पूरी तरह उन्मूलन कर सकते हैं। परन्तु हम नौ प्रतिशत की यह विकास दर हासिल कर पाएंगे अथवा नहीं, यह बात देखने वाली है। पिछले तीन वर्षों से हम 6 से 7 प्रतिशत से अधिक विकास दर हासिल नहीं कर पाए हैं। अतः, सरकार को इस संबंध में कुछ बताना होगा।

यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि इस वर्ष कृषि उत्पादन में भी 10 मिलियन टन की कमी आई है। ऐसा हमारे यहां पड़े भयंकर सूखे के कारण हो सकता है। कृषि उत्पादन का घटकर 199 मिलियन टन रह जाना एक परेशान करने वाली बात है। सरकार को इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी तथा यह पता लगाना होगा कि कृषि उत्पादन में गिरावट आने के क्या कारण हो सकते हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि इतना कम कृषि उत्पादन होने के बावजूद भी हम भण्डारण की समस्या का सामना कर रहे हैं क्योंकि भण्डारण के लिए हमारे पास स्थान उपलब्ध नहीं है। किसान अपने स्टॉक को समय पर नहीं बेच पाते। किसान पैसे की कमी के कारण भूखे मर रहे हैं, क्योंकि वे अपनी उपज बेच नहीं पा रहे हैं इसीलिए उन्होंने कृषि कार्यों के लिए जो ऋण लिया था वे उसे चुका नहीं पा रहे हैं। किसानों के लिए यह संकट की स्थिति है। कम उत्पादन अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, लेकिन उपज के उचित भण्डारण अथवा उसे निर्यात न कर पाने में हमारी असमर्थता एक अन्य समस्या है। तथापि, अब कृषि उत्पादन में गिरावट आना हमारी मुख्य चिन्ता होनी चाहिए।

हमारी दो-तिहाई आबादी किसानों की है, जो गांवों में रहते हैं। हमारे पास यहां अनेक गांवों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 52 वर्षों के बाद अनेक राज्यों को अभी अपने लाखों लोगों को पेयजल मुहैया कराना है। राष्ट्रीय जल नीति के बावजूद भी हम इस समस्या से निपट नहीं पाए हैं। हमारे यहां बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी नदियां हैं। इनमें से अनेक नदियों का जल समुद्र में बहकर बर्बाद हो जाता है।

हम जल को बचा नहीं पाएंगे। जल के बारे में छोटे-मोटे अंतर्राज्यीय विवाद हो सकते हैं। लेकिन इनका समाधान किया जा सकता है। अतः सरकार को जल प्रबंधन संबंधी अंतर्राज्यीय विवादों का शीघ्र समाधान करना चाहिए। यदि जल का सिंचाई और पीने के प्रयोजन हेतु उचित रूप से प्रयोग किया जाये तो हमारा देश और अधिक समृद्ध हो जाएगा।

महोदय, हमारे अनेक गांव कृषि आदानों की उच्च लागत, अंतिम उत्पाद और उनके उत्पाद की कम लागत वसूली के कारण निर्धनताग्रस्त हैं। अब भी वे अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि स्कूलों की संख्या बहुत कम है तथा वे उनके घरों से काफी दूर हैं।

महोदय, हमारा यह कहना है कि हमारा देश सूचना प्रोद्योगिकी के संबंध में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सही है कि सूचना प्रोद्योगिकी के संबंध में हम अन्य कई देशों की तुलना में अग्रणी हैं, लेकिन इसके साथ ही हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि हमारे देश में अधिकांश लोगों, जो गांवों में रहते हैं, को बुनियारी सुविधाएं मुहैया नहीं की जा रही हैं। अतः, मेरे विचार से, इन सभी उपायों को करने का हमारे लिए यही उचित समय है।

महोदय, औद्योगिक उत्पादन के संबंध में, देश का मेरुदण्ड लघु उद्योग हैं। यद्यपि पिछले दो वर्षों में, लघु उद्योगों को कुछ रियायतें, राहत और मदद दी गई है लेकिन वर्तमान बजट में कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। यदि उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया जाता है, तो ये लघु उद्योग बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा किस प्रकार कर सकते हैं? हमारी अधिकांश जनसंख्या लघु उद्योगों को चला रही हैं। अतः लघु उद्योग क्षेत्र के साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उसे कुछ रियायतें दी जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र की ओर समुचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

महोदय, जहां तक ऊर्जा क्षेत्र का संबंध है, मेरा यह कहना है कि इस बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं है। उनका है कि वर्ष 2005 तक बिजली संबंधी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। लेकिन मुझे आशंका है कि क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। हमारे देश के लगभग सभी राज्य इस समस्या का सामना कर रहे हैं और वे किसानों को न्यूनतम घंटे बिजली देने संबंधी आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मेरे विचार से यदि तत्काल कदम नहीं उठाए जाते तो इससे अत्यंत गम्भीर समस्या उत्पन्न होगी। अतः सरकार को इस पहलू की उचित रूप से जांच करनी होगी।

महोदय, मुझे युवकों के लिए रोजगार के अवसरों संबंधी एक और पहलू पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। आज के युवकों को इस सरकार और विशेष रूप से श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

बहुत उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं कि उनके लिए कुछ बेहतर कार्य होगा। आजकल, रोजगार के अवसर बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं। अतः उसे यह सुनिश्चित करने हेतु एक सुस्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए कि इस देश के बेरोजगार युवकों को उत्पादन बढ़ाने वाले कार्यों में किस प्रकार नियोजित किया जाएगा। महोदय, यह केवल रोजगार का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि हमें उन्हें इसके अवसर प्रदान करने चाहिएं। यदि हम अपने देश के युवकों को उचित रोजगार प्रदान कर उनकी रक्षा नहीं कर पाते, तो हमारा देश अत्यंत संकट में पड़ जाएगा। अतः इस संबंध में सभी सम्भव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

महोदय जहां तक कृषि आदानों का संबंध है, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा आने वाले दिनों में मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण कृषि आदानों की लागत में वृद्धि होने की पूरी सम्भावना है। यदि इस समस्या से सही तरीके से नहीं निपटा जाता, तो यह एक अत्यंत गम्भीर समस्या बन जाएगी। इसके लिए सरकार को गम्भीर चर्चा करवाने और इसमें आने वाली अड़चनों को हमारे सामने स्पष्ट करने की जरूरत है।

स्वास्थ्य की देखभाल के संबंध में टी आर आई पी करार कार्यान्वित हो गया है। पेटेंट किए गए किसी भी औषध को 20 वर्षों तक रखना होगा। उसे यहां नहीं बनाया जा सकता। पहले भारत में कम से कम कुछ औषध तो बनाए जा रहे थे। अब, जैसा कि मुलायम सिंह यादव ने कहा है, औषधों और जीवन रक्षक औषधों की लागत बहुत ऊंची हो गई है और इसके साथ ही हम उन्हें यहां नहीं बना सकते। आम आदमी वास्तव में ही परेशानी में है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आकर कार्य करेगी और स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा। अतः इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और हम सरकार से यह सुनना चाहते हैं कि वह इस समस्या से किस प्रकार निपटेगी।

जहां तक राज्यों का संबंध है, सभी राज्य निर्धन हो गए हैं। वे दिन-प्रतिदिन निर्धनतम होते जा रहे हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की नीतियां अलग-अलग हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का ही उदाहरण ले लीजिए। हाल ही के बजट में आंध्र प्रदेश का कुल राजस्व 8900 करोड़ रुपये है और कुल राजस्व व्यय 8,450 करोड़ रुपये है। अतः, 350 करोड़ से 400 करोड़ रुपये की अत्यल्प राशि ही शेष बचती है। यदि इतनी राशि अधिशेष है तो वे अपने विकास कार्य वैसे कर पाएंगे?

केन्द्र सरकार की समस्या राज्यों की समस्या भी है। यदि राज्यों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। यदि सभी राज्य कर्जदार होंगे तो पूरा देश स्वतः ही कर्जदार होगा। अतः राजस्व का 27 प्रतिशत अथवा 29 प्रतिशत राजस्व देने की बजाय प्रत्येक राज्य को 50 प्रतिशत राजस्व दिया जाना चाहिए। योजनाओं के केन्द्र सरकार द्वारा संचालन की अपेक्षा इनका संचालन राज्य सरकारों को सौंप दिया जाना चाहिए। वे अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बेहतर जानते हैं। यह संभव है कि यहां पर सचिव द्वारा निर्धारित प्राथमिकता राज्यों की प्राथमिकता न हो। अतः आप यहां बैठे-बैठे प्राथमिकताएं निर्धारित करके राज्यों विकास के बारे में कैसे सोच सकते हैं? यह अनुचित है? केन्द्र सरकार को सभी शक्तियों और अधिकारों के अपने पास रखने की बजाय इस विषय गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

यह सभी शक्तियों को अपने अधीन रखने का प्रश्न नहीं है। यह लोगों और देश को प्रसन्न रखने का प्रश्न है। अतः उन्हें 50 प्रतिशत राजस्व देने पर कभी न कभी विचार करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा केवल एक राजनीतिज्ञ के नाते नहीं कह रहा हूं। मैं केवल आन्ध्र प्रदेश की ही बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। क्या यह आवश्यक नहीं है कि सभी राज्यों का विकास हो और हमारे सभी देशवासी खुशहाल हों? आप कुछ योजनाओं के लिए राशि देकर यह अरोप कैसे लगा सकते हैं कि इस राशि का उपयोग उस प्रयोजनार्थ नहीं किया गया जिस प्रयोजनार्थ यह दी गई थी? सम्भवतः, आपने सड़क निर्माण हेतु राशि दी हो, परन्तु वहां अकाल अथवा बाढ़ की स्थिति हो। क्या आप यह सोचते हैं कि सड़क निर्माण हेतु दी गई राशि का उपयोग ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न किया जाये? इस मामले पर गम्भीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

आपको उन्हें कभी न कभी आत्म-निर्भरता की अनुमति देनी होगी। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। उन्हें स्वावलम्बी होना होगा। अन्ततः हमारा देश राज्यों का एक संघ है। भारत सरकार राज्यों को केवल आदेश ही नहीं दे सकती। यदि आप ऐसा करेंगे तो राज्य खुशहाल नहीं होंगे। इसी वजह से वे कर्जदार होते जा रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि आंध्र प्रदेश एक सुशासित राज्य है। हाल ही के बजट को देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह राज्य भी कर्जदार हो जाएगा। यह एक गम्भीर समस्या है। इसका कभी न कभी समाधान करना पड़ेगा. ....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : राज्यों को भी कभी कभी अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाना पड़ता है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यह सभी राज्यों पर लागू होता है। देश का कुछ वित्तीय घाटा 10.2 प्रतिशत है और राज्यों में यह घाटा लगभग 5.5 प्रतिशत है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप किसी भी राज्य में योजना राशि का गैर-योजना कार्यकलापों हेतु उपयोग का समर्थन करते हैं?

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यह गैर-योजना राशि का योजना कार्यों हेतु और योजना राशि का गैर-योजना कार्य हेतु उपयोग का प्रश्न नहीं है। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। राज्यों की अपनी प्राथमिकता और योजनाएं होती हैं।

सभापति महोदय : वित्त मंत्री आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं केवल उनके विचार जानना चाहता हूं। मेरे स्थिति भी आप जैसी ही है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि यदि योजना राशि का उपयोग और योजना कार्यों हेतु किया जायेगा तो राज्यों का विकास कैसे होगा?

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यह प्राथमिकता का प्रश्न है। जैसाकि वित्त मंत्री ने स्वयं यह माना है कि देश का कुल वित्तीय घाटा 10 प्रतिशत से अधिक है।

तथापि, मैं इस सरकार की मुद्रास्फीति की दर को एक अंक में बनाए रखने हेतु बधाई देता हूं। एक अंक से अधिक नहीं गई है। इस सम्बन्ध में यह सरकार बधाई की पात्र है।

साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश की निर्धन जनता को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है। स्वतंत्रता के बाद निर्धन लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है तथापि उनका प्रतिशत कम होका 27 रह गया है। हमें उनके बारे में सोचना होगा।

इसी तरह, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों हेतु रोजगार के अवसरों में सुधार करना होगा और उनकी सम्पूर्ण बकाया रिक्तयों को भरना होगा ताकि इन वर्गों के निर्धनतम व्यक्ति को भी लाभ मिल सके।

राष्ट्रपति का अभिभाषण सुलिखित परन्तु बहुत बड़ा है। इसमें कुम्भ मेले से लेकर अंतरिक विज्ञान में की गई प्रगति तक सभी बातों का उल्लेख है। इन सब बातों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें इन बातों को उल्लेख करने की बजाय अपनी प्राथमिकताओं का उल्लेख करना चाहिए। उन्हें केवल इस वर्ष के लिए अपनी सोच का ही उल्लेख करना चाहिए कि हम इन इन मुद्दों पर कार्य आरम्भ करना चाहते हैं और ये हमारी प्राथमिकता वाले मुद्दे होंगे आदि। परन्तु इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने व्यर्थ की बातों का उल्लेख किया है। कम से कम उन्हें आने वाले वर्षों में मुद्दों की प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी। देश में कहीं गरीबी है, तो कहीं भूकम्प है, कहीं भुखमरी है, तो कहीं बाढ़ है। हमारे जैसे विशाल देश में हमें कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिएं। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी करना चाहिए। हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं और वे व्यर्थ जा रहे हैं। यदि हमारे सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है तो वास्तव में हमारा देश 'विकसित देशों' की श्रेणी में आ जायेगा और हम वास्तव में स्वतंत्रता का आनंद उठा पाएंगे जो हम हमारे समाज के लोगों को दे सकते हैं। इस प्रकार हम गरीबी का उन्मूलन कर वास्तव में विकास कर पाएंगे।

मुझे विश्वास है कि हमारे अनुभवी प्रधानमंत्री इन सभी बातों को जानते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : आपने सभी बातों का विरोध किया है और सभी बातों का समर्थन भी किया है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैंने किसी बात का विरोध नहीं किया है। मैं तो इन सभी बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि यह सरकार इन सभी बातों को अंजाम नहीं दे सकती है तो वर्तमान परिस्थितियों में कोई अन्य सरकार भी ऐसा नहीं कर पाएगी। यह सरकार देश की अब तक की सरकारों में सर्वोत्तम है और स्वतंत्रता के बाद श्री वाजपेयी सर्वोत्तम प्रधानमंत्री हैं। हम यह पूरी तरह से मानते हैं कि वह सर्वोत्तम प्रधानमंत्री हैं। वे विपक्ष में भी रहे हैं और सब कुछ जानते हैं। यदि सरकार इन बातों को ध्यान में रख कर कदम उठाती है तो हमारा देश वास्तव में खुशहाल होगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आदरणीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति परम्परा के नाते संसद के दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित करते हैं। यह माना जाता है, यह मान्यता है कि सरकार की प्राथमिकताएं, हमारे देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए सरकार का अर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक चिंतन इस अभिभाषण के द्वारा हम देश के सामने प्रस्तुत करते हैं। स्वाभाविक है कि देश की जनता यह अपेक्षा करती है कि देश के हित में इन प्राथमिकताओं का प्रतिपादन, देश के संसाधनों का नियोजित ढंग से कैसे उपयोग किया जाएगा। इसके लिए नीति और कार्यक्रम तय होने चाहिए। विगत वर्षों में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषणों में जिन बातों को लक्ष्य के रूप में प्रतिपादित किया था, उनको किस हद तक हमने पाया है, किस हद तक नहीं पा सके हैं, इस सम्बन्ध में भी एक विवरण और एक ब्यौरा इस अभिभाषण में देने की परम्परा रही है। सच पूछें तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के चरित्र का एक आइना होता है। इसकी नीतियों का, उसके मंतव्य का एक दर्पण होता है, जिससे पता चलता है कि सरकार किस दिशा में जाने वाली है। पिछले दो-तीन अधिवेशनों में हमने देखा है कि राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिए थे, उन अभिभाषणों के माध्यम से सरकार ने इस देश की जनता के सामने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख किया था, खुलासा किया था।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि पहले हम इस बात की छानबीन कर लें कि दरअसल पिछले दिनों में जब राष्ट्रपति जी ने जिन अभिभाषणों में अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनका क्या हुआ, उनकी परिणति क्या हुई, परिणाम क्या हुआ। हम कहां तक पहुंचे, इस बात की ओर थोड़ी सी हम पहले नजर डालें। मैं इस सरकार के चरित्र का पहले उल्लेख इस बात से करना चाहता हूं कि यह वर्ष हमारे गणतंत्र की स्वर्ण जयंती का समापन वर्ष है और नई सहस्राब्दी के प्रथम वर्ष का प्रथम राष्ट्रपति अभिभाषण है। हमारे लिए यह नितांत शर्म की बात है कि हमने अपने देश को उन महान नेताओं का एक जगह भी इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख तक नहीं किया, जो इस देश के नव-निर्माण के शिल्पकार थे। गांधी और नेहरू का कहीं भी इस पूरे अभिभाषण के अंदर उनको स्मरण तक नहीं किया गया। उनके प्रति सम्मान तक व्यक्त नहीं किया गया। यह दिखाता है कि इस सरकार की सोच सरकार के मन में इसकी नीतियों में, इसकी

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

करनी में और कथनी में जो अंतर है और जो अंतर्विरोध है, यह उसको स्पष्ट करता है। मैं इसकी ओर सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके बाद मैं सरकार के चरित्र के दो-तीन और उदाहरण यहां रखना चाहता हूं। हमारे देश के हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेषरूप से इस बात का ख्याल रखा था कि देश के एक बहुत बड़े हिस्स में, न केवल मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, बल्कि ऐसे राज्यों में भी जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो अन्य देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं, उनकी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराएं हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से इन जातियों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस करते हुए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इस देश के संविधान की पांचवी अनुसूची में इस बात का विशेष प्रावधान किया था कि ऐसा आदिवासियों की जमीन, उनकी सम्पत्ति तब तक कोई अन्य व्यक्ति हस्तगत नहीं कर सकेगा, केवल सरकार, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, इस शर्त पर ले सकती है जब जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो। यह प्रावधान इस अनुसूची में किया गया है।

सारे देश के हमारे आदिवासी लोग काम पा सकते थे। हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा लेकिन इस सरकार का चरित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी हाल ही में 'बालको' और विनिवेश के ऊपर इस सदन में बहस हुई। बालको का जब विनिवेश किया गया, यह बालको कंपनी, भारत सरकार का संस्थान था। इसीलिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन सरकार ने जन हित में अर्जित की थी और यह जमीन पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग के लिए ली गई थी। अंडर हैंड डीलिंग शुरू हो गई और परिणाम यह हुआ कि पांचवीं अनुसूची का सरासर उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन प्राइवेट हाथों के अंदर देखते-देखते चली गई। अंदर ही अंदर कौन सा समझौता हुआ कि उसकी बू सब जगह आज आ रही है और लोग महसूस कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई न कोई बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला हुआ है। संविधान का उल्लंघन करके आदिवासियों की वह जमीन दूसरे लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। मैं आज इस सदन में बड़ी गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की जानकारी है और मुझे इस बात की सूचना भी मिली है तथा सरकार में ही कुछ लोगों के माध्यम से सूचना दी गई की सरकार का इरादा आने वाले समय के अंदर संविधान की पांचवीं अनुसूची को संशोधित करके और उनके पुनः सारे अधिकार समाप्त करके इस देश के करोड़ों आदिवासियों के साथ अन्याय करने का बहुत बड़ा षडयंत्र इस देश में रचा जा रहा है। मैं इस बात के लिए सदन को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि ऐसा हुआ तो सरकार की यह मंशा किसी कीमत पर पूरी नहीं होने दी जाएगी। इस देश के सारे विरोधी दल ही नहीं, इस देश के सारे एससी, एसटी के लोग ही नहीं बल्कि इस देश के सारे नागरिक इस बात पर आंदोलित हो उठेंगे और ऐसी किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा।.....*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : संविधान के संबंध में जो बातें कही जा रही हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनका क्या आधार है? ..... *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मेरे स्रोतों के लिए मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है और मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है। मैं अपनी बात को जारी रखते हुए एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग सरकार की आलोचना करें और भ्रष्टाचार को उजागर करें तो यह लगेगा कि राजनैतिक कारणों से वे ऐसा कर रहे होंगे। इसके पीछे हमारे राजनैतिक उद्देश्य होंगे, ऐसी आंशका उठाई जा सकती है लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। इन्हीं की पार्टी के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य डा. जे.के. जैन जो इन्हीं की पार्टी के संसद सदस्य हैं, वह और उनका टी.वी. आजकल किस-किस तरह की चीजों को उजागर कर रहे हैं, इसका जवाब हमें नहीं देना है। आपको अपनी सरकार को, अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को, जो प्रश्न उठा रहे हैं, उनके सवालों का जवाब देना है। सारे देश की जनता भी उन सवालों के जवाब जानना चाहती है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जब प्रधान मंत्री जी यहां पर इस बहस का उत्तर देने के लिए आएंगे तो मैं अपेक्षा करता हूं कि डॉ. जैन ने जिन प्रश्नों को उठाया है, वे गंभीर प्रश्न हैं, इस देश के साथ जुड़े हैं, इस देश की सरकार और देश के भविष्य के साथ जुड़े प्रश्न हैं। सरकार के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं वह तमाम विवरण इसलिए सदन में नहीं देना चाहता हूं कि सदन का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं हो। हम सब लोग जानते हैं कि टी.वी. और अखबारों में कौन-कौन सी चीजें आ रही हैं, हमें उनका जवाब मिलना चाहिए। यह देश उनका जवाब जानना चाहता है। बाला साहेब ठाकरे क्या कर रहे हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कांग्रेस नहीं कह रही है। कांग्रेस कहती तो शायद यह आरोप लगता कि हम राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा कह रहे हैं लेकिन बाला साहेब ठाकरे आपकी पार्टी के समर्थक हैं। तृण मूल कांग्रेस के लोग कहते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बीजू जनता दल के लोग कहते हैं, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये इन्हीं के अपने सहयोगी दल हैं जो इन सारी बातों की आलोचना कर रहे हैं और सदन में ये सारी बातें रख रहे हैं और सदन के बाहर जनता के बीच में सार्वजनिक रूप से आरोप लागाये जा रहे हैं। इसी कारण यह सरकार आज कटघरे में खड़ी है। प्रधान मंत्री जी आज कटघरे में खड़े हैं। यह इनकी जवाबदारी बनती है कि इस देश की जनता को इन सारे प्रश्नों के उत्तर साफ-साफ इस सदन के माध्यम से दिये जाने चाहिए।

महोदय, इतना ही नहीं, मैंने इस अभिभाषण के बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और इसमें इस सरकार के द्वारा महिलाओं के संबंध में मगरमच्छ के आंसू बहाए गए हैं। इसी संसद के द्वारा विधेयक पारित करने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। उस आयोग ने अपनी 12 रिपोर्ट्स सरकार के पास भेजी, लेकिन आज तक एक रिपोर्ट के ऊपर इस सरकार ने सदन में चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। इस सरकार को कितनी चिन्ता है, यह इससे जाहिर होती है। आज प्रमोद महाजन जी बोल रहे थे, हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाए। आपके

कह देने मात्र से महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाएगा। हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, तकरीबन आधे से अधिक बल्कि दो-तिहाई से अधिक विपक्ष चाहता है कि महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो, बहस हो, बातचीन हो, विचार-विमर्श हो, हमारे भेद-मतभेद हो सकते हैं, कुछ ऐसे दल भी हो सकते हैं, जिनके अपने रिजर्वेशन्स हों और अपनी आशंकायें हों, वे भी इसमें चर्चा करें, बहस करें। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि यह सरकार कतई गम्भीर है, महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर। इस संबंध में हमारी पार्टी ने घोषणायें नहीं की हैं, हमने अपनी पार्टी के अन्दर अमलीकरण शुरू किया है। हमारी पार्टी के संगठन के जो चुनाव हुए हैं, उनमें 33 परसेंट आरक्षण नीचे से लेकर ऊपर तक महिलाओं के लिए पूरे देश के अन्दर कांग्रेस पार्टी के अन्दर, अपनी नेता के नेतृत्व में देने का काम किया है और करके दिखाया है। हमने कोई घोषणायें नहीं की, कोई बहाना नहीं बनाया। हमने इसके प्रतिपादित किया है। कौन सी पार्टी, कौन से लोग वास्तविक नीतियों की बात कहते हैं, जो हम कहते हैं, करके दिखाते हैं, ये सारी बातें इससे स्पष्ट होती हैं।

महोदय, मजदूरों के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में बड़ी बातें कही गई हैं और हाल ही में हमने वित्त मंत्री जी का बजट भाषण सुना। मजदूरों की हत्या करने वाली यह सरकार है, निरूपित कहा जाए, तो कम कठोर शब्द नहीं होगा। आज तक काननू में प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति अपनी इकाई में मजदूरों की छंटनी करेगा, तो उसे कारण स्पष्टीकरण देना पड़ता है, औचित्य प्रतिपादित करना पड़ता है और उसके बाद सरकार की अनुमति के बिना किसी की छंटनी नहीं कर सकता है, लेकिन एक हजार तक की मनमाने तरीके से छंटनी करने का अधिकार इस सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया है। वे जब चाहें, अपने मन के माफिक मजदूरों का शोषण करें और जब चाहें उनको बाहर निकाल दें, कोई पूछने का अधिकार नहीं हैं। इतनी निरंकुश सरकार, जिसने मजदूरों के हितों के साथ इतना बड़ा कुठाराघात किया है। मैं समझता हूं कि आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया होगा। हम सुबह से सुन रहे हैं, दिल्ली के अन्दर तमाम ऐसे यूनिट्स हैं, तमाम ऐसे उद्योग हैं, जहां 5-6 लाख मजदूर रोजी-रोटी की छंटनी के कगार पर खड़े हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। यह चरित्र है इस सरकार का, कथनी में कुछ, करनी में कुछ, नीतियों में कुछ और करने में कुछ। यह इस सरकार की हकीकत है।

महोदय, इस अभिभाषण में सीमाओं की सुरक्षा पर बड़ी चिन्ता व्यक्त की गई है। हम तब से और ज्यादा चिन्तित हैं, जब से हमारे ऊपर कारगिल में इस तरह से छुप-छुप कर हमले किए गए। हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। सैकड़ों हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा और अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी, क्योंकि हमारी भारतीय सेनाओं की परम्परा है कि उसने कभी पीठ पर गोली नहीं खाई है, हमेशा सीने पर गोली खाई है। हम उन जवानों की कुर्बानियों को किसी भी कीमत पर बरबाद नहीं होने देंगे। हम उन्हें सम्मान के साथ याद करेंगे। इस सरकार को एक साल पांच महीने हो गए हैं। सुबह्मण्यम समिति की रिपोर्ट को हर सदन में सूची में रखी गई, लेकिन हर बार आखिरी दिन में रख कर इतनी सुविधाजनक तरीके से, होशियारी के साथ रखा गया, जिससे वह चर्चा में आ ही न पाए, क्योंकि खतरा था। अगर उस रिपोर्ट पर तत्काल चर्चा होती, तो बहुत से ऐसे अनुत्तरित प्रश्न जो दिमाग में हैं, उन प्रश्नों का खुलासा होता और सरकार को एकाउन्ट देना पड़ता।

जनता के सामने उत्तर देना पड़ता है कि आखिर यह स्थिति क्यों निर्मित हुई? इस देश के साथ गफलत हुई है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के साथ गफलत हुई है। इस देश के गरीब मजदूरों और महिलाओं के साथ गफलत हो रही है। गरीब लोगों और किसानों के साथ गफलत हो रही है। हर वह शख्स, जिसे सरकारी मदद की सख्त जरूरत है, वह दाने-दाने के लिए मोहताज है और जो लोग करोड़ों-अरबों में खेल रहे हैं, वे आज हिन्दुस्तान के मालिक बने बैठे हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। मैंने सुना है कि इस देश के प्रधान मंत्री के सात सलाहकार अभी हाल में नियुक्त किए गए। उन्होंने अपना जो सलाहकार मंडल नियुक्त किया है उसमें देश के सात प्रमुखतम उद्योगपतियों को रखा है। यह इस बात का एक और उदाहरण है कि इस सरकार का चरित्र क्या है, इसकी दिशा क्या है। इनता ही नहीं, मैं आपको और जानकारी भी दे दूं। शायद आपको स्मरण हो कि कुछ दिन पहले ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट ने अम्बानी और एक अन्य उद्योगपति से रिपोर्ट मांगी थी कि इस देश की शिक्षा नीति कैसी है।

माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगणों और सदन से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। इस देश की शिक्षा नीति कैसे हो, क्या इसका निर्धारण देश के उद्योगपति करेंगे। अगर इस देश के उद्योगपति शिक्षा का निर्धारण करेंगे तो हम देश के नौनिहाल बच्चों से लेकर नौजवानों तक कौन सी शिक्षा नीति परोसने वाले हैं। हम यह शिक्षा नीति परोसने वाले हैं, जो देश के उद्योगपतियों का पेट भरे, वह शिक्षा नीति नहीं परसोने वाले हैं जो 21वीं शताब्दी में हिन्दुस्तान के सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो, बल्कि वह शिक्षा नीति परोसने जा रहे हैं जो यहां के उद्योगपतियों का पेट भरने के काम आए। उनके हितों का संरक्षण करने के काम आए। यह चौथा उदाहरण है जो इस देश में चल रहे सरकार के चरित्र और दशा को उजागर करता है।

महोदय, कहते हैं कि यह संघर्ष विराम नहीं है, युद्ध विराम की नीति नहीं है। उस शब्द पर उन्हें एतराज नहीं है। हो सकता है कि संघर्ष युद्ध विराम शब्द पर एतराज हो तो अब ये कह दें कि सेना को आपने ये निर्देश दिए हैं कि वे अपनी तरफ से आतंकवादियों के विरुद्ध पहल न करें। निर्देश चाहे जो भी हो, आप नाम चाहे जो भी दे दें, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा।

अपराह्न 5.37 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*]

मैडम, मैं स्वयं काश्मीर गया था। मैं वहां 12 दिन रहा हूं। मैं गांव-गांव में गया हूं और हर वर्ग के लोगों से मिला हूं। मैंने वहां की स्थिति को देखा है। मैं सेना के लोगों से भी मिला। आप विश्वास करें, और आपने भी पिछले दिनों सारे अखबारों में देखा होगा। जिनमें प्रमुखता के साथ निकल रहा है कि सीमा-सुरक्षा बल से लेकर सेना के जवान और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बात को कहने लग गए हैं, मैं कल के

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

अखबार में पढ़ रहा था, वे भी इस बात को कहने लग गए हैं कि ये नीति अब घातक और घातक से घातक सिद्ध होती चली जा रही है, क्योंकि उसके परिणाम यह हो रहे हैं, इस छूट को पाकर ऐसी तमाम स्ट्रेटजिक पोजिशन थी जहां से आतंवादियों को बाहर निकाला गया था। अब वे पुनः आकर उस स्ट्रेटजिक पोजिशंस पर, रणनीतिक स्थानों पर फिर से आकर बैठ गए हैं। उन्होंने फिर से अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। वर्षों की मेहनत के बाद जहां से उन्हें निकाला गया, हमारी चंद महीनों की गफलत में वे वहां फिर से बैठ गए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने रणनीतिक परिवर्तन किया है, इसकी चर्चा भी विशेष रूप से हुई है। सेना के अधिकारियों ने इस बात को कहा है कि वे पहले जंगलों में भाग गए थे, पहाड़ों में छिप गए थे और अपने छिपे हुए अड्डों से कभी-कभार वार करते थे, लेकिन अब वे रिहायशी इलाकों में आ गए हैं। मकानों, गांवों और बस्तियों में श्रीनगर के अंदर खास मौहल्लों में रहने लगे हैं, जहां से अगर वे सेना के ऊपर हमला करते हैं तो सेना चाह कर भी हमलों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। यहां सिविलियंस के लोग ज्यादा मारे जाने की आशंका है, जब कि सेना को यह निर्देश है कि सिविलियंस न मरने पाएं। वे इस बात से अपने आपको और आहत महसूस करते हैं। मैं उसे पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं क्योंकि रक्षा मंत्री जी बैठे हैं।

इस पक्ष को कोई राजनीतिक बात न समझा जाए। इस पक्ष को राष्ट्रीय समस्या की तरह समझा जाना चाहिए। इस मामले में हमें संवेदनशील होना चाहिए और सेना को, सीमा-सुरक्षा-बल और वहां जो नौजवान अपनी जान की कुर्बानी देने में लगे हुए हैं, हमें उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। वहां की जमीनी सच्चाई क्या है, उसके आधार पर हमें अपनी नीति को मोडिफाई करना चाहिए। हमने इस विषय पर अपना समर्थन सदाश्यता के साथ दिया है जिससे सरकार यह न कहे कि हमारे समर्थन के अभाव में वह अच्छी नीति, वह अच्छा कार्यक्रम चला नहीं। हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं लेकिन सहयोग की भी एक सीमा होती है। हमें यह भी निर्धारित करना होगा कि हम अपने सैनिकों और सिविलियनों को कहां तक कुर्बान होता देखें। अगर एक बार हमारे हाथ से यह सीमा बाहर निकल गयी तो उसके परिणाम गंभीर होंगे और दसियों वर्षों तक हम उसकी खामियों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे।

आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़िये। इस अभिभाषण में गरीबों के लिए बहुत बातें की गयी हैं लेकिन रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पिछले दोनों राष्ट्रपति अभिभाषणों पर प्रधान मंत्री जी ने बड़े जोर-शोर से कहा था कि हर वर्ष हम एक करोड़ रोजगार के साधन नौजवानों को उपलब्ध कराएंगे। मुझे अपेक्षा थी कि इस अभिभाषण में यह जाहिर किया जाएगा कि इस योजना का क्या हुआ और कितने लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गये। इस बारे में इसमें एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इस बार न तो इसका इसमें उल्लेख है और न बजट भाषण में बेरोजगारी जैसी भंयकर समस्या के बारे में उल्लेख है। इससे पता चलता है कि यह सरकार इस समस्या के प्रति कितनी असंवेदनशील है कि बेरोजगारी को हटाने के लिए किसी उपाय का उल्लेख करना इसने जरूरी नहीं समझा।

ये चंद उदाहरण हैं लेकिन बहुत सारे मामले अभी और हैं जिन पर मैं विस्तार से बात कर सकता हूं। इस देश के आर्थिक उत्थान के बहुत दावे किये गये थे। पिछले जो दो बजट वित्त मंत्री जी ने रखे हैं उसमें 10-10 हजार करोड़ रुपये विनिवेश द्वारा प्राप्त करने के लक्ष्य रखे गये। उन्होंने कहा कि हम इस लक्ष्य को हर कीमत पर प्राप्त करेंगे लेकिन नतीजा क्या हुआ? दोनों बार ही ये अपने लक्ष्य के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। यह विनिवेश क्या है? हम भी इसके पक्षधर थे। कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि इसकी शुरूआत हमने की थी। ठीक है की थी लेकिन हमारे विनिवेश और आपके विनिवेश में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा मूल सिद्धांत था कि जो तीन तरह के पब्लिक सैक्टर अंडररटैकिंग्स हैं। एक तो जो घोरतम नुकसान में जा रहे हैं, दूसरे जो मुनाफे में जा रहे हैं और तीसरे जो न मुनाफे में और न घाटे में जा रहे हैं, उनमें अगर थोड़ी और पूंजी लगाई जाए तो उनको मुनाफे की यूनिट में बदला जा सकता है। हमारी विनिवेश की नीति यह थी कि हम घाटे की इकाई को बेचें और उनसे होने वाली जो आय होगी, उसे उन इकाइयों में लगाएं, उसकी तकनीक को अपग्रेड करें। कैपिटल इंवैस्टमेंट करके कम मुनाफा देने वाली को हम ब्लू-चिप इंडस्ट्रीज में बदलने के लिए कार्य करें जिससे कि वह पब्लिक असैट बनकर तैयार हो। हमारा यह आशय नहीं था कि इकाइयों को बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है। चाहे इंडियन एयरलाईंस की बात हो, बाल्को की बात हो, यह ठीक है कि आप अपने अंकगणित के हिसाब से अपने रैजोल्यूशन को सदन में पास करा लेंगे लेकिन सदन के बाहर भी दुनिया आपको देख रही है। इसका देश में किसी ने भी स्वागत नहीं किया है। मजदूर, किसान, छात्र और जनता ने इसका स्वागत नहीं किया है और अब सारा देश इस बात को मानने लगा है कि विनिवेश के पीछे किसी न किसी प्रकार की साजिश है।

कुछ न कुछ ऐसे कारण हैं जो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। यदि वे आज नहीं खुलेंगे तो कल जरूर सामने आयेंगे।

सभापति महोदय, इस सरकार ने अपना तमाम घाटा खत्म करने के लिये क्या किया है, यह मैं बताना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने 18 हजार करोड़ रुपये का घाटा कम करने के लिए मिट्टी का तेल, यूरिया, फर्टिलाइजर और अनाज पर दाम बढ़ाये। पी.डी.एस. के जरिये जो अनाज गरीबों के लिये बिकता था, उसके दाम बढ़ाकर सरकार ने उस वर्ग पर चोट की जो सबसे गरीब है। इस घाटे की पूर्ति के लिये वित्त मंत्री जी ने कीमतें बढ़ा दी। मैंने वित्त मंत्री जी से पूछा था और आज भी इस सदन के माध्यम से वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश के जो बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं और जिन पर 58 हजार करोड़ रुपये का आयकर बकाया है, उनसे वसूल करेंगे या नहीं? उनसे यह रुपया वसूल करने के लिये कोई गंभीर कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या कोई योजना बनाकर उनसे बकाया पैसा वसूल किया जायेगा या नहीं?

सभापति महोदय, इसी प्रकार 52 हजार करोड़ रुपया एन.पी.ए. का बकाया है। इसके अंतर्गत ऐसे कर्जे जो बड़े उद्योगपतियों को दिये गये थे, उन्होंने यह पैसा वापस नहीं किया है। अभी मुझे बताया गया है कि यह

52 हजार करोड़ रुपया नहीं बल्कि 62 हजार करोड़ रुपया है। इस प्रकार कुल मिलाकर एक लाख 10 हजार करोड़ रुपया इनसे वसूल किया जाना है। आज हमारे पास यह मौका है कि उनसे यह पैसा वसूल किया जाये लेकिन यह सरकार उनसे यह राशि घाटे की पूर्ति करने के लिए वसूलने के लिये तैयार नहीं है। यह सरकार तो गरीब की हड्डी से खून चूसकर वसूलना चाहती है। जो सबसे ज्यादा गरीब है, मजदूर है, किसान है और वह गरीब तबके का आदमी जिसे दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। इस बात को सारे देश ने महसूस किया है। जब इसका प्रभाव सामने आयेगा तब सरकार की समझ में आयेगा।

सभापति महोदय, यह सरकार अपने खर्चों में कोई कटौती करने के लिये तैयार नहीं है। पिछले तीन वर्षों से जब भी सरकार ने बजट पेश किया है, यह एक्सपैंडिचर बढ़ता ही जा रहा है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। सरकार अपने खर्चों में कटौती करती नहीं, बड़े औद्योगिक घरानों से बकाया पैसे की वसूली करना नहीं चाहती लेकिन गरीब तबका, जो असंगठित है, उससे वसूल करना चाहती है। वह तबका असंठित होते हुये भी राजनैतिक रूप से जागरूक है। यह संदेश देश के सभी वर्गों के अंदर पहुंच गया है कि यह सरकार किस दिशा में जा रही है। इसके परिणाम घातक होने वाले हैं। इसका असर इतना ज्यादा होगा कि आप उधर बैठे हुये दिखाई नहीं देंगे और कहां होंगे, यह फैसला जनता खुद कर लेगी।

सभापति महोदय, मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि यह सरकार एफ.सी.आई. के लिये कोई योजना बना रही है। यहां पर हल्ला हुआ था कि एफ.सी.आई. किसानों का अनाज नहीं खरीद रही है। यह सरकार तो एफ.सी.आई. द्वारा खरीद को समाप्त करने जा रही है। अब देश के सारे किसान पूरी तरह से अनाज के व्यापारियों की कृपा पर छोड़ दिये जायेंगे जो मिट्टी के मोल पर अनाज खरीद लेंगे। अब यही होने वाला है। यह इस सरकार की नीति का परिणाम है। जब इस देश का किसान खड़ा होगा तब आपका न यह तख्त रह जायेगा, न ताज रह जायेगा और न राज ही रह जायेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय अध्यक्ष के कक्ष में हुई नेताओं की बैठक में हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि अधिकाधिक माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देने हेतु आज सभा की बैठक देर तक चलेगी ताकि प्रधानमंत्री के उत्तर से पूर्व विपक्ष के नेता सोमवार 12.00 बजे तक बोल सकें।

सभापति महोदय : हम सभी सदस्यों को मौका देंगे परन्तु माननीय सदस्यों को वाद-विवाद में भाग लेते समय संबंधित दलों को आवंटित समय का ध्यान रखना होगा।

डॉ. विक्रम सरकार (पंसकुरा) : सभापति महोदया, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका देने हेतु में आपका आभारी हूं।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत और डॉ. एस. वेणुगोपाल द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण गुजरात में विध्वंसकारी भूकम्प में हजारों की संख्या में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए शुरू किया था। मैं उनके साथ और इस सम्मानित सभा के सभी माननीय सदस्यों के साथ अपनी तथा अपने दल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण की शुरूआत पर संविधान सभा के वाद-विवाद के समापन पर 25 नवम्बर, 1949 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दी गई चेतावनी की ओर हमारा ध्यान दिलाकर की है। डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं और विसंगतियों का उल्लेख करते हुए यह प्रश्न पूछता था। उन्होंने कहा था :

> "हम विसंगतिपूर्ण जीवन कितने दिन जी सकते हैं? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से कब तक इनकार करेंगे? हमें इन विसंगितियों को यथाशीघ्र दूर करना होगा।"

यह चेतावनी 52 वर्ष पहले दी गई थी और मुझे यह कहते हुए खेद है कि ये विसंगतियां अभी भी व्याप्त हैं जिससे हमारा राजनीतिक प्रजातंत्र संकट में है। हमारे समाज में ये असमानताएं राष्ट्रीय जीवन में समन्वय को प्रभावित कर रही हैं।

हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्प संख्यकों की बात करते हैं। वे अन्य लोगों की तुलना में अभी भी पिछडे हुए हैं। अद्यतन गणना के अनुसार हमें यह बताया गया है कि भारत की जनसंख्या का 26 प्रतिशत भाग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है।

इस गणना के संबंध में मेरे अपने अलग विचार हैं, परन्तु इस गणना को मानते हुए भी मैं यह कहूंगा कि हमारी 26 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है; जिनमें से 19 करोड़ जनता ग्रामीण क्षेत्रों में है और 7 करोड़ जनता शहरी क्षेत्रों में है। क्या हमने इस बात पर कभी विचार किया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे इन लोगों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की प्रतिशतता कितनी है? इसका अनुपात कुल जनसंख्या के मुकाबले बहुत अधिक है। इससे समाज में असमानता पुनः परिलक्षित होती है।

[श्री विक्रम सरकार]

मेरे मित्रों ने बैंकिंग क्षेत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जब मैं सेवारत था, उस समय ऋण मेले आयोजित किये जाते थे और हम यह जानते हैं कि इसके कारण हमने कितना नुकसान उठाया है और हमने देश के समक्ष क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में बैंकिंग क्षेत्र पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है।

अब हमारे यहां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है। इससे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त होता था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह आयोग प्रतिवर्ष संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित न किए जाने संबंधी विशिष्ट घटनाओं का विवरण और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षापायों को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने हेतु सिफारिशें और सुझाव भी अंतर्विष्ट होते हैं। परन्तु, मुझे खेद पूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि इन वार्षिक रिपोर्टों पर संसद की सभाओं में कई वर्षों से चर्चा नहीं हुई है। यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो 10 वर्ष पूर्व प्रस्तुत रिपोर्टों पर भी अब तक चर्चा नहीं हुई है। हमें इन पर चर्चा करने हेतु समय नहीं मिल पाया और इससे मामले के प्रति गभीरता के अभाव का पता चलता है।

मैं आर्थिक सर्वेक्षण का अध्ययन कर रहा था और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों हेतु धनराशि आवंटित की है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2000-2001 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु 810 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी जो पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है। यह अच्छी बात है। इससे अधिक धनराशि आवंटित की जा सकती थी। यदि हम अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को एक साथ मिला कर देखेंगे और यदि इसमें से अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को अलग करके देखेंगे तो यह पाएंगे कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 16% है जो कि अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता से ये दोगुनी है।

यहां बजट में कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है? 2000-2001 के बजट अनुमानों में 969 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। गत वर्ष 887 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे। इसमें 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी अर्थात् अनुसूचित जनजातियों के लिए बजट में की गई वृद्धि से आधी वृद्धि की गई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया आवंटन उचित नहीं है। इसमें और अधिक वृद्धि की जा सकती थी। परन्तु अनुसूचित जातियों के संबंध में यह बहुत कम है। मैं सरकार का ध्यान इसमें वृद्धि किए जाने की ओर दिलाता हूं।

अगला प्रश्न रोजगार सृजन के बारे में है। पहले से ही अधिसंख्य लोग बेरोजगार हैं। श्रम शक्ति में और वृद्धि हुई है। इसे चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया गया है। रोजगार सृजन पूर्णतः ठप्प हो गया है। इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि नए रोजगार के अवसर किस प्रकार सृजित किए जाएंगे। यह चिंता का विषय है। मैं सरकार से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

1999 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 1999 में वृद्धि पर 0.04 प्रतिशत थी। असंगठित क्षेत्र में संगठित क्षेत्र के मुकाबले नी गुना अधिक वृद्धि हुई है। इस मामले में स्थिति अभी और भी खराब रहेगी। इसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, बंटाईदारों और कास्तकारों को भुगतना पड़ रहा है। मेरा यह सुझाव है कि सरकार रोजगार सृजन योजनाओं को गम्भीरता से कार्यान्वित करे और कास्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने सहित भूमि सुधार कार्यों को लागू करे? इससे ग्रामीण निर्धनता को दूर करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता मिलेगी।

जहां तक उद्योग का संबंध है, इस सम्मानित सभा में इस बात पर चर्चा की गई कि चालू वर्ष में औद्योगिक विकास की गति धीमी हुई है। इससे रोजगार सृजन सम्बन्धी पहलू पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, मेरे विचार से यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाया जाये तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्धि भी निजी क्षेत्र के मुकाबले बेहतर नहीं तो कम से कम अच्छी तो रहेगी ही। पिछले 40-45 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नष्ट कर दिया गया है। संबंधित मंत्रियों ने इनका उपयोग किया है। अतः, मेरा यह विचार है कि लाभ कमाने वाले और अच्छी हालत वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चालू रखा जाये। धनराशि की कुल आवश्यकता को देखते हुए 10,000 करोड़ रुपये अथवा 12,000 करोड़ रुपये की राशि बहुत ज्यादा नहीं है। कृपया सरकार इस बारे में विचार करे।

एक अन्य क्षेत्र भी है। रोजगार के नए अवसरों के सृजन को देखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री ने 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों और अति लघु उद्योग क्षेत्र के बारे में एक व्यापक नीति पेकैज की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त दो नई योजनाएं हैं, नामतः ऋण गारंटी निधि योजना और प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु ऋण संबद्ध पूंजी राजसहायता योजना। इन योजनाओं को कार्यान्वित कर दिया गया है। इस संदर्भ में, हमें यह याद रखना चाहिए कि 1999-2000 में लघु उद्योगों ने 1,79,00,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया था। जो पिछले वर्ष की तुलना में चार प्रतिशत अधिक है। इस क्षेत्र को अपेक्षित प्रोत्साहन देने से इसकी वृद्धि प्रतिशतता निश्चित रूप से दो अंकों तक पहुंच जायेगी। इसके लिए समुचित निगरानी अथवा नीति पैकेज और एक योजना की आवश्यकता है। मेरे विचार से यह एक ऐसा पहलू है जिस पर मंत्रालयों, राज्य सरकारों और योजना कार्यान्वयन निकायों द्वारा अधिक ध्यान दिये जाने की

आवश्यकता है। उन्हें इसके लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में, विशेष रूप से कृषि उद्योग क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। सरकार को फसलोत्तर ऋणों, जोकि 10 प्रतिशत होते हैं और कुछ मामलों में 40 प्रतिशत तक पहुंच जाते हैं, को बन्द करने हेतु उपाय करने चाहिए।

सायं 6.00 बजे

महोदय, हमने यह देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्षों में सुधार हुआ है। परन्तु आज भी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, हम यह देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात् छह से आठ वर्ष के आयु वर्ग में कुल पंजीयन अनुपात अभी भी 58 प्रतिशत है और प्राथमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर पंजीकृत लड़कियों का अनुपात लड़कों के कुल पंजीयन से कम है। ऐसी स्थिति व्याप्त है और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में स्थिति बदतर है।

महिला विकास के बारे में, मैं आर्थिक सर्वेक्षण से उद्धृत कर रहा हूं:

"लिंग भेद एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग आमतौर पर यह बताने के लिए किया जाता है कि महिलाएं अपने जीवन स्तर को सुधारने हेतु रोजगार के अवसर प्राप्त करने में कितनी पिछड़ी हुई हैं। कानून में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है।"

परन्तु वास्तव में सदैव ऐसा नहीं होता है।

अतः सामाजिक क्षेत्र के विकास के संदर्भ में लिंग सम्बन्धी मुद्दे पर ध्यान देने और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के एजेंट के रूप में सशक्त बनाने का प्रश्न है। चूंकि नौवीं योजना में महिला संघटक योजना की पहचान निर्धारित की गई है। काश, इस सम्बन्ध को कुछ गम्भीरता से लिया जाता और उपलब्ध कराई गई राशि इन सभी बातों को ध्यान रखने की दृष्टि से पर्याप्त होती क्योंकि इसमें हमारे देश की 50 प्रतिशत आबादी, अर्थात् महिलाएं, सम्मिलित हैं।

समग्ररूप से आर्थिक सुधारों के मामले में, हम यह देखते हैं कि देश और जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। आत्म निर्भरता, रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन, गरीबी उन्मूलन आदि जैसे आर्थिक सुधार प्रशासनिक, न्यायिक, शिक्षा और श्रम सुधारों के पूरक हैं। ऐसा कहा गया है। परन्तु यदि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर गौर करें तो इसमें इस बारे में विस्तार पूर्वक नहीं कहा गया है। चूंकि यह एक बड़ा भाषण है अपितु इसमें कृषि विकास, जोकि पिछड़ा हुआ है, और पिछले दो वर्षों में इसमें प्रगति नहीं हुई है और गिरावट आई है, जैसे मुद्दों पर सटीक ध्यान नहीं दिया गया है।

जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, इसमें भी गिरावट आई है। यह चिंता का विषय है। शिक्षा के मामले में भी अधिक प्रगति नहीं हुई है। कृषि सुधारों के संबंध में, भूमि सुधारों के महत्व के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के जीवन के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के संबंध में सड़क अवसंरचना के बारे में बात की गई है किन्तु कार्यवाही कुछ भी नहीं की गई है और जहां तक गांवों की सड़कों का संबंध है विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ने वाली सड़कों में से अधिकांशतः को राज्यों के लिये छोड़ दिया गया है और जैसा कि मेरे कुछ सम्मानित मित्रों ने कहा है कि राज्यों के पास आवश्यक अनुदान प्रदन करने के लिये पर्याप्त धनराशि नहीं है। अतः पूरी प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है।

अतः महोदया, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का संबंध है मैं इसका समर्थन करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार उन पहलुओं पर ध्यान दे जिनका मैंने उल्लेख किया है।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : बाइबल की एक कहावत है, "वे भी सेवारत हैं जो खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं।" मैंने आठ घंटे तक लम्बी प्रतीक्षा की है और आपकी अध्यक्षता में मुझे बोलने का अवसर मिला है। अतः मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदया, मैं संसद के दोनों सदनों को संबोधित किये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में श्री मल्होत्रा द्वारा पटल पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव जिसका समर्थन श्री वेणुगोपाल ने किया है, का समर्थन, करता हूं।

राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण पथप्रदर्शक था जिसने इस सरकार की विगत की उपलब्धियों को दर्शाया और भविष्य की आकांक्षाओं को परिलक्षित किया। किन्तु विगत और भविष्य की बातों और उपलब्धियों के संबंध में बात करने से पूर्व मैं सरकार की भारी आलोचना, भर्त्सना और निजी और कुछ हद तक निजी मामलों पर अनावश्यक व्यंग्योक्ति के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

मैं आपका ध्यान श्री सोमनाथ चटर्जी की ऊंची आवाज की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उनका भाषण कल्पना की ऊंची उड़ान का परिणाम था, आवाज कितनी ऊंची है और मन उतना ही रिक्त। इससे मुझे काफी आघात पहुंचा है। खैर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है क्योंकि यह तो वामपंथी दल की निशानी है।

श्री चन्द्रशेखर जो एक सम्मानित नेता हैं, का उल्लेख करते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम उगते हुए सूरज और अस्त होते सूरज, दोनों को ही प्रणाम करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में अस्त होते सूरज का तिरस्कार किया है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा किन्तु उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिये। मेरे विचार में शायद उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो रहा है इसलिये उन्होंने ऐसा कहा है।

जहां तक कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कल और आज दोहरी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। मैं भी चतुर्वेदी से शुरू करूंगा जो संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं।

[श्री अनादि साहू]

महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री चतुर्वेदी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे एक मिनट के लिये मेरी बात सुनें। आपने युद्ध समाप्ति और उसके प्रभावों का उल्लेख किया है। मैं आपका ध्यान वाल्मीकि रामायण के उस दृश्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जहां मारीच रावण को एक परामर्श देता है। परामर्श इस प्रकार था :

"राज्यम पालयितम् सक्यम्
न नीक्षेण निशाचर
नचापि प्रतिकूलेन
नाविनितेन राक्षसः।"

[अनुवाद]

महाराज, आप सिर्फ तलवार के बल पर ही देश पर शासन नहीं कर सकते।

'राज्यम पालयितम सक्यम्
न नीक्षेण निशाचर।"

[अनुवाद]

समझौते की आवश्यकता है। आप हर बार हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। जब आप विश्व पर या देश पर शासन करना चाहते हैं तो परस्पर सहयोग के लिये तत्पर रहना चाहिये .....*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप दे रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे। मेरी यही अपील है.....*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू : कृपया मुझे बोलने दें। आप बाद में प्रतिवाद कर सकते हैं। कृपया मेरे विचारों के प्रवाह को न तोड़ें .....*(व्यवधान)* कृपया व्यवधान न डालें। मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे इन्सान हैं।

राजनीतिक परिवेश में जब आप कतिपय बातों पर विचार करते हैं, तो हमें अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढालना पड़ता है। ऐसा ही लगभग 3000 साल पहले हुआ था।

महोदया, कांग्रेस पार्टी में मेरे मित्रों ने .....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप इस संदर्भ में हमें बतायेंगे कि मारीच और रावण कौन हैं.....*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू : सब जानते हैं कि मारीच और रावण कौन हैं .....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मारीच ने रावण को परामर्श दिया। इसलिये मैंने आपसे पूछा .....*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू : इस विषय में चर्चा करना आवश्यक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों ने कल और आज, विनिवेश के संबंध में बोला है। यह कांग्रेस पार्टी की दोहरी मानसिकता दर्शाता है। 1991 में उन्होंने विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की थी और इस प्रक्रिया को काफी बढ़ावा मिला था। इसे शुरू किया गया था और यह काफी तेजी पकड़ रही थी। आप इस समय यह कैसे कह सकते हैं कि यह सही नहीं है? छत्तीसगढ़ में आपके मुख्यमंत्री ने जनता को ब्लेकमेल करना शुरू कर दिया है और पूरे मामले के मानवीय पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। अधिकारियों और मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें जल, विद्युत और भोजन जैसी जीवन की मूल आवश्यकताओं से वंचित रखा गया। आप यह आशा कैसे करते हैं कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग से आपको लाभ होगा? कृपया 1971 को याद करें जब कांग्रेस ने बाल्को के लिये भूमि पट्टे पर दी थी।

मेरे प्रिय मित्र, श्री शिंदे, जो अब यहां उपस्थित नहीं हैं, ने अपने भाषण में विनिवेश से लेकर विकास और सुधारों से लेकर आरक्षण की बात की और अंत में यह खेद व्यक्त किया कि उनकी पार्टी गत अनेक वर्षों से सत्ता में नहीं आई है।

महोदया, क्या मैं आपकी अनुमति से और श्री सुशील कुमार शिंदे की ओर द्वेषपूर्ण भावना न रखते हुए, जॉन ड्राइडन की कविता से उद्धृत कर सकता हूं :

"ऐ मैन सो वेरियस
दैट ही सीम्ड टु बी—
नाट वन बट आल मैनकाइण्ड्स एपिटाम
स्टिफ इन ओपिनियंस, आलवेज़ इन द रांग;
वाज एवरीथिंग बाई स्टार्ट्स एण्ड नथिंग लांग।"

मैं अपने मित्रों से यही कहना चाहता हूं चाहे वह श्री सुशील कुमार शिंदे हों अथवा कांग्रेस पार्टी से कोई अन्य मित्र जिन्होंने गत दो दिनों में भाषण दिया है वे विनिवेश के संबंध में आरोप लगा रहे थे और चल रही विकास की प्रक्रिया के संबंध में दोष लगा रहे थे।

अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का पुनः उल्लेख करता हूं जिसने एक पथ प्रदर्शक की तरह श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में राजग सरकार के कार्यों पर प्रकाश डाला है।

जब हम प्रकाश डालने की बात करते हैं तो हमें कृषि के संबंध में सोचना चाहिये। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 26.8 प्रतिशत का योगदान देता है और देश का लगभग 65 प्रतिशत कार्यबल कृषि में संलग्न है। लगभग 82 से 85 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में है। अतः जब भी हम कृषि की बात करें हमें ग्रामीण जनता के विषय में सोचना चाहिये। जब भी हम कृषि की बात करें तो हमें उत्पादन वितरण और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के विषय में सोचना चाहिये। पिछले दो दिनों से हम कृषि में उत्पादन पर चर्चा कर रहे हैं। गत वर्ष उत्पादन 209 मिलियन टन था। इस वर्ष तुलनात्मक रूप से उत्पादन कम है। ऐसा प्रकृति की अनिश्चितता, उड़ीसा

में महाचक्रवात, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और अन्य सभी स्थानों में सूखे और विनाशकारी भूकम्प के कारण है। प्रकृति की अनिश्चितता के बावजूद, हमने हार नहीं मानी है। हमने हार इसलिये नहीं मानी है कि क्योंकि पिछले ढाई से तीन वर्षों के दौरान हमने विकास संबंधी कार्यों में बढ़ोत्तरी की है।

मैं आपका ध्यान हाल ही में निकाले गये आर्थिक सर्वेक्षण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि गत दो वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन की मात्रा क्या थी। देश में खरीफ और रबी दोनों फसलों को मिलाकर गत वर्ष के 1571 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन 1697 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा है। जैसा कि मैंने कहा है, यह देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर्शाता है। हमने यह वृद्धि किस प्रकार उपलब्ध की? ऐसा विकास संबंधी प्रक्रिया के कारण संभव हुआ है।

जहां तक कृषि का संबंध है, कृषि के लिये क्या किया जा चुका है, कृषि के लिये कौन-सी राजसहायताएं दी जा रही हैं और अच्छे उत्पादन के लिये कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, इन सबके बारे में आप सभी लोग पहले ही बता चुके हैं। अब मैं कृषि आदानों के संबंध में कहना चाहता हूं। ये हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब तक हमारे पास कृषि आदान नहीं होंगे तब तक कृषि में विकास की प्रक्रिया को जारी रखना संभव नहीं होगा। कृषि आदान क्या हैं। सबसे पहले सिंचाई की बात आती है। हमरे पास बड़े, मध्यम, छोटे प्रकार की उपयुक्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये। इसके पश्चात् सिंचाई में भागीदारी प्रबंधन की बात आती है।

गत वर्ष इसी बात की ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का ध्यान आंशिक रूप से आकृष्ट हुआ था और इस वर्ष व्यापक रूप से ध्यान आकृष्ट हुआ है। कृषि और सिंचाई में प्रबंधन भागीदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि आने वाले वर्षों में उज्जवल भविष्य के लिए कृषि क्षेत्र में आदान बहुत महत्वपूर्ण हैं ताकि योजना अवधि की समाप्ति तक खाद्य उत्पादन 230 मिलियन टन तक पहुंच सके। नौवीं योजना अवधि की सताब्दि तक हमें 230 मिलियन टन खाद्य उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। हमें दस वर्ष की अवधि में अपना खाद्य उत्पादन दो गुना करना होगा क्योंकि तब तक हमारी जनसंख्या और बढ़ जायेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यही बात कही गई है। इसके अतिरिक्त आसान शर्तों पर और अधिक कृषि ऋण उपलब्ध कराना होगा।

हमारे कुछ मित्रों ने यह कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोजगार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान राष्ट्रपति के अभिभाषण के पृष्ठ सात, पैरा 20 की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जहां स्वरोजगार और अन्य प्रकार के रोजगार की सम्भावनाओं का उल्लेख किया गया है।

मैं इस बात पर बाद में बोलूंगा। जहां तक कृषि का संबंध है मैंने यह कहा था कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है और पनधारा प्रबंधन का भी उल्लेख दिया गया है।

महोदया, कृपया मुझे बोलने के लिए थोड़ा और समय दीजिए। यदि आप अपनी आदत के अनुसार घंटी बजा देंगी तो मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : अभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन से चार और वक्ता हैं।

श्री अनादि साहू : मैं भा.ज.पा. की ओर से दूसरा सदस्य बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : परन्तु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दलों के ही कई वक्ता हैं। मुझे उन सभी वक्ताओं, सरकार की ओर वक्तव्य देने वालों को भी अवसर प्रदान करना होगा।

श्री अनादि साहू : कृपया मेहरबानी करके मुझे पांच से सात मिनट का और समय दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगी तो मैं अपनी बात पूरी करके बैठ जाऊंगा।

मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कृषि आदानों में वृद्धि हुई है और सरकार ने इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया है।

सिंचाई के बाद बीमा का प्रश्न आता है। हम सभी यह जानते हैं कि बीमा क्षेत्र भी लोगों के लिए है और कृषि क्षेत्र में भी किसानों को विभिन्न प्रकार के बीमा कवरेज दिए जा रहे हैं ताकि विभिन्न प्रकार की आपदाओं से किसानों, खेतिहार लोगों को कोई परेशानी न हो और इसके अतिरिक्त, उन लोगों जिन्हें रोजगार, चाहे औद्योगिक अथवा कृषि क्षेत्र में नहीं मिलता है, को भी बीमा के अंतर्गत लाने हेतु बेहतर ढंग से विचार किया जा रहा है और जहां तक बीजों का संबंध है, बीज बीमा भी शुरू की जा रहा है। अतः, जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार कृषि आदानों पर सर्वाधिक ध्यान दे रही है।

अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों, विशेष कर उड़ीसा के गरीब लोगों के बारे में विचार कर रहा हूं मैं अपने भाषण को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि माननीय सभापति महोदया ने मुझे चेतावनी दे दी है—जहा। गरीबी 47 प्रतिशत है जबकि पूरे देश में गरीबी लगभग 27 प्रतिशत है। सूखा, बाढ़ और कई अन्य कारणों से उड़ीसा के इन लोगों का स्तर गिर गया है। वहां के लोगों का इस स्थिति से उबरना बहुत मुश्किल है। फिर भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कालाहांडी की हमारी मित्र श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, यहां उपस्थित नहीं हैं, जो इस बात को भलीभांति जानती हैं। उन सभी लोगों को किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि गम्भीर प्राकृतिक आपदा के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

[श्री अनादि साहू]

अतः, जब भी हम निर्धन लोगों के प्रति किसी प्रकार का ध्यान देने की बात सोचते हैं। इस संबंध में एन.डी.ए. ने खाद्य सुरक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मानते हुए, उस ओर ध्यान दिया है। खाद्य सुरक्षा के मामले में लोगों को मूल रूप से आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता और प्राप्ति ही प्रारम्भिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। अब कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के आधार पर क्षेत्रीय विभिन्न नीति के अनुसार आवश्यक पोषक तेलों की उपलब्धता और प्राप्ति निर्धारित की जानी चाहिए।

जैसाकि मैंने कहा था कि उड़ीसा को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मित्रों ने पश्चिम बंगाल में बाढ़ का उल्लेख किया था। पूर्वी राज्यों को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में 61 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है ताकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी राज्यों में कृषि के लिए जल भण्डारण की सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

जैसा कि मैंने कहा है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए एक अलग तरह की नीति की आवश्यकता है। और इसके लिए पहली बात, जैसाकि मैंने कहा है, मूल रूप से आवश्यक पोषण तत्वों की उपलब्धता और प्राप्ति है। दूसरी बात, कृषि उत्पादकता बढाने की है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता के बारे में उल्लेख किया गया है। जहां हम कृषि उत्पादकता के बारे में विचार कर रहे हैं तो हमें कृषि हेतु और भूमि उपलब्ध कराने पर भी विचार करना होगा। इसके लिए हमें सूख प्रवण क्षेत्रों और परती भूमि के अंतर्गत क्षेत्रों का विकास करना होगा ताकि इन दोनों में उत्पादकता बढ़ायी जा सके।

और अंत में, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से लाभदायक सहायक रोजगार उपलब्ध कराना है। ईएएस, जेएएसवाई, जेआरवाई और अन्य योजनाआं के माध्यम से इन आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है। ये सभी योजनाएं शुरू की गई हैं। मैं इन बातों की गहराई में नहीं जा रहा हूं। निर्धन व्यक्ति की मूल आवश्यकता यह सुनिश्चित करना है कि उसे कम से कम 200 से 250 दिनों का काम मिल सके। एक सीमांत अथवा लघु किसान 100 से 150 दिनों तक काम में लगा रह सकता है। उसे वर्ष में और 100 दिनों का काम मिलने से उसे आवश्यक खाद्य सुरक्षा और रोजगार भी प्राप्त होगा।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस सरकार ने रोजगार के अवसर सृजित किए हैं और इसके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में समुचित रूप से प्रकाश डाला गया है।

महोदया, चूंकि सभी बातों का ध्यान रखा गया है और चूंकि मेरे पास और समय नहीं है, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया जिससे यह पता चलता है भारत विकास के पथ पर अग्रसर है।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (धोसी) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण केन्द्र सरकार की नीतियों की रूपरेखा है। उसके संदर्भ में मुझे कहना है कि बहुत बारीक ढंग से आम जनता की मुख्य समस्याओं और आवश्यकताओं की उसमें उपेक्षा की गई है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी हो। हर तरफ इस तरह की नीतियां बनाई गई हैं, जो केवल शब्द और वाक्य विन्यास हैं। ये नीतियां वास्तविकता से बहुत दूर हैं। हमारे देश के युवकों के बारे में बताया गया कि देश की कुल आबादी का 37 प्रतिशत हैं। उनके बारे में कहा गया कि इन्हें गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस की तारीखें अतीत की बात लग सकती हैं। लगता है कि हमारी युवा शक्ति पर सरकार को पूर्ण भरोसा नहीं है, अथवा सरकार मात्र यह चाहती है कि देश की 37 करोड़ की यह आबादी, जो नौजवान हैं, केवल पूर्व के इतिहास की जो गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस की तारीखें हैं, उसको केवल यादगार मात्र ही देखे। व्यक्ति को वर्तमान को सुदृढ़ बनाने के लिए चिंतित रहने की जरूरत है। अतीत एक सपना होता है और भविष्य एक कल्पना होती है। वर्तमान ही अपना होता है। इसलिए वर्तमान के बारे में सरकार क्या कर रही है, क्या हो रहा है, इस बारे में विस्तृत ब्यौरा न देकर, भविष्य में क्या करना है, इस तरह की चर्चा इसमें की गई है।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में 26 जनवरी; 1950 को दिए गए डा. भीमराव अम्बेडकर जी के भाषण को कुछ वाक्य उद्धृत किए गए हैं। कहा गया है:

> "हम अंतिर्विरोधों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनैतिक जीवन में समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता।"

मैं बताना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी डा. भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने जो अथक परिश्रम और संघर्ष करके जो व्यवस्थाएं कायम की थीं, आजादी के पहले जिस आर्थिक और सामाजिक असमानता की बात की थी, उसके लिए सरकार केवल उद्धरण देकर अपना पल्लू झाड़ रही है। जबकि आर्थिक असमानता दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आज सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। चाहे बाल्को हो, मारुति हो, हिन्दुस्तान जिंक लि. हो, एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस हो, इनका निजीकरण किया जा रहा है। इससे तो आर्थिक असमानता और बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए डा. अम्बेडकर जी की बातों को उद्धृत करके जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाकर केवल शब्दों के आडम्बर में उलझाना चाहते हैं। जो बाबा साहेब का सपना था, आर्थिक रूप से जो आरक्षण नौकरियों में मिला हुआ था, अगर निजीकरण हो रहा हो तो उसका क्या

होगा? निजीकरण में जो पूंजीपति मालिक आएंगे, वे आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे। इससे जाहिर होता है कि यह सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की घोर विरोधी है। इसलिए उनके लिए कोई आर्थिक समानता का इंतजाम नहीं करना चाहती। प्रधान मंत्री जी ने जो गरीबों के लिए इस बात को कहा "कि हमारे देश के अन्न भंडार भरे हुए हैं। इसके बावजूद भी पांच करोड़ ऐसे गरीब लोग हैं जो दोनों टाइम खाना नहीं पाते हैं और भूखे सो जाते हैं।" यह कैसी विडम्बना है कि ये अपने वक्तव्यों में इन गरीबों को दरिद्र नारायण की संज्ञा देते हैं। दरिद्र नारायण कहकर उन्हें महिमा मण्डित करके ये उन्हें आभास कराते हैं कि तुम लोग एक अच्छी स्थिति में हो और इस परिस्थिति में पड़े रहने के लिए तैयार रहो। इसलिए मेरा निवेदन है कि गरीबों के लिए जो खाद्यान्न की योजनाएं हैं, सरकार उनके वितरण की प्रणाली में सुधार करने के लिए नीतियों में परिवर्तन करें।

यू.पी. और अन्य प्रदेशों में जो तीन राज्यों की स्थापना की गई है और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल राज्य की स्थापना की मांग काफी वर्षों से हो रही है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो 23 जिलों का बना हुआ है, वह काफी पिछड़ा हुआ है। यहां काफी बेरोजगार और गरीब लोग हैं, भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं ज्यादातर लोगों को रोजी-रोटी से जोड़ने की बात इस पेपर में सरकार कह रही है लेकिन अभी प्रधान मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था कि सरकारी नौकरियों में लोग आने की न सोचें और अपना काम धंधा कहीं अन्यत तलाशें। हमारे पूर्वांचल के मजदूर जो झु··ी-झोंपड़ी डालकर, अपना खोंमचा या पान की दुकान डालकर अपना जीवन यापन करते थे, उनका रोजगार छीनने के लिए प्रदूषण के नाम पर फैक्टरियों को इस सरकार ने सील कर दिया जबकि 83 प्रतिशत प्रदूषण अमीरों की कारों से हो रहा है। केवल 15 प्रतिशत प्रदूषण फैक्टरियों से होता है। लेकिन फैक्टरियों को बंद करके उन्हें अपने घरों को वापस भेजने के लिए, रेलगाड़ियों को चलाकर उन्हें लौटा दिया गया और उनको बेरोजगार कर दिया गया तथा उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई। पूर्वांचल में कोई भी आर्थिक पैकेज लागू नहीं किया गया और न ही पूर्वांचल में रेलों के विस्तार के लिए कोई योजना बनायी गई।

संविधान में मूल समाजवादी भावना के अनुरूप जो संशोधन किया गया था उसके विपरीत निजीकरण की व्यवस्था में सरकार विनिवेश कर रही है। इसलिए मूलभावना के अनुरूप जो समाजवादी अर्थ व्यवस्था लागू करने की परिकल्पना थी, उसके विरोध में संविधान के विपरीत यह सरकार काम कर रही है। इसलिए इस नीति को बदलकर समाजवादी अर्थ-व्यवस्था और मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को कायम करने के लिए नीतियां बनाई जाएं। विद्युत उत्पादन वितरण को प्राइवेट सैक्टर में देने की कोशिश यह सरकार कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, वे इतनी महंगी बिजली लेकर खेती नहीं कर पाएंगे, उद्योग-धंधे नहीं चला पाएंगे क्योंकि बिजली उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगी और यह अमीरों की विलासिता की सामग्री हो जाएगी, इसलिए विद्युत उत्पादन सरकारी व्यवस्था में रखा जाये। अगर प्राइवेट होता है तो उन के मूल्य पर अंकुश रखा जाये ताकि आम जनता, गरीब किसान और मजदूरों को बिजली उपलब्ध हो सके।

श्रम कानूनों में संशोधन करने की बात कही गई है। निश्चित रूप से उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। श्रम कानून श्रमिकों के हित में बनाये जाएंगे या पूंजीपतियों के हित में बनाए जाएंगे, इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उनके शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए उनके अवकाश के लिए, उनके कार्य के घंटों में ढिलाई नहीं गई दी है जबकि पूंजीपतियों को कारखानों और पुराने कारखानों के नवीनीकरण को लिए तमाम योजनाएं दी गई हैं, इसलिए श्रमिकों का हित लक्षित नहीं हो रहा है। यह श्रमिक विरोधी कानून बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न हो रहा है। उनके लिए इस तरह की कोई योजना नहीं बन पा रही है, ताकि ऊपर हो रहे सामन्ती जुल्म को रोका जा सके। न्याय को महंगा किया जा रहा है, जबकि न्याय को आम जनता के लिए सस्ता और सुलभ होना चाहिए। देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में काफी संख्या में मामले लम्बित पड़े हैं, जिससे गांव के गरीब आदमी को परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में न्याय शुल्क को दस गुना बढ़ाकर न्याय को और महंगा कर दिया गया है। यह सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि यह सरकार दलितों, पिछड़ी गरीबों और मजलूमों के विरोध में है। इसके साथ ही सरकार ने शिक्षा को भी महंगा कर दिया है। मंत्री जी ने बयान दिया है कि एक छात्र 50 रुपये की एक टिकट खरीदकर सिनेमा देख सकता है। तो बढ़ी फीस क्यों नहीं दे सकता। यह कैसी विडम्बना है कि इस तरह के वक्तव्य माननीय मंत्री महोदय देते हैं। यह बहुत ही अफसोस की बात है। इसके साथ ही देश में अंधविश्वास का माहौल पैदा किया जा रहा है। यह सरकार दबे, कुचले हुए जो लोग हैं, पिछड़े तबके के जो लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, उनको अंधविश्वास के माहौल में इलैक्ट्रनिक मीडिया के जरिए ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, जय श्रीकृष्ण जैसे सीरियल दिखा कर ढकेलने का प्रयास कर रही है। यह सरकार दबे, कुचले लोगों को पुरानी जिन्दगी में जीवन व्यतीत करने के माहौल में रखना चाहती है। मैं चाहता हूं कि आप इन नीतियों में परिवर्तन करें। हमारी जो अल्पसंख्यक मजदूरों, किसानों, दलितों के प्रति भावनायें हैं, उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। यहां 12 हजार नौकरियों को कम करने की बात कही गई है और उत्तर प्रदेश में दस हजार नौकरियों को राजनाथ जी ने कम कर दिया है। आप किस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की अथवा बेरोजगारों की संख्या को और बढ़ाने की। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में पालिसी को पुनः संशोधित करें और उचित दिशा में कदम उठायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : माननीया सभापति महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महोदया, मैं इस बात के प्रति सचेत हूं कि मैं एक छोटी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता

[श्री अब्दुल रशीद शाहीन]

हूं और मैं यह आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा कुछ बातें प्रस्तुत करने से पहले ही भाषण समाप्त करने के लिए घंटी नहीं बजायेंगी।

सभापति महोदय : यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी देर में अपनी बात कहते हैं।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : मैं बहुत ही संक्षिप्त भाषण दूंगा।

सभापति महोदय : आप 15 से 20 मिनट का समय ले सकते हैं।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : धन्यवाद, महोदया।

महामाहिम भारत के राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार के कार्यकरण और भावी कार्यक्रमों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है।

महोदया, मैं गुजरात के कई हिस्सों में हुए विध्वंसकारी भूकम्प का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। दुर्भाग्यवश पल भर में हजारों जानें गईं। मेरी भगवान से यह प्रार्थना है कि ईश्वर उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। परन्तु यह एक वास्तविकता है हम थोड़ी देर बाद जागृत हुए हैं। राष्ट्र और सरकार दोनों को ही मिलकर इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यह इस देश की परम्परा रही है कि हम चुनौतियों के समय कभी भी निष्क्रिय नहीं रहे हैं। हम इससे निपटेंगे और इसकी प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है।

इसमें 'महाकुम्भ' के तृहत् आयोजन का उल्लेख किया गया है। इस विशाल मेले को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु इसके आयोजक और सरकार धन्यवाद के पात्र हैं।

महोदया, इस अभिभाषण में जम्मू और कश्मीर में युद्ध विराम का भी उल्लेख किया गया है।

इससे पूर्व कि मैं दो शहरों अर्थात् जम्मू और श्रीनगर के विषय में कुछ कहूं, मुझे अपने उन प्रबुद्ध साथियों के महान भाषणों की याद आती है, जिन्होंने निजीकरण और कुछेक अन्य विषयों के बारे में बात की है। इससे मुझे आज यह बात समझ आ गई है कि हम अपने प्रयोजन में कामयाब हो गए हैं। मुझे विदित है कि हम सफल हो गए हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा आभास हुआ है कि हम अपने प्रयोजन में असफल भी हुए हैं। हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई सहस्राब्दी में पहुंच गए हैं, हम अपनी लोकतांत्रिक उदारवादी व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुए हैं और हम इस देश को एक महान प्रजातंत्र बनाने में सफल हुए हैं।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्वतंत्रता प्राप्ति के उस दिन का उल्लेख किया है, जिस दिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने अपने अत्यंत विख्यात भाषण में यह कहा था कि 'राष्ट्र नियति के साथ मिलन की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा है'। उस समय, हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति का जश्न मना रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश, कुछेक बातें ऐसी रह गईं जो जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर में कभी न कभी हमें परेशान कर रही हैं। इस बार हम एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमने युद्ध के लिए पहल न करने की नीति अपनाई है। मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया है कि युद्ध विराम हो अथवा न हो, हमें जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करनी होगी। वे जीते-जागते इन्सान हैं। उनकी अपनी समस्याएं हैं। इस अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि कश्मीर समस्या को निपटने के लिए बहुआयामी नीति अपनाई जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए खेद है कि उस राज्य में हमारी कुछ समस्याएं हैं, जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां आतंकवाद की समस्या है। दुर्भाग्य से हमारी सीमाओं के आसपास दूसरी तरह तनाव उत्पन्न हो रहा है। परमाणु निवारक शस्त्रों की छाया तले ये अपनी सनक में लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और वे जम्मू और कश्मीर को रोजाना और हर समय लक्ष्य बना रहे हैं, लेकिन क्या हम जम्मू और कश्मीर के लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान देते हैं?

हमारे युवक बेरोजगार हैं। राज्य सरकार आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। हम बार-बार सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर दिला रहे हैं। दुर्भाग्य से, इस वर्ष हमारे बजट को दिसम्बर के महीने में अंतिम रूप दिया गया था। महोदय, हमारा सुरक्षा से संबंधित व्यय बढ़कर 1,129 करोड़ रुपये हो गया है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण हमने अपने वेतन बिल पर 550 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं और जम्मू एंड कश्मीर बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में प्राप्त संचित धनराशि पर हम ब्याज का भुगान कर रहे हैं तथा इससे जम्मू और कश्मीर राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है।

हमारे युवक बेरोजगार हैं। हमने भारत सरकार और इस देश में अपने मित्रों से बार-बार यह अनुरोध किया है कि इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। इस बात से मुझे जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद युग के आरम्भ होने से पहले की याद आती है, जब हमारे युवक एकत्रित होकर बैठकें किया करते थे तथा यह आवाज बुलन्द किया करते थे कि उन्हें उचित रोजगार दिया जाए क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के उस क्षेत्र में रहते हैं, जहां कि जमीन ही जमीन है कोई उद्योग नहीं है। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्वतंत्रता दिवस और हमारे गणतंत्र दिवस के स्वर्ण जयन्ती समारोहों की समाप्ति का उल्लेख किया है।

उन्हें आशंका है कि इस देश के 37 प्रतिशत युवक उन महान दिनों की भवना को आत्मसात नहीं कर पाए हैं। हमें अपने 37 प्रतिशत युवकों की ओर ध्यान देना होगा; इसका अर्थ है कि इस देश में 37 प्रतिशत लोग समस्या का सामना कर रहे हैं; इस बार वे एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। अतः, उन्हें रोजगार मुहैया कराए जाने की ओर ध्यान देना होगा। हम लघु और छोटे उद्योग क्षेत्र के बिना नहीं रह सकते। मुझे महान समाजशास्त्री,

श्री एलविन टोफलर की याद आती है, उन्होंने यह उल्लेख किया है, "सभ्यता के तीसरे दौर का आविर्भाव हो रहा है।" यह एकमात्र ऐसा उपमहाद्वीप है, जिसमें सभ्यता के सभी तीनों दौर एक साथ चल रहे हैं। हमारे यहां सभ्यता का कृषि दौर चल रहा है; हमारे यहां सभ्यता का औद्योगिक दौर चल रहा है; इसके चरम बिन्दु पर पहुंचने से पहले, ई-कॉमर्स और कम्प्यूटर आदि के माध्यम से सभ्यता का तीसरा दौर आ गया है। यद्यपि, यह केवल हमारे समाज के उच्च वर्ग तक ही पहुंच पाया है; हमारे किसान और हमारे जो लोग उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं, वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं लेकिन वे समस्याओं से घिरे हुए हैं। इस बार हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे ऐसी समस्याएं नहीं हैं, जो कल ही पैदा हुई हों; ये समस्याएं हमारी उन गलतियों के कारण बनी हुई हैं, जो हमने विभिन्न अवसरों पर की हैं। सच तो यह है कि हमें करना यह है कि हमें अपनी विफलताओं को समझना चाहिए और उनकी ओर ध्यान देना ही चाहिए और राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को हल करने के लिए द्विदलीय दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। शब्दाडम्बर और लम्बे-चौड़े भाषणों से वास्तविकताओं को नहीं बदला जा सकता। सच तो सच ही है और हमें सच का सामना करना होगा। इसके बाद, सभ्यता के तीसरे दौर में अब हमारे देश में जो संस्कृति पनप रही है, वह हमारे युवकों को भ्रम में डाल सकती है क्योंकि वे जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। अतः, हमें ही इन समस्याओं की ओर ध्यान देना होगा।

तदन्तर, जम्मू और कश्मीर में हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी सीमा के चारों ओर सनकी हिंसा का तांडव चल रहा है। हमने अफगानिस्तान में अमंगलकारी मूर्तिभंजन घटना देखी है, जिसने इस्लाम धर्म की छवि को धूमिल कर दिया है। मेरी इस बात को रिकार्ड किया जाए कि हम उस कार्यवाही की निन्दा करते हैं। लेकिन, दुर्भाग्य से, वह कार्यवाही उत्तेजक हो सकती है। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि अफगानिस्तान में दो मिलियन लोग रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश ने वहां पाकिस्तान की पश्चिमोत्तर सीमा से प्रवेश किया है। यह कौन जानता है कि इस क्षेत्र से उस अशुभकारी प्रव्रजन और उनके हमारी सीमाओं में प्रवेश का क्या परिणाम होगा? हमें इस बात के प्रति सचेत रहना होगा और हमें इस पर विचार करना होगा।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उन प्रवासियों, कश्मीरी पण्डितों और मुस्लिमों का उल्लेख किया जाना चाहिए था, जो अपने घरों को छोड़कर राज्य के बाहर कष्टदायक स्थिति में रह रहे हैं और जो अब शिकायत नहीं करते। हमें उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें ही उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है और इससे हमें बहुत-सी पेचिदा स्थितियों को सुलझाने में मदद मिल सकती है।

महोदया, कश्मीर के लोग आपस में और सीमापार के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग सीमापार से इस ओर नहीं आना चाहते, उन्हें अपने भविष्य अपनी समस्याओं और अपनी उलझनों के बारे में बातचीत और चर्चा करने दें। उन्हें इन विषयों के संबंध में चर्चा करने और यह समझने दीजिए कि जम्मू और कश्मीर राज्य के भविष्य का क्या हो रहा है, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बातों अर्थात् जम्मू और कश्मीर को तीन भागों में बांटे जाने संबंधी बातें जो कुछ लोगों के मौन समर्थन से हो रही हैं, का क्या प्रभाव हो सकता है। मैं संसदीय कार्य मंत्री का आभारी हूं कि दो दिन पहले ही, उन्होंने इस सभा में इस बात से बिल्कुल इनकार किया है कि भारत सरकार ऐसे प्रस्तावों का समर्थन कर रही है और यह कि वे ऐसे प्रस्तावों का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। यह वक्तव्य देने के लिए मैं उनका आभारी हूं। लेकिन मुझे यह आशंका है कि कुछ संगठनों के कतिपय महत्वपूर्ण लोग ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, जिनसे इस राज्य के भीतर असंतुष्ट तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है और वे इस राज्य के तीन हिस्सों में घृणा बढ़ा रहे हैं। तीन सांस्कृतिक विशिष्टताओं को एक साथ पोषित किया गया है और वे एक-दूसरे की आत्मा और शरीर हैं। इस राज्य के तीनों भागों के अलग किए जाने के बारे में सोचना एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। यह न केवल हमारे लिए घातक होगा, बल्कि यह देश के लिए भी खतरनाक होगा।

किसी भी स्थिति में ऐसी प्रवृति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। मैं सभी दलों के उन नेताओं, जो ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे संयम बरतें। उन्हें हमारी परेशानियां नहीं बढ़ानी चाहिएं। उन्हें हमारी उन समस्याओं को और नहीं बढ़ाना चाहिए, जिनका हम जम्मू और कश्मीर में अग्रणी संगठन के रूप में पहले ही सामना कर रहे हैं।

सभापति महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं मेरे साथी श्री मल्होत्रा द्वारा पेश किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : सभापति महोदया, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर में बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय राष्ट्रपति का उचित सम्मान करते हुए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित सरकार की नीतियों का विरोध करता हूं।

महोदया, आज देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश में औद्योगिक मंदी है; हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या मंडरा रही है; कारखानों में काम बंदी और छंटनी की गई है; महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं; जातिगत विवाद हुए हैं और अपराधों में चौंकाने देने वाली वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में न तो इन समस्याओं का उल्लेख किया गया है और न ही इसमें इनका कोई समाधान सुझाया गया है।

महोदया, सरकार प्रजातंत्र की बात करती है, लेकिन उसने सामान्य बजट प्रस्तुत करने से ठीक पूर्व आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेंहू, चीनी, मिट्टी के तेल, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल आदि के मूल्यों में वृद्धि कर संसद का घोर अनादर किया है।

[श्री सनत कुमार मंडल]

महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह दावा किया गया है कि निर्धनता कम करने हेतु कृषि नीति का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना है। लेकिन हम देखते हैं कि देश में घोर निर्धनता है हमारे देश में अधिकांश लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नवीकरण करने की बजाय, सरकार इस संबंध में अत्यंत दुलमुल तरीके से कार्यवाही कर रही है।

महोदया, एक समय था जब हम हथकरघा उत्पादों और इंजीनियरी सामान विश्व के विभिन्न भागों को भेजा करते थे, लेकिन अब औद्योगिकी मंदी के कारण उद्योग बन्द अथवा रुग्ण हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात में कमी आई है।

महोदया, अन्य देशों की तुलना में शिक्षा का स्तर भी काफी दयनीय है। हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। वास्तव में हमारे लिए यह एक शर्म की बात है कि स्वतंत्रता के 52 वर्षों बाद भी हमारे देश में निरक्षरता की दर इतनी अधिक है।

महोदया, भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। लेकिन ग्रामीण लोगों की स्थिति दयनीय है। उनके पास पेय जल, शिक्षा और अच्छी परिवहन प्रणाली की सुविधाएं नहीं है।

आज भी दो लाख से अधिक गांवों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, कृषि मंत्री ने नई कृषि नीति पेश की है। यह नीति किसके लाभ के लिए कार्यान्वित की जा रही है? हमें पता है कि छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को इस नई कृषि नीति से कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। बल्कि इस नीति से बहु राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र को लाभ हो रहा है।

हम सभी कश्मीर समस्या से अवगत हैं। हमारे लिए यह एक चिंता का विषय है। घाटी में आतंकवादियों द्वारा हिंसा का शिलशिला शुरू हो गया है। हमें यह याद रखना चाहिए कि कश्मीर की समस्या केवल एक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसमें कई और गम्भीर बातें अंतनिहित हैं। हांलाकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है फिर भी वहां की स्थिति गंभीर है। यह समस्या एक राजनीतिक समस्या है और इसका समाधान राजनीतिक रूप से ही होना चाहिए।

हमारा देश विशाल है। यहां अनेक कठिन समस्याएं है। मैं सरकार का ध्यान सुंदरबन समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। सुंदरबन एशिया का सबसे बड़ी डेल्टा है। सुंदरबन की एक अपनी अद्भुत और मनमोहक सुंदरता है। वास्तव में यह एक देखने लायक जगह है? यह कुछ वनस्पति, नदियों तथा समुद्र वाला टापू है। लेकिन अब यह क्षेत्र एक गंभीर समस्या में हैं। यहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। एक समय में सुंदरवन को पश्चिम बंगाल का अन्न भण्डार कहा जाता था। आज यह द्वीप एक संकट के दौर से गुजर रहा है। नदी सूख चुकी हैं। गाद के जमा होने से नदी तल का स्तर ऊपर उठ गया है। अत्यधिक वर्षा के दौरान, किसान अपने खेतों से फालतू जल को बाहर नहीं निकाल सकते। इस क्षेत्र में कृषि के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गयी है। सुंदरबन की समस्या अत्यंत गंभीर है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण नदियां भर जाती हैं जिसके परिणामसवरूप फसलों को नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसान सब कुछ खो देता है। यही कारण था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सुंदरवन नदी पर बांध बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया था। अब तक केन्द्र सरकार से सुंदरवन नदी पर बांध निर्माण हेतु वितीय सहायता प्रदान करने के बारे में कोई पहल नहीं की है। मैं सरकार से सुंदरबन जल मार्ग को एक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का आग्रह करता हूं।

सुंदरवन के विषय में बात करते हुए मुझे उस विशेषज्ञता समिति का ध्यान आता है जिसे कुछ वर्षों पहले केन्द्र सरकार द्वारा सुंदरवन में समुद्र के जल प्रवाह से विद्युत उत्पादन करने हेतु एक व्यवहार्यिकता अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। परियोजना के बारे में इस समिति की रिपोर्ट सकरात्मक थी। तथापि अब तक सरकार ने इस टापू पर एक विद्युत उत्पादन संयत्र स्थापित करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। केन्द्र सरकार ने सुंदरवन को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह सुंदरबन का समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाये। मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि वह सुंदरवन के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु उपाय करें।

चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये सभी बातें शामिल नहीं हैं, अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इन्ही शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : माननीय सभापति जी, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। मैं प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसका समर्थन करता हूं। दो दिन से इस पर चर्चा चल रही है। सभी पक्षों के लोगों को मैंने बड़े गौर से सुना है। अच्छा लगा। सभी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति आभार प्रकट किया है, उनके प्रति सम्मान प्रकट किया है। लेकिन एक चीज आये दिन देखने को मिली है कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है और राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रारम्भ होता है तो उस समय कतिपय लोगों के द्वारा नारे लगाये जाते हैं, कभी बैनर और पोस्टर भी प्रदर्शित किये जाते हैं और कभी टोका-टाकी होती है। महोदया यह एक कांस्टीट्यूशनल त्यौहार है जिसके तहत उस फंक्शन को हम सभी मनाते हैं। लेकिन इस तरह का व्यवहार निश्चित तौर पर वहां के लिए शोभनीय नहीं है। लोक सभा की बात छोड़ दें, अब तो विधान सभाओं में इससे भी ज्यादा दुखद स्थिति पैदा होने लग गई है। वहां राज्यपाल के लिए संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करना बड़ा ही दुश्कर हो गया है। राज्यपाल वापस जाओ, आदेशपाल वापस जाओ, बहुत तरह के अभद्र नारे वहां लगाये जाते हैं, उनके ऊपर पेपर्स फेंके जाते हैं और कभी-कभी फिजीकल असॉल्ट करने की कोशिश भी की जाती है। राज्यपाल के लिए सदन में अभिभाषण करना एक बड़ा ही कठिन कम हो

गया है। अब उनकी सुरक्षा का सवाल पैदा हो गया है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस सदन में सभी दलों के वरीय नेता यहां मौजूद रहते हैं, सबों को एक इस तरह की परम्परा अपनानी चाहिए, इस तरह की आचार-संहिता बनानी चाहिए कि जिस समय महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो या विधान सभाओं में राज्यपाल का अभिभाषण हो तो उस समय किसी को भी इस तरह का अशोभनीय कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी गरिमा को ठेस लगे और इस कांस्टीट्यूशनल त्यौहार के अवसर पर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़े।

सभापति महोदया, जो पुराने सदस्य हैं उन्हें मालूम होगा कि 1963 में स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति थे, तब उनका अभिभाषण अंग्रेजी में शुरू हुआ था, तो सोशालिस्ट पार्टी के सात सांसदों ने सदन में नारा लगाया—अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, यह नारा लगाते हुए उन्होंने सदन का बहिष्कार किया था। लेकिन उसके बाद सदन ने उसे गंभीरता से लिया था। उस समय श्री जवाहर लाल नेहरू मौजूद थे। सदन में इस पर काफी तीखी आलोचना हुई थी, बल्कि उन सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की जा रही थी। उस समय श्री हिरन मुखर्जी जिंदा थे। उन्होंने उसे रोका और कहा कि जिस पार्टी ने ऐसा किया है वह नीति के आधार पर किया है, कोई उच्छृंखलता के आधार पर नहीं किया है। इसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है लेकिन उन्हें हिदायत दी गई और तदनुसार भविष्य में किसी भी दल के लोगों ने उस तरह का व्यवहार यहां करना वाजिब नहीं समझा और उस तरह की हरकत बंद हुई। लेकिन हाल के वर्षों में फिर से एक चीज शुरू हुई है। मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी दलों को इस पर रोक लगानी चाहिए और एक आचार संहिता बनानी चाहिए।

सभापति महोदया, श्री चंद्रशेखर जी बोल रहे थे। लम्बे समय तक हमने साथ में काम किया है, हम उनका सम्मान करते हैं। वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं। उनमें स्पष्टवादिता है और उनमें एक कंसिस्टेन्सी है, धारावाहिकता है। उन्होंने जो कुछ भी यहां कहा, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जब माननीय मुलायम सिंह जी बोल रहे थे, मैंने उन्हें भी सुना। श्री मुलायम सिंह यादव जी और मैंने लम्बे समय तक एक पार्टी में काम किया है। एक समय था जब वह उत्तर प्रदेश की पार्टी के अध्यक्ष थे और मैं बिहार में पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था। दोनों नेशनल एक्जीक्यूटिव में साथ काम करते थे। आज राजनीतिक घटनाक्रम के कारण हम दोनों आमने-सामने हैं। मैं उनकी बातों को सुन रहा था, वे जिन बातों की चर्चा कर रहे थे, मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा था। ठीक है, उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई किस परिस्थिति में अपनाई गई, उस विषय पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, चूंकि समयाभाव है। लेकिन आज वह रहे थे कि आर्थिक उदारीकरण की नीति से देश पर काफी वित्तीय भार पड़ा है, देश दीवालियेपन की तरफ जा रहा है, देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं उनसे बड़ा अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि 1996-97 से लेकर 1997-98 तक आप भी सरकार में थे, तब आपने क्या किया था उस नीति में कोई परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया था। बस वही राग, वही सारी चीजें चलती रहीं, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ।

सभापति महोदया, वह कह रहे थे कि विनिवेश करके आपने कारखाना बेचने का काम किया है। क्या यह बात सही नहीं है कि 1991 में विनिवेश के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 1993-94 में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था और जब श्री मुलायम सिंह यादव जी सरकार में थे तो पांच हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्त बहुत कम हुआ। कुल 380 करोड़ रुपये उसमें प्राप्त हुए थे। लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने का आपने भी प्रयास किया। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था।

सांय 7.00 बजे

मैं उदारीकरण की नीति का समर्थन नहीं करता हूं। मैंने परसों की चर्चा करते हुए कहा था कि हमारी पार्टी की नीति रही है समाजीकरण की, इसलिए मैं उदारीकरण की नीति की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो लोग सरकार में रह चुके हैं और जिन्हें व्यवस्था को बदलने का मौका था, उनको कुछ करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया।

महोदय, इस देश में अब तक तीन प्रयोग हुए हैं—एकदलीय सरकार, समान धर्मों वाली सरकार और बहुदलीय सरकार। एकदलीय सरकार ने इस देश में कोई क्रांतिकारी काम नहीं किया। जो समान धर्म वाली सरकार आई 1996 से 1998 तक, उसमें कोई तथा कथित कम्यूनल पार्टी नहीं थी, तमाम सैक्यूलर पार्टियों थीं जो सोशलिज्म में विश्वास करने वाली पार्टियां थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ परिवर्तन नहीं किया। आलोचना करना बहुत आसान होता है मगर आचरण करना बड़ा कठिन होता है। आज देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां आलोचना पर जिन्दा रहना चाहती हैं, आचरण पर जिन्दा रहना नहीं चाहती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कठिन परिस्थिति पैदा है, उस परिस्थिति में यह सरकार काम को चला रही है। सभी जानते हैं कि 1967 से विशेषकर 1977 के बाद इस देश में कोआलिशन ईरा आया है। कोआलिशन की अपनी मजबूरियां होती हैं। विपरित परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। आज जो वर्तमान सरकार है उसको कोआलिशन में काम करना पड़ रहा है, 22 दलों की सरकार है। किसी चीज पर जरा भी मदभेद हुआ तो रूठ गए तेल का दाम बढ़े तो एक पार्टी कहेगी कि हम चलें जाएंगे, समर्थन वापस ले लेंगे, जरा कोई दूसरा काम हुआ तो दूसरी पार्टी कहेगी कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। इन विपरीत परिस्थितियों में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने कौशल से, अपने चरित्र के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर इस सरकार को आगे ले जा रहे हैं और नयी दिशा देने का काम कर रहे हैं, निश्चिततौर पर यह काबिला.तारीख है, उन्हें धन्यवाद देता हूं।

महोदय, कहा जा रहा है कि यह सरकार 10 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्णय लेने वाली है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकार उनकी छंटनी नहीं करने वाली बल्कि यह कहा गया है और बजट में प्रावधान किया गया है कि जो कर्मचारी रिटायर होंगे, उनके बाद नई नियुक्तियों में हर वर्ष 10 प्रतिशत कम नियुक्तियां होंगी। जो स्वतः

[श्री रामजीवन सिंह]

रिटायरमेंट लेना चाहें, वह अलग बात है। नरसिम्हाराव जी की सरकार के समय ही वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू हो गई थी।

आज विपरीत परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी जी काम कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने तय किया है कि इस देश में आर्थिक विषमता को रोकने का काम करेंगे। मैंने पूर्व के सभी राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषणों को पढ़ा है, खासकर जब-जब सरकारें बदली हैं और नयी सरकारें आई हैं, उस समय राष्ट्रपति जी द्वारा जो अभिभाषण दिए गए हैं, उनको भी मैंने बड़े गौर से पढ़ने का काम किया है। कहीं किसी में शब्द का भेद भले ही मैंने देखा, सारांश सबके समान पाए गए हैं। सबमें एकरूपता रही है। लेकिन आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक नई दिशा देने का काम किया है। एक नया सपना देखा है, एक नई दृष्टि देकर इसे चलाने का काम किया है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम इस देश में आर्थिक विषमता को मिटाकर समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे और इसके लिए उन्होंने तय किया है कि हम प्रशासनिक सुधार करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चिततौर पर इसको बल देना चाहिए। आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, प्रशासनिक सुधार पर किसी भी सरकार ने गौर नहीं किया है। हम योजना में लक्ष्य रखते हैं, बजट में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि जिस मशीनरी के द्वारा हम उसका क्रियान्वयन कराते हैं, उसमें जंग लगा हुआ है। याद रखें, जब तक इस प्रशासनिक ढांचे से आप काम करवाना चाहेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई पटरी है। याद रखें, गांधी के देश की गाड़ी आजाद भारत की गाड़ी, लोकतांत्रिक भारत की गाड़ी जब तक अंग्रेजी सल्तनत द्वारा बिछाई गई पटरी पर चलती रहेगी, तब तक हमेशा वह गाड़ी उलटेगी और कभी भी गंतव्य तक पहुंच नहीं सकती है, आप निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस सरकार ने प्रशासनिक सुधार का जो निर्णय लिया है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसका उल्लेख किया है कि हम प्रशासनिक सुधार करेंगे, न्यायिक सुधार करेंगे, शिक्षा नीति में परिवर्तन करेंगे और श्रम नीति में परिवर्तन कर देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। इसके लिए मैं सरकार को ध न्यवाद देता हूं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिसका उल्लेख कहीं भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं आया है कि आज हमारा संपूर्ण देश नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, जो हमारे सारे विकास और सारी उपलब्धियों को निगलते जा रहा है।

सभापति महोदया, मैं इस बात को मानता हूं कि भ्रष्टाचार आज किसी दल का सवाल नहीं है, किसी सरकार का सवाल नहीं है यह राष्ट्रीय सवाल है। इसलिए जब इसको मिटाने के लिए आम सहमति के साथ सरकार कुछ करे, जो यह अच्छी बात होगी हमें इसके ऊपर आम सहमति बनानी होगी कि कैसे सरकार से, प्रशासन से और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। इसके बारे में सभी दलों के साथ बैठकर, बातचीत कर के आम सहमति बनानी चाहिए और कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार समूल नष्ट हो सके।

सभापति महोदया, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम देश से आर्थिक विषमता को मिटाना चाहते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सम्पत्ति के साधन सीमित हैं, लेकिन प्रशासनिक खर्च असीमित है। उसे सीमित करना होगा। यदि प्रशासनिक खर्च को सीमित नहीं करेंगे, तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। मेरा विचार है कि हमें प्रशासनिक सुधार करने, न्यायिक सुधार करने और देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। जब तक कारगर कदम नहीं उठाएंगे, तब तक न तो प्रशासनिक सुधार होगा, न न्यायिक सुधार हो सकता है और न भ्रष्टाचार मिटा सकता है।

महोदया, अन्त में, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका तथा अपनी पार्टी का आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा में भाग लेने का यह अवसर प्रदान किया।

कौल और शकरधर तथा डा. कश्यप ने कहा है कि संसद राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों सदनों को मिला कर बनती है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी उनके स्पष्ट और कुशल अभिभाषण के लिए अत्यंत आभारी हूं। उन्होंने अपने अभिभाषण में सत्ता पक्ष को नाराज किए बिना सही बात को ही सही कहा उन्होंने अपने भाषण में आगामी वर्ष में सरकार के प्रस्तावित कार्यों की झलक पेश की है।

उन्होंने अपने अभिभाषण की शुरूआत गुजरात में आये भूंकप तथा उड़ीसा में आये चक्रवात का जिक्र करते हुए इनसे संबद्ध अन्य बातों को सामने रखा। 1999 में हम सभी सदस्यों ने यह मांग की थी कि उड़ीसा में आये चक्रवात को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उस समय सरकार ऐसा करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसा करने की न तो उनकी इच्छा ही थी न ही ऐसा करने की दूरदर्शिता। लेकिन दुर्भाग्यवश गुजरात के हमारे भाई-बहनों को सरकार को उसकी उदासीनता और नींद से जगाने के लिए विनाश, मृत्यु, नाश तथा यातनाओं से गुजरना पड़ा। अब उनका विचार एक समिति गठित करने का है जो राष्ट्रीय आपदा की परिभाषा की जांच करेगी। ऐसी किसी समिति के गठन की बात किसी भी वित्त आयोग में नहीं की गयी थी।

माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का भी जिक्र किया है। हम इस बात के आभारी हैं कि माननीय प्रधान मंत्री इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम गत 35 वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। अतः

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। कम से कम अंत में गुजरात के लोगों और विशेषकर उड़ीसा के लोगों के दुःख को देखते हुए सरकार अपनी उदासीनता से जागी।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने इस बात का जिक्र किया है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें विरोधाभास है। राष्ट्रपति महोदय ने डा. बी.आर अम्बेडकर को उद्धृत किया है। हम उन्हीं विरोधाभासों में जी रहे हैं लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह सरकार तो अपने आप में एक विरोधाभास है। यह सरकार 24 भिन्न-भिन्न दलों का समूह है। ये लोग जो बोलते हैं जिसकी घोषणा करते हैं, औपचारिक रूप से कहते हैं तथा उनके द्वारा किये गये कार्य सभी आशाओं और आकांक्षाओं तथा घोषणाओं को झूठा साबित करते हैं। जो भी उन्होंने कहा है, हांलाकि यह एक कूटनीति के तहत कहा गया है, फिर भी यही दर्शाता है कि हमें गत 50 वर्षों की अर्थात् 1947 से लेकर अब तक की अपनी उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। लेकिन नई चुनौतियां सामने आ रही हैं।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि हमारी जनसंख्या का 38% युवा वर्ग है। हमारा देश पूरे संसार सबसे अधिक युवाओं वाला राष्ट्र है जिसकी सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है लेकिन इस बात के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया कि सरकार इनके लिये क्या करना चाहती है।

मैं इस विषय पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे से पहले माननीय सदस्यों, श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री पवन कुमार बंसल तथा श्री सत्यवर्त चतुर्वेदी इस पर अच्छी तरह से भाषण दे चुके हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कारगिल और गुजरात भूकंप का कम जिक्र किया था जिसमें उन्होंने सेनाओं के उत्कृष्ठ कार्य-निष्पादन की प्रशंसा की है और बात यहीं समाप्त हो जाती है। मैं विरोधाभासों के बारे में भी बात करूंगा जब सशंस्त्र सेनाओं अथवा अर्ध सैनिक बलों अथवा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों पर विचार करने का प्रश्न उठता है, हमारी सरकार का क्या रुख होता है? इसकी क्या उद्घोषणा होती है? मैं शीघ्र ही इनके बारे में बात करूंगा। माननीय राष्ट्रपति ने धनराशि के चोरी होने तथा राजनीतिक स्थिरता का भी जिक्र किया है। चेतावनी देने का यह बहुत ठीक तथा कूटनीतिक तरीका है। उन्होंने ग्यारहवें वित्त आयोग के बारे में बात की है। संसद के अंतिम सत्र में बिना किसी चर्चा के हमें माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह सूचना दी गयी कि आयोग बड़ी रिपोर्ट को स्वीकार किया जा चुका है। एन डी ए के सहयोगी दल बी जे डी को तीखी टिप्पणियां करनी पड़ी क्योंकि जिस राज्य का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी बुरी तरह से उपेक्षा की गयी है। हमें लगता है कि हमें जितना ग्यारहवें वित्त आयोग से मिला था उससे अधिक हमने खोया है।

राष्ट्रपति पैरा 21 में कहते हैं :

दशक का साधारण मंत्र होगा "तीव्र तथा अधिक संतुलित विकास"। उन्होंने कृषि और नई कृषि नीति की बात भी की है। लेकिन कार्यान्वियन का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने नई कृषि नीति, पनधारा विकास, पेयजल, सिंचाई, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले इत्यादि का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बुनियादी सुविधाओं तथा परिवहन बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास का उल्लेख किया है। उन्होंने भारतीय रेल को एक जीवन रेखा के रूप में बताया है। महोदया, आपके राज्य, मेरे राज्य तथा अन्य राज्यों की आकांक्षाओं को पूरा करने में 15 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। लेकिन इस बात का जिक्र कहीं नहीं है कि यह 15 हजार करोड़ रुपये कहां से आयेंगे। उन्होंने सरकारी उपक्रमों, वस्त्र, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा जेल संसाधनों का उल्लेख किया है। पूरी बात में एक विरोधाभास है।

मैं केवल तीन विषयों पर ही बोलूंगा। एक विरोधाभास उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों की स्थिति के बारे में है। उड़ीसा को वित्त आयोगों में से किसी से भी पूरा हक नहीं मिला है। सरकार ने केवल अंतर को पूरा किया है। बिना विशेष ध्यान दिये तथा अधिक निवेश किये उड़ीसा जैसा राज्य अथवा मध्य प्रदेश के भाग अथवा आंध्र प्रदेश अथवा पश्चिम बंगाल अथवा पूर्वोत्तर राज्यों में से किसी में भी शेष भारत में हो रहे विकास के बराबर विकास नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ऐतिहासिक तथा जलवायु स्थितियों से हमारा संसाधन आधार कमजोर पड़ गया है। थोड़ा बहुत करने से उड़ीसा जैसा राज्य ऊपर नहीं उठ सकता। यही बात उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से अपने अभ्यावेदन के जरिए कही है। हमने भी पिछले सत्र अर्थात् संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान यह मुद्दा उठाया था लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा भेदभाव हमारे साथ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सुन्दरता देखने वाले की आंखों में होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सदन के सभा पटल पर मेरी बात गलत साबित करके दिखाएं। मैं माननीय मंत्री जी अथवा माननीय, प्रधानमंत्री अथवा इस प्रस्ताव को लाने वाले से इन विरोधाभासों को दूर करने के लिए कहूंगा जो मैंने अभी-अभी बताए हैं। आप किसी भी एक मुद्दे को ले लें। उदाहरण के लिए पर्यावरण को ही ले लें। अंगुल में एक स्पॉण्ड नाम की एक बीच थी। गत दस वर्षों से हम पर्यावरण पर फलाई एस के खतरों के इस मामले को उठा रहे हैं। यह उतना ही गंभीर है जितनी भोपाल गैस त्रासदी। लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे 20 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अब कुछ समितियां गठित की गई हैं जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति। कुल 522 समितियां और उप समितियां हैं।

यह सब समाचार पत्रों में छपा है और किसी ने भी इस बात का खण्डन नहीं किया है अथवा किसी ने भी स्पष्टीकरण देने का प्रयास नहीं किया है कि ये समितियां प्रशिक्षित जनशक्ति, समर्पित जनशक्ति और उपस्करों के बिना इस पृथ्वी पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का सामना कैसे करेंगी चाहे यह गुजरात, लातूर अथवा चमोली तथा उत्तराखंड में आया भूंकप हो या आंध्र प्रदेश अथवा उड़ीसा में आया तूफान हो या पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ हो। इन सब प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए न तो कोई नीति है, न ही प्रशिक्षित जनशक्ति है और न ही संसाधन हैं। यहां पर समितियों के सिवाय कुछ भी नहीं हैं।

[श्री के.पी. सिंह देव]

जल संसाधन का मामला भी ऐसा ही है। रेंगाली बांध पर 621 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं परन्तु इस शताब्दी के भीषण सूखे के दौरान यहां पर एक बूंद पानी भी उपलब्ध नहीं थी। गत वर्ष 31 जिलों में से 26 जिले सूखे से प्रभावित थे। इस वर्ष सूखे से 20 जिले प्रभावित हुए हैं। क्योंकि पानी को तीन रेलवे लाईनों के पार नहीं छोड़ा जा सकता है। रेलवे लाईन के एक ओर पानी है और नहर का 80 प्रतिशत भाग रेलवे लाईन के दूसरी ओर है। संबंधित अधिकारी अनुमति देना भूल गये हैं। अतः पानी बांध और जलाशयों में है परन्तु नहरें सूखी पड़ी हैं। ऐसा ही मामला ब्राह्मणी नदी से प्रदूषण का है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम--एनटीपीसी के साथ-साथ नालको इसे प्रदूषित कर रहे हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दल ने 1990 में यहां का दौरा किया परन्तु अब तक कोई कार्य योजना तैयार नही की गई है। श्री बालू ने सदन में उत्तर दिया था कि हमने राज्य सरकार को कार्य-योजना तैयार करने के लिए कहा है। महोदया, चाहे यह जब संसाधन अथवा कृषि से जुड़ा मामला है, हमने इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। उड़ीसा में आए तूफान के बारे में कल दिये अतारांकित प्रश्न का उत्तर में मुझे आज मिला। उड़ीसा सरकार ने 6600 करोड़ रुपये की मांग की परन्तु केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार को 850 करोड़ रुपये दिये हैं जिसमें से 50 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में तथा 800 करोड़ रुपये ऋण अथवा अग्रिम सहायता के रूप में प्रदान किये गये हैं। केन्द्र सरकार ने गुजरात को यहां पर आये भूकम के दौरान तीन दिन में ही 500 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं परन्तु उड़ीसा को डेढ़ वर्ष के बाद भी उसके द्वारा मांगी गयी धनराशि नहीं मिली है। अतः यह भेदभाव, पक्षताप और विरोधाभास का मामला है।

महोदया, मेरा दूसरा मुद्दा सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में है। मैं अपनी बात को जल्द ही पूरा करूंगा। तीसरा मुद्दा आपका अपना विषय अर्थात् खेल और शारीरिक शिक्षा के बारे में है।

गत वर्षों के आंकड़ों के अनुसार रेलवे ने अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत रेल कर्मचारियों पर 416 करोड़ रुपये खर्च किये। जब माननीय रक्षा मंत्री जो कि भूतपूर्व रेल मंत्री हैं यहां पर उपस्थित थे तो मैंने इस मामले को सदन में उठाया था। भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर अंशदायी स्वास्थ्य योजना अथवा अन्य योजनाओं अथवा रेलवे की अपनी स्वास्थ्य यूनिटों और अस्पतालों के माध्यम से 1999 तक प्रति व्यक्ति 500 रुपये खर्च किये और रक्षा मंत्रालय प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक पर 5 रुपये खर्च कर रहा था। रक्षा मंत्रालय की सूची के अनुसार 14.30 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। पांचवें वेतन आयोग ने इस धनराशि को बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया था, परन्तु 100 रुपये उन भूतपूर्व सैनिकों को दिये जायेंगे जो सैनिक अस्पताल में जा सकते हैं। 90 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक सैनिक अस्पतालों और सैनिक पोली क्लिनिकों से दूर रहते हैं। अब 100 रुपये किसी आदमी अथवा किसी पशु के लिए और निश्चित रूप से किसी भूतपूर्व सैनिक के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

अब हम कारगिल में उनकी भूमिका का गुणगान कर रहे हैं। इस सरकार की असफलता से हम कारगिल की लड़ाई लगभग हार चुके थे। परन्तु इस लड़ाई को जीतने का श्रेय 509 जवानों और युवा अधिकारियों को जाता है जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। सरकार ने, चाहे यह गृह मंत्रालय हो अथवा रक्षा मंत्रालय हो अथवा प्रधानमंत्री का कार्यालय अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् इस ओर ध्यान नहीं दिया। महोदया, यह विषय चौथी बार कार्यसूची में शामिल किया गया है। मैं आशा करता हूं कि हमें 22 और 23 तारीख को इस विषय पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं इस विषय पर और अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

गुजरात में आये भूकंप के दौरान राहत कार्यों में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हुए सशस्त्र सेना के अनेक व्यक्तियों की जानें गई अथवा उनके अंग-भंग हो गए। उन्हें चिकित्सा सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। सरकारी कर्मचारियों की यह एकमात्र श्रेणी है जिन्हें सरकारी स्रोतों से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। वर्तमान समिति ने चौथी बैठक में अपने हाथ खड़े कर लिये कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार के पास संसाधनों की कमी है। यदि सरकार अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए संसाधन जुटाती है तो यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन हमारे लिए तथा राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया है, संसाधन क्यों नहीं जुटाती?

कोहिमा युद्ध समाधि क्षेत्र में जो कुछ लिखा है मैं उसे उद्धृत करता हूं। इसमें लिखा है कि, "जब आप अपने घर वापस जायें तो उन्हें हमारे बारे में बतायें कि उनके कल के लिए हमने अपना आज छोड़ दिया।" यह वह बात है जिसे यह सरकार जिन सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, के बारे में सोचती है।

तीसरा मुद्दा खेल और शारीरिक शिक्षा के बारे में है। 1948 से 1995 तक हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन, डा. मुद्रालियर, डा. कोठारी और अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रतिवेदनों में यह सिफारिश की है कि शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को स्कूलों में पाठ्यक्रम का एक भाग बनाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं समझती हूं कि सभापति होने के नाते आपके पास भी एक प्रतिवेदन होगा।

श्री के. पी. सिंह देव : नहीं, महोदया। उस समय आप मंत्री नहीं थी। श्री अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री थे और श्री मुकुल वासनिक खेल मंत्री थे। देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया था। परन्तु, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को आधारभूत संरचना प्रदान किये बगैर बजट में विश्वविद्यालयों से फील्ड स्टेशनों और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को अलग कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुदान वापिस ले लिये हैं, अब खेलों को समवर्ती सूची में शामिल करने का गलत प्रयास किया जा रहा है ताकि इसमें

अधिक नौकरशाही नियंत्रण और अधिक हस्तक्षेप हो। आज यदि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार हो रहा है, यदि इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत विकास हुआ है तो इसका कारण यह है चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। आज हम खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ओलम्पिक खेलों में हमें कुछ प्राप्ति हुई है। इसके लिए मैं भारतीय खेल प्राधिकरण, नेशनल फैडरेशनों और राज्य एसोसिएशनों का आभार व्यक्त करता हूं, परन्तु नौकरशाही नियंत्रण और हस्तक्षेप के द्वारा इन उपलब्धियों की महत्ता समाप्त हो जाएगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपके इतने एन.डी.ए के पार्टनर्स हैं, इस बीच में सब को बुला रहे हैं। उन सब का नाम भी आपके साथ ही लगाया हुआ है।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में चर्चा की शुरूआत गुजरात से की, जो देश के लिए भीषण त्रासदी थी। उस त्रासदी में देश के लोगों के साथ होते हुए हमारी पार्टी की सरकार की जो सामाजिक जिम्मेदारी बनती थी, देश के प्रति जो जिम्मेदारी थी, मुझे बड़े गर्व और फख्र के साथ कहना पड़ता है कि उस कर्तव्य को, उस जिम्मेदारी को हमने बड़े ही अच्छे ढंग से निभाया, जिसके बदले हमें उत्साह के साथ गुजरात के लोगों की भूरि-भूरि प्रशंसा मिली। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का वह आईना है, जो सरकार की रीति और नीति का बोध कराता है, सरकार की मंशा को दर्शाता है, सरकार की मंजिल को बताता है कि सरकार देश के लोगों के लिए क्या करना चाहती है, सरकार की मंशा क्या है, किस मंजिल तक देश के लोगों को वह ले जाना चाहती है। माननीय वाजपेयी जी के मजबूत नेतृत्व में, इसमें कोई शक नहीं कि तीन साल में देश ने उन्नति की है, गुजरात की त्रासदी को बड़े अच्छे ढ़ंग से टैकल किया गया है।

अगर जम्मू-कश्मीर की बात लें तो युद्ध विराम की घोषणा करके, जो देश को शान्तिदूत का गौरव प्राप्त है, उस गौरव को भी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बड़े अच्छे ढंग से महत्ता मिली। आज देश परमाणु शक्ति के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। कारगिल का युद्ध हमारे मान और सम्मान की बात थी, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें मजबूती मिली, ताकत मिली। अगर महाकुम्भ की बात करें तो उससे भी यह लगता है कि आज देश में सामाजिक एकता बढ़ी है।

वाजपेयी जी का नेतृत्व कुशल नेतृत्व है। लोगों की जो भावना थी, जिन्होंने जाति, धर्म, मजहब और अगड़े-पिछड़े की सारी बातों को छोड़कर वाजपेयी जी को सत्ता सौंपी, उस पर वे खरे उतरे। देश ने विकास किया है, चाहे यह सूचना-प्रौद्योगिकी का मामला हो या अन्य क्षेत्र हो। उसके बावजूद भी कुछ अनछुए पहलू हैं, जिनकी कुछ उपेक्षा की गई है। इन पर सरकार को गौर करना चाहिए। बड़े जोर-शोर से चर्चा की है कि हमने विकास किया है, इसमें कोई शक नहीं कि देश ने सॉफ्टवेयर के मामले में विकास किया है। स्वयं वाजपेयी जी कहते हैं कि सूचना और प्रौद्यागिकी के सॉफ्टवेयर में हमारा देश अग्रणी है। नेशनल एसोसिएशन आफ सॉफ्टवेयर कम्पनी के अनुसार देश में सॉफ्टवेयर की 545 इकाइयां हैं, जिनमें से 85 प्रतिशत बड़े शहरों, बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई वगैरह में हैं। लेकिन सिर्फ इस उद्योग को ही बढ़ावा देकर हम अपने देश के उन बच्चों को ही शिक्षित कर पाएंगे जो इन शहरों में रहते हैं और जिनके पास इसे ग्रहण करने की सुविधा है। इस तरह हम सिर्फ सूचना और प्रौद्यागिकी के बल पर ही देश का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। जिस देश में 99 प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में दाखिल होकर पांचवी तक पहुंचते-पहुंचते 58 प्रतिशत रह जाते हैं, उस देश में सूचना और प्रौद्योगिक उद्योग का क्या महत्व है, यह समझा जा सकता है। केवल 10-15 प्रतिशत लोगों को ही इसका लाभ मिलता है। सरकार इस मामले में एक नीति बनाए और विचार करे कि आखिर क्यों 99 प्रतिशत बच्चे स्कूल में दाखिला लेकर धीर-धीरे 58 प्रतिशत तक रह जाते हैं।

हमारे देश में माध्यमिक स्कूलों की संख्या एक लाख दस हजार के करीब है। लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मुश्किल से साढ़े तीन लाख होगी। यह इस बात का द्योतक है कि सिर्फ सूचना और प्रौद्योगिकी में ही विकास करने से विकास नहीं हो सकता। एक तरफ हम विकास कर रहे हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों को अंधकार में डुबोया जा रहा है। इसलिए हमें इस पर भी सोचना चाहिए। विकास के साथ-साथ समाज में समानता की भावना भी आनी चाहिए।

आज शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए 200 बिलियन रुपया व्यय करने की आवश्यकता है, जबकि हम अभी सिर्फ 40 मिलियन रुपया ही व्यय कर पा रहे हैं। शिक्षा के स्तर में जब तक हमारा देश जागृत नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केवल सूचना और प्रौद्योगिकी को ही बढ़ावा देकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

खाद्यान्न के बारे में हम कहते हैं कि देश के किसानों ने अपनी मेहनत से खाद्यान्न का भंडारण पूरा किया है। लेकिन आज हालात सबके सामने हैं। वाजपेयी जी कहते हैं कि फल उगाइए, सब्जियां उगाइए। उसके लिए कोल्ड स्टोरज बनाए जाएं ताकि कीमत अच्छी मिले तो बेच दीजिए और कम कीमत मिले तो उसमें स्टोर किया जा सके। आज देश में अनाज बहुत है, लेकिन भूख से मरने वाले भी बहुत हैं। यह ठीक है कि आज देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। हकीकत में देखा जाए तो कई लोगों को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उसमें किसान मेहनत करता है। लेकिन उसकी जरूरतों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। आज देश में क्षमता है बिजली पैदा करने की, लेकिन हम किसानों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं, किसानों की तो छोड़िए, उद्योगों को भी पूरी बिजली नहीं दे पा रहे हैं।

90 के दशक के प्रारम्भ के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में जो बिजली प्रयोग होती थी, वह कुल बिजली उत्पादन का 40 प्रतिशत थी लेकिन आज वह बिजली उत्पादन का प्रतिशत घटकर 33 प्रतिशत रह गया है।

[श्री सुशील कुमार इन्दौरा]

हम औद्योगिक बिजली कहां दे पाते हैं? आज देश आत्मनिर्भर है और बिजली पैदा करने की हमें क्षमता है लेकिन हम बिजली नहीं दे पाते हैं। आज देश में जल बहुत है लेकिन आज प्यासे रहने की नौबत आ गई है। गांव में आज भी पीने के पानी की समस्या है। किसान को खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कोई जल नीति ऐसी नहीं बनाई गई जो देश के जल भंडारण को पूरा करे। कागजों पर ये नीतियां जरूर बनाई गई हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रीय जल नीति होनी चाहिए लेकिन क्षेत्रिय विवाद भी होते रहते हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। न्यायालय में मामला लम्बित है और सालों मामला लम्बित पड़ा रह सकता है लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपसी वार्ता से उन मसलों को सुलझायें। जल के मामले में हरियाणा और पंजाब का जो सतलुत-यमुना का जल विवाद वर्षों से लम्बित है, सरकार इसमें पहल करके आगे कदम बढ़ाए और इस विवाद को दूर करने का काम करे। इससे न केवल पंजाब के लोगों को फायदा होगा बल्कि हरियाणा प्रदेश की सूखी धरती वह चाहे महेन्द्रगढ़ की हो या रेवाड़ी की हो, उनको भी फायदा होगा और वे अपने किसानों की बिजली दे पाएंगे जिससे हमारे किसान ज्यादा मेहनत करके देश को आत्मनिर्भर बना सकें।

अगर अभिभाषण को देखा जाये तो पाएंगे कि पूरे अभिभाषण में कहीं पर भी उन लोगों का जिक्र नहीं किया गया है जो लोग सबसे ज्यादा लोक तंत्र की रक्षा करते हैं और सबसे ज्यादा लोक तंत्र में भाग लेते हैं। दलित समाज के लोग, एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। उनके लिए कहीं कोई लाभकारी योजना बनाई गई है, कहीं भी इस बात का संदेश नहीं पहुंचाया गया है कि उनको रोजगार मिलेगा या उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा या उन्हें ऊपर उठाने का काम किया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं दिखाया गया है कि ये लोग सरकार का इस बात के लिए गुणवान करें।

श्री विजय गोयल : पेज 47 पर है। .....*(व्यवधान)*

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा : सबसे ज्यादा जो मतदान करने वाले लोग हैं, उनको संदेश खुले तौर पर जाये कि सरकार उनके हर विकास के लिए तैयार है। आज हम रोजगार की बात करें और वर्ष 1990-91 के रोजगार की वृद्धि को देखें तो वह 2.39 थी और आज की वृद्धि देखें जो घटकर 1.09 हो गई है, इससे पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर है। मैं सरकार का सहयोगी हूं। मैं इसलिए सरकार को चेताकर बताना चाहता हूं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यदि सरकार से कहीं थोड़ी भूल हो गई है क्योंकि वाजपेयी जी के लिए सामाजिक एकता की बात हो रही है, मैं सरकार को चेताना चाहता हूं।.....*(व्यवधान)* चेतावनी और चेताने में बड़ा फर्क है। सरकार हर मामले में गंभीर है लेकिन कहीं-कहीं जो बातें रह जाती हैं, उनमें हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार को सलाह दें। आज प्रशासनिक ढांचे में भ्रष्टाचार जो देश को दीमक की तरह खा रहा है और खासकर केन्द्रीय कार्यालयों में चाहे वह टेली-कम्युनिकेशन हो या रेलवे हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पा रही है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले कि जो देश का प्रशासनिक ढ़ांचा है, कार्य प्रणाली आज अक्षम्य हो गई है, जिसमें परिवर्तन की जरूरत है, जिसमें सुधार की जरूरत है। प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन के लिए सरकार ने कहा है कि वह कर्मचारियों की छंटनी करेंगे और छंटनी करके नान-प्लान खर्च में कमी करेंगे। मेरे पास आंकड़े हैं, 1993 में प्रशासनिक पदों पर नियुक्त संख्या 1459 थी, जो बढ़ कर दो हजार हो गई है। सरकार का यह कहना कि वह नान-प्लान खर्च में कमी करेंगे, सरकार को इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिए।

महोदय, माननीय अटल जी के नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है। गुजरात में भी सरकार द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं। मुझे इस बात को कहने में अतिश्योक्ति नहीं है कि फीजी के प्रधानमंत्री, श्री महेन्द्र चौधरी, जब यहां आए, तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। हरियाणा प्रदेश में रहने वालों की एक पहचान थी और उसी पहचान को विदेश नीति के साथ सहारा नहीं दे पाए। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनको भारत देश के सहारे की जरूरत है। इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए।

अंत में, मैं यह कहूंगा कि कि मेरी पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती है। इसके साथ ही हमने जो सुझाव दिए हैं, गरीब आदमियों के लिए जो सुझाव दिए हैं, जैसे बिजली की बात है, किसानों की बात है या आम गरीब आदमी की बात है, उन पर विशेष ध्यान देकर सरकार काम करे।

श्री अमर रायप्रधान (कूचबिहार) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने 19 फरवरी, 2001 को दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण दिया है, मैंने उसको बहुत गम्भीरता से पढ़ा है। इस अभिभाषण में कुछ-कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया अभिभाषण वाजपेयी जी ने नेतृत्व गठबंधन सरकार का वक्तव्य है। इस अभिभाषण में कुछ-कुछ ऐसी चीजें हैं, जो अर्द्धसत्य हैं और जिनको छिपाया गया है। महोदय, आज दोपहर 12 बजे आपने यहां खड़ी होकर महिला आरक्षण विधेयक के विषय में बोलीं। हमारी पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है, लेकिन राष्ट्रपति जी से अभिभाषण में कन्सैन्सस की बात कही गई है। सदन में सभी मुद्दों पर कन्सैन्सस नहीं हो सकता है, आप कन्सैन्सस की बात कहते हैं। हमारी पार्टी के लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं। इसलिए इस विधेयक को इसी सैशन में पास करना चाहिए।

आप देखिए, अभिभाषण में लिखा है :

[अनुवाद]

पिछले पखवाड़े भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा जनगणना कार्य आरंभ किया।

[हिन्दी]

एक करोड़ से ज्यादा आदमी हैं, यह अर्द्धसत्य है। बंगलादेश के घिरा हुआ क्षेत्र है और उधर कम से कम दो लाख आदमी हैं।

यह बहुत अफसोस और दुख की बात है कि 50 सालों के बाद भी वहां अभी तक कोई सैंसस नहीं हुआ। महाजन जी, आप बताइए और आपका वहां कोई कार्यक्रम है? वहां कोई टी.वी., रेडियो है। ..... *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : आप कहां की बात कर हैं?.....*(व्यवधान)*

श्री अमर रायप्रधान : मैं इंडियन एनक्लेव की बात कर रहा हूं। .....*(व्यवधान)* जहां दो लाख दो लोग हैं लेकिन वहां कोई स्कूल नहीं है। उनके लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं, अस्पताल नहीं है। पुलिस और मिलिट्री भी नहीं है। प्रशासन, पंचायत असेम्बली नहीं है और जहां पार्लियामेंट का भी चुनाव नहीं हो रहा है.....*(व्यवधान)* आप इंडिया के आदमी हैं, आपको तो भारतीय सिटिजंस की मान्यता दे दी गई है लेकिन वहां जो लोग रहते हैं, वे भी भारत के नागरिक हैं।

[अनुवाद]

वह पश्चिम बंगाल का हिस्सा है यह बंगलादेश की सीमाओं से घिरा है और यहां पर पर जंगल राज है।

[हिन्दी]

बंगलादेश के लोगों की दया से भी अभी तक वे लोग बचे हैं और जिन्दा हैं।

महोदय, वहां कोई सेंसर नहीं हुआ। वहां जो लोग रहते हैं, उनके लिए किसी को कोई चिन्ता नहीं है.....*(व्यवधान)* वहां सेंसर नहीं हुआ। ऐसा कितने साल चलेगा। 50 साल बीतने के बाद भी वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है.....*(व्यवधान)* महाजन जी, मैं इस सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि वहां 80 प्रतिशत लोग मुसलमान हैं, इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं, इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं.....*(व्यवधान)*

महोदय, आप नार्थ-ईस्टर्न रीजन के बारे में जानते हैं, जो सेवन सिस्टर्स स्टेट्स है। वहां के बारे में हमेशा पैकेज डील बोला जाता है, लेकिन क्या वहां कुछ विकास हुआ है? जो यह पैकेज डील या पॉकेट डील है, क्या यह कभी वहां लगाया? इसकी कभी कोई चिन्ता नहीं की गई। .....*(व्यवधान)* यह पॉकेट डील है, आपने ठीक के बोला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां कम से कम दस करोड़ की आबादी है और उन लोगों के आने-जाने का कोई साधन नहीं है। महाजन साहब, आप तो हवाई जहाज से जाएंगे और हवाई जहाज से लौट कर आएंगे, लेकिन आम जनता के पास क्या साधन हैं? एक रास्ता एनएच 31 है और दूसरा रास्ता हवाई जहाज है जो कभी नहीं चहता है। हफ्ते में तीन रोज चलता है। ये लोग कैस आएंगे-जाएंगे। इतना रुपया किस के पास है। वहां एक भी रेल की डबल लाईन नहीं है। आप कहते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने ठीक ढंग से डेवलमेंट नहीं किया। असम, मेघालय और नागालैंड में जो लोग हैं, आप उनसे पूछिए कि उनकी हालत क्या है। 50 साल बीतने के बाद भी वहां कोई विकास नहीं हुआ है। देश में जब भी विभाजन की आवाज उठती है या नारा लगता है तो वह इसलिए लगता है, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है और आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर उनकी स्थिति में सुधार नहीं आएगा तो ऐसे ही चलेगा।

महोदय, हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं। जो गरीब किसान हैं, उनके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा है। उसकी हालत क्या है.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें। अन्यथा उनके भाषाण देर तक चलेगा।

[हिन्दी]

आप जितना डिस्टर्ब करेंगे उतनी ही ज्यादा देर आपको बैठना पड़ेगा।

श्री अमर रायप्रधान : सभापति महोदय, आप जानते ही हैं कि हम कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं कि जो खेतीहर मजदूर हैं उनके लिए एक कानून पास कीजिए। सन् 1991 की जनगणना के मुताबिक उनकी संख्या 7 करोड़ के लगभग थी जो बढ़कर अब 10 करोड़ हो गयी है। जो किसान अपने खून-पसीने को बहाकर आपको खाना देता है उसके लिए कोई ठोस बात, कोई ठोस फैसला इसमें नहीं है। यह बात मैं बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं।

भूमि-सुधार के कानून जो आए हैं वे भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। केरल, पश्चिम बंगाल और कुछ-कुछ कर्नाटक को छोड़कर कहीं भी भूमि-सुधार नहीं हुआ है। बिहार, यू.पी., मध्य प्रदेश में क्या हालत है, क्या वहां भूमि-सुधार हुआ है? आज गरीब आदमी बढ़ते जा रहे हैं और वहां से ही वह आवाज उठी है। जिस तरह से भूमि-सुधार होने चाहिए वह आज देश के विभिन्न राज्यों में नहीं हुए हैं।

सभापति महोदय, आपने जो सवाल उठाया, उस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। पश्चिमी बंगाल में एक कविता है जिसमें कहा जाता है कि "ना जागिले भारत ललना, भारत जागे ना, भारत जागे ना"। इसका मतलब है कि जब तक भारत की महिला आगे नहीं बढ़ेगी तब तक भारत आगे नहीं बढ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सेशन में महिला आरक्षण बिल पास करना जरूरी है और वह करना चाहिए। हम लोगों की उसमें पूरी मदद होगी। धन्यवाद।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : माननीय सभापति महोदया, राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्र का आईना होता है जिसको यहां पर श्री मल्होत्रा जी ने रखा और डा. एस. वेणुगोपाल जी द्वारा जिसे अनुमोदित किया गया। मैं उसका समर्थन करने को लिए खड़ी हुई हूं। हमने यहां पर सारी बातों को सुना लेकिन यह बात यहां नहीं आई कि माननीय राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा अभिभाषण दिया है जिसमें हमारे प्रधान मंत्री श्री अटलबिहारी बाजपेयी जी ने आज तक जो कार्य किए हैं उनकी भी तारीफ की जाए। लेकिन एक परम्परा पड़ गयी है कि विरोध करना है। विरोध करने की दृष्टि से सारी चीजों को रखना यह भी कोई अच्छी परम्परा नहीं है। हमारे पूर्ववक्ताओं ने जैसे कहा कि जब प्रदेशों में राज्यपाल का भाषण

[श्रीमती जयश्री बैनर्जी]

होता है और उसमें जो तरह-तरह की बाधाएं आती हैं, उसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए—यह बात सही है। यहां इतने बड़े सदन में भी इसी तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग यहां पर अव्यवस्था करते हैं वे आज नहीं हैं। अव्यवस्था करने वाले जब चिल्लाते हैं तब भी हम लोग उनको सुनते हैं लेकिन जब हम लोग आज बोल रहे हैं जो उनको आज सुनने की फुरसत नहीं है। इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए।

देश पर बहुत बड़ी विपदा आई। आपने देशा की गुजरात, उड़ीसा और बंगाल में जो विपदा आई, उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन ने अच्छे ढंग से सम्भाला। इसकी जितनी तारीफ की जाए, कम है। देश में जो विपदाएं आती हैं, उसका सब को सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि सोना जितना घिसा जाए, वह उतना ही खरा उतरता है। वाजपेयी जी कठिन परिस्थितियों के बीच अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

यहां कुम्भ मेले के बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। बहुत बड़े मेले का आयोजन हुआ। किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया। वहां किसी के ऊपर थोड़ी सी भी आंच नहीं आई। ये सब अच्छी व्यवस्था के कारण हुआ। वहां न कोई दंगा हुआ, न हंगामा हुआ लेकिन इसके बारे में कहीं एक लाइन नहीं कही गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की जिससे कोई गड़बड़ नहीं हुई। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देती हूं। उन्होंने अच्छे तरीके से वहां काम किया।

आज महिला दिवस है। इस अवसर पर बहुत सी बातें कही गई। कहा गया कि इस बार महिला बिल आना चाहिए और पास होना चाहिए। हमने इस बात को दो बार देखा। यदि आपकी महिलाओं के प्रति इतना संवेदना है तो आप इसे पास कराएं। इस साल महिला सशक्ति वर्ष मनाने की भी बात है। इसमें महिलाओं को कितनी जिम्मेदारी देते हैं और कितना सशक्तिकरण के कार्य में सहयोग देते हैं, वह सामने आएगा। आज जोशी जी ने 14 वर्ष तक की लड़कियों को फ्री एजुकेशन देने की बात कही। शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। कोई देश तभी आगे बढ़ता है, जब वहां की महिलाएं शिक्षित और अग्रणी होती हैं और उनमें आत्मविश्वास होता है। इस दिशा में वाजपेयी जी का शासन अच्छा कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देती हैं। शिक्षा जगत में महिलाओं को आगे ले जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।

गांव के विकास के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। 70 परसैंट लोग गांवों में और 30 परसैंट लोग शहरों में रहते हैं। गावों के विकास के लिए और उन्हें शहर से जोड़ने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई गई। यह बहुत अच्छी योजना है। यह विकास की दिशा में अग्रणी योजना है। देश के हर गांव को प्रयास करके मेन रोड से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूं। 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को मेन रोड से जोड़ा जा रहा है।

अन्त्योदय अन्न योजना से गरीब लोगों को अन्न देने की व्यवस्था हुई है। जबलपुर के नजदीक सोहागी गांव है। वहां 17 लोगों का अभी इस योजना के तहत सर्वेक्षण हुआ। वहां इस बारे में कार्य शुरू हुआ। उन्हें दो रुपय किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल मिला। 25 किलों अनाज उन्हें दिया गया। वहां के लोग इस योजना से बहुत खुश थे। उन्होंने हम से कहा कि पहली बार गरीबों को बुलाकर उनके बच्चों को अन्न दिया गया। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।

आज हम बेरोजगारी को खतम करने की बात करते हैं और इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी के कारण देश के चारों तरफ अराजकता बढ़ रही है। लोगों के पास काम नहीं है। उन्हें छीन कर और मार कर खाने की आदत पड़ गई है। इसलिए शासन लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है। वह नीतिगत फैसले करके पैकेज तैयार कर रहा है ताकि लोगों के काम मिले और वे आगे बढ़ सकें। इस दिशा में खादी ग्रामोद्योग को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका एक बोर्ड बना है। सर्वोदय नाम से इस क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग इसमें आगे बढ़ें।

देश में जितनी व्यवस्था बढ़ रही है, उतने रोग भी बढ़ रहे हैं। यहां बड़े-बड़े अस्पताल हैं लेकिन लोगों को चिकित्सा ठीक ढंग से नहीं मिलती है। चिकित्सा सुविधाएं देने की व्यवस्था हो रही है। आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आयुर्वेदिक दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए अच्छे-अच्छे पेड़ पौधे लगा कर दवाइयां बनाई जा रही हैं और उसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं।

नेशनल एग्रीकल्चर पालिसी में नेशनल स्टोरेज पालिसी किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है। यह एक सराहनीय कदम है। किसान क्रैडिट योजना के तह 105 लाख कार्ड बंट चुके हैं। इसमें किसानों का सहयोग मिल रहा है। इस तरह किसान कैसे आगे आएं और देश कैसे खुशहाल हो, इसके लिए प्रयास हो रहा है।

यह भी एक सराहनीय कार्य है। हुडको के नाम से हमारे देश में 20 लाख से अधिक मकान बनाना तय किया है जिसके अंतर्गत गरीब और निराश्रित लोगों को मकान मिलेगा, सरकार इसके लिये प्रयास कर रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को मकान अवश्य मिलेगा, इसके लिये मैं सरकार को बधाई देती हूं। इसी तरह से श्रमिकों के प्रशिक्षण की बात हो रही है क्योंकि आज चारों तरह से प्राईवेटाइजेशन होने वाला है। आज इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वहां के जिम्मेदार अधिकारियों पर कुछ अंकुश होना चाहिये। वे उस समय क्या कर रहे थे जिस स्थिति में आज ये इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स पहुंच गये हैं। इस ओर ध्यान दिया जाये।

सभापति महोदय, छोटे बांधों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाये ताकि किसानों को पानी मिल सके। हमारे यहां बरगी बांध है लेकिन उसके लिये कैनाल नहीं है। इस ओर ध्यान दिया जाये। इसी तरह से जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिये शासन तत्पर है।

सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुये बहुत सी बातें कहीं गई जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। मैं महिलाओं के लिये सक्रिय राजनैतिक भागीदारी के बारे में कहना चाहूंगी। यह सक्रिय भागीदारी न केवल मतदाता के रूप में बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकारी उत्तरदायित्व के धारक के रूप में लगातार बढ़ रही है। साथ ही यह सकारात्मक रूप से महिलाओं और पुरुष दोनों को संसद और विधान सभाओं में मिलेगा। इसी तरह से पंचायत का विकास हुआ है। यहां पर संविधान संशोधन करके महिलाओं को समर्थन देने की बात आई है। मैं आशा करती हूं कि इस कार्य में सभी का सहयोग मिलेगा। इस संदर्भ में महिला सशक्तिकरण बिल पास होगा जिससे महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलेगा। इस महान् राष्ट्र की मातृभूमि के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सब लोग आलोचना न करके कुछ ठोस कार्य करके देश को आगे बढ़ाने में सहयोग देने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर) : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण जो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए दिया था, पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में गुजरात में आये भूंकप और इसके बुरे परिणामों का जिक्र किया है। उन्होंने गुजरात में प्रदान किये गये राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और सैन्य अधिकारियों को प्रशंसा की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि भूकंप के लगभग एक महीने बाद भी गुजरात में हताहतों की सही संख्या के बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, लातूर के लोगों का भी पूर्ण रूप से पुनर्वास नहीं किया गया प्रतीत होता है। चमोली के लोगों का भी अभी तक पूर्ण रूप से पुनर्वास नहीं किया गया है। एक वर्ष पूर्व उड़ीसा में आये भयानक तूफान जिससे उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ, के बाद भी उड़ीसा में अधिकांश लोगों का पुनर्वास नहीं किया गया है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि हमें अपनी आपदा प्रबंध क्षमताओं और इनके आधुनिकीकरण पर ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी ओर से यह कहना चाहता हूं कि शायद ही आपदा प्रबंधन नाम की कोई वस्तु हो परन्तु यह सब कागजों में ही विद्यमान है। हमें ना तो राज्य स्तर पर और ना ही जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन देखने का कभी मौका मिला। मैं निजी तौर पर यह समझता हूं कि हमें जिला स्तर, राज्य स्तर और तालुका स्तर पर आपदाओं से निपटने के लिए स्वयं को संगठित करने का यह सही समय है चूंकि आपदा प्रबंधन पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया गया है।

रात्रि 8.00 बजे

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आपदा का मुकाबला करने हेतु बेहतर एजेंसी अथवा बल शायद अग्नि शमन सेवा है। उन्हें कतिपय आवश्यक अग्नि बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है। मेरा सुझाव है कि गुजरात में आये भूकंप और उड़ीसा में आये भयंकर तूफान जैसी आपदा के विस्तार पर काबू पाने के लिए राज्य में अलग से एक पुलिस महा निदेशक और जिला स्तर पर और कस्बों, शहरों तथा तालुकों में विभिन्न जंक्शनों पर संबंधित अग्नि शमन केन्द्रों में अलग से एक महानिरीक्षक नियुक्त किया जाए। उपायुक्त के आपदा समिति का अध्यक्ष होने और मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री के माध्यम से कार्य करने की वर्तमान व्यवस्था कारगर नहीं होगी। मैं यह महसूस करता हूं कि इस समस्या से निपटने के लिए हमें एक एजेंसी गठित करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति जी ने केन्द्र और राज्यों तथा विभिन्न राज्यों में आपस में सौहार्दपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से महाजन समिति के प्रतिवेदन के संबंध में कर्नाटक का महाराष्ट्र के साथ लम्बे समय से विवाद चला आ रहा हैं। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि कृपया यह इस विवाद को हल करे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा पांडिचेरी और केरल के बीच भी जल संबंधी अनेक विवाद हैं। इन विवादों का दोनों ऊपरी और निचले तटवर्ती राज्यों में रह रहे लोगों के हित में शांतिपूर्वक आधार पर उनके पक्ष में समाधान किया जाए।

राष्ट्रपति जी ने कृषि के बारे में भी जिक्र किया है। हमारा देश एक प्रमुख दुग्ध उत्पादन देश है और इसके बाद चावल, सब्जियों और अन्य चीजों के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। लेकिन दुर्भाग्य से, पिछले डेढ़ वर्ष से मैं यह देख रहा हूं और इस सभा में भी कृषि उत्पादों के गिरते मूल्यों और किसानों की दुर्दशा के बारे में बहस हुई है। इससे अनेक किसानों के अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि मूल्यों में स्थिरता नहीं रही है। अनेक बार, किसानों को अपनी उपज उत्पादन और दुलाई लागत से भी कम कीमत पर बेची है। कुछ भागों में, उन्होंने अपनी उपज विशेष रूप से आलू और सब्जियों को जलाया भी है किसानों की अत्यंत बुरी दशा है ऐसे देश में, जहां हजारों लोगों को भोजन नहीं मिल पाता और जो भुखमरी के कगार पर तथा जहां भुखमरी से मौतें होने की खबरें हों, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम अपनी उस व्यापक कृषि क्षमता का उपयोग नहीं पाएं हैं जो हमने हासिल की है।

हम स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के आभारी हैं, जिन्होंने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि सूखा पड़ने की सम्भावनाएं पैदा होंगी, अतः उन्होंने कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि को बढ़ावा दिया। काफी हद तक सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया है अतः जैसा कि मेरे साथी श्री के. पी. सिंह देव जी ने कहा था, जब तक सरकार कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती, तब तक यह फलता-फूलता रहेगा। सरकार ने कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया। अतः इसमें प्रगति हुई। यह सरकार इसमें इस्तक्षेप कर रही है। इसके परिणामस्वरूप, हम इस क्षेत्र में अत्यधिक अव्यवस्था देख रहे हैं। कृषकों की स्थिति अत्यंत खराब है। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन ने हमें विदेशो से आयात करके चावल और गेहूँ का भण्डार (डम्प) करने की अनुमति दे दी है। इसके कारण बाजार में अव्यवस्था पैदा हो गई है। चीन से चावल 5 रुपये किलो

[श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार]

उपलब्ध है। इससे हमारे किसानों के मन में काफी रोष है और उनके लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न पैदा हो रही हैं। मेरे विचार से सरकार को बड़े-बड़े कृषि खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग तथा सब्जी उत्पादों, गेहूं उत्पादों और डिब्बाबंद उत्पादों के भण्डारण हेतु समुचित शीतागारों की स्थापना कर इस समस्या को हल करना चाहिए।

राष्ट्रपति जी ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि सरकार बिजली उत्पादन में 100000 मेगावाट की वृद्धि करने का प्रयत्न कर रही है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हाल ही में स्थापित तीन नए परमाणु विद्युत संयंत्रों की चर्चा की गई है। मेरा यह निवेदन है कि जहां तक सम्भव हो परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित न किए जाएं क्योंकि इनसे पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचने की सम्भावना है। चेरनेबल रिएक्टर की तरह यदि कोई रिएक्टर बन्द हो जाता है तो पूरा पर्यावरण खराब होने और इस प्रकार के विध्वंस से लोगों के मारे जाने की सम्भावना है।

मेरे विचार से सम्भवतः नदियों के प्रवाह का उपयोग करके पन-बिजली ऊर्जा का दोहन करने का प्रयत्न किया जाए तथा ऊर्जा के परम्परागत, तापीय और ऊर्जा के पुनः प्रयोज्य और इसके स्रोतों गैर परम्परागत स्रोतों का उपयोग किया जाए तथा इस घड़ी विशेष में सौर ऊर्जा की ओर भी ध्यान दिया जाए। हमारे जैसे देश में, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पीछे है, पवन ऊर्जा का भी दोहन करके लाभप्रद उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रपति जी ने सरकार की विनिवेश नीति का भी उल्लेख किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाल्को जैसे लाभ अर्जित करने वाले एकक का निजीकरण कर दिया गया है। राष्ट्रपति जी ने रणनीति का उल्लेख किया। एक तो यह कि जो एकक अर्थक्षम नहीं हैं उन्हें बंद किया जाए तथा अर्थक्षम एककों को पुनः चालू किया जाए और उनके कार्यकरण की जांच की जाए तथा उनमें सरकार की भागीदारी घटाकर 26 प्रतिशत की जाए। जहां मुझे इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए, वहीं मेरा यह भी कहना है कि बाल्को जैसे एकक को सरकार के अधीन रखा जा सकता था तथा सम्भवतः सरकार भारत गोल्ड़ माइन्स लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के एकक का निजीकरण किए जाने पर विचार कर सकती थी।

मुझे यह बताया गया है कि वहां के लोगों के विश्लेषण के अनुसार, भारत गोल्ड़ माइन्स के पास वर्ष 2100 तक सोने का उत्पादन करने हेतु सोने के भंडार है। जब स्थिति ऐसी हो वह भारत गोल्ड़ माइन्स को सुस्पष्ट शर्तों की आधार पर किसी निजी संगठन को दिए जाने पर विचार कर सकती थी। शायद, इससे भारत गोल्ड़ माइन्स के कार्यकरण में सुधार हो सकता।

अतः निजी रूप से मेरा यह विचार है कि सरकार को उन सभी एककों, जो घाटे में चल रहे हैं अथवा बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हैं, का विनिवेश किए जाने पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार इसे परपोषी उद्योग से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए और इन्हें उन लोगों को सौंप देना चाहिए जो उनको बेहतर ढंग से चला सकते हैं तथा उद्योग के कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।

राष्ट्रपति जी ने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया है। महोदय, हर कोई यह जानता है कि निस्संदेह बाहरी सुरक्षा महत्वपूर्ण है तथा थल सेना, सशस्त्र सेनाओं, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। मैं इसके विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के संबंध में हम इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास रात्रि में निगरानी सहित पर्याप्त निगरानी व्यवस्था नहीं है, जिसकी जांच-पड़ताल और तलाशी ली जा सके। वे तालाशी के लिए कुत्तों का उपयोग कर रहे हैं। शायद, इससे आवश्यक बुनियादी ढांचे की सम्भावनाएं सीमित हो जाती हैं और यदि इस कार्य को किसी विशेष एजेंसी को सौंप दिया जाए, तो इससे आंतरिक सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

तत्पश्चात, राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कर्नाटक अग्रणी राज्य रहा है। कर्नाटक सरकार ने सॉफ्टवेयर की चोरी से निपटने के लिए बहुउद्देशीय नीति बनाई है। यह एक बहुत बड़ा उपराध है। यह व्यवसाय भी बन गया है। अतः, मैं यह महसूस करता हूं कि अन्य राज्य और केन्द्रीय सरकार के भी सॉफ्टवेयर क्षेत्र में चोरी को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए तथा सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा में मदद देने की कोशिश करनी चाहिए। इंजीनियरी महाविद्यालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है। श्रेष्ठ सॉफ्टवेयर तकनीक शमन प्राप्त करने के लिए उच्च किस्म की और उच्च शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है।

हार्डवेयर के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। अतः मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार ने हार्डवेयर के बारे में सोचा है, जो प्रशंसनीय कदम है। लेकिन इस पहलू की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, ताकि जापान और अमरीका जैसे हार्डवेयर सम्पन्न देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं। मैं सभापति महोदया का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको सरकार की तरफ से अंतिम शब्द ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदया,

मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहा हूं।

सरकार की गलत नीतियों की मैं पोल खोल रहा हूं।

अनन्त कुमार जी मैं यहां नहीं आया हूं खाली शोर मचाने।

मैं यहां आया हूं देश और देश के संविधान को बचाने।

मैं यहां नहीं आया हूं देश को धर्म और जाति में बांटने के लिए।

मैं यहां जरूर आया हूं अटल जी की सरकार को हटाने के लिए।

मैं यहां नहीं आया हूं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए।

मैं यहां नहीं आया हूं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रस्ताव को हराने के लिए।

सभापति महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पूरे देश में सुना, दुनिया ने सुना, लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्हें अपने विचार रखने का अधिकार नहीं है। वे केवल सरकार की भाषा बोलते हैं। सरकार उनसे जो कहलवाना चाहती है, उसे ही वे सदन में पढ़ते हैं। मेरा आग्रह है कि संविधान में कुछ संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वे अपने विचार भी अभिभाषण के माध्यम से रख सकें। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में बाबा साहब भीमराज अम्बेडकर का उल्लेख करते हुए कहा है कि सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलना होगा और उनसे मार्गदर्शन लेना होगा।

सभापति महोदया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बड़े विश्वास के साथ कहा था कि हम 26 जनवरी, 1950 से जीवन के अन्तर्विरोधों में प्रवेश कर रहे हैं और राजनीति में समानता जरूर होगी, लेकिन सामाजिक और राजनैतिक जीवन में असमानता रहेगी। हमने देश की आजादी के बाद समानता के बारे में यहां भी और बाहर भी काफी चर्चा की और कास्टिज्म को समाप्त करने के लिए हम सब लोग जुटे हुए हैं। हमने कास्टिज्म को कानून के जरिये हटाने का काम भी किया है, लेकिन आज भी ग्रामों में आम आदमी के दिलोदिमाग में यह चीज बैठी हुई है और उसे वह नहीं हटा पा रहा है। उसमें हमें अभी सफलता नहीं मिली है। हमें जड़ से जातिवाद को समाप्त करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, हमारे देश के दलित और आदिवासी न्याय की मांग कर रहे हैं। संविधान में न्याय दिया गया, हक दिया गया, लेकिन गांव-गांव में आज भी लोग उन्हें न्याय देने के लिए तैयार नहीं हैं। कानून में हक होने से उन्हें क्या मिला है, आज भी जातिवाद ग्रामों में चल रहा है। इसलिए इसे समाप्त करने हेतु हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अटल जी और उनकी सरकार बातें बहुत करती है, लेकिन खाली बातें करने से काम चलने वाला नहीं है और 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया, यह कहने से भी काम चलने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि तीन साल में आपने क्या किया। मैं कहना चाहता हूं कि तीन साल में आपने पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया है।

रात्रि 8.09 बजे

[श्री के. येरननायडू *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने देश को बर्बाद करने का काम किया है, लेकिन हम इस सरकार को एक दिन हटाने का काम करने वाले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने संविधान समीक्षा के लिए जिस समिति का गठन किया है उससे आज देश में हा-हाकार मचा हुआ है। पूरे देश के दलितों में संविधान के प्रति जो विश्वास था कि इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उसको तोड़ने और उनके विश्वास को डिगाने का काम इस सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, देश में केवल महात्मा गांधी जी ही एकमात्र ऐसे नेता थे, जिन्होंने कहा कि यदि देश के संविधान को लिखने का काम करना है, तो अम्बेडकर को करना होगा। वे कानूनवेत्ता और योग्य व्यक्ति थे। इसलिए देश के आजाद होने के बाद देश के संविधान का लिखने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर को सौंपा गया।

मगर जो ह्यूमेनिटी से संबंधित संविधान है, सेक्यूलर संविधान है, इस संविधान को बाबा अम्बेडकर ने हमें दिया है। बी.जे.पी और एन.डी.ए. की सरकार जब दोबारा सत्ता में आई तब उन्होंने कांस्टीटयूशन रिव्यू कमीशन एप्वांइट कर दिया। हमारा कहना है कि कानूनी तौर पर कांस्टीट्यूशन रिव्यू कमीशन एप्वांइट करने का अधिकार सरकार को नहीं है। अगर सरकार कोई अमेंडमैंट करना चाहती है तो सरकार को यह अधिकार है कि वह उस प्रस्ताव को पार्लिटयामैंट में लाये। यहां पर रोज ही अमेंडमैंट के प्रस्ताव पार्लियामैंट में आ रहे हैं लेकिन पूरे संविधान को रिव्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने महाराष्ट्र में संविधान शक्ति मार्च 24 दिन तक, यानी 3 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक, निकाला। प्रजा दिवस के अवसर पर मुम्बई में चार-पांच लाख लोग जमा हुए थे। हम आपसे इतनी मांग करते हैं कि रिव्यू कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार उसमें कोई अमेंडमैंट करना चाहती है तो सरकार उसके लिए पार्लियामैंट के मैम्बर्स की एक समिति बनाये। इस तरह से अमेंडमैंट करने में हमारा विरोध नहीं है।

बाबासाहेब अम्बेडकर जब 1951 में इस अगस्त हाउस में थे तब संविधान में पहला अमेंडमैंट हुआ था। अगर कांस्टीट्यूशन में अमेंडमैंट करने का प्रावधान नहीं होता तब उसके लिए रिव्यू कमीशन की आवश्यकता थी लेकिन इसमें अमेंडमैंट करने का प्रावधान है इसलिए रिव्यू कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, प्रमोद महाजन जी से मांग करते हैं कि इस रिव्यू कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति जी, मैं देख रहा था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में रिव्यू कमीशन का कुछ उल्लेख होगा लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह उल्लेख इसलिए नहीं आया

[श्री रादास आठवले]

क्योंकि 25 जनवरी को राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में रिव्यू कमीशन के विरोध में बात कही थी जबकि प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में उसका समर्थन किया था इसलिए शायद इस मुद्दे को राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नहीं उठाया। मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि संविधान समीक्षा आयोग को बर्खास्त करते हुए आप पार्लियामैंट के मैम्बर्स की एक सर्वदलीय कमेटी एप्वाईंट करें। आपको उसमें जो भी अमेंडमैंट करना है, उसे करने के लिए आपको पूरा अधिकार है क्योंकि आपके हाथों में सत्ता है। आपके साथ 301 मैम्बर हैं इसलिए आप यह अमेंडमैंट कर सकते हैं। अगर अच्छा अमेंडमैंट होगा तो हम भी उसका समर्थन करेंगे नहीं तो हम उसका भी विरोध करने वाले हैं।

महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में हमारा कहना है कि महिला रिजर्वेशन बिल 23 मार्च से पहले इस सदन में आना चाहिए। बाबासाहेब अम्बेडकर ने भी हिन्दू कोड के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी मगर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें बताया कि हमारी पार्टी के कुछ एम.पीज. द्वारा इसका विरोध करने की संभावना है। इसलिए आप हिन्दू कोड बिल को वापिस ले लीजिए। इसके विरोध में बाबासाहेब अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस बात को हमारी रिपब्लिकन पार्टी सपोर्ट करती है मगर हमारा आपसे इतना ही निवेदन है कि ड्राफ्ट में आप एस.सी.एस.टी, ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज की महिलाओं के लिए 60 परसेंट रिजर्वेशन और जनरल के लिए 40 परसेंट रिजर्वेशन रखिए। एक स्टेप जोड़ने के लिए आप इतना टाइम ले रहे हैं। आप पहले प्रस्ताव लाते हैं फिर बोलते हैं कि हमें इसके लिए आम सहमति चाहिए। इस विषय पर आम सहमति होनी चाहिए। इस बिल पर हमारा विरोध नहीं है लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इसमें एस.सी.एस.सी, ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज की महिलाओं को भी जोड़ा जाये। हमारे कांग्रेस के साथियों से भी कहना है कि एस.सी.एस.सी, ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज के होठों पर आपकी पार्टी 50 साल तक सत्ता में रही है इसलिए यदि आप उनके लिए भी इसमें रिजर्वेशन देने के बाद कहें तो इसमें कोई प्राब्लम नहीं है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहते थे। अगर इसमें माइनोरिटीज की महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन रहेगा तो उससे कोई प्राब्लम नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि इस सत्र में महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर आना चाहिए।

इसके साथ-साथ तालिबान में बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट करने के जो प्रयास किये जा रहे हैं, उसमें भारत की तगड़ी भूमिका होनी चाहिए। तालिबान अगर बुद्ध की प्रतिमा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो तालिबान के साथ युद्ध करने के बारे में भी भारत सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

तालिबान पर आप दबाव लाएं। अमेरीका, रशिया, जापान, बर्मा और दूसरे कई देशों के साथ बात कीजिए। बुद्ध के स्टैचू को तितर-बितर करने वाले तालिबान को सबक सिखाने की आवश्यकता है, मुल्ला मोहम्मद ओमर जी को सबक सिखाने की आवश्यकता है। हम जगह-जगह पुतले जला रहे हैं लेकिन सिर्फ पुतले जलाने से काम चलने वाला नहीं है। अटल जी, आप बोलते हैं कि आपकी सरकार स्ट्रांग है। अगर आपकी सरकार स्ट्रांग है तो आप उनको पत्र लिखें और कहें कि जितना हो गया उतना ठीक है लेकिन उसके बाद अगर बुद्धा के स्टैचू को हाथ लगाया जाएगा तो भारत सरकार उसका पूरा मुकाबला करेगी। यह दबाव उन पर डालने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो हम उधर आते हैं और उनको चैलेंज करने का प्रयत्न करते हैं.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले जी, आप बोलने के हर अवसर का उपयोग कर रहे हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। सब कुछ महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : यह महत्वपूर्ण इश्यु है इसलिए हमने बोला है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी को 20 अलीपुर रोड पर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक का निर्माण हुआ था। उस जगह बाबा साहेब का नैशनल मेमोरियल बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए भी सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

बाबा साहेब की फिल्म महाराष्ट्र में चल रही है लेकिन वह दिल्ली और दूसरे सब राज्यों में चलनी चाहिए। उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

इस प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध हैं। बालको को 50 प्रतिशत शेयर्स बेच दिए हैं। प्राइवेट सैक्टर के 40 प्रतिशत शेयर्स होने चाहिए और 60 प्रतिशत शेयर्स सरकार के होने चाहिए ताकि उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी चालू रहे। अगर सौ प्रतिशत प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं तो रिजर्वेशन पॉलिसी हाने की आवश्यकता है।

आखिर में एक मांग रखना चाहता हूं।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले जी, आपका एक सदस्यीय दल है। आपने काफी समय ले लिया है। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड--ये तीन राज्य बनाने का काम बहुत अच्छा किया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी जो महाराष्ट्र में विदर्भ एरिया को स्वतंत्र राज्य करने क्या प्रस्ताव ऑल इडिया ने भी पारित कर दिया। आपके सत्ता में आने के बाद विदर्भ राज्य बनाने की आवश्यकता थी। अब महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में उत्तर

पश्चिम की भी मांग है, वहां भी एक राज्य बनने की आवश्यकता है। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं, दोनों का भी एक राज्य बनाने की आवश्यकता है। इसके बारे में विचार होना चाहिए।

ऐनरॉन का दूसरा फेज नहीं होना चाहिए। जब श्री शरद पवार थे, मैं भी था तो ऐनरॉन का ऐग्रीमैंट हुआ था।.....*(व्यवधान)* आज उसका रेट 7.80 रुपये है। अगर दूसरा फेज पूरा होता है तो उसके रेट कम से कम 12-13 रुपये होने की संभावना है। इसलिए उसका दूसरा फेज नहीं होना चाहिए। सरकार को ऐनरॉन के साथ ऐग्रीमैंट नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रस्ताव को मल्होत्रा जी लाए हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे इसलिए इस प्रस्ताव का हम अपनी पार्टी की ओर से पूरा विरोध करते हैं। जय भीम, जय भारत।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़) : सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण की कुछेक बातों का ही उल्लेख करूंगा क्योंकि इसकी अधिकांश बातों पर दोनों पक्षों के अधिकांश सदस्यों ने पहले ही विचार व्यक्त कर दिए हैं।

महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा संख्या 8 का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता के संबंध में डा. बाबासाहेब अम्बेडकर की चेतावनी का सही जिक्र किया गया है और यह स्वीकार किया है कि आज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन में यह असमानता जारी है।

हमारे देश में व्याप्त निर्धनता के बारे में कोई व्यवहारिक हल दिए बगैर, इस अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति जी ने हमारे देश में 209 मिलियन टन साद्यान्न उत्पादन का उल्लेख किया है। इसी के साथ ही हमारे देश के अनेक भागों में किसान अत्यंत कठिन स्थितियों में रह रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी उपज को बहुत कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है। अनेक स्थानों पर उन्हें आत्महत्या करने पर भी मजबूर होना पड़ा है। महोदय, जहां हमारे देश के गोदामों में लाखों टन खाद्यान्नों का भण्डार जमा पड़ा है, वहीं भण्डारन सुविधा के आभाव के कारण हम हर वर्ष खाद्यान्न अनेक टन नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही, देश के अनेक भागों में लोग भोजन भरपेट किए बिना ही सो जाते हैं। वे भूखे मर रहे हैं। इसके साथ ही जबकि अनेक व्यक्ति बगैर भोजन किए सो जाते हैं परन्त हम अपने खाद्यान्नों का वितरण करने की स्थिति में नहीं हैं।

मोटे अनुमान के अनुसार, आज भी हमारे देश के लगभग 30 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहे रहे हैं। मेरे विचार से, सरकार को इस स्थिति की ओर उचित ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनेक बातों का उल्लेख किया गया है और इसमें सरकार की उपलब्धि को भी उजागर करने की कोशिश गई की है, लेकिन इसमें रोजगार सृजन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पिछली बार, सरकार ने यह उल्लेख किया था कि वह हर वर्ष लगभग एक करोड़ रोजगारों का सृजन करेंगी। लेकिन, पता नहीं है सरकार इसके बारे में बिल्कुल चुप क्यों है।

भूमि सुधारों के बिना हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को नहीं हटाया जा सकता। केवल दो राज्यों ने भूमि सुधारों की दिशा में काम किया है। मेरे विचार में, सरकार को भूमि सुधार कार्यान्वित करने के लिए विशेष कदम उठाने होंगे और भूमि पर खेती करने वाले का अधिकार होना चाहिये। महोदय, हमारे देश में करोड़ों लोग—मेरे विचार में लगभग 10 करोड़ कृषि मजदूर हैं। इन कृषि मजदूरों के कल्याण को संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है यद्यपि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे देश के लोगों के लिये कई करोड़ अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। किन्तु यह लोग भुखमरी में दिन गुजार रहे हैं। मेरे विचार में सरकार को इस संबंध में कुछ करना चाहिये।

साथ ही, मेरे विचार में जनता को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये न्यायिक सुधार भी होने चाहिये। हमारी वर्तमान प्रणाली में मेरा यह विचार है कि देर से मिले न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाता और हर कोई इसे महसूस कर रहा है। हमारी सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

महोदय, मैं एन डी ए सरकार की नीति का उल्लेख करना चाहता हूं जो कामकाजी वर्ग के प्रति बहुत सख्त है। अगली पीढ़ी की उदारीकरण नीति के नाम पर सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम को संशोधित करने का निर्णन लिया है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने लम्बे विचार-विमर्श के पश्चात देश के इस वर्ग को सुरक्षा प्रदान की थी। इस वर्ग में देश के निर्माण के लिये अपना खून पसीना बहाया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम कर्मचारियों को जहां तक उनकी नौकरियों का संबंध है, सुरक्षा प्रदान करता है किन्तु इस सरकार ने उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब वे देश के नियोक्ताओं को "हायर एण्ड फायर" का अधिकार दे रहे हैं। मेरे विचार में यह श्रमिक वर्ग के साथ घोर अन्याय होगा। हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में और हमारे देश के विकास में श्रमिक वर्ग के योगदान को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा यह सुरक्षा प्रदान की गई थी। अतः सरकार को इस संबंध में पुनः विचार करना चाहिये।

महोदय, कारपोरेट क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमों को अनेक रियायतें और लाभ दिये गये हैं। सरकार ने श्रमिक वर्ग की मेहनत से अर्जित की गई प्रोविडेंट फंट की बचतों पर ब्याज दर घटाने का निर्णय लिया है। सरकार ने ठेका श्रम अधिनियम की धारा 10 को समाप्त करने का उल्लेख किया है जो गरीब मजदूरों को सुरक्षा देता है; इस धारा के अंतर्गत मजदूरों को सुरक्षा मिलती है। अब, बड़े नियोक्ताओं के हित में सरकार ने इस धारा को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

[श्री पवन सिंह घाटोवार]

महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 15 का संदर्भ देना चाहता हूं जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पड़ोसी देशों से घिरा हुआ हैं; इस क्षेत्र की 98 प्रतिशत सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी है और केवल दो प्रतिशत श्रेत्र मुख्यक्षेत्र से जुड़ा है। आप देश के उस क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्या समझ सकते हैं। अतः हमारे देश के इन प्रहरियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जब मैं पहली बार संसद में आया था तब जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है, वहां 19 हवाई अड्डे थे। अब इन्हें घटा कर 9 कर दिया गया है। देश के अन्य भागों में, नये हवाई अड्डे खोले जा रहे हैं किन्तु यहां कुछ हवाई अड्डे बंद कर दिये गये हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में गाड़ी की केवल एक लाइन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिनिधि उत्तर की ओर जाने वाली और दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ी दिए जाने की मांग कर रहे हैं किन्तु रेल मंत्रालय ने इस पर विचार नहीं किया और पूर्वोत्तर क्षेत्र को कोई नई गाड़ी नहीं दी गई है। सड़कों की स्थिति के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र की घाटी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। जिससे इस क्षेत्र की सड़कें और पुल नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों रुपये की संपत्ति का नाश हो जाता है विशाल ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि का कटाव होता है। सरकार को नदियों द्वारा किये गये कटाव से इस उपजाऊ भूमि की रक्षा के लिये विशेष कार्यक्रम तैयार करने होंगे। बहुत समय पहले सरकार ने ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया था किन्तु वहां कोई भी कार्य या आवाजाही आदि नहीं शुरू की गई है। स्वतन्त्रता से पहले, यह इसका उपयोग बंग्लादेश से परिवहन प्रमुख साधन के रूप में हो रहा था। इस संबंध में सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया गया।

मैं पूर्वोत्तर में विद्रोह की ज्वलंत समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं। यह समस्या इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, किन्तु समस्या का निवारण नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार और सभी संबंधित व्यक्तियों को आतंकवादी संगठनों के साथ सार्थक बातचीत और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहियें। इस समस्या से निपटने के लिये असम और जम्मू और कश्मीर के लिये अलग अलग मानदण्ड नहीं होने चाहिये।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये विशेष विकास पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन के संबंध में ठीक ही उल्लेख किया है। महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है।

महोदय, देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने पांच वर्ष पूर्व असम में गैस क्रैकर परियोजना के निर्माण को आधारशिला रखी थी किन्तु अभी तक वहां एक भी पत्थर नहीं रखा गया है। जब भी हम वापिस अपने राज्य में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा असम के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है।

महोदय, देश के एक अन्य भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने तीन वर्ष पूर्व बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाये जाने वाले पुल की आधारशिला रखी थी किन्तु, आज तक उन्होंने इस परियोजना के लिये सवक्षण भी पूरा नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि माननीय राष्ट्रपति की इच्छा का सम्मान करते हुए इन परियोजनाओं को शीघ्र ही किस प्रकार पूरा किया जायेगा।

महोदय, इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण निजी निवेश नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में कोई सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश भी नहीं किया गया है। रोजगार उत्पन्न नहीं किये गये हैं। इस क्षेत्र में लाखों पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवान हैं। रोजगार के अभाव में वे हथियार उठा रहे हैं। मेरे विचार में अब समय आ गया है कि भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में गंभीरता से सोचे क्योंकि भारी मात्रा में लोग भारत से अलग होने के लिये आंदोलन कर रहे हैं और इससे हमारे देश की अखण्डता और एकता को खतरा है। भारत सरकार को इस संबंध में गंभीरता से सोचना चाहिये।

महोदय, बंदूक की नोक पर इस क्षेत्र में शांति लाई जा सकती। इस क्षेत्र में पिछले 20 से अधिक वर्षों से सैनिक और अर्द्धसैनिक बल तैनात किये गये हैं। किन्तु वे आतंकवाद रोकने में सफल नहीं रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास के माध्यम से ही शांति आ सकती है।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने सार्वजनिक निधियों के रिसाव और गलत प्रबंधन का सही उल्लेख किया है। मुझे यह उल्लेख करते हुए खेद हो रहा है कि सीबीआई ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया था किन्तु उन्हें संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई और सीबीआई को उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं मिली।

महोदय, असम सरकार ने गत चार वर्षों से राज्य में पंचायत के चुनाव नहीं करवाए हैं और वह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये निर्धारित की गई धनराशि का दुरुपयोग कर रही है।

महोदय, मैं भाषण समाप्त करने से पूर्व एक अंतिम मुद्दा उठाना चाहता हूं। अब जबकि जनता का एक वर्ग भारत से अलग होने के लिये आंदोलन कर रहा है, तब यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को लोकतांत्रिक भागीदारिता के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार चुनने का अवसर मिले। असम में विधानसभा के चुनाव अगले दो महीने से होने वाले हैं। किन्तु राज्य सरकार विरोधी दलों के लिये अनेक समस्यायें खड़ी कर रही है, विशेषकर जनसभाएं और रैली आयोजित करने के संबंध में।

महोदय, मैं यहां ऐसा ही एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस सभा के एक सम्मानित सदस्य श्री पी.ए. संगमा और असम के पूर्व मुख्यमंत्री को असम में नवगांव जिले में जनसभा आयोजित करने से रोक दिया गया। जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अवसर मिलना चाहिये वरना

इससे क्षेत्र के लिये ही समस्या नहीं उत्पन्न होगी बल्कि कुल मिलाकर हमारा लोकतंत्र भी प्रभावित होगा। लोकतंत्र की मूल शक्ति निष्पक्ष चुनाव कराने में है।

अतः इस क्षेत्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह असम राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी कदम उठाये। यह विशेष रूप से राज्य के लिए तथा सामान्य रूप से देश की एकता और अखंडता के लिए अति आवश्यक है।

सभापति महोदय : श्री पी. आर. किन्डिया, हमने इस प्रस्ताव पर चर्चा हेतु कुल 10 घंटों का समय निर्धारित किया था। अब प्रत्येक वक्ता को पांच पांच मिनट का समय मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : दोनों मेम्बर्स कांग्रेस साइड से एक साथ कैसे बोलेंगे?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अभी तीन और वक्ता हैं। वह इस तरफ के अंतिम वक्ता हैं।

श्री पी. आर किन्डिया (शिलांग) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण विषयों की ओर दिलाना चाहता हूं। कई वक्ताओं ने डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र किया है। मैं केवल उनके द्वारा कही गयी बात को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था "राजनीति में हमारे यहां समानता होगी तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता। हमें शीघ्रातिशीघ्र इस विराधोभास को दूर करना है।" ये शब्द डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के हैं। लेकिन मैं यह बात कह सकता हूं कि स्वतंत्रता के 53 वर्षों के बाद भी यह विरोधाभास तथा आर्थिक विषमताएं बनी हुई हैं। सामाजिक असमानता जारी है और धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है।

मैं आपका ध्यान हाल की घटी एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा आशय देश में हुई व्यापक जनगणना से है। वास्तव में एक लोकतांत्रिक देश की यह सबसे बड़ी जनगणना है। इस जनगणना में एक जनगणना अधिकारी को प्रत्येक नागरिक के पास जाना होता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जनगणना में शामिल किया जा सके तथा परिवार के बारे में जानकारी ली जा सके। इसके फॉर्म 8 में एक कॉलम दिया गया है जो मेरे पास यहां उपलब्ध है। यह मेरे द्वारा कहीं गयी बातों को, अर्थात विरोधाभास और किसी को धर्म को मानने के अधिकारों की मनाही को न्यायोचित ठहरायेगा। इस विशेष कॉलम में लिखा है, "यदि आप अनुसूचित जाति से हैं तो दी गई सूची से अपनी अनुसूचित जाति का नाम लिखें। अनुसूचित जातियां केवल हिन्दू, सिख और बौध धर्मों से हो सकती हैं।" इसका अर्थ यह हुआ कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति उक्त धर्मों के अलावा अपना धर्म नहीं लिख सकता।

हमें पता है कि आज देश में अनुसूचित जाति के ऐसे कई लोग हैं जिनके अपने पारम्परिक धर्म हैं तथा अपनी मान्यताएं हैं लेकिन, ये लोग इन्हें नहीं लिख सकते। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बहुत से लोग हैं जो अपने स्थानीय धर्मों को मानते हैं। ये लोग इन धर्मों को लिख नहीं सकते। जो ईसाई बन गये हैं वे ईसाई धर्म का अपने धर्म के रूप में उल्लेख नहीं कर सकते जो जैन धर्म को मानने वाले हैं वह अपने धर्म का नाम नहीं लिख सकते।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, मंत्री जी को इस बात की जानकारी सरकार को देनी चाहिए ताकि इस मुद्दे के बारे में उचित उत्तर दिया जा सके।

श्री पी. आर. किन्डिया : यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का खुला उल्लंघन है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब यह समय आ गया है कि हम संविधान के अंतर्गत दिये गये इन प्रावधानों का सही अर्थ समझें। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि "राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा" अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है "राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 25 में दिया गया है जिसके अनुसार "सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।"

माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मेरे विचार से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है तथा यह संविधान का स्पष्ट तथा खुला उल्लंघन है। बहुत से नेताओं ने इस संबंध में जनता की राय को व्यक्त किया है। इसकी जानकारी प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, अल्पसंख्यक आयोग, रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना आयुक्त को दे दी गई है। जिन संस्थानों ने इस बारे में जागरूकता अभियान चलाने की पहल की है वे संस्थान हैं—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग तथा कैथोलिक विशप कोन्फ्रेन्स ऑफ इंडिया तथा अन्य संस्थान हैं। इन संस्थानों ने सरकार को पत्र भेजे हैं। यह उनका और मेरा भी विचार है कि चूंकि यह भारतीय नागरिकों को अपना धर्म केवल हिन्दू, सिक्ख, तथा बौद्ध चुनने के लिए बाध्य करना है और गैर कानूनी है इसलिए यह जरूरी है कि अभी तक इस संबंध में इकट्ठे किए गए सभी आंकड़ों पर रोक लगा दी जाए।

यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है जिसकी जांच करना आवश्यक है, हम इतना कहकर इसे नहीं टाल सकते कि अब यह बात बीत चुकी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं करते,

[श्री पी.आर. किन्डिया]

इसका अर्थ यही होगा कि हम धार्मिक स्वतंत्रता की मनाही को जारी रहने देना चाहते हैं। अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इस बारे में कुछ करें।

महोदय, मैं पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में बात नहीं करूंगा। चूंकि मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं दो मुद्दों पर ही बोलूंगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से पढ़कर बोलूंगा। पैरा 15 में कहा गया है:

"पूर्वोत्तर की स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। सामरिक महत्व के इस क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति के लिए राजनीतिक स्थिरता ओर तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास जरूरी है।"

मैं इससे सहमत हूं। पैरा 15 में आगे कहा गया है:

"इस उग्रवादी तथा आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ जोड़ना होना"

मैं इससे भी सहमत हूं लेकिन मेरे विचार से यह एक महत्वपूर्ण बात है। निस्संदेह जो राष्ट्रपति ने कहा वही भारत सरकार का भी दृष्टिकोण है:

"मैं, राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी निधियों का कोई कुप्रबंध या दुरुपयोग न हो। इसके लिए वे प्रभावी विकेन्द्रीकरण करें, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाएं और लोक संगठनों की भागीदारी बढ़ाएं। उन्हें अपने संबंधित राज्य में अल्पसंख्यक की सुरक्षा भी अवश्य करनी चाहिए"

यह बहुत सीधी सी बात है। हम निधियों की चोरी अथवा कुप्रबंधन के खिलाफ हैं। लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए। सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को एक ही पैमाने से नहीं देख सकती है। वह सब को एक जैसा मानकर कैसे चल सकती है। मेरे साथी ने अभी असम के बारे में कहा है। सरकार उनके द्वारा उठायी गयी बातों पर कार्यवाही कर सकती है। यह बिल्कुल अलग मुद्दा है। लेकिन यदि सरकार सभी को एक ही श्रेणी में रखती है तथा सातों राज्यों को एक एकक के रूप में लेती है तो यह ठीक नहीं होगा। ये सभी राज्य अपने आप में पूर्ण राज्य हैं। ये राज्य अलग-अलग कर्नाटक अथवा आंध्र प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश राज्यों की तरह ही हैं।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में चाहिए 'शुड' शब्द का प्रयोग किया था। मैंने 'ओक्सफोर्ड डिक्शनरी' में इस शब्द के बारे में देखा है। इस डिक्शनरी के अनुसार जब 'शुड' शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह एक आदेश होता है। इस संदर्भ में यह आदेश केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को दिया गया आदेश है। यह आदेश प्रशासन को नहीं दिया गया है। प्रशासन और राज्य सरकार में बहुत अंतर होता है। अभिभाषण में 'मस्ट' शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एक आदेश है। कया इस कथन को अन्यथा लिया जा सकता है? मुझे इसके साथ राजनीति नहीं दिखानी है। यह कोई दलगत राजनीति नहीं है। मैं आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र के दलों की स्थिति का अलग-अलग विवरण दूंगा? हमारे यहां दो क्षेत्रीय दल हैं—असम और मिजोरम में संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) दो कांग्रेस—अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड सीपीएम—त्रिपुरा, मेरे राज्य में एक मिली जुली सरकार, क्षेत्रीय दल एनसीपी और बीजेपी, मणिपुर में समता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस तरह के आदेश इसी प्रकार से देश के किसी भी राज्य को भेजे जा सकते हैं। क्या सरकार ऐसा कर सकती है। क्या सरकार की ऐसा करने की हिम्मत होगी? क्या भारत किसी भी राज्य सरकार को इस संबंध में आदेश दे सकती है? सरकार किसी विशेष राज्य अथवा संगठन के साथ तो ऐसा कर सकती है लेकिन, किसी राज्य की संवैधानिक स्वायत्तता को नहीं छीन सकती। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार अन्य राज्य में उसको ऐसा नहीं कर सकती उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है।

अब मैं मुख्य बात पर आता जो दिल्ली में रहते हैं उन लोगों के दृष्टिकोण को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन लोगों का पूर्वोत्तर,क्षेत्र के प्रति क्या दृष्टिकोण है? कल हमारी माननीय नागर विमानन ने मंत्री के साथ एक बैठक हुई। बैठक के दौरान एक माननीय संसद सदस्य ने कहा था "हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहते हैं - सुदूरपूर्व में नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक प्रथकता की भावना बनी हुई है। भारत के बंटवारे के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक धक्का लगा। 15 अगस्त 1947 को पूर्वी पाकिस्तान के बनने से हम भारत की मुख्य भूमि से दूर चले गये। अतः संपर्क लायक सेना बहुत जरूरी है। हमें सपंर्क स्थापित करना है। इससे पहले अंनत कुमार जी नागर विमानन ने मंत्री थे। उन्होंने इस स्थिति का सामना किया था। एक जयकृष्णा रिपोर्ट तैयार हुई थी जो बहुत अच्छी थी। इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए डा. सीटर के शुरू किये जाने की सिफारिश की गई थी। मेरा मानना है कि कल श्री शरद यादव इस बात पर सहमत हो गये थे। हम बड़ी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह का सामना कर रहे हैं। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांसदों ने मिलकर पूर्वोत्तर क्षेत्र सांसद मंच बनाया है। दलगत सम्बद्धता और भावना से हटकर हमारी मुख्य मांग यह है कि विकास के माध्यम से शांति की स्थापना की जा सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रोजगार सृजन द्वारा शांति की स्थापना की जा सकती है।

मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक समाचार की ओर हिलाना चाहता हूं। यह बात गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठतम और महत्वपूर्ण अधिकारी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से संबंधित है। उन्होंने कहा है, "पूर्वोत्तर में विद्रोह का मुख्य कारण कुशासन है।" यह पूर्णतः गलत बात है। आप यह नहीं कह सकते कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कुशासन के विरुद्ध लड़ाई है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि समस्त

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुशासन है? वास्तव में यह गलत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में यह बहुत गलत धारणा है। यह विश्लेषण एक तरफा है।

शिलांग में पुलिस फायरिंग अथवा आतंकवादियों द्वारा की गई फायरिंग में जब सात व्यापारी मारे गये थे तो एक समाचार पत्र में यह कहा गया था "पांच भारतीय व्यापारी मारे गये हैं", मानो शिलांग भारत का अंग ही नहीं है। क्या मीडिया की भी यही अवधारण है? यह गलत है। जब मणिपुर में सत्ता परिवर्तन हुआ था और समता पार्टी सत्ता में आई थी, तब उन्होंने कहा था "कोहिमा कालिंग।" वे यह भी नहीं जानते कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति हमारा यह दृष्टिकोण है। यदि हमें पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों का ही ज्ञान नहीं है, और हम यह भी नहीं जानते हैं कि शिलांग भारत का एक भाग है, तो हम पूर्वोत्तर की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं?

मैं एक स्वतंत्रता सेनानी रहा हूं। मिजोरम, असम और नागालैंड में स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसा नहीं है कि हम विदेशी हैं। दिल्ली की इस अवधारणा को पूर्णतः बदलना होगा।

जब मैं मिजोरम का मुख्यमंत्री था तो मुझे 'पी. आर. किंडिया, राज्यपाल, मिजोरम, अगरतला को प्रेषित रक्षा मंत्रालय का पत्र मिला। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। लोगों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में इस प्रकार की अज्ञानता है। ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। मेरे विचार में अब समय आ गया है कि लोगों को पूर्वोत्तर की समस्याओं से अवगत कराया जाए ताकि हम सब मिलकर इन समस्याओं का समाधान कर सकें। इस सम्बन्ध में दलगत चिंतन नहीं है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता सम्बन्धी चिंतन है। हमें भारत का नागरिक होने पर गर्व है। हम यह देखना चाहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत की आर्थिक और राजनीतिक मुख्यधारा में लाया जाए।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय सर्वप्रथम, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर डा. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

परम्परागत रूप से हम राष्ट्रपति के अभिभाषण को वर्तमान सरकार की नीतियों की घोषणा मानते हैं। परन्तु इस संदर्भ में, नीति संबंधी यह घोषणा वास्तव में देश की आम जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा है।

मैं कुछ मिनट का ही समय लूंगा और मैं इन सब बातों की गहराई में नहीं जाऊंगा। एक लोकतान्त्रिक प्रणाली में सरकार को लोगों के लिए कार्य करना चाहिए और इसके कार्यप्रणली में देश की आम जनता की आकांक्षा और इच्छाएं परिलक्षित होनी चाहिएं। वर्तमान सरकार द्वारा अपनाये गये विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक उपाय देश की आम जनता के हितों के पूर्णतः खिलाफ हैं।

मेरे दल और अन्य दलों के पूर्व वक्ताओं ने मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। इसलिए मैं अपनी बात कुछ अन्य मुद्दों तक ही सीमित रखना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, मैं देश में बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस मुख्य मुद्दे जिसका हम देश में सामना कर रहे हैं, अर्थात देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने और देश में श्रम ठेका प्रणाली को वैध ठहराने के लिए भी नए प्रस्ताव आये हैं। मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि देश के श्रमिक वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इस प्रणाली के उद्देश्य की ओर इंगित करने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो यह कि देश में गैर-सरकारी रोजगार केन्द्र खुल रहे हैं। मैं इन सब बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता और मैं अपने भाषण को और भी छोटा कर रहा हूं।

एक ओर तो सरकार अपनी नीतियों के द्वारा देश में बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर सरकार देश में बेरोजगार युवाओं और जनता का शोषण करने को वैधता प्रदान कर रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

दूसरी बात यह कि मैं कृषि क्षेत्र में बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं केरल राज्य का प्रतिनिधि हूं। हमें गर्व है कि हम नकदी फसलों जैसे रबड़, काली मिर्च, इलायची आदि का उत्पादन करते हैं। केरल नारियल की खेती के लिए जाना जाता है। सभापति महोदय, आप हमारे देश की नारियल लॉबी और विद्यमान प्रणाली से भिज्ञ होंगे। अब क्या हो रहा है। इस लॉबी हेतु स्थिति भयावह हो गई है। केन्द्र सरकार ही, जो लोगों को नकदी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करती है, ऐसे उपाय कर रही है जिससे इन फसलों के मूल्यों में गिरावट आएगी। रबड़ और अन्य नकदी फसलों के मूल्यों में अचानक गिरावट आई है और लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं।

रात्रि 9.00 बजे

महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे राज्य में माननीय प्रधान मंत्री जी का प्रवास राज्य में बहुत शांतिपूर्ण रहा। हमें इस बात पर गर्व है। उस समय भारतीय जनता पार्टी सहित सभी दलों के नेताओं ने उनसे मुलाकात की और केरल के किसानों और लोगों के समक्ष आ रही स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने इन सब बातों को सुना और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह केरल के लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। उन्होंने केरल के लिए एक पैकेज परियोजना की घोषणा की। इसे कुमाराकोम पैकेज परियोजना के नाम से जाना जाता है। हाल ही कुमाराकोम में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री जी ने न इसका वायदा किया था। तत्पश्चात्, क्या हुआ? जब वे वापस दिल्ली आये तो अन्य मामलों में व्यस्त हो गये। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि वे कुमाराकोम में अपने प्रवास के दौरान की गई घोषणा और किये गये वायदे को भूल गये हैं। इस परियोजना के लिए की गई घोषणा के बाद

[श्री एन.एन. कृष्णदास]

केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार केरल सरकार ने इस पैकेज को लागू करने के लिए अनेक प्रस्ताव भेजे। मैं अनुरोध करता हूं कि पैकेज तत्काल लागू किया जाये। यह प्रधान मंत्री द्वारा किया गया वायदा था और इसे तत्काल लागू किया जाये।

मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। केरल राज्य में हमारे देश की सर्वोत्तम सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। परन्तु केन्द्र सरकार की वर्तमान नीति केरल में सर्वाजनिक वितरण प्रणाली को पूर्णतः नष्ट कर रही है। मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में सर्वाजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार की नीति देश में विशेष रूप से केरल में वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नष्ट कर रही है।

मेरे माननीय मित्र, डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय केरल में हाल ही में घटित एक दुःखद घटना के संबंध में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दिये गये वक्तव्य को पढ़ कर सुनाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग का बुरी तरह से साम्प्रदायिकीकरण और राजनीतिकरण कर रही है। हमें विश्वास है कि केरल के लोगों को यहां की स्थिति और जो कुछ यहां हो रहा है उसका पता लग गया है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। केरल के लोगों को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा यही उत्तर है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, रात के 9 बजे हैं और सदन में 9 लोग उपस्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सरकार की तरह से आज के दिन अंतिम वक्ता हूं जो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ है। आज ही मेरी शादी की वर्षगांठ है, मुझे जाना है, इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण उनकी सरकार की नीतियों का एक दस्तावेज होता है जो भावी नीतियों की ओर संकेत करता है। यह 27 पन्नों वाला 67 प्रकण का दस्तावेज बताता है कि सरकार ने गत वर्ष किया और आगे क्या करने जा रही है?

अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इस सरकार की अलग छवि क्या है और क्यों यह सरकार बाकी सरकारों से बेहतर है। एक साल और पांच महीने के बाद मैं यह सकता हूं कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यह सरकार 23 पार्टियों के सहयोग से चल रही है और आज कोई भी प्रैसवाला यह लिखने को तैयार नहीं है कि इस सरकार को किसी भी किस्म का खतरा है। बड़ी मजबूती से यह सरकार चलती जा रही है और पांच साल पूरा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

सभापति महोदय, इस सरकार के प्रधान मंत्री वह व्यक्ति हैं, जिन्हें इस देश में सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा बहुमत हासिल है और जिन्हें विपक्ष भी प्यार करता है। यदि प्रधान मंत्री गुस्सा या नाराज हो जाएं तो विपक्ष यह कहता है कि अटल जी आप तो ऐसे नहीं थे। जैसा गुजरात में आए भूकम्प पर चर्चा वाले दिन विपक्षी सदस्यों ने यह बात सदन और सदन के बाहर कही थी। इस सरकार के बारे में आम आदमी का विश्वास है कि यह सरकार उन हाथों में है जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और देश के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। ऐसी है श्री अटल बिहार वाजपेयी जी की सरकार। जिस सरकार की नीतियों का समावेश करते हुए राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया और जिसके समर्थन में प्रस्ताव श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी लाये उसका समर्थन यहां विजय गोयल खड़ा होकर कर रहा है। इस सरकार ने देश को विश्व में एक पहचान दी है। इस सरकार ने परमाणु बम विस्फोट किया, जो इस सरकार की इच्छाशक्ति को बताता है। इस सरकार ने कारगिल युद्ध जीतने के बाद विश्व के अंदर देश को एक पहचान दी है, जो हमारी मजबूत सुरक्षा का परिचायक है। इस सरकार ने सूचना तकनीक को आगे बढ़ाया है। श्री राजीव गांधी का भी उसमें हाथ रहा है, मुझे यह कहने में कोई ऐतराज नहीं है। वह इस देश की उन्नति का परिचायक है। इस सरकार ने अपनी शक्ति का परिचय देने के साथ-साथ अपनी प्रशासनिक क्षमता को बताया है। महाकुम्भ में जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई, वह इतनी अच्छी थी कि जिसे विश्व भर में सराया गया है। इस सरकार ने गुजरात में जो काम करके दिखाया है, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है। वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, स्वामी नारायण और दूसरे संगठनों ने जो काम किया है, उसकी प्रशंसा स्वंय राष्ट्रपति जी के अपने अभिभाषण में की है। उन्होंने कहा है कि हजारों स्वयं सेवकों ने वहां अपना योगदान दिया है जो काबिले तारीफ है।

सभापति महोदय, इस सरकार ने सबसे बड़ा काम समाज सुधार का किया है, जो शायद पिछली सरकारों ने नहीं किया होगा। इस सरकार ने लाटरी के ऊपर पूर्ण पाबंदी लगाई। वर्षों से लाटरी के कारण लाखों लोग बरबाद हो रहे थे, उस लाटरी को इस सरकार ने बंद किया। इस सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि सरकार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पाबंदी लगाने वाला बिल लेकर आ रही है। यह सरकार की समाज सुधार की दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सरकार ने मद्यपान के विज्ञापनों पर रोक लगाई, जो इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, मेरा मानना है कि साम्प्रदायिक सुरक्षा के कारण इस सरकार को अलग से बोनस प्वाइंट्स दिये जा सकते हैं। इस सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। अगर मैं ये उपलब्धियां सरकार की गिनाता जाऊं तो इस डेढ साल की उपलब्धियां गिनाने में मुझे बहुत समय लग सकता है।

सभापति महोदय, विपक्ष का केवल आलोचना करने का रोल नहीं है, हम प्रजातांत्रिक सिस्टम के अंदर देख सकते हैं कि अगर आज सरकार बदली है और इधर जो सरकार थी वह विपक्ष में जाकर बैठ गई तो अगले

दिन से ही विपक्ष आलोचना करना शुरू कर देता हैं। जैसा पिछले पचास सालों में हुआ है वैसा ही इस सरकार के प्रति हुआ है। इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है तीन राज्यों का गठन। वा अपने आप में सरकार की इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

सभापति महोदय, विपक्षी दलों ने कई बार इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। चाहे वह 'बाल्को' का मामला हो, 'बाल्को' के मामले पर विपक्ष ने मतदान कराया और मुंह की खाई। इसी विपक्ष ने अयोध्या के मामले पर जब गृहमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की तो वहां भी उसने मुंह की खाई। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के द्वारा बार-बार एलाइज में फंसाने के बावजूद यह सरकार जिस गठबंधन और मजबूती के साथ चल रही है, उसके लिए यह बधाई की पात्र है। आस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स की हत्या के बारे में आर.एस.एस., वी.एस.पी. और बजरंग दल के ऊपर भी विपक्ष ने आरोप लगाये थे, लेकिन वे कहीं ठहर नहीं पाये। चर्चों के ऊपर जो हमले हुए थे, वे विपक्ष के हमले भी नहीं ठहर पाये। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की काफी देन हैं और विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध करे, यह बात ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में सभी कुछ है, सरकार की इच्छाशक्ति भी है, किंतु भ्रष्टाचार के बारे में सरकार की जो प्रतिबद्धता है, वह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहीं नजर नहीं आई। आज हम देखें तो ऐसा लगता है कि केवल नेताओं पर ही लोगों की उंगली उठती है कि ये भ्रष्ट हैं। आज आप जितनी भी फिल्में देखेंगे उनमें यह बात उठेगी कि नेता और पुलिस की भ्रष्ट है। किन्तु आज इस बात की आवश्यकता है कि नौकरशाही को अकाउन्टेबल बनाया जाए, नौकरशाही को भी जवाबदेह बनाया जाए।

सरकारी अफसरों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस प्रकार से उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकार को विपक्ष के साथ मिलकर उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आम आदमी को न्याय मिले, आम आदमी की बात सुनी जाए, इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सन् 1947 के बाद से जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, जितने ब्यूरोक्रैट्स हुए हैं, जितने सरकारी अधिकारी और न्यायपालिका के लोग हैं, सबकी संपत्तियों का ब्यौरा जानने के लिए सरकार को कोई आयोग बनाना चाहिए कि वे कौन लोग हैं उनकी कितनी-कितनी संपत्तियां हैं और सबसे ज्यादा किस वर्ग में भ्रष्टाचार है। किनके बच्चे आज विदेशों में पढ़ रहे हैं और किन्होंने अपनी घोषित आय से कहीं ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर ली है। भ्रष्टाचार के मामले में आज भारत का नंबर 22वां आता है और मुझे लगता है कि जब भी हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मैं निराश नहीं हूं क्योंकि आज भी इस देश की जनता 90 प्रतिशत से ज्यादा ईमानदार है और केवल 10 प्रतिशत लोगों को अगर हम रोक सकें तो हम इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ईमानदार अफसरों को सुरक्षा एवं प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि उनका जल्दी ट्रांसफर न हो और वे दृढ़ होकर इस देश को चलाने के लिए अपना योगदान करते रहें। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसके अंदर आज कुछ लोग यहां बैठे हैं और मैं भाषण कर रहा हूं, इसमें बहुत सारी रिचुअल्स आ गई हैं और बहुत सारी प्रथाएं पहले से चली आ रही हैं। अभी आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को देखें तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने दो भाषाओं में भाषण किया है—हिन्दी और अंग्रेजी में। मुझे लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री देखें कि यदि राष्ट्रपति जी किसी एक भाषा में भाषण करें और दूसरी भाषा में ट्रांसलेट हो जाए तो बहुत सारा समय बच सकता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति जब भाषण करें तो उनके पीछे नेशनल फ्लैग होना चाहिए और जन गण मन और वन्दे मातरम पर सिर्फ खड़े ही न हों बल्कि खड़े होकर सामूहिक रूप से सभी सदस्य गाएं तो उससे अच्छी भावना निकलकर आती है।

सरकार को इस समय एक बड़ा इश्यू लेने की जरूरत है वह है पॉपुलेशन का। प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री जी ने जनसंख्या आयोग बनाया है किन्तु उस आयोग की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उसमें सौ से ज्यादा सदस्य हैं। कितनी बार उसकी मीटिंग होगी, और किस प्रकार होगी यह भी नहीं मालूम। जनसंख्या कंट्रोल के लिए मुझे लगता है कि सरकार उपाय करेगी तो सब लोग साथ देंगे। यहां तक कि मैं पढ़ रहा था कि मुस्लिम देशों में भी लगातार फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स चल रहे हैं चाहे वह ईरान हो, पाकिस्तान हो या बंग्लादेश हो। इसलिए सभी धर्मों में जनसंख्या सीमित करने की बात की गई है। सरकार को इसके बारे में देशव्यापी अभियान छेड़ना चाहिए।

सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं पुनः राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई। विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री इस पर 12 मार्च, 2001 को दोपहर 12.00 बजे बोलेंगे। उनके भाषण के बाद इस पर मतदान होगा।

सभा की बैठक सोमवार 12 मार्च, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

रात्रि 9.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 12 मार्च, 2001/21 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110 008 द्वारा मुद्रित।